पंचदश माला, खंड 36, अंक 8

सोमवार, 16 दिसम्बर, 2013
25 अग्रहायण, 1935 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पंद्रहवां सत्र

(पंद्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 36 में अंक 1 से 10 शामिल हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : एक सौ पन्द्रह रुपये

सम्पादक मण्डल

एस. बालशेखर
महासचिव
लोक सभा

देवेन्द्र सिंह
अपर सचिव

ऊषा जैन
निदेशक

अजीत सिंह यादव
अपर निदेशक

संतोष कुमार मिश्र
संयुक्त निदेशक

इन्दु बक्शी
सम्पादक

कीर्ति यादव
सहायक सम्पादक

© 2013 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in
http://www.loksabha.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल ''डीडी-लोकसभा'' पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2013 **प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय**

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (चौदहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली–110033 द्वारा मुद्रित।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 36, पंद्रहवां सत्र, 2013/1935 (शक)]

अंक 8, सोमवार, 16 दिसम्बर, 2013/25 अग्रहायण, 1935 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1-2
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 141 से 160	2-144
अतारांकित प्रश्न संख्या 1611 से 1840	144-662
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	663-664
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	664-674
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	675-676
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	675-678

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
श्री सतपाल महाराज
श्री जगदम्बिका पाल

महासचिव

श्री एस. बाल शेखर

लोक सभा

सोमवार, 16 दिसम्बर, 2013/25 अग्रहायण, 1935 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

[हिन्दी]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को अपने सहयोगी श्री शीश राम ओला और एक भूतपूर्व सदस्य श्री सोमनाथ रथ के दु:खद निधन के बारे में सूचित करना है।

श्री शीश राम ओला : वर्तमाल लोकसभा के सदस्य थे और वे श्रम और रोजगार मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री थे। ग्यारहवीं से चौहदवीं लोक सभा के भी सदस्य थे और उन्होंने राजस्थान के झुंझुनू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

वे वर्ष 2004 से 2009 तक मंत्रिमंडल में खान मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री थे। पूर्व में 1996 से 1998 के दौरान रसायन और उर्वरक मंत्रालय तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री भी थे। वे आचार समिति के सभापति भी थे तथा विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे।

श्री ओला आठ बार राजस्थान विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। उन्होंने राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्य किया।

एक सक्रिय राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी श्री ओला को उनकी समाज सेवा के लिए 1968 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।

श्री शीश राम ओला का निधन 86 वर्ष की आयु में 15 दिसंबर, 2013 को गुड़गांव में हुआ।

श्री सोमनाथ रथ आठवीं लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने ओडिशा की आस्का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

वे लोक सभा की सभापति तालिका के सदस्य थे।

श्री रथ ने तीन बार ओडिशा विधान सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। वे 1980 से 1984 तक ओडिशा विधान सभा के अध्यक्ष भी रहे। वह ओडिशा सरकार में मंत्री भी रहे।

श्री रथ ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था।

श्री सोमनाथ रथ का निधन 7 अक्तूबर, 2013 को 89 वर्ष की आयु में भंजनगर, ओडिशा में हुआ।

हम सर्वश्री शीश राम ओला और सोमनाथ रथ की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मैं आशा करती हूं कि यह सभा शोक संतप्त परिवारों को अपनी सांत्वना देने में मेरे साथ है।

अब सभा दिवंगत आत्माओं की स्मृति में थोड़ी देर मौन खड़ी होगी।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अन्तर्वाह

***141. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे :**
श्री पी. करुणाकरन :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अनिवासी भारतीयों सहित विदेशी कंपनियों द्वारा कितनी धनराशि का निवेश किया गया और उक्त अवधि के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अन्तर्वाह के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए;

(ख) देश में उद्योग स्थापित करने के लिए कितनी विदेशी कंपनियों/उद्यमियों को अनुमति दी गई और उक्त अवधि के दौरान कितनी विदेशी कंपनियों पर निवेश करने के लिए प्रतिबंध लगाया गया और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हाल ही में किसी विश्व परामर्शदात्री फर्म ने यह बताया है कि विश्व में विदेशी निवेश हेतु भारत अत्यधिक पसंदीदा स्थान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी मानदंडों की समीक्षा करने और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी योजना के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश के लिए विशेष रियायत देने का भी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, सरकार द्वारा देश में अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश को बढ़ावा देने हेतु क्या कोई समीक्षा/अध्ययन, यदि कोई हो, तो कराया गया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान अनिवासी भारतीय (एनआरआई) निवेशों सहित कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) 135,074 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। सरकार एफडीआई अंतर्वाहों के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं करती है, क्योंकि एफडीआई व्यापक रूप से निजी व्यवसाय निर्णयों का मामला है।

(ख) इस संबंध में आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते। देश में विदेशी कंपनियों द्वारा निवेश एफडीआई नीति तथा क्षेत्रगत कानूनों, विनियमनों एवं नीतियों द्वारा संचालित किए जाते हैं। जहां तक एफडीआई नीति का संबंध है, केवल कुछ सीमित क्षेत्रों में प्रतिबंधों सहित ज्यादातर क्षेत्रों/क्रियाकलापों में स्वत: मार्ग के तहत 100% तक एफडीआई की अनुमति है। सरकारी/निजी लॉटरी, ऑनलाइन लॉटरियों आदि सहित लॉटरी व्यवसाय आदि; कसीनो सहित जुआ एवं सट्टे आदि; चिट फंड; निधि कंपनी; हस्तांतरणीय विकास अधिकारों (टीडीआर) में ट्रेडिंग; स्थावर संपदा व्यवसाय अथवा फार्म हाऊसों का निर्माण; तंबाकू की तथा तंबाकू की स्थानापन्न वस्तुओं की सिगारों, चुरुट, छोटे सिगारों तथा सिगरेटों का विनिर्माण; निजी क्षेत्र निवेश के लिए नहीं खोले गए क्रियाकलाप/क्षेत्रों अर्थात परमाणु ऊर्जा तथा रेलवे परिवहन (त्वरित जन परिवहन प्रणाली के अलावा) में एफडीआई प्रतिबंधित है।

(ग) एर्नस्ट एंड यंग (ई एंड वाई) द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण, 9वां ग्लोबल कैपिटल कॉन्फीडेन्स बैरोमीटर, अक्तूबर, 2013 में दिया गया है कि भारत उभरते हुए एवं विकसित बाजारों के बीच प्रमुख निवेश स्थान है।

(घ) और (ङ) सरकार ने अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के निवेशों सहित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के लिए एक उदारीकृत एवं पारदर्शी नीति लागू की है जहां ज्यादातर क्षेत्रों को स्वत: मार्ग के तहत एफडीआई के लिए खोला गया है। मौजूदा नीति में क्षेत्र में एफडीआई के लिए अन्यथा लागू कार्यनिष्पादन से संबंधित शर्तों से छूट देते हुए टाउनशिप, आवास, निर्मित अवसंरचना और निर्माण-विकास परियोजनाओं (जिसमें आवास, वाणिज्यिक परिसर, होटल, रिजॉर्ट, अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, मनोरंजन सुविधाएं, शहर तथा क्षेत्रीय स्तर की अवसंरचना शामिल हैं) सहित निर्माण विकास क्षेत्र में एनआरआई निवेशों के लिए विशेष छूट की अनुमति दी जाती है। इसमें अनुसूचित वायु परिवहन सेवाओं, घरेलू अनुसूचित यात्री एयरलाइनों, गैर-अनुसूचित वायु परिवहन सेवाओं, गैर-अनुसूचित एयरलाइनों, चार्टर्ड एयरलाइनों तथा कार्गो एयरलाइनों में एनआरआई निवेशों के लिए भी विशेष छूट दी जाती है, जिसमें स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत 100% तक एनआरआई निवेश की अनुमति है।

सरकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को एनआरआई सहित निवेशकों के लिए अधिक अनुकूल बनाने के उद्देश्य से इसकी समय-समय पर समीक्षा करती है। हाल ही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत सतत् रूप से एक आकर्षक तथा निवेशक अनुकूल देश बना रहे। सरकार भारत में निवेश के वातावरण और अवसरों के संबंध में जानकारी का प्रसार करके तथा संभावित निवेशकों को निवेश नीतियों, प्रक्रियाओं एवं अवसरों के बारे में सलाह प्रदान करके, निवेश को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाती है। औद्योगिक साझेदारी के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त किया जाता है। सरकार शीर्ष उद्योग संघों के साथ औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने से संबंधित उनके कार्यकलापों में भी समन्वय करती है ताकि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्वाह को प्रोत्साहित किया जा सके। सरकार ने भावी विदेशी निवेशकों के लिए एक गैर-लाभप्रद, एकल खिड़की सुविधा प्रदाता के रूप में तथा एमएसएमई क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करते हुए निवेश आकर्षित करने के लिए ढांचागत तंत्र के रूप में कार्य करने के लिए औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग तथा फिक्की के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी 'इन्वेस्ट इंडिया' भी स्थापित की है।

सरकार ने एनआरआई, जो भारत में निवेश करना चाहते हैं, की सुगमता के लिए वर्ष 2007 में विदेशी भारतीय सुविधा केन्द्र (ओआईएफसी) नामक एक संगठन की स्थापना की है। ओआईएफसी ने विभिन्न देशों में तथा भारत में प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी) के दौरान भी अनेक निवेश एवं संवादात्मक बैठकें आयोजित की हैं। इसके अलावा, पीबीडी तथा क्षेत्रीय पीबीडी को बढ़ावा देने तथा सुकर बनाने और विदेशी भारतीयों द्वारा निवेश को सरल बनाने के लिए एक मंच उपलब्ध कराने के लिए ओआईएफसी तथा इसके जानकार भागीदारों द्वारा संभावित विदेशी निवेशकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए एक इलैक्ट्रोनिक पोर्टल शुरू किया गया है।

[अनुवाद]

दिल्ली-गुड़गांव एक्सप्रेसवे

***142. श्री संजय धोत्रे :**
डॉ. मुरली मनोहर जोशी :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-गुड़गांव एक्सप्रेसवे पर यातायात की अत्यधिक भीड़-भाड़ होने के कारण यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त एक्सप्रेसवे पर यातायात की अत्यधिक भीड़-भाड़ को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई अथवा किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार को इस एक्सप्रेसवे पर पथकर की वसूली बंद करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस एक्सप्रेसवे का नियंत्रण अपने हाथों में लेने और जनहित में एक्सप्रेसवे पर स्थित टॉल प्लाज़ाओं को नगर निगम सीमाओं से हटाने के लिए भी सरकार से अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नान्डीज) : (क) से (ङ) दिल्ली-गुड़गांव एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा पर लंबी कतारें देखी गई हैं। रियायतग्राही टोल प्लाजाओं का विस्तार करने के प्रावधानों का अनुपालन करने में असफल रहा है जिसके लिए फरवरी, 2012 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने रियायतग्राही को समापन नोटिस जारी किया है जिसे रियायतग्राही ने न्यायालय में चुनौती दी है। माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 4.9.2012 के आदेश के अंतर्गत जाम के कारण दिनांक 5.9.2012 (00.00 घंटे) से किमी. 24 पर स्थित टोल प्लाजा पर पथकर संग्रहण को रोकने का आदेश दिया और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वे हरियाणा राज्य सरकार और रियायतग्राही के साथ परामर्श करके जाम रोकने के उपायों का पता लगाएं। तद्नुसार हरियाणा राज्य सरकार एवं रियायतग्राही के साथ 19.9.2012 को आयोजित की गई बैठक के दौरान हुई चर्चा के बाद किमी. 24 पर स्थित टोल प्लाजा पर जाम से बचने के लिए कतिपय उपाय किए गए। हरियाणा राज्य सरकार ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से दो टोल प्लाजाओं को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था-पहला किमी. 24 पर (गुड़गांव शहर का प्रवेश) जोकि दिल्ली-गुड़गांव सीमा पर है और दूसरा खेरकी दौला के समीप किमी. 42 पर दिल्ली-गुड़गांव एक्सप्रेसवे से किमी. 61 तक जोकि दिल्ली-जयपुर राजमार्ग पर बिलासपुर में हैं, क्योंकि यातायात के सुचारू प्रवाह में रूकावट और क्षेत्र की अन्य व्यापारिक एवं आर्थिक गतिविधियों के अतिरिक्त दोनों टोल प्लाजाओं पर यात्रियों को अत्यधिक असुविधा और परेशानी होती है। तथापि सरकार ने यह देखा है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास टोल प्लाजाओं पर सड़क प्रयोक्ताओं की परेशानी दूर करने के लिए रियायतग्राही की गलती के कारण समापन करना एकमात्र विकल्प बचता है। चूंकि रियायतग्राही अपने कर्त्तव्य पूरे करने में बुरी तरह से असफल रहा है, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 8.3.2013 को रियायतग्राही को समापन के लिए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। रियायतग्राही ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौति दी है। हरियाणा राज्य सरकार ने भी उक्त मामले में स्वयं को शामिल करने के लिए दिनांक 30.05.2013 को एक आवेदन दिया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को निदेश दिया गया है कि वे माननीय उच्च न्यायालय में मामले को देखें ताकि इसका तत्काल कोई तर्कसंगत हल निकल सके। मामला अभी न्यायालय में है।

बाल श्रम

***143. श्री पी.सी. गद्दीगौदर :**
श्री ताराचन्द भगोरा :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बाल मजदूरों/श्रमिकों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र/लिंग-वार अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा चलाए जा रहे बाल श्रम उन्मूलन और पुनर्वास कार्यक्रमों और इसके परिणामस्वरूप प्राप्त सफलता का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान मुक्त कराए गए/पुनर्वास किए गए बाल मजदूरों की संख्या सहित बाल मजदूरों को काम पर रखने वाले दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) बाल मजदूरी, विशेषकर जोखिम भरे व्यवसायों, सर्कस इत्यादि में, को पूरी तरह खत्म करने के लिए क्या कड़े उपाय किए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) एनएसएसओ सर्वेक्षण 2009-10 के अनुसार, अनुमानतः 49.84 लाख कामकाजी बच्चे हैं। देश में ग्रामीण और शहरी, राज्य और महिला — पुरुष-वार बाल श्रम ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) से (घ) जनगणना 2001 के अनुसार, देश में 5 — 14 वर्ष के आयु समूह में कामकाजी बच्चों की कुल संख्या 1.26 करोड़ सूचित की गई थी। तथापि, एनएसएसओ द्वारा किए गए सर्वेक्षण में, 2004-05 में कामकाजी बच्चों की संख्या 90.75 लाख होने का अनुमान लगाया गया था जो एनएसएसओ सर्वेक्षण 2009-10 के अनुसार और कम होकर 49.84 लाख हो गया था।

बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में सर्कस सहित 18 व्यवसायों एवं 65 प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन प्रतिषिद्ध है और इस अधिनियम में बच्चों की कामकाजी दशाएं विनियमित हैं, जहां उन्हें काम करने से प्रतिषिद्ध नहीं किया गया है। केन्द्रीय सरकार के प्रतिष्ठानों, रेलवे, पत्तनों, खानों अथवा तेल क्षेत्रों के संबंध में अधिनियम के प्रवर्तन के लिए केन्द्रीय सरकार समुचित

प्राधिकारी है तथा अन्य सभी मामलों में, अधिनियम के तहत कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार समुचित प्राधिकारी है।

विभिन्न राज्यों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत अपराधियों के विरुद्ध पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान किए गए निरीक्षणों, शुरू किए गए अभियोजनों और कराई गई दोषसिद्धियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

वर्ष	निरीक्षणों की संख्या	अभियोजनों की संख्या	दोषसिद्धियों की संख्या
2010	250087	4508	1317
2011	123139	5961	933
2012	128499	4695	975
2013 (नवंबर, 2013 तक)	34334	586	311

बाल श्रम कानून के उपबंधों के कड़ा बनाने के लिए, बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2012 संसद में प्रस्तुत किया गया है। संशोधन विधेयक में अन्य बातों के साथ-साथ (i) 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिषेध तथा प्रतिषेध की आयु को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत आयु से संबद्ध करना, (ii) किशोरों (14 से 18 वर्ष) के खानों, ज्वलनशील पदार्थों अथवा विस्फोटकों और कारखाना अधिनियम, 1948 में यथा परिभाषित जोखिमकारी प्रक्रियाओं में काम करने पर प्रतिषेध, (iii) अपराधियों को और कड़ा दंड देना तथा अधिनियम के तहत अपराधों को संज्ञेय बनाना शामिल है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में काम करने वाले बच्चों को काम से हटाने और उन्हें औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्य धारा में लाने के मुख्य उद्देश्य से बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु 1988 से राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) स्कीम भी कार्यान्वित करता आ रहा है। इस योजना के तहत, परियोजना समितियों द्वारा जिला स्तर पर जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में काम करने वाले बच्चों का पता लगाने के लिए नियमित सर्वेक्षण किया जाता है। 9-14 वर्ष के आयु समूह में बचाए गए/हटाए गए बच्चों को एनसीएलपी प्रशिक्षण केन्द्रों में भर्ती किया जाता है जहां उन्हें ब्रिज शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मध्याह्न भोजन, वजीफा आदि प्रदान किए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एनसीएलपी योजना के माध्यम से छुड़ाए गए, पुनर्वासित किए गए और मुख्य धारा में लाए गए बाल श्रमिकों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

एनएसएस 66वें दौर (2009-10) के दौरान रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण पर आधारित बाल श्रमिकों संबंधी आंकड़े

क्र. सं.	बड़े राज्य/अखिल भारत	आयु समूह 5-14			
		ग्रामीण पुरुष	महिलाएं	शहरी पुरुष	महिलाएं
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	88156	110191	20767	15548
2.	असम	144655	31909	11833	757
3.	बिहार	224292	38665	11017	2548
4.	छत्तीसगढ़	3669	7321	636	0
5.	दिल्ली	—	—	18576	0
6.	गुजरात	150487	207973	15945	16282
7.	हरियाणा	22664	17471	28073	3988
8.	हिमाचल प्रदेश	2300	2942	2156	0

1	2	3	4	5	6
9.	जम्मू और कश्मीर	11274	16872	1139	0
10.	झारखंड	63684	14661	4123	0
11.	कर्नाटक	89796	113429	20793	2479
12.	केरल	1182	0	0	1583
13.	मध्य प्रदेश	91454	32812	57688	9063
14.	महाराष्ट्र	66370	127996	54230	12077
15.	ओडिशा	54390	38288	36522	5363
16.	पंजाब	16802	6433	15664	9937
17.	राजस्थान	93055	261871	43184	7826
18.	तमिलनाडु	0	13880	3471	0
19.	उत्तराखंड	14810	7239	3219	2103
20.	उत्तर प्रदेश	1012294	546320	147820	68899
21.	पश्चिम बंगाल	357265	134657	31946	27716
	अखिल भारत	2511101	1727271	546897	198602

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के माध्यम से छुड़ाए गए, पुर्नवासित किए गए और मुख्य धारा में लाए गए बाल श्रमिकों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	मुख्य धारा में लाए गए बच्चों की संख्या			
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (सितंबर, 2013 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	असम	274	227	10848	0
2.	आंध्र प्रदेश	1858	13202	7840	2414
3.	बिहार	8552	19673	1162	211
4.	छत्तीसगढ़	5164	4914	2004	5967
5.	दिल्ली	0	0	0	0
6.	गुजरात	2129	609	569	0

1	2	3	4	5	6
7.	हरियाणा	1293	1895	1722	465
8.	जम्मू और कश्मीर	43	184	132	162
9.	झारखंड	1015	2216	4003	227
10.	कर्नाटक	135	3761	758	516
11.	महाराष्ट्र	5113	4532	4954	2567
12.	मध्य प्रदेश	13344	17589	7116	2111
13.	नागालैंड	0	0	0	0
14.	ओडिशा	14416	13196	10309	2395
15.	पंजाब	123	168	0	0
16.	राजस्थान	4415	1020	4155	1800
17.	तमिलनाडु	6325	5127	3671	1461
18.	उत्तराखंड	0	0	0	0
19.	उत्तर प्रदेश	28243	29947	10616	466
20.	पश्चिम बंगाल	2215	7456	3117	3160
	कुल	94657	125716	72976	23922

रक्षा सौदों में अनियमितताएं

***144. श्री यशवीर सिंह :**
श्री नीरज शेखर :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान एक्टिव टोअड एरे सोनार की खरीद सहित विदेशी कंपनियों के साथ किए गए रक्षा सौदों में निविदा संबंधी मानदंडों में पता चली अनियमितताओं/उल्लंघनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान ऐसे रक्षा सौदों का ब्यौरा क्या है जिनमें केन्द्रीय सतर्कता आयोग से निविदाओं को जारी करने के लिए सतर्कता जांच की सिफारिश की है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उक्त सौदों में भ्रष्टाचार के दर्ज किए गए मामलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान ऐसे रक्षा सौदों में कितने पदाधिकारियों को दोषी पाया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) रक्षा सौदों में अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ङ) रक्षा उपस्करों की पूंजीगत और राजस्व शीर्षों में अधिप्राप्ति क्रमशः रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डीपीपी) और रक्षा अधिप्राप्ति मैनुअल (डीपीएम) के अनुसार की जाती है। रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (डीआरडीओ), आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) तथा सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम (डीपीएसयू) जैसे अन्य संगठनों की अपनी अधिप्राप्ति प्रक्रियाएं हैं। अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं में अभिकथित अनियमितताओं/उल्लंघनों संबंधी शिकायतें समय-समय पर विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होती हैं। जब कभी ऐसी शिकायत मिलती है तो उसकी जांच की जाती है और पूरी कर्मिष्ठता के साथ मामले को देखने के बाद, जहां आवश्यक हो, उस मामले को आगे की जांच के लिए उपयुक्त

एजेंसी के पास भेजा जाता है। पिछले तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष के दौरान, सीबीआई ने रक्षा उपस्करों की अधिप्राप्ति सहित, रक्षा खरीदों से संबंधित कुल 23 मामले दर्ज किए हैं। इनमें से छह मामले जिनमें विदेशी कंपनियां शामिल थीं, वायु सेना के लिए वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की अधिप्राप्ति, सेना के लिए टोही तथा निगरानी हेलीकॉप्टरों की अधिप्राप्ति, सेना के लिए टेट्रा ट्रकों की अधिप्राप्ति और आयुध निर्माणी बोर्ड, कोलकाता द्वारा संविदा दिए जाने से संबंधित हैं। इनमें से कुछ मामलों में, केन्द्रीय सतर्कता आयोग से भी संदर्भ प्राप्त हुए हैं। उक्त अवधि के दौरान मंत्रालय का कोई भी कार्मिक दोषी नहीं पाया गया है।

*उपर्युक्त के अलावा, मंत्रालय ने अब तक 15 फर्मों को 10 वर्षों/अनिश्चित काल के लिए आगे व्यवसाय करने से बाहर करने के आदेश जारी किए हैं, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

जहां तक भारतीय नौसेना के लिए एक्टिव टोड अरे सोनार की अधिप्राप्ति का संबंध है, तकनीकी मूल्यांकन, अधिप्राप्ति प्रक्रिया आदि में कथित अनियमितताओं की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनकी जांच चल रही है। यह संविदा अभी तक नहीं की गई है।

रक्षा उपस्करों की अधिप्राप्ति निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह प्रक्रिया पारदर्शिता, ईमानदारी और लोक जवाबदेही के उच्चतम मानकों पर खरी उतरे। मौजूदा प्रक्रियाओं में, विभिन्न चरणों में सामूहिक अनुमोदन, पर्यवेक्षण कार्यतंत्र, संविदा के मानक खंड, संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर करना आदि जैसे विभिन्न प्रावधानों को शामिल किया गया है। अधिप्राप्ति से संबंधित प्रमाणनीय आरोपों वाली सभी शिकायतों की जांच विभागीय रूप से अथवा सीबीआई जैसी स्वतंत्र जांच एजेंसी के माध्यम से की जाती है। यदि यह पाया जाता है कि किसी कंपनी ने अनैतिक अथवा गैर-कानूनी माध्यम को अपनाया है अथवा वह उसमें शामिल है तो ऐसी कंपनी के विरुद्ध शास्ति लगाने की कार्रवाई की जाती है, जिसमें उस कंपनी को व्यावसायिक लेन-देन करने से विवर्जित किया जाना भी शामिल है।

विवरण

13.12.2013 तक मंत्रालय द्वारा विवर्जित कंपनियां और उनकी सहायक कंपनियां

विवर्जित कुल कंपनियों की संख्या : 15

2. कंपनियों का नाम और आदेश की तिथि इस प्रकार है:

क्र.सं.	कंपनी का नाम	आदेश की तिथि
1	2	3
1.	मैसर्स सिंगापुर टैक्रोलोजीज काइनेटिक्स लि. (एसटीके)	28.5.2009 और 11.04.2012
2.	मैसर्स इज़राइल मिलिटरी इंडस्ट्रीज लि. (आईएमआई)	28.5.2009 और 11.04.2012
3.	मैसर्स टी.एस. किसन एंड कंपनी प्रा.लि., नई दिल्ली	28.5.2009 और 11.04.2012
4.	मैसर्स आर.के. मशीन टूल्स लि., लुधियाना	28.5.2009 और 11.04.2012
5.	मैसर्स रीनमेटल एयर डिफेंस (आरएडी), ज्यूरिख	11.04.2012
6.	मैसर्स कोरपोरेशन डिफेंस, रशिया (सीडीआर)	11.04.2012
7.	मैसर्स एचवाईटी इंजीनियरिंग, पुणे	28.5.2009
8.	मैसर्स बी.वी.टी. पोलैंड	28.5.2009
9.	मैसर्स मीडिया आर्कीटेक्ट प्रा.लि., सिंगापुर	28.5.2009
10.	मैसर्स शेंक्स ओशनियरिंग, कोच्चि और मुंबई	09.08.2006

*पाद टिप्पण अगले पृष्ठ पर देखें।

1	2	3
11.	इंटर स्पायरो इंडिया प्रा.लि., गोवा	09.08.2006
12.	मैसर्स एक्सपटर्स सिस्टम	09.08.2006
13.	मैसर्स यूनिटेक एंटरप्राइजिज, पुणे	09.08.2006
14.	मैसर्स कैल्विन इंजीनियरिंग	09.08.2006
15.	मैसर्स एटलस टेलीकॉम एवं मैसर्स एटलस डिफेंस सर्विसज सहित एटलस ग्रुप ऑफ कंपनीज	09.08.2006

3. क्र.सं. 1 से 6 पर दी गई कंपनियों को दिनांक 11.04.2012 के आदेश के द्वारा दस (10) वर्ष की अवधि के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ आगे व्यावसायिक लेन-देन करने से विवर्जित कर दिया गया है। उपर्युक्त क्र.सं. 1 से 6 पर विवर्जित प्रत्येक फर्म की सभी संबद्ध और सहायक फर्मों को दिनांक 17.09.2013 के आदेश द्वारा दस (10) वर्ष की अवधि के लिए आगे व्यावसायिक लेन-देन करने से विवर्जित कर दिया गया है।

4. क्र.सं. 7 से 15 पर दी गई कंपनियों को अनिश्चितकाल के लिए विवर्जित कर दिया गया है।

पाद टिप्पण

दिनांक 16.12.2013 के वाद-विवाद के तारांकित प्रश्न संख्या 144 तथा उसके अनुबंध में दिए गए उत्तर के दूसरे पैरा में दिनांक 10.02.2014 को सभा में दिए गए 'शुद्धि करने वाले विवरण' के माध्यम से शुद्धि की गयी और तद्नुसार उत्तर को निम्नलिखित रूप में संशोधित किया गया है:—

(क) से (ङ) दूसरा पैरा: उपर्युक्त के अलावा, मंत्रालय ने अब तक 12 फर्मों को 10 वर्षों/अनश्चित काल के लिए आगे व्यवसाय करने से बाहर करने के आदेश जारी किए हैं, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

13.12.2013 की स्थिति के अनुसार मंत्रालय द्वारा विवर्जित कंपनियां और उनकी सहायक कंपनियां

क्र.सं.	कंपनी का नाम	आदेश की तिथि
1	2	3
1.	मैसर्स सिंगापुर टैक्नोलोजीज काइनेटिक्स लि. (एसटीके)	28.5.2009 और 11.04.2012
2.	मैसर्स इज़राइल मिलिटरी इंडस्ट्रीज लि. (आईएमआई)	28.5.2009 और 11.04.2012
3.	मैसर्स टी.एस. किसन एंड कंपनी प्रा.लि., नई दिल्ली	28.5.2009 और 11.04.2012
4.	मैसर्स आर.के. मशीन टूल्स लि., लुधियाना	28.5.2009 और 11.04.2012
5.	मैसर्स रीनमेटल एयर डिफेंस (आरएडी), ज्यूरिख	11.04.2012
6.	मैसर्स कोरपोरेशन डिफेंस, रशिया (सीडीआर)	11.04.2012
7.	मैसर्स शेंक्स ओशनियरिंग, कोच्चि और मुंबई	09.08.2006
8.	इंटर स्पायरों इंडिया प्रा.लि., गोवा	09.08.2006
9.	मैसर्स एक्सपटर्स सिस्टम	09.08.2006

1	2	3
10.	मैसर्स यूनिटेक एंटरप्राइजिज, पुणे	09.08.2006
11.	मैसर्स कैल्विन इंजीनियरिंग	09.08.2006
12.	मैसर्स एटलस टेलीकॉम एवं मैसर्स एटलस डिफेंस सर्विसेज सहित एटलस ग्रुप ऑफ कंपनीज	09.08.2006

क्र.सं. 1 से 6 पर दी गई कंपनियों को दिनांक 11.04.2012 के आदेश के द्वारा दस (10) वर्ष की अवधि के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ आगे व्यावसायिक लेन-देन करने से विवर्जित कर दिया गया है। उपर्युक्त क्र.सं. 1 से 6 पर विवर्जित प्रत्येक फर्म की सभी संबद्ध और सहायक फर्मों को दिनांक 17.09.2013 के आदेश द्वारा दस (10) वर्ष की अवधि के लिए आगे व्यावसायिक लेन-देन करने से विवर्जित कर दिया गया है।

क्र.सं. 7 से 12 पर दी गई कंपनियों को अनिश्चितकाल के लिए विवर्जित कर दिया गया है।

श्रमिकों की भविष्य निधि की बकाया राशि

***145. श्री सोमेन मित्रा :** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सहित देश के विभिन्न भागों में बंद हो चुके चाय बागानों के श्रमिकों को भविष्य-निधि की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्तमान में ऐसे बंद हो चुके चाय बागानों के श्रमिकों की भविष्य निधि की बकाया धनराशि कितनी है;

(घ) चूककर्त्ता कंपनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) देश में ऐसे श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) से (घ) पश्चिम बंगाल सहित भारत में बंद चाय बागानों, जहां भविष्य निधि बकाया धनराशियों का भुगतान नहीं किया गया है, चूक की अवधि, आज की तारीख को विद्यमान बकाया राशि की मात्रा तथा इन कंपनियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कवर किए गए चाय बागानों में चूक सामान्यत: उनके कर्मचारियों के संबंध में अंशदान जमा न कराने के कारण है।

(ङ) चूककर्ता कंपनियों द्वारा अनुपालन की लगातार निगरानी की जाती है। जब कभी चूक का पता चलता है, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7क के अंतर्गत, देया राशियों की मात्रा का पता लगाने हेतु कार्रवाई की जाती है। एक बार देय राशियों की मात्रा का पता चल जाने पर, अधिनियम की धारा 8ख से 8छ के तहत चूककर्त्ता कंपनियों से बकाया देय राशियों की वसूली हेतु कार्रवाई की जाती है। ऐसे मामलों में जिनमें कर्मचारियों का अंशदान काटा गया है किन्तु जमा नहीं किया गया है, भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के तहत पुलिस प्राधिकारियों के पास चूककर्त्ताओं के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दायर की जाती है। कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अंतर्गत चूककर्त्ता प्रतिष्ठानों और नियोक्ताओं के विरुद्ध देय राशियां जमा नहीं करने और सांविधिक विवरणियां प्रस्तुत नहीं करने के लिए अभियोजन भी शुरू किए जाते हैं। संपत्ति कुर्क करने, बैंक खाते कुर्क करने और चूककर्त्ताओं की गिरफ्तारी के लिए भी कार्रवाई की जा सकती है। यदि कंपनी परिसमाप्त हो जाए, तो बकाया धनराशि की वसूली हेतु सरकारी परिसमापक के समक्ष दावे दाखिल किए जाते हैं।

विवरण

1. देश में केवल दो चाय बागान है जो बंद है और जहां भविष्य निधि बकाया राशियों की अभी वसूली की जानी है। ये दोनों ही पश्चिम बंगाल राज्य में है।

2. मैसर्स धेकलापारा टी एस्टेट, जलपाईगुड़ी (डब्ल्यूबी/819), के मामले में स्थिति निम्नानुसार है:—

    - 28.08.1998 से 07.05.2002 तक के विभिन्न आदेशों के माध्यम से भविष्य निधि बाकाया अंशदान की कुल देय राशियां 78,13,973/- रुपए आंकी गईं तथा इसमें 11/1990 से 11/2001 तक की अवधि शामिल थी।

    - इन राशियों के निर्धारण के उपरांत, वसूली अधिकारी ने मांग

संबंध सूचना जारी करना, चल और अचल संपत्ति की कुर्की का वारंट आदि जैसी सभी वसूली कार्रवाईयां शुरू की।

- चल संपत्ति 03.03.2000 को कुर्क की गईं और अचल संपत्ति 19.09.2000 को तथा बाद में 06.11.2000 को कुर्क की गईं।
- विभिन्न तारीखों को स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों के पास प्रथम सूचना रिपोर्टें दायर की गई हैं और ऐसी अंतिम प्रथम सूचना रिपोर्ट 18.02.2002 को दायर की गई थी।
- प्रतिष्ठान 21.08.2002 को 3.07.2005 तक बंद कर दिया गया था। इसे पुनः 04.07.2005 को खोला गया और 11.03.2006 बंद कर दिया गया था।
- प्रतिष्ठान द्वारा विवरणियां 1996–1997 तक प्रस्तुत की गईं थी।
- वसूली कार्रवाईयों के कारण, 01.08.2001 से प्रारंभ 14.02.2006 तक विभिन्न तारीखों को 11,57,094/– रुपए की धनराशि वसूली गई है।
- वारंट जारी करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, परन्तु वास्तविक कारण बताओ नोटिस तामील नहीं किया जा सका क्योंकि नियोक्ता का कोई अता-पता नहीं था और नियोक्ता भाग गया है और प्रतिष्ठान बंद था।
- कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 14 के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठा द्वारा 27.09.2005 को इकसठ अभियोजन मामले स्वीकृत किए गए और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जलपाईगुड़ी के न्यायालय में 30.09.2005 को दाखिल किए गए थे। प्रतिष्ठान स्वीकृत अभियोजना के विरुद्ध माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय में पहुंच गया।
- माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 02.07.2010 के निर्णय द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा दाखिल अभियोजन को निरस्त कर दिया।
- जिला अधिकारी, जलपाईगुड़ी से संपर्क साधने पर, 12.07.2013 को यह बात पता चली है कि प्रतिष्ठान माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय में 1999 की सी.पी. संख्या 558 के द्वारा परिसमाप्त हो गया तथा माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा पसिमापन आदेश 06.12.2006 को पारित किया गया था। देय राशियों आदि के बारे में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के दावे से संबंधित कागजात 12.12.2013 को सरकारी परिसमापक के कार्यालय को सौंप दिए गए हैं जिनमें 66,56,879/–रुपए की देय राशियां, 85,77,337/– रुपए का ब्याज और धारा 14ख के तहत 72,04,950/–रुपए का क्षतिभार निहित है।

3. **मैसर्स पोटोंग टी एस्टेट, जलपाईगुड़ी (डब्ल्यूबी/11738) के मामले में, स्थिति निम्नानुसार है:—**

- प्रतिष्ठान 19.12.1996 को बंद हो गया था।
- प्रतिष्ठाने 1995–1996 तक विवरणियां प्रस्तुत की हैं।
- प्रतिष्ठान ने 20.12.1996 से स्थानीय व्यवस्था के अनुसार कार्य करना शुरू किया और यह 31.10.2002 को पुनः बंद हो गया।
- अंशदान में 25,84,313/– रुपए की चूक है और इसमें 01/2001 से 09/2001 तक की अवधि शामिल है तथा सरकारी परिसमापक के पास दावा 07.06.2004 को दाखिल किया गया था।
- प्रतिष्ठान 1991 की सी.पी. संख्या 324 द्वारा परिसमाप्त हो गया। प्रतिष्ठान को समाप्त करने की तारीख 24.06.2002 थी।
- दावा, 09/2001 तक देय राशियों को कवर करते हुए सरकारी परिसमापक के पास 07.06.2004 को दाखिल किया गया था।
- 23,61,704/–रुपए की धनराशि सरकारी परिसमापक से 11.03.2011 को वसूल कर ली गई थी।
- सरकारी परिसमापक के पास 22.02.2013 को एक और दावा दाखिल किया गया जिसमें 2,22,609/– रुपए की बकाया देय धनराशियों, 12,46,875/– रुपए का ब्याज और धारा 14ख के तहत 27,44,449/– रुपए का क्षतिभार शामिल है जिसका कुल योग 42,13,933/–रुपए हैं।

[हिन्दी]

यमुना नदी में प्रदूषण

***146. श्री रमेश बैस :**
चौधरी लाल सिंह :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यमुना नदी में जल प्रदूषण के स्रोत क्या हैं और विभिन्न स्थानों पर इसके जल की गुणवत्ता कैसी है;

(ख) यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं और इनके परिणामस्वरूप प्राप्त सफलता का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में कितनी धनराशि खर्च की गई;

(घ) उक्त योजनाओं के अंतर्गत नदी प्रबंधन के लिए शामिल की गईं/जिन्हें ठेका दिया गया, उन एजेंसियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या त्यौहारों के दौरान मूर्ति विसर्जन के परिणामस्वरूप यमुना नदी में प्रदूषण बढ़ता है और यदि हां, तो ऐसे अवसरों के दौरान प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) यमुना नदी के प्रदूषण का मुख्य स्रोत इस नदी के किनारे बसे नगरों से नदी में मिलने वाले नालों के माध्यम से प्रवाहित होने वाला अशोधित/अंशत: शोधित घरेलू मल-जल है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सीवेज प्रदूषण मुख्यत: यमुना नगर, जगाधरी, करनाल, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, पलवल, वृंदावन, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद और इटावा नगरों से होता है। यमुना नदी में सर्वाधिक सीवेज प्रदूषण भार दिल्ली के कारण होता है। सीपीसीबी द्वारा की गई यमुना की जलगुणवत्ता की मॉनीटरिंग के अनुसार, उद्‌गम स्थल से दिल्ली में वजीराबाद तक का यमुना नदी का क्षेत्र डिजोल्वड् ऑक्सीजन और बायोकैमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) के संदर्भ में अधिकांशत: निर्धारित सीमा में पया गया है। तथापि, दिली में वजीराबाद से ओखला तक और उत्तर प्रदेश में कोसीकलां से जूहीका तक के क्षेत्रों की पहचान प्रदूषित क्षेत्रों के रूप में की गई है।

(ख) और (ग) नदियों का संरक्षण के केन्द्र और राज्य सरकारों का सतत् एवं सामूहिक प्रयास है। यह मंत्रालय यमुना कार्य योजना (वाईएपी) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा को वित्तीय सहायता प्रदान करके यमुदना नदी की प्रदूषण की समस्या का निराकरण करने में वर्ष 1993 से चरणबद्ध ढंग से राज्य सरकारों के प्रयासों का सम्पूरण कर रहा है। इन तीनों राज्यों में यमुना कार्य योजना के चरण-I एवं II के अन्तर्गत नालों के सीवरेज/अवरोधन एवं विपथन, विद्यमान सीवेज शोधन संयंत्रों (एसटीपी) के जीर्णोद्धार/उन्नयन एवं नए एसटीपी के निर्माण, अल्प लागत वाले शौचालय/सामुदायिक स्नानागार परिसरों के निर्माण, विद्युत/उन्नत काष्ठ के शवदाहगृहों के निर्माण आदि संबंधी स्कीमों पर कुल 1453.17 करोड़ रुपए (राज्य के हिस्से सहित) का व्यय किया जा चुका है। यमुना कार्य योजना के अन्तर्गत अब तक 942.25 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एलएलडी) की सीवेज शोधन क्षमता सृजित की गई है।

इसके अतिरिक्त, 1656 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से दिल्ली के लिए वाईएपी चरण-III परियोजना अनुमोदित की गई है। वीईएपी-III के अन्तर्गत, दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) द्वारा विद्यमान ट्रंक सीवरों तथा राइजिंग मेन्स के पुन:स्थापन, 814 एमएलडी के विद्यमान एसटीपी के उन्नयन तथा 136 एमएलडी के एक नये एसटीपी (पुराने एसटीपी के स्थान पर) के निर्माण कार्य का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, हरियाणा में सोनीपत एवं पानीपत नगरों में यमुना नदी के प्रदूषण उपशमन के कार्य के लिए मंत्रालय द्वारा 217.87 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से दो परियोजनाएं भी मंजूर की गई हैं। इसके अलावा, शहरी विकास मंत्रालय की जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) परियोजना के अन्तर्गत, दिल्ली में तीन प्रमुख नालों नामत: नजफगढ़ सप्लीमेंट्री और शाहदरा से यमुना नदी में बहने वाले सीवेज का अवरोधन करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा 1357 करोड़ रुपए की लागत से एक इन्टरसेप्टर सीवर परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

वीईएपी के अन्तर्गत यमुना नदी के संरक्षण हेतु पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा जारी की गई निधियों और राज्यों द्वारा किए गए व्यय का विवरण निम्नवत् है:—

वर्ष	जारी की गई निधियां (करोड़ रुपए)	राज्य के हिस्से सहित किया गया व्यय (करोड़ रुपए)
2010-11	111.49	198.64
2011-12	49.06	125.18
2012-13	41.83	80.03
2013-14 (नवंबर, 2013 तक)	शून्य	10.21

सीवेज के उत्पादन तथा सीवेज शोधन क्षमता की उपलब्धता के बीच भारी अन्तर होने और नदी में पर्याप्त ताजा जल के अभाव के कारण यमुना नदी की जल गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार नहीं पाया गया है।

(घ) राज्यों में वाईएपी स्कीमों हेतु कार्यान्वयन एजेंसियां हैं- उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश जल निगम, हरियाणा में लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और दिल्ली में दिल्ली जल बोर्ड तथा दिल्ली नगर निगम। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नामित की जाने वाली ये एजेंसियां, यमुना कार्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत विभिन्न प्रदूषण उपशमन कार्यों हेतु ठेके देती हैं।

(ङ) सीपीसीबी के अनुसार, मूर्ति विसर्जन के कारण यमुना नदी में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है और नदी में डिग्रेडेबल और नॉन-बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों तथा अन्य तरल प्रदूषकों (तेल, घी आदि) को प्रवाहित किए जाने से यमुना नदी की जल गुणवत्ता में विकृति आती है। सीपीसीबी ने मूर्ति विर्सजनों से होने वाले प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण संबंधी दिशा निर्देश प्रकाशित किए हैं। इन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) द्वारा विर्सजनों से पहले और बाद में जल निकायों की जल गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाए, आंकड़ों को इन्टरनेट पर प्रदर्शित किया जाए और इस उद्देश्य हेतु बड़े पैमाने पर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सामग्री तैयार करने में स्थानीय प्रशासन की सहायता की जाए। इसके अतिरिक्त, इन दिशा-निर्देशों, में यह भी निर्धारित किया गया है कि मूर्तियों का निर्माण परम्परागम मिट्टी जैसी प्राकृतिक सामग्रियों से किया जाए, मूर्तियों को रंगने के लिए पानी में घुलनशील तथा गैर-विषाक्त प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाए, मूर्तियों के विसर्जन से पूर्व फूल, कपड़े, सजावटी समान (कागज और प्लास्टिक से बने) जैसी पूजा सामग्री को अलग कर लिया जाए, रिसाइक्लिंग अथवा कंपोस्टिंग के लिए बायोडिग्रेबल सामग्रियां अलग से एकत्रित की जाए, नॉन बायोडिग्रेबल सामग्रियों का निपटान सेनिटरी लैंडफिल में किया जाए, नदी में मूर्तियों का विर्सजन तली में हटाये जा सकने वाले सिंथेटिक लाइनरों से युक्त मिट्टी के बांध वाले अस्थायी तालाबों में नदी के किनारे के अभिज्ञात मूर्ति विसर्जन स्थलों पर किया जाए।

[अनुवाद]

परियोजनाओं को स्वीकृतियां दिए जाने को स्थगित किया जाना

***147. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :**
श्री भर्तृहरि महताब :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में औद्योगिक एककों द्वारा अनुपालन हेतु निर्धारित पर्यावरणीय मानक/प्रदूषण मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कुछ औद्योगिक क्लस्टरों में सभी परियोजनाओं को स्वीकृतियां दिए जाने को स्थगित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने हाल ही में ऐसे कुछ औद्योगिक क्लस्टरों में परियोजनाओं को मंजूरी देना स्थगित कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस दिशा में अन्य क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (ङ) सरकार ने प्रदूषणकारी उद्योगों की 62 श्रेणियों के संबंध में पर्यावरणीय मानक अधिसूचित किए हैं। अधिसूचित बहिस्राव एवं उत्सर्जन मानकों में शोधित बहिस्रावों तथा उत्सर्जनों के निपटान हेतु प्रमुख प्रदूषणकारी उद्योग शामिल किए गए हैं।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के सहयोग से वर्ष 2009 में व्यापक पर्यावरणीय प्रदूषण सूचकांक (सीईपीआई) मानदंड के आधार पर 88 प्रमुख औद्योगिक समूहों का एक व्यापक पर्यावरणीय मूल्यांकन किया था। इन 88 औद्योगिक समूहों में से, 70 और इससे अधिक के सीईपीआई स्कोर वाले 43 औद्योगिक समूहों की पहचान अत्यधिक प्रदूषित समूहों के रूप में की गई थी। इन 43 अत्यधिक प्रदूषित औद्योगिक समूहों की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय ने इन 43 अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों (सीपीए) में अवस्थित की जाने वाली नदी परियोजनाओं पर विचार करने/विद्यमान परियोजनाओं का विस्तार करने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने पर दिनांक 13.01.2010 को अस्थाई तौर पर रोक लगायी थी। इस स्थगन के अनुसरण में, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) द्वारा अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों हेतु उपचारात्मक कार्य योजनाएं बनायी गईं थी। कार्य योजना के कार्यान्वयन की दिशा में कार्य शुरू करने के बारे में संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने क्रमश: दिनांक 26.10.2010, 1.05.2011, 31.03.2011, 23.05.2011 और 05.07.2011 के कार्यालय ज्ञापनों के द्वारा 26 अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों से स्थगन हटा लिया था। उक्त कार्यालय ज्ञापनों के द्वारा जिन 26 अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों से स्थगन हटाया गया था, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। तथापि, शेष 17 अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों के संबंध में स्थगन जारी है।

सीपीसीबी ने जनवरी-फरवरी, 2013 के दौरान इन 43 अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों की पर्यावरणीय गुणवत्ता मॉनीटरिंग कराई और एकत्रित किए गए मॉनीटर्रिग आंकड़ों के आधार पर इन क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए सीईपीआई स्कोर का पुनर्मूल्यांकन किया गया। पुनर्मूल्यांकित सीईपीआई स्कोर के आधार पर, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने दिनांक 17 सितंबर, 2013 के दो कार्यालय ज्ञापनों के द्वारा 10 अत्यधिक प्रदूषित

क्षेत्रों में स्थगन हटाने के साथ-साथ आठ अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में स्थगन को पुन: लागू कर दिया। आज की स्थिति के अनुसार, 15 अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में स्थगन लागू है और 28 अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों से स्थगन हटाया जा चुका है। 43 अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में स्थगन की वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण-III में दी गई है।

विवरण-I

43 अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों का राज्य-वार

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्र
1.	गुजरात (6 सीपीए)	अंकलेश्वर, वापी, अहमदाबाद, वतवा, भावनगर, जूनागढ़
2.	महाराष्ट्र (5 सीपीए)	चन्द्रपुर, डोमबीवली, औरंगाबाद, नवी-मुंबई, तारापुर
3.	तमिलनाडु (4 सीपीए)	वेल्लौर नार्थ-आरकोट, कुड्डोलौर, मनाली, कोयम्बतूर
4.	मध्य प्रदेश (1 सीपीए)	इन्दौर
5.	पंजाब (2 सीपीए)	लुधियाना, मंडी-गोबिन्दगढ़
6.	झारखंड (1 सीपीए)	धनबाद
7.	दिल्ली (1 सीपीए)	नजफगढ़ नाला बेसिन
8.	केरल (1 सीपीए)	ग्रेटर कोच्चि
9.	कर्नाटक (2 सीपीए)	मैंगलौर, भद्रावती
10.	आंध्र प्रदेश (2 सीपीए)	विशाखापत्तनम, पतनचेरु- बोल्लारम
11.	ओडिशा (3 सीपीए)	अंगुल तलचेर, आईबी-घाटी और झरसुगुदा
12.	पश्चिम बंगाल (3 सीपीए)	हल्दिया, हावड़ा, आसनसोल
13.	उत्तर प्रदेश (6 सीपीए)	गाजियाबाद, सिंगरौली, नोएडा, कानपुर, आगरा, वारणसी-मिर्जापुर
14.	राजस्थान (3 सीपीए)	जोधपुर, पाली, भिवाड़ी
15.	हरियाणा (2 सीपीए)	फरीदाबाद, पानीपत
16.	छत्तीसगढ़ (1 सीपीए)	कोर्बा

विवरण-II

दिनांक 26.10.2010, 15.02.2011, 31.03.2011, 23.05.2011 और 05.07.2011 के कार्यालय ज्ञापनों द्वारा हटाए गए स्थगनों की स्थिति

वे समूह जहां अक्तूबर, 2010 में स्थगन हटाया गया : 05

- पतनचेरु-बोल्लारम (आंध्र प्रदेश)
- मंडीगोविन्दगढ़ (पंजाब)
- वापी (गुजरात)
- तारापुर (महाराष्ट्र)
- कोयम्बतूर (तमिलनाडु)

वे समूह जहां फरवरी, 2011 में स्थगन हटाया गया : 08

- नवी मुंबई (महाराष्ट्र)
- डोमबीवली (महाराष्ट्र)
- औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
- लुधियाना (पंजाब)
- आगरा (उत्तर प्रदेश)
- वाराणसी-मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश)
- कुड्डालौर (तमिलनाडु)
- भावनगर (गुजरात)

वे समूह जहां मार्च, 2011 में स्थगन हटाया गया : 07

- इन्दौर (मध्य प्रदेश)
- अंगुल तलचेर (ओडिशा)
- फरीदाबाद (हरियाणा)
- पानीपत (हरियाणा)
- गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)
- नोएडा (उत्तर प्रदेश)
- जूनागढ़ (गुजरात)

वे समूह जहां मई, 2011 में स्थगन हटाया गया : 03

- भद्रावती (कर्नाटक)

- मैंगलोर (कर्नाटक)
- ग्रेटर कोच्चि (केरल)

वे समूह जहां जुलाई, 2011 में स्थगन हटाया गया : 03

- आईबी घाटी (ओडिशा)
- झरसुगुदा (ओडिशा)
- सिंगरौली (उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का भाग)

विवरण-III

स्थगन की अद्यतन स्थिति

राज्य	सीपीए जहां स्थगन हटाया गया है (28)	सीपीए जहां वर्तमान में स्थगन लागू है (15)
1	2	3
पंजाब	मंडी-गोविन्दगढ़	लुधियाना
हरियाणा	फरीदाबाद	पानीपत (आरआर)
उत्तर प्रदेश	वारणसी-मिर्जापुर	गाजियाबाद (आरआर)
	आगरा	सिंगरौली (आरआर)
	नोएडा	
	कानपुर (एलआर)	
पश्चिम बंगाल	हावड़ा (एलआर)	—
	हल्दिया (एलआर)	
	आसनसोल (एलआर)	
झारखंड	धनबाद (एलआर)	—
ओडिशा	अंगुल-तलचेर	झरसुगुदा (आरआर)
	आईबी-घाटी	
छत्तीसगढ़	कोरबा (एलआर)	—
मध्य प्रदेश	—	इन्दौर (आरआर)
गुजरात	भावनगर	अंकलेश्वर
	जूनागढ़	वतावा
	अहमदाबाद (एलआर)	वापी (आरआर)
महाराष्ट्र	तारापुर	
	नवी-मुंबई	चन्द्रापुर
	औरंगाबाद	
	डोमबीवली	
आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम (एलआर)	पतनचेरु-बोल्लारम (आरआर)
कर्नाटक	मैंगलौर	—
	भद्रावती	
तमिलनाडु	कोयम्बतूर	वैल्लौर (नार्थ आर्कोट)
	कुड्डालौर	
	मनाली (एलआर)	
केरल	ग्रेटर कोच्चि	—
राजस्थान	भिवाड़ी (एलआर)	जोधपुर
		पाली
दिल्ली	—	दिल्ली
कुल	28	15

नोट: एलआर का अर्थ 'पर्यावरण और वन मंत्रालय के दिनांक 17 सितंबर, 2013 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा हाल ही में हटाया स्थगन है।

आरआर का अर्थ 'पर्यावरण और वन मंत्रालय के दिनांक 17 सितंबर, 2013 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा हाल ही में पुनः लगाया गया स्थगन' है।

सरकारी-निजी भागीदारी मोड के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं

***148. डॉ. संजीव गणेश नाईक :**
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी-निजी भागीदारी मोड के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु निर्धारित किए गए मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त मोड के अंतर्गत सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है तथा उनका हरियाणा सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उन मामलों का ब्यौरा क्या है, जिनमें उक्त मानदंडों का उल्लंघन सरकार के ध्यान में आया है और उन पर क्या कार्रवाई की गई;

(घ) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सरकार को सरकारी-निजी भागीदारी मोड द्वारा परियोजनाओं की बोली न लगाए जाने के लिए कहा है तथा इन्हें नकदी आधार पर ठेका देने की सिफारिश की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नान्डीज) : (क) सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस मार्गों के निर्माण के लिए भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा प्रकाशित मानक विशिष्टताओं और मानकों हेतु मैनुअल नामत: दो लेन परियोजनाओं के लिए आईआरसी:एसपी-73 में, चार लेन परियोजनाओं के लिए आईआरसी:एसपी-84 में, छह लेन परियोजनाओं के लिए आईआरसी:एसपी-87 में और एक्सप्रेसमार्ग परियोजनाओं के लिए आईआरसी:एसपी-99 में दिए गए हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, सार्वजनकि निजी भागीदारी (पीपीपी) विधि पर प्रारंभ की गई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं की संरचना आदर्श रियायत करार पर की जाती है जिसमें स्थल अत्यावश्यकता के लिए विपथन का प्रावधान किया जा सकता है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने जब तक सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए मार्किट में सुधार नहीं हो जाता तब तक कुछ परियोजनाओं को ईपीसी विधि में परिवर्वित करने का प्रस्ताव किया है। सरकार का सुविचारित मत है कि वे परियोजनाएं जिनको बीओटी पर व्यवहार्य नहीं समझा जाता, उनको ईपीसी पर कार्यान्वयन के लिए अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) के समक्ष रखा जाएगा जो संसाधनों की समग्र उपलब्धता के अध्यधीन होगा।

विवरण

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सौंपे गए पीपीपी परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति

क — भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से कार्यान्वित पीपीपी परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजना	राज्य	रारा संख्या	कुल लंबाई (किमी.)	विधि/द्वारा वित्तपोषित	टीपीसी (करोड़ रुपए)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	नेल्लौर-चिल्कालूरीपेट को 6 लेन का बनाना	आंध्र प्रदेश	5	183.52	बीओटी	1535	कार्यान्वयनाधीन
2.	मुजफ्फरपुर-सोनबरसा (अनुमोदित लंबाई 89 किमी.) को 2 लेन का बनाना	बिहार	77	86	वार्षिकी	511.54	कार्यान्वयनाधीन
3.	मोकामा-मुंगेर (अनुमोदित लंबाई 70 किमी.) को 2 लेन का बनाना	बिहार	80	69.27	वार्षिकी	351.54	कार्यान्वयनाधीन
4.	छपरा-हाजीपुर (अनुमोदित लंबाई 153 किमी.) को 4 लेन का बनाना	बिहार	19	65	वार्षिकी	575	कार्यान्वयनाधीन

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	गोपालगंज-छपरा को पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन का बनाना	बिहार	85	92	वार्षिकी	325	कार्यान्वयनाधीन
6.	फोरबिसगंज-जोगबनी (अनुमोदित लंबाई 13 किमी.) को 2 लेन का बनाना	बिहार	57ए	9.258	वार्षिकी	73.55	समाप्त
7.	मोतिहारी-रक्सौल (अनुमोदित लंबाई 67 किमी.) को पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन का बनाना	बिहार	28ए	68.79	बीओटी	375.09	कार्यान्वयनाधीन
8.	पटना-बख्तियारपुर	बिहार	30	50.6	बीओटी	574	कार्यान्वयनाधीन
9.	खगड़िया-पूर्णिया को पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन का बनाना	बिहार	31	140	वार्षिकी	664	कार्यान्वयनाधीन
10.	वाराणसी-औरंगाबाद	बिहार [135]/ उत्तर प्रदेश [57.4]	2	192.4	बीओटी	2848	कार्यान्वयनाधीन
11.	महाराष्ट्र/गोवा सीमा-पणजी गोवा/कर्नाटक सीमा को 4/6 लेन का बनाना	गोवा	17	139	बीओटी	1872	भूमि अधिग्रहण समस्याओं के कारण परियोजना समाप्त
12.	रारा-8डी के जेतपुर-सोमनाथ खंड (अनुमोदित लंबाई 127.6 किमी.) को 4 लेन का बनाना	गुजरात	8डी	123.45	बीओटी	828	कार्यान्वयनाधीन
13.	दिल्ली-आगरा (अनुमोदित लंबाई 180.3 किमी.)	हरियाणा [74]/ उत्तर प्रदेश [105.5]	2	179.5	बीओटी	1928.22	कार्यान्वयनाधीन
14.	जम्मू-ऊधमपुर	जम्मू और कश्मीर	1ए	65	वार्षिकी	1813.76	कार्यान्वयनाधीन
15.	चेनानी-नशरी	जम्मू और कश्मीर	1ए	12	वार्षिकी	2159	कार्यान्वयनाधीन
16.	काजीगुंड-बनिहाल	जम्मू और कश्मीर	1ए	15.25	वार्षिकी	1987	कार्यान्वयनाधीन
17.	श्रीनगर से बनिहाल	जम्मू और कश्मीर	1ए	67.76	वार्षिकी	1100.7	कार्यान्वयनाधीन
18.	बरही-हजारीबाग (अनुमोदित लंबाई 40 किमी.) को 4 लेन का बनाना	झारखंड	33	41.314	बीओटी	398	कार्यान्वयनाधीन

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	रांची-रारगांव-जमशेदपुर	झारखंड	33	163.5	वार्षिकी	1479	कार्यान्वयनाधीन
20.	देवीहल्ली-हासन (अनुमोदित लंबाई 73 किमी.)	कर्नाटक	48	77.23	बीओटी	453	कार्यान्वयनाधीन
21.	बेलगाम-धारवाड़ (अनुमोदित लंबाई 111 किमी.)	कर्नाटक	4	80	बीओटी	480	कार्यान्वयनाधीन
22.	चित्रदुर्ग-तुमकुर बाइपास (अनुमोदित लंबाई 145 किमी.)	कर्नाटक	4	114	बीओटी	839	कार्यान्वयनाधीन
23.	बेलगाम-खानपुर खंड (किमी. 0.00 से किमी. 30.00) को 4 लेन का बनाना और खानपुर-कर्नाटक/गोवा सीमा (किमी. 30.00 से किमी. 84.120 को पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन का बनाना	कर्नाटक	4ए	81.89	बीओटी	359	कार्यान्वयनाधीन
24.	कर्नाटक/केरल सीमा से कन्नूर खंड (अनुमोदित लंबाई 286.3)	केरल	17	126.6	बीओटी	1157.16	निर्धारित तिथि घोषित नहीं
25.	भोपाल-सांची (अनुमोदित लंबाई 40 किमी.)	मध्य प्रदेश	86 विस्तार	53.78	वार्षिकी	209	कार्यान्वयनाधीन
26.	नागपुर बेतुल को 4 लेन का बनाना	मध्य प्रदेश [120]/महाराष्ट्र [56.3]	69	176.3	वार्षिकी	2498.76	कार्यान्वयनाधीन
27.	पनवेल-इंद्रापुर	महाराष्ट्र	17	84	बीओटी	942.69	कार्यान्वयनाधीन
28.	शिलांग-बाइपास को 2 लेन का बनाना	मेघालय	40 और 44	50	वार्षिकी	226	कार्यान्वयनाधीन
29.	जोरबाट-बारापानी	मेघालय	40	61.8	वार्षिकी	536	कार्यान्वयनाधीन
30.	संबलपुर-बारगढ़-छत्तीसगढ़/ओडिशा सीमा	ओडिशा	6	88	बीओटी	909	कार्यान्वयनाधीन
31.	चांदीखोल-जगतपुर-भुवनेश्वर (अनुमोदित लंबाई 61 किमी.) को 6 लेन बनाना	ओडिशा	5	67	बीओटी	1047	कार्यान्वयनाधीन
32.	रिमूली-रॉक्सी-राजामुंद्रा (अनुमोदित लंबाई 163 किमी.)	ओडिशा	215	96	बीओटी	586	कार्यान्वयनाधीन
33.	भुबनेश्वर-पुरी (अनुमोदित लंबाई 59 किमी.)	ओडिशा	203	67	बीओटी	500.29	कार्यान्वयनाधीन

1	2	3	4	5	6	7	8
34.	लुधियाना-तलवंडी खंड को 4 लेन का बनाना	पंजाब	95	78	बीओटी	479	कार्यान्वयनाधीन
35.	रींगस-सीकर	राजस्थान	11	43.887	वार्षिकी	333.51	कार्यान्वयनाधीन
36.	देवली-कोटा	राजस्थान	12	83	बीओटी	593	कार्यान्वयनाधीन
37.	होसुर-कृष्णागिरी को 6 लेन का का बनाना	तमिलनाडु	7	59.87	बीओटी	535	कार्यान्वयनाधीन
38.	डिंडीगुल-पेरुगुलम-थेनी-कुमिली को 2 लेन का बनाना	तमिलनाडु	220	134	वार्षिकी	485	कार्यान्वयनाधीन
39.	त्रिची-करईकुडी और त्रिची बाइपास (अनुमोदित लंबाई 100 किमी.) को 2 लेन का बनाना	तमिलनाडु	210 और 67	110.372	वार्षिकी	374	कार्यान्वयनाधीन
40.	तिरुपति-तिरुथानी-चेन्नै (अनुमोदित लंबाई 125.5 किमी.)	तमिलनाडु [61.47]/ आंध्र प्रदेश [63.23]	205	124.7	बीओटी	571	कार्यान्वयनाधीन
41.	बरेली-सीतापुर (अनुमोदित लंबाई 134 किमी.)	उत्तर प्रदेश	24	151.2	बीओटी	1046	कार्यान्वयनाधीन
42.	अलीगढ़-कानपुर को पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन का बनाना	उत्तर प्रदेश	91	268	बीओटी	723.68	निर्धारित तिथि घोषित नहीं
43.	रायबरेली से इलाहाबाद को पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन का बनाना	उत्तर प्रदेश	24बी	119	बीओटी	291.36	कार्यान्वयनाधीन
44.	आगरा-अलीगढ़ को पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन का बनाना	उत्तर प्रदेश	93	79	बीओटी	250.5	कार्यान्वयनाधीन
45.	कानपुर-कबरई को पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन का बनाना	उत्तर प्रदेश	86	123	बीओटी	373.47	कार्यान्वयनाधीन
46.	कृष्णानगर-बरहामपुर	पश्चिम बंगाल	34	78	वार्षिकी	702.16	कार्यान्वयनाधीन
47.	धनकुनी-खड़गपुर खंड को 6 लेन का बनाना	पश्चिम बंगाल	6	111.4	बीओटी	1396.18	कार्यान्वयनाधीन
48.	ग्वालियर से मध्य प्रदेश/उत्तर प्रदेश सीमा को पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन का बनाना	मध्य प्रदेश	92	108.00	बीओटी	302.35	कार्य पूर्ण
49.	बारासात-कृष्णानगर	पश्चिम बंगाल	34	84	वार्षिकी	867	कार्यान्वयनाधीन

1	2	3	4	5	6	7	8
50.	विजयवाड़ा-गुंडुगोलानू खंड	आंध्र प्रदेश	5	103.59	बीओटी	1684	निर्धारित तिथि घोषित नहीं
51.	विजयवाड़ा-मछलीपट्टनम	आंध्र प्रदेश	9	64.611	बीओटी	606	निर्धारित तिथि घोषित नहीं
52.	गुंडुगोलानू राजामुंद्री को 6 लेन का बनाना	आंध्र प्रदेश	5	120.741	बीओटी	1617	निष्पादन प्रतिभूति जमा नहीं करवाई गई
53.	आनंदपुरम-विशाखापट्टनम अंकापल्ली को 6 लेन का बनाना	आंध्र प्रदेश	5	58.222	बीओटी	839	निष्पादन प्रतिभूति जमा नहीं करवाई गई
54.	पटना-बक्सर	बिहार	30 और 84	124.85	बीओटी	1129.11	निर्धारित तिथि घोषित नहीं
55.	मुजफ्फरपुर-बरौनी को पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन का बनाना	बिहार	28	107.56	बीओटी	356.4	कार्यान्वयनाधीन
56.	खगड़िया-बख्तियारपुर को 4 लेन का बनाना	बिहार	31	112.982	बीओटी	1635.33	निर्धारित तिथि घोषित नहीं
57.	औरंगाबाद-बरवा अड्डा को 6 लेन का बनाना	बिहार [70]/ झारखंड [151.346]	2	221.346	बीओटी	2340	निर्धारित तिथि घोषित नहीं
58.	ओडिशा/छत्तीसगढ़ सीमा-औरंग खंड को 4 लेन का बनाना	छत्तीसगढ़	6	150.4	बीओटी	1232	कार्यान्वयनाधीन
59.	रायपुर-बिलासपुर को 4 लेन का बनाना	छत्तीसगढ़	200	126.525	बीओटी	1216.03	कार्यान्वयनाधीन
60.	अहमदाबाद से बडोदरा खंड	गुजरात	8	102.3	बीओटी	2125.24	कार्यान्वयनाधीन
61.	उत्तर प्रदेश/हरियाणा सीमा-यमुनानगर-साहा-बरवाला-पंचकूला को 4 लेन का बनाना	हरियाणा	73	107	बीओटी	934.94	निर्धारित तिथि घोषित नहीं
62.	रोहतक-जींद (अनुमोदित लंबाई 45 किमी.) को 4 लेन का बनाना	हरियाणा	71	48.6	बीओटी	283.25	निर्धारित तिथि घोषित नहीं
63.	पंजाब/हरियाणा सीमा-जींद को 4 लेन का बनाना	हरियाणा	71	68	बीओटी	438.75	निर्धारित तिथि घोषित नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
64.	किरतपुर-नेड़ चौक खंड को 4 लेन का बनाना	हिमाचल प्रदेश	21	84.32	बीओटी	1916.79	निर्धारित तिथि घोषित नहीं
65.	होजपेट-चित्रदुर्ग	कर्नाटक	13	120.03	बीओटी	1033.66	निर्धारित तिथि घोषित नहीं। वित्तीय व्यवस्था नहीं की जा सकी।
66.	मुलबागल-कर्नाटक/आंध्र प्रदेश सीमा-अनुमोदित लंबाई (11 किमी.) को 4 लेन का बनाना	कर्नाटक	4	22.18	बीओटी	141.11	कार्यान्वयनाधीन वित्तीय व्यवस्था नहीं की जा सकी।
67.	होजपेट-बेल्लारी-कर्नाटक/आंध्र प्रदेश सीमा को 4 लेन का बनाना	कर्नाटक	63	95.44	बीओटी	1266.6	निर्धारित तिथि घोषित नहीं
68.	महाराष्ट्र/कर्नाटक सीमा सांगारेड्डी	कर्नाटक	9	145	बीओटी	1266.6	निर्धारित तिथि घोषित नहीं
69.	होसकोटे-दोबासपेट को 4 लेन का बनाना	कर्नाटक	207	80.02	बीओटी	720.69	निर्धारित तिथि घोषित नहीं
70.	शिवपुरी-देवास को 4 लेन का बनाना	मध्य प्रदेश	3	330.21	बीओटी	2815	रियायतग्राही द्वारा समापन नोटिस दिया गया। मामला न्यायाधीन है।
71.	ग्वालियर-शिवपुरी को 4 लेन का बनाना	मध्य प्रदेश	3	125.03	बीओटी	1055	निर्धारित तिथि घोषित नहीं
72.	जबलपुर-कटनी-रीवा खंड को 4 लेन का बनाना	मध्य प्रदेश	7	225.686	बीओटी	1895.45	निर्धारित तिथि घोषित नहीं
73.	जबलपुर से लखनादोन	मध्य प्रदेश	7	80.82	बीओटी	776.76	ठेका समाप्त
74.	ओबेदुल्लागंज-बेतुल खंड को 4 लेन का बनाना	मध्य प्रदेश	69	125	बीओटी	912	कार्यान्वयनाधीन
75.	नागपुर-वेनगंगा पुल (अनुमोदित लंबाई 60 किमी.)	महाराष्ट्र	6	45.43	बीओटी	484.19	कार्यान्वयनाधीन
76.	जलगांव-महाराष्ट्र/गुजरात सीमा को 4 लेन का बनाना	महाराष्ट्र	6	208.844	बीओटी	1968.37	निर्धारित तिथि घोषित नहीं
77.	अमरावती-जलगांव को 4 लेन का बनाना	महाराष्ट्र	6	275.225	बीओटी	2537.81	निर्धारित तिथि घोषित नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
78.	शोलापुर-महाराष्ट्र/कर्नाटक खंड को 4 लेन का बनाना	महाराष्ट्र	9	100.06	बीओटी	923.04	निर्धारित तिथि घोषित नहीं
79.	शोलापुर-बीजापुर को 4 लेन का बनाना	महाराष्ट्र [35]/ कर्नाटक [75.542]	13	110.542	बीओटी	1002.48	निर्धारित तिथि घोषित नहीं
80.	जोवई-मेघालय/असम सीमा (अनुमोदित लंबाई 109 किमी.) को 2 लेन का बनाना	मेघालय	44	102	बीओटी	390	निर्धारित तिथि घोषित नहीं
81.	बीरमित्रापुर से बरकोटे (4 लेन-75.66 किमी.) — (2 लेन-49.955 किमी.) तक का पुनरुद्धार और उन्नयन	ओडिशा	23	125.615	बीओटी	778.15	निर्धारित तिथि घोषित नहीं
82.	कटक-अंगुल को 4 लेन का बनाना	ओडिशा	42	112	बीओटी	1123.69	निर्धारित तिथि घोषित नहीं
83.	अंगुल-संबलपुर को 4 लेन का बनाना	ओडिशा	42	153	बीओटी	1220.32	ठेका समापन अधीन
84.	पानीखोली-रिमूली (अनुमोदित लंबाई 106 किमी.)	ओडिशा	215	163	बीओटी	1410	कार्यान्वयनाधीन। वित्तीय व्यवस्था नहीं की जा सकी।
85.	गोमती चौराहा-उदयपुर को 4 लेन का बनाना	राजस्थान	8	79.31	बीओटी	914.5	कार्यान्वयनाधीन
86.	ब्यावर-पाली-पिंडवाड़ा (अनुमोदित लंबाई 246 किमी.)	राजस्थान	14	244.12	बीओटी	2388	कार्यान्वयनाधीन
87.	कोटा-झालावाड़	राजस्थान	12	88.09	बीओटी	530.01	संरेखण वन्य जीव क्षेत्र से गुजरने की वजह से ठेका समाप्त
88.	किशनगढ़-उदयपुर-अहमदाबाद को 6 लेन का बनाना	राजस्थान [434.5]/ गुजरात [121]	79ए, 79, 76 और 8	555.5	बीओटी	5387.3	रियायतग्राही द्वारा समापन नोटिस दिया गया। मामला न्यायाधीन है।
89.	कृष्णागिरी-टिंडीवनम (अनुमोदित लंबाई 170 किमी.) को 2 लेन का बनाना	तमिलनाडु	66	176.51	वार्षिकी	624	कार्यान्वयनाधीन
90.	मेरठ बुलंदशहर को 4 लेन का बनाना	उत्तर प्रदेश	235	66.482	बीओटी	508.57	ठेका समापन अधीन

1	2	3	4	5	6	7	8
91.	लखनऊ-रायबरेली	उत्तर प्रदेश	24बी	70	वार्षिकी	635.9	कार्यान्वयनाधीन
92.	इटावा-चकेरी (कानपुर)	उत्तर प्रदेश	2	160.2	बीओटी	1573	कार्यान्वयनाधीन
93.	आगरा-इटावा बाइपास	उत्तर प्रदेश	2	124.52	बीओटी	1207	निर्धारित तिथि घोषित नहीं
94.	लखनऊ-सुल्तानपुर को 4 लेन का बनाना	उत्तर प्रदेश	56	125.9	बीओटी	1043.51	वित्तीय व्यवस्था नहीं की जा सकी। ठेका समापन अधीन
95.	रामपुर-काठगोदाम	उत्तराखंड	87	93.226	बीओटी	790	ठेका समापन अधीन। मामला न्यायाधीन है।
96.	महुलिया से बहरागोरा से खड़गपुर को 4 लेन का बनाना	पश्चिम बंगाल [30]/झारखंड [97]	33 और 6	127	बीओटी	940	निर्धारित तिथि घोषित नहीं
97.	मोहनिया-आरा खंड को 4 लेन लेन का बनाना	बिहार	30	116.76	बीओटी	917	कार्यान्वयनाधीन
98.	बदोदरा-सूरत खंड	गुजरात	8	6.74	बीओटी	473.24	निर्धारित तिथि घोषित नहीं
99.	रोहतक-हिसार खंड को 4 लेन का बनाना	हरियाणा	10	98.81	बीओटी	959.25	निर्धारित तिथि घोषित नहीं
100.	गोवा/कर्नाटक सीमा-कुंदापुर खंड को 4 लेन का बनाना	कर्नाटक	17	187.24	बीओटी	1655.01	निर्धारित तिथि घोषित नहीं
101.	वालयार-वडक्कनचेरी खंड को 4 लेन का बनाना	केरल	47	54	बीओटी	682	कार्यान्वयनाधीन
102.	खेड-सिन्नर खंड को 4 लेन का बनाना	महाराष्ट्र	50	137.946	बीओटी	1348.2	निर्धारित तिथि घोषित नहीं
103.	राजस्थान सीमा-फतेहपुर-सालासर खंड को क्षमता संवर्द्धन के प्रावधान सहित पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन का बनाना	राजस्थान	65	154.141	बीओटी	530.07	निर्धारित तिथि घोषित नहीं
104.	राजसमंद-गंगापुर-भीलवाड़ा को 4 लेन का बनाना	राजस्थान	758	87.25	बीओटी	677.79	निर्धारित तिथि घोषित नहीं
105.	कोयंबटूर-मेत्तूपलयम को 4 लेन का बनाना	तमिलनाडु	67	53.93	बीओटी	592	ठेका समाप्त

1	2	3	4	5	6	7	8
106.	वालाझपेट-पूनामल्ली	तमिलनाडु	46	93	बीओटी	1287.95	कार्यान्वयनाधीन
107.	रायबरेली से जौनपुर को पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन का बनाना	उत्तर प्रदेश	231	165.5	वार्षिकी	569.38	निर्धारित तिथि घोषित नहीं
108.	काशीपुर-सितारगंज खंड को 4 लेन का बनाना	उत्तराखंड[74.0]/ उत्तर प्रदेश[3.2]	74	77.2	बीओटी	605.84	निर्धारित तिथि घोषित नहीं
109.	रजौली-बख्तियारपुर खंड को 4 लेन का बनाना	बिहार	31	107.092	बीओटी	847.1	निर्धारित तिथि घोषित नहीं
110.	बरवा अड्डा-पानागढ़ को 6 लेन का बनाना	झारखंड[43]/ पश्चिम बंगाल [79.88]	2	122.88	बीओटी	1665	निर्धारित तिथि अभी घोषित होनी है।
	उप-जोड़ क			12462.2		112534.4	

ख — राज्य एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही पीपीपी परियोजनाएं

111.	मध्य प्रदेश में रारा-12 का भोपाल-जबलपुर खंड (4 लेन)	मध्य प्रदेश	12	294.21	बीओटी	2485.96	अभी शुरू किया जाना है।
112.	मध्य प्रदेश में रारा-75 का बमिया-सतना (2 लेन + पेव्ड शोल्डर)	मध्य प्रदेश	75	97.60	बीओटी	257.80	कार्य प्रगति पर
113.	मध्य प्रदेश में रारा-12 विस्तार का ब्यावरा-राजस्थान सीमा (4 लेन)	मध्य प्रदेश	12 विस्तार	6100	बीओटी	212.20	करार पर हस्ताक्षर 26.07.13 को किए गए। अभी शुरू किया जाना है।
114.	पंजाब में पटियाला-भटिंडा (4 लेन)	पंजाब	64	166.45	बीओटी	1586.35	रियायत करार समाप्त
115.	राजस्थान में रारा-8 का ब्यावर-गोमती खंड	राजस्थान	8	118.81	बीओटी	195.00	चरण-I पूरा किया गया। चरण-II के अंतर्गत 4-लेन बनाने का कार्य प्रगति पर है।
116.	मध्य प्रदेश में रारा-7 का बेला (रीवा)-मध्य प्रदेश/उत्तर प्रदेश सीमा (4 लेन)	मध्य प्रदेश	7	89.30	बीओटी	670.52	कार्य प्रगति पर

1	2	3	4	5	6	7	8
117.	मध्य प्रदेश में रारा–12 का भोपाल–ब्यावरा (4 लेन)	मध्य प्रदेश	12	105.60	बीओटी	704.26	कार्य प्रगति पर
118.	मध्य प्रदेश में रारा–27 का मंगवा–उत्तर प्रदेश सीमा खंड का (4 लेन)	मध्य प्रदेश	27	52.07	बीओटी	381.86	कार्य प्रगति पर
119.	मध्य प्रदेश में रारा–75 का सतना–बेला खंड (4 लेन)	मध्य प्रदेश	75	48.04	बीओटी	320.48	कार्य प्रगति पर
120.	मध्य प्रदेश में रारा–75 ई का सिद्धि से सिंगरौली खंड (4 लेन)	मध्य प्रदेश	75ई	102.60	बीओटी	871.15	कार्य प्रगति पर
121.	राजस्थान में रारा–89 का अजमेर–नागौर खंड (2 लेन + पेव्ड शोल्डर)	राजस्थान	89	148.25	बीओटी	377.15	कार्य प्रगति पर
122.	राजस्थान में रारा–15 का बीकानेर–सूरतगढ़ (2 लेन + पेव्ड शोल्डर)	राजस्थान	15	172.38	बीओटी	501.08	कार्य प्रगति पर
123.	राजस्थान में रारा–79 का चित्तौड़गढ़–नीमच (4 लेन) और रारा–113 का निंबाहेड़ा प्रतापगढ़ (2 लेन + पेव्ड शोल्डर)	राजस्थान	79 और 113	117.00	बीओटी	511.21	कार्य प्रगति पर
124.	राजस्थान में रारा–11 का नागौर–बीकानेर (2 लेन + पेव्ड शोल्डर)	राजस्थान	11	108.36	बीओटी	378.07	अभी शुरू किया जाना है।
125.	राजस्थान में रारा–11 का सीकर–बीकानेर (2 लेन + पेव्ड शोल्डर)	राजस्थान	11	237.58	बीओटी	650.84	कार्य प्रगति पर
126.	राजस्थान में रारा–15 का सूरतगढ़–श्रीगंगानगर खंड (2 लेन + पेव्ड शोल्डर)	राजस्थान	15	78.10	बीओटी	224.03	रियायत करार समाप्त
127.	राजस्थान में रारा–65 का जोधपुर–पाली (4 लेन)	राजस्थान	65	70.00	बीओटी	3332.70	कार्य प्रगति पर।
128.	पंजाब में रारा–64 का जिरकपुर–पटियाला (4 लेन)	पंजाब	64	50.70	बीओटी	421.78	रियायत करार समाप्त

1	2	3	4	5	6	7	8
129.	महाराष्ट्र में रारा-50 का नासिक-सिन्नर (4 लेन)	महाराष्ट्र	50	25.31	बीओटी	312.96	करार पर हस्ताक्षर 31.07.13 को किए गए। अभी शुरू किया जाना है।
	उप-जोड़ (ख)			2143.25		11395.70	
	कुल जोड़ (क+ख)			14605.42		112534.4	

[हिन्दी]

निजी सुरक्षा सेवा

***149. श्री पूर्णमासी राम :** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी सुरक्षा सेवा संगठन कामगारों और सुरक्षा गार्डों का शोषण कर रहे हैं तथा उनकी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा निधि में से धन दिए जाने में तथाकथित अनियामितताएं सरकार के ध्यान में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कितनी कंपनियां श्रम और सामाजिक सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन करती पाई गई; और

(ग) उन दोषी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत धनप्रेषण में निजी सुरक्षा संगठनों द्वारा चूक के कुछ दृष्टांत सामने आए हैं।

(ख) निजी सुरक्षा कंपनियों पर श्रम कानूनों का प्रवर्तन राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। अत:, ऐसे उल्लंघनों का ब्यौरा केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखा जाता। ऐसी कंपनियों द्वारा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के विभिन्न उपबंधों के उल्लंघनों का राज्य-वार ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत ऐसी कंपनियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई में देय राशियों का आकलन (धारा 7क), देय राशियों को देर से जमा करने हेतु क्षतिभार लगाना (धारा 14ख), देर से धनप्रेषण हेतु ब्याज लगाना (धारा 7थ), वसूली कार्रवाई (धारा 8ख से 8छ), चूककर्त्ताओं के विरुद्ध अभियोजन दायर करना (धारा 14) और मजदूरी से काटे गए कर्मचारियों के अंशदान को प्रेषित नहीं करने हेतु कार्रवाई (भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409) शामिल है।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत ऐसी कंपनियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई में अंशदान/देय राशियों का अभिनिर्धारण और उनकी वसूली (धारा 45) तथा नियोक्ताओं की ओर से चूक हेतु अभियोजन (धारा 85) शामिल है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के विभिन्न उपबंधों का राज्य-वार उल्लंघन

क्र.सं.	राज्य का नाम	सुरक्षा सेवा संगठनों की संख्या			
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14*
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	56	41	47	61
2.	बिहार	03	27	05	31

1	2	3	4	5	6
3.	छत्तीसगढ़	01	02	05	07
4.	दिल्ली	25	07	13	10
5.	गोवा	06	04	02	03
6.	गुजरात	31	27	16	36
7.	हरियाणा	31	18	15	25
8.	हिमाचल प्रदेश	06	0	0	26
9.	झारखंड	08	07	07	—
10.	कर्नाटक	30	34	22	64
11.	केरल	20	27	17	07
12.	मध्य प्रदेश	35	20	11	15
13.	महाराष्ट्र	32	16	54	16
14.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	0	0	0	13
15.	ओडिशा	03	03	03	64
16.	पंजाब	04	09	16	21
17.	राजस्थान	22	16	15	09
18.	तमिलनाडु	102	72	56	284
19.	उत्तर प्रदेश	59	42	53	41
20.	उत्तराखंड	08	01	01	02
21.	पश्चिम बंगाल	06	19	36	28
	कुल	488	392	394	763

*30 नवंबर, 2013 की स्थिति के अनुसार।

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के विभिन्न उपबंधों का राज्य-वार उल्लंघन

क्र.सं.	राज्य का नाम	सुरक्षा सेवा संगठनों की संख्या			
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14*
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	06	01	499	530

1	2	3	4	5	6
2.	असम	04	07	06	02
3.	बिहार	00	01	02	03
4.	छत्तीसगढ़	100	115	145	156
5.	दिल्ली	14	31	27	14
6.	गोवा	06	14	17	03
7.	गुजरात	47	23	10	01
8.	हरियाणा	14	22	60	17
9.	हिमाचल प्रदेश	02	00	00	00
10.	झारखंड	00	00	00	00
11.	जम्मू और कश्मीर	00	00	00	00
12.	केरल	00	01	02	00
13.	कर्नाटक	19	24	20	11
14.	मध्य प्रदेश	00	00	00	00
15.	महाराष्ट्र	123	88	103	140
16.	ओडिशा	01	02	29	17
17.	पंजाब	25	00	00	00
18.	राजस्थान	02	19	18	20
19.	तमिलनाडु	71	144	278	91
20.	पुदुचेरी	03	04	08	11
21.	उत्तर प्रदेश	08	14	31	30
22.	उत्तराखंड	15	01	02	43
23.	पश्चिम बंगाल	01	07	12	19
	कुल	461	518	1269	1108

*30 अगस्त, 2013 की स्थिति के अनुसार।

[अनुवाद]

रक्षित खानों का विस्तार

***150. श्री के. सुगुमार :**

कुमारी सरोज पाण्डेय :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात के उत्पादन में लगे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम लौह अयस्क और कोयले जैसे कच्चे माल की अधिप्राप्ति में समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता प्रभावित हो रही

है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार को गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश के वन क्षेत्रों में स्थिति लौह अयस्क भंडारों के निकट इस्पात संयंत्रों की स्थापना हेतु राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लौह अयस्क खानों और इस्पात संयंत्रों के लिए भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी आवेदन बड़ी संख्या में अभी तक सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने अपनी रक्षित खानों के संचालन की क्षमता विस्तार हेतु किसी निवेश की रूप-रेखा तैयार की है और सरकार से लंबित, बंद पड़े खनन कार्य और क्षमता विस्तार संबंधी परिपयोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितना समय लिए जाने की संभावना है तथा सरकार द्वारा इस स्थिति के समाधान और इस्पात क्षेत्र हेतु कच्चे माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रम नामत: स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) इस्पात का उत्पादन कर रहे हैं। सेल लौह अयस्क की अपनी समस्त आवश्यकता को अपनी कैप्टिव खानों से पूरा करता है। जहां तक कोकिंग कोल का संबंध है, सेल की लगभग 25 प्रतिशत आवश्यकता की पूर्ति घरेलू स्रोतों (स्वयं का उत्पादन और कोल इंडिया लिमिटेड) से की जाती है जबकि इसकी लगभग 75 प्रतिशत कोकिंग कोल आवश्यकता की पूर्ति आयातों के जरिए की जा रही है। आरआईएनएल लौह अयस्क की अपनी समस्यत आवश्यकता की पूर्ति एनएमडीसी लिमिटेड से करता है और कोकिंग कोल की अपनी आवश्यकता की पूर्ति आयातों के जरिए करता है।

(ख) और (ग) इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार की भूमिका एक सुविधादाता के रूप में होती है। नए इस्पात संयंत्रों की स्थापना करने के संबंध में निर्णय अलग-अलग कंपनियों द्वारा कई घटकों के आधार पर लिए जाते हैं। सरकार उपयुक्त नीतिगत उपाय करके इस्पात उद्योग के विकास को बढ़ाती/प्रोत्साहित करती है।

(घ) और (ङ) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की वर्तमान आधुनिकीकरण एवं विस्तार योजना के एक भाग के रूप में 1000 करोड़ रुपए से अधिक का एक निवेश करने की परिकल्पना इसकी कैप्टिव लौह अयस्क खानों की क्षमता को लगभग 24 मिलियन टन से बढ़ाकर लगभग 40 मिलियन टन करने के लिए की गई है। छत्तीसगढ़ की रावघाट खानों में लौह अयस्क का उत्पादन आरंभ करने के लिए सभी साविधिक स्वीकृतियां पहले ही प्राप्त कर ली गई हैं। खान और रेलवे लाईन क्षेत्रों का सुरक्षा जायजा ले लिया गया है और इनकी सुरक्षा अर्ध सैनिक बलों द्वारा की जा रही है तथा पेड़ काटने का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। गुआ लौह अयस्क खानों की क्षमता बढ़ाने के लिए चरण-I की वन स्वीकृति की प्रक्रिया अंतिम अवस्था में है।

[हिन्दी]

उद्योगों के लिए प्रदूषण संबंधी मानदंड

***151. श्रीमती कमला देवी पटले :**
श्री हेमानंद बिसवाल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में प्रदूषण नियंत्रित करने और रोकने हेतु विभिन्न उद्योगों द्वारा पालन करने हेतु कोई मानदंड अधिसूचित किए हैं अथवा कोई मार्ग-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उद्योगों हेतु उपचारित बहिस्राव और उत्सर्जन के संबंध में क्या मानदंड अधिसूचित किए गए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने उद्योग इन मानदंडों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते पाए गए; और

(घ) सरकार द्वारा चूककर्ता उद्योगों के विरुद्ध क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) सरकार ने प्रदूषित उद्योगों की बासठ श्रेणियों के संबंध में पर्यावरणीय मानदंड अधिसूचित किए हैं। शोधित बहिस्रावों के निपटान और उत्सर्जन हेतु प्रदूषित उद्योगों पर लागू, अधिसूचित बहिस्राव और उत्सर्जन मानदंड संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। ये मानदंड देशभर में लागू होते हैं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा अत्यधिक प्रदूषण कर रहे अभिज्ञात उद्योगों की श्रेणी के अंतर्गत आ रहे कुल 3206 उद्योग है। के.प्र.नि.बो. ने गत तीन वर्षों के दौरान 768 उद्योगों का निरीक्षण किया है और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत अनुपालन न कर रही इकाइयों को 420 निदेश जारी किए हैं। इन निदेशों में से 89 निदेश, उद्योगों को बंद करने के लिए किए

गए हैं। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, अनुपालन न करते पाए गए उद्योगों से अनुपालन करवाने के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को क्रमश: जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18(1)(ख) और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत 125 निदेश जारी किए गए हैं।

विवरण-I

उन उद्योगों की सूची, जिनके लिए मानदंड विकसित किए गए हैं

क्र. सं.	उद्योग का नाम	मानदंड	
		बहिस्राव	उत्सर्जन
1	2	3	4
1.	एल्युमिनियम	X	✓
2.	एस्बेस्टॉस	X	✓
3.	बैटरी विनिर्माण कर रहे उद्योग	✓	✓
4.	बीहाईव हाई कोक ओवन	X	✓
5.	ईंट भट्टा	X	✓
6.	ब्रिक्वेट (कोयला)	X	✓
7.	बुलियन रिफाईनिंग	✓	X
8.	कैल्सियम कार्बाइड	X	✓
9.	कार्बन ब्लैक	X	✓
10.	कैश्यु बीज का प्रसंस्करण	✓	✓
11.	कॉस्टिक सोडा	✓	✓
12.	सीमेंट	X	✓
13.	सेरेमिक्स	X	✓
14.	कोयला खान	✓	✓
15.	कोयला वाशरी	✓	✓
16.	कॉफी प्रसंस्करण	✓	✓
17.	कोक ऑवन प्लान्टस	✓	✓
18.	कम्पोसिट वूलन	✓	X
19.	कॉपर, लेड और जिंक स्मेल्टिंग	X	✓
20.	कॉटन टेक्सटाईल	✓	X
21.	दुग्ध उत्पाद उद्योग	✓	X
22.	डाई एंड डाई उद्योग	✓	✓
23.	खाद्य तेल और वनस्पति	✓	X
24.	इलेक्ट्रोप्लेटिंग	✓	✓
25.	फरमेंटेशन (डिस्टीलेशन, माल्ट्री, ब्रेवरी)	✓	X
26.	उर्वरक	✓	✓
27.	फ्लोर मिल्स, ग्रेन प्रोसेसिंग, पैंडी प्रोसेसिंग, पल्स मेंकिंग/ग्राईडिंग मिल	✓	✓
28.	खाद्य एवं फल प्रसंस्करण	✓	X
29.	संधानशाला	X	✓
30.	गैस/नापथ्था पर आधारित विद्युत संयंत्र	✓	✓
31.	ग्लास विनिर्माण	X	✓
32.	जिनिंग मिल में प्रदूषण नियंत्रण उपायों हेतु दिशानिर्देश	X	✓
33.	होटल उद्योग	✓	X
34.	अजैविक रसायन	✓	X
35.	कोक ओवन सहित एकीकृत लौह एवं इस्पात	✓	✓
36.	जूट प्रसंस्करण उद्योग	✓	X
37.	चर्म शोधनशाला	✓	X
38.	चूना पत्थर	X	✓
39.	मानवनिर्मित फाईबर	✓	✓

1	2	3	4
40.	प्राकृतिक रबर	✓	✓
41.	नाईट्रिक एसिड	X	✓
42.	तेल वेधन और गैस उत्खनन	✓	X
43.	तेल परिशोधनशाला	✓	✓
44.	जैव रसायन	✓	✓
45.	पेंट	✓	X
46.	नाशीकीट	✓	✓
47.	पेट्रो रसायन	✓	✓
48.	फार्मास्यूटीकल	✓	✓
49.	प्लास्टर ऑफ पेरिस	X	✓
50.	स्नान करने के लिए पानी के लिए प्राथमिक जल गुणवत्ता मानदंड	✓	X
51.	लुगदी और कागज (छोटा)	✓	X
52.	लुगदी और कागज (बड़ा)	✓	✓
53.	रिफ्रेक्टरी उद्योग	✓	✓
54.	बूचड़ खाना, मांस और समुद्री खाद्य सामग्री का प्रसंकरण	✓	X
55.	सोडा एश	✓	X
56.	सॉफ्ट कोक उद्योग	X	✓
57.	स्पांज लौह संयंत्र	✓	✓
58.	स्टार्च (मक्का)	✓	X
59.	स्टोन क्रशिंग	X	✓
60.	चीनी	✓	X
61.	सल्फ्यूरिक एसिड	X	✓
62.	ताप विद्युत संयंत्र	✓	✓
	कुल	43	43

विवरण-II

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा धारा 5 के अंतर्गत जारी वर्ष-वार निदेश

2010–11	=	17
2011–12	=	18
2012–13	=	54
कुल		89

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा धारा 5 के अंतर्गत जारी राज्य-वार निदेश

क्र. सं.	राज्य	जारी किए गए निदेशों की संख्या			कुल
		2010–11	2011–12	2012–13	2013–14
1.	आंध्र प्रदेश	1	–	–	1
2.	असम	–	–	1	1
3.	छत्तीसगढ़	2	–	–	2
4.	गुजरात	1	1	6	8
5.	हरियाणा	–	–	1	1
6.	झारखंड	–	1	–	1
7.	मध्य प्रदेश	–	2	–	2
8.	महाराष्ट्र	3	2	2	7
9.	ओडिशा	–	1	2	3
10.	पंजाब	1	1	–	2
11.	तमिलनाडु	1	1	–	2
12.	उत्तर प्रदेश	6	8	37	51
13.	उत्तराखंड	1	1	5	7
14.	पश्चिम बंगाल	1	–	–	1
	कुल	17	18	54	89

[अनुवाद]

वन भूमि का उपयोग

***152. श्री एस.एस. रामासुब्बू : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में वन भूमि के समुचित उपयोग और वनाच्छादन के संरक्षण के लिए राज्यों को कोई निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संबंध में राज्यों द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या अनेक राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में क्षतिपूरक वनरोपण कार्यक्रमों को नहीं चलाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी उपबंध करती है कि राज्य में इस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई राज्य सरकार अथवा अन्य प्राधिकरण, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन को छोड़कर, किसी वनेत्तर प्रयोजन हेतु किसी भी वन भूमि अथवा उसके किसी भी भाग का उपयोग में लाये जाने संबंधी निदेश नहीं देगा। तदनुसार, राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, वनेत्तर प्रयोजनों हेतु वन भूमि के उपयोग हेतु केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा ऐसे प्रस्तावों को यह निर्धारित करने के बाद कि वनेत्तर प्रयोजन के लिए वन भूमि की आवश्यकता अपरिहार्य तथा न्यूनतम है, अनुमोदन प्रदान किया जाता है। पर्यावरण और वन मंत्रालय वन आवरण में हानि की क्षतिपूर्ति के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अनुमोदन प्रदान करते समय वनेत्तर प्रयोजन हेतु वन भूमि के अपवर्तन हेतु अन्य बातों के साथ-साथ, यह शर्त भी अनुबद्ध करता है, कि संबंद्ध राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार प्रतिपूरक वनीकरण के सृजन और रखरखाव हेतु उपयोगकर्ता अभिकरण से निधियों की वसूली करेंगे।

(ग) से (ङ) टी.एन गोदावर्मन थिरुमलपाद बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं.202 के वादकालीन आवेदन (आईए) सं.566 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 29 अक्तूबर, 2002 के आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ यह निदेश दिया कि 'क्षतिपूरक वनीकरण कोष' सृजित किया जाएगा। जिसमें क्षतिपूरक वनीकरण, अतिरिक्त क्षतिपूरक वनीकरण, दांडिक क्षतिपूरक वनीकरण, वन भूमि का नवल वर्तमान मूल्य, आवाह क्षेत्र उपचार योजना निधियां आदि के लिए उपयोगकर्ता अभिकरणों से प्राप्त सारी धनराशि जमा की जाएगी।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने उक्त आदेश में यह भी निदेश दिया कि भारत संघ एक निकाय के गठन और क्षतिपूरक वनीकरण कोष के प्रबंधन के संबंध में वृहत्त नियमावली तैयार करेगा। तदनुसार, केन्द्र सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में और भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 29 अक्तूबर 2002 के उक्त आदेश के अनुसरण में दिनांक 23 अप्रैल 2004 के आदेश द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण (काम्पा) गठित किया।

भारत के उच्चतम न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि काम्पा अभी भी प्रचालित नहीं हुआ है, उक्त रिट याचिका में आई.ए.सं. 827, 1122, 1216, 1473 सहित आई ए.सं.1337 में अपने दिनांक 5 मई 2006 के आदेश द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ यह आदेश दिया कि काम्पा के प्रचालित होने तक एक तदर्थ निकाय अर्थात तदर्थ काम्पा का गठन किया जाए और निदेश दिया कि दिनांक 29 अक्तूबर 2002 के आदेश के अनुरूप दिनांक 30 अक्तूबर 2002 के प्रभावी होने से सभी राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र एकत्रित धनराशि का हिसाब और भुगतान उक्त तदर्थ निकाय में करेंगे।

पर्यावरण और वन मंत्रालय ने क्षतिपूरक वनीकरण कार्यकलापों को करने के लिए तदर्थ काम्पा से निधियों को जारी करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और जन प्रतिनिधियों से लगातार निवेदनों के बाद, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ परामर्श करके राज्य काम्पा से संबंधित दिशा-निर्देशों को सूत्रबद्ध किया।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त रिट याचिका में आईए संख्या 2143 में अपने दिनांक 10 जुलाई, 2009 के आदेश में निदेश दिया कि पर्यावरण अरधें वन मंत्रालय द्वारा राज्य काम्पा के तैयार किए गए दिशानिर्देश और संरचनाओं को अधिसूचित/कार्यान्वित किए जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने उक्त आदेश में यह अनुमति भी दी कि तदर्थ काम्पा संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित प्रधान धनराशि के 10% के अनुपात में अगले पांच वर्षों तक लगभग 1000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की धनराशि जारी करेगा। तद्नुसार, सभी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में राज्य काम्पा गठित किए गए हैं। संबंधित राज्य काम्पा संचालन समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक प्रचालन योजना (एपीओ), जिसमें प्रतिपूरक वनीकरण के सृजन और वन एवं वन्यजीव संसाधनों के संरक्षण और विकास के अन्य कार्यकलापों के लिए उपबंध निहित हैं, के कार्यान्वयन हेतु माननीय

उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश के अनुसार राज्य काम्पा को निधियां जारी की जा रही है। गति चार वित्त वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान, राज्य काम्पा को जारी निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

संचित धनराशि के त्वरित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय नियमित काम्पा के गठन हेतु उपाय कर रहा है।

विवरण

गत चार वित्त वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य काम्पा को जारी की गई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र निधियां

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई निधियां (करोड़ रुपए में)
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2.4638
2.	आंध्र प्रदेश	540.7015
3.	अरुणाचल प्रदेश	87.1071
4.	असम	32.2253
5.	बिहार	32.9024
6.	चंडीगढ़	0.4061
7.	छत्तीसगढ़	526.2440
8.	दादरा और नगर हवेली	0.3218
9.	दमन और दीव	0.00
10.	दिल्ली	6.2648
11.	गोवा	22.3665
12.	गुजरात	140.8332
13.	हरियाणा	70.4550
14.	हिमाचल प्रदेश	241.8689
15.	जम्मू और कश्मीर	23.7835
16.	झारखंड	454.1239
17.	कर्नाटक	229.2633
18.	केरल	3.1161
19.	लक्षद्वीप	0.00
20.	मध्य प्रदेश	219.0347
21.	महाराष्ट्र	413.6865
22.	मणिपुर	5.9669
23.	मेघालय	0.1664
24.	मिज़ोरम	1.8952
25.	नागालैंड	0.00
26.	ओडिशा	643.9125
27.	पुदुचेरी	0.00
28.	पंजाब	122.4664
29.	राजस्थान	178.4817
30.	सिक्किम	36.7826
31.	तमिलनाडु	6.2029
32.	त्रिपुरा	11.9036
33.	उत्तर प्रदेश	112.9267
34.	उत्तराखंड	354.6790
35.	पश्चिम बंगाल	16.4153
	कुल	4538.9677

[हिन्दी]

राज्य राजमार्गों का राष्ट्रीय राजमार्गों में उन्नयन

***153. श्री लालजी टन्डन :**
श्री अदगुरु एच. विश्वनाथ :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर और प्रति लाख जनसंख्या के संदर्भ में और राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई के संदर्भ में गुजरात और कर्नाटक का स्थान क्या है;

(ख) राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों घोषित करने/उन्हें परिवर्तित करने संबंधी क्या मानदंड हैं तथा उनके निर्माण हेतु क्या गुणवत्ता मानक विनिर्दिष्ट हैं;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में स्थित राजमार्गों सहित सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की गुणवत्ता इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट मानक के अनुसार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य के निरीक्षण/निगरानी हेतु क्या तंत्र बनाया गया है;

(घ) राज्य राजमार्गों का राष्ट्रीय राजमार्गों में उन्नयन हेतु विभिन्न राज्यों विशेषकर कर्नाटक, गुजरात और ओडिशा से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो मोड सहित कौन-कौन से प्रस्ताव मंजूर किए गए/किन-किन राज्य राजमार्गों का उन्नयन राष्ट्रीय राजमार्गों में किया गया तथा गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि स्वीकृत/आबंटित की गई; और

(ङ) लंबित प्रस्तावों, यदि कोई हों, का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इनको कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नान्डीज) : (क) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई के संदर्भ में गुजरात और कर्नाटक का रैंक क्रमश: प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर के संदर्भ में 26, 21 और प्रति लाख जनसंख्या के संदर्भ में 24, 19 है।

(ख) राज्यीय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में घोषित करने/उन्हें परिवर्तित करने संबंधी मानदंड संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का निर्माण भारतीय सड़क कांग्रेस के विनिर्दिष्ट गुणवत्ता मानकों/सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय विशिष्टताओं के अनुसार किया जाता है। नियमित जांच और परीक्षणों के माध्यम से निर्माण के गुणवत्ता की गहन मॉनीटरिंग के लिए पर्यवेक्षण/स्वतंत्र परामर्शदाता नियुक्त किए जाते हैं। इसके अलावा, परियोजना को निष्पादित करने वाले फील्ड अधिकारियों और मुख्यालय के अधिकारियों सहित मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा निर्माण की गुणवत्ता की गहन मॉनीटरिंग भी की जाती है।

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कर्नाटक, गुजरात और ओडिशा सहित विभिन्न राज्य सरकारों से राज्यीय राजमार्गों की राष्ट्रीय राजमार्गों में घोषणा के लिए संघ सरकार को प्राप्त प्रस्तावों और अनुमोदित किए गए प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-II और III में दिया गया है। राज्यीय सड़कों का राष्ट्रीय राजमार्गों में उन्नयन किए जाने के लिए राज्य सरकारों को निधियों की संस्वीकृति/आबंटन के लिए कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे प्रस्ताव जिनको शामिल नहीं किया गया उनको वापस लौटा दिया गया है। इस प्रकार कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

विवरण-I

राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के मापदंड

1. ऐसी सड़कें जो देश में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती हों।
2. पड़ोसी देशों को जोड़ने वाली सड़कें।
3. राष्ट्रीय राजधानी को राज्य की राजधानी के साथ जोड़ने वाली सड़कें और राज्यों की राजधानियों को आपस में जोड़ने वाली सड़कें।
4. महापत्तनों, छोटे पत्तनों, बड़े औद्योगिक केन्द्रों अथवा पर्यटन केन्द्रों को जोड़ने वाली सड़कें।
5. पहाड़ी और अलग-थलग पड़े क्षेत्रों में अति महत्वपूर्ण सामरिक जरूरतों को पूरा करने वाली सड़कें।
6. प्रमुख सड़कें जो यात्रा की दूरी को बहुत कुछ घटा देती हों और जिनसे काफी अधिक आर्थिक वृद्धि प्राप्त होती हो।
7. ऐसी सड़कें, जिनसे किसी पिछड़े इलाके के विशाल भू-भाग को और पहाड़ी क्षेत्रों (सामरिक महत्व की सड़कों के अलावा) को जोड़ने में सहायता मिलती हो।
8. 100 किमी. का राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड प्राप्त होता हो।
9. ऐसी सड़क जो अपनी तकनीकी आवश्यकताओं के साथ- साथ भूमि आवश्यकताओं के मामले में भी राज्यीय राजमार्ग के लिए निर्धारित मानक को पूरा करती हो। मौजूदा सड़कों (राज्यीय राजमार्ग, प्रमुख जिला सड़कें और अन्य सड़कें) जो इसमें निर्धारित विभिन्न मानदंडों के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं, पर राष्ट्रीय राजमार्ग मानकों में उन्नयन के लिए विचार किया जाएगा। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उन्नयन की जाने वाली सड़कें राज्यीय राजमार्गों के लिए निर्धारित मानकों को सामान्यत: संतुष्ट करती हैं परंतु मुख्य जिला सड़कों और अन्य सड़कों को जिनको ग्रिड बनाने और महत्वपूर्ण/पिछड़े क्षेत्रों से जोड़ने के लिए उन्नत किया जाना अपेक्षित होगा, पर भी विचार किया जाएगा।
10. मौजूदा मार्गाधिकार राज्य सरकार की संपत्ति होनी चाहिए और सामान्यत: किसी भी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त होनी चाहिए।
11. राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए अपेक्षित मार्गाधिकार (वरीयतन 45 मीटर, न्यूनतम 30 मीटर) अधिग्रहण के लिए बिना किसी अतिक्रमण के उपलब्ध होना चाहिए और राज्य सरकार छह महीने के अंदर अधिग्रहण की औपचारिकताएं पूरी कर ले। यदि राष्ट्रीय राजमार्ग मानक के लिए सड़क विकसित करने हेतु अतिरिक्त मार्गाधिकार अपेक्षित है तो राज्य सरकारें प्राक्कलनों की स्वीकृति के पश्चात् अधिग्रहण तेजी से पूरा कर लेंगी।

विवरण-II

राज्य सरकारों से प्राप्त नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए प्रस्ताव (राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित खंडों को छोड़कर)

क्र.सं.	राज्य का नाम		सड़क/खंड का विवरण
1	2		3
I.	आंध्र प्रदेश	1.	हैदराबाद-रामागुंडम-मनचेरियल-चंदा
		2.	हैदराबाद-श्रीसैलम-दोरनाला-अत्माकुर-नांदयाल
		3.	गुंडुगोलानु-नल्लागोरिया-देवारापल्ली-वेरनागिरि सड़क
		4.	हैदराबाद-मेडक-बोधान-बासर-लुक्सेट्टिपेट
		5.	काकीनाड़ा-द्वारा जास्थानापुवडी-राजामुंदरी-कोव्वूर-जंगरेड्डीगुडेम-अश्वरावपेटा-खम्माम-सूर्यापेटा
		6.	राजामुंदरी-मारेदुमिल्ली-चिंटुरु-भूपालपटनम
		7.	कूरनूल-अत्मातूर-दोरनाला-थोकापल्ली-पेरीचेरला-गुंटूर
		8.	कोडेड-मिरयालागुडा-देवाराकोंडा-तंदूर-चिंचोली
		9.	कलिंगापटनम-श्रीकाकुलम-रायगढ़ से रारा 201 तक
		10.	सिरोंचा-महादेवपुर-परकल-वारंगल-तुंगतुर्थी-नकरेकल-सलगोंडा-चलकुर्थी-मचरेला-एरागोंडापालेम-थोकापल्ली- मरकापुर-बेस्थावारिपेटा-कणिगिरी-रायपुर-वेंकटगिरि-एरपेडु-रेनिगुंटा
		11.	अंकापल्ली-अनादपुरम
		12.	कुप्पम-गुंडीपाली-कोलार से रारा-219 तक
		13.	कोडेड-खम्माम-थोरुर-वारंगल-जगतयाल
		14.	पुतलापट्टु-नायडुपेट सड़क
		15.	कुरनूल-बेल्लारी सड़क
		16.	ताड़ीपत्री-रायचूर सड़क वाया अनंतपुर-उर्वाकोंडा सड़क
		17.	गुंटूर-विनूकोंडा-टोकापल्ली-नांदयाल-बानागनपल्ली-ऑक-ताड़ापत्री-धर्मावरम-कोडूर से सड़क
		18.	आदिलाबाद-उतनूर-कानापुर-कोरुतला-वेमूलवाडा-सिद्दिपेट-जानागांव-सूर्यापेट-मिरयालगुडा-पिडुगुरल्ला-नरसारावपेटा-वोदारेवू
		19.	निजामपटनम-रिपाले-तेनाली-गुंटूर-विनूकोंडा-थोकापल्ली-नांदयाल-बाणगंनापल्ली-ऑक-ताडपत्री-धर्मावरम-काडूर
		20.	प्रोद्दातूर-जमलामडुगु-गूटी
		21.	विशाखापट्टनम-तल्लापलम-नरसीपट्टनम-चिंतापल्ली-सिलेरु-उप्पेरसिलेरु-दोनकरई-मोतीगुदेम-लक्कावरम-चितूरु
		22.	विशाखापट्टनम-पेंदुर्थी-श्रुगावरपुकोट्टा-अनंतगिरि-सुनकारावारिमेट्टा-अराकु-ओडिशा राज्य सीमा

1	2	3
		23. निर्मल-खानपुर-लुक्सेट्टिपेटा (रारा 222 का विस्तार)
		24. राजामूंदरी, गोकावरम, रामपचोदावरम, मारेदिमिल्ली, चिंटूर, भद्राचलम, चरला, वेंकटपुरम
		25. गोलांव-आसिफाबाद-मांचरेल-पेड्डापल्ली-करीमनगर-वारंगल-महबूबाबाद-खम्माम-कोडाड
		26. कोडाड-मिरयालयगुडा-देवाराकोंडा-कलवाकुर्ती-उर्वाकोंडा-अनंतपुरम
		27. टाडा-श्रीकालाहासी-रेनिगुंटा-कुडप्पा
		28. गुडुर-रापुर-राजमपेट-रायाचोटी-कादिरी-हिंदुपुर-मदकसिरा
		29. पेनुगोंडा-मदकसिरा-हीरायूर
		30. संगारेड्डी-नरसापुर-भोंगीर-चितयाला-शादनगर-चेवल्ला-संगारेड्डी
		31. पमारु-चल्ला पल्ली सड़क
		32. हैदराबाद-मेडक-येल्लारेड्डी-बांसवाड़ा-बोधान
		33. तिरुपति-नायडूपेट सड़क
		34. हैदराबाद-बीजापुर सड़क (वाया) मोइनाबाद, चेवल्ला, मन्नेगुडा, कोडांगल
		35. कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग से मिलने वाली नंदयाल-अत्माकुर-नंदीकोतकुर-आलमपुर-ईजा सड़क
		36. मंगलौर (कर्नाटक) से तिरुवन्नामलाई (तमिलनाडु), वाया आंध्र प्रदेश में वेंकटगिरि
		37. श्रीकाकुलम जिले में कलिंगपटनम पोर्ट से रारा-5 (नई रारा संख्या 16) तक
		38. विशाखापट्टनम जिले में भिमिली पोर्ट से रारा-5 (नई रारा संख्या 16) तक
		39. विशाखापट्टनम जिले में विशाखापट्टनम पोर्ट से रारा-5 (नई रारा संख्या 16) तक
		40. विशाखापट्टनम जिले में गंगावरम पोर्ट से रारा-5 (रारा सं. 16) तक
		41. काकिंदा से राजनगरम (एडीबी) नई राष्ट्रीय राजमार्ग (नई रारा संख्या 16) तक
		42. मछलीपट्टनम पत्तन से हनमन जंक्शन (नई रारा संख्या 16) तक
		43. नजमपटनम-रेपाल्ले-तेनाली-गुंटूर सड़क
		44. वाडरेचु पत्तन से रारा-5 (नई रारा संख्या 16) तक सड़क का उन्नयन
		45. ओंगोले से कोठपटनम
		46. कृष्णापटनम पत्तन से रारा-5 (नई रारा संख्या 16) तक
		47. गुडरु से कृष्णापटनम पत्तन तक पत्तन सड़क संपर्क
		48. रायचोटी-चिन्नामनडेम-गुरामकोंडा-कुराबालकोट्टा

1	2	3
II.	अरुणाचल प्रदेश	1. चांगलांग–मारगेरिटा सड़क
		2. बामे–किक्काबली–अक्काजान सड़क
		3. सागली–मेंजियो–डीड–जीरो सड़क
		4. नाम्पोंग–मोटोंग्सा–देबान–नामचिक–जागून
III.	असम	1. धोदर अली
		2. बादरपुर घाट–अनीपुर–पनिसाग सड़क (असम त्रिपुरा) वाया अंगला बाजार–आदरकोना–भैराब नगर– दुलियाचेरा–चारंगी–कोटामोनी–दामवेहरा–पानीसागर राष्ट्रीय राजमार्ग
IV.	बिहार	1. दरभंगा–कामतोला–मधवापुर सड़क
		2. रारा–107 (जिला सहरसा) पर बेरियाही–बनगांव को जोड़ने वाली सड़क से सुपौल के रास्ते भपतियाही के निकट रारा–57 तक
		3. सोनबरसा–बैजनाथपुर
		4. सराईगढ़ रेलवे स्टेशन–लालगंज–गंपतगंज
		5. मुजफ्फरपुर–देवरिया–बरुराज–मोतीपुर
		6. मुजफ्फरपुर–पुसा–धौली–कल्याणपुर
		7. क्योतसा–कटरा–रुनी सईदपुर–बेलसंद–परसौनी
		8. झापा–मीनापुर–श्योहर
		9. दरभंगा–बहेड़ा–बिरौल–कुशेसवर अस्थान
		10. दरभंगा–बहेड़ी–सिंधिया–रोसेरा–नरहन–चेरिया बरियापुर–बेगुसराय
		11. हाजीपुर–महनर–मोहिउद्दीन–नगर–बछवाडा
		12. मांझी–दरौली–गुथनी
		13. गुथनी–किरवा–सिवान–बरहरिया–सरफारा
		14. मिरवा–कुचईकोट
		15. दरोंडा–महाराजगंज–तरवारा–बरहरिया–गोपालगंज
		16. मिरगंज–भगीपट्टी
		17. सिवान–पैगम्बरपुर
		18. चपरा–खैडा–सलेमपुर
		19. मांझी–बरौली–सरपाड़ा
		20. बेतिया–चंपतिया–नरकतियागंज–थोरी
		21. सीतामड़ी–रिगा–धेंग–बैरगनिया

1	2	3
		22. अमौर-बायसी-बहादुरगंज
		23. आरा-सासाराम रोड
		24. भौजपुर-दुमराओ-विक्रमगंज-नसरीगंज-देहरी-ओन-सोन
		25. बक्सर-चौसा-महनिया-भभुआ-अधैरा-गारके (उत्तर प्रदेश सीमा)
		26. बडबिघा-शेखपुरा-सिंकदरा-जमुई-देवघर
		27. शेखपुरा-लखीसराय-जमुई
		28. सुलतानगंज-देवघर
		29. भागलपुर हंसदिहा दर्दमारा तक
		30. घोघा-बाराहट
		31. अकबर नगर-सहकुंड-अमरपुर-बांका
		32. गया-पंचनपुर-बौदनगर
		33. बाराहट-पंजवाडा-धौरिया-संहौला-घोघा रोड
		34. मेहंदिया रारा-98 हसपुरा-पचरुखिया-खुंदवान-फेसर-औंरगाबाद
		35. बरियारपुर-खड़गपुर-कुदास्थान
		36. सासाराम-चौसा वाया कोचस
		37. पहाड़ी (रारा-30) से मसौरही (रारा-83)
		38. मगध मेडिकल कॉलेज से रफीगंज, गोह, औरंगाबाद
		39. वजीरगंज (रारा-82) से रारा-2 4 लेन वाया फतेहपुर, पहाड़पुर, अमरपुर, धडहाडा
		40. रारा-83 से महनपुर बाडाचट्टी जी.टी. रोड़ (रारा-2) वाया टेकुनाफार्म-दुबलनैली-मरनपुर-बोध गया नदी के किनारे द्वारा
		41. खड़कबसंत-जाले
		42. गाढ़ा-बौचक-बाजपट्टी-कुम्बा-बेला
		43. रुनी सैदपुर-कोवाही-बलुवा-मीनापुर
V.	छत्तीसगढ़	1. बिलासपुर से पंडरिया-पोंडी-क्वारदा-राजनांदगांव-अनंतगढ़-नारायणपुर-बरसूर-गीदम-दांतेवाड़ा-बेलाडीला-चिंतालनर-मारियागुंडा से भद्राचलम
		2. गढ़चिरौली (महाराष्ट्र) से मानपुर-भानुप्रतापपुर-कांकोड़-दुधवा-सिहावा-नगरी-बदरदुल्ला-मैनपुर से खरियार सड़क (ओडिशा)
		3. अंबिकपुर से वादरफंगर से वाराणसी (उत्तर प्रदेश) तक नए रारा-130 का विस्तार
		4. रायपुर से बालोदा बाजार-कासडोल-भटगांव-सारनगढ़-सरिया-सुहेला सड़क (ओडिशा)

1	2	3
VI.	दादरा और नगर हवेली	1. दमन से नासिक वाया वापी, सिलवासा, खनवेल ओर त्रियंकबेश्वर
		2. वापी-सिलवासा-तालासारी सड़क
		3. गुजरात में जरोली गांव से रारा-8 को स्पर्श करते हुए नारोली-खरादपाड़ा-लुहारी-चिखली-आप्ति एवं वेलुगाम (सभी दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में) से तलसारी तक सड़क खंड, वाया महाराष्ट्र में सुत्राकर
VII.	दमन और दीव	1. रारा-8 के निकट मोहनगांव रेल क्रॉसिंग से प्रारंभ होकर जरी- कचीगम-सोमनाथ-कुंटा-भेंसलोर-पटालिया (सभी दमन में) के रास्ते रारा-8 पर उदवाड़ा रेल क्रॉसिंग (गुजरात में) तक
		2. ऊना गांव (गुजरात राज्य) दीव तक
		3. केसरियां गांव (गुजरात राज्य) दीव तक
VIII.	गुजरात	1. भुज-खवादा-इंडिया ब्रिज-धरमशाला से भारत की सीमा सड़क तक
		2. वदोदरा-पोर-सिनोर-नेतरंग-व्यारा-अहवा-सापूतारा-नासिक सड़क
		3. मेहसाना-चांसमा-राधनपुर सड़क
		4. राजकोट-मोरबी-नवलखी सड़क
		5. पालनपुर-गांधीनगर-अहमदाबाद सड़क
		6. राजपिपला-वापी सड़क
		7. वसादा-पडरा-कर्जन सड़क
		8. नादियाद-कापडवंज-मोदासा से रारा-8 को जोड़ते हुए
		9. अहमदाबाद-ढोलका-वातामन
		10. भावनगर-कर्जन सड़क
		11. पोरबंदर-पोरबंदर पत्तन सड़क
		12. जामनगर-बेडी पोट रोड
		13. त्राप्ज-अलंग पोर्ट रोड
		14. ज्खाऊ पोर्ट रोड
		15. गांधीनगर-गोजारिया-विसनगर-वादनगर-खेरालु-दंता-अम्बाजी-आबु रोड
		16. हिम्मतनगर-वीजापुर-विसनगर-उंजा सड़क
		17. अहमदाबाद-वीरमगांव-संखेश्वर-राधनपुर सड़क
		18. पालनपुर-चंडीसर-दंतिवाड-गुजरात सीमा सड़क
		19. भाभर-शिहोरी-पाटन-सिद्धपुर-वालासन-ईदर-हिम्मतनगर सड़क
		20. भाभर-देवदर-खेमना-पाटन-चांसमा-मेहसाना सड़क

1	2	3
		21. भचाऊ-भुज-पंधरो सड़क
		22. चितरोड-रापड़-धोलावीरा सड़क
		23. सुईगम-सिधादा सड़क
		24. जामनगर-जूनागढ़ सड़क
		25. राजकोट-अमरेली सड़क
		26. बागोदरा-धनधुका-वल्लभीपुर-धासा-अमरेली सड़क
		27. वदोदरा-दभोई-छोटा उदयपुर सड़क
		28. भरुच-अंकलेश्वर-वालिया-नेतरंग-सगबारा सड़क
		29. हिम्मतनगर-इदेर-खेडब्रह्म-अम्बाजी से आबु गुजरात सीमा सड़क
		30. जाफराबाद-रजूला-सवरकुंदाला-अमरेली-बबारा-जसदान-विचिया-सायला-सुरेन्द्रनगर-पटदी-सामी-राधनपुर सड़क
		31. वलसाड-परदी-कपरादा सड़क
		32. गांधीनगर-देहगांव-बेयाड-लूनावाडा-संतरामपुर सड़क
		33. वापी-मोतापोंध सड़क
		34. वापी-सिलवासा सड़क
		35. बागोदरा-धनधुका-भावनगर सड़क
		36. वाणकबारा-कोटड़ा सड़क - रारा-8ई तक
		37. हिम्मतनगर-मेहसाना-राधनपुर राज्यीय राजमार्ग
		38. शामलाजी-मोदासा-गोधरा-वापी राज्यीय राजमार्ग संख्या 5
		39. वदोदरा-दाभोल-छोटा उदयपुर से मध्य प्रदेश सीमा तक
		40. गांधी नगर-देहगाम-बेयाड-जालोड से राजस्थान सीमा तक
		41. बागोदरा-धनधुका-वल्लभीपुर-रजुला-जाफराबाद
		तटवर्ती सड़कें
		42. नारायण सरोवर-लखपर
		43. नालिया-द्वारका
		44. रारा-8 पर भावनगर-वातामन-पडारा-कारजन
IX.	गोवा	1. कार्सवाड़ा-बोचोलिम-साखिल-सुर्ला-उसगांव-खांडेपर
		2. सनक्वेलिम-केरी-छोरलेम

1	2	3
		3. मारगांव-परोडा-क्वेपेम-क्यूरचोरेम-सावोरडेम-धारबांदोरा
		4. मोपा-बीचोलिम-सनक्वेलिम-उसगांव
		5. कुर्टी से बोरिम
		6. आसनोरा से डोडामार्ग
X.	हरियाणा	1. अम्बाला कैंट (रारा-1) से साहा (रारा-73)
		2. साहा (रारा-73) से शहबाद (रारा-1)
		3. उकलाना (रारा-65)-सुरेवलचल से टोहना-पटरन (रारा 71)
		4. रोहतक शहर में रारा-71 और रारा-71ए के बीच
		5. गुड़गांव-झज्जर-बेरी-कोलानौर-मेहम (रारा-8 और रारा-10 के बीच)
		6. सोनीपत-गोहाना-जींद (रारा-1 और रारा-71 के बीच)
		7. कैथल-जींद-मुंडल (रारा-65 और रारा-10 के बीच)
		8. बहादुरगढ़-झज्जर-कोसली-महिन्द्रगढ़-नारनौल-कोतुतली (रारा-10 और रारा-8 के बीच)
		9. कैथल (तितरम मोड)-(एचएस-11ए और 12) (रारा-65 को रारा-71 से जोड़ते हुए)
		10. कैथल-गुहला-पंजाब सीमा (एसएच-11) (रारा-65 को पंजाब में पटियाला के निकट रारा-64 से जोड़ते हुए)
XI.	हिमाचल प्रदेश	1. होशियारपुर-भानखंडी-झालरा-ऊना-भोता-जोहा-रेवालसर-मंडी रोड
		2. यमुनानगर-लाल धंक-पौंटा-दारनघाटी सड़क
		3. कीरतपुर साहिब-नंगल-ऊना-मैकलोडगंज रोड
		4. स्लप्पर-तट्टापानी-लूरी-सैंज सड़क
		5. चंडीगढ़ (पीजीआई)-बड्डी-रामशहर-शालाघाट सड़क
		6. तारादेवी (शिमला)-जुब्बारहट्टी-कुनीहार-रामशहर-नालागढ़-घनौली (एसएच संख्या 6) (हिमाचल प्रदेश सीमा) सड़क
		7. भरमौर-चम्बा-डलहौजी-पठानकोट सड़क
		8. हमीरपुर-सुजानपुर-पालमपुर सड़क
		9. ब्रह्मपुखर-बिलासपुर-घुमारविन-सरकाघाट-धर्मपुर-सिद्धपुर-लाड-भरोल-जोगिन्द्रनगर
		10. स्लैपर-पांदोह-चैलचौक-करसोग-तट्टापानी-धल्ली-थियोग-कोटखई-जुब्बल-हतकोटी सड़क
		11. किश्तवाड़ (जम्मू और कश्मीर)-तंडी (हिमाचल प्रदेश)
		12. सुजानपुर-संधोल-मंदाप-रेवलसर-नरचोवा-जयदेवी-टाटापानी-धल्ली
		13. भरमौर, चम्बा-सुल्तानपुर-जोट-चोवाडी-लहरु-नुरपुर

1	2		3
		14.	किरतपुर-नांगल-भाक्डा-थनकलान-बंगाना-तुतरु-भैम्बली-मंझियार-नदौन-सुजानपुर-संधोल-धरमपुर-मनदाप-रेवलसार-नया चौक रोड
		15.	धनोटु-जयदेवी-तोहंडा-चुरग-टाटापानी-धल्ली सड़क
		16.	नरकांडा-बागी-खदराला-सुंगरी-रोहरु-हटाकोटी रोड
XII.	जम्मू और कश्मीर	1.	मुगल (पाम्पोरे से राजौरी) रोड
		2.	दुनेरा (पंजाब) से पुल डाड वाया बसोली-बानी-भदेरवाह-डोडा से जुड़ने वालारारा-1बी
		3.	सोपियां-कुलगाम-क्वाजीगुंड रोड
		4.	श्रीनगर-बंदिपोरा-गुरेज रोड
		5.	डोडा और अनंतनाग जिले में पुल डोडा एक्जिट (पुल डोडा) डेसा-कापरन-वीरोमग सड़क
		6.	जवाहरल टनल एक्जिट (इम्मोह) वेरीनाग-आचबल
XIII.	झारखंड	1.	गोबिंदपुर-जामतारा-दुमका-साहेबगंज सड़क
		2.	चक्रधरपुर-जरईकेला-पंपोश सड़क
		3.	एसएच-3 [रारा-23 कामदारा पर कोलीबीरा-तोरपा-खुंटी (रारा-75 विस्तार) - अरकी - रारा-33 पर तामर]
		4.	महागामा-महरमा - रारा-80 पर साहेबगंज
		5.	एसएच-08 (गुमला-घाघरा-कुरु सड़क) गुमला में रारा-23 और कुरु में रारा-75 से जोड़ने वाली
XIV.	कर्नाटक	1.	मैसूर-चन्नारायापटना-अरसीकेरे-चन्नारायापटना और सकलेशपुरा वाया होलेनरसिपुरा के बीच लूप
		2.	बिल्लिकेरे-हसन-बेलूर-तारीकेरे-शिमोगा-होन्नाली-एच.पी. हल्ली-होसीत-गंगावती-सिंदनूर-मानवी-रायचूर
		3.	रारा 48-हसन-गोरुर-अरकुलगुड-रामनाथपुरा-बेटाडापुरा-पेरियापटना-गुंडलुपेट सड़क
		4.	बंटवाल-मुदिगेरे-बेलूर-हलेबिदु-सीरा-गौरीबिदनौर-सी.बी. पुरा-चिंतामणि-श्रीनिवासपुरा-मुलबगल
		5.	बंगलौर-आउटर रिंग रोड दोबासपेट-सोलुर-मगडी-रामनगरम-कणकपुरा-अनेकल-अत्तीबनेले-सरजापुरा
		6.	बंगलौर-रामानगरा-चन्नापटना-मांड्या-मैसूर-मरकारा-मंगलौर (रारा-17 से जोड़ने के लिए)
		7.	बीदर-हुमनाबाद गुलबर्गा-सिरिगुप्पा-बेल्लारी-हिरियूर-चिक्कानायकनाहल्ली-नागमंगला-पांडवपुरा-श्रीरंगपटना
		8.	कोरातागेरे-तुमकुर-कुनिगल-हुलियूरदुर्ग-मद्दूर-मालावल्ली सड़क

1	2	3
		9. बेलगांव-बीजापुर-गुलबर्ग हुमनाबाद
		10. बेलगांव-बागलकोट-रायचूर-मेहबूबनगर-आंध्र प्रदेश
		11. चित्रदुर्ग-होललकेरे-होसदुर्ग-चिक्कामंगलौर-मुदिगेरे-बेलथनगड़ी-बंटवाल-मंगलौर (रारा-17 से जोड़ने के लिए)
		12. पडुबिदरी-करकला-श्रींगेरे-तीर्थहल्ली-शिकारीपुरा-सिरलकुप्पा- हुबली- बागगलकोट-हुमनाबाद
		13. मालवल्ली-बन्नूर-मैसूर सड़क
		14. गिनिगेरे (कोप्पल)-गंगावती-कालमाला (रायचूर) सड़क
		15. कुमता-सिरसी-तडासा-हुबली सड़क
		16. आंध्र प्रदेश में पेनुगोंडा को जोड़ते हुए रारा-4 पर हिरियूर से एसएच-24 तक
		17. जेवारगी-बेल्लारी-हत्तीगुडुर-लिंगासुगुर-सिंधनूर-सिरिगुप्पा
		18. डोड्डाबल्लारपुर-कोलार सड़क वाया नंदी विजयपुरा, वेमगल
		19. कुमता-सिरसी-हवेरी-मोलाकलमुरु-अनंतपुरा
		20. औड़द-बीदर-चिंचोली-जेवारगी-बीजापुर-सेदबल-गटकरवादीन महाराष्ट्र
		21. हेबसुर-धारवाड़-रानगरम-पणजी सड़क
		22. बागलकोट-गुलेदागुड्डा-गजेन्द्रगढ़-कुकुनूर-भानपुर
		23. बंगलौर - रारा-7 (सोमनदेनापल्ली) को जोड़ते हुए हिंदुपुरा से राज्य की सीमा तक
		24. कडूर-कन्ननगाडा राज्यीय राजमार्ग संख्या 64
		25. बेलगांव-बागलकोट-हुन्गुन्ड सड़क
		26. कोप्पाला-जेवारगी सड़क
		27. नवलकुंड-कुश्तागी सड़क
		28. मानदवाडी-एच.डी. कोटे-जयुवरा-कोल्लेगल-सलेम सड़क
		29. वनमारापल्ली-औरड-बिदर (राज्यीय राजमार्ग-15 का भाग) और रारा-9 से जुड़ने वाला बिदर से हुमनाबाद तक राज्यीय राजमार्ग-105
		30. टाडस-मुंडागोड-हंगल-अनावट्टी-सिरालकोप्पा-सिकारीपुरा-सिमोगा
		31. कुमटा-सिरसी-हवेरी-हडगली-हरपनहल्ली-कुडलगी
		32. नंजनगुडु-कामराजनगर
		33. रारा-13 पर जुड़ने वाला अडवी सोरनपुरा से जगलुर वाया मुंडरगी-हुविनहडगल्ली-उज्जैनी
		34. कलपेट्टा-मनंतवाड़ी-कुट्टा-गोनी-कोप्पल-हुन्सूर-मैसूर सड़क

1	2	3
		35. देवनहल्ली-विजयपुरा-एच.क्रास-वेमागल-कोलार-केजीएफ-केम्पपुरा सड़क
		36. एसएच-51 गुलबर्गा से मंत्रालय वाया शाहाबाद-वाड़ी-यादगिर और रायचूर
		37. मैसूर-हासन-बेलूर
		38. उदुपी (रारा-17) से तिरथल्ली (रारा-13) वाया हेब्बारी-कर्नाटक में करकला तालुक का अगुंबे (87.60 किमी.)
		39. बीसी रोड (रारा-48) से मुल्की (रारा-17) वाया पोलाली-काटिल-दक्षिण कन्नड जिले के किन्नीगोली रारा-13 को जोड़ते हुए (48.10 किमी.)
		40. मुल्की (रारा-17) से पेरियाशांती रारा-48 पर वाया मुदीबिद्रे रारा-13 पर (102.95 किमी.)
		41. मणि-उलाल रोड दक्षिण कन्नड़ जिले में (29.00 किमी.)
		42. उदुपी से मुंगलौर हवाई अड्डा वाया मालपे-अंथ्राडी जंक्शन (68 किमी.)
		43. बिंडूर (रारा-17) से अयनूर (रारा-206) वाया कोल्लूर-नागोदी घाट-नित्तोर-नागरा-होसानागरा-रिप्पनपेट (180.00 किमी.)
		44. उदुपी (रारा-17) से सुलया (एसएच-88) वाया करकला-धर्मस्थल-कुक्के सुब्रमण्या (208.00 किमी.)
		45. रारा-7 पर देवनहल्ली से आंध्र प्रदेश में टनकल वाया विजीपुरा-सिदला घट्टा-डिब्बूरल्ली-चेलूर-रायचेरुवू (117.00 किमी.)
		46. कुप्पम-पामनेर रोड आंध्र प्रदेश में (रारा-219) से कर्नाटक में बागेपल्ली (रारा-7) वाया राजपेट-बेथामंगला-बांगरपेट-कोलार-चिंतामणि (149.00 किमी.)
		47. रारा-9 हुमनाबाद से महाराष्ट्र में नांदेड़ वाया बीदर-भालकी-कमालनगर-उदगीर (102.00 किमी.)
		48. रारा-4 पर शंकेश्वर से रारा-13 पर जगलूर वाया गोकक-येरागट्टी-मुनवल्ली-नरगुंड-शेलवाडी-गडग-मुंदरगी-हुविनाहडागली-कोत्तूर-उजिनी (335.70 किमी.)
		49. बागलकोटे-गुलेडागुड्डा-बदामी- गजेंद्रगाड-येलाबुर्गा-कुकुनूर-भानपुरा (144.20 किमी.)
		50. रारा-218ई पर गुलबर्गा से महाराष्ट्र में रारा-13 पर शोलापुर वाया चौदापुर-अफजलपुर-दुधनी-अक्कलकोटे (79.00 किमी.)
XV.	केरल	1. तिरुर-कोट्टाक्कल-मलप्पूरम-मंजेरी-गुंडालुपेट सड़क
		2. तिरुवनंतपुरम-नेदुमानगढ़-चिल्लीमन्नूर-मदाथरा-कुलातुपुझा-थेनमाला-पुनालुर-पतनपुरम-रन्नी-प्लाचेरी-मणिमाला-पोंकून्नम-पलई-थोडुपुझा-मुवत्तुपुझा
		3. चलकुड़ी-अतीरापल्ली-वाजचल-पेरिंगलकुतु-(राज्यीय सीमा)-पोल्लाची
		4. कोडुंगलूर (रारा-17-408/850) इरिनजालकुडा-त्रिचूर-वडक्कनचेरी-चेरुतुरुथी-शोस्नुर-पट्टाम्बी-पेरिनतलमन्ना-मेलात्तूर-पट्टीकाडु- पंडीकाडु-वंडूर-वादपुरम-कालीगवु-निलाम्बुर राज्यीय सीमा (31.6 किमी.) गुडलूर एच (22, 23, 28, 39, 73)

1	2	3
		5. कोझिकोडु-चेरुपा-ऊराकाडवू-अरेक्कोडे-इडानन-निलाम्बुर-नाडुकनी (97.7 किमी.)-गुडलूर-ऊंटी (60 किमी.)
		6. वाडकरा-नादपुरम-कुट्टीयाडी-थोट्टीपालम-पाकरमतलम-तरुवन्ना-नालम्मिली-मानतवड़ी-कोट्टीकुलम-बावेली (राज्यीय सीमा)-मैसूर
		7. केरल में तलसेरी (रारा-17)-कुथुपारम्बा-मत्तान्नूर-इरुट्टी-कुट्टापुझा-(राज्यीय सीमा) विराजपेट्टाह-गोनीकोप्पा-हुन्सूर-मैसूर (रारा-212)
		8. तलसेरी-कुथुपारम्बा-कन्नावम-नेदुमपोल-मानतवाड़ी-पन्नामारम-सुल्तान बातेरी
XVI.	मध्य प्रदेश	1. हरेई-लोतिया-तामिया-जुन्नारदेव-बेतुल-खेड़ी-अवालिया-आशपुर (शापुर-खंडवा खंड को छोड़कर) खंडवा-देशगांव-भीकनगांव-खारगांव-जुलवानिया
		2. जबलपुर-खुंदाम-हीरापुर-डिंडोरी-अमरकंटक-छत्तीसगढ़ सीमा
		3. भंडरा-तुमसर (महाराष्ट्र से बारासेवनी-बालाघाट-बैहर-मोतीनाला वाया मवई से अमरकंटक)
		4. दमोह-हट्टा-गैसाबाद-सिमरिया- मोहिन्द्रा-पवई-नागौड़-बीरसिंहपुर- सिमरिया-सिरमौर-शाहगंज तक पूर्व अधिसूचित राष्ट्रीय राजमार्ग के संशोधन के पश्चात्
XVII.	महाराष्ट्र	1. तटवर्ती सड़क
		2. दुगुलूर-रायचूर
		3. कोल्हापुर-शोलापुर-लातूड-नांदेड़- यंतोडल-वर्धा-नागपुर
		4. धुले सोनगीर डोन्डइचा शाहदा मोलगी राज्यीय सीमा एमएसएच-1
		5. वापी पेठ नासिक निफड येवला वैजपुर औरंगाबाद जालना वातूर मंथा जिंतूर औंध वासमथ नांदेड़ बिलोली राज्यीय सीमा, एमएएसएच-2
		6. श्यामलाजी वघई वानी नासिक एमएएसएच-3
		7. इन्दौर जन्नेर सिलोड औरंगाबाद नागर शिरुर पुणे रोहा मुरुद एमएसएच-5
		8. रारा-6 खरबी गोवरी रजोला पेचखेड़ी परदी उमरेर वर्धा अर्नी उमरखेड़ वारंगा नांदेड़ लोहा औसा शोलापुर संगोला कोल्हापुर एमएसएच-6
		9. नरसी करादखेड़ राज्यीय सीमा एमएएसएच-7
		10. गुजरात राज्य सीमा तालोडा पथरई चेन्दवेल नामपुर मनमाड रहूरी नगर तेम्भूरनी मंगलवेध उमडी बोबलाद से राज्यीय सीमा एमएसएच-8
		11. नागपुर उमरेर मुल गोंदपिम्परी सिरोंचा से राज्यीय सीमा एमएसएच-9
		12. नांदेड मुदखेड भोकर किनवत से राज्यीय सीमा कोरपाना चिंचपाली मुल सावली धन्नोरा से राज्यीय सीमा एमएसएच-10
		13. राज्यीय सीमा गोंडिया सड़क अर्जुनी मोड़ गड़चिरोली अश्ति एमएसएच-11

1	2	3
		14. घोटी सिन्नार कोपारगांव लासूर जालना मेहकर तालेगांव वर्धा एमएसएच-12
		15. मलकापुर बुलदाणा चिखली अम्बाद वादीगोदरी एमएसएच-13
		16. बामनी बल्लारपुर यवतमाल चिखलदारा खंडवा एमएसएच-14
		17. बानकोटा मंदनगड भोर लोनंद नाटेपुटे पंदरपुर एमएसएच-15
		18. जेएनपीटी से एस.एच 54 (किमी. 6.400 से किमी. 14.550) का गावन फाटा खंड
		19. आमरा मार्ग (किमी. 0.00 से किमी. 6/200)
		20. अंकलेश्वर-बुरहनपुर राज्यीय राजमार्ग संख्या 4
		21. मिसिंग लिंग (एसएच-106) जयगड से रारा-17 (एनएचओ कार्यक्रम के अंतर्गत)
		22. अहमदनगर-बीड-परभानी सड़क से विद्यमान एमएसएच-2 तक सड़क
		23. एसएच-255ए (रारा-6 से रारा-69 तक) वाया गौंधखैरी-कालमेश्वर-सावनेर सड़क
		24. नागर-बीड़-नांदेड़ लिंक
		25. बूटीबोरी (नागपुर के निकट रारा-7 के साथ जंक्शन)-वदरा-यवतमाल-हडगांव-वारंगा-नादेड़-लोहा-अहमदपुर-लातूर-ओसा-तुलजापुर (रारा-211 के साथ जंक्शन-शोलापुर-सांगोल-मिराज-कोल्हापुर
		26. सिन्नरा (रारा-50 का जंक्शन) को शिरड़ी (एसएच-39) 60 किमी. तथा शिरटी से अहमदनगर (रारा-22 का जंक्शन) 100 किमी. (एसएच-10) 160 किमी. को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग
XVIII.	मेघालय	1. फुलबारी से नांगस्टोइन वाया तुरा सड़क
		2. अगिया-मेधिपाड़ा-फुलवाबरी-बारेंगपाड़ा सड़क
		3. अगिया-मेदीपाड़ा-फुलवाबारी-तुरा सड़क
		4. बिशनपुर से हाफलोंग सड़क वाया रेंगपांग
XIX.	मणिपुर	1. कांगपोकपी से तमेंगलोंग वाया तमेई
XX.	मिज़ोरम	1. कीतम से जोखावतर वाया खाउंबग सड़क
XXI.	नागालैंड	1. असम में बोकाजन-नागालैंड में रेंगमापानी-किफिरे
		2. हाफलौंग-माहुर-लायके-नागालैंड में कोहिमा
		3. नागालैंड में त्वेनसांग-असम में नांगिनी मोरा-शिवसारग (सिमुलगुडी)
		4. मोकोकचुंग और चाड़े के बीच सड़क जो कि रारा-61 और रारा-155 को जोड़ती है
		5. त्वेनसांग से तुली वाया मोन-टिजित
		6. दीमापुर से किपहिरे

1	2	3
XXII.	ओडिशा	1. कटक-पारादीप
		2. संबलपुर-राउरकेला सड़क
		3. जगतपुर-केन्द्रपाड़ा-चांदाबाली-भद्रक सड़क
		4. फुलबनखरा-चारीछाक-गोप-कोणार्क-पुरी
		5. बरहमपुर-कोरापुट सड़क
		6. काखिया-जाजपुर-अरदि-भद्रक सड़क
		7. करमदिही-सुबदेगा-तलसोरा-लुहाकेरा
		8. राउरकेला-रैनबहल-कानीबहल सड़क
		9. कुकुरभुका-लांजीबेरना-सलांग बहल सड़क
		10. जालेश्वर-बाटागांव-चंदनेश्वर सड़क
		11. ढेंकनाल-नारनपुर सड़क
		12. माधपुर-केराडा-सरंगादा-बालीगुडा-तुमिदिबंध-दुर्गापंगा-मुनिगुआ-कोम्टेलपेटा-रायागाडा
XXIII.	पुदुचेरी	1. करईकल-नेंदुनगदु-कुम्बकोणम-तंजोर सड़क
		2. करईकल-पेरालम-मईलादुतुरई-सिरकाली सड़क
		3. करईकल-पेरालम-तिरुवरुर सड़क
		4. सिरकाली-सेम्बानारकोइल-करईकल के साथ अक्कूर सड़क लिंक
		5. चेन्नै से पुदुचेरी तक पूर्वी तटीय सड़क
		6. गणपतिचेट्टीकुलम पर राजीव गांधी स्क्वायर से राज्य सीमा (एसएच-20)
		7. तिरुक्कनूर पर राजीव गांधी स्क्वायर से राज्य सीमा (एसएच-18)
		8. मारापलम से हार्बर (एसएच-19)
XXIV.	पंजाब	1. एसएच-25 अमृतसर-राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा-डेरा बाबा नानक-गुरदासपुर
		2. एसएच-22 कीरतपुर साहिब-आनंदपुर साहिब-नंगल-ऊना (हिमाचल प्रदेश से होते हुए) होशियारपुर
		3. तख्त श्री दमदमा साहिब (तलवंडी साबो) से संचखंड श्री हुजूर साहिब (नांदेड) तक गुरु गोबिंद सिंह मार्ग
XXV.	राजस्थान	1. बूंदी (रारा-12)-बिजोलिया
		2. मथुरा (रारा-2) भरतपुर-बनयाना-भदौती-सवाई माधोपुर-पालीघाट-इटावा-मंगरोल-बारन (रारा-76)

1	2	3
		3. मवली-भवनसोल-ओडेन-खन्मनौर-हल्दियाघाट लौसिंग-कुंभलगाढ़-चरभुजा (एसएच-49)
		4. जयपुर (रारा-8)-जोबनेर-कुचामन-नागौर-फलोदी (रारा-15)
		5. मंदसौर (रारा-79)-प्रतापगढ़ (रारा-113)-धारवाड़ा-सलुमबेर-डूंगरपुर- बिचिवाड़ा (रारा-8)
		6. श्री गंगानगर-हनुमानगढ़-टडलका मुंडा-नौहार-भदरा-राजगढ़-झुंझुनू-उदयपुरवटी-अजीतगढ़-शहपुरा (रारा-8)
		7. फतेहपुर (रारा-11)-झुंझुनू-चिड़ावा-सिंघाना-पचेरी (हरियाणा सीमा)-नारनौल-नमोल-रेवाड़ी (रारा-8)
		8. भरतपुर (रारा-11)-दीग-अलवर-बानसुर-कोटपुतली-नीम का थाणा-चाला-सीकर-नेचवा-सालासर (रारा-65)
		9. कोशी (रारा-2)-कामा-दीग-भरतपुर
		10. स्वरूपगंज (रारा-14)-सिरोही-जालोर-सिवार-बलोतरा (रारा-112)-फलोदी
		11. मथुरा-भरतपुर सड़क
		12. नसीराबाद-देवली सड़क
		13. कोटपुतली-सीकर सड़क
		14. स्वरूपगंज-कोटडा-सोम-खेरवाड़ रोड
		15. फलोदी-नागोर रोड
		16. श्रीडुंगरगढ़-सरदारसहर-पुलासर-जसरासर
		17. सवाईमाधोपुर-शिवपुरी (मध्य प्रदेश)
		18. गौमती-चौराहा-देसुरी-सदरी-अहोर-जालोर-बाड़मेर
		19. नागौर-दीदवाना-खुर-सीकर
		20. किरकी चौकी-भिंडर-सेलम्बूर-आसपुर-दुर्गापुर
		21. होडल-पुन्हाना-महारतपुर-रुपवास-धौलपुर
		22. रारा-8 पर चांदवाजी-चौमु-बागडु
		23. सिरोही-मांडर-दीसा (गुजरात)
		24. गुड़गांव-अलवर-सरिस्का-दौसा-सवाईमाधौपुर
		25. बाड़मेर (रारा-15)-जालोर-अहोर-सदरी-देसुरी-गौमती का चौराहा-कंकरौली-भीलवाड़ा-मंडलगढ़
		26. जयपुर (रारा-12)-दिग्गी-केकरी-शाहपुरा-मंडल-भीलवाड़ा (रारा-79)
		27. पाली-उदयपुर रोड

1	2	3
		28. गोमती चौराहा (रारा-8 पर) से पाली शहर वाया नोडल (रारा-14 पर) एसएच-16 और एसएच-67
		29. भरतपुर-मथुरा सड़क (एसएच-24, नया संख्यांकन एसएच-1)
		30. बाघेर से तीनधारा वाया मंदावर
		31. कोटा से गुना (वाया काथून, सांगोड़, बापावाड़, कवई, छाबड़ा, धारनवाड़ा और रुथ्थई)
XXVI.	सिक्किम	1. नाथुला से सिलीगुडी तक वैकल्पिक राष्ट्रीय राजमार्ग
		2. सिंगथम और चुंगथम होते हुए लाचुंग घाटी
		3. रांगपो और रोरथंग से गुजरते हुए रोंगली
		4. रानीपुल और रोराथंग से गुजरते हुए पाकयोंग
XXVII.	तमिलनाडु	1. सती-अथनी-भावनी सड़क (राज्यीय राजमार्ग संख्या 82)
		2. अविनाशी-तिरुप्पुर-पल्लादम-पोल्लाची-मीनकरई सड़क
		3. त्रिची-नमक्कल सड़क
		4. करुईकुडी-डिंडीगुल सड़क
		5. तिरुचिरापल्ली-लालगुडी-कल्लागुडी-उद्यानपालया-गंजईकोंड-चालपुरी-मी-कट्टुमन्नागडी-चिंदबरम
		6. तंजावुर-अदनाक्कोट्टाई-पुडुकोट्टई
		7. डिंडिगुल-नाथम-सिंगमपुनारी-तिरुपतुर देवकोट्टई रास्ता सड़क
		8. कुडलोर-चितूर सड़क
XXVIII.	त्रिपुरा	1. कुकीताल से सबरुम वाया धरमनगर-अमरपुर-फतिकरोय-मनु-खेवई-अमरपुर-जतनबाड़ी-सिल्चर-रूपईचारी
XXIX.	उत्तर प्रदेश	1. कुरावली-मैनपुरी-करहल-इटावा सड़क
		2. सिरसागंज-करहल-किशनी-विधुना-चौबेपुर सड़क
		3. बरेली-बदायूं-बिलसी-गजरौला-चांदपुर-बिजनौर सड़क
		4. लुम्बिनी दुधी राज्यीय राजमार्ग संख्या 5
		5. लखनऊ-बांदा
		6. पीलीभीत-बरेली-बदायूं-कासगंज-हाथरस-मथुरा-भरतपुर (राजस्थान सीमा)
		7. पडरौना-कसिया-देवरिया-दोहरीघाट-आजमगढ़ सड़क
		8. दिल्ली-यमनोत्री सड़क
		9. फतेहपुर मुजफ्फराबाद कलसिया सड़क

1	2		3
XXX.	उत्तराखंड	1.	हिमालयन राजमार्ग (हिमाचल सीमा-तुनी-चकराता-लाखवाड़-यमुना पुल-अलमोड़ा-लोहाघाट सड़क)
		2.	बाडवाला से जुड़ू (हरबरतपुर-बोडकोट बैंड)
		3.	बौखल-घुरदौरी-देवप्रयाग
		4.	कसौनी-भागेश्वर-कापकोट-क्यूटी-मंसूरी-मदकोट-जोलजीवी
		5.	अल्मोड़ा से घाट
XXXI.	पश्चिम बंगाल	1.	पश्चिम बंगाल में गलगलिया और बिहार सीमा से पूर्णिया तक
		2.	तुलिन (पश्चिम बंगाल-बिहार सीमा)-पुरुलिया-बांकुड़ा-विष्णुपुर- आरामबाग-वर्धमान-मोगरा-ईश्वर गुप्ता सेतु-कल्याणी-हरिनघाट - रारा-35 पर पेट्रोपोल (पश्चिम बंगाल-बांग्ला देश सीमा) तक
		3.	राधामोनी (रारा-41 पर)-पांसकुरा-घातल-आरामबाग-बर्द्धमान-मुरातीपुर-फुटीसांको-कुली-मोरेग्राम (रारा-34 पर)
		4.	गजोले-बुनियादपुर-ओस्तीराम-त्रिमोहिनी-हिल्ली
		5.	नयाग्राम (ओडिशा सीमा)-फेकोघाट-धरसा-नारायणपुर-सिलदा-बेनोगोनिया-फुलकुसोम-रायपुर-सिमलापाल-तालदंगाक-बांकुड़ा-दुर्गापुर (एसएच-9) पानागढ़-दुबराजपुर (एसएच-14)
		6.	मालदा से कटिहार साइड तक खंड (मालदा-रतवा-देवीपुर-फलाहार-कटिहार पर प्रस्तावित पुल)

विवरण-III

घोषित किए गए राष्ट्रीय राजमार्ग

(2010-11)

—शून्य—

(2011-12)

राज्य	नई रारा संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण	लगभग लंबाई (किमी.)
1	2	3	4
राजस्थान और उत्तर प्रदेश	123	राजस्थान में धौलपुर में रारा 23 के साथ अपने जंक्शन में प्रारंभ होकर राजस्थान में सेपउ को, उत्तर प्रदेश में सरेंधी को, राजस्थान में घटोली, रुपवास, खनुआवा (खनुआ) को जोड़ते हुए ऊंचा नंगला में समाप्त होने वाला राजमार्ग	80.00
राजस्थान	148डी	राजस्थान राज्य में भीम में रारा 58 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर रारा 48पर परसौली, गुलाबपुरा को, शाहपुरा, जहाजपुरा, हिंडोली, नैनवा को जोड़ते हुए रारा 552-पर उनियारा में समाप्त होने वाला राजमार्ग	266.00

1	2	3	4
राजस्थान और गुजरात	रारा-58 का विस्तार	राजस्थान राज्य में उदयपुर से प्रारंभ होकर कुमदल, नया खेडा, झाडोल, सोम, नालवा दैया को जोड़ते हुए गुजरात में ईदर में समाप्त होने वाला राजमार्ग	108.00
राजस्थान	458	राजस्थान राज्य में लाडनू में रारा 58 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर खाटू, डेगाना, मेड़ता सिटी, लांबिया, जैतरन, रायपुर को जोड़ते हुए रारा 58 पर भीम में समाप्त होने वाला राजमार्ग	224.00
राजस्थान	758	राजस्थान राज्य में राजसमंद में रारा-58 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर गंगापुर, भीलवाड़ा को जोड़ते हुए लाडपुरा में रारा 27 के साथ जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग	160.00
अरुणाचल प्रदेश, असम	315ए	असम राज्य में रारा-15 पर तिनसुकिया से प्रारंभ होकर नहरकटिया को जोड़ते हुए अरुणाचल प्रदेश में हुकनजूरी को जोड़ते हुए रारा-215 पर खोंसा में समाप्त होने वाला राजमार्ग	99.00
असम, मेघालय	127बी	असम राज्य में रारा-27 पर श्रीरामपुर से प्रारंभ होकर धुबरी को जोड़ते हुए मेघालय में फुलबाड़ी, तुरा, रोंगरांग, रोंजेंग को जोड़ते हुए रारा-106 पर नोंगस्टोइन में समाप्त होने वाला राजमार्ग	401.00
बिहार, झारखंड	333	बिहार राज्य में रारा-33 पर बरियापुर से प्रारंभ होकर खड़गपुर, लक्ष्मीपुर, जमुई, चकई को जोड़ते हुए झारखंड में देवगढ़ में समाप्त होने वाला राजमार्ग	163.00
बिहार	527सी	बिहार राज्य में रारा-27 पर मझोली से प्रारंभ होकर कटरा, जजुआर, पुपरी को जोड़ते हुए रारा-227 पर चरौट में समाप्त होने वाला राजमार्ग	70.00
बिहार	327 विस्तार	बिहार राज्य में रारा-327 (पश्चिम बंगाल/बिहार) पर गलगलिया से प्रारंभ होकर ठाकुरगंज, बहादुरगंज, अररिया, रानीगंज, भरगामा, त्रिवेणीगंज, पिपरा, सुपौल को जोड़ते हुए रारा-231 पर बनगांव (बरियाही बाजार) में समाप्त होने वाला राजमार्ग	225.00
बिहार	131ए	बिहार राज्य में रारा-31 पर मकटिहार से प्रारंभ होकर रारा-27 पूर्णिया में समाप्त होने वाला राजमार्ग	26.00
छत्तीसगढ़, झारखंड	343	छत्तीसगढ़ राज्य में रारा-43 पर अंबिकापुर से प्रारंभ होकर समरसोट, रामानुजगंज को जोड़ते हुए झारखंड रारा-39 पर गढ़वा में समाप्त होने वाला राजमार्ग	152.00
हरियाणा, राजस्थान	रारा-709 का विस्तार	हरियाणा राज्य में रारा-9 पर रोहतक से प्रारंभ होकर भिवानी, लोहानी, लोहारु को जोड़ते हुए राजस्थान में पिलानी को जोड़ते हुए रारा-52 पर राजगढ़ में समाप्त होने वाला राजमार्ग	175.00
हिमाचल प्रदेश	305	हिमाचल प्रदेश राज्य में रारा-5 पर सेंज से प्रारंभ होकर लुहरी, अनी, जलोरी, बंजार को जोड़ते हुए रारा-3 पर औट में समाप्त होने वाला राजमार्ग	97.00

1	2	3	4
झारखंड, पश्चिम बंगाल	114ए	पश्चिम बंगाल राज्य में रारा-14 पर रामपुरघाट से प्रारंभ होकर सुनरिचुआ को जोड़ते हुए झारखंड में शिकारीपाड़ा, दुमका, लकरा पहाड़ी, जामा, जर मुंडी, चौपा मोड़, देवगढ़, सारथ, मधुपुर, गिरीडीह को जोड़ते हुए रारा-19 पर डुमरी में समाप्त होने वाला राजमार्ग	310.00
मिज़ोरम	502ए	मिज़ोरम राज्य में रारा-2 पर लांग तलई से प्रारंभ होकर म्यांमार सीमा (कलादान सड़क) पर समाप्त होने वाला राजमार्ग	100.00
राजस्थान	रारा-162 का विस्तार	राजस्थान राज्य में रारा-62 पाली से प्रारंभ होकर मारवाड़, नाडोल, देसुरी, कुंबलगढ़, हल्दी घाटी, नाथद्वारा, मावली, को जोड़ते हुए रारा-27 पर भाटेवाड़ में समाप्त होने वाला राजमार्ग	250.00
राजस्थान	158	राजस्थान राज्य में रारा-58 पर मेडता से प्रारंभ होकर लांबिया, रास, ब्यावर, बडनूर, आसिंद को जोड़ते हुए रारा-48 पर मंडल में समाप्त होने वाला राजमार्ग	174.00
राजस्थान, मध्य प्रदेश	927ए	राजस्थान राज्य में रारा-27 पर स्वरूपगंज से प्रारंभ होकर कोटड़ा, खेरवाड़ डुंगरपुर, सांगवाड़ा, बांसवाड़ा को जोड़ते हुए मध्य प्रदेश राज्य में रतलाम में समाप्त होने वाला राजमार्ग	310.00
सिक्किम	310	सिक्किम राज्य में रारा-10 पर रानीपौल से प्रारंभ होकर बरदुख (प्रस्तावित गंगटोक बाइपास पर), मेनला को जोड़ते हुए नथुला में समाप्त होने वाला राजमार्ग	87.00
तमिलनाडु	532	तमिलनाडु राज्य में रारा-32 पर कुड्डालूर से प्रारंभ होकर वृद्धाचलम को जोड़ते हुए रारा-79 पर सलेम सड़क पर समाप्त होने वाला राजमार्ग	111.00
पश्चिम बंगाल	116बी	पश्चिम बंगाल राज्य में रारा-116 पर नंदकुमार से प्रारंभ होकर कोंटई, दिघा को जोड़ते हुए चंदनेश्वर में समाप्त होने वाला राजमार्ग	91.00
मणिपुर	102बी	मणिपुर राज्य में रारा-2 चूडाचांदपुर से प्रारंभ होकर सिंघाट, सिंजॉल, तुईवई सड़क को जोड़ते हुए म्यांमार सड़क पर समाप्त होने वाला राजमार्ग	178.00
मणिपुर	102ए	मणिपुर राज्य में रारा-2 पर तदुबी से प्रारंभ होकर पोमाता को जोड़ते हुए रारा-2 पर उखरुल में समाप्त होने वाला राजमार्ग	115.00
मणिपुर	137	मणिपुर राज्य में रारा-37 पर रिंगपांग से प्रारंभ होकर खोंसांग को जोड़ते हुए तामेंगलांग (तैंगलांग) में समाप्त होने वाला राजमार्ग	65.00
उत्तर प्रदेश	330ए	उत्तर प्रदेश राज्य में रारा-30 पर रायबरेली से प्रारंभ होकर जगदीशपुर को जोड़ते हुए रारा-27 पर फैजाबाद में समाप्त होने वाला राजमार्ग	227.00
उत्तर प्रदेश	730	उत्तर प्रदेश राज्य में रारा-30 पर पीलीभीत से प्रारंभ होकर पूरणपुर, कुट्टर, गोला गोरखनाथ, लखीमपुर, ईशानगर, ननपाड़ा (रारा-927 पर) बहराइच (रारा-927 पर) बलरामपुर, महाराजगंज को जोड़ते हुए रारा-727 पर पडरौना में समाप्त होने वाला राजमार्ग	519.00

1	2	3	4
उत्तर प्रदेश	730ए	उत्तर प्रदेश राज्य में रारा-30 पर मलकानगंज से प्रारंभ होकर पयावन को जोड़ते हुए रारा-730 पर पूरणपुर में समाप्त होने वाला राजमार्ग	110.00
उत्तर प्रदेश	931	उत्तर प्रदेश राज्य में रारा-31 पर प्रतापगढ़ से प्रारंभ होकर अमेठी, गौरीगंज, मुसाफिरखाना को जोड़ते हुए रारा-731 पर जगदीशपुर में समाप्त होने वाला राजमार्ग	114.00
उत्तर प्रदेश	931ए	उत्तर प्रदेश राज्य में रारा-31 पर सलोन से प्रारंभ होकर जायस को जोड़ते हुए रारा-731 पर जगदीशपुर में समाप्त होने वाला राजमार्ग	60.00
		(2012-13)	
जम्मू और कश्मीर	301	जम्मू और कश्मीर में रारा-1 से प्रारंभ होकर झंसकार (झंसकार रोड) पर समाप्त राष्ट्रीय राजमार्ग	234.00
जम्मू और कश्मीर	701	जम्मू और कश्मीर में रारा-1 पर बारामुला से प्रारंभ होकर रफियाबाद, कुपवाडा को जोड़ते हुए तंगधार में समाप्त राष्ट्रीय राजमार्ग	126.00
झारखंड और ओडिशा	220	झारखंड राज्य में रारा-20 पर चाइबासा से शुरू होकर गोविंदपुर, हाता को जोड़ते हुए तथा तिंरगीडिह, रैंगपुर, (रैंगनगर, जशीपुर को जोड़ते हुए ओडिशा राज्य में धनकीकोट के समीप रारा-20 के साथ उसके जंक्शन पर समाप्त राष्ट्रीय राजमार्ग	झारखंड 54.00 ओडिशा 113.00
ओडिशा और आंध्र प्रदेश	326	ओडिशा राज्य में असीका के निकट रारा-59 के साथ उसके जंक्शन से शुरू होकर रायगढ़, कोरापुट, जेपोर, मल्कानगिरी, मोटू को जोड़ते हुए आंध्र प्रदेश में चिंतुरु के निकट रारा-30 पर समाप्त राष्ट्रीय राजमार्ग	ओडिशा 391.00 आंध्र प्रदेश 13.00
ओडिशा	153बी	ओडिशा राज्य में रारा-53 पर सारापाल से प्रारंभ होकर नकटीडवेल, राधाखोल, रारा-55 को जोड़ते हुए रारा-57 पर बौदा पर समाप्त राष्ट्रीय राजमार्ग	88.00
ओडिशा	157	ओडिशा राज्य में पुराना कटक के समीप रारा-57 पर इसके जंक्शन से प्रारंभ होकर फुलबनी, कलिंग, भांजानगर को जोड़ते हुए रारा-59 पर असीका के निकट समाप्त राष्ट्रीय राजमार्ग	120.00
महाराष्ट्र	161	महाराष्ट्र राज्य में रारा-61 पर नांदेड से प्रारंभ होकर हिंगोली, वाशिम को जोड़ते हुए रारा-53 पर अकोला में समाप्त राष्ट्रीय राजमार्ग	229.00
आंध्र प्रदेश	67 विस्तार	आंध्र प्रदेश राज्य में रारा-40 पर मैदूकूरु से प्रारंभ होकर बदलेव, अतमाकुर, नेल्लूर को जोड़ते हुए कृष्णापत्तनम पत्तन पर समाप्त राष्ट्रीय राजमार्ग	193.00
आंध्र प्रदेश और कर्नाटक	167	कर्नाटक राज्य में रारा-67 पर हग्गारी से प्रारंभ होकर आंध्र प्रदेश में अल्लूर, अदौनी, मंत्रालय को जोड़ते हुए और कर्नाटक में रायपुर को जोड़ते हुए तथा महबूबनगर को जोड़ते हुए आंध्र प्रदेश राज्य में रारा-44 पर जदचेरला पर समाप्त राष्ट्रीय राजमार्ग	आंध्र प्रदेश 205.00 कर्नाटक 67.00

1	2	3	4
कर्नाटक और आंध्र प्रदेश	150	कर्नाटक राज्य में रारा-50 पर कालबूरगी (गुलबर्गा) से प्रारंभ होकर वाडी, यादगीर को जोड़ते हुए आंध्र प्रदेश राज्य में रारा-167 पर कृष्णा पर समाप्त राष्ट्रीय राजमार्ग	कर्नाटक 117 आंध्र प्रदेश 108
झारखंड और बिहार	133	बिहार राज्य में रारा-33 पर उसके जंक्शन से प्रारंभ होकर गोडा को जोड़ते हुए झारखंड राज्य में रारा-114-ए पर चौपामोरे पर समाप्त राष्ट्रीय राजमार्ग	झारखंड 150 बिहार 7
बिहार	327ए	बिहार राज्य में रारा-327 पर सुपौल से प्रारंभ होकर रारा-27 पर भापतिहाई पर समाप्त राष्ट्रीय राजमार्ग	25
बिहार	122ए	बिहार राज्य में रारा-22 पर विश्वनाथपुर से प्रारंभ होकर रारा-527-सी पर नानपुर पर समाप्त राष्ट्रीय राजमार्ग	30
जम्मू और कश्मीर	501	जम्मू और कश्मीर राज्य में रारा-1 पर इसके जंक्शन से प्रारंभ होकर पंचतारीनी, चंदनवाडी, पहलगांव, बाटाकुट, मार्तंड को जोड़ते हुए रारा-44 पर खानबल पर समाप्त राष्ट्रीय राजमार्ग	90
राजस्थान	162ए शायद 162 विस्तार	राजस्थान राज्य में रारा-162 पर मावली से प्रारंभ होकर फतेहनगर, दरीबा, रेलमार्ग को जोड़ते हुए रारा-758 पर खंडेल में समाप्त राष्ट्रीय राजमार्ग	50
गुजरात और महाराष्ट्र	848	महाराष्ट्र राज्य में रारा-48 पर थाणे से प्रारंभ होकर नासिक, पेंट, कपराडा को जोड़ते हुए गुजरात राज्य में रारा-48 पर पारदी में समाप्त राष्ट्रीय राजमार्ग	गुजरात 55 महाराष्ट्र 206
आंध्र प्रदेश	42	आंध्र प्रदेश राज्य में रारा-67 पर इसके जंक्शन से प्रारंभ होकर उरवाकोडा, अनंतपुर, कादली, मदनापल्ली, कुप्पम को जोड़ते हुए तमिलनाडु राज्य में कृष्णागिरी के समीप रारा-44 पर इसके जंक्शन पर समाप्त राष्ट्रीय राजमार्ग	66
कर्नाटक	67	कर्नाटक राज्य में रारा-748 पर रामनगर से प्रारंभ होकर धारवाड, हुबली, गडग, कोपल, होस्पेट, बेल्लारी को जोड़ते हुए आंध्र प्रदेश राज्य में गुटी के समीप रारा-44 पर इसके जंक्शन पर समाप्त राष्ट्रीय राजमार्ग	83
राजस्थान और गुजरात	58 (पहले से घोषित का विस्तार)	राजस्थान राज्य में फतेहपुर के समीप रारा-52 से प्रारंभ होकर लाडनू, नागौर, मेड़ता सिटी, अजमेर, ब्यावर, देवगढ, उदयपुर, कुमदल, नयाखेडा, झोडल, सोम, नलवादैया को जोड़ते हुए गुजरात राज्य में इदर, वडाली, धरोही, सतलासाना को जोड़ते हुए रारा-27 पर पालनपुर में समाप्त राष्ट्रीय राजमार्ग	93 (गुजरात में)
महाराष्ट्र	348	महाराष्ट्र राज्य में पालस्पे के समीप रारा-48 पर उसके जंक्शन से प्रारंभ होकर जेएनपीटी (राज्यीय राजमार्ग-54 का गवनफाटा खंड, 6/400 किमी. से 14/550 किमी. तक) और आमरामार्ग (0.00 किमी. से 6/500 किमी. तक) को जोड़ते हुए पालमबीच रोड के जंक्शन पर समाप्त राष्ट्रीय राजमार्ग	18.00

1	2	3	4
गुजरात और मध्य प्रदेश	56	राजस्थान राज्य में चित्तौड़गढ़ के समीप रारा-27 के जंक्शन से प्रारंभ होकर निम्बाहेडा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा को जोड़ते हुए गुजरात राज्य में झालौड़, कुम्बी, दहोड52 किमी. मध्य प्रदेश में भावरा, अलीराजपुर को जोड़ते हुए गुजरात राज्य में बोदीर, छोटा उदयपुर, राजपीपला, नेतरांग, व्यारा, बांसडा, धर्मपुर को जोड़ते हुए रारा-48 के वापी पर समाप्त राष्ट्रीय राजमार्ग	गुजरात 399 किमी. मध्य प्रदेश
		(2012-13)	
		(22.03.2013)	
असम	127सी	असम के चिरांग जिले में रारा-27 से प्रारंभ होने वाला और भारत/भूटान सीमा पर समाप्त होने वाला राजमार्ग	40
असम	127डी	असम के कामरुप जिले में रारा-27 से प्रारंभ होने वाला और भारत/भूटान सीमा पर समाप्त होने वाला राजमार्ग	49
आंध्र प्रदेश	340	आंध्र प्रदेश राज्य में रारा-40 पर रायचोटी से प्रारंभ होने वाला चिन्नामंदेम, गुर्रमकोंडा को जोड़ते हुए तथा करबलाकोटा के निकट रारा-42 के जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग	58
महाराष्ट्र	160	महाराष्ट्र राज्य में रारा-60 पर सिन्नर से प्रारंभ होने वाला शिरडी को जोड़ते हुए और अहमदनगर के निकट रारा-61 के जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग	160
महाराष्ट्र	361	महाराष्ट्र राज्य में रारा-52 पर तुलजापुर से प्रांरभ होने वाला लातूर, अहमदपुर, नांदेड यवतमाल, वर्धा को जोड़ते हुए तथा बूटी बोरी के निकट रारा-44 के जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग	445
महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश	363	महाराष्ट्र राज्य में रारा-63 पर सिरोंचा से प्रारंभ होने वाला महादेवपुर, पारकल को जोड़ते हुए तथा आंध्र प्रदेश राज्य में आत्मापुर के निकट रारा-163 के जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग	80
आंध्र प्रदेश	365	आंध्र प्रदेश राज्य में रारा-65 पर नकरेक्कल से प्रारंभ होने वाला तुंगातूरती, महबूबाबाद, नरसमपेट को जोड़ते हुए और मल्लमपल्ली के निकट रारा-163 के जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग	105
आंध्र प्रदेश	565	आंध्र प्रदेश राज्य में रारा-65 पर नकरेक्कल से प्रारंभ होने वाला नलगोंडा, मचरेला, ईरागोंडापल्लम, कानीगिरी, रापुर, वेंकटगिरी को जोड़ते हुए और इरपेडू के निकट रारा-71 के जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग	465
आंध्र प्रदेश	765	आंध्र प्रदेश राज्य में हैदराबाद (रारा-44 और रारा-40 का जंक्शन) से प्रारंभ होने वाला मैसराम, अमनगल, वेदंडा, कलवाकुर्ती, आचमपेट,	280

1	2	3	4
		श्रीसैलम, डोरनाला को जोड़ते हुए और टोकापाले के निकट रारा-565 के जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग	
महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश	161	महाराष्ट्र राज्य में रारा-53 पर अकोला से प्रारंभ होने वाला वासिम, हिंगोली, नांदेड, डिगलूर को जोड़ते हुए और आधं प्रदेश राज्य में सांगारेड्डी के निकट रारा-65 के जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग	219
महाराष्ट्र	166	महाराष्ट्र राज्य में रत्नागिरी से प्रारंभ होने वाला टिंक, पाली, कोल्हापुर, सांगोले को जोड़ते हुए और शोलापुर के निकट रारा-65 के जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग	255
कर्नाटक और आंध्र प्रदेश	67	कर्नाटक राज्य में रारा-748 पर रामनगर से प्रारंभ होने वालाधारवाड, हुबली, गड़ग, कोप्पल, होसपेट, बेल्लारी को जोड़ते हुए और आंध्र प्रदेश राज्य में रारा-16 पर गुट्टी, टाडापतरी, मुद्दानरु, मैदूकुरु, बाडवेल, आत्माकुर, नेल्लौर को जोड़ते हुए और कृष्णापट्टनम पत्तन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग	160
आंध्र प्रदेश	71	आंध्र प्रदेश राज्य में रारा-42 पर मदनपल्ले से प्रारंभ होने वाला पिल्लेरु, तिरुपति, रेनूगुंटा, इरपेडू को जोड़ते हुए और नायूडूपेटा के निकट रारा-16 के जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग	50
		17.04.2013	
गुजरात, दादरा और नगर हवेली और महाराष्ट्र	848ए	गुजरात राज्य में वापी के निकट रारा-48 से प्रारंभ होने वाला दादरा-पिपरिया (पिपरिया) — सिलवासा-उलतानफालिया - भुरकुडफालिया-खडोल-सुरंगी — दादरा और नगर हवेली संघ शासित क्षेत्र में वेलूगम को जोड़ते हुए और महाराष्ट्र राज्य में तेलसारी के निकट रारा-48 के जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग	गुजरात 10.80 दादरा और नगर हवेली 31.00 महाराष्ट्र 5.20
		16.05.2013	
बिहार और पश्चिम बंगाल	131ए	पश्चिम बंगाल राज्य में मालदा से प्रारंभ होने वाला और रतुआ और देबीपुर को जोड़ते हुए, बिहार राज्य में, रारा-31 पर अहमदाबाद, मनिहारी, कटिहार को जोड़ते हुए और रारा-27 पर पूर्णियां पर समाप्त होने वाला राजमार्ग	पश्चिम बंगाल 52.0 बिहार 52.0
		31.07.2013	
उत्तर प्रदेश	330	उत्तर प्रदेश राज्य में इलाहाबाद के निकट रारा-30 के जंक्शन से प्रारंभ होने वाला प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अयोध्या, नवबगंज, गोंडा को जोड़ते हुए और बलरामपुर के निकट रारा-730 के जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग	88

[अनुवाद]

मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकना

***154. श्री एन. धरम सिंह :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्थापित हाथी गलियारों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने हाथियों सहित वन्यजीवों के गांवों में प्रवेश करने और जनजीवन को भारी नुकसान पहुंचाए जाने की ओर ध्यान दिया है, जिससे हाथी मानव बस्तियों में समस्या उत्पन्न कर रहे हैं तथा देश में फसलों और सम्पत्ति को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार बढ़ती मानव-हाथी संघर्ष की घटनाओं को रोकने के लिए देश में और अधिक हाथी गलियारे स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान हाथी परियोजना के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) देश में हाथी गलियारा स्थापित करने की कोई प्रक्रिया नहीं है। तथापि, पर्यावरण और वन मंत्रालय की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम "हाथी परियोजना" (सीएसएस-पीई) के एक भाग के रूप में क्रमश: 138, 28 और 17 राज्य, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय हाथी गलियारों की पहचान की गई है। इससे संबंधित राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत, इन क्षेत्रों में केंद्रीय सहायता हेतु अर्हकारी कार्य-कलाप निम्नवत् हैं:—

(i) वृक्षारोपण संवर्धन/पारि-बहाली द्वारा पर्यावासों/गलियारों का सुधार

(ii) आक्रामक प्रजातियों को हटाया जाना

(iii) जल निकायों/लवणलेह का सृजन

(iv) अग्नि से सुरक्षा के उपाय

(v) अधिग्रहण और पुनर्वास सहित गलियारों/प्रवास मार्गों और रास्तों की पारिस्थितिकीय बहाली

(vi) मृदा और जल संरक्षण उपाय

हाथी वाले राज्यों से अभिज्ञात गलियारों की सुरक्षा का अनुरोध किया गया है और इसके लिए उन्हें सीएसएसपीई के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(ख) और (ग) जी, हां। मानव-पशु संघर्ष को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इस समस्या को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:—

(i) वनों में आहार और जल उपलब्धता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों जैसे वन और वन्यजीव क्षेत्रों में सुधार हेतु 'वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास', 'बाघ परियोजना' 'हाथी परियोजना' की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है जिससे वनों से निवारा स्थानों में पशुओं के प्रवास में कमी हो सकती है।

(ii) वन्य पशुओं के आक्रमण रोकने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों के चारों ओर सीमा दीवार और सौर-ऊर्जा विद्युत बाड़ जैसे अवरोधकों का निर्माण। केंद्रीय सहायता हेतु ये कार्य-कलाप भी उपयुक्त हैं।

(iii) अभिज्ञात समस्यात्मक पशुओं को शामक औषधि देकर शांत करने और प्राकृतिक पर्यावास में उनके पुनर्स्थापन अथवा बचाव केंद्रों में उनके पुनर्वास के लिए आवश्यक अवसंरचना और सहायता सुविधाओं का विकास।

(iv) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य वन्यजीव वार्डनों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अंतर्गत समस्यात्मक पशुओं का शिकार करने की अनुमति देने की शक्ति प्रदान की गई है।

(v) वन्य पशुओं की दहशत और आक्रमणों के मामले में क्या करें क्या न करें के बारे में लोगों को संवेदनशील बनाने और जागरूकता उत्पन्न करने का कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

(vi) संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन में समुदायों का सहयोग प्राप्त करने के लिए संरक्षित क्षेत्रों के आस-पास के गांवों में पारि-विकास कार्य-कलाप शुरू किए गए हैं जिनमें मानव-पशु संघर्ष के बारे में लोगों की शिकायतें निपटाने की कार्रवाई शामिल है।

(घ) देश में हाथी गलियारा स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) केंद्रीय प्रायोजित स्कीम "हाथी परियोजना", जो हाथियों के संरक्षण हेतु व्यापक कार्यक्रम है और जिसमें हाथी पर्यावासों तथा गलियारों की सुरक्षा करने के लिए सहायता देना शामिल है, के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य-वार जारी की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

अभिज्ञात हाथी गलियारों की सूची

राज्य में स्थित गलियारे		अंतर्राज्यीय गलियारे		अंतर्राष्ट्रीय गलियारे	
राज्य	संख्या	राज्य	संख्या	देश	संख्या
मेघालय	26	झारखंड, ओडिशा	8	भारत-बांग्ला	6
ओडिशा	21	अरुणाचल प्रदेश, असम	4	भारत-भूटान	4
तमिलाडु	19	कर्नाटक तमिनलाडु	4	भारत-म्यांमार	4
असम	15	असम, नागालैंड	3	भारत-नेपाल	3
पश्चिम बंगाल	14	झारखंड, पश्चिम बंगाल	3		
केरल	12	अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड	2		
कर्नाटक	9	झारखंड, मध्य प्रदेश	1		
अरुणाचल प्रदेश	8	ओडिशा, पश्चिम बंगाल	1		
झारखंड	6	कर्नाटक, केरल	1		
उत्तराखंड	5	केरल, तमिलनाडु	1		
उत्तर प्रदेश	3				
कुल	138		28		17

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "हाथी परियोजना" के अंतर्गत राज्य-वार जारी की गई धनराशि

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	15.00	—	11.28	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	10.00	55.00	—	83.48
3.	असम	139.55	200.00	250.00	173.00
4.	छत्तीसगढ़	75.00	150.00	60.29	49.622
5.	झारखंड	80.00	105.87	59.512	65.655

1	2	3	4	5	6
5.	कर्नाटक	300.76	261.83	240.296	325.412
7.	केरल	265.39	282.55	294.89	195.01
8.	महाराष्ट्र	29.00	20.29	20.47	18.682
9.	मेघालय	103.838	128.52	106.875	101.00
10.	नागालैंड	41.30	25.00	18.75	17.40
11.	ओडिशा	113.50	214.60	210.00	206.00
12.	तमिलनाडु	226.879	228.49	250.312	211.00
13.	त्रिपुरा	—	6.00	5.77	—
14.	उत्तर प्रदेश	80.15	49.30	14.76	—
15.	उत्तराखंड	206.82	141.99	161.46	115.068
16.	पश्चिम बंगाल	410.206	224.50	91.865	97.626
17.	हरियाणा	100.00	—	—	—
	कुल	2197.393	2093.94	1796.53	1688.955

व्यापार सुविधा समझौता

***155. श्री रुद्रमाधव राय :**
डॉ. किरोड़ी लाल मीणा :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार व्यापार के सरलीकरण हेतु विश्व व्यापार संगठन के साथ कोई समझौता करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने विश्व व्यापार संगठन में व्यापार सुविधा समझौते के संबंध में वार्ता शुरू करने हेतु कोई शर्त रखी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर विकसित और विकासशील देशों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार ब्रिक्स राष्ट्रों सहित अन्य विकासशील देशों के साथ उक्त मुद्दों पर वार्ता करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या प्रगति की गई है;

(घ) क्या विश्व व्यापार संगठन की वार्ता विश्वव्यापी व्यापार सुधारों पर जेनेवा में हुई बैठक के दौरान सदस्य देशों के बीच गंभीर मतभेदों के कारण व्यापार समझौते के पाठ पर सहमति जताने में विफल हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इसका विश्व में भारत के व्यापार और रोजगार के अवसरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) जी, हां, 3–7 दिसंबर, 2013 के दौरान बाली में आयोजित डब्ल्यूटीओ के नवें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में, व्यापार सुगमीकरण के संबंध में एक बहुपक्षीय करार का अनुसमर्थन किया गया।

यह करार डब्ल्यूटीओ व्यापार सुगमीकरण वार्ता का परिणाम है जो वर्ष 2004 में शुरू की गई थी और इस वर्ष उपर्युक्त नवें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में समाप्त हुई।

इस करार में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर पारगमन में शामिल वस्तुओं सहित वस्तुओं के परिवहन, उन्हें जारी करने तथा स्वीकृति से संबंधित प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए बहुपक्षीय व्यापार नियम शामिल हैं। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में विकासशील तथा अल्पविकसित देशों की क्षमता निर्माण हेतु सहायता एवं समर्थन में वृद्धि करना भी है। इसके अतिरिक्त, इसमें

व्यापार सुगमीकरण तथा सीमा-शुल्क अनुपालन संबंधी मुद्दों पर डब्ल्यूटीओ सदस्यों के बीच प्रभावशाली सहयोग हेतु प्रावधान शामिल हैं।

यह करार इस संबंध में डब्ल्यूटीओ द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रवर्तित होगा।

(ख) डब्ल्यूटीओ व्यापार सुगमीकरण संबंधी वार्ता जुलाई 2004 के कार्यढांचा करार जिस पर भारत ने हस्ताक्षर किये थे, में उल्लिखित रूप-रेखाओं के अनुसार वर्ष 2004 में आरंभ की गई थी। जुलाई 2004 के कार्यढांचा करार में अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान भी है कि इस वार्ता के परिणामों में विकासशील तथा अल्पविकसित देशों हेतु विशेष एवं विभेदकारी व्यवहार के सिद्धांत को पूर्णत: शामिल किया जाएगा।

(ग) जी, हां। अल्पविकसित देशों सहित विकासशील देशों के हितों की रक्षा एवं सुदृढ़ीकरण के मद्देनजर भारत तथा समान सोच रखने वाले अन्य विकासशील देशों ने इस व्यापार सुगमीकरण करार पर वार्ता की थी। इस संबंध में भारत ने इस वार्ता में शामिल विभिन्न मुद्दों पर ब्रिक्स राष्ट्रों सहित अन्य विकासशील देशों के साथ अपने मत का बारीकी से समन्वयन किया। इसके परिणामस्वरूप भारत की अधिकांश मांगों और चिंताओं का इस करार में समुचित रूप से समाधान किया गया है।

(घ) यद्यपि अक्तूबर-नवंबर 2013 के दौरान आयोजित लंबी एवं गहन बातचीत के बावजूद जेनेवा में व्यापार सुगमीकरण करार के पाठ को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका था तथापि डब्ल्यूटीओ सदस्य दिनांक 7 दिसंबर, 2013 को नवें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दौरान उनके द्वारा किये गये अनुवर्ती प्रयासों के परिणामस्वरूप एक स्पष्ट पाठ को पारित करने पर सहमत हुए। इस प्रकार व्यापार सुगमीकरण संबंधी डब्ल्यूटीओ वार्ता असफल नहीं रही।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

रक्षा कर्मियों का मानसिक स्वास्थ्य

***156. श्री वरुण गांधी :**
प्रो. सौगत राय :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र बलों में भ्रातृहत्या की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी सेवा-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा विभिन्न मनोवैज्ञानिक और सामाजिक मुद्दों, जो रक्षा कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और जिनके परिणामस्वरूप उनका व्यवहार हिंसात्मक हो जाता है, के बारे में उन्हें और उनके परिवारों को जागरूक बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और जारी की गई; और

(ङ) सरकार द्वारा इस मुद्दे का समाधान करने के लिए क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) सशस्त्र सेनाओं में भ्रातृहत्या की घटनाओं के ब्यौरे निम्नवत् हैं:—

वर्ष	सेना	नौसेना	वायु सेना
2010	5	शून्य	शून्य
2011	4	शून्य	शून्य
2012	1	शून्य	शून्य
2013 (10.12.2013 की स्थिति के अनुसार)	3	शून्य	शून्य

भ्रातृहत्या करने के संभावित कारण बनाने वाले कारक निम्नवत् हैं:—

(i) तनाव

(ii) व्यक्तिगत समस्याएं

(iii) वित्तीय समस्याएं

(ग) से (ङ) सरकार ने मनोवैज्ञानिक-सामाजिक मामलों के बारे में जागरूकता का प्रसार करने और भ्रातृहत्या की घटनाओं की रोकथाम के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं द्वारा मनोवैज्ञानिक परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कार्यशालाओं का आयोजन, यूनिट के दैनन्दिन कार्य के भाग के रूप में योग और ध्यान का आयोजन, शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करना, बेहतर आधारभूत संरचना और सुविधाओं का प्रावधान करके जीवन-यापन और कार्य करने की दशाओं में सुधार, अतिरिक्त कुटुम्ब आवास, सीमावर्ती क्षेत्रों से सैन्य टुकड़ियों के संचलन के लिए सुविधाएं और उदारीकृत अवकाश नीति शामिल हैं। ये उपाय सशस्त्र सेनाओं के मौजूदा संसाधनों और कार्मिक संख्या के भीतर किए जाते हैं।

सड़क क्षेत्र के लिए स्वतंत्र विनियामक

***157. श्री नामा नागेश्वर राव :**
श्री असादूद्दीन ओवेसी :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, प्रबंधन और रख-रखाव की निगरानी करने के विनियामक के साथ-साथ कार्यकारी एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सड़क प्रयोक्ताओं सहित सभी संबंधित हितधारकों की चिंताओं का समाधान करने के लिए सड़क क्षेत्र के लिए एक स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नान्डीज) : (क) और (ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है जिसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 नामक संसदीय अधिनियम के माध्यम से सृजित किया गया है जोकि एक क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में काम करता है और राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, प्रबंधन व अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सड़क प्रयोक्ताओं के हितों से संबंधित समस्त पहलुओं की देख रेख करने व निगरानी रखने के लिए चुना गया है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्माण कार्य, मरम्मत और स्ट्रीट लाइटिंग कार्य समय पर पूर्ण करना तथा माडल रियायत करार (एमसीए) के प्रावधानों के अनुसार सुरक्षा व तकनीकी पहलुओं, कार्यों का सेवा स्तर, जाम इत्यादि जैसी अन्य सभी यात्री सुविधाओं को देखना आदि शामिल है।

(ग) से (ङ) सरकार ने वित्तीय तनाव, बढ़े हुए निर्माण जोखिम और संविदा प्रबंधन विषयों जैसी उन चुनौतियों का सामना करने के लिए सड़क क्षेत्र हेतु एक विनियामक प्राधिकरण गठित करने की घोषणा की है जिन्हें स्वतंत्र नियामक द्वारा ही अच्छे से देखा जा सकता है। प्रस्तावित विनियामक के कार्यक्षेत्र, स्वायत्ता की सीमा और इसके कानूनी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करने के लिए प्रस्तावित स्वतंत्र विनियामक स्थापित करने के मुद्दे पर विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श किया गया है। इस संबंध में टिप्पणियां एवं सुझाव प्राप्त करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों में पहले ही एक प्रस्ताव परिचालित कर दिया गया है। चूंकि अभी प्रस्तावित विनियामक का कार्य क्षेत्र, स्वायतत्ता की सीमा और इसके विधान जैसे विषयों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, कोई समय सीमा का उल्लेख करना संभव नहीं है।

रेशम कीट पालन उद्योग

***158. श्री वैजयंत पांडा :**
श्री एम.के. राघवन :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में उत्पादित कच्चे रेशम, रेशम के धागे और रेशमी कपड़े का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान आयातित कच्चे रेशम और निर्यातित रेशम उत्पादों की देश-वार मात्रा और मूल्य क्या है;

(ग) क्या रेशम पर आयात शुल्क में कमी करने के कारण सस्ते चीनी रेशम की डम्पिंग होने से रेशम कीट पालन उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा कर्नाटक सहित देश में रेशम कीट पालन किसानों/बुनकरों के संरक्षण हेतु क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा रेशम के उत्पादन में वृद्धि करने/इसकी गुणवत्ता में सुधार लाने सहित रेशम उद्योग के विकास हेतु क्या प्रयास किए गए हैं तथा उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ योजना/राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई और इसके परिणामस्वरूप क्या प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त की गईं?

वस्त्र मंत्री (डॉ. के.एस. राव) : (क) देश में पिछले 3 वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान कच्ची रेशम, रेशम यार्न तथा रेशम फैब्रिक उत्पादन का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:–

वर्ष	कच्चरी रेशम उत्पादन (मी. टन में)						सिल्क यार्न उत्पादन* (मी. टन)	रेशम फैब्रिक्स उत्पादन* (लाख वर्ग मीटर)
	मलबरी	वान्या				कुल योग		
		तसर	एरी	मूगा	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2010-11	16360	1166	2760	124	4050	20410	880	4233.73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2011-12	18272	1590	3072	126	4788	23060	1125	4705.32
2012-13	18715	1729	3116	119	4964	23679	1155	4638.96
2013-14 (अन.)*	7653	1238	1775	72	3085	10738	525	1999.95

*अनं. : अनुमानित

स्रोत: संबंधित रेशम उत्पादरक राज्यों के डीओएस; (अप्रैल-सितंबर 2013-14)

पिछले तीन वर्ष के दौरान एवं चालू वर्ष में राज्य-वार कच्ची रेशम का उत्पादन संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में देश में आयातित कच्ची रेशम की मात्रा और मूल्य नीचे तालिका में दिया गया है:—

वर्ष	आयातित कच्ची रेशम	
	मात्रा (मी. टन में)	मूल्य (रुपए करोड़ में)
2010-11	5820	927.59
2011-12	5685	1111.53
2012-13	4959	1238.56
2013-14 (अनं.)* अप्रैल-सितम्बर	1775	473.28

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता।

पिछले तीन वर्ष दौरान और चालू वर्ष के दौरान रेशम और रेशम वस्तुओं के निर्यात का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

मदें/उत्पाद रेशम/रेशम वस्तुओं का उत्पादन

(मूल्य करोड़ रुपए में)

वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14* (अनं.)
1	2	3	4	5
प्राकृतिक रेशम यार्न	39.38	19.68	21.96	4.23
फैब्रिक्स, मेड अप्स	2083.82	1497.97	1410.31	418.91
सिलेसिलाए परिधान	683.31	765.83	787.14	644.20
रेशम कालीन	21.10	20.08	21.14	5.18
रेशम अपशिष्ट	36.14	49.77	62.97	45.56
कुल	2863.75	2353.33	2303.53	1118.08

*अप्रैल-सितंबर अवधि के दोरान उपलब्धि।

अनं. : अनंतिम

पिछले तीन वर्षों के दौरान (2010-11, 2011-12 एवं 2012-13) आयातित कच्ची रेशम की मात्रा एवं मूल्य तथा निर्यात किए गए रेशम उत्पादों का देश-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II (क एवं ख) में दिया गया है। चालू वर्ष हेतु देश-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) डंपिंग के प्रभाव का निर्धारण करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है। यद्यपि, सरकार कर्नाटक सहित देश-भर के रेशम उत्पदक किसानों/बुनकरों को सुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठा रही है:—

(i) जनवरी 2003 में चीन से अमेरिकी डॉलर 27.27/किग्रा. के संदर्भ मूल्य पर सस्ते आयात वाली 2ए ग्रेड एवं निम्न स्तर की कच्ची रेशम पर पाटनरोधी शुल्क (एंटी-डंपिंग ड्यूटी) लागू की गई थी तथा यह अमेरिकी डॉलर 37.32 प्रति किग्रा. के बढ़े हुए संदर्भ मूल्य के साथ जनवरी, 2014 तक प्रभावी रहेगा।

(ii) पाटरनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी) ने चीन से आयातित रेशम फैब्रिक (20-100 ग्राम) पर पाटनरोधी शुल्क का दिसंबर, 2016 तक विस्तार कर दिया गया है।

(iii) भारत सरकार केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) के माध्यम से राज्यों के रेशम उत्पादन विभगों के साथ समन्वय में एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा 'उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम' (सीडीपी) का क्रियान्वयन कर रही है। पिछले तीन वर्षों (2010-11, 2011-12 एवं 2012-13) तथा वर्ष

2013-14 (नवंबर-13 तक) के दौरान सीडीपी के अंतर्गत कर्नाटक राज्य को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

वर्ष	कर्नाटक को उपलब्ध कराई गई सीडीपी निधि (लाख रुपए में)
2010-11	6,028.45
2011-12	4,903.68
2012-13	3,936.16
2013-14*	4,532.00
कुल	19,400.29

*नवंबर, 2013 तक स्वीकृत/जारी की गई निधि।

पिछले तीन वर्षों (2010-11 से 2012-13) तथा चालू वित्त, वर्ष 2013-14 के दौरान सीडीपी योजना के अंतर्गत कर्नाटक सहित राज्य-वार एवं वर्ष-वार आबंटित/जारी निधि का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ङ) भारत सरकार ने रेशम गुणवत्ता में सुधार तथा उत्पादन के उद्देश्य से 2ए एवं 3ए ग्रेड की आयात विकल्प वाली गुणवत्ता पूर्ण रेशम के उत्पादन, रिलर्स हेतु ब्याज से छूट तथा रेशम उत्पादन योजनाओं का मनरेगा के साथ मनरेगा में विलय के लिए उत्पादन रणनीतियों में आमूलचूल परिवर्तन पर केन्द्रित होते हुए 12वीं योजना के दौरान कार्य करना प्रारंभ कर दिया है।

आरएंडडी प्रयासों के परिणामस्वरूप, वर्ष 2012-13 में उत्पादन 23000 मी. टन के स्तर से बढ़कर 23,679 मी. टन हो गया है। चालू वर्ष 2013-14 के दौरान, अप्रैल से सितंबर, 2013 तक यह कच्ची रेशम के उत्पादन का स्तर 10,738 मी. टन तक पहुंच गया है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान कच्ची रेशम का राज्य-वार उत्पादन (2010-11, 2011-12 और 2012-13)

इकाई: मीट्रिक टन

2010-11

क्र. सं.	राज्य		वान्या कच्ची रेशम				कुल कच्ची रेशम
		मलबरी	तसर	एरी	मूगा	कुल (वा)	(म+वा)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कर्नाटक	7338					7338
2.	आंध्र प्रदेश	5161	4	5		9	5170
3.	तमिलनाडु	1182					1182
4.	पश्चिम बंगाल	1885	41	9	0.25	50.3	19325
5.	जम्मू और कश्मीर	120	0.1			0.1	120
6.	असम	18		1714	117	1831	1849
7.	अरुणाचल प्रदेश	3	0.1	16	1.2	17.3	20
8.	बिहार	18	30	5		35	53
9.	छत्तीसगढ़	6	168	3		171	177
10.	हरियाणा	0.2					0.2

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	हिमाचल प्रदेश	22					22
12.	झारखंड	2	766			766	768
13.	केरल	26					26
14.	मध्य प्रदेश	104	58	4.5		62.5	167
15.	महाराष्ट्र	212	9			9	221
16.	मणिपुर	97	2	222	0.5	224.5	322
17.	मिज़ोरम	26	0.4	6.5	0.4	7.3	33
18.	मेघालय	9		480	3.25	483.25	492
19.	नागालैंड	3	0.3	280	1.4	281.7	285
20.	ओडिशा	4	78	5		83	87
21.	पंजाब	5		0.5		0.5	6
22.	राजस्थान	2					2
23.	सिक्किम	3		1		1	4
24.	त्रिपुरा	8					8
25.	उत्तराखंड	20	0.1	0.5		0.6	21
26.	उत्तर प्रदेश	86	9	8		17	103
	कुल योग	16360	1166	2760	124	4050	20410

स्रोत: राज्यों के डीओएस। *—जारी*

2011-12

क्र. सं.	राज्य	मलबरी	वान्या कच्ची रेशम				कुल कच्ची रेशम
			तसर	एरी	मूगा	कुल (वा)	(म+वा)
1	2	9	10	11	12	13	14
1.	कर्नाटक	7796.00					7796.00
2.	आंध्र प्रदेश	6446.64	1.33	6.5		7.796	6454.44
3.	तमिलनाडु	1417.5				0	1417.59
4.	पश्चिम बंगाल	1923.78	43.96	11.6	0.23	55.81	1979.59
5.	जम्मू और कश्मीर	133.00					133.00
6.	असम	16.75		1976.0	118.76	2094.76	2111.51

1	2	9	10	11	12	13	14
7.	अरुणाचल प्रदेश	1.50	0.34	13.5	1.60	15.44	16.94
8.	बिहार	12.92	29.37	3.9		33.225	46.14
9.	छत्तीसगढ़	5.36	293.78	0.3		294.092	299.46
10.	हरियाणा	0.17					0.17
11.	हिमाचल प्रदेश	22.54					22.54
12.	झारखंड	2.13	1025.24			1025.24	1027.37
13.	केरल	5.00					5.00
14.	मध्य प्रदेश	84.74	79.20	1.7		80.88	165.62
15.	महाराष्ट्र	169.41	12.35			12.346	181.76
16.	मणिपुर	84.00	2.45	240.0	0.50	242.95	326.95
17.	मिज़ोरम	24.20	0.93	7.2	1.17	9.3	33.50
18.	मेघालय	1.25		550.0	3.31	553.31	554.57
19.	नागालैंड	1.04	0.06	240.3	0.66	241.05	242.09
20.	ओडिशा	2.70	89.70	3.8		93.47	96.17
21.	पंजाब	0.50		1.0		1.0	1.50
22.	राजस्थान			रेशम उत्पादन को बंद कर दिया			
23.	सिक्किम	5.00		0.975		1.0	5.98
24.	त्रिपुरा	13.00					13.00
25.	उत्तराखंड	14.30					14.30
26.	उत्तर प्रदेश	87.10	10.80	15.4		262	113.30
	कुल योग	18272	1590	3072	126	4788	23060

स्रोतः राज्यों के डीओएस। *—जारी*

2012-13

क्र. सं.	राज्य	वान्या कच्ची रेशम					कुल कच्ची रेशम
		मलबरी	तसर	एरी	मूगा	कुल (वा)	(म+वा)
1	2	15	16	17	18	19	20
1.	कर्नाटक	8219					8219
2.	आंध्र प्रदेश	6550	0.64			1	6550

1	2	15	16	17	18	19	20
3.	तमिलनाडु	1185					1185
4.	पश्चिम बंगाल	2018	43.76	7.2	0.26	51	2070
5.	जम्मू और कश्मीर	145					145
6.	असम	25		1934.3	108.52	2043	2068
7.	अरुणाचल प्रदेश	3	Neg	17.5	2.00	20	22
8.	बिहार	12	7.30	2.4		10	22
9.	छत्तीसगढ़	6	384.87	0.3		385	391
10.	हरियाणा	0.1					0
11.	हिमाचल प्रदेश	23					23
12.	झारखंड	2	1088.35			1088	1090
13.	केरल	6					6
14.	मध्य प्रदेश	106	83.00	1.6		85	190
15.	महाराष्ट्र	88	9.75			10	97
16.	मणिपुर	115	2.80	300.0	0.64	303	418
17.	मिज़ोरम	34	0.72	5.4	0.32	6	40
18.	मेघालय	11		500.0	6.04	506	517
19.	नागालैंड	4	0.21	318.0	1.39	320	324
20.	ओडिशा	3	95.00	6.0		101	104
21.	पंजाब	4		1.0		1	5
22.	राजस्थान	रेशम उत्पादन को बंद कर दिया					
23.	सिक्किम	2		1.500		2	3
24.	त्रिपुरा	15					15
25.	उत्तराखंड	17					17
26.	उत्तर प्रदेश	124	12.30	20.5		33	157
	कुल योग	18715	1729	3116	119	4964	23679

स्रोत: राज्यों के डीओएस। *—जारी*

2013-14 (अप्रैल से सितंबर) अनं.

क्र. सं.	राज्य	वान्या कच्ची रेशम					कुल कच्ची रेशम (म+वा)
		मलबरी	तसर	एरी	मूगा	कुल (वा)	
1.	कर्नाटक	3647.94				0.00	3647.94
2.	आंध्र प्रदेश	2589.73	0.14			0.14	2589.87
3.	तमिलनाडु	421.01				0.00	421.01
4.	पश्चिम बंगाल	650.79	11.68	2.14	0.11	13.93	664.72
5.	जम्मू और कश्मीर	133.00				0.00	133.00
6.	असम	11.46		1369.36	68.86	1438.22	1449.68
7.	अरुणाचल प्रदेश					0.00	0.00
8.	बिहार	3.05	0.49	0.48		0.97	4.02
9.	छत्तीसगढ़	0.45	166.10			166.10	166.55
10.	हरियाणा	0.13				0.00	0.13
11.	हिमाचल प्रदेश	20.74				0.00	20.74
12.	झारखंड	1.00	1000.00			1000.00	1001.00
13.	केरल	1.50				0.00	1.50
14.	मध्य प्रदेश	11.00	52.50			52.50	63.50
15.	महाराष्ट्र	28.18	0.70			0.70	28.88
16.	मणिपुर	44.47	1.75	50.40	0.40	52.55	97.02
17.	मिज़ोरम	19.72	0.01	2.96	0.01	2.98	22.70
18.	मेघालय	0.96		105.95	1.00	106.95	107.91
19.	नागालैंड	2.60	0.25	241.62	1.13	243.00	245.60
20.	ओडिशा	0.89	3.12	2.40		5.52	6.41
21.	पंजाब	3.35				0.00	3.35
22.	राजस्थान					0.00	0.00
23.	सिक्किम	2.14				0.00	2.14
24.	त्रिपुरा	6.09				0.00	6.09
25.	उत्तराखंड	9.80				0.00	9.80
26.	उत्तर प्रदेश	43.58	1.04	0.00		1.04	44.62
	कुल योग	7653.58	1237.78	1775.31	71.51	3084.60	10738.18

अनं. — अनंतिम

स्रोत: राज्यों के डीओएस।

विवरण-II(क)

देश-वार आयात

क्र. सं.	देश	2010-11		2011-12		2012-13	
		मात्रा (टन)	मूल्य (करोड़ रुपए)	मात्रा (टन)	मूल्य (करोड़ रुपए)	मात्रा (टन)	मूल्य (करोड़ रुपए)
1.	चीन गणराज्य	5539	896.55	5166	1024.21	4879	1224.00
2.	उज्बेकिस्तान	130	10.09	80	6.96	52	8.42
3.	वियतनाम गणराज्य	31	2.94	16	2.92	4	0.93
4.	मलेशिया	25	3.09	21	3.55	—	—
5.	थाइलैंड	19	2.93	30	6.56	—	—
	अल्स	76	11.99	370	67.33	24	5.21
	कुल	5820	927.59	5683	1111.53	4959	1238.56

विवरण-II(ख)

रेशम और रेशम वस्तुओं से वर्ष-वार, किस्म-वार तथा देश-वार प्राप्त निर्यात आय

देश+	2010-11					
	प्राकृतिक रेशम यार्न	रेशम फैब्रिक तथा मेडअप्स	सिलेसिलाए परिधान	रेशम कालीन	रेशम अपशिष्ट	कुल
	मूल्य करोड़ रुपए में					करोड़ रुपए में
1	2	3	4	5	6	7
यूएस	0.45	229.93	140.66	8.85	0.07	379.96
हांगकांग	7.44	676.63	10.58	0.03	—	694.68
यूके	0.08	186.10	73.78	0.57	0.80	261.33
यूएई	2.64	181.67	41.80	3.19	—	229.30
जर्मनी	0.05	115.63	24.60	1.54	—	141.82
इटली	12.27	71.63	44.46	0.06	3.32	131.74
फ्रांस	0.14	63.91	55.73	0.03	—	119.81
स्पेन	0.03	53.00	35.90	नगण्य	0.01	88.94
सिंगापुर	नगण्य	52.60	9.66	0.27	—	62.53

1	2	3	4	5	6	7
सउदी अरब	—	23.38	20.12	0.34	—	43.84
अन्य	16.28	429.35	226.02	6.22	31.94	709.81
कुल	39.38	2083.83	683.31	21.10	36.14	2863.76

—जारी

देश+	2011–12					
	प्राकृतिक रेशम यार्न	रेशम फैब्रिक तथा मेडअप्स	सिलेसिलाए परिधान	रेशम कालीन	रेशम अपशिष्ट	कुल
	मूल्य करोड़ रुपए में					करोड़ रुपए में
1	8	9	10	11	12	13
यूएस	3.67	191.28	232.98	8.81	0.17	452.68
हांगकांग	0.61	31.70	15.47	0.02	0.32	51.43
यूके	2.67	139.29	95.76	0.47	0.83	245.03
यूएई	1.97	186.00	50.45	3.12	0.08	250.93
जर्मनी	1.36	70.80	58.38	1.01	—	131.02
इटली	0.88	86.05	46.05	0.18	5.54	140.88
फ्रांस	0.66	81.96	34.52	0.13	—	120.96
स्पेन	0.49	25.73	45.26	0.02	0.10	71.96
सिंगापुर	0.40	20.65	13.00	0.02	—	35.39
सउदी अरब	0.21	84.28	11.14	0.01	—	98.09
अन्य	3.50	581.91	162.82	6.29	42.73	778.15
कुल	18.00	1499.65	765.83	20.08	49.77	2353.33

—जारी

देश+	2012–13					
	प्राकृतिक रेशम यार्न	रेशम फैब्रिक तथा मेडअप्स	सिलेसिलाए परिधान	रेशम कालीन	रेशम अपशिष्ट	कुल
	मूल्य करोड़ रुपए में					करोड़ रुपए में
1	14	15	16	17	18	19
यूएस	0.03	219.46	153.18	8.47	0.03	381.17

1	14	15	16	17	18	19
हांगकांग	–	27.04	8.79	0.02	–	35.85
यूके	0.25	154.84	61.91	0.44	0.45	217.88
यूएई	0.19	201.74	91.62	5.34	0.06	298.95
जर्मनी	0.09	85.90	16.29	1.25	–	103.53
इटली	6.09	60.39	38.71	0.92	5.93	112.04
फ्रांस	0.19	72.69	48.07	0.24	–	121.19
स्पेन	0.02	46.87	24.78	0.04	–	71.71
सिंगापुर	0.02	30.14	9.01	0.04	–	39.39
सउदी अरब	0.02	68.77	13.55	0.34	–	82.68
अन्य	14.88	442.47	321.24	4.04	56.50	839.13
कुल	21.96	1410.31	787.15	21.14	62.97	2303.52

+शीर्ष 10 देशों के संदर्भ में।

स्रोत: एफटीएसआई एंड एमएसएफटीआई, डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता।

नोट: प्राकृतिक रेशम यार्न में कच्ची रेशम, रेशम यार्न, कोया शामिल हैं।

एसएस: 27.09.2013

विवरण-III

पिछले 3 वर्षों के दौरान सीएसबी द्वारा राज्य-वार जारी की गई सीडीपी निधि तथा चालू वर्ष 2013-14 हेतु अनुमोदित आबंटन

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (आबंटन)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1,434.91	1,913.39	1,692.74	2,711
2.	अरुणाचल प्रदेश	242.06	241.42	219.62	250
3.	असम	3,044.19	3,156.60	2,761.60	3,550
4.	बिहार	395.80	357.76	284.65	317
5.	छत्तीसगढ़	189.34	263.13	128.09	359
6.	दिल्ली	11.73	–	–	–
7.	हरियाणा	20.76	19.97	–	30

1	2	3	4	5	6
8.	हिमाचल प्रदेश	285.63	578.88	98.02	323
9.	जम्मू और कश्मीर	1,707.19	1,604.18	1,594.04	1,596
10.	झारखंड	2,415.02	2,448.51	1502.00	3,263
11.	कर्नाटक	6,028.45	4,903.68	3,936.16	4,532
12.	केरल	123.36	—	0.05	181
13.	मध्य प्रदेश	1,284.47	529.96	771.84	1,148
14.	महाराष्ट्र	516.51	645.59	636.32	1,646
15.	मणिपुर	478.62	903.12	689.28	900
16.	मेघालय	551.28	643.88	670.20	700
17.	मिज़ोरम	703.95	792.91	599.94	700
18.	नागालैंड	346.47	683.99	520.65	900
19.	ओडिशा	728.76	591.72	508.94	777
20.	पंजाब	42.54	33.93	32.12	36
21.	सिक्किम	141.57	180.96	45.59	100
22.	तमिलनाडु	1,930.08	1,090.57	1,296.49	1,813
23.	त्रिपुरा	691.94	854.57	778.44	700
24.	उत्तर प्रदेश	1,041.93	794.67	735.92	1,065
25.	उत्तराखंड	952.67	740.86	494.11	762
26.	पश्चिम बंगाल	780.02	548.10	519.31	725
27.	गुजरात				15
	कुल	20,089	24,522	20516	29,099

*कुल आबंटित राशि की तुलना में नवंबर, 2013 तक 2599 लाख रुपए का व्यय किया जा चुका है।

प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन

***159. श्री पी. कुमार :**
श्री के.पी. धनपालन :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन, खपत, निर्यात और आयात की कुल मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन और कीमतों में उतार-चढ़ाव रहा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान देश में रबड़ की मांग में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा घरेलू मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए प्राकृतिक रबड़ के आयात हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या रबड़ पर आयात शुल्क बढ़ाने की मांग की गई है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा रबड़ के उत्पादन में सुधार करने तथा घरेलू रबड़ उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. ई.एम.एस. नाच्चीयप्पन) : (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उत्पादित, उपभुक्त, निर्यातित और आयातित कुल प्राकृतिक रबड़ (एनआर) का ब्यौरा निमनलिखित तालिका में दिया गया है:—

(टन)

वर्ष	उत्पादन	खपत	निर्यात	आयात
2010-11	861,950	947,715	29,851	190,692
2011-12	903,700	964,415	27,145	214,433
2012-13	913,700	972,705	30,594	217,364
2013-14(अ) (अप्रैल-नवंबर)	517,000	648,530	4,633	237,723

अ-अनंतिम।

(ख) सामान्यत: पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन बढ़ा है तथापि, अप्रैल-नवंबर, 2013 के दौरान पिछले वर्ष की समनुरूपी अवधि की तुलना में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में 11.4% की गिरावट आई। जून तथा जुलाई, 2013 में प्राकृतिक रबड़ का मासिक उत्पादन निरंतर और अत्यधिक वर्षा के कारण पिछले वर्ष की तुलना में अत्यधिक कम था। अगस्त-नवंबर, 2013 के दौरान भी लीफ डिसीज के व्यापक रूप से फैलने, निरंतर जारी वर्षा तथा गिरती कीमतों के कारण प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन कम रहा। रबड़ की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय रबड़ बाजार की प्रवृत्तियों, सामान्य आर्थिक वृद्धि, तेल एवं सिंथेटिक रबड़ की कीमतों, मुद्रा संबंधी कारकों, जलवायु दशााअें और अन्य अनिश्चित कारकों के कारण उतार-चढ़ाव होता रहता है। घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्राकृतिक रबड़ की कीमतें निम्नलिखित तालिका में दी गई हैं।

घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्राकृतिक रबड़ की औसत कीमतें (रुपए/कि.ग्रा.)

वर्ष/माह	घरेलू (आरएसएस 4* कोट्टायम)	अंतर्राष्ट्रीय (आरएसएस 3* बैंकॉक)
1	2	3
2010-11	190.23	195.55
2011-12	208.05	209.15
2012-13	176.82	175.76
2013 अप्रैल	162.38	154.63
मई	168.79	166.17
जून	174.24	164.44
जुलाई	191.77	154.77
अगस्त	189.94	161.71
सितंबर	183.13	169.76
अक्तूबर	163.31	157.04
नवंबर	156.00	156.12

(ग) सामान्यत:, पिछले तीन वर्षों में प्राकृतिक रबड़ की खपत में वृद्धि हुई। तथापि, अप्रैल 2013 की अवधि को छोड़कर नवंबर, 2012 से प्राकृतिक रबड़ की मासिक खपत में गिरावट आ रही है। अप्रैल-नवंबर 2013 के दौरान प्राकृतिक रबड़ की खपत में पिछले वर्ष की समनुरूपी अवधि की तुलना में 2.3% की गिरावट आई है।

प्राकृतिक रबड़ के आयात का निर्धारण प्राकृतिक रबड़ की घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और आयात शुल्क में अंतर द्वारा किया जाता है। 9 जनवरी 2004 से लागू मूल सीमा शुल्क की प्रयुक्त दर प्राकृतिक रबड़ के सभी शुष्क रूपों हेतु 20% और लैटेक्स हेतु 70% थी। दिसंबर, 2010 में प्राकृतिक रबड़ के शुष्क रूपों पर आयात शुल्क को संशोधित करके 20% अथवा 20 रुपए प्रति कि.ग्रा. जो भी कम हो, कर दिया गया था। जनवरी, 2012 में लैटेक्स पर आयात शुल्क में संशोधन करके उसे 49 रुपए प्रति कि.ग्रा. कर दिया गया था।

(घ) रबड़ के शुष्क रूप पर आयात शुल्क को बढ़ाने की मांग होती रही है। तथापि, उत्पादन, खपत की प्रवृत्तियों और घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्राकृतिक रबड़ की कीमतों को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक रबड़ से संबंधित मौजूदा शुल्क संरचना में कोई परिवर्तन न करने का निर्णय लिया गया था।

(ङ) नवरोपण, अलाभकर बागानों के पुनर्रोपण और उत्पादकता संवर्धन के माध्यम से प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसंधान, विस्तार तथा वीय सहायता के प्रावधान सहित अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित किये गये थे। 11वीं योजना के दौरान रबड़ बोर्ड ने 90,132 हैक्टेयर क्षेत्र में रबड़ रोपण हेतु वित्तीय

सहायता प्रदान की थी। 12वीं योजना प्रस्तावों के अनुमोदन के लंबित रहने के कारण इन कार्यक्रमों को वर्ष 2012-2013 और 2013-2014 में जारी रखा गया है। वर्ष 2012-13 के दौरान रबड़ रोपण हेतु 19,826 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। रबड़ बोर्ड, रबड़ उत्पाद विनिर्माण हेतु तकनीकी परामर्श एवं प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। जून 2012 में "भारतीय प्राकृतिक रबड़" ब्रांडेड प्राकृतिक रबड़ को बाजार संबद्ध फोकस उत्पाद स्कीम (एमएलएफपीएस) में शामिल करके एफओबी मूल्य के दो प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन दिया गया था।

विनिर्माण क्षेत्र

***160. श्री राम सुन्दर दास :**
डॉ. भोला सिंह :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बिजली की कमी के कारण विनिर्माण क्षेत्र की स्थिति बदतर होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजना आयोग द्वारा विनिर्माण क्षेत्र की स्थिति को सुधारने हेतु क्या उपाय सुझाए गए हैं तथा सरकार द्वारा योजना आयोग के सुझावों पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और उत्पादन बढ़ाने तथा विनिर्माण नीति की समीक्षा हेतु कोई अध्ययन कराया है अथवा उच्च स्तरीय समिति गठित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त समिति द्वारा क्या उपाय सुझाए गए हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. ई.एम.एस. नाच्चीयप्पन) : (क) और (ख) बारहवीं योजना दस्तावेज में यह बताया गया है कि देश में विद्युत सृजन की क्षमता में वृद्धि करने के लिए किए गए पर्याप्त प्रयासों के बावजूद उद्योग को प्रभावित करने वाले घटकों में विद्युत की अविश्वसनीय और अपर्याप्त आपूर्ति अभी भी एक गंभीर बाधा बनी हुई है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में बिजली क्षेत्र के साथ-साथ विनिर्माण क्षेत्र का कार्य निष्पादन पृथक तौर से मापा जाता है। विनिर्माण क्षेत्र में वर्ष 2011-12 में हुई 3.0% की वृद्धि में वर्ष 2012-13 में गिरावट आई और यह 1.3% हो गई है तथा बिजली के विकास में वर्ष 2011-12 में 8.2% की वृद्धि में वर्ष 2012-13 में गिरावट आई और यह 4.0% हो गई है। वर्ष 2013-14 में, अप्रैल-अक्तूबर, 2013 के दौरान, विनिर्माण में वृद्धि मामूली तौर पर ऋणात्मक रही है, जबकि बिजली में 5.3% की वृद्धि हुई है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में योजना आयोग ने इस योजना अवधि में परिकल्पित औद्योगिक विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक उपायों के बारे में विभिन्न सिफारिशें कीं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, नीति, नई संस्थाओं के सृजन तथा मौजूदा संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के संबंध में सिफारिशें शामिल हैं। सरकार के विभाग तथा मंत्रालय अपने कार्य क्षेत्र के तहत आने वाले कार्यों के लिए और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्रवाई करते हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने उन नीतिपरक मुद्दों के समाधान हेतु दिनांक 10 अप्रैल, 2006 की अधिसूचना के तहत माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में विनिर्माण संबंधी एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जिनका सरकार द्वारा राष्ट्रीय विनिर्माण संबंधी पहलों के कार्यान्वयन के दौरान और विनिर्माण के विभिन्न उप-क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाओं के प्रचालन में उठाया जा सकता है।

इस्पात उद्योग के लिए विकास संबंधी रणनीति तथा वस्त्र उद्योग के लिए नई प्रतिस्पर्धा संबंधी कार्यनीति के लिए तथा नागरिक वायुयान विनिर्माण के लिए एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण तैयार करने, वैकल्पिक ईंधन आधारित यातायात-इलैक्ट्रिक एवं हाईब्रिड विकसित करने तथा उन्नत सामग्री, मिश्र धातु तथा यौगिकों के लिए चर्चा करने हेतु 9 जुलाई, 2013 को विनिर्माण संबंधी उच्च स्तरीय समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में इन क्षेत्रों के लिए अल्पावधि तथा दीर्घावधि कार्यनीतियों की पहचान की गई थी।

विश्व भागीदारी सम्मेलन

1611. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विश्व भागीदारी सम्मेलन के आयोजन और उसके परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार भविष्य में ऐसे किसी सम्मेलन का आयोजन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कार्यसूची सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. ई.एम.एस. नाच्चीयप्पन) : (क) वर्ष 2011, 2012 और 2013 के दौरान सहभागिता शिखर सम्मेलन औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के साथ भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा क्रमशः मुंबई, हैदराबाद और आगरा में आयोजित किए गए थे। इन शिखर सम्मेलनों के विषय क्रमशः "आर्थिक पुनरूत्थान के लिए नई भागीदारियां" : वैश्विक अनिवार्यता" "नवयुग

प्रवर्तन भागीदारियां" और "स्थायी वृद्धि के लिए सहभागिता" थे। इस शिखर सम्मेलन में समावेशी वृद्धि तथा विकास प्राप्त करने के लिए सहभागिता का निर्माण करने हेतु एक रूप-रेखा का विकास करने के लिए विभिन्न देशों के नीति निर्माता, अग्रणी व्यवसायी तथा हितधारक एक मंच पर एकत्रित हुए।

(ख) जी, हां। सहभागिता शिखर सम्मेलन 2014 जनवरी 27-29, 2014 के दौरान बेंगलूरु, कर्नाटक में आयोजित किया जा रहा है।

(ग) सहभागिता शिखर सम्मेलन 2014 में सफल आयोजन हेतु सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सहभागिता शिखर सम्मेलन 2014 का विषय "उभरती वैश्विक मूल्य श्रृंखला: सहभागिता निर्माण" है। शिखर सम्मेलन का मसौदा कार्यक्रम की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग कर्नाटक सरकार
भारत सरकार

सीआईआई
भारतीय उद्योग परिसंघ
सीआईआई
सहभागिता शिखर सम्मेलन 2014

सहभागिता शिखर सम्मेलन 2014
"उभरती वैश्विक मूल्य श्रृंखला: सहभागिता निर्माण"
27-29 जनवरी, 2014: द ताज वेस्ट एंड, बेंगलूरु, भारत

मसौदा रूपरेखा कार्यक्रम (25 नवंबर, 2013 के अनुसार)

27 जनवरी — बुधवार, 29 जनवरी, 2014
पंजीकरण

उद्घाटन सत्र:

"उभरती वैश्विक मूल्य श्रृंखला: सहभागिता निर्माण"

वैश्वीकरण से कंपनियां बाहरी स्रोतों से सेवाएं लेने तथा अपनी गतिविधियों को बाहरी देशों तक ले जाने के जरिए अपने प्रचालनों को अंतर्राष्ट्रीय रूप से पुनर्गठन करने के लिए प्रोत्साहित हुई है। उभरती जीवीसी, परंपरागत ज्ञान तथा आर्थिक वैश्वीकरण तथा इसके इर्द-गिर्द विकसित नीतियों को चुनौती देती है। कंपनियों के वैश्विक बाजार में एकीकृत होने के प्रयास करते समय उन्नत, उभरते बाजार तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाएं किन चुनौतियों का सामना कर रही हैं तथा उनके समक्ष अवसर; सहभागिता निर्माण से कैसे एकीकरण में सहायता होगी।

पूर्ण सत्र:

"वैश्विक आर्थिक तथा विकास दृष्टिकोण"। "भारत की घरेलू और वैश्विक कार्यसूची क्या होनी चाहिए?"

वर्ष 2014-15 में और उससे आगे वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए कार्यसूची में सबसे ऊपर क्या होना चाहिए? वर्ष 2015 में समाप्त होने एमडीजी के साथ अगले आर्थिक तथा विकास कार्यसूची में सबसे ऊपर क्या होना चाहिए?

आने वाली नई सरकार के समय भारत का अगला घरेलू तथा वैश्विक कार्यक्रम शेष भारत को कैसे प्रभावित करेगा?

सत्र में मुख्य ध्यान रहेगा:

- अंतर्गामी तथा बहिर्गामी निवेश
- वैश्विक तथा घरेलू सुधार
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा वार्ताओं में भूमिका

कर्नाटक सरकार की मेजबानी में सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं स्वागत रात्रि भोज विशेष पूर्ण सत्र: "आगे बढ़ता-कर्नाटक"

पूर्ण सत्र:

"बाली पश्चात एक नये व्यापार युग में प्रवेश"

सहयोग के नए रूप वैश्विक व्यापार कार्यसूची को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं?

सत्र में मुख्य ध्यान रहेगा:

- बहुराष्ट्रीय वार्ताओं पर पुनर्विचार
- वैश्विक मूल्य श्रृंखला का लेखांकन
- मूल्य वर्धित मानदंडों की दिशा में अंतरण

कर्नाटक निवेश अवसर:

कर्नाटक सरकार की मेजबानी में विशेष भोज सत्र

पूर्ण सत्र:

"आरसीईपी/आसियान तथा उभरती वैश्विक मूल्य श्रृंखला"

आरसीईपी अर्थव्यवस्थाओं, जो लगभग 20 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जीडीपी के लिए जिम्मेदार है, के आसियान अर्थव्यवस्था के वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। भारत का आसियान के साथ माल व्यापार में एफटीए है तथा

एफटीए सेवा तथा निवेश पर संबंधी करार में शीघ्र ही हस्ताक्षर किए जाने की आशा है। माल तथा सेवाओं में व्यापार के शामिल होने तथा आरसीईपी में निवेश से विकासशील देशों के लिए बड़े अवसरों का निर्माण होने की संभावना है, जिसमें ऑटो घटको, वस्त्र भेषज, आईटी एवं आईटीईएस आदि जैसे भारतीय हित के विभिन्न क्षेत्रों के लघु तथा मध्यम उद्यमों की सहभागिता की बड़ी संभावना होगी। इससे मूल्य शृंखला को आगे बढ़ाने के वास्ते विशाल अवसर भी मिलेंगे।

पूर्ण सत्र:

"एक सतत् भविष्य हेतु सहभागिताओं के लिए कारगर मार्ग - सतत् वृद्धि के चालक"

उत्तरोत्तर जुड़ रहे, भली-भांति सूचना सम्पन्न तथा सामाजिक रूप से सक्रिय विश्व में उद्यमों को समाप्त होते जा रहे संसाधन, वितरण असमानताओं तथा पर्यावरण संबंधी निम्नीकरण के बारे में बढ़ती चिंताओं के मध्य संचालन करना पड़ेगा। यह एक ऐसा परिदृश्य है, जिसमें व्यवसाय की सततता न केवल लाभ पर बल्कि सामाजिक तथा पर्यावरणीय जिम्मेदारी पर भी टिकी है। यह वृद्धि हेतु अंतर करने, नवप्रयोग तथा सहभागी बनाने के लिए उद्यमों के वास्ते असीम अवसर भी प्रस्तुत करता है। वृद्धि तथा विकास के लिए गति देने हेतु सहभागिताएं कितनी नवप्रवर्तनशील हैं?

सत्र में मुख्य रूप से ध्यान केन्द्रित किया जाएगा:-

- सफलता कारकों को परिभाषित करना
- नीचे से ऊपर मापने का दृष्टिकोण
- बहुपक्षीय प्रक्रियाओं का समर्थन

समानांतर सत्र:

"कर्नाटक पर ध्यान केन्द्रित"

समानांतर सत्र:

"कर्नाटक पर ध्यान केन्द्रित"

पूर्ण सत्र:

"अमेरिका और भारत: पुनर्परिभाषित सहभागिता"

अमेरिका-भारत द्विपक्षीय संबंध गत दो दशकों में बुनियादी परिवर्तन का साक्षी रहा है। दोनों पक्षों ने यह माना है कि वर्तमान 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार होना पूर्णत: संभव है। अब सरकारी वार्ता और द्विपक्षीय सहकारिता परियोजनाएं स्वास्थ्य तथा संक्रामक रोगों के निदान से आगे बढ़कर साइबर सुरक्षा तथा स्वच्छ ऊर्जा विकास तक पहुंच गई हैं। वास्तव में सहयोग तथा व्यवस्थापन की गुंजाइश न केवल द्विपक्षीय समायोजन में, बल्कि क्षेत्रीय तथा वैश्विक पैमाने पर अभूतपूर्व तरीकों से विस्फोटित हुई है। साथ ही, एक असंतोष की लहर रही है जो लगभग गत एक वर्ष से संबंधों पर हावी रही है। इस प्रकार, दोनों पक्षों की विशिष्ट बाजार पहुंच नीतियों से संबंधित चिंताएं, सहभागिता में पहले ही से हो चुकी प्रगति तथा वृद्धि के लिए अप्रयुक्त विशाल क्षमता पर छाई हुई हैं। शिक्षा, अवसंरचना, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्र सहयोग के लिए तैयार हैं। विशाल सकारात्मक सोचों और अवसरों पर ध्यान केन्द्रित रखने को कैसे पुनर्परिभाषित किया जा सकता है? सहभागिता में विश्वास बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? द्विपक्षीय संबंधों की बुनियाद को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए और अधिक क्या किया जा सकता है?

रात्रि भोज तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम

पूर्ण सत्र:

"सहभागिताओं के निर्माण में जी20 जैसे बहुपक्षीय मंचों की भूमिका"

जी20 की कार्यसूची में सभी के लिए मजबूत, सतत्, संतुलित तथा सर्वसमावेशी वृद्धि के लिए प्रावधान किया गया है। जी20 वित्तीय समावेश सुनिश्चित करने, गुणवत्ता रोजगार सृजन तथा बहुपक्षीय व्यापार को सुदृढ़ करने में कैसे अधिक कारगर भूमिका अदा कर सकता है?

पूर्ण सत्र:

"भारत अफ्रीका: दक्षिण-दक्षिण व्यापार तथा विकास हेतु निवेश"

वैश्विक अर्थव्यवस्था "दक्षिण" की प्रगति तथा गतिशीलता द्वारा उत्तरोत्तर चालित है। वि त्तीय संकट तथा तत्पश्चात "दक्षिण" के अनेक देशों के नेतृत्व में इसकी बहाली से वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को फिर से गढ़ने में बड़ा बदलाव रेखांकित हुआ है। परम्परागत उत्तर-दक्षिण व्यापार समीकरण को विकासशील देशों के बीच गतिशील व्यापार तथा निवेश संबंध द्वारा उत्तरोत्तर पूरा किया जा रहा है तथा यह आर्थिक प्रगति तथा रोजगार सृजन का एक प्रमुख स्रोत बनता जा रहा है। भारत और अफ्रीका का तीव्रगति से बढ़ता व्यापार तथा निवेश संबंध इस गतिशील परिवर्तन का एक उदाहरण है।

मुख्य ध्यान केन्द्रित देश भोज सत्र

पूर्ण सत्र:

"वैश्विक वित्तीय अवसंरचना"

अवसंरचना विकास किसी अर्थव्यवस्था के सतत् विकास का एक प्रमुख घटक है तथा इसके लिए एक बड़े पूंजी आधार की अपेक्षा होती है। सतत् आर्थिक विकास की ओर वापसी के लिए वित्तीय स्थायितव तथा वित्त तक गहन पहुंच होना आवश्यक पूर्वोपेक्षाएं हैं। एक मजबूत पकड़ बनाने के लिए आर्थिक विकास को अनुमति देने के वास्ते वैश्विक वित्तीय पद्धति

के विनियामक ढांचों तथा मानदंडों में कौन से परिवर्तन अपेक्षित हैं? अवसंरचना वित्तपोषण के कौन से नए तथा नवप्रयोग तरीकों पर विचार किया जा सकता है तथा इससे भविष्य कैसे बनेगा? हम कैसे वित्त के लिए एसएमई की पहुंच में सहायता करते हैं ताकि व्यापक विकास हो तथा इसे और अधिक समावेशी बनाया जा सके?

पूर्ण सत्र:

"समापन सत्र तथा वैश्विक अभिशासन"

विश्व अभिशासन का आधुनिक प्रश्न वैश्वीकरण के संदर्भ में विद्यमान है। मानव समाज एवं मानवता और जीवमंडल दोनों के बीच एक विश्वव्यापी पैमाने पर अंतर-निर्भरता की गति के प्रत्युत्तर में। शिखर सम्मेलन का समापन।

होटल परियोजना के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र

1612. श्री विष्णु पद राय : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वाइपर द्वीप पर होटल और याच मरीना के निर्माण के लिए 2009 में अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह कमान द्वारा दिए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) को रद्द दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में किसी जांच के आदेश दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी क्या स्थिति है; और

(ङ) इस मामले में दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध की गई/प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) मई, 2013 में अंडमान और निकोबार कमान ने वाइपर द्वीप पर होटल और याच मरीना के निर्माण के लिए अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन के प्रस्ताव को जारी सैद्धांतिक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) को रद्दे कर दिया था।

(ग) से (ङ) इस मामले में जांच चल रही है।

रक्षा अधिकारियों को प्लॉटों का आवंटन

1613. श्री हमदुल्लाह सईद : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा विकास प्राधिकरण में रक्षा कोटे के अंतर्गत प्लॉटों के आवंटन में कथित अनियमितताओं के लिए कई वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन्होंने फर्जी दस्तावेज जमा कराए हैं और अनेक प्लॉट आवंटित कराए हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, हूडा ने एक अधिकारी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

(ग) संबंधित व्यक्तियों की सदोषता हूडा द्वारा जांच की विषय-वस्तु है। एक अधिकारी, जिसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू की है, ने अपील दायर की है और वर्तमान में मामला न्यायाधीन है।

(घ) कार्रवाई, संबंधित अधिकारियों की सदोषता पर निर्भर करेगी। सेना कार्मिकों को सुग्राही बनाने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है और सभी स्तरों पर कमांडरों को ऐसे मामलों को न होने देने के लिए निरोधक कदम उठाने के लिए कहा गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन

1614. श्री निलेश नारायण राणे : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्यों में सार्वजनिक परिवहन में सुधार लाने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में बसें शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी बसें शुरू किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने बसें शुरू किए जाने की संभावना है, तथा उक्त प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित किए जाने की संभावना है; और

(घ) ये बसें राज्यों को कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न पैदा नहीं होता।

नई शस्त्र नीति

1615. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नई शस्त्र नीति लाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या हथियारों के आयात पर निर्भर रहने के बजाय शस्त्र उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) हाल ही में संशोधित रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डीपीपी-12013) का उद्देश्य देश में रक्षा विनिर्माण आधार को सुदृढ़ बनाने के साथ ही खरीद प्रक्रिया में और अधिक दक्षता लाना है। स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया-2013 में शामिल किए गए मुख्य प्रावधानों को दर्शाने वाला एक ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डीपीपी 2013) में स्वदेशीकरण पर विशेष जोर देने के लिए निम्नलिखित प्रावधान शामिल किए गए है:

(i) **पूंजी अधिग्रहणों की विशिन्न श्रेणियों की प्राथमिकता तय करना :** अब स्वदेशी उत्पादन के लिए प्राथमिक दी जाएगी। श्रेणीकरण समितियां अब श्रेणीकरण का इस प्रकार वरीयताक्रम अपनाएंगी (1) 'खरीदो (भारतीय)' और तत्पश्चात (2) 'खरीदो और बनाओ (भारतीय)' (3) 'बनाओ' (4) टीओटी के साथ 'खरीदो और बनाओ' और (5) 'खरीदो (वैश्विक)' उच्चतर प्राथमिकता प्राप्त श्रेणियों पर विचार न करने के विस्तृत कारण रिकार्ड किए जाने हैं।

(ii) **'खरीदो और बनाओ (भारतीय)' का सरलीकरण :** 'खरीदो और बनाओ (भारतीय)' प्रक्रिया को काफी अधिक सरल कर दिया गया है। यह उम्मीद की जाती है कि इसके परिणामस्वरूप इस श्रेणी के अंतर्गत मामलों पर तीव्रतर कार्रवाई होगी।

(iii) **रख-रखाव टीओटी :** 'खरीदो (वैश्विक)' मामले में विक्रेता भारतीय निजी उद्योगों को प्रौद्योगिकी का रख-रखाव अंतरण प्रौद्योगिकी (एमटीओटी) भी प्रदान कर सकता है। यह 'खरीदो (वैश्विक)' मामलों में भारतीय विक्रेताओं में एमटीओटी प्राप्त करने के लिए भारतीय निजी उद्योग को अनुमति देता है।

(iv) **स्वदेशी विषय-वस्तु पर स्पष्टता :** 'खरीदो (भारतीय)' श्रेणियों के लिए 30% और 'खरीदो और बनाओ (भारतीय)' श्रेणियों के लिए 50% स्वदेशी विषय-वस्तु को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। यह अपेक्षित स्पष्टता प्रदान करेगा।

(v) विक्रेताओं द्वारा स्व-प्रमाणन के आधार पर स्वदेशी विषय-वस्तु के मूल्यांकन की एक विधि अध्याय-I के परिशिष्ट-एफ में स्पष्ट रूप से दर्शाई गई है।

(vi) स्वदेशी विषय-वस्तु अपेक्षाओं का विस्तार अब उप विक्रेता के निम्नतम टियर तक सभी तरह से हो जाएगा। इस तरह, उप विक्रेताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पादनों में आयात विषय-वस्तु स्वदेशी विषय-वस्तु के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करेगी।

(vii) बार की अवस्था में कमियों को पूरा करने की गुंजाइश सहित प्रत्येक दिए गए स्तर पर निर्धारित स्वदेशी विषय-वस्तु प्राप्त न होने पर शास्ति लगाई जाएगी।

(viii) स्वदेशी विषय-वस्तु प्रतिशत मूल उपस्कर, विनिर्माताओं द्वारा सिफारिश किए गए कलपुर्जों, विशेष औजारों और परीक्षण उपस्कर में भी प्राप्त किया गया है।

(ix) 'खरीदो (भारतीय)' मामले में परीक्षण स्तर पर दिए गए उत्पाद में भी कम से कम 30% स्वदेशी विषय-वस्तु होनी चाहिए। तथापि, 'खरीदो और बनाओ (भारतीय)' मामले में 'खरीदो (भाग)' के लिए कोई न्यूनतम स्वदेशी विषय-वस्तु आवश्यकता अनुबंधित नहीं की गई है। यह वास्तविक स्वदेशीकरण को प्रोत्साहित करेगा और भारतीय विक्रेताओं को साथ ही साथ सेवा टीओटी को आत्मसात करने के लिए और निर्माण सुविधा का गठन करने के लिए और समय प्रदान करेगा।

(x) भारत में बनाए गए एसेम्बल किए गए प्रथम मूल उपस्कर में कम से कम 30% स्वदेशी विषय-वस्तु और तत्पश्चात कुल सुपुर्दगियों में से कुल मिलाकर 50% स्वदेशी विषय-वस्तु प्राप्त करने के लचीलेपन सहित उनकी सुपुर्दगी की जाती है। इस तरह, उद्योग उनकी पसंद के ग्रेड प्राप्त गति में कुल संविदा मूल्य का समग्र 50% स्वदेशी विषय-वस्तु अब प्राप्त कर सकते हैं।

(xi) वाणिज्यिक खंड को अद्यतन कर दिया गया है और समान अवसर स्थिति सृजित करने के लिए युक्ति संगत कर दिया गया है।

व्यक्तिपरकता को कम करने के लिए बोली मूल्यांकन मानदंड को और विस्तृत बनाया गया है।

(xii) 300 करोड़ या उससे अधिक मूल्य सहित सीधे खरीदो का 30% अथवा टीओटी ['खरीदो (वैश्विक)' अथवा 'टीओटी श्रेणियों के साथ खरीदो और बनाओ' श्रेणियों] के माध्यम से खरीद ऑफसेट दायित्वों के रूप में आयेगी। रक्षा, अन्तर्देशीय/तटीय सुरक्षा और सिविल एयरोस्पेस उत्पाद और रख-रखाव, मरम्मत, प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं विकास को ऑफसेट दायित्वों का निर्वहन करने के लिए पात्र उत्पादों और सेवाओं के रूप में मान्यता दी जाती है [डीपीपी के अध्याय-I में परिशिष्ट-घ का अनुबंध-VI]। भारतीय सार्वजनिक/निजी उद्यमों पर खरीद अथवा निर्यात आर्डर देना, भारतीय सार्वजनिक/निजी उद्यमों के साथ एफडीआई, भारतीय उद्यमों को टीओटी अथवा उपस्कर का प्रावधान अथवा भारतीय अनुसंधान और विकास के लिए टीओटी ऑफसेट दायित्वों का निर्वहन करने के लिए विक्रेता के लिए अवसर होते हैं।

(xiii) मुख्य संविदाकर्ता संविदा की समय सीमा के भीतर ऑफसेट दायित्वों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होता है और संविदा अवधि से पर अधिकतम दो वर्ष के विस्तार की अनुमति अतिरिक्त कार्य-निष्पादन बांड को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के साथ दी जाती है।

(xiv) ऑफसेट क्रेडिट की बैंकिंग 7 वर्ष की वैधता सहित अनुमेय है। प्रत्येक संविदा के अंतर्गत अधिकतम 50% ऑफसेट दायित्व अनुमेय हैं जब बैंक किए गए ऑफसेट क्रेडिट प्रयोग किए जाते हैं।

(xv) सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यम के मामले में 1.50 मल्टीप्लायर और ऑफसेट दायित्वों के निर्वहन में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के मामले में 3.00 तक का प्रावधान ऑफसेट दिशा-निर्देशों में उपलब्ध है।

(xvi) ऑफसेट कार्यान्वियन में चूक के मामले में शास्तियों और विवर्जन का प्रावधान है।

कार्बन का कम उत्सर्जन करने वाली परिवहन प्रणाली

1616. **श्रीमती श्रुति चौधरी :** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कार्बन का कम उत्सर्जन करने वाली परिवहन प्रणाली को आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) से (ग) योजना आयोग ने श्री किरीट पारिख, पूर्व सदस्य, योजना आयोग और निदेशक, विकास के लिए एकीकृत अनुसंधान और कार्रवाई की अध्यक्षता के अंतर्गत समग्र विकास के लिए कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए रणनीति बनाने हेतु एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ ग्रुप का गठन किया है। इस विशेषज्ञ ग्रुप की कार्यावधि को योजना आयोग द्वारा समय-समय पर विस्तारित किया गया है। इस विशेषज्ञ ग्रुप ने मई, 2011 में अपनी अंतरिम रिपोर्ट योजना आयोग को सौंप दी थी। 22 अगस्त, 2013 को योजना आयोग ने विशेषज्ञ ग्रुप की कार्य अवधि को 31 दिसम्बर, तक के लिए और विस्तारित कर दिया है।

कृषि उत्पादों का निर्यात

1617. **श्री नलिन कुमार कटील :**
श्री अर्जुन राम मेघवाल :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि क्षेत्र में अवसंरचना तथा उन्नत प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण कृषि उत्पादों का निर्यात कम होता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सृजित की जा रही अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने कृषि उत्पादों की निर्यात हिस्सेदारी में सुधार करने के लिए कोई अनुसंधान/अध्ययन कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. ई.एम.एस. नाच्चीप्पन) : (क) यूएन कॉमट्रेड के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2012 के दौरान वैश्विक कृषि निर्यात में भारत का हिस्सा 2.80% है। कृषि उत्पादों के निर्यात की मात्रा तुलनात्मक रूप से कम है। यह स्थिति मुख्यत: अत्यधिक उच्च घरेलू खपत, कम जोत आकार, कम उत्पादकता, आपूर्ति चेन तथा विपणन संबंधी बाधाओं तथा प्रसंस्करण के निम्न स्तर के कारण बनी है। इसके अलावा खाद्यान्न सहित आवश्यक वस्तुओं के आयात की अनुमति बफर स्टॉक तथा कार्यनीतिक प्रारक्षिति मानकों के पूर्ण होने के पश्चात ही दी जाती है।

(ख) वाणिज्य विभाग, कृषि एवं प्रसंस्कृत निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के माध्यम से देश में क्रमश: सामान्य अवसंरचना सुविधाओं

तथा अन्य अवसंरचना सुविधाओं के सृजन हेतु सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों तथा कृषि उत्पादों के पंजीकृत निर्यातकों सहित विभिन्न सरकारी एजेंसियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। अवसंरचना के विकास हेतु योजना स्कीम के तहत, एपीडा ने सार्वजनिक क्षेत्र में निम्नलिखित अवसरंचना सुविधाओं का सृजन किया है:—

(i) दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलूरु, अमृतसर, कोचीन, हैदराबाद, बागडोगरा, चेन्नई, तिरुअनंतपुरम, गोवा, कालीकट तथा नासिक जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तनों पर शीघ्र खराब होने वाले माल हेतु केंद्रों (सीपीसी) की स्थापना।

(ii) ताजे बागवानी उत्पादों के निर्यात हेतु वाशी, महाराष्ट्र तथा अहमदाबाद, गुजरात में विकिरण सुविधा जैसी लदान पूर्व सुविधाओं की स्थापना। आंध्र प्रदेश के नुज़विड तथा तिरुपति, उत्तरप्रदेश के सहारनपुर तथा महाराष्ट्र के वाशी में वाष्प ऊष्मा अभिक्रिया (वीएचटी) सुविधाओं की भी स्थापना की गई है।

(iii) महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु इत्यादि में उच्च आद्रता वाले शीतागार, कंट्रोल्ड एटमॉस्फियर (सीए) जैसे पूर्व-प्रशीतन सुविधाओं सहित समेकित पैक हाउस सुविधाएं।

(iv) पश्चिम बंगाल एवं गुजरात में आलू प्रसंस्करण इकाईयां।

(v) आंध्र प्रदेश में आम के गूदे के लिए असेप्टिक पैकेजिंग इकाई।

इसके अलावा, निर्यातकों को अवसंरचना विकास स्कीम के माध्यम से कूल चेन को बनाए रखने के लिए रीफर वैन की खरीद, समेकित पैक गृहों, पूर्व — प्रशीतन सुविधाओं, उच्च आर्द्रता वाले शीतागारों की स्थापना के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है, जिससे भारत से निर्यात किए जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता के स्तर को बनाए रखने में सहायता मिलती है।

(ग) और (घ) कृषि उत्पादों के निर्यात हिस्से में सुधार करने के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा कोई विशिष्ट अनुसंधान/अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि XIIवीं पंचवर्षीय योजना (एफवाईपी) में एपीडा की योजना स्कीमों को तैयार करने से पूर्व एपीडा ने मै. प्राइस वाटर हाउस कूपर्स (पीडब्ल्यूसी), एक परामर्शदाता के जरिए XIIवीं पंचवर्षीय योजना की अपनी योजना स्कीमों का मूल्यांकन किया था। अत: एपीडा की योजना स्कीमों को मूल्यांकन रिपोर्ट की सिफारिश के अनुसार तैयार किया गया था। सरकार ने XIIवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में कार्यान्वयन हेतु 1100 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ योजना स्कीमों को निम्नलिखित संघटकों के लिए अनुमोदित किया है:—

(i) अवसंरचना विकास स्कीम

(ii) गुणवत्ता विकास स्कीम

(iii) बाजार विकास स्कीम

(iv) परिवहन सहायता हेतु स्कीम

जलवायु को नुकसान पहुंचाने वाली प्रशीतक गैसें

1618. श्री पोन्नम प्रभाकर : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका हमारे देश पर जलवायु को नुकसान पहुंचाने वाली प्रशीतक गैसों को किसी विकल्प से बदलने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (ग) कुछ अन्य देशों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) वर्ष 2009 से मॉन्ट्रियाल प्रोटोकोल के अन्तर्गत हाइड्रोफ्लोरोकार्बनों (एचएफसी) की चरणबद्ध रूप से कटौती करने हेतु मॉन्ट्रियाल प्रोटोकोल में संशोधन का प्रस्ताव रखता रहा है। एचएफसी के गैर-ओडीएस होने के कारण, भारत और मॉन्ट्रियाल प्रोटोकोल के समान विचारधारा वाले अनेक पक्षकारों द्वारा एचएफसी की चरणबद्ध कटौती हेतु प्रस्तावित संशोधन का विरोध किया जाता रहा है। ओजोन परत को समाप्त करने वाले तत्वों संबंधी मॉन्ट्रियाल प्रोटोकोल, केवल ओजोन परत के संरक्षण के लिए ओडीएस के उत्पादन एवं उपभोग को चरणबद्ध ढंग से कम करने हेतु ही प्रयोज्य है। एचएफसी से संबंधित कोई भी संशोधन मॉन्ट्रियाल प्रोटोकोल के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है और ऐसा करने से कानूनी, नीतिगत तथा तकनीकी मुद्दे उभरेंगे। तथापि, यूएसए एचएफसी में चरणबद्ध रूप से कमी करने हेतु संशोधन प्रस्ताव पर सहमत होने के लिए भारत के साथ वार्ता करता रहा है।

चूंकि विशेषकर अधिकांश अनुप्रयोगों, जिनमें एचएफसी का व्यापक प्रयोग हो रहा है, के लिए तकनीकी रूप से सिद्ध, आर्थिक रूप से व्यवहार्य, वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध और सुरक्षित कोई गैर-एचएफसी प्रौद्योगिकी मौजूद नहीं है, अत: भारत द्वारा जलवायु को क्षति पहुंचाने वाले प्रशीतकों को किसी विकल्प से बदलने के निहितार्थ समझने के प्रयास किए जा रहे हैं। हाल के वर्षों में, निम्नतर-जीडब्ल्यूपी वाली कुछ गैर-एचएफसी प्रौद्योगिकियां उभरी हैं किन्तु इनमें से अधिकांश ज्वलनशील और स्वामित्व वाली हैं।

संशोधनों पर मॉन्ट्रियाल प्रोटोकोल के पक्षकारों के असहमत होने के बावजूद यूएसए पिछले पांच वर्षों से संशोधन हेतु प्रयास करता रहा है। हाल ही में 27 सितम्बर, 2013 को वाशिंगटन डी.सी. में राष्ट्रपति बराक ओबाम के साथ हुई भारत के माननीय प्रधानमंत्री की शिखर बैठक में दिए गए संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने हाइड्रोफ्लोराकार्बनों पर भारत-यू.एस. टास्क फोर्स की बैठक तत्काल आयोजित किए जाने पर सहमति जताई ताकि उसमें अन्य बातों के साथ-साथ, उन बहुपक्षीय दृष्टिकोणों पर विमर्श किया जा सके जिनमें आर्थिक तथा तकनीकी रूप से व्यवहार्य विकल्पों के आधार पर एवएफसी के उपभोग एवं उत्पादन को चरणबद्ध रूप से कम करने के लए मॉन्ट्रियाल प्रोटोकोल की विशेषज्ञता और संस्थाओं का प्रयोग किया जाना और एचएफसी को उत्सर्जनों के लेखाकरण एवं रिपोर्टिंग के लिए जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र कार्यढांचे (यूएनएफसीसी) तथा इसके क्योटो प्रोटोकोल के दायरे में लाना शामिल है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण

1619. श्री अनुराग सिंह ठाकुर : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा में सफाई बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा गंगा की सफाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में वर्ष-वार कितनी धनराशि आवंटित और व्यय की गई है;

(घ) क्या सरकार मौजूदा क्लीन वाटर एक्ट, 1974 में संशोधन करने की योजना बना रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक संशोधित किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) एक सम्यक नदी बेसिन दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रदूषण का प्रभावी उपशमन और गंगा नदी का संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से फरवरी, 2009 में एक अधिकार प्राप्त, आयोजना, वित्त पोषण, निगरानी और समन्वय प्राधिकारण के रूप में राष्ट्रीय गंगा नदि बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) का गठन किया गया। एनजीआरबीए के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्यों में सीवरेज प्रणाली बिछाना, सीवेज शोधन संयंत्रों, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, औद्योगिक प्रदूषण के नियंत्रण हेतु साझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों की स्थापना, नदी तटाग्र प्रबंधन, शवदाहगृह आदि शामिल हैं। एनजीआरबीए कार्यक्रम के अन्तर्गत गंगा नदी वाले राज्यों में 44 नगरों में 3031.02 करोड़ रुपए की कुल लागत से 56 स्कीमें मंजूर की गई हैं। केन्द्र से राज्यों को 988.63 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है और उक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सितम्बर, 2013 तक 785.16 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है।

(ग) एनजीआरबीए के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान आवंटित तथा व्यय की गई राशि संबंधी ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

वर्ष	आवंटित राशि (करोड़ रुपए में)	एनजीआरबीए के अंतर्गत किया गया व्यय (करोड़ रुपए में)
2010-11	500.00	81.14
2011-12	500.00	236.48
2012-13	512.50	329.99
2013-14 (सितंबर)	355.00	137.55
कुल	1867.50	785.16

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) इस अधिनियम में परिकल्पित उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता रहा है।

स्वदेशी कपास मिलों का पेंशन भुगतान

1620. श्री कपिल मुनि करवारिया : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद में नैनी स्थित स्वदेशी कपास मिलों से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले चुके कर्मचारियों और अधिकारियों की पेंशन के भुगतान में अनियमितताएं सरकार के ध्यान में आई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) राष्ट्रीय वस्त्र

निगम (एनटीसी) द्वारा स्वदेशी कपास मिल, नैनी, इलाहाबाद को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत 2009 में बंद कर दिया गया है। अधिकांश कर्मचारियों ने, संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (एमवीआरएस) मुआवजे का भुगतान होने पर राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा पेशकश की गई एमवीआरएस का विकल्प चुना है। स्वदेशी कपास मिल नैनी इलाहाबाद के कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम

1621. श्री पी. विश्वनाथन : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) के विक्रय और निवल लाभ में अत्यधिक कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने एनएफडीसी के लाभ और कारोबार में भी सुधार लाने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आगामी तीन वर्षों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा इस संबंध मे क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान कंपनी के कार्यनिष्वादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

क्र.सं.	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13
1.	बिक्री (मात्रा एलएमटी में)	263.15	273.01	262.74
2.	बिक्री (करोड़ रुपए में)	11368.94	11261.89	10704.27
3.	निवल लाभ (करोड़ रुपए में)	6499.22	7265.39	6342.37

एनएमडीसी लिमिटेड की बिक्री और निवल लाभ वर्ष 2012-13 को छोड़कर वर्ष दर वर्ष निरंतर बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों बाजारों में लौह अयस्क की कीमत में गिरावट होने के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी की स्थितियां उत्पन्न होने के कारण वर्ष 2012-13 के दौरान एनएमडीसी की बिक्री और हुई थी। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार दौणिमलै क्षेत्र में 10 प्रतिशत बिक्री आय को कर्नाटक में एसपीवी को देने से वर्ष 2012-13 में कंपनी के व्यय में 337.13 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है।

(ग) और (घ) लौह अयस्क खनन एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार एनएमडीसी लिमिटेड के वाणिज्यिक क्रियान्वयन में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है।

[हिन्दी]

जेनेरिक दवाओं के लिए अनिवार्य लाइसेंस

1622. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **वाणिज्यि और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में तीन कैंसर-रोधी जेनेरिक दवाओं के उत्पादन के लिए अनिवार्य लाइसेंस जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन दवाओं से लाभान्वित होने वाले कैंसर के मरीजों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्यि और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. ई.एम.एस. नाच्चीयप्पन) : (क) जी, नहीं। सरकार के समक्ष देश में तीन कैंसर-रोधी जेनेरिक दवाओं के उत्पादन के लिए अनिवार्य लाइसेंस जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके अतिरिक्त, यदि कोई दवा जेनेरिक दवा के रूप में वर्गीकृत है तो अनिवार्य लाइसेंस जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972

1623. श्री पन्ना लाल पुनिया : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का आवारा पशुओं को वन्यजीवों की श्रेणी में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त श्रेणी में इन्हें शामिल करने का आधार क्या है; और

(घ) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) जी, हां। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2013 राज्य सभा में दिनांक 5 अगस्त, 2013 को प्रस्तुत किया गया है। इस बिल के पारित होने के संबंध में कोई विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

[अनुवाद]

सशस्त्र बलों में महिलाएं

1624. श्री मनोहर तिरकी :

श्री नरहरि महतो :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र बलों की तीनों सेवाओं में महिला कार्मिकों की वास्तविक संख्या कितनी है और पुरुष अधिकारियों की तुलना में इनका अनुपात कितना है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भर्ती की गई महिला अधिकारियों का श्रेणी-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सशस्त्र बलों में लड़ाकू ड्यूटियों के लिए महिला अधिकारियों की भर्ती करने का है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान करने की स्थिति सहित सशस्त्र बलों में महिलाओं को शामिल करने तथा रोजगार देने के लिए कोई नीति बनाई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) सशस्त्र बलों की तीनों सेनाओं में महिला कार्मिकों की वास्तविक संख्या तथा पुरुष अधिकारियों की तुलना में इसका अनुपात निम्नलिखित है:—

थलसेना (01.07.2013 तक)		नौसेना (12.12.2013 तक)		वायु सेना (02.12.2013 तक)	
वास्तविक संख्या	पुरुष अधिकारियों की तुलना में अनुपात	वास्तविक संख्या	पुरुष अधिकारियों की तुलना में अनुपात	वास्तविक संख्या	पुरुष अधिकारियों की तुलना में अनुपात
1289	1:28.1	337	1:26	1334	1:7.9

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, भर्ती की गई महिला अधिकारियों का सेवा-वार ब्यौरा निम्नलिखित है:—

वर्ष	थलसेना	नौसेना	वायु सेना
2010	93	39	159
2011	166	68	143
2012	157	32	136

थल सेना में राज्य-वार ब्यौरा नहीं रखा जाता है। नौसेना और वायु सेना का राज्य-वार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) सरकार ने 11 नवम्बर, 2011 को एक पत्र जारी किया जिसमें, अन्य बातों के साथ, अल्प सेवा कमीशन प्राप्त महिला अधिकारियों (एसएससीओ) को स्थायी कमीशन प्रदान करने के सहित सशस्त्र बल (आर्मड फोर्स) में महिलाओं को शामिल करने और रोजगार देने संबंधी नीति निर्धारित की गई है जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है:—

(i) महिला अधिकारियों को ऐसी शाखाओं/संवर्गों में शामिल किया जाना जारी रखा जाए जहां उन्हें वर्तमान में, तीनों सेनाओं में शामिल किया जा रहा है;

(ii) तीनों सेनाओं अर्थात थलसेना के जज एडवोकेट जनरल

(जेएजी) और थल सेना शिक्षा कार्पोरेशन (एईसी) तथा नौसेना और वायु सेना में उनकी तदनुरूपी शाखाओं, नौसेना में नौ अनुदेशक तथा वायु सेना में लेखा शाख की विशिष्ट शाखाओं मं स्थायी कमीशन प्रदान हेतु विचार किए जाने के लिए पुरुष एसएससीओ के साथ-साथ महिला एसएससीओ भी पात्र होंगी।

(iii) उपर्युक्त के अलावा, वायु सेना की तकनीकी, प्रशासनिक, लॉजिस्टिक्स और मेट्रोलॉजी शाखाओं में स्थायी कमीशन प्रदान करने के लिए पुरुष एसएसीओ के साथ-साथ महिला एसएससीओ भी पात्र होंगी।

स्थायी कमीशन प्रदान करना अभ्यर्थी की स्वेच्छा और सेवा विशिष्ट आवश्यकताओं, रिक्तियों की उपलब्धता, उपयुक्तता प्रत्येक सेवा द्वारा यथा निर्धारित अभ्यर्थी के मेरिट के शर्ताधीन है।

इसके अलावा, थलसेना में महिला अधिकारियों के स्थायी कमीशन प्रदान करने से संबंधित एक मामला उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है।

विवरण-I

नौसेना में भर्ती की गई महिला अधिकारियों की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य	2010	2011	2012
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2	6	4
2.	असम	1	0	1
3.	बिहार	0	2	0
4.	छत्तीसगढ़	0	2	1
5.	चंडीगढ़	0	2	0
6.	दिल्ली	3	3	2
7.	हिमाचल प्रदेश	0	1	3
8.	हरियाणा	3	7	8
9.	जम्मू और कश्मीर	0	1	0
10.	झारखंड	1	2	0
11.	केरल	2	6	0
12.	कर्नाटक	3	0	0
13.	महाराष्ट्र	2	2	1
14.	मणिपुर	0	1	0
15.	मध्य प्रदेश	2	6	2
16.	ओडिशा	0	1	0
17.	पंजाब	2	3	1
18.	राजस्थान	4	2	1
19.	तमिलनाडु	5	3	1
20.	उत्तराखंड	4	7	4
21.	उत्तर प्रदेश	5	10	3
22.	पश्चिम बंगाल	0	1	0
	कुल	39	68	32

विवरण-II

वायुसेना में भर्ती की गई महिला अधिकारियों की राज्य-वार संख्या

राज्य	2010	2011	2012
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	3	2	2
असम		1	
बिहार	1	3	2
चंडीगढ़	2	1	
दिल्ली	16	11	10
गोवा		2	
गुजरात	1	2	4
हिमाचल प्रदेश	3	2	4
हरियाणा	23	18	19
जम्मू और कश्मीर	3	5	4

1	2	3	4
झारखंड	1	3	
कर्नाटक	7	6	4
केरल	3	6	10
मध्य प्रदेश	3	6	4
महाराष्ट्र	11	8	7
मणिपुर	1	2	1
ओडिशा	3	4	2
पंजाब	16	11	12
राजस्थान	10	7	7
तमिलनाडु	6	1	3
उत्तर प्रदेश	26	28	24
उत्तराखंड	11	7	9
पश्चिम बंगाल	1	4	4
अन्य	8	2	4
कुल	159	143	136

राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रकाश और संकेतकों की सुविधाएं

1625. श्री एस. सेम्मलई : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय राजमार्ग-7 सहित तमिलनाडु में अधिकांश राष्ट्रीय राजमार्गों पर समुचित प्रकाश और संकेतकों की सुविधाएं नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार न इस संबंध में कोई कार्रवाई की है/करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) से (ग) सामान्यत: भारत सरकार की राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रकाश की सुविधा प्रदान करने की कोई नीति नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात वाहन अपने निजी प्रकाश के साथ चलते हैं। तथापि, 300 मीटर और इससे अधिक लंबाई के नए पुलों, के विद्युतीकरण के लिए लाइट पोस्ट और केबल डक्ट्स जैसे संरचनात्मक तत्वों को यदि आवश्यक हो, तो यह सुविधा प्रदान की जा सकती है, बशर्तें कि म्यूनिसिपल बोर्ड/संबंधित स्थानीय प्राधिकरण प्रारंभिक लागत को पूरा करने और वायरिंग, लैम्पों इत्यादि की लागत को शामिल करते हुए तदनन्तर वैद्युतिक संस्थापानाओं के अनुरक्षण प्रभारों और विद्युत प्रभारों को भी वहन करने के लिए तैयार हो।

सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाओं में शहरी क्षेत्र में, जंक्शनों, पुलों पथकर प्लाजा इत्यादि में प्रकाश की सुविधाएं रियायत करार के अधिकार-क्षेत्र के अनुसार रियायतग्राही द्वारा प्रदान की जाती हैं और रियायत अवधि के दौरान सुविधाएं अनुरक्षित भी की जाती है। यदि संकेतक मंद पाये जाते हैं। तो मंत्रालय द्वारा मूल अनुमान के अभिन्न अंग के तौर पर संकेतकों के प्रावधान की मंजूरी दी जाती है। तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-7 पर लगभग 108 अदद हाईमास्ट और 929 अदद स्ट्रीट लाइटें प्रदान की गई हैं।

[हिन्दी]

आईएनएस सरयू

1626. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा शिपयार्ड द्वारा देश में निर्मित गश्ती जहाज आईएनएस सरयू को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत भारतीय नौसेना के लिए देश में निर्मित इस प्रकार के जहाजों के उत्पादन के लिए किसी परियोजना पर काम कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। भा.नौ.पो. सरयू को 21 जनवरी, 2013 को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इस पोत का बेस पोर्ट ब्लेयर में है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी सरोकारों के मद्देनजर अन्य परियोजनाओं के बारे में विस्तृत सूचना प्रकट करना वांछनीय नहीं है।

उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत

1627. श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सीमावर्ती क्षेत्रों विशेषकर ऋषिकेश-टिहरी होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों और उत्तराखंड के उत्तरकाशी राष्ट्रीय राजमार्ग दयनीय स्थिति में हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत के लिए कोई कार्रवाई की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) से (घ) देश के सीमावर्ती क्षेत्रों से होकर गुजरने वाले तथा उत्तराखंड के रारा-94 (ऋषिकेश-टिहरी-धरासू) और रारा-108 (धरासू-उत्तरकाशी-गंगोत्री) सहित अनेकों राष्ट्रीय राजमार्ग भारी वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुए थे। कार्यपालक एजेंसियों के माध्यम से इस संबंध में तत्काल कार्रवाई की गई और यथासंभव न्यूनतम समय में संचार लाइन की बहाली की गई। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत पर किया गया व्यय निम्नवत् है:-

वर्ष	करोड़ रुपए में
2010-11	63.82
2011-12	51.48
2012-13	44.99
2013-14 (नवंबर, 2013 तक)	30.08

सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण

1628. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :
श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला :
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण हेतु वर्ष 2012 से शुरू 5 वर्ष और 15 वर्ष के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ आवंटित धनराशि सहित तत्संबंधी सेवा-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) रक्षा संबंधी खरीद को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) जी, हां। सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण 15 वर्षीय दीर्घावधिक एकीकृत संदर्शी योजना (एलटीआईपीपी), पंचवर्षीय सेना पूंजीगत अधिग्रहण योजना (एससीएपी) तथा वार्षिक अधिग्रहण योजना (एएपी) के अनुसार किया जाता है।

(ख) 2013-14 के दौरान सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए पूंजीगत अधिग्रहण हेतु बजटीय आवंटन निम्नांकित है:-

सेना	बजट अनुमान (बीई) (2013-14) (रुपए करोड़ में)
थल सेना (ओएफबी और डीजीएएफएमएस सहित)	13327.04
नौसेना	22738.70
वायु सेना	37049.06
संयुक्त स्टाफ	329.79
कुल	73444.59

(ग) रक्षा उपस्कर की अधिप्राप्ति रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डीपीपी) तथा रक्षा अधिप्राप्ति नियमावली (डीपीएम) के अनुसार की जाती है। इस प्रक्रिया में कड़े उपबंध निहित हैं जिनका लक्ष्य मानक संविदा खंडों में निम्नलिखित उपबंधों को रखकर उच्च श्रेणी की सत्यनिष्ठा, जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है:-

(i) पूर्व सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर करना।

(ii) अनुचित प्रभाव के इस्तेमाल हेतु दंड।

(iii) एजेंटों के इस्तेमाल और कमीशनों के भुगतान की रोकथाम।

[अनुवाद]

डीजीएमओ की बैठकें

1629. श्री ए. गणेशमूर्ति :
श्री एन.एस.वी. चित्तन :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार नियंत्रण रेखा की स्थिति पर चर्चा करने के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों की सरकारों के डीजीएमओ की बैठकें आयोजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बैठक के कब तक आयोजित किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ग) न्यूयार्क में दिनांक 29 सितंबर, 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की साइडलाइन्स पर भारत के प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के बीच हुई बैठक के दौरान इस बात पर सहमति बनी थी कि दोनों पक्षों के महानिदेशक, सैन्य संक्रिया को युद्ध विराम के प्रवर्तन और पुनर्स्थापन के प्रभावी उपायों का सुझाव देने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह बनी रहे, उपाय सुझाने के लिए आपस में बैठक करनी चाहिए।

भारत और पाकिस्तान के महानिदेशक, सैन्य संक्रिय की बैठक अभी तक तय नहीं की गई है।

भारत-रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास

1630. श्री आर. ध्रुवनारायण :
श्री सुरेश कुमार शेटकर :
श्री पोन्नम प्रभाकर :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत और रूस ने सैन्य तकनीकी संबंधों पर चर्चा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या निकट भविष्य में भारत और रूस का विचार राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) सैन्य तकनीकी सहयोग पर भारत-रुस अन्तरसरकारी आयोग की 13वीं बैठक दिनांक 18 नवंबर, 2013 को रूस में हुई थी। बैठक की सह-अध्यक्षता रक्षा मंत्री और रूसी संघ के रक्षा मंत्री द्वारा की गई थी। बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने रक्षा सहयोग से संबंधित कई द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।

(ग) और (घ) भारत और रूस की सेनाएं समय-समय पर संयुक्त सैन्य अभ्यास करती रहती हैं। दोनों देशों की सेनाओं के बीच 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास 17 और 28 अक्तूबर, 2013 के बीच राजस्थान में हुआ था। ऐसे अभ्यास आपसी सुविधानुसार संचालित किए जाते हैं।

कोचीन शिपयार्ड को कार्यनिष्पादन

1631. श्री एंटो एंटोनी : क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के कार्यनिष्पादन के संबंध में कोई रिकॉर्ड है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि में सीएसएल के लाभ में कोई वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान सरकार को सीएसएल द्वारा कितने लाभांश का भुगतान किया गया;

(ङ) क्या सीएसएल एक अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत इकाई स्थापित करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो परियोजना पर आने वाली अनुमानित लागत सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सीएसएल की क्षमता का उन्नयन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन) : (क) से (घ) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) का कार्य निष्पादन विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निम्नानुसार है:—

रुपए करोड़ में

विवरण	2013-14 (30.09.2013 तक)	2012-13	2011-12	2010-11
कुल बिक्री	869.80	1554.16	1404.85	1461.72
कुल आय	903.10	1642.33	1481.54	1589.17
कर पश्चात लाभ (पीएटी)	125.98	185.27	172.33	227.53
इक्विटी शेयर पर लाभांश		16.99	16.99	11.32

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2011-12 के लाभ में कमी आई और वर्ष 2012-13 में वृद्धि हुई।

(ङ) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) ने पोत मरम्मत की लघु एवं मध्यम अवधि में भावी वृद्धि की संभावनाओं वाले क्षेत्र के रूप में पहचान की है। तद्नुसार कंपनी ने कोचीन पत्तन न्यास में अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा परियोजना के माध्यम से इसका पहला विस्तार किया है। कंपनी ने 24 दिसंबर, 2012 को आईएसआरएफ सुविधा का विकास करने के लिए कोची पत्तन न्यास के संविदा पर हस्ताक्षर किए।

कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन शिपयार्ड लि. और कोचीन कार्यशाला के कामगार मजदूर संघ के बीच अपनाए जा रहे समझौता ज्ञापन पर 15 अप्रैल, 2013 को हस्ताक्षर किए और प्रथम चरण के अंतर्गत भूमि/जल क्षेत्र की लीज डीडी 12 अप्रैल, 2013 को कार्यान्वित की गई। ड्राई डॉक सहित भूमि/जल क्षेत्र और विद्यमान अवसंरचनात्मक सुविधाओं से संबंधित कार्य को 12 अप्रैल, 2013 को संभाल लिया। विद्यमान सुविधाएं प्रचालित की जा चुकी है और पहला पोत 25 मई, 2013 को डॉक किया गया। परियोजना का कुल अनुमानित पूंजीगत व्यय 487 करोड़ रुपए है।

(च) सीएसएल उन्नयन/आधुनिकीकरण पर 40-50 करोड़ रुपए वार्षिक व्यय के साथ आंतरिक संसाधनों के माध्यम से क्षमता बढ़ा रहा है।

वन क्षेत्र में कमी

1632. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल :
श्री अनुराग सिंह ठाकुर :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है कि पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने हिमालय क्षेत्र में तीव्र गति से घटते वन क्षेत्र पर चिन्ता व्यक्त की है और इसे पारिस्थितिकीय और पर्यटन दोनों दृष्टिकोण से बचाने के लिए कदम उठाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (ग) भारत वन स्थिति रिपोर्ट, 2011 के अनुसार 2009 में किए गए वनावरण मूल्यांकन की तुलना में हिमालय के वन क्षेत्र सहित देश में वन क्षेत्र में 367 वर्ग किलोमीटर की शुद्ध कमी हुई है। देश में वन तथा वृक्षावरण का विस्तार करने के लिए मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित पहलें की गई हैं:—

(i) पर्यावरण और वन मंत्रालय देश में अवक्रमित वनों और समीपवर्ती क्षेत्रों की बहाली के लिए राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) की एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। यह स्कीम राज्य स्तर पर राजय वन विकास एजेंसी (एसएफडीए), वन प्रभाग स्तर पर वन विकास एजेंसी (एफडीए) और ग्राम स्तरों पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जेएफएमसी) के विकेन्द्रित कार्यतंत्र द्वारा कार्यान्वित की जाती है। वर्ष 2002 में स्कीम की शुरूआत से लेकर 31.03.2012 तक 18.86 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को संसाधित करने के लिए देश के 28 राज्यों में 800 एफडीए परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं।

(ii) मंत्रालय वनों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए वन प्रबंधन का तीव्रीकरण स्कीम (आईएफएमएस) के अंतर्गत राज्यों को धनराशि जारी करता है जिसमें अवसंरचना, अग्नि सुरक्षा, वन सीमाओं का सीमांकन, फ्रंट लाइन स्टाफ के लिए सुविधाओं का निर्माण और संसूचना शामिल हैं।

(iii) केन्द्र सरकार द्वारा घोषित जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत हरित भारत हेतु एक राष्ट्रीय मिशन पर विचार किया गया है। इसके उद्देश्यों में पारिपुन:स्थापन/वनीकरण के माध्यम से वनावरण/पारिप्रणालियों का सुधार और नये वनावरण का सृजन किया जाना शामिल हैं।

(iv) 13वें वित्त आयोग के अवार्ड के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय औसत के संदर्भ में उनके वनावरण के आधार पर 5000 करोड़ रुपए "वन अनुदान" के रूप में आवंटित किए गए हैं।

(v) विभिन्न बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत भी वनीकरण संबंधी कार्यकलाप किए जाते हैं।

[हिन्दी]

चिड़ियाघरों का विकास

1633. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों में चिड़ियाघरों का विकास करने के लिए राज्यों के स्थानीय निकायों को सहायता प्रदान करने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में सिद्धार्थ गार्डन स्थित चिड़ियाघरों के विकास के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कार्यकलाप आधार पर स्थानीय निकायों सहित विभिन्न अभिकरणों द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों को निम्नवत् वित्तीय सहायता प्रदान करता है:—

(i) नए पशु बाड़ों के निर्माण/संकटापन्न प्रजातियों हेतु मौजूदा पशु बाड़ों का आधुनिकीरण, पशुचिकित्सा सुविधाओं का सृजन/उन्नयन, अनुसंधान ओर प्रशिक्षण के लिए 100% सहायता दी जाती है और

(ii) चिड़ियाघरों में फुटपाथों, इलैक्ट्रिसिटी नेटवर्क, जल वितरण नेटवर्क, ड्रेनेज/सीवेज प्रणाली, सुरक्षा बाड़/चारदीवारी, शिक्षा और गैर-वाणिज्यिक उपयोग की आंगुतको के सुविधाओं के विकास जैसी अवसंरचना के विकास/सुधार हेतु 50% सहायता दी जाती है।

(ग) से (ङ) औरंगाबाद नगर पालिका चिड़ियाघर के लिए चिड़ियाघर संचालक, औरंगाबाद का नगर निगम है। अत: चिड़ियाघर के विकास के लिए निगम द्वारा कदम उठाए जाने हैं। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से सहायता प्राप्त करने के लिए आवश्यकता के रूप में चिड़ियाघर के लिए मास्टर (ले आऊट) प्लान का अनुमोदन पहले ही प्रदान किया जा चुका है। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण में चिड़ियाघर के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कोई निवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

उत्कृष्टता केन्द्र

1634. श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री हरीश चौधरी :
श्री ई.जी. सुगावनम :

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खिलाड़ियों की प्रतिभा का विकास करने और खेलों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी देश बनाने के लिए देश में खेलों के लिए 'खेल प्रतिभाओं की खोज और विकास' योजना के अधीन उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये केन्द्र गुजरात और राजस्थान सहित देश में कब तक स्थापित कर दिए जाएंगे; और

(ग) ऐसे केन्द्रों के लिए आवश्यक अनुमानित बजट कितना होगा और अब तक केन्द्र-वार, राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है/स्वीकृत की गई है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) देश में खेल प्रतिभा की पहचान और पोषण के लिए देश के प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय खेल विद्यालय (डीएलएसएस) विकसित करने का प्रस्ताव है। यह भी प्रस्ताव है कि डीएलएसएस के छात्रों में सर्वाधिक प्रतिभावान जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करे, उसे भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के उत्कृष्टता केन्द्रों में प्रवेश दिया जाएगा। यह भी प्रस्ताव है कि मौजूदा उत्कृष्टता केंद्रों के अलावा और उत्कृष्टता केन्द्र खोले जाएं। तथापि, समस्त परियोजना अभी संकल्पना के चरण में है। अत: ऐसी स्थिति में कोई विवरण मुहैया नहीं कराया जा सकता है।

[अनुवाद]

भारत-म्यांमार रक्षा समझौता

1635. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारतीय थेल सेना प्रमुख ने म्यांमार का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बेहतर बनाने के लिए हुई चर्चाओं और भविष्य के लिए तैयार की गई रणनीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत ने म्यांमार में चीन की बढ़ती उपस्थिति पर रोक लगाने हेतु म्यांमार को दी जा रही 'सैन्य सहायता' में वृद्धि की है; और

(घ) यदि हां, तो म्यांमार के साथ उपकरणों, प्रशिक्षण और अन्य क्षेत्रों में किए गए कुल रक्षा संबंधी सौदों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) सेनाध्यक्ष ने 30 अक्तूबर से 2 नवंबर तक म्यांमार का दौरान किया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच सहयोग पर सहित रक्षा और सुरक्षा मामलों पर अपने समकक्ष और अन्य गणमान्य व्यक्तियों और अधिकारियों के साथ बातचीत की।

(ग) और (घ) रक्षा सहयोग के संबंध में मित्र देशों से समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते हैं तथा राष्ट्रीय हित के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उन पर विचार किया जाता है।

[हिन्दी]

मेरठ-मुजफ्फरनगर-हरिद्वार खंड का विकास

1636. श्रीमती तबस्सुम हसन : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 के मेरठ-मुजफ्फरनगर-हरिद्वार खंड पर विकास कार्य शुरू कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है और यह कब तक पूरा हो जाएगा;

(ग) क्या सरकार को इस खंड पर निर्मित/विकसित हिस्से के खराब रखरखाव के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है और राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों और टोल सड़कों की अनुरक्षण संबंधी नीति क्या है और इस संबंध में किस प्राधिकारी को शिकायत की जा सकती है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) से (घ) खतौली और मुजफ्फरनगर बाईपास सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 के मेरठ से मुजफ्फरनगर तक के खंड को वर्ष 2011 में बीओटी (पथकर) आधार पर दो लेन से चार लेन में पहले ही विकसित किया जा चुका है। मुजफ्फरनगर-हरिद्वार खंड के लिए कार्य सौंप दिया गया है और इसे फरवरी, 2013 तक पूरा किया जाना नियत किया गया था। तथापि कार्य की प्रगति पर रियायतग्राही द्वारा संसाधनों को अल्प मात्रा में जुटाए जाने के अलावा भूमि अधिग्रहण, पेड़ों की कटाई आदि जैसी निर्माण पूर्व गतिविधियों में विलंब के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। रियायतग्राही को कार्य में तेजी लाने के लिए नोटिस जारी किया गया है। मेरठ-मुजफ्फरनगर-हरिद्वार खंड का अनुरक्षण संबंधित रियायतग्राही द्वारा किया जा रहा है। जब भी कभी अल्प अनुरक्षण के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तब सड़क को यातायात योग्य स्थिति में बनाए रखने के लिए रियायत करार के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

आरएफआईडी टैग्स लगाना

1637. श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेटों से युक्त वाहनों पर रेडियो फ्रीक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेशन (आरएफआईडी) टैग्स लगाए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी कारण क्या है;

(ख) क्या यह भी सही है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अधीन वाहनों पर आरएफआईडी टैग्स और एचएसआरपी लगाने का कोई उपबंध नहीं है और यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) क्या सरकार ने वाहनों पर आरएफआईडी और एचएसआरपी लगाने से होने वाले जोखिमों का विश्लेषण किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) से (ग) मोटर वाहनों पर सुरक्षा लाइसेंस प्लेट के रूप में पंजीकरण चिह्न प्रदर्शित किए जाने के लिए मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 8, 9, 11, 12, 15, 17, 19, 27, 44, 47, 49, 51, 54, 56, 64, धारा 88 की उप धारा (14) और धारा 110 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई 28 मार्च, 2001 की अधिसूचना सा.का.नि. 221(अ) द्वारा केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 50 को संशोधित किया गया था। एम और एन श्रेणी के मोटर वाहनों में रेडियों फ्रीक्वेंसी आइडेंटीफिकेशन टैग लगाया जाना, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 110 की उप धारा (3) के अनुच्छेद (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 8 अप्रैल, 2013 की अधिसूचना सा.का.नि. 207(अ) के माध्यम से केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 108 में संशोधन करके अधिसूचित किया गया थाा। उक्त संशोधन आम जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जाने और उन पर विचार किए जाने के पश्चात् किए गए थे।

कौशल विकास मिशन

1638. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी :
श्री राम सुन्दर दास :
श्री कपिल मुनि करवारिया :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में एक व्यापक कौशल विकास नीति बनाने के लिए विभिन्न कौशल विकास एजेन्सियों के कार्यकलापों में एकरूपता लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ग्लोबल मेजर और शीर्षस्थ भारतीय कंपनियों द्वारा कौशल विकास पाठयक्रम के प्रमाणन हेतु सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर भी विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के एक भाग के रूप में सरकार द्वारा तैयार की गई रूपरेखा का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार विचार आईटीआई संस्थाओं और अन्य कौशल विकास पाठयक्रमों में प्रवेश के लिए लोगों को औपचारिक शिक्षा मानकों में ढील देने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) और (ख) सरकार ने विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम तथा निजी क्षेत्र में कौशल विकास दृष्टिकोण को समन्वित एवं सुव्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण की स्थापना की है।

(ग) और (घ) सरकार ने एनएसडीसी की सहायता से क्षेत्रक कौशल परिषदों के माध्यम से कौशल प्राप्ति एवं इसके उपरांत प्रमाणपत्र के स्वैच्छिक उद्धहरण को प्रोत्साहित करने हेतु एक योजना का अनुमोदन किया है।

(ङ) सरकार ने 12वीं योजना अवधि में 5 करोड़ व्यक्तियों को कुशल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

(च) और (छ) आईटीआई में किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम अथवा कौशल विकास पहल योजना के तहत चलाए जा रहे पाठयक्रम में प्रवेश प्राप्त करने के लिए किसी अभ्यर्थी से न्यूनतम शिक्षा अर्हता के संबंध में मानक राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तथा समय-समय पर संशोधित किए जाते हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 का विकास

1639. श्री भरत राम मेघवाल :
श्री हमदुल्लाह सईद :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 की हालत विशेषरूप से दिल्ली से जयपुर तक बहुत खस्ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत/विकास हेतु कोई कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है और राष्ट्रीय राजमार्ग पर मरम्मत और विकास कार्य कब तक पूरा हो जाएगा;

(घ) क्या सरकार को विदित है कि उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के दिल्ली-जयपुर खंड पर पर्याप्त संख्या में गन्तव्य संकेतक प्रदर्शित नहीं किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण और मरम्मत किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है और उन्हें उपलब्ध संसाधनों की सीमा में यातायात योग्य स्थिति में बनाए रखा जा रहा है। तथापि रारा-8 के गुडगांव-कोटपूतली-जयपुर खंड की अवस्था विशेष रूप से मानसून के दौरान खराब थी, इस समय इस खंड का अनुरक्षण रियायतग्राही के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रियायत करार के प्रावधानों के अनुरूप किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) रियायतग्राही और स्वतंत्र इंजीनियर को तुरंत छूटे हुए सभी गंतव्य संकेतकों को प्रदर्शित करने का अनुदेश दिया गया है।

सचिन तेन्दुलकर को भारत रत्न

1640. श्री रामकिशुन : क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "भारत रत्न" के लिए सचिन तेन्दुलकर के नाम की सिफारिश की है;

(ख) क्या सचिन तेन्दुलकर के नाम को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त हुआ था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो अनुमोदन के बिना सचिन तेन्दुलकर को भारत रत्न देने पर विचार किए जाने के क्या कारण हैं?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) से (घ) विद्यमान कार्यप्रणाली के अनुसार, प्रधानमंत्री भारत रत्न के लिए नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को करता है और राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात राष्ट्रपति सचिवालय भारत रत्न के लिए नाम की घोषणा करता है। प्रधानमंत्री अपनी इच्छानुसार किसी से भी विचार-विमर्श करने या परामर्श लेने के लिए स्वतंत्र हैं। इस संबंध में किसी औपचारिक सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। 15.11.2013 को प्रधानमंत्री ने भारत रत्न प्रदान करने के लिए श्री सचिन तेन्दुलकर के नाम की सिफारिश की थी जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा 16.11.2013 को अनुमोदित कर दिया गया।

एनएच-58 पर यातायात की भीड़

1641. श्री राजेन्द्र अग्रवाल : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजियाबाद और मेरठ के बीच विशेषरूप से मुरादनगर और मोदीनगर में यातायात की भारी भीड़ होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त एनएच पर यातायात की भीड़ को कम करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यातायात जाम के निराकरण के लिए दिल्ली से मेरठ तक छह लेन के अभिगम नियंत्रित एक्सप्रेसवे को दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत विकसित किए जाने का प्रस्ताव है जिसमें रारा-58 के मुरादनगर और मोदी नगर में फ्लाईओवर बनाए जाने के अलावा यूपी गेट से परतापुर खंड (किमी. 6.80 से किमी. 52.528) को छह लेन बनाया जाना शामिल है।

[अनुवाद]

आपदा प्रबंधन शिक्षा में स्काउट

1642. श्रीमती अन्नू टन्डन : क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय विकास प्रक्रियाओं और सरकार के कल्याणकारी कार्यकलापों में युवाओं/छात्रों को शामिल करने की कोई योजना/नीति बनाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एनआईएस प्रशिक्षित कोचों से प्रशिक्षण

1643. श्री रामसिंह राठवा :
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम :

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) ने विभिन्न खेल विधाओं में प्रशिक्षण देने के लिए नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान (एनआईएस) से प्रशिक्षित कोच उपलब्ध कराने की कोई व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रणाली की स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने 9 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के जनजातीय बच्चों में छिपी प्रतिभा की खोज करने और विकास करने की कोई योजना शुरू की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय खेल प्राधिकरण (भाखेप्रा) की खेलों को बढ़ावा देने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए विभिन्न खेल विधाओं में प्रशिक्षुओं को कोचिंग देने की अपनी खेल संवर्धन स्कीमों के अलावा एक राष्ट्रीय कोचिंग स्कीम है जिसके अंतर्गत भाखेप्रा अपने एनआईएस प्रशिक्षित कोचों को यूनिवर्सिटी फील्ड स्टेशनों और राज्य सरकारों के राज्य कोचिंग केन्द्रों में नियुक्त करता था। भाखेप्रा की अपनी खेल संवर्धन स्कीमों के लिए कोचों की भारी कमी के कारण वर्तमान में गैर-भाखेप्रा स्कीमों में भाखेप्रा के कोचों की नियुक्ति नहीं की जा रही है।

(ग) और (घ) भाखेप्रा ने जनजातीय क्षेत्रों से प्रतिभा की खोज और पोषण के लिए विशेष क्षेत्र खेल (एसएजी) और देशज खेल और मर्शल आर्ट (आईजीएमए) स्कीमें विशेष तौर बनाई हैं।

[हिन्दी]

एनएच-91 का विकास

1644. श्रीमती राजकुमारी चौहान : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)-91 पर अलीगढ़-कानपुर खंड के निर्माण/विकास को अनुमोदन प्रदान कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना के निष्पादन में कोई विलंब हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं और उक्त खंड पर कार्य कब तक शुरू होने और पूरा होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) और (ख) बीओटी (पथकर) विधि पर राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-IV के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में रारा-91 के किमी. 140.100 से किमी. 422.760 तक अलीगढ़-कानपुर खंड को पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन बनाए जाने की परियोजना पहले

ही सौंप दी गई है और रियायतग्राही के साथ 11.03.2011 को रियायत करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ग) और (घ) हालांकि रियायत करार पर हस्ताक्षर किए जा चुके है किंतु रियायतग्राही नियत तारीख घोषित करने में असमर्थ है अत: इस परियोजना को प्रारंभ और पूरा किए जाने की कोई तारीख सूचित करना समयपूर्व होगा।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

1645. राजकुमारी रत्ना सिंह :
डॉ. संजय सिंह :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु कोई अधिसूचना जारी की है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसी कितनी अधिसूचनाएं जारी की गई;

(ग) क्या ऐसी अधिसूचनाओं को जारी करने की विहित शर्तों को पूरा नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्राप्त हुई ऐसी शिकायतों की कुल संख्या क्या है और ऐसी शिकायतों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का उद्योग-वार ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम रहे?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अंतर्गत दिनांक 14 सितंबर, 2006 को पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 को अधिसूचित किया है। पर्यावरण स्वीकृति प्रक्रिया को सुकर बनाने की दृष्टि से और अधिसूचना के अंतर्गत उपबंधों के कार्यान्वयन में प्राप्त अनुभव के आधार पर समय-समय पर पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 में संशोधन किए गए हैं। निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार, संशोधन अधिसूचनाओं द्वारा उचित प्रक्रिया अपनाने के बाद अधिसूचना संशोधित की गई है:—

1. सा.आ. 1773 (अ) दिनांक 11 अक्तूबर, 2007
2. सा.आ. 3067 (अ) दिनांक 1 दिसंबर, 2009
3. सा.आ. 695 (अ) दिनांक 4 अप्रैल, 2011
4. सा.आ. 2896 (अ) दिनांक 13 दिसंबर, 2012
5. सा.आ. 674 (अ) दिनांक 13 मार्च, 2013
6. सा.आ. 2204 (अ) दिनांक 19 जुलाई, 2013
7. सा.आ. 2559 (अ) दिनांक 22 अगस्त, 2013
8. सा.आ. 1850 (अ) दिनांक 9 सितंबर, 2013

(ग) और (घ) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न परियोजनाओं के पर्यावरण स्वीकृति पत्रों में अनुबद्ध शर्तों के कार्यान्वयन की मानीटरी हेतु बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, लखनऊ और शिलांग में छह क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं। वर्ष 2010-2013 की अवधि के दौरान, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में पर्यावरण स्वीकृति शर्तों के उल्लंघन के बयासी मामलों की सूचना मिली थी। इन मामलों की जांच की गई थी और अन्य बातों के साथ-साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत कारण बताओं नोटिसों और निर्देशों को जारी करने सहित आवश्यक कार्रवाई की गई थी।

राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण

1646. श्री बद्रीराम जाखड़ : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का कार्य राज्यों को सौंप दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्यों से इन परियोजनाओं को वापिस लेने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है; और

(ङ) क्या सरकार को राजस्थान सरकार से राज्य में पड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और अनुरक्षण के संबंध में कोई सूचना प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण का कार्य एजेंसी आधार पर किया जाता है। राज्य सरकारें, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सीमा सड़क संगठन मुख्य कार्यपालक एजेंसियां है। एजेंसी को खंड सौंपने के कार्य का निर्णय समय-समय पर विकास कार्यक्रमों के आधार पर लिया जाता है। प्रत्येक राज्य को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण किया जाना एक ससत प्रक्रिया है जिसके लिए सूचना राज्य सरकारों से नियमित आधार पर प्राप्त होती है।

विवरण

प्रत्येक राज्य को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की स्थिति

क्र. सं.	राज्य	रारा की लंबाई (किमी. में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	4305.95
2.	अरुणाचल प्रदेश	623.29
3.	असम	1873.80
4.	बिहार	2390.62
5.	चंडीगढ़	15.28
6.	छत्तीसगढ़	1931.00
7.	दिल्ली	55.00
8.	गोवा	262.00
9.	गुजरात	1797.99
10.	हरियाणा	437.83
11.	हिमाचल प्रदेश	1425.30
12.	जम्मू और कश्मीर	234.00
13.	झारखंड	1826.36
14.	कर्नाटक	3110.78
15.	केरल	654.34
16.	मध्य प्रदेश	2637.30
17.	महाराष्ट्र	2201.73
18.	मणिपुर	312.30
19.	मेघालय	630.80
20.	मिज़ोरम	986.00
21.	नागालैंड	575.18
22.	ओडिशा	2130.95
23.	पुदुचेरी	59.76
24.	पंजाब	1072.90
25.	राजस्थान	3113.14
26.	तमिलनाडु	1558.09
27.	त्रिपुरा	110.15
28.	उत्तराखंड	1150.94
29.	उत्तर प्रदेश	3137.35
30.	पश्चिम बंगाल	1538.18
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	330.70
	जोड़	42508.97

[अनुवाद]

चेन्नै-बेंगलूरु राष्ट्रीय राजमार्ग को छह मार्गी बनाना

1647. श्री शिवराम गौडा :
श्री नलिन कुमार कटील :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चेन्नै-बेंगलूरु राष्ट्रीय राजमार्ग को छह-मार्गी बनाने का कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और स्थिति क्या है और इस प्रयोजन हेतु कितनी निधियां आवंटित और खर्च की गई;

(ग) क्या इस परियोजना के पूरा होने में कोई विलंब हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं और इसको पूरा करने के कार्य में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) और (ख) चेन्नै-बेंगलूरु राष्ट्रीय राजमार्ग को छह-मार्गी बनाने का कार्य 3080 करोड़ रुपए की प्राक्कलित लागत पर डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और अंतरण आधार पर पहले ही प्रारंभ किया जा चुका है। कुल 301 किमी. लंबाई में से 188 किमी. लंबाई

का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। शेष लंबाई का कार्य नवंबर, 2016 तक पूरा होने की संभावना है।

(ग) और (घ) यह परियोजना मुख्यत: भूमि अधिग्रहण की समस्या और रियायतग्राही द्वारा धीमी प्रगति किए जाने के कारण विलंबित हुई है। भूमि अधिग्रहण का कार्य शीघ्रता से किए जाने के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार के साथ सतत् प्रयास किया जा रहा है।

वन भूमि पर कृषि

1648. श्री बी.वाई. राघवेन्द्र : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वन भूमि पर उन किसानों को अधिकार देने के लिए कर्नाटक सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जो देश में दस वर्ष से भी अधिक समय से वन भूमि पर कृषि कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय में वन भूमि पर कृषि कर रहे किसानों को वनभूमि पर अधिकार देने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

तथापि, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006; वन में रही रही उन अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारम्परिक वनवासियों, जो ऐसे वनों में पीढ़ियों से रहे रहे हैं किंतु जिनके अधिकारों को अभिलिखित नहीं किया जा सका था, के वन अधिकारों और वन भूमि पर स्वामित्व को मान्यता देने तथा उन्हें प्रदान करने पर लक्षित है। जनजातीय कार्य मंत्रालय, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन हेतु नोडल अभिकरण है। इसके अतिरिक्त, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वन अधिकारों को मान्यता देने की प्रक्रिया को निर्धारित करते हुए दिनांक 06.09.2012 को अनुसूचित जनजाति और अन्य पारम्परिक वन वासी (वन अधिकारों को मान्यता) संशोधन नियम, 2012 अधिसूचित किये हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान अनियमितताएं

1649. श्री कीर्ति आजाद : क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्नीसवें राष्ट्रमंडल खेलों, 2010 से जुड़ी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के कथित मामलों की जांच करने के लिए सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय जांच पैनल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं और उक्त पेनल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त पेनल द्वारा दिए गए निष्कर्षों/सिफारिशों के आधार पर दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या अन्य सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां। राष्ट्रमंडल खेल-2010 के आयोजन और संचालन से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच करने तथा भविष्य में इससे सीख लेने के उद्देश्य से सरकार द्वारा श्री वी.के. शुंगलू की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति (एचएलसी) ने अपने निष्कर्षों/सिफारिशों को छह रिपोर्टों में प्रस्तुत किया है।

ये (1) मेजबा प्रसारण (2) राष्ट्रमंडल खेल गांव (3) नगर अवसंरचना (4) खेल स्थल (5) आयोजन समिति और (6) दिल्ली राष्ट्रमंडल खेल-2010 के आयोजन और संचालन से संबंधित हैं।

(ख) इस उच्च स्तरीय समिति ने अपनी विभिन्न रिपोर्टों में अनियमितताओं, प्रक्रियात्मक चूकों, कार्यों के निष्पादन में विलंब, सरकार को वित्तीय हानि पहुंचाने, ठेकेदारों के प्रति अनुग्रह दिखाने, संविदा आबंटन में समुचित प्रक्रिया का पालन न करने, घटिया सामग्री के प्रयोग और उच्चतर लागत पर सामान की खरीद, विभिन्न स्टाफ/परामर्शदाताओं की अनियमित नियुक्ति, ठेकेदारों/स्टाफ पर पर्यवेक्षण/नियंत्रण की कमी के मामलों का उल्लेख किया है। उच्च स्तरीय समिति ने कुछ मामलों की विभिन्न एजेंसियों द्वारा जांच करने की सिफारिश भी की है।

(ग) और (घ) उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने (i) उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) की रिपोर्ट के अनुसरण में भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और उनकी एजेंसियों द्वारा व्यक्त राय पर विचार करने और इस विचार-विमर्श के बाद एचएलसी की विभिन्न सिफारिशों पर एक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए (ii) एचएलसी की प्रत्येक सिफारिश पर, भविष्य में की जाने वाली कार्रवाई की सिफारिश करने, जिसमें रिपोर्टों में उल्लिखित व्यक्तियों/एजेंसियों/ठेकेदारों के विरुद्ध अनुशासनात्मक, आपराधिक और सिविल कार्रवाई शामिल होगी और (iii) भविष्य में इस तरह के आयोजनों के संचालन के लिए नीतियों और दिशा-निर्देशों की सिफारिश करने के

लिए रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह (जीओएम) का गठन किया।

मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने अपनी प्रथम और द्वितीय रिपोर्टों में अपनी सिफारिशें दे दी हैं। जहां तक शेष रिपोर्टों का संबंध है, जीओएम ने यह निर्णय लिया है कि मंत्रालयों विभागों/अन्य एजेंसियों की टिप्पणियों और विचार मंत्रालयों विभागों/अन्य एजेंसियों द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को, चल रही जांचों के मामले में सूचना के लिए भेजे जाएं।

जीओएम ने यह भी निर्णय लिया कि चल रही अनुशासनिक, आपराधिक और सिविल कार्रवाई से और अधिक तथ्यों और सूचना प्राप्त होने के बाद भविष्य में इस प्रकार की स्पर्धाओं के आयोजन के लिए नीतियां और दिशा-निर्देश निर्धारित करने तथा अवसंरचनात्मक मुद्दों पर कार्रवाई करने के लिए प्रस्ताव रखे जाएंगे। जीओएम सौंपे गए कार्य को पूरा किए जाने तक कार्य करता रहेगा।

[अनुवाद]

ईएसआईसी पहचान कार्ड

1650. श्री प्रहलाद जोशी : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा वितरित किए गए पहचान कार्डों की राज्य-वार संख्या क्या है और उक्त वर्ष हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार के पास कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत बायोमीट्रिक कार्ड वितरित किए जाने का भी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण ब्यौरा क्या हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने वर्ष 2013-14 के लिए 15 लाख के लक्ष्य की तुलना में (30.11.2013) तक 11,83,698 बीमित व्यक्तियों को पहचान कार्ड वितरित कर दिए हैं। राज्य-वार विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की सेवा सुपर्दगी अभी सदस्य के बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण से संबद्ध नहीं है।

विवरण

1 अप्रैल, 2013 से 30 नवंबर, 2013 तक ईएसआईसी द्वारा बीमित व्यक्तियों को जारी पहचान कार्ड

क्र.सं.	राज्य	पहचान कार्डों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	99267
2.	असम	10606
3.	बिहार	12259
4.	छत्तीसगढ़	28006
5.	दिल्ली	58825
6.	गोवा	13300
7.	गुजरात	67533
8.	हरियाणा	68005
9.	हिमाचल प्रदेश	14283
10.	जम्मू और कश्मीर	6245
11.	झारखंड	14203
12.	कर्नाटक	130710
13.	केरल	41131
14.	महाराष्ट्र	96199
15.	मध्य प्रदेश	22882
16.	ओडिशा	37106
17.	पुदुचेरी	7565
18.	पंजाब	55830
19.	राजस्थान	29890
20.	सिक्किम	2995
21.	तमिलनाडु	205251
22.	उत्तर प्रदेश	61905
23.	उत्तराखंड	18229
24.	पश्चिम बंगाल	81473
	महायोग	1183698

रक्षा विश्वविद्यालय

1651. श्री रवनीत सिंह : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा एवं सामरिक मामलों में अनन्य रूप से प्रशिक्षण/शिक्षा प्रदान करने के लिए किस विश्वविद्यालय की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी एवं प्रमुख विशेषताएं क्या हैं एवं किस अधिनियम/नियम के अंतर्गत इसे स्थापित किया जाएगा;

(ग) उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना पर होने वाले व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त विश्वविद्यालय का अकादमिक सत्र कब तक शुरू होने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना रक्षा अध्ययन, रक्षा प्रबंधन, रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा के विकास व प्रचार-प्रसार ओर राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्धनीति से संबंधित सभी पहलुओं पर नीति-उन्मुखी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए संसद के एक अधिनियम के तहत गठित किए जाने वाले एक पूर्ण स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में की जाएगी। विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, लेआउट प्लान तथा अधिनियम एवं विधान तैयार करने के लिए एजूकेशनल कन्सल्टेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है।

(ग) विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 295 करोड़ रुपए (वर्ष 2010 की दरों पर) और भूमि अर्जन के लिए 162 करोड़ रुपए (वर्तमान दरों पर) का अनुमानित व्यय होने की संभावना है।

(घ) यह अनुमान है कि भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और इसके संघटकों की स्थापना में सात वर्ष से अधिक समय लगेगा।

दमन में गंगा नदी की सफाई

1652. श्रीमती दर्शना जरदोश : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दमन में गंगा नदी से प्रदूषण समाप्त करने के लिए इसे राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के अंतर्गत शामिल करने के लिए दमन संघ राज्यक्षेत्र से कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) क्या सरकार ने दमन संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को दमन गंगा नदी से प्रदूषण को समाप्त करने संबंधी प्रस्ताव तैयार करते समय गुजरात राज्य सरकार के साथ समन्वय करने का निदेश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) यह मंत्रालय राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के अंतर्गत विभिन्न नदियों के प्रदूषित भागों के प्रदूषण उपशमन में राज्य सरकारों के प्रयासों को संपूरित कर रहा है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दमन में गंगा नदी में वापी अधोप्रवाह से समुद्र के साथ इसके संगम तक के भाग को प्रदूषित भाग के रूप में अभिज्ञात किया गया है। एनआरसीपी के अंतर्गत विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को तैयार करने के लिए इस मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार दमन में गंगा नदी के प्रदूषण उपशमन/संरक्षण हेतु एक प्रस्ताव तैयार करने के लिए प्रशासक, दमन को फरवरी 2013 में अनुरोध किया गया था। तथापि, इस मंत्रालय को एनआरसीपी के अंतर्गत दमन में गंगा नदी में प्रदूषण उपशमन हेतु कोई प्रस्ताव विचार करने के लिए प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

सीएसआर के तहत निधि का उपयोग

1653. श्री प्रदीप कुमार सिंह : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के अधीनस्थ सरकारी क्षेत्र के उपक्रम और एजेंसियां कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योजना (सीएसआर) के अंतर्गत परियोजनों को शुरू करने के लिए निधियां आबंटित और प्रयुक्त करते हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस शीर्ष के अंतर्गत इन कंपनियों द्वारा आबंटित की गई कुल निधियों और शुरू की गई परियोजनाओं का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनकी कंपनी और राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार को इन निधियों का मनमाने ढंग से उपयोग करने और इन परियोजनाओं के अनुबंध और कार्यान्वयन में गंभीर अनियमितताएं होने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व स्कीम के अधीन परियोजनाएं शुरू करने के लिए इस्पात मंत्रालय के अधीन कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम निधियों का आबंटन कर रहे हैं और आमतौर पर उनका उपयोग कर रहे हैं। इस्पात मंत्रालय के अधीन कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के निर्वाह के लिए संदर्भाधीन अवधि के लिए आबंटित निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है:—

(लाख रुपए में)

सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उद्यम का नाम (सीपीएसई)	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
सेल	9400	6400	4200	4000
आरआईएनएल	1540	1200	750	750
एनएमडीसी	8156	8013	13321	12685
मॉयल	542	628	950	1000
केआईओसीएल	100	230	283	124
एमएसटीसी	100	150	355	260
एफएसएनएल	10	9	9	4
मेकॉन	180.50	325	497	202
एचएससीएल	25	0	0	0
बीजीसी	216	38	17	85

सीएसआर के अधीन कार्यान्वित परियोजनाओं का संबंध निम्नलिखित से है-जल आपूर्ति व्यवस्था, विद्युत सुविधा, सौर प्रकाश व्यवस्था, स्वास्थ्य देख-रेख/परिवार कल्याण, सिंचाई सुविधाएं, सफाई व्यवस्था, प्राकृतिक आपदा पीड़ित व्यक्तियों की सहायता व्यावसायिक प्रशिक्षण देना आदि। कुछ परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और कुछ पूरी होने के विभिन्न चरणों में हैं। ये परियोजनाएं छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, बिहार आदि में हैं। सीएसआर स्कीम के अधीन निधियों का आबंटन राज्य-वार नहीं किया जाता है।

(ग) और (घ) सीएसआर निधियों/कार्यकलापों का नियंत्रण और प्रबंधन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के संबंधित बोर्डों द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के सीएसआर कार्यकलापों के संबंध में इक्का-दुक्का शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। प्राप्त होने पर इन शिकायतों को उचित उपचारी उपायों के लिए संबंधित प्राधिकारियों के पास भेज दिया जाता है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड के अंतर्गत नीतियां

1654. श्री एस. पक्कीरप्पा : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड (सीडब्ल्यूबी) के अंतर्गत पौधरोपण श्रमिकों/कामगारों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए उपबंधों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सीडब्ल्यूबी ने समय-समय पर अपनी नीतियों/निर्णय में संशोधन किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या श्रमिकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए मजदूरी में संशोधन नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) बागान श्रमिक/कामगार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा गठित मजदूरी बोर्ड के अंतर्गत शामिल नहीं किए जाते हैं। भारत सरकार ने वर्ष 1960 में चाय बागान कामगारों के लिए सिर्फ एक मजदूरी बोर्ड का गठन किया था। उसके पश्चात् बागान कामगारों के लिए कोई मजदूरी बोर्ड गठित नहीं किया गया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

वन्य जीवों के शिकार पर रोक

1655. श्री बदरुद्दीन अजमल : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के विभिन्न वन क्षेत्रों में गैंडे, हाथी एवं अन्य जीवों के शिकार किए जाने की घटनाएं दिन-ब-दिन बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जीव-वार एवं वन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गिरफ्तार एवं दंडित किए गए शिकारियों की संख्या सहित इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है;

(घ) क्या सरकार का विचार असम के वन क्षेत्रों में जीवों के शिकार को पूरी तरह से रोकने के लिए स्थिति की समीक्षा करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) असम राज्य में गत समय में हाथियों और गैंडों को मारे जाने के कुछ मामले हुए हैं। वर्ष 2011 और 2012 में क्रमशः 4 और 6 हाथी तथा 9 और 22 गैंडे मारे गए थे। मानव-पशु भिड़ंत के पीड़ितों द्वारा प्रतिशोध में हाथियों को मारा गया था जबकि गैंडों को मुख्य रूप से अपराधी और असामाजिक तत्वों द्वारा मुख्यतः गैंडों के सींगों के देश के बाहर तस्करी हेतु मारा गया था।

तथापि, असम राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार असम में पाए जाने वाले वन्यजीवों की मुख्य प्रजातियों में से एक गैंडों की संख्या लगातार बढ़ रही है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में वर्ष 2006 में 1855 से बढ़कर वर्ष 2013 में 2328 हो गई है।

(ग) से (ङ) पिछले दो वर्षों के दौरान असम में गिरफ्तार किए गए अवैध शिकारियों की संख्या निम्नवत् है:—

क्र. सं.	वर्ष	गिरफ्तार अवैध शिकारियों की संख्या
1.	2011	20
2.	2012	148

पशु शिकार रोकने तथा वनों के विकास के लिए असम राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई में शामिल हैं:—

(i) असम के संरक्षित क्षेत्रों में अवसंरचना का विकास और आधुनिकीकरण किया गया है।

(ii) वन्यजीव (संरक्षण) (असम संशोधन) अधिनियम, 2009 के प्रवर्तन द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 51 में संशोधन किया गया है जिसमें अवैध शिकारियों के जुर्माने को बढ़ाकर आजीवन कारावास और 75,000/- रुपए से कम जुर्माना न लगाने जाने का प्रावधान किया गया है। असम, देश में ऐसा कानूनी कदम उठाने वाला पहला राज्य है।

(iii) सभी वन अधिकारियों को पूर्व सरकारी मंजूरी के बिना अभियोजन पक्ष से उन्मुक्ति सहित वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु आग्नेयास्त्रों का उपयोग करने की शक्ति प्रदान की गई है।

(iv) असम वन सुरक्षा बल के जवानों को एसएलआर से सुसज्जित किया गया है और फील्ड स्टाफ को सशक्त करने के लिए पर्याप्त संख्या में सशस्त्र होमगार्ड तैनात किए गए हैं।

(v) प्रभावी निगरानी और अवैध शिकार रोधी उपायों हेतु नागरिक, पुलिस और वन प्रशासन के बीच प्रभावी समन्वयन के लिए समितियां गठित की गई है।

(vi) राज्य गृह विभाग द्वारा गैंडों के अवैध शिकार संबंधी मामले जांच हेतु केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपे गए हैं।

(vii) विभिन्न समुदायों के बीच जागरुकता और शैक्षिक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

(viii) पारि-विकास समितियों के माध्यम से लोगों की सहभागिता बढ़ाई जा रही है।

(ix) समुदाय आधारित वन्यजीव पारि-पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

सशस्त्र बलों में लड़ाकू स्क्वॉड्रन्स

1656. श्री पी.आर. नटराजन : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र बलों में कार्रवाई हेतु उपलब्ध रुसी मूल के एमआई-25 एवं एमआई-35 लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के स्क्वॉड्रन्स की संख्या और ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को लेने एवं संचालित करने के लिए मंत्रालय में खींचतान होती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस मुद्दे के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) वर्तमान में, भारतीय वायु सेना एमआई-25 और एमआई-35 हेलीकॉप्टरों को प्रचालन कर रही है। इन हेलीकॉप्टरों को दो लड़ाकू हेलीकॉप्टरों स्क्वॉड्रन्स में रखा जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठते।

वृक्ष गणना

1657. श्री राजय्या सिरिसिल्ला :
श्री सुरेश कुमार शेटकर :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में वृक्ष गणना करायी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार विशेषकर दिल्ली का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (घ) राष्ट्रीय स्तर पर कोई वृक्ष गणना नहीं की गई है। तथापि, भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) द्विवार्षिक भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) प्रकाशित करता है। इस रिपोर्ट में सैम्पल सर्वेक्षण के आधार पर प्रजातियों और देश स्तर पर "वनों के बाहर पेड़" में डायमीटर वर्ग द्वारा तनों की अनुमानित संख्या सहित वन और वृक्षावरण संबंधी सूचना शामिल होती है। दिल्ली वृक्ष प्राधिकरण ने दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 के उपबंधों के अंतर्गत दिल्ली में वृक्ष गणना करने के लिए पहल की है। दिल्ली में यह वृक्ष गणना रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों (आरडब्ल्यूए)/पारि-क्लबों को शामिल कर पायलट स्तर पर 21 स्थानों पर पूर्ण की गई है, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

उन स्थानों की सूची जहां पायलट स्तर पर वृक्ष गणना की गई है

क्र.सं.	दिल्ली में स्थानों का नाम
1	2
1.	मयूर विहार बी-5
2.	मयूर विहार फेरा-3 ए-I ब्लॉक
3.	सीआर पार्क
4.	समाचार अपार्टमेंट
5.	रोहिणी
6.	सरस्वती विहार
7.	पालम
8.	हनुमान रोड
9.	पश्चिम विहार
10.	धौला कुआं
11.	खरखरी
12.	मीराबाई सीजीएचएस
13.	नवा कराली सीजीएचएस
14.	रत्नाकर सीजीएचएस
15.	रिहायशी जन कल्याण समिति
16.	सावन सीजीएचएस
17.	आरडब्ल्यूए गाजीपुर डीडीए फ्लैट्स विकास समिति
18.	आरडब्ल्यूए गाजीपुर डीडीए फ्लैट्स विकास समिति
19.	अचीवर सोशल एसोसिएट्स खिचड़ीपुर
20.	आकार भारतीय सीजीएचएस पटपड़गंज
21.	ब्लॉक सुधार समिति नंदनगरी ए-12 मार्केट

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की प्रयोगशालाएं

1658. श्री ए.टी. नाना पाटील : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की प्रयोगशालाओं/इकाइयों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है तथा उनकी अनुसंधान क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान

डीआरडीओ द्वारा रक्षा एवं असैनिक उपयोग हेतु विकसित खाद्य उत्पादों सहित विभिन्न उत्पादों के नाम क्या हैं;

(ग) निकट भविष्य में डीआरडीओ द्वारा रक्षा कर्मियों के लिए किन उत्पादों को विकसित किए जाने की संभावना है; और

(घ) डीआरडीओ में ऐसे अनुसंधान कार्य के लिए आबंटित राशि का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के अंतर्गत कार्यरत प्रयोगशालाएं/इकाइयां, उनके स्थान और अनुसंधान के क्षेत्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान डीआरडीओ द्वारा रक्षा एवं सिविलियन उपयोग के लिए विकसित खाद्य उत्पादों सहित विभिन्न उत्पादों के नाम संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) मिशन मोड संगठन होने के नाते, डीआरडीओ उन उत्पादों के डिजाइन और विकास संबंधी परियोजनाएं चलाता है जो सशस्त्र बलों द्वारा अपेक्षित होती हैं। रक्षा कर्मियों के लिए उत्पादों की भावी आवश्यकताओं हेतु परियोजनाएं सशस्त्र बलों द्वारा गुणात्मक आवश्यकता (क्यूआर) के संदर्भ में तैयार की जाती है। इसके परिणामस्वरूप, डीआरडीओ द्वारा उत्पादों का विकास सशस्त्र बलों की गुणात्मक आवश्यकताओं (क्यूआर) के अनुसार किया जाना होता है।

(घ) डीआरडीओ द्वारा रक्षा एवं सिविलियन उपयोग के लिए विकसित उत्पादों के लिए कोई अलग से राशि आबंटित नहीं की जाती है। तथापि, पिछले तीन वर्षों (2010-11, 2011-12, 2012-13) के दौरान उपयोग की गई तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान आबंटित राशि का ब्यौरा निम्नलिखित है:—

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	उपयोग
2010-11	10148.92
2011-12	9893.84
2012-13	(15वीं शुद्धि तक) 9788.31
2013-14 (बजट अनुमान)	10610.17

विवरण-I

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की प्रयोगशालाएं/इकाइयां

क्र. सं.	प्रयोगशालाओं/यूनिटों का नाम	स्थान	अनुसंधान का क्षेत्र
1	2	3	4
1.	एडवांस्ड सेंटर फॉर एनरजेटिक मैटीरियल्स (एसीईएम)	नासिक	एनरजेटिक मैटीरियल्स
2.	एडवांस्ड न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप (एएनयूआरएजी)	हैदराबाद	कंप्यूटेशनल प्रणालियां
3.	एडवांस्ड सिस्टम्स लेबोरेटरी (एएसएल)	हैदराबाद	प्रक्षेपास्त्र एवं सामरिक प्रणालियां
4.	एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट (एडीआरडीई)	आगरा	पैराशूट और एरियल सिस्टम्स
5.	वैमानिक विकास स्थापना (एडीई)	बेंगलूरु	एयरोनॉटिक्स
6.	आयुध अनुसंधान एवं विकास स्थापना (एआरडीई)	पुणे	आयुध
7.	सेंटर फॉर एयर बोर्न सिस्टम (सीएबीएस)	बेंगलूरु	वायुवाहित प्रणालियां
8.	सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस एंड रोबोटिक्स (सीएआईआर)	बेंगलूरु	कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं रोबोटिक्स
9.	सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोजिव एंड एनवायरमेंट सेफ्टी (सीएफईईएस)	दिल्ली	अग्नि, विस्फोटक एवं पर्यावरणीय सुरक्षा

1	2	3	4
10.	उच्च ऊर्जा प्रणालियां एवं विज्ञान केन्द्र (सीएचईएसएस)	हैदराबाद	निर्देशित ऊर्जा शस्त्र
11.	सेंटर फॉर मिलिटरी एयरवर्दीनेस एंड सर्टिफिकेशन (सीईएमआईएलएसी)	बेंगलूरु	एयरवर्दीनेस एंड सर्टिफिकेशन
12.	सेंटर फॉर परसोनल टेलेंट मैनेजमेंट (सीईपीटीएएम)	दिल्ली	कार्मिक प्रबंधन
13.	समाघात वाहन अनुसंधान एवं विकास स्थापना (सीवीआरडीई)	आवडी	समाघात वाहन
14.	रक्षा वैमानिकी अनुसंधान स्थापना (डीएआरई)	बेंगलूरु	वैमानिकी
15.	रक्षा बायो इंजीनियरी एवं इलेक्ट्रोमेडिकल प्रयोगशाला (डीईबीईएल)	बेंगलूरु	बायो इंजीनियरी
16.	रक्षा इलेक्ट्रानिकी अनुप्रयोग प्रयोगशाला (डीईएएल)	देहरादून	इलेक्ट्रॉनिकी एवं संप्रेक्षण प्रणालियां
17.	रक्षा इलेक्ट्रानिकी अनुसंधान प्रयोगशाला (डीएलआरएल)	हैदराबाद	इलेक्ट्रॉनिक युद्ध पद्धति
18.	रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला (डीएफआरएल)	मैसूर	खाद्य अनुसंधान
19.	रक्षा बायो-ऊर्जा अनुसंधान संस्थान (डीआईबीईआर)	हलद्वानी	बायो-ऊर्जा अनुसंधान
20.	रक्षा उच्च तुंगता अनुसंधान संस्थान (डीआईएचएआर)	लेह	उच्च तुंगता कृषित-पशुधन अनुसंधान
21.	रक्षा शरीर विज्ञान एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (डीआईपीएएस)	दिल्ली	शरीर विज्ञान
22.	रक्षा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान (डीआईपीआर)	दिल्ली	मनोवैज्ञानिक अनुसंधान
23.	रक्षा प्रयोगशाला (डीएल)	जोधपुर	छद्मावरण एवं आइसोटोप्स
24.	रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान एवं विकास स्थापना (डीएमएसआरडीई)	कानपुर	वस्त्र, पॉलीमर एवं कम्पोजिट्स
25.	रक्षा धातुकर्मीय अनुसंधान प्रयोगशाला (डीएमआरएल)	हैदराबाद	पॉलीमर एवं कम्पोजिट्स
26.	रक्षा अनुसंधान एवं विकास स्थापना (डीआरडीई)	ग्वालियर	रासायनिक एवं जैविक युद्धपद्धति
27.	रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला (डीआरडीएल)	हैदराबाद	प्रक्षेपास्त्र एवं सामरिक प्रणालियां
28.	रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला (डीआरएल)	तेजपुर	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता
29.	रक्षा वैज्ञानिक सूचना एवं प्रलेखन केन्द्र (डीईएसआईडीओसी)	दिल्ली	सूचना प्रणालियां
30.	रक्षा भू-भाग अनुसंधान प्रयोगशाला (डीटीआरएल)	दिल्ली	भू-भाग अनुसंधान
31.	इलेक्ट्रॉनिकी एवं रडार विकास स्थापना (एलआरडीई)	बेंगलूरु	रडार
32.	गैस टरबाइन अनुसंधान स्थापना (जीटीआरई)	बेंगलूरु	गैस टरबाइन
33.	उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला (एचईएमआरएल)	पुणे	उच्च ऊर्जा सामग्री
34.	नाभिकीय औषधि एवं संबद्ध विज्ञापन संस्थान (इनमास)	दिल्ली	नाभिकीय औषधि

1	2	3	4
35.	प्रणाली अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (आईएसएसए)	दिल्ली	प्रणाली विश्लेषण
36.	प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान (आईटीएम)	मसूरी	प्रौद्योगिकी प्रबंधन
37.	उपकरण अनुसंधान एवं विकास स्थापना (आईआरडीई)	देहरादून	इलेक्ट्रॉनिकी एवं ऑप्टीकल प्रणालियां
38.	एकीकृत परीक्षण रेंज (आईटीआर)	बालासोर	प्रक्षेपास्त्र एवं सामरिक प्रणालियां
39.	संयुक्त बीज लेख ब्यूरो (जेसीबी)	दिल्ली	साइफर सिस्टम
40.	लेज़र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र (एलएएसटीईसी)	दिल्ली	लेज़र प्रौद्योगिकी
41.	माइक्रोवेव ट्यूब अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (एमटीआरडीसी)	बेंगलूरु	माइक्रोवेव ट्यूब
42.	सैन्य प्रशिक्षण संस्थान (एमआईएलआईटी)	पुणे	सैन्य प्रशिक्षण
43.	नौसेना सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला (एनएमआरएल)	अंबरनाथ	क्षरण निवारण प्रौद्योगिकी
44.	नौसेना भौतिक एवं समुद्रविज्ञान प्रयोगशाला (एनपीओएल)	कोच्चि	नौसेना प्रणालियां
45.	नौसेना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीय प्रयोगशाला (एनएसटीएल)	विशाखापत्तनम	जलगत शस्त्र
46.	प्रूफ एंड एक्सपेरिमेंट एस्टेब्लिशमेंट (पीएक्सई)	बालासो	आयुध परीक्षण
47.	भर्ती एवं मूल्यांकन केन्द्र (आरएसी)	दिल्ली	मानव संसाधन
48.	अनुसंधान एवं विकास स्थापना (इंजीनियर) [आर एंड डीई(ई)]	पुणे	इंजीनियरी प्रणालियां एवं हथियार प्लेटफार्म
49.	अनुसंधान केन्द्र इमारत (आरसीआई)	हैदराबाद	प्रक्षेपास्त्र एवं सामरिक प्रणालियां
50.	वैज्ञानिक विश्लेषण समूह (एसएजी)	दिल्ली	क्रिप्टोलॉजी
51.	हिम एवं अवधाव अध्ययन स्थापना (एसएएसई)	मनाली	हिम एवं अवधाव
52.	ठोसावस्था भौतिकी प्रयोगशाला (एसएसपीएल)	दिल्ली	सॉलिड स्टेट/अर्द्धचालक सामग्री
53.	टर्मिनल बेलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी (टीबीआरएल)	चंडीगढ़	टर्मिनल बेलिस्टिक्स
54.	वाहन अनुसंधान एवं विकास स्थापना (वीआरडीई)	अहमदनगर	पहिए वाले वाहन

विवरण-II

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित किए गए उत्पादों की सूची

- अन्मेन्ड एरियल व्हीकल (यूएवी)
- एयरोस्टेट प्लेटफार्म
- पैराशूट सिस्टम्स
- रिकवरी और फ्लोटेशन सिस्टम
- अरेस्टर बैरियर सिस्टम
- हैवी ड्रापिंग सिस्टम
- डिजीटल सिगनल प्रोसेसिंग
- मिसाइलें
- कार्बन नैनो ट्यूब

- सॉलिड प्रोपेलेन्ट्स
- वायुवाहित निगरानी प्रणाली
- निर्णय सहायक प्रणाली
- संचार सुरक्षा समाधान
- सूचना सुरक्षा गेटवे
- जोखिम एवं खतरा मूल्यांकन साफ्टवेयर
- रक्षक वस्त्र
- अग्नि पहचान एवं दमन प्रणाली
- सिमुलेटर
- हाइड्रो गैस सस्पेंशन सिस्टम
- इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम
- इलेक्ट्रॉनिक सहायक उपाय (ईएसएम) सिस्टम
- रडार चेतावनी प्रणाली
- सैटकॉम टर्मिनल
- नेटवर्क प्रबंधन सिस्टम
- डाटा लिंक टेक्नालाजी
- हैंडहेन्ड और एयरबोर्न रेडियो
- लाइफ सपोर्ट सिस्टम
- ऑनबोर्ड आक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम
- कॉम्पो-पैक फूड
- हर्बल एंटी ल्यूकोडर्मा और एंटी-एग्जिमा हर्बल मेडीसन
- हाइपर बैरिक चैम्बर
- भोजन अनुपूरक
- एनबीसी जलशुद्धीकरण प्रणाली
- रोइंटजीनरेमीटर
- जल परीक्षण फील्ड किट
- लो-एलॉय स्टील
- वैक्यूम इंवेस्टमेंट कॉस्टिंग टैक्नालॉजी
- निकिल बेस सुपर एलॉय
- उच्च ताप टाइटेनियम एलॉय
- शॉक एब्जोर्बिंग मैटिरियल
- सिंथेटिक लाइफ जैकेट
- सिलिकॉन कार्बाइड रिलेटेड टैक्नालॉजी
- बॉयो-डाइजेस्टर्स
- भूस्खलन सूचना प्रणाली (एलआईएम)
- रेडिएशन मेडीसन
- नाइट विजन गैप मैजरिंग डिवाइस
- इलेक्ट्रो-ऑप्टीकल अग्नि नियंत्रण प्रणाली
- लक्ष्य अर्जन प्रणाली
- लेसर चेतावनी प्रणाली
- थर्मल इमेजर
- वार गेम सॉफ्टवेयर
- लेसर डैजलर
- रडार
- अंडरवाटर पेंट्स
- अग्नि मंदन पेंट्स
- मेटल मैट्रिक्स कम्पोजिट्स
- सोनार
- सुरंग
- टॉरपीडो
- ब्रिजिंग सिस्टम
- रिमोट चालित वाहन (आरओवी)
- एनबीसीके लिए फील्ड शेल्टर
- क्रिप्ट एनालिटिकल यंत्र
- संक्रियात्मक हिमस्खलन पूर्वानुमान
- स्त्रो कवर इंफार्मेशन सिस्टम
- सेंसर और डिटेक्टर्स
- ग्रिनेड्स

- अन्मेन्ड ग्राउंड व्हीकल
- युद्धक वाहन
- विविध गोला बारुद

अर्जुन पुरस्कार के लिए मानदंड

1659. श्री एम.बी. राजेश : क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 'अर्जुन पुरस्कार' देने संबंधी मानदंडों को बदलने पर विचार कर रही है;

(ख) 'अर्जुन पुरस्कार' एवं अन्य खेल पुरस्कारों के लिए पात्र खिलाड़ियों की सिफारिश/नामांकन के लिए निर्धारित वर्तमान मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) नामांकन/सिफारिश की प्राप्ति के बाद पुरस्कार के चयन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(घ) अर्जुन पुरस्कार के लिए टेनिस एवं कैरम जैसे कुछ खेलों को शामिल न करने के क्या कारण हैं;

(ङ) चयन प्रक्रिया में और खेलों को शामिल करने तथा उक्त प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/प्रस्तावित हैं; और

(च) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान पात्र खिलाड़ियों को प्रदत्त अर्जुन पुरस्कारों का खेल-वार ब्यौरा क्या है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) अर्जुन पुरस्कार सहित मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों की समीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है, जिसमें समय-समय पर स्कीमों की समक्षा/संशोधन शामिल है।

(ख) राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार एवं अर्जुन पुरस्कार संबंधी विद्यमान पात्रता मानदंड संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) राष्ट्रीय खेल परिसंघों, खेल नियंत्रण बोर्ड, आईओए, राज्य/संघ क्षेत्र सरकारों, भारतीय खेल प्राधिकरण से प्राप्त सभी नामांकनों को उपलब्धियों की संवीक्षा/सत्यापन के लए भारतीय खेल प्राधिकरण को भेजा जाता है। तत्पश्चात, उस संयुक्त सचिव (खेल) की अध्यक्षता वाली तथा संबंधित खेल विधा के सरकारी पर्यवेक्षक और निदेशक (टीम) साई की सदस्यता वाली छानबीन समित के पास उपलब्धियों के सत्यापन के लिए भेजा जाता है। प्राप्त सभी नामांकनों को, संबंधित स्कीमों के प्रावधानों के अनुसार, गठित चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। चयन समिति प्रदर्शन/उपलब्धियों इज्यादि के मूल्यांकन तथा निर्धारण के आधार पर अपनी सिफारिशें करती है। चयन समिति की सिफारिशों पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के प्रभारी मंत्री द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(घ) कैरम और टेनिस के खिलाड़ी भी अर्जुन पुरस्कार के लिए आवेदन करने हेतु पात्र हैं। विगत में इन विधाओं के खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किए गए हैं।

(ङ) अर्जुन पुरस्कार योजना के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आने वाली खेल विधाओं के बारे में अर्जुन पुरस्कारों के लिए विचार किया जाता है:—

- ओलंपिक खेल/एशियन खेल/राष्ट्रमंडल खेल/विश्व कप/विश्व चैम्पियनशिप विधाएं तथा क्रिकेट अथवा कोई समकक्ष मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट।
- देशज खेल।
- शारीरिक रूप से अशक्तों संबंधी खेल।

चूंकि, अर्जुन पुरस्कारों के लिए विचार किए जाने वाली खेल विधाओं की सुची काफी लंबी है, अर्जुन पुरस्कारों के लिए और अधिक खेल विधाओं को इसमें शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। चयन प्रक्रिया पारदर्शी है और नामिती के प्रदर्शन, उपलब्धियों इत्यादि के सावधानीपूर्ण निर्धारण एवं मूल्यांकन पर आधारित है।

(च) पिछले प्रत्येक तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान पात्र खिलाड़ियों को प्रदान किए गए अर्जुन पुरस्कार का ब्यौरा, खेल विधा-वार, नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:—

क्र. सं.	खेल विधा	खिलाड़ियों की संख्या			
		वर्ष 2010	वर्ष 2011	वर्ष 2012	वर्ष 2013
1	2	3	4	5	6
1.	तीरंदाजी	0	1	2	1

1	2	3	4	5	6
2.	एथलेटिक्स	2	2	2	1
3.	बैडमिंटन	0	1		1
4.	मुक्केबाजी	1	1	1	1
5.	बिलियर्डस एवं स्नूकर	0	0	1	1
6.	शतरंज	1	0	0	1
7.	क्रिकेट	1	1	1	1
8.	फुटबाल	1	1	0	0
9.	जिम्नास्टिक	0	1	0	0
10.	गोल्फ	0	0	0	1
11.	हॉकी (पुरुष/महिला)	2	1	1	1
12.	जूडो	0	0	1	0
13.	कबड्डी	1	3	1	0
14.	पोलो	0	0	1	0
15.	निशानेबाजी	1	1		1
16.	स्क्वैश	0	0	1	1
17.	तैराती	1	1	1	
18.	टेबल टेनिस	0	0	0	1
19.	टेनिस	0	1	0	0
20.	वालीबाल	1	1	0	0
21.	कुश्ती	1	1	3	2
22.	भारोत्तोलन	0	1	1	0
23.	वुशु	0	1	1	0
24.	याचिंग	1	0	0	0
25.	पैरा-स्पोर्ट्स	1	1	2	1
	कुल	15	19	25	14

विवरण

राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए विद्यमान पात्रता मानदंड

क्र. सं.	पुरस्कार का नाम	पात्रता मानदंड
1.	राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार	वर्ष में किसी खिलाड़ी द्वारा खेलों के क्षेत्र में शानदार और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर अर्थात् ओलंपिक/एशियन/राष्ट्रमंडल/विश्व खेल/चैम्पियनशिप/विश्व कप अथवा किसी समकक्ष मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में खेलों एवं क्रीड़ाओं में श्रेष्ठता के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
2.	द्रोणाचार्य पुरस्कार	पुरस्कार के लिए पात्र होना, कोच चाहे वह पूरे समय का हो अथवा अंशकालिक आधार पर कार्य करता/करती हो उसे वर्ष जिसके लिए पुरस्कार प्रदान किया जाना है में उत्कृष्ट उपलब्धियों प्रदर्शित करनी होगी तथा पुरस्कार वाले वर्ष से पहले के तीन वर्षों के दौरान निरंतर बहुत अच्छा प्रदर्शन दर्शाना होगा। अपने शिष्य/प्रशिक्षणार्थी की उत्कृष्ट उपलब्धियों में संबंधित कोच द्वारा किए गए योगदान को समग्र रूप से देखा जाएगा। नामित कोच को उस अवधि के जिस प्रश्नगत शिष्य का वह कोच रहा है, के प्रदर्शन के लिए वह पुरस्कार प्राप्त करना चाहता है, के विवरण प्रस्तुत करने होंगे। मंत्रालय संबंधित खिलाड़ी से शपथ पत्र प्राप्त करने का अधिकार रखता है, जहां यह दिखाई दे कि एक खिलाड़ी की उपलब्धियों के लिए एक से अधिक कोच अपना दावा पेश कर रहे हों।
3.	ध्यानचंद पुरस्कार	पुरस्कार के लिए पात्र होना, किसी खिलाड़ी का तीन वर्ष की अवधि अथवा अधिक में न केवल राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन होना चाहिए बल्कि खेल-जीवन से सेवानिवृत्ति के पश्चात भी व्यक्तिगत स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए अपना योगदान बनाए रखना चाहिए। खिलाड़ी में नेतृत्व, खेल भावना, संवेदनशील अनुशासन क्षमता भी दिखाई देनी चाहिएं। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों तथा गैर-सरकारी संगठनों को जिन्होंने गत 20 वर्षों अथवा अधिक अवधि में खेलों को विस्तृत आधार देने और उत्कृष्टता के विकास सहित खेलों को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय योगदान दिया हो को भी दिया जाएगा।
4.	अर्जुन पुरस्कार	पुरस्कार के लिए पात्र होना, किसी खिलाड़ी को जिस वर्ष के लिए पुरस्कार की सिफारिश की गई है उस वर्ष में उत्कृष्ट उपलब्धियां सहित उससे पिछले तीन वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न केवल निरंतर अच्छा प्रदर्शन होना चाहिए बल्कि उसमें नेतृत्व, खेल भावना तथा अनुशासन क्षमता भी दिखाई देनी चाहिए।

[हिन्दी]

पथकर संग्रहण बूथों के विरुद्ध शिकायतें

1660. श्री रतन सिंह : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भरतपुर-महुआ एवं आगरा-भरतपुर सड़कों पर स्थित पथकर संग्रहण बूथों की कोई शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विगत 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान शिकायतों की संख्या, प्रकृति और उन पर की गई कार्रवाई का विवरण इस प्रकार है:—

शिकायतों की संख्या

खंड	शिकायतों की संख्या			
	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
आगरा-भरतपुर	2	4	3	8
भरतपुर-महुआ	11	19	25	21

शिकायतों की किस्म और उन पर कार्रवाई

1. कर्मचारियों द्वारा दुर्व्यवहार-जांच पड़ताल के पश्चात संबंधित कर्मचारियों को चेतावनी दी गई/ड्यूटी से हटा दिया गया। एंजेसियों को अपने कर्मचारियों को अच्छे व्यवहार के लिए उचित प्रशिक्षण देने के निदेश दिए गए।

2. सड़कों की खराब स्थिति-सड़क के अनुरक्षण और मरम्मल के लिए कार्रवाई की गई।

3. शौचालय आदि जैसी सुविधाओं का निम्नस्तरीय अनुरक्षण सुविधाओं के उचित अनुरक्षण के लिए रियायत ग्राही को आवश्यक निदेश दिए गए।

4. पथकर प्लाजा सड़क लेन के अंत में पथकर एकत्रित करने में विलंब-एजेंसियों को दक्ष कर्मचारी तैनात करने के लिए कहा गया ताकि किसी प्रकार की असामान्य देरी न होने पाए तथा सारा समय सभी लेन चालू रखी जाएं। छुट्टे पैसों की कमी (सिक्के) — किसी वाहन का मामला निपटाने में देरी से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में छुट्टे पैसों का प्रबंध करने को कहा गया।

5. तय से अधिक प्रभार लेना — तय से अधिक प्रभार लेने वाली एजेंसियों पर अर्थदंड लगाकर/ठेके को समाप्त करके आवश्यक कार्रवाई की गई है।

[अनुवाद]

मालवाहक वाहनों पर प्रतिबंध

1661. श्री सी.आर. पाटिल : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 15 वर्ष से अधिक पुराने सभी मालवाहक वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे वाहनों के मालिकों को नए वाहन खरीदने पर उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट देने को कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न पैदा नहीं होता।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

[हिन्दी]

डीआरडीओ परियोजनाएं

1662. श्री पी.सी. मोहन : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) की अनेक परियोजनाएं अधिक समय लगने के कारण अपने निर्धारित समय से पीछे चल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके परियोजना-वार क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वैज्ञानिकों की भर्ती करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्तमान मे डीआरडीओ में वैज्ञानिकों का अनुपात क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की निम्नलिखित प्रमुख चालू परियोजनाएं अपने निर्धारित समय से पीछे चल रही है:—

परियोजना	पूरा होने की संभावित तारीख (पीडीसी)	
	मूल	संशोधित
हल्का युद्धक विमान (एलसीए), चरण-II	दिसंबर, 2008	दिसंबर, 2015
नौसेना हल्का युद्धक विमान (एलसीए, नौसेना), चरण-I	मार्च, 2010	दिसंबर, 2014
एयरो-इंजन कोवेरी	दिसंबर, 1996	दिसंबर, 2009#
वायुवाहित पूर्व चेतावनी और नियंत्रण (एईडब्ल्यू एवं सी) सिस्टम	अक्तूबर, 2011	मार्च, 2014
लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एलआर-एसएएम)	मई, 2011	दिसंबर, 2015
हवा से हवा में मार करने वाली मिसाईल अस्त्र	अगस्त, 2012	दिसंबर, 2016

#मंजूर की गई लागत व क्षेत्र के भीतर पीडीसी को और आगे बढ़ाया गया है।

उपर्युक्त परियोजनाओं के पूरे होने में विलंब के कुछ कारण निम्नलिखित हैं:–

(i) उत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का शुरूआती तौर पर विकास।

(ii) देश में अवसंरचना/परीक्षण सुविधाओं की अनुपलब्धता।

(iii) तकनीकी/प्रौद्योगिकीय जटिलताएं।

(iv) क्रांतिक संघटकों/उपस्करों/सामग्रियों की अनुपलब्धता एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र मे विकसित देशों द्वारा प्रौद्योगिकी देने से मना किया जाना।

(v) विकास के दौरान उपयोगकर्ताओं की बढ़ी हुई अपेक्षाएं अथवा विशिष्टताओं में परिवर्तन।

(vi) कार्य-क्षेत्र में वृद्धि।

(vii) प्रयोक्ताओं के परीक्षणों का विस्तारण/लंबी अवधि तक चलना।

(viii) जांच/परीक्षण के दौरान कुछ संघटकों का असफल होना।

(ग) और (घ) उपर्युक्त परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब जनशक्ति के अभाव के कारण नहीं हुआ है। अत: इस उद्देश्य के लिए और अधिक वैज्ञानिकों की भर्ती किए जाने का प्रश्न नहीं उठता। तथापि, चालू और भावी परियोजनाओं की आवश्यकताओं के अनुसार, वैज्ञानिकों को सीधे विज्ञापन के जरिए, आईआईटी, आईआईएससी व एनआईटी से कैंपस भर्ती, स्कोलैस्टिक एप्टीट्यूड स्कीम (आरओएसएसए) के साथ विद्यार्थियों का पंजीकरण करके अप्रवासी भारतीय स्कीम, पार्श्वभर्ती स्कीम, आदि के जरिए भर्ती किया जा रहा है।

(ङ) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में वैज्ञानिकों का अनुपात जनशक्ति की कुल नफरी का लगभग 1:3 है।

[अनुवाद]

पोस्त के बीजों का आयात

1663. श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या **वाणिज्यि और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पोस्त के बीजों का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में/से सफेद पोस्त के बीजों का देश-वार कितना आयात-निर्यात किया गया तथा इसका मूल्य कितना रहा; और

(ग) विशेषकर हरियाणा एवं राजस्थान में पोस्त के बीजों के उत्पादकों के हितों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्यि और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. ई.एम.एस. नाच्चीयप्पन) : (क) और (ख) जी, हां। आयात और निर्यात का ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) पोस्त के बीज अफीम उत्पादन के उपोत्पाद होते हैं। केन्द्र सरकार मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में अफीम उत्पादन हेतु उत्पादकों को लाइसेंस जारी करती है। तथापि, देश में पोस्त के बीजों के उत्पादन की मात्राा इसकी घरेलू मांग की पूर्ति हेतु अपर्याप्त है जिसके कारण आयात किया जाता है। केन्द्र सरकार सस्ते आयातों के विरुद्ध पोस्त

के बीजों के घरेलू उत्पादकों को दो तरीकों से (i) सीमाशुल्क लगाकर और (ii) न्यूनतम प्रशुल्क मूल्य निर्धारित करके सरंक्षित करती है। इस समय आयातित पोस्त बीज पर सीमाशुल्क 25.42 प्रतिशत यथामूल्य है तथा न्यूनतम प्रशुल्क मूल्य 4,395 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। हरियाणा राज्य में अफीम का कोई अवैध उत्पादन नहीं होता है।

विवरण-I

पोस्त बीज का आयात (एचएस कोड-12079100)

देश	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14 (सितंबर, 2013 तक)	
	मात्रा (मीट्रिक टन)	मूल्य (करोड़ रुपए)	मात्रा (मीट्रिक टन)	मूल्य (करोड रुपए)	मात्रा (मीट्रिक टन)	मूल्य (करोड रुपए)	मात्रा (मीट्रिक टन)	मूल्य (करोड रुपए)
चीन पीआर	1801.00	18.37	476.00	4.87	663.00	7.59	578.00	9.64
चेक गणराज्य	—	—	—	—	65.00	0.97	17.00	0.41
तुर्की	14736.09	160.73	19129.64	172.70	12481.56	142.47	8298.00	179.86
कुल	16537.09	179.10	19605.64	177.57	13209.56	151.03	8893.00	189.91

टिप्पणी: 2013-14 (सितंबर 2013 तक) के आंकड़े अनंतिम हैं।

विवरण-II

पोस्त बीज का निर्यात (एचएस कोड-12079100)

देश	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14 (सितंबर, 2013 तक)	
	मात्रा (मीट्रिक टन)	मूल्य (रुपए)	मात्रा (मीट्रिक टन)	मूल्य (रुपए)	मात्रा (मीट्रिक टन)	मूल्य (रुपए)	मात्रा (मीट्रिक टन)	मूल्य (रुपए)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ऑस्टेलिया	0.5	1,52,425	4.112	2,94,192	1.95	4,85,274	0.176	72,422
बहरीन आईएस	—	—	0.15	67,172	0.3	41,146	0.1	16,075
बेनिन	—	—	—	—	0.03	10,093	—	—
बोत्सवाना	0.04	16,758	—	—	—	—	—	—
कनाडा	7.85	11,60,260	9.614	98,6011	16.554	20,96,637	7.435	1,401,374
कांगो डी. गणराज्य	—	—	—	—	—	—	0.04	33,634
कांगो पी. गणराज्य	—	—	0.01	3213	—	—	0.001	678

1	2	3	4	5	6	7	8	9
फिजी आईएस	0.12	39336	—	—	—	—	—	—
फ्रांस	—	—	—	—	0.265	18,448	—	—
गैबोन	—	—	—	—	0.01	3,760	—	—
जर्मनी	—	—	0.1	10,350	—	—	—	—
घाना	—	—	0.02	5,691	0.03	10,815	0.015	7,916
गिनी	0.005	2,095	—	—	—	—	—	—
हांगकांग	0.005	2,402	—	—	—	—	—	—
आयरलैंड	—	—	0.491	2,07,385	—	—	—	—
जापान	9.24	35,33,637	9	27,65,900	11	62,18,489	9	55,60,275
कीनिया	0.12	25,679	1.168	2,68,818	2.474	3,49,903	0.8	61,692
कुवैत	—	—	0.1	18,882	0.1	36,490	—	—
लाइबेरिया	0.04	11,622	0.2	11,038	—	—	—	—
मलेशिया	—	—	4.73	5,26,462	0.509	1,91,773	0.204	23,613
मालद्वीव	—	—	0.04	7238	0.025	11,674	—	—
मारीशस	—	—	1.8	2,21,270	—	—	0.3	33,176
मौंजॉबिक	—	—	0.1	10,583	0.007	3,390	0.04	31,504
नेपाल	—	—	0.2	24,504	—	—	0.06	29,413
नीदरलैंड एंटिल	—	—	—	—	—	—	0.125	7,387
न्यूजीलैंड	1.87	2,70,135	0.2	66,290	0.32	1,20,364	0.54	98,622
नाइजीरिया	—	—	0.024	2,434	—	—	—	—
फिलीपींस	0.15	22,275	—	—	—	—	—	—
पुर्तगाल	0.04	8,598	—	—	—	—	—	—
री-यूनियन	0.025	11,888	0.03	12,600	0.075	21,811	—	—
सेनेगल	—	—	—	—	0.012	4,325	—	—
सिशेल्स	—	—	0.02	5,493	—	—	—	—
सिंगापुर	0.049	5,066	—	—	—	—	—	—
दक्षिण अफ्रीका	0.7	1,73,870	0.145	59,115	0.576	1,85,594	0.045	14,500

1	2	3	4	5	6	7	8	9
स्पेन	—	—	—	—	0.04	17,539	—	—
श्रीलंका डीएसआर	0.1	4,646	0.105	15,323	—	—	—	—
सूडान	0.32	26,189	0.1	8,679	—	—	—	—
तंजानिया गणराज्य	0.01	3,404	0.045	16,588	0.35	94,485	0.1	39,300
टोगो	—	—	0.01	4,583	—	—	—	—
तुर्की	—	—	18	18,16,425	—	—	—	—
यूके	3.46	6,10,344	4.778	8,30,359	6.189	12,50,610	5.205	9,02,141
यूएसए	70.637	1,06,73,158	66.036	1,25,71,070	132.923	2,62,95,398	37.884	120,95,431
युगांडा	0.02	8,311	0.005	3,890	—	—	—	—
वियतनाम सामाजिक (गणराज्य)	—	—	0.03	8,623	—	—	—	—
यमन गणराज्य	—	—	—	—	1	20,7942	—	—
कुल	95.301	1,65,88,228	121.363	2,08,50,181	174.739	3,76,75,960	62.07	2,04,29,153

टिप्पणी: 2013-14 (सितंबर, 2013 तक) के आंकड़े अनंतिम हैं।

कृषि उत्पाद निर्यात नीति

1664. श्री हरिभाऊ जावले :
श्री राम सुन्दर दास :
श्री कपिल मुनि करवारिया :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कपास, चीनी आदि जैसे कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए नई नीति बनाने का है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विभिन्न मंत्रालयों के बीच संपर्क के अभाव के कारण कपास एवं चीनी के निर्यात संबंधी निर्णय पर प्रभाव पड़ रहा है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार के पास खाद्य पदार्थ, फलों आदि के भारी अतिरिक्त भंडार उपलब्ध हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों को उनके पास उपलब्ध अधिशेष उत्पादों को सीधे विदेशों को निर्यात करने की अनुमति देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. ई.एम.एस. नाच्चीयप्पन) : (क) कृषि उत्पादों संबंधी निर्यात नीति कार्यनीतिक प्रारक्षिति, खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताओं राजयनिक/मानवीय निहितार्थों, अंतर्राष्ट्रीय मांग एवं आपूर्ति की स्थिति, आयातक देशों में गुणवत्ता मानक, व्यापार की गई वस्तुओं की किस्मों तथा कीमत प्रतिस्पर्धात्मकता, उपजकर्ताओं, को लाभकारी कीमतों तथा आम जनता को किफायती कीमतों पर कृषि उत्पादों की उपलब्धता के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है।

(ख) एक से अधिक विभाग/मंत्रालय से संबंधित सभी प्रमुख

नीतिगत निर्णय सरकार द्वारा अंतर-मंत्रालयी परामर्शों के पश्चात मंत्रिमंडल, सीसीईए, ईजीओएम इत्यादि जैसे समुचित स्तरों पर लिए जाते हैं।

(ग) सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) हेतु केंद्रीय पूल में खाद्यान्न स्टॉक रखती है। नवीनतम सूचना के अनुसार, दिनांक 01/11/2013 तक, केंद्रीय पूल में 168.54 लाख मी.टन चावल तथा 340. 99 लाख मी.टन गेंहू का कुल स्टॉक मौजूद था। इस स्टॉक में राज्य की एजेंसियों में उपलब्ध 28.72 लाख मी.टन चावल तथा 203.69 लाख मी टन गेंहू शामिल है।

कार्यनीति रिजर्व सहित गेंहू एवं चावल के बफर मानक दिनांक 1 अक्तूबर को क्रमश: 72 लाख मी. टन तथा 140 लाख मी. टन थे। सरकार केंद्रीय स्तर पर फलों का स्टॉक नहीं रखती है।

(घ) और (ङ) सभी प्रकार के फलों, अनाजों सहित अधिकांश कृषि उत्पादों का निर्यात, मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के तहत अनमुत्य है। कोई भी व्यक्ति/पीएसयू/अधिप्रापण एजेंसी/राज्य सरकार की एजेंसियां वाणिज्यिक आधार पर ओजीएल के तहत उपर्युक्त वस्तुओं का निर्यात कर सकती हैं।

खतरनाक व्यवसायों में बाल श्रम

1665. श्री नृपेन्द्र नाथ राय :
श्री नरहरि महतो :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाल श्रम के लिए अधिसूचित खतरनाक प्रक्रिया सहित ऐसे व्यवसायों/उद्योगों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान देश के विभिन्न भागों में वर्ष-वार और राज्य-वार ऐसे व्यवसायों में मारे गए बच्चों सहित इनमें रोजगाररत बच्चों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे खतरनाक उद्योगों में काम के दौरान हुई बच्चों की मौतों की संख्या का कोई आकलन किया है एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान बचाए गए एवं पुनर्वासित बच्चों की संख्या क्या है तथा उनके नियोक्ताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी; और

(ङ) उक्त उद्योगों में बाल श्रमिकों को रोजगार देने के रिवाज को रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन से प्रभावी कदम उठाए जा रहे हो?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत उन व्यावसायों एवं प्रक्रियाओं का विवरण जिनमें बाल श्रम प्रतिषिद्ध हैं, का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, देश में 5-14 वर्ष के बीच के आयु वर्ग के कामकाजी बच्चों की कुल संख्या 1.26 करोड़ थी जिसमें से 12 लाख बच्चे, बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत शामिल किए गए जोखिमकारी व्यवसायों/प्रक्रियाओं में नियोजित पाए गए। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जोखिमकारी व्यवसायों/प्रक्रियाओं में कार्य कर रहे बच्चों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। पिछले तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष के लिए जनगणना 2011 से संबंधित अथवा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन से अभी तक में देश मे जोखिमकारी व्यवसायों/प्रक्रियाओं में कार्य कर रहे बच्चों से संबंधित आधिकारिक आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार जोखिमकारी व्यवसाय मे किसी बाल श्रमिक के मरने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) जिला परियोजना सोसाइटियों से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के माध्यम से मुख्य धारा में शामिल किए गए बाल श्रमिकों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-III में दिया गया है। विभिन्न राज्यों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों के अनुसार बाल श्रम अधिनियम के अंतर्गत किए गए निरीक्षणों, शुरू किए गए अभियोजनों, दोषी नियोक्ताओं के विरुद्ध दोषसिद्धियों के विवरण निम्नवत् हैं:—

वर्ष	निरीक्षणों की संख्या	अभियोजनों की संख्या	दोषसिद्धियों की संख्या
2010	250087	4508	1317
2011	123139	5961	933
2012	128499	4695	975

(ङ) सरकार बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए एक बहुउद्देश्यीय नीति अपना रही है। इनमें सांविधिक तथा विधायी उपायों के साथ-साथ बचाव एवं पुनर्वास, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के साथ सामाजिक संरक्षण, गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सृजन शामिल हैं। इसका उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना है जिससे परिवारों को अपने बच्चों को कार्य पर भेजने के लिए मजबूर न होना पड़े। बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986, 14 वर्ष की आयु से कम के बच्चों का 18 व्यवसायों तथा 65 प्रतिक्रियाओं में नियोजन को निषिद्ध करता है। यह अधिनियम बच्चों की कार्य दशाओं को विनियमित करता है जहां उन्हें काम करने के लिए प्रतिषिद्ध नहीं किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो किसी

व्यवसाय अथवा प्रक्रिया में जहां बच्चों का नियोजन बाल श्रम अधिनियम के अंतर्गत प्रतिषिद्ध है, नियोजित करता है तो वह कैद और/अथवा जुर्माने की सजा का पात्र होगा। बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए सरकार राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम का क्रियान्वयन वर्ष 1988 से कर रही है। यह योजना जोखिमकारी व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में कार्य कर रहे बच्चों का शैक्षणिक पुनर्वास करती है। इस परियोजना के अंतर्गत काय से मुक्त कराए गए/कार्य से हटाए गए बच्चों को विशेष स्कूलों में नामांकित किया जाता है जहां उन्हें औपचारिक शिक्षण पद्धति की मुख्य धारा में शामिल करने से पूर्व समायोजी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, दोपहर का भोजन, वृत्तिका, स्वास्थ्य देख-रेख आदि सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

विवरण-I

भाग-क

व्यवसाय (गैर-औद्योगिक कार्यकलाप)

निम्नलिखित से संबंधित कोई व्यवसाय:—

(1) रेलों द्वारा यात्रियों, माल और डाक का परिवहन;

(2) रेलवे परिसरों में अंगारों या राख से कोयला बीनना, राख के गड्ढे को साफ करना अथव निर्माण कार्य करना;

(3) रेलवे स्टेशन पर बने हुए भोजनालयों में काम करना, इसमें किसी कर्मचारी अथवा विक्रेता द्वारा किया गया ऐसा कार्य भी शामिल है जिसमें एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर आना-जाना अथवा चलती रेलगाड़ी से चढ़ना-उतरना पड़ता है;

(4) रेलवे स्टेशन के निर्माण से संबंधित काम या कोई ऐसा काम जो रेल लाइनों के निकट या उनके बीच में किया जाना हो;

(5) किसी पत्तन की सीमाओं के भीतर कोई पत्तन प्राधिकरण;

(6) अस्थाई लाइसेन्स प्राप्त दुकानों में पटाखों और आतिशबाजी का सामान बेचने से संबंधित कार्य;

(7) वधशाला अथवा बूचड़खाना;

(8) ओटोमोबाइल वर्कशॉप और गैराज;

(9) ढलाई कारखाना;

(10) विषैले अथवा ज्वलनशील पदार्थों अथवा विस्फोटकों का रख-रखाव;

(11) हथकरघा एवं पावरलू उद्योग;

(12) खान (भूमिगत एवं जलगत) एवं कोयला खादान;

(13) प्लास्टिक इकाईयां एवं फाइबर ग्लास वर्कशॉप;

(14) घरेलू कामगार अथवा नौकर;

(15) ढाबे (सड़क किनारे पर खाने-पीने की दुकानें), रेस्टोरेंट, होटल, मोटल, चाय की दुकानें, रिसॉर्ट, स्पा अथवा अन्य मनोरंजन केन्द्र; और

(16) गोताखोरी।

(17) हाथियों की देखभाल।

(18) सर्कस के कार्य।

भाग-ख

प्रक्रियाएं (औद्योगिक कार्यकलाप)

(1) बीड़ी बनाना।

(2) कालीन बुनाई जिसमें इसकी शुरूआती और इससे जुड़ी प्रक्रिया शामिल है।

(3) बोरियों में सीमेन्ट भरने सहित सीमेन्ट विनिर्माण।

(4) कपड़ा छपाई, रंगाई और बुनाई जिसमें इसकी शुरूआती और इससे जुड़ी प्रक्रियाएं शामिल हैं।

(5) दियासलाई (माचि) विस्फोटक पदार्थों तथा पटाखों का निर्माण।

(6) अभ्रक काटना और उसके टुकड़े (विखंडन) करना।

(7) चमड़ा (शीलैक) विनिर्माण।

(8) साबुन बनाना।

(9) चर्म/चमड़े का शोधन/रंगना।

(10) ऊन की सफाई।

(11) भवन और निर्माण उद्योग जिसमें ग्रेनाइट पत्थरों का प्रसंस्करण और पॉलिश किया जाना शामिल है।

(12) स्लेट पैंसिल का निर्माण (पैकिंग सहित)।

(13) अगेट के उत्पादों का निर्माण कार्य।

(14) सीसा, मैंग्नीज, पारा, क्रोमियम, कैडमियम, बैनजीन, कीटनाशक और एसबेस्टस जैसे जहरीले पदार्थों के इस्तेमाल से होने वाली विनिर्माण प्रक्रियाएं।

(15) कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 87 के

अंतर्गत बनाए गए नियमों में अधिसूचित "खतननाक कार्य" और धारा 2 (गख) में उल्लिखित "जोखिमपूर्ण प्रक्रियाएं"।

(16) कारखाना अधिनियम, 1948 की (1948 का 63) की धारा 2 (ट) (iv) में यथापरिभाषित मुद्रण।

(17) काजू और काजू के छिलके उतारने की प्रक्रिया।

(18) इलैक्ट्रोनिक उद्योग में टांका लगाने (सोल्डिंग) की प्रक्रिया।

(19) अगरबत्ती का निर्माणं

(20) ऑटोमोबाईल मरम्मत और रख-रखाव जिसमें इसकी शुरूआत और इससे जुड़ी प्रक्रिया शामिल है, वैल्डिंग इकाइयां (लेथवर्क डेटिंग एवं पेटिंग)।

(21) ईंटों या खपरैलों का निर्माण।

(22) रुई/सूत की ओटाई और प्रसंस्करण करना तथा हौजरी के सामान बनाना।

(23) डिटरजेंट का निर्माण।

(24) फैबरिकेशन वर्कशॉप (लौह एवं गैर-लौह)।

(25) रत्न तराशना और उनकी पालिश करना।

(26) क्रोमाइट और मैंग्नीज अयस्कों की रख-रखाव।

(27) जूट के कपड़ों का निर्माण और कॉयर निर्माण।

(28) चूना – भट्टा और चूना निर्माण।

(29) ताला बनाना।

(30) ऐसी कोई विनिर्माण प्रक्रिया जिसमें सीसे का उच्छादन होता है जैसे सीसा लेपित धातु को पहली बार या दूसरी बार गलाया जाना, वैल्डिंग और कटाई करना, गल्वनीकृत या जिंक सिलिकेट, पोलीविनाइल क्लोराइड की वैल्डिंग करना, क्रिस्टल ग्लास मास का मिश्रण (हाथ से) करना, सीसा पेन्ट की बालू हटाना या खुरचना, इनैमलिंग वर्कशॉपों में सीसे का दाहन, खान सीसा निकालना नलसाजी, केबल बनाना, तार बिछाना, सीसा ढलाई, मुद्रणालयों में अक्षर की ढुलाई, भंडार टाइप सैटिंग, कारों के पुर्जे जोड़ना, छर्रे बनाना, सीसा कांच फुलाना।

(31) सीमेन्ट पाइप तथा सीमेन्ट उत्पाद और सीमेंट की अन्य वस्तुएं बनाना।

(32) कांच का निर्माण जिसमें चूड़ियां बल्क, टयूबों का निर्माण भी शामिल है।

(33) रंजक (डाई) और रंजक द्रव्यों का निर्माण।

(34) कीटनाशकों का निर्माण और उनकी उठाई धराई।

(35) इलैक्ट्रानिक उद्योग में जंग लगने वाले तथा विषैले पदार्थों का निर्माण जिसमें धातु साफ करना, फोटो उत्कीर्णन तथा टांका लगाना शामिल है।

(36) जलने वाला कोयला और कोयला इष्टिकाओं का निर्माण।

(37) खेल-कूद की ऐसी वस्तुओं का निर्माण जिसमें कृत्रिम सामग्री, रसायन और चमड़े का उच्छादन शामिल है।

(38) फाइबर ग्लास और प्लास्टिक तथा सांचा ढलाई व प्रसंस्करण।

(39) तेल की पिराई और शोधन कार्य।

(40) कागज बनाना।

(41) चीनी-मिट्टी के बरतन और सिरेमिक उद्योग।

(42) पीतल की सभी प्रकार की चीजों का निर्माण जिसमें पीतल की कटाई, ढलाई, पालिश और वैल्डिंग शामिल है।

(43) ऐसी कृषि प्रक्रियाएं जहां फसल को तैयार करने में ट्रैक्टरों, फसल की कटाई और गहाई में मशीनों का प्रयोग किया जाता है।

(44) आरा मिल-सभी प्रक्रियाएं।

(45) रेशम उद्योग।

(46) चमड़े के सामान के निर्माण हेतु स्किनिंग, रंगाई और प्रसंस्करण प्रक्रियाएं।

(47) पत्थर तोड़ना और पीसना।

(48) तम्बाकू प्रसंस्करण जिसमें तम्बाकू का पेस्ट बनाना तथा किसी भी रूप में उसका रख-रखाव।

(49) टायर निर्माण, मरम्मत, री-ट्रेडिंग और ग्रेफाइट सज्जीकरण।

(50) बर्तन बनाना, पालिश करना और धातु की बफिंग करना।

(51) जरी का काम (सभी प्रक्रियाएं)।

(52) इनैक्ट्रोप्लेटिंग।

(53) ग्रेफाइट का चूर्ण करना और अनुषंगिक प्रक्रिया।

(54) धातुओं की घिसाई या उन पर कांच चढ़ाना।

(55) हीरों की कटाई और पालिश।

(56) खानों से स्लेट का निस्तारण।

(57) कचरा उठाना और कबाड़ एकत्र करना।

(58) अत्यधिक गर्मी और सर्दी के सम्पर्क में आने से संबंधित प्रक्रियाएं (उदाहरणार्थ भट्टी के पास काम करना)।

(59) मशीनीकृत मछली पालन।

(60) खाद्य प्रसंस्करण।

(61) पेय पदार्थ उद्योग।

(62) लकड़ी प्रहस्तन और ढुलाई।

(63) लकड़ी की यांत्रिक कटाई।

(64) भंडारागार कार्यकलाप।

(65) मुक्त सिलिका जैसे स्लेट, पेंसिल उद्योग, पत्थर कटाई, स्लेट पत्थर खनन, पत्थर खदानें और गोमेद उद्योग क सम्पर्क वाली प्रक्रियाएं।

विवरण-II

2001 की जनगणना के अनुसार जोखिमकारी व्यवसायों/प्रक्रियाओं में कार्य कर रहे बच्चों से संबंधित आंकड़े

क्र. सं.	व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं के नाम	नियोजित बच्चों की संख्या
1	2	3
1.	पान, बीड़ी एवं सिगरेट	252574
2.	विनिर्माण	208833
3.	घरेलू कामगार	185505
4.	कताई/बुनाई	128984
5.	ईंट, भट्टे एवं टाइल्स	84972
6.	ढाबा/रेस्तरां/होटल/मोटल	70934
7.	ऑटो वर्कशॉप, गाड़ियों की मरम्मत	49893
8.	रत्न की कटाई, आभूषण निर्माण	37489
9.	दरी बनाना	32647
10.	सिरेमिक	18894
11.	अगरबत्ती, धूप एवं डिटर्जेंट बनाना	13583
12.	अन्य*	135162
	कुल	1219470

*ढलाईखाना, बूचड़खाना, प्लास्टिक इकाई, रेलवे द्वारा यात्रियों, माल अथवा डाक का परिवहन, राख उठाना, साबुन विनिर्माण, चर्म शोधन, ताला बनाने, कागज बनाने, टायर निर्माण एवं मरम्मत, डाई एवं डाई पदार्थ का निर्माण, काजू ओर काजू के छिलके उतारने एवं प्रसंस्करण इत्यादि।

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के माध्यम से मुख्यधारा में शामिल किए गए बच्चों की संख्या

क्र. सं.	राज्य	मुख्यधारा में शामिल किए गए बच्चों की संख्या		
		2010-11	2011-12	2012-13
1.	असम	274	227	10848
2.	आंध्र प्रदेश	1858	13202	7840
3.	बिहार	8552	19673	1162
4.	छत्तीसगढ़	5164	4914	2004
5.	गुजरात	2129	609	569
6.	हरियाणा	1293	1895	1722
7.	जम्मू और कश्मीर	43	184	132
8.	झारखंड	1015	2216	4003
9.	कर्नाटक	135	3761	758
10.	महाराष्ट्र	5113	4532	4954
11.	मध्य प्रदेश	13344	17589	7116
12.	ओडिशा	14416	13196	10309
13.	पंजाब	123	168	0
14.	राजस्थान	4415	1020	4155
15.	तमिलनाडु	6325	5127	3671
16.	उत्तर प्रदेश	28243	29947	10616
17.	पश्चिम बंगाल	2215	7456	3117

[हिन्दी]

आरक्षित पदों को न भरना

1666. श्री सुदर्शन भगत : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एवं अर्द्धसरकारी संस्थानों, कंपनियों, प्रतिष्ठानों आदि में अनुसूचित जनजातियों एवं आरक्षित वर्ग के अधिकतर पद रिक्त हो;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले पांच वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान पाए गए ऐसे मामलों की कुल संख्या कितनी है जहां अनुसूचित जनजातियों सहित आरक्षित वर्गों के लिए आरक्षित पदों को सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों से भरा गया?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गंगा नदी के जल की गुणवत्ता संबंधी अध्ययन

1667. श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना :
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गंगा नदी के जल की गुणवत्ता संबंधी कोई रिपोर्ट प्रकाशित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा गंगा नदी के जल को साफ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वर्ष 2009-10 में गंगा जल की गुणवत्ता के रूझान से संबंधित रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में जल गुणवत्ता की मानीटरिंग, सहायक नदियों प्रदूषित नदी क्षेत्रों की पहचान करना शामिल है। यह सूचित किया गया है कि गंगा नदी के किनारे स्थित शहरों और कस्बों से अशोधित/आंशिक रूप से शोधित घरेलू अपशिष्ट जल को बहाने के कारण गंगा नदी की जल गुणवत्ता प्रभावित हुई हैं। फीकल कोलीफार्म बैक्टीरिया द्वारा नदी जल को उसके सवोत्तम अभिहित उपयोग के लिए अनुपयुक्त बनाने से भी जल गुणवत्ता को काफी क्षति पहुंची है।

(ग) समग्र नदी बेसिन प्रणाली अपनाकर गंगा नदी का प्रभावी प्रदूषण उपशमन और संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक शक्ति संपन्न, आयोजनाबद्ध, वित्त पोषण मॉनीटरिंग और समन्वयक प्राधिकरण के रूप में फरवरी 2009 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) गठित किया गया था। एनजीआरबीए कार्यक्रम के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों में मल-जल शोधन प्रणाली बिछाना, मल-जल शोधन संयंत्र लगाना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण हेतु साझा बहि:स्राव शोधन संयंत्र, नदी तटाग्र प्रबंधन, शवदाहगृह आदि शामिल हैं। एनजीआरबीए कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 3031.02 करोड़ रुपए की लागत से गंगा वाले राज्यों के 44 शहरों में 56 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। केंद्र और राज्य से 988.63 करोड़ रुपए धनराशि जारी की गई है और इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सितम्बर, 2013 तक 785.16 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, गंगा के लिए व्यापक नदी बेसिन प्रबंधन योजना तैयार करने हेतु सात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) का संकाय नियत किया गया है। इस योजना का उद्देश्य गंगा नदी प्रणाली के स्वास्थ्यकारिता की बहाली हेतु व्यापक उपाय सुझाना तथा नदी बेसिन में प्रतिस्पर्धापरक जल उपयोगों के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उसके पारिस्थितिकीय स्वास्थ्य में सुधार करना है।

सड़कों का उन्नयन

1668. श्रीमती रमा देवी : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जपाह-मीणापुर-शिवहर खंड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के संबंध में बिहार सरकार से कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) से (ग) जी, हां। नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के लिए बिहार राज्य सरकार ने प्रस्ताव अग्रेषित किया है। मंत्रालय ने सड़क संपर्क की आवश्यकता, परस्पर प्राथमिकता और निधि की उपलब्धता को ध्यान मे रखते हुए संपूर्ण देश में 10 हजार किमी. नए राष्ट्रीय राजमार्ग पहले ही घोषित कर दिए हैं। जपाह-मीणापुर-शिवहर खंड नवीन घोषित राष्ट्रीय राजमार्गों की सूची में नहीं है।

एनएच-14 एवं एनएच-15 पर सड़क दुर्घटनाएं

1669. श्री देवजी एम. पटेल : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग सं 14 एवं 15 पर सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर सर्विस लेन अंडर पास, साइकिल लेन एवं पैदल पथ बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) मंत्रालय में सड़क दुर्घटना डाटा का संकलन एशिया प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग की एशिया प्रशांत सड़क दुर्घटना डाटाबेस परियोजना के अनुरूप विकसित फॉर्मेट में किया जाता है इस फॉर्मेट में सड़क दुर्घटनाओं का विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग-वार डाटा संकलित नहीं किया जाता है।

(ख) और (ग) रारा-15 के किमी. 259/0 से 297/100 तक जैसलमेर-बाड़मेर-संचौर खंड में कार्य संस्वीकृत किया गया है। रारा-15 के जैसलमेर-बाडमेर-संचौर खंड में किमी. 259/0 से 286/0 और किमी. 290/600 से 297/100 (34.1 किमी.) तक पेव्ड शोल्डर सहित सुदृढ़ीकरण किए जाने और किमी. 286/600 से 290/600 (संचौर शहरी क्षेत्र में) तक विद्यमान दो लेन का चार लेन में चौड़ीकरण किए जाने के लिए नया कार्य संस्वीकृत किया गया है जिसमें निम्नलिखित के लिए प्रावधान है:—

(i) चै. 287/0 से 289/0 तक की 2 किमी. लंबाई में दोनों और सर्विस रोड, साथ ही नाला और पैदल पथ यात्रियों के लि सुरक्षा बैरियर।

(ii) पैदल पथ यात्रियों को सुरक्षित रूप से सड़क पार करने के लिए संचौर शहर क्षेत्र में दो फुटओवर ब्रिज।

[अनुवाद]

खिलाड़ियों के चयन में भेदभाव

1670. श्री अंजनकुमार एम. यादव :
श्री एस. अलागिरी :

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के चयन में भेदभाव संबंधी शिकायत मिली है जिसके कारण अन्य खिलाड़ियों में असंतोष फैल रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान ऐसी कितनी शिकायतें मिली हैं तथा उन पर खेल-वार क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) सरकार द्वारा उन पर कार्रवाई की गयी है;

(घ) क्या कुछ राष्ट्रीय खेल संघ उक्त प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों के चयन हेतु निर्धारित मानदंडों को लागू नहीं कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय खेल परिसंघ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत स्वायत्त निकाय हैं। सरकार इनके रोजमर्रा के कार्यों जिनमें खेल स्पर्धाओं का आयोजन, खिलाड़ियों का चयन आदि शामिल है, में हस्तक्षेप नहीं करती।

तथापि, सरकार ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों के चयन हेतु प्रक्रिया निर्धारित की है। इस प्रक्रिया के अनुसार प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भागीदारी के लिए खिलाड़ियों/टीमों के चयन की जिम्मेदारी संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों की है। इस चयन समिति में संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघ के अध्यक्ष, राष्ट्रीय कोच और भारतीय ओलंपिक संघ का एक प्रतिनिधि होता है। सरकार प्रसिद्ध खिलाड़ियों को सरकारी प्रेक्षकों के रूप में नियुक्त करती है जो सरकार को चयन संबंधी मुद्दों पर अपनी फीडबैक मुहैया कराते हैं।

निष्पक्ष और पारदर्शी चयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिनके अनुसार राष्ट्रीय खेल परिसंघों के लिए यह आवश्यक है कि वे खिलाड़ियों, कोचों और सरकारी प्रेक्षकों को समय रहते विस्तृत चयन मानदंडों/मानकों, ट्रायल की अनुसूची आदि संसूचित करे।

विगत में सरकार को राष्ट्रीय खेल परिसंघों द्वारा खिलाड़ियों के चयन में अभिकथित भेदभाव की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों तथा सरकार प्रेक्षकों से रिपोर्टें प्राप्त करने और राष्ट्रीय खेल परिसंघों को उचित परामर्श देने के साथ-साथ इन शिकायतों पर सरकार द्वारा कार्रवाई की जाती है, वर्ष-वार आंकड़े नहीं रखे जाते।

औषधीय पौधों का संरक्षण

1671. श्री निशिकांत दुबे : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में राज्य सरकारों से परामर्श कर प्राचीन और पारंपरिक औषधीय पौधों और पक्षियों के संरक्षण के लिए कोई योजना शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो झारखंड सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किया कदम उठाए गए हैं और राज्य-वार आबंटित की गई राशि की मात्रा कितनी है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) सरकार, देश के औषधीय पौधों की सुरक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत 24 नवंबर, 2000 को अधिसूचित संकल्प द्वारा राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड का गठन पहले ही कर चुकी है। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार उसके द्वारा निम्नलिखित दो मुख्य योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:—

- "औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास और सतत् प्रबंधन" हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की योजना
- "औषधीय पौधों से संबंधित राष्ट्रीय मिशन" की केन्द्रीय प्रायोजित योजना

औषधीय पौधों से संबंधित मामलों के समन्वय हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर राष्ट्रीय पादप बोर्डों का भी गठन किया गया है।

मंत्रालय, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 'वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास, के अंतर्गत पक्षियों और उनके पर्यावासों की सुरक्षा के लिए झारखंड राज्य सरकार सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है।'

(ख) और (ग) राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड द्वारा झारखंड राज्य के बारे में उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार: "औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास और सतत् प्रबंधन" हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान क्रमशः 36.77 लाख रुपए, 99.67 लाख रुपए 138.96 लाख रुपए और 2.59 लाख रुपए की धनराशि अब तक जारी की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, "औषधीय पौधों से संबंधित राष्ट्रीय मिशन" की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के कार्यान्वयन हेतु मिशन निदेशक, झारखंड राज्य के पक्ष में वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान अब तक क्रमशः 165.18 लाख और 257.61 लाख रुपए की धनराशि जारी की गई है। इसके अतिरिक्त, "औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास और सतत् प्रबंधन" हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष-वार आवंटित धनराशि का मात्रा संलग्न विवरण-I में दी गई है। "औषधीय पौधों से संबंधित राष्ट्रीय मिशन" की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार आवंटित की गई धनराशि की मात्रा से संबंधित सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

इसके अतिरिक्त, पक्षियों की सुरक्षा सहित वन्यजीवों के संरक्षण और प्रबंधन हेतु 'वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास' की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान जारी की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। इसमें झारखंड राज्य को जारी की गई धनराशि भी शामिल है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम "औषधीय पौधों का संरक्षण, विकास और सतत् प्रबंधन" के अंतर्गत जारी की गई धनराशि

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (नवंबर, 2013 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	84.92	233.11	44.58	67.20
2.	अरुणाचल प्रदेश	68.19	48.33	0	6.57
3.	असम	56.65	7.44	4.33	29.00
4.	बिहार	0	0	0	0.00

1	2	3	4	5	6
5.	छत्तीसगढ़	2.00	124.98	178.6	312.05
6.	दिल्ली	182.55	111.97	38.8	14.95
7.	गोवा	5.00	4.78		0.00
8.	गुजरात	877.85	188.55	609.91	91.01
9.	हरियाणा	223.12	47.25		7.92
10.	हिमाचल प्रदेश	550.75	326.98	11.24	40.44
11.	जम्मू और कश्मीर	59.90	15.75	33.38	47.48
12.	झारखंड	36.77	99.67	138.96	2.59
13.	कर्नाटक	134.36	116.33	191.87	45.95
14.	केरल	372.86	507.49	50.54	151.88
15.	मध्य प्रदेश	323.34	899.37	222.3	872.77
16.	महाराष्ट्र	93.16	519.39	890.95	560.16
17.	मणिपुर	17.63	20.65	16	10.00
19.	मेघालय	55.00	5.00		0.00
19.	मिज़ोरम	25.00	4.99	265.35	17.76
20.	नागालैंड	251.68	139.92	74.22	99.35
21.	ओडिशा	37.50	179.62	2.79	97.00
22.	पंजाब	13.50	0		34.01
23.	राजस्थान	577.64	454.65	597.94	495.37
24.	सिक्किम	87.19	322.17	177.01	165.63
25.	तमिलनाडु	171.02	25.35	16.9	74.87
26.	त्रिपुरा	121.00	51.50	89.56	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	432.36	200.31	4.29	108.92
28.	उत्तराखंड	88.23	179.03	20.64	140.61
29.	पश्चिम बंगाल	30.00	3.00	75.48	13.00
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	52.71	0	0	41.27

1	2	3	4	5	6
31.	चंडीगढ़	5.00	0	17.12	5.00
33.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0.00
33.	दमन और दीव	0	0	0	0.00
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0.00
35.	पुदुचेरी	6.42	0	0	0.00
	कुल	5043.3	4837.58	3772.76	3552.76

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम "औषधीय पौधों से संबंधित राष्ट्रीय मिशन" के अंतर्गत जारी की गई धनराशि

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (नवंबर, 2013 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	700.00	512.52	834.32	963.63
2.	अरुणाचल प्रदेश	58.85	285.14	0	118.65
3.	असम	332.80	114.52	162.81	0
4.	बिहार	0.00	0.00	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0.00	186.96	0	0
6.	गुजरात	0.00	47.35	0	0
7.	हरियाणा	0.00	85.46	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	106.11	84.30	0	0
9.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0	0
10.	झारखंड	165.18	257.61	0	0
11.	कर्नाटक	372.22	0.00	0	216.71
12.	केरल	96.14	223.17	210.41	264.27
13.	मध्य प्रदेश	737.58	302.93	474.59	0
14.	महाराष्ट्र	243.49	327.08	0	0

1	2	3	4	5	6
15.	मणिपुर	0.00	138.54	57.6	105.96
16.	मेघालय	68.50	91.62	0	0
17.	मिज़ोरम	124.05	160.12	8.91	13.71
18.	नागालैंड	181.63	181.12	188.47	131.91
19.	ओडिशा	166.69	475.58	111.00	150.66
20.	पंजाब	96.00	0.00	0	0
21.	राजस्थान	100.00	0.00	0	28.87
22.	सिक्किम	4.17	91.10	161.94	137.59
23.	तमिलनाडु	834.70	961.39	741.5	1022.6698
24.	त्रिपुरा	0.00	84.00	0	0
25.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	834.54	0
26.	उत्तराखंड	280.98	262.73	0	0
27.	पश्चिम बंगाल	107.54	0.00	0	0
	कुल	4776.63	4873.24	3786.1	3154.6298

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास" के अंतर्गत जारी की गई धनराशि

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14 (तक)
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	87.872	127.06	109.50	113.45
2.	आंध्र प्रदेश	64.341	71.50	180.335	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	213.197	168.11	162.3755	0
4.	असम	186.63	234.17	146.00	138.88
5.	बिहार	19.889	00	64.69	34.8715
6.	छत्तीसगढ़	281.966	241.783	449.5655	408.74
7.	चंडीगढ़	12.29	19.98	0	0

1	2	3	4	5	6
8.	दादरा और नगर हवेली	00	00	0	0
9.	गोवा	32.879	21.458	148.12	0
10.	गुजरात	1106.749	1126.589	517.93	0
11.	हरियाणा	15.114	28.70	52.00	0
12.	हिमाचल प्रदेश	253.80	242.1104	318.9668	345.903
13.	जम्मू और कश्मीर	537.336	445.085	515.957	485.747
14.	झारखंड	63.64	64.2615	81.6195	97.7655
15.	कर्नाटक	412.252	335.851	434.5018	351.00
16.	केरल	366.786	941.79	1210.08	401.792
17.	मध्य प्रदेश	635.366	506.164	467.707	440.923
18.	महाराष्ट्र	343.32	322.391	425.883	400.143
19.	मणिपुर	88.316	86.65	73.925	0
20.	मेघालय	58.03	43.80	22.08	0
21.	मिज़ोरम	707.763	153.445	96.392	188.544
22.	नागालैंड	33.595	30.333	25.855	15.375
23.	ओडिशा	315.331	331.2651	368.2084	281.7948
24.	पंजाब	25.12	00	0	0
25.	राजस्थान	348.068	291.387	478.249	430.884
26.	सिक्किम	183.78	131.793	177.579	0
27.	तमिलनाडु	334.449	256.027	258.479	258.8328
28.	त्रिपुरा	2.84	00	0	0
29.	उत्तर प्रदेश	296.179	204.371	319.09	260.875
30.	उत्तराखंड	134.90	201.144	220.27	142.404
31.	पश्चिम बंगाल	276.385	246.425	164.135	167.1925
32.	दिल्ली	00	00	0	0
33.	दमन और दीव	00	00	0	0
34.	हिमाचल प्रदेश (उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, बंदरों का त्रास)	0	0	0	119.796
	कुल	7438.183	6873.643	7489.4935	5084.9131

[हिन्दी]

एनएच-58 पर अंडरपासों का निर्माण

1672. श्री कादिर राणा : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग से 58 पर उन स्थलों का ब्यौरा क्या है जहां अंडरपास बनाए जा रहे हो/बनाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार का दौराला, सकोटी, मंसूरपुर और जड़ौदा पर अंडरपासों का निर्माण करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन अंडरपासों के निर्माण का कार्य कब तक शुरू और पूर्ण होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 पर उन स्थलों, जहां अन्डरपास बनाए जा रहे हैं/बनाए जाने का प्रस्ताव है, का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) दौराला और सकोटी में अंडरपास का निर्माण किया जा चुका है, जबकि मंसूरपुर और जड़ौदा में अंडरपास निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

उत्तर प्रदेश राज्य में रारा-58 पर निर्माण किए जाने वाले अन्डरपासों के स्थान

क्र. सं.	चैनेज	मद	स्थिति
1	2	3	4
1.	6.842	फ्लाईओवर	डीएमई (दिल्ली - मेरठ एक्सप्रेसवे में प्रस्तावित)
2.	8.912	फ्लाईओवर	-तदैव-
3.	13.044	फ्लाईओवर	-तदैव-
4.	19.953	फ्लाईओवर	-तदैव-
5.	21.806	फ्लाईओवर	-तदैव-
6.	24.885	पीयूपी	-तदैव-
7.	30.800-32.500	एलीवेटेड	-तदैव-
8.	37.205	पीयूपी	डीएमई (दिल्ली - मेरठ एक्सप्रेसवे में प्रस्तावित)
9.	40.650-45.245	एलीवेटे	-तदैव-
10.	44.855	फ्लाईओवर	-तदैव-
11.	49.444	फ्लाईओवर	-तदैव-
12.	58+775	अंडरपास	निर्मित
13.	61+775	अंडरपास	निर्मित
14.	66+875	अंडरपास	निर्मित
15.	70+800	फ्लाईओवर	निर्मित
16.	78+815	अंडरपास	निर्मित
17.	87+400	अंडरपास	निर्मित
18.	118+550	अंडरपास	निर्मित
19.	122+175	अंडरपास	निर्मित
20.	2+896 खंतौली	अंडरपास	निर्मित
21.	4+712 बाईपास	अंडरपास	निर्मित
22.	7+715	अंडरपास	निर्मित

[अनुवाद]

इस्पात संयंत्र को मंजूरी

1673. श्री बाल कुमार पटेल : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ओडिशा राज्य में 'पास्को' के एकीकृत स्टील संयंत्र को स्वीकृत को स्वीकृति/मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी देने के लिए कुछ पूर्व-शर्तें रखी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या परियोजना विकासकर्ताओं द्वारा उक्त क्षेत्र की भूमि और

समुद्री पर्यावरण के संरक्षण के लिए सतत् पौधरोपण-कार्यक्रम करने और अन्य प्रीवी कदम उठाने का वचन दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (च) जी, हां। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने हरित पट्टी के विकास, स्वतंत्र अपशिष्ट जल शोधन सुविधा प्रक्रिया और वर्षा जल संचयन ढांचे के विकास इत्यादि सहित पर्यावरणीय सुरक्षोपायों के अध्यधीन ओडिशा के जगतसिंहपुर, कुजंग, निकट पारादीप, में कैप्टिव पावर प्लांट (4×100 मेगावाट) सहित एकीकृत आयरन एवं स्टील प्लांट (4.0 एमटीपीए) स्थापित करने हेतु मैसर्स पोस्को इंडिया प्रा. लि. को दिनांक 19 जुलाई, 2007 को पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की थी। मैसर्स पोस्को इंडिया प्रा.लि. को पर्यावरण स्वीकृति में निर्धारित की गई सभी विशिष्ट एवं साधरण शर्तों का अनुपालन करना होगा। इसके पश्चात, मेसस पोस्को इंडिया प्रा.लि. ने पर्यावरण स्वीकृति ने पुनर्वैधीकरण हेतु पर्यावरण हेतु और वन मंत्रालय से अनुरोध किया था। पर्यावरण स्वीकृति के पुनर्वैधीकरण के प्रस्ताव पर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 5-7 मार्च, 2013 को हुई छठी बैठक में विचार किया गया था और इस पर 16-17 मई, 2013 को हुई आठवीं बैठक में भी पुनर्विचार किया गया था। समिति ने पर्यावरणीय सुरक्षोपायों के अध्यधीन मैसर्स पोस्को इंडिया प्रा. लि. को प्रदत्त पर्यावरण स्वीकृति के पुनर्वैधीकरण की सिफारिश की थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने स्टील प्लांट की पर्यावरण स्वीकृति को पुनर्वैधीकरण प्रदान करने से पहले मैसर्स पोस्को इंडिया प्रा.लि. की कैप्टिव पोर्ट परियोजना की तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) स्वीकृति के संबंध में अतिरिक्त सूचना मांगी है।

[हिन्दी]

संडिला औद्योगिक क्षेत्र द्वारा नदी-प्रदूषण

1674. श्री अशोक कुमार रावत : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा नदी उत्तर प्रदेश के संडिला औद्योगिक क्षेत्र में स्थित उद्योगों द्वारा प्रदूषित हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में संडिला औद्योगिक क्षेत्र में भारी संख्या में लघु उद्योग स्थित हैं। ये इकाइयां प्लाईवुड, आटा मिलों, चावल मिलों इत्यादि के उत्पादन हेतु प्रसंस्करण करती हैं। इस औद्योगिक क्षेत्र में मैसर्स सेफ यीस्ट कंपनी लि. और मेसर्स वीआरएएस फूड्स प्रा.लि. नामक केवल दो जल प्रदूषणकारी उद्योग हैं। मैसर्स सेफ यीस्ट कंपनी लि. ने शून्य तरल बहिस्राव शोधन सुविधा संस्थापित की हुई है। मैसर्स वीआरएएस फूड्स (प्रा.) लि. ने बहिस्राव शोधन संयंत्र संस्थापित किया हुआ है और शोधित बहिस्राव को बेहटा नाले के माध्यम से गोमती नदी में निस्सारित किया जाता है।

[अनुवाद]

पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006

1675. श्री एस. अलागिरी :
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत, उपबंधानुसार अधिसूचित क्षेत्र-विशिष्ट विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त समिति द्वारा निभाई गई भूमिका का ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किए गए पुनरीक्षण कार्यों का इसके परिणाम सहित ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त समिति द्वारा परियोजनाओं को पर्यावरणिक-मंजूरी देने में अधिक समय लगने का क्या कारण है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) वर्तमान में, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने समय-समय पर यथा-संशोधित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के उपबंधों के तहत सात क्षेत्र-विशिष्ट विशषज्ञ मूलयांकन समितियां गठित की हुई हैं। इन समितियों में औद्योगिक; खनन (कोयला); खनन (गैर-कोयला); ताप; नाभिकीय; रक्षा; तटीय विनियमन क्षेत्र; अवसंरचना एवं विविध क्षेत्र शामिल हैं।

(ख) और (ग) क्षेत्र विशिष्ट विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियां संबंधित क्षेत्रों से जुड़े परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन करती हैं और पर्यावरण और वन मंत्रालय को सिफारिशें भेजती हैं। इन विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों की सिफारिशों के आधार पर, पर्यावरण और वन मंत्रालय पर्यावरण-स्वीकृति

प्रदान करने के बारे में अपनी समुचित राय बनाता है। वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 और वर्तमान वर्ष (दिसंबर, 2013 तक) के दौरान, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 1848 परियोजनाओं को पर्यावरण-स्वीकृति प्रदान की है।

(घ) और (ङ) मूल्यांकन की गुणवत्ता या पर्यावरण की अक्षुण्णता से समझौता किए बिना पर्यावरण-स्वीकृति दिए जाने में शीघ्रता लाने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों में लंबित परियोजनाओं की स्थिति की सतत् निगरानी, विभिन्न क्षेत्रों की परियोजनाओं पर विचार करने हेतु विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों की नियमित एवं दीर्घावधि बैठकों का आयोजन आदि शामिल हैं।

हल्के लड़ाकू विमान परियोजना

1676. श्री पी.टी. थॉमस : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) 'तेजस' के विकास की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इस परियोजना में आगे और अधिक देरी से बचने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे भारतीय वायु सेना में कब तक शामिल किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) 30 नवंबर, 2013 की स्थिति के अनुसार, 15 तेजस विमानों का सदुपयोग करते हुए कुल 2415 उड़ानों के परीक्षण पूरे हो चुके हैं। इसकी प्रारंभिक संक्रियात्मक स्वीकृति-1 (आईओसी-1) 10 जनवरी, 2011 को प्राप्त की गई थी और प्रारंभिक संक्रियात्मक स्वीकृति-2 (आईओसी-2) 20 दिसंबर, 2013 को प्राप्त करने की योजना है। अंतिम संक्रियात्मक स्वीकृति (एफओसी) दिसंबर 2014 तक प्राप्त करने की योजना है। वैमानिक विकास एजेंसी (एडीए), हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) और भारतीय वायु सेना (एलसीए) को भारतीय वायु-सेना के बेड़े में शामिल करने हेतु निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं।

(ख) परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

- चरणबद्ध विकास दृष्टिकोण को सहयोगी विकास दृष्टिकोण में परिवर्तित किया गया है।
- इस कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा के लिए विशेष समीक्षा समिति गठित की गई है:—
    - उप-वायु सेनाध्यक्ष द्वारा मासिक समीक्षा।
    - वायु सेनाध्यक्ष की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति द्वारा त्रैमासिक समीक्षा।
    - सचिव, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग की अध्यक्षता में शासी परिषद द्वारा अर्द्धवार्षिक समीक्षा
    - रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में सामान्य परिषद (जनरल बॉडी) द्वारा वार्षिक समीक्षा।
    - एडीए में वायु सेना अधिकारियों के साथ परियोजना मानीटरिंग टीम (पीएमटी) का गठन।
    - अभिकल्प/उत्पादन संबंधी मसलों, यदि कोई हैं, के समाधान के लिए त्वरित कार्रवाई दल (क्यूआरटी) का गठन।

(ग) आईओसी-2 के पश्चात् एलसीए-तेजस भारतीय वायु सेना के बेड़े में शामिल किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

एकीकृत जांच-चौकियां

1677. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी राज्यों से एकीकृत जांच चौकियां स्थापित करने का आग्रह किया है ताकि सभी संबंधित विभागों द्वारा एक ही स्थान पर समग्र जांच की जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने एकीकृत जांच चौकियों की स्थापना के लिए कोई समय-सीमा तय की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) और (ख) जी, हां। संपूर्ण देश में माल वाहनों का निर्बाध आवागमन संवर्धित करने के विचार से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के सिवाय शेष सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अंतर-राज्य जांच चौकियां (आईएससीपी) स्थापित करने और कंप्यूटरीकृत आईएससीपी की संख्या, निर्यात कंटेनरों में अंतरग्रस्त आईएससीपी की संख्या और आईएससीपी पर निर्बाध तुरंत समाशोधन संवर्धित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा शुरू की गई नीतिगत पहलों का ब्यौरा प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न पैदा नहीं होता।

[अनुवाद]

मंजूरी संबंधी मापदंडों के उल्लंघन की जांच

1678. श्री सी. शिवासामी : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस बात पर ध्यान दिया है कि मॉल-विकासकर्ता देश में पर्यावरणिक-मंजूरी संबंधी मापदंडों का उल्लंघन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय हरित अभिकरण ने संबंधित प्राधिकारियों को देश में स्थित मॉलों का समय-समय पर निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं ताकि उनके द्वारा उन शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके जिनके आधार पर उन्हें पर्यावरणिक मंजूरी मिली थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) जी, हां। एनजीटी के समक्ष दायर किए गए एक आवेदन में, आवेदक ने यह आरोप लगाया था कि योजनाओं में संशोधन करके माल के तहखानों और बहु-स्तरीय ब्लॉकों, जो कि पार्किंग के लिए थे, में दुकानें बनाईं गईं हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दिनांक 24 अक्तूबर, 2013 के अपने आदेश में पर्यावरण और वन मंत्रालय और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को समय-समय पर निरीक्षण करने का निदेश दिया हे ताकि स्वीकृति/सहमति की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड

1679. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम 'फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड' घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कंपनी को किसी अन्य लाभ कमाने वाली सार्वजनिक उपक्रम कंपनी में विलय करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त विलय कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस उद्यम को लाभार्जक इकाई बनाने के उद्देश्य से इसे पुनर्जीवित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) एफएसएनएल पहले ही एक लाभ अर्जित करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (पीएसयू) है।

जिला स्तरीय खेलकूद विद्यालय

1680. श्री डी.के. सुरेश : क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के हर जिले में जिला स्तरीय खेलकूद विद्यालयों के स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में अब तक स्थापित किए जा चुके ऐसे विद्यालयों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार को कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों से उक्त विद्यालयों को स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?;

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) से (घ) देश में खेल प्रतिभा की पहचान और पोषण के लिए देश के प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय खेल विद्यालय (डीएलएसएस) विकसित करने का प्रस्ताव है। समस्त परियोजना अभी संकल्पना के चरण में है। अत: कोई विवरण मुहैया नहीं कराया जा सकता है।

भारतीय वायु सेना में लड़ाकू विमान

1681. श्री आर. थामराईसेलवन : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना बीस साल के भीतर स्वयं का लड़ाकू विमान विकसित करने की योजना बना रही है;

(ख) क्या भारतीय वायु सेना के 14 बेस-मरम्मत डिपुओं की योग्यता और क्षमता इतनी बढ़ सकी है कि वे अब स्वयं को मध्यम-स्तरीय बहु-भूमिका निर्वाही लड़ाकू विमान विकसित करने में सक्षम होंगे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय वायु सेना ने अपनी नासिक स्थित 'औजार' कार्यशाला में रूसी मिग-29 लड़ाकू विमानों को सफलतापूर्वक स्तरोन्नत किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) जी, हां। स्वदेश में विकसित हल्के लड़ाकू विमान को 20 दिसंबर, 2013 में प्रारंभिक प्रचालन अनुमति प्रदान करने का कार्यक्रम है।

(ख) और (ग) बेस मरम्मत डिपो मुख्यत: मरम्मत एवं ओवरहाल एजेंसियां हैं। वर्तमान में भारतीय वायु सेना के बेस मरम्मत डिपुओं में सभी प्रकार के विमानों का एकीकरण, मरम्मत और ओवरहाल करने के लिए आवश्यक क्षमता, विशेषज्ञता एवं अवसंरचना मौजूद है।

(घ) और (ङ) जी, हां। भारतीय वायु सेना का नासिक स्थित बेस मरम्मत डिपो रुसी मिग-29 लड़ाकू विमानों का सफलतापूर्वक उन्नयन कर रहा है।

[हिन्दी]

जबलपुर स्थित आयुध-निर्माणी

1682. श्री राकेश सिंह : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर के खमरिया में स्थित आयुध-निर्माणी में सुरक्षा-नियमों की अनदेखी की जा रही है;

(ख) यदि नहीं, तो उक्त कारखानें में अक्सर होने वाले बम-विस्फोटों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार ने कोई सुधारात्मक कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं। आयुध-निर्माणी खमरिया (ओएफके) में एक सुस्थापित सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली है। इसमें स्थायी अनुदेश (एसआई), सामान्य सुरक्षा निर्देश (जीएसडी), आयुध-निर्माणी बोर्ड द्वारा त्रिस्तरीय सुरक्षा लेखापरीक्षाएं, डीजीक्यूए द्वारा नियमित सुरक्षा लेखापरीक्षा, अग्नि, विस्फोटक तथा पर्यावरण सुरक्षा केन्द्र (सीएफईईएस), दिल्ली द्वारा वार्षिक लेखापरीक्षा शामिल हैं इसके अतिरिक्त, आयुध-निर्माणी खमरिया भी नियमित रूप से सुरक्षा प्रशिक्षण से संबंधित अपने कार्यक्रमों का संचालन करती है।

(ख) से (घ) पूर्ववर्ती तीन वर्षों में कोई बम विस्फोट नहीं हुआ है। तथापि, पिछले तीन वर्षों में प्रक्रिया से संबंधित दुर्घटनाओं के कुछ मामले हुए हैं जिनकी सक्षम प्राधिकारी (सीक्यूए/एमई) द्वारा विधिवत रूप से जांच की गई है तथा संस्तुत उपचारी उपाय कार्यान्वित किए गए हैं।

[अनुवाद]

पनडुब्बियों की खरीद

1683. डॉ. पी. वेणुगोपाल : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौसेना ने सरकार से परियोजनांतर्गत अपने विदेशी सहयोगी से दो पारंपरिक पनडुब्बियों की खरीद करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मझगांव गोदी और हिंदुस्तान शिपयार्ड के बीच सहयोग से ऐसी चार पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (घ) जी, हां। नौसेना मुख्यालय के प्रस्ताव के आधार पर, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने यह निर्णय लिया है कि 4 पनडुब्बियां (छ: में से) प्रौद्योगिकी हस्तांतरण आधार पर देश के भीतर (03 मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में और 01 हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टनम में) निर्मित होंगी और दो का निर्माण विदेश में सहयोगी कंपनी के यार्ड में किया जाना है।

हानिकारक कचरे की डंपिंग

1684. श्री ए.के.एस. विजयन : क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न देश भारत में पोत भंजन हेतु जलपोत भेजकर अपना हानिकारक और खतरनाक कचरा यहां डंप कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सामने आए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मौजूदा कानूनी तंत्र उक्त दोषियों को दंडित करने और उनसे मुआवजा वसूलने के लिए पर्याप्त है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त दोषियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में किसी मजबूत विनियामक तंत्र पर विचार किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस समस्या पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन) : (क) और (ख) पोत भंजन के लिए भारत में खतरनाक अपशिष्ट जमा करने वाले देशों के संबंध में कोई सूचना मंत्रालय के संज्ञान में नहीं लाई गई है।

(ग) से (च) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने खतरनाक अपशिष्ट के उचित प्रबंधन तथा संभलाई के लिए खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, संभलाई और सीमा पार संचलन) नियामवली 2008 को अधिसूचित किया है। इन नियमों के अन्तर्गत निपटान के लिए किसी भी देश से खतरनाक अपशिष्ट के आयात की अनुमति नहीं है। तोड़ने के प्रयोजन के लिए पोत के पत्तन में पहुंचने से पूर्व उसमें कोई खतरनाक अपशिष्ट और रेडियोएक्टिव पदार्थ नहीं है, के संबंध में सूचित करते हुए संबंधित प्राधिकरण अथवा राज्य समुद्री बोर्ड से उचित अनुमति प्राप्त की जानी अनिवार्य है। राज्य समुद्री बोर्ड परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी), राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) और कस्टम प्राधिकरणों के परामर्श से इस प्रकार की अनुमति जारी करता है। इसके अलावा इस्पात मंत्रालय ने सुरक्षित एवं पर्यावरणीय रूप से सही पोत पुनर्चक्रण के विनियमन पर एक संहिता तैयार की है।

बाघ-पर्यावासों से लोगों का अन्यत्र स्थानांतरण

1685. श्री सुरेश कलमाडी : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने बाघ-पर्यावासों से लोगों के अन्यत्र स्थानांतरण के लिए प्रतिपूरण वनीकरण निधि प्रबंधन और आयोजन प्राधिकरण (काम्पा) से करोड़ों रुपयों की राशि के अन्यत्र उपयोग की मंजूरी दी थी;

(ख) यदि हां, तो अन्यत्र उपयोग की गई राशि और अन्य स्थानों पर बसाये गए लोगों का राज्य-वार और वर्ष-वार पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ गैर-सरकारी संगठनों ने सरकार से देश में लोगों को अन्यत्र बसाने संबंधी अभियान को तब तक रोकने का अनुरोध किया है जब तक कि वन-कानूनों के वर्तमान उल्लंघन के संबंध में विस्तृत जांच नहीं हो जाती;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) जी, नहीं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोर/महत्वपूर्ण बाघ पर्यावासों से गांवों के अन्यत्र स्थानांतरण के लिए काम्पा निधियों का उपयोग करने हेतु केवल सैद्धान्तिक अनुमोदन दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) इस संदर्भ में अनेक गैर-सरकारी संगठनों सहित कुछ क्षेत्रों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। राज्यों द्वारा यथा-अधिसूचित कोर/महत्वपूर्ण बाघ पर्यावासों से लोगों के स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु बाघ रेंज वाले राज्यों को बाघ परियोजना नामक चालू केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है। राज्य और केन्द्र के स्तरों पर निगरानी के अलावा, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के साथ पठित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 क अनुपालन के लिए सलाह जारी की गई है।

चार लेन वाली सड़कों से राज्यों की राजधानियों को जोड़ना

1686. श्री वीरेन्द्र कश्यप : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी राज्यों की राजधानियों को चार लेन वाली सड़कों से जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना के अंतर्गत परवानू-शिमला राजमार्ग को भी शामिल किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) के चरण-III के अंतर्गत परियोजनाओं के उद्देश्यों में से

एक उद्देश्य देश की राज्य राजधाानियों को एनएचडीपी के चरण-I और II के अंतर्गत विकसित महामार्गों से जोड़ना है। एनएचडीपी के चरण-III के अंतर्गत 12,109 किमी. लंबाई में से 5,750 किमी. लंबाई का कार्य पूरा कर लिया गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग 22 का परवानू-शिमला खंड एनएचडीपी के चरण-III के अंतर्गत चार लेन के कार्यक्रम में शामिल है।

महिला और पुरुषों की मजदूरी में अंतर

1687. श्री संजय दिना पाटील :
श्री संजीव गणेश नाईक :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के अध्ययन से पता चला है कि महिला-पुरुष मजदूरी अंतर 40 प्रतिशत तक पहुंच गया है जहां महिलाओं के पास स्नातकोत्तर डिग्री है जबकि महिलाएं जिनके पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं है, अपने समकक्ष पुरुषों से अधिक कमाती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) और (ख) रोजगार एवं बेरोजगारी के विश्वसनीय अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जाने वाले श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। 2009-10 के दौरान आयोजित किए गए हालिया सर्वेक्षण के विस्तृत परिणामों के अनुसार विभिन्न शैक्षिक स्तर की श्रेणियों की अखिल भारतीय औसत मजूदरी/वेतन संलग्न विवरण में लिंग-वार दिया गया है।

(ग) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1973 एक जैसे कार्य अथवा समान प्रकृति के कार्य हेतु बगैर किसी भेदभाव के पुरुषों एवं महिला कामगारों को समान परिश्रमिक के भुगतान हेतु उपबंध करता है। प्रतिष्ठानों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन का पता लगाने के लिए नियमित निरीक्षण करके अधिनियम का प्रवर्तन केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रभावी रूप से किया जाता है। केंद्रीय क्षेत्र में मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) का कार्यालय तथा राज्य क्षेत्र में राज्य सरकारें अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित बनाने के लिए निरीक्षण करने के लिए समुचित प्राधिकरण हैं। समुचित सरकार के निरीक्षक के रूप से अधिसूचित अधिकारी निरीक्षण करते हैं और अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध मुकदमा चलाते हैं। अधिनियम पूरे भारत में लागू है।

विवरण

2009-10 के दौरान विभिन्न व्यापक शैक्षिक स्तर हेतु नियमित मजदूरी/वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त औसत मजदूरी/वेतन प्रतिदिन (रुपए में)

अखिल भारत

सामान्य शैक्षिक स्तर	ग्रामीण		शहरी	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
साक्षर नहीं	135.72	65.47	156.60	92.56
मिडल तक साक्षर	160.04	80.32	183.80	114.38
माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक	267.14	151.54	293.26	237.61
डिप्लोमा/प्रमाणपत्र	355.48	291.01	481.26	369.73
स्नातक एवं उससे अधिक	403.05	285.98	634.92	499.98
समस्त	249.15	155.87	377.16	308.79

स्रोत: एनएसएसओ 66वां दौर (2009-2010), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।

[हिन्दी]

अगस्ता वेस्टलेंड के साथ रक्षा सौदा

1688. श्री गोपीनाथ मुंडे : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अगस्त वेस्टलेंड के साथ कुछ नए रक्षा सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो मद-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो भ्रष्टाचार के आरोपों वाली कंपनी के साथ नए समझौतों पर हस्ताक्षर करने के क्या कारण हैं; और

(घ) अब तक इस कंपनी को काली सूची में न डाले जाने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) मै. अगस्ता वेस्टलेंड इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ किसी नए रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) विवर्जन के संबंध में कार्रवाई केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही जांच सहित चल रही जांचों पर निर्भर करेगी।

नौवाहन महानिदेशक के तहत भ्रष्टाचार

1689. डॉ. संजय सिंह :
श्री हरीश चौधरी :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भ्रष्ट अधिकारियों के संबंध में जानकारी है;

(ख) क्या निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत जहाजरानी कंपनियों में असंतोष भी है और जहाजरानी क्षेत्र के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में सरकार द्वार कोई कार्रवाई की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन) : (क) से (ङ) जी, नहीं, निदेशालय में ऐसे तथ्यों की पुष्टि के लिए कोई अनुभवजन्य साक्ष्य नहीं है।

चिकित्सा उपचार में अनियमितताएं

1690. श्री तूफानी सरोज : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रक, पश्चिमी कमान ने निजी अस्पतालों द्वारा रक्षा कर्मियों को दी गई चिकित्सा सुविधाओं और उपचार की व्यवस्था में किसी अनियामितता का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी अस्पतालों ने सशस्त्र सेना के अधिकारियों और उनके परिवारों के सदस्यों के इलाज के लिए दोगुना शुल्क वसूला है या वसूल रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) के बिल प्रोसेसिंग प्रक्रियाओं की जांच करने के लिए सभी रक्षा लेखा महानियंत्रकों (पीसीडीए) द्वारा चलाए गए एक विशेष लेखापरीक्षा अभियान में पीसीडीए, पश्चिमी कमान ने ईसीएचएस के पैनल में शामिल अस्पतालों को 15 करोड़ रुपए के अधिक भुगतान के संबंध में टिप्पणियां की थीं। पीसीडीए, पश्चिमी कमान द्वारा उठाई गई सभी आपत्तियों को क्षेत्रीय केन्द्र, चंडीगढ़ द्वारा संपूर्ण रूप से विश्लेषण किया गया और यह पाया गया कि उठाई गई अधिकांश आपत्तियां नीतियों की गलत व्याख्या के कारण थीं। जहां कहीं रक्षा लेखा नियंत्रक की आपत्तियां सही पाई गईं, अधिक भुगतान की राशि संबंधित अस्पतालों से विधिवत काट ली गई है और उन्हें उपयुक्त चेतावनी जारी की गई है।

(ग) और (घ) विभिन्न चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) द्वारा निर्धारित दरें ईसीएचएस लाभार्थियों की सभी श्रेणियों के लिए समान हैं और तदनुसार भुगतान किए जाते हैं।

[अनुवाद]

रक्षा के लिए भूमि अधिग्रहण

1691. श्री समीर भुजबल : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1942 में महाराष्ट्र के नासिक जिले के अम्बेबाहुला गांव के सेना शिविर ने 2202 एकड़ की पैतृक संपत्ति/भूमि पर कब्जा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्वतंत्रता के पश्चात् भूमि के मालिक को कोई मुआवजा दिया गया;

(घ) यदि हां, तो उनके नाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस भूमि को लेकर भूमि मालिक एवं सेना के बीच में कोई मुकदमा चल रहा है; और

(च) यदि हां, तो नासिक के अम्बेबाहुला गांव के ग्रामीणों को भूमि सौंपने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) ग्राम अम्बेबाहुला, जिला नासिक की 2202.987 एकड़ माप की भूमि के अधिग्रहण की मांग नासिक के जिलाधिकारी द्वारा रक्षा के लिए फरवरी, 1941 तथा जुलाई, 1943 में तोपखाना रेंज, देवलाली के वास्ते की गई थी। बाद में प्रश्नगत भूमि का अर्जन नासिक के जिलाधिकारी द्वारा फरवरी, 1952 में किया गया था और अर्जन का नोटिस मुम्बई सरकार के दिनांक 21.02.1952 के राजपत्र भाग-I में प्रकाशित किया गया था। भूमि का अंतरण रक्षा मंत्रालय के पक्ष में किया गया है।

(ग) और (घ) रक्षा संपदा अधिकारी, मुम्बई के पास उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार कुल 2202.987 एकड़ माप की भूमि के अर्जन हेतु मुआवजा दिए जाने के लिए जिलाधिकारी, नासिक के पास 10,64,852/- रुपए की राशि जमा कराई गई थी।

(ङ) मुम्बई सर्किल के रक्षा संपदा अधिकारी के पास उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार प्रश्नगत अधिग्रहण से संबंधित कोई न्यायिक मामला लंबित नहीं है।

(च) उपर्युक्त को देखते हुए लागू नहीं होता।

कमांडरों की फ्लैग मीटिंग

1692. श्री मानिक टैगोर :
श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पड़ोसी देशों के साथ भारतीय सेना के कमांडरों द्वारा की गई फ्लैग मीटिंग्स का देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन मीटिंगों के परिणामों का देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीमा पर शांति सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यरत तंत्र स्थापित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो देश-वार ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) भारतीय सेना के कमांडरों द्वारा जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान सेना के साथ आयोजित फ्लैग मीटिंग्स (ध्वज बैठक) के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

(i) 2010-17

(ii) 2011-09

(iii) 2012-07

(iv) 2013-08 (आज तक)

भारतीय सेना के कमांडरों द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की पीपल लिब्रेशन आर्मी के साथ आयोजित फ्लैग मीटिंग्स के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

(i) 2010-32

(ii) 2011-34

(iii) 2012-24

(iv) 2013-34 (आज तक)

भारतीय सेना के कमांडरों द्वारा अन्य पड़ोसी देशों के साथ कोई फ्लैग मीटिंग नहीं की जाती है।

(ख) पाकिस्तानी सेना के साथ की गई फ्लैग मीटिंग्स नियंत्रण रेखा के साथ स्थानीय स्तर के मुद्दों जैसे कि युद्ध विराम उल्लंघन, निर्माण गातिविधियों, घुसपैठ के प्रयासों तथा अनजाने में सीमा पार करने वालों की वापसी का समाधान करने में प्रभावकारी रही हैं। यह तंत्र नियंत्रण रेखा पर शांति और अमन कायम रखने में मदद करता है।

चीन पक्ष के साथ फ्लैग मीटिंग्स वास्तविक नियंत्रक रेखा पर शांति और अमन कायम रखने में सहायक होती हैं।

(ग) और (घ) हॉटलाइन संदेशों, फ्लैग मीटिंग्स के स्थापित तंत्रों के साथ-साथ भारत तथा पाकिस्तान के डीजीएसएमओ के मध्य साप्ताहिक वार्ताओं का इस्तेमाल नियंत्रण रेखा पर शांति सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है।

फ्लैग मीटिंग्स तथा सीमा कार्मिकों की बैठकों के स्थापित तंत्र का इस्तेमाल चीन के साथ सीमा पर शांति सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा, 2012 से भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श तथा समन्वय संबंधी एक कार्य तंत्र (डब्ल्यूएमसीसी) स्थापित किया गया है। डब्ल्यूएमसीसी की अब तक चार बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।

[हिन्दी]

भारत-चीन सीमा रक्षा सहयोग समझौता

1693. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर 200 किमी. लंबी सुरंग निर्मित करने के लिए कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त सुरंग अरब सागर और होर्भुज जलडमरूमध्य तक चीन को पहुंच की सुविधा देगी और जीयांग क्षेत्र में विकास को भी बढ़ावा देगी; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय क्षेत्र के रास्ते इस सुरंग के निर्माण के लिए समझौता पर हस्ताक्षर के क्या कारण हैं और इससे भारत को मिलने वाले लाभों की क्या संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

प्याज का निर्यात मूल्य

1694. **श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :**
डॉ. मुरली मनोहर जोशी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश से प्याज के निर्यात को निरुत्साहित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हो और सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं/उठा रही है;

(ग) क्या सरकार ने पिछले वर्ष के दौरान प्याज के न्यूनतम निर्यात मूल्य की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा उक्त अवधि के दौरान निर्यात किए जाने वाले प्याज की मात्रा और इसके निर्यात मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) क्या इसके न्यूनतम निर्यात मूल्य में संशोधन करने के तुरंत बाद घरेलू, बाजार में प्याज के मूल्यों में कमी आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. ई.एम.एस. नाच्चीयप्पन) : (क) और (ख) सरकार प्याज के निर्यात पर न्यूनतम निर्यात कीमत (एमईपी) का अधिरोपण करने का निर्णय लेने से पूर्व समय-समय पर महत्वपूर्ण उत्पादन एवं खपत केंद्रों में प्याज के आगमन का स्टॉक तथा प्रचलित मोडल मूल्यों को ध्यान में रखती है। हाल के महीनों में प्याज की सप्लाई में बाधाओं तथा प्याज के मूल्यों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार ने घरेलू सप्लाई बढ़ाने के लिए अगस्त 2013 से तीन बार एमईपी लगाकर प्याज के निर्यात को हतोत्साहित किया है।

(ग) जी, हां।

(घ) जनवरी, 2013 से वाणिज्य विभाग, कृषि मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग तथा नेफेड के प्रतिनिधियों वाली प्याज संबंधी अंतर्मंत्रालयी समिति ने प्याज के निर्यात हेतु एमईपी को अंशशोधित करने के लिए 12 बार बैठकें कीं। 14 अगस्त, 2013 को आयोजित उनकी बैठक में आईएमसी ने 650/मी.टन अमेरिकी डॉलर की एमईपी की सिफारिश की थी, जिसे बाद में दिनांक 18 सितम्बर 2013 को 900/मी.टन अमेरिकी डॉलर बढ़ा दिया गया। इसके पश्चात 31 अक्तूबर, 2013 को आईएमसी ने एमईपी को 1150/मी.टन निर्यात करने की सिफारिश की। एमईपी के प्रभाव के कारण वर्ष 2012 की समनुरुपी अवधि में 10,91,982 मी.टन की तुलना में वर्ष 2013-14 (नवम्बर, 2013 तक) में केवल 7,25,360 मी टन प्याज का ही निर्यात किया जा सका। अप्रैल-नवम्बर, 2013 के दौरान प्याज के निर्यात पर औसत प्रापण पिछले वर्ष की समनुरूपी अवधि के दौरान 11/- रुपए प्रति कि.ग्रा. की तुलना में 24/- रुपए प्रति कि.ग्रा. हुआ था।

(ङ) जी, नहीं। प्याज की कीमतों में वर्तमान वृद्धि प्रत्यक्षत: निर्यात से संबद्ध नहीं है अपितु यह वृद्धि आपूर्ति संबंधी बाधाओं, असामयिक वर्षा, बाजारों का बंद होना, सट्टेबाजी आदि के कारण हुई है।

कीटनाशकों का आयात

1695. **श्री बलीराम जाधव :**
श्री पद्मसिंह बाजीराव पाटील :
श्री पी.सी. गद्दीगौदर :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश से आयातित/निर्यातित कीटनाशकों की मात्रा क्या है और इस पर अर्जित/व्यय की गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में आयात की जाने वाली कीटनाशकों की मात्रा में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) ऐसे आयातों से घरेलू उद्योगों पर होने वाले प्रभावों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा आयात को कम करने और स्वदेश उत्पादन को बढ़ावा देकर निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्यि और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. ई.एम.एस. नाच्चीयप्पन) : (क) से (ङ) विगत प्रत्येक तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान देश से आयातित/निर्यातित कीटनाशकों की मात्रा और उन से अर्जित की गई/उन पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा निम्नानुसार है:—

वर्ष	आयात		निर्यात	
	मात्रा (मीट्रिक टन)	मूल्य (करोड़ रुपए)	मात्रा (मीट्रिक टन)	मूल्य (यूएस डॅलर)
2010-11	53996	630	177790	1140
2011-12	58648	721	207948	1428
2012-13	65018	743	228790	1740
2013-14*	46542	529	118386	920

*2013-14 (सितंबर 2013 तक) के आंकड़े अनंतिम हैं।

आंकड़े दर्शाते हैं कि आयात और निर्यात दोनों बढ़ रहे हैं। प्राय: निर्यात उत्पाद के लिए आयातित निविष्टि की आवश्यकता होती है। रसायन क्षेत्र में, सक्रिय अवयवों का आयात किया जाता है और तत्पश्चात निर्यात हेतु अर्ध निर्मित या निर्मित योगों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। बढ़ते निर्यात में स्थिरता घरेलू उद्योग की स्वस्य स्थिति को दर्शाती है।

महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन

1696. श्री महाबल मिश्रा : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में 2006 से पूर्व सशस्त्र बलों में भर्ती हुई और सेवाएं जारी रखने वाली महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान करने के लिए एक आदेश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त आदेश को कार्यान्वित करने के लिए कोई कार्रवाई की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (घ) दिल्ली उच्च न्यायलय ने दिनांक 12 मार्च, 2010 के आदेश द्वारा वायु सेना और थल सेना में अल्प सेवा कमीशन प्राप्त महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान करने से संबंधित कई निर्देश जारी किए हैं। भारतीय वायु सेना से संबंधित निर्णय को कार्यान्वियन के लिए स्वीकार कर लिया गया है, तथापि थल सेना से संबंधित मामला इस समय उच्चतम न्यायाल के न्यायाधीन है।

शहरी खेल अवसंरचना योजना

1697. डॉ. संजय सिंह :
श्री हेमानंद बिसवाल :

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरी खेल अवसंरचना, योजना (यूएसआईएस) के अंतर्गत ओडिशा सहित स्वीकृत परियोजनाओं का खेल-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों को निधि जारी की है;

(ग) यदि हां, तो यूएसआईएस के दौरान स्वीकृत और जारी निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) से (घ) यूएसआईएस के अंतर्गत, केन्द्रीय/राज्य सरकारों के तहत स्थानीय नागरिक निकाय,

स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालय तथा खेल नियंत्रण बोर्ड खेल-अवंसरचना के सृजन हेतु सहायता पाने के पात्र हैं। (i) सिंथेटिक खेल सतह बिछाना, (हॉकी, फुटबाल तथा एथलेटिक्स हेतु) तथा (ii) बहुउद्देशीय इन्डोर हॉल के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यूएसआईएस के अंतर्गत संस्वीकृत परियोजनाओं और जारी निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

यूएसआईएस के अंतर्गत संस्वीकृत परियोजनाएं और जारी निधियां

2010-11

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	परियोजना	अनुमोदित अनुदान	जारी अनुदान
1	2	3	4	5
1.	हिमाचल प्रदेश	इंद्रा स्टेडियम, ऊना में सिंथेटिक हॉकी सतह बिछाना	5.00	3.50
2.	मिज़ोरम	ब्वाइज हाकी अकादमी, क्वानपुर में सिंथेटिक हॉकी सतह बिछाना	5.00	4.00
3.	पंजाब	तरन तारन में बहुउद्देशीय इंडोर हाल का निर्माण	3.98	2.00
4.	पश्चिम बंगाल	खुदी राम अनुशीलन, इडन गार्डन, कोलकाता में इंडोर खेल परिसर का नवीकरण/संशोधन और आधुनिकीकरण	6.00	3.00
		कुल	19.98	12.50
1.	ओडिशा	कलिंगा स्टेडियम, खेल परिसर में सिंथेटिक हॉकी सतह बिछाना	5.00	5.00
2.	मध्य प्रदेश	रानीताल खेल परिसर, जबलपुर में सिंथेटिक हॉकी सतह बिछाना	4.81	3.62
3.	राजस्थान	उमेद स्टेडियम, जोधपुर में बहुउद्देश्यीय इंडोर हाल का निर्माण	6.00	4.50
4.	नागालैंड	इंदिरा गांधी स्टेडियम, कोहिमा में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बिछाना	5.00	3.00
5.	मिज़ोरम	मुआलपुई, आइजवाल में बहुउद्देश्यीय इंडोर हाल का निर्माण	6.00	4.50
6.	मेघालय	जे.एन. खेल परिसर, शिलांग में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बिछाना	5.50	4.30
7.	असम	साई-एसएजी सेंटर तिनसुकिया में बहुउद्देश्यीय इंडोर हाल का निर्माण	6.00	3.20
8.	जम्मू और कश्मीर	टीआरसी ग्रांउड, श्रीनगर में फुटबाल टर्फ ग्राउंड का निर्माण	4.50	4.47
9.	पुदुचेरी	टैगोर आर्टस कॉलेज ग्राउंड, लाउसपेट में बहुउद्देश्यीय इंडोर हाल का निर्माण	6.00	3.54
10.	केरल	नेहरु स्टेडियम, कोटाइम में बहुउद्देश्यीय इंडोर हाल का निर्माण	6.00	3.87
		कुल	54.81	40.00

1	2	3	4	5
		2012-13		
1.	हरियाणा	खेल परिसर, हिसार में सिंथेटिक हॉकी खेल का मैदान (सामान्य प्रकाश व्यवस्था सहित) बनाना	5.00	3.75
2.	मणिपुर	सेनापति जिला मुख्यालय में बहुउद्देश्यीय इंडोर हाल का निर्माण	6.00	1.80
3.	हरियाणा	दरियापुर, जिला फतेहबाद में फुटबाल के लिए कृत्रिम टर्फ बिछाना	4.50	3.50
4.	छत्तीसगढ़	कोंडागांव, जिला कोंडागांव में बहुउद्देश्यीय इंडोर हाल का निर्माण	5.00	1.79
5.	राजस्थान	करौली, जिला करौली में बहुउद्देश्यीय इंडोर हाल का निर्माण	6.00	1.80
6.	ओडिशा	कलिंगा राज्य खेल परिसर, भुवनेश्वर में बहुउद्देश्यीय इंडोर हाल का निर्माण	6.00	1.80
7.	तमिलनाडु	वाडुवर हायर सैकेंडरी स्कूल, जिला थिरुवरुर में बहुउद्देश्यीय इंडोर हाल का निर्माण	6.00	1.80
8.	ओडिशा	कलिंगा राज्य खेल परिसर, भुवनेश्वर में फुटबाल टर्फ बिछाना	4.50	3.50
9.	अरुणाचल प्रदेश	खेल परिसर, चिम्पू ईटानगर में एस्ट्रो टर्फ हॉकी फील्ड बिछाना	5.00	1.26
10.	राजस्थान	अलवर, राजस्थान में बहुउद्देश्यीय इंडोर हाल का निर्माण	6.00	1.00
11.	मिज़ोरम	ब्यॉज हॉकी अकादमी, क्वानपुई में हॉकी एस्ट्रो टर्फ बिछाने की परियोजना, जिसे 24 मार्च, 2011 (2010-11) में मंजूरी दी गई थी, की शेष किस्त	शून्य	1.00
		कुल 54.98	23.00	
		2013-2014 (30 नवंबर 2013 तक)		
1.	गोवा	चौडी, कैनाकोना गोवा में बहुउद्देश्यीय इंडोर हाल का निर्माण	6.00	1.80
2.	केरल	केलिकट यूनिवर्सिटी, केरल में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बिछाना	5.50	3.00
3.	उत्तराखंड	काशीपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड में बहुउद्देश्यीय इंडोर हाल का निर्माण	6.00	1.80
4.	मिज़ोरम	छंगफुत खेल-मैदान चमफाइ, मिज़ोरम में सिंथेटिक फुटबाल टर्फ बिछाना	4.50	3.00
5.	मिज़ोरम	सजाईकांन, लूंगई शहर मिज़ोरम में बहुउद्देश्यीय इंडोर हाल का निर्माण	6.00	1.80
6.	पंजाब	वार हीरोज स्टेडियम, संगरुर में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बिछाना	5.50	3.00

1	2	3	4	5
7.	उत्तर प्रदेश	श्री मेघवरन सिंह स्टेडियम, कर्मपुर, सईदपुर, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में सिंथेटिक हॉकी ट्रैक बिछाना	5.00	3.00
8.	जम्मू और कश्मीर	लेह, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर में बहुउद्देश्यीय इंडोर हाल का निर्माण	6.00	1.80
9.	आंध्र प्रदेश	कृषि विश्वविद्यालय बापाटला, गंटूर जिला, आंध्र प्रदेश में बहुउद्देश्यीय इंडोर हाल का निर्माण	6.00	1.80
10.	उत्तराखंड	महाराणा प्रता स्पोर्टर्स कॉलेज, रायपुर, देहरादून उत्तराखंड में सिंथेटिक ट्रैक हॉकी फील्ड बिछाना	5.00	1.80
		कुल	55.50	22.80

[अनुवाद]

पोत उद्योग को बढ़ावा देना

1698. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी : क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पोत निर्माण उद्योग की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) सरकार द्वारा पोत निर्माण क्षेत्र में बंदरगाहों में बुनियादी सुविधाओं के उन्नयन एवं भारतीय टन भार की वृद्धि के लिए क्या कदम उठाए गये हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या पोत निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के विचार से सरकार का स्थानीय पोत निर्माण उद्योग को किसी अभिज्ञात वित्तीय संस्था से विदेशी मुद्रा ऋण उगाहने या बॉडों हेतु अनुमति देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन) : (क) भारत में 8 सार्वजनिक क्षेत्र के और 19 निजी क्षेत्र के शिपयार्ड हैं। पोत परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के मुख्य शिपयार्ड कोचीन शिपयार्ड लि. (सीएसएल) कोच्चि और मझगांव डॉक लि. मुंबई, गोवा शिपयार्ड लि. गोवा, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लि. कोलकाता और हिन्दुस्तान शिपयार्ड और हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि. विशाखापट्टनम जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। मुख्य निजी क्षेत्र के शिपयार्ड एबीजी शिपयार्ड लि., भारतीय शिपयार्ड लि., लारसेन एंड टुब्रो लि. और पीपवा अपतटीय और रक्षा लि. है। सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्डों में से सीएसएल की अधिकतम शिप निर्माण क्षमता (1,00,000 डीडब्ल्यूटी) है जिसके बाद हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि. (70,000 डीडब्ल्यूटी) आता है। वर्तमान में भारतीय शिपयार्ड का आर्डर बुक करने की स्थिति 0.4 मिलियन डीडब्ल्यूटी है। इंडियन शिपयार्डों का वैश्विक हिस्सा वर्ष 2012 तक 0.03% था जो डीडब्ल्यूटी में ग्लोबल शिपबिल्डिंग आदेशों पर आधारित है।

(ख) पत्तन क्षेत्र में अवसंरचना का उन्नयन नए घाटों/टर्मिनलों के निर्माण तथा विद्यमान वर्षों के यंत्रिकरण के माध्यम से किया गया है। वर्ष 2012-13 में भारत सरकार ने 6766.63 करोड़ रुपए की अनुमानित निवेश के साथ 136.75 मीटरिक मिलियन टन प्रति वर्ष की संवर्धन क्षमता सहित 32 परियोजनाएं सौंपी है।

नौवहन उद्योग को अधिक स्पार्धात्मक बनाने के उद्देश्य से सरकार ने 2004 में नौवहन क्षेत्र के लिए टनभार कर कार्यक्रम शुरू किया था। भारतीय नौवहन उद्योग को कार्गो सहायता पहले अवसर के साथ प्रदान की जाती है और सरकार के स्वामित्व/नियंत्रित कार्गो के लिए एफओबी आयात की नीति अपनाई जाती है। इसके अलावा निजी अकाउंट पर कार्गो के आवागमन के लिए जलयानों की चार्टरिंग भारतीय ध्वज वाले जलयानों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए नौवहन महानिदेशालय के माध्यम से नियमित किया जाता है। भारतीय नौवहन टनभार को सहायता देने तथा बढ़ाने के लिए निरन्तर उपाय किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) भारतीय नौहवन उद्योग सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्यमियों द्वारा प्रचालित/प्रबंधित किया जाता है। पोतों का अधिग्रहण और निजी क्षेत्र में ऋण लेना जिस पर पूर्णत: उद्यमियों द्वारा स्वतंत्र रूप से निर्णय लिया जाता है। नौवहन उद्योग को संवर्धित करने के उद्देश्य से किसी पहचान किए गए वित्तीय संस्थान के माध्यम से विदेशी मुद्रा ऋण अथता बांड लेने के लिए किसी स्थानीय नौवहन उद्योग को अनुमति देने हेतु किसी प्रस्ताव को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 59 और 59क को चार लेन का बनाना

1699. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग-59 को चार लेनों का बनाने का कार्य शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार को इंदौर और बेतुल के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग 59-क को चार लेनों का करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश राज्य में रारा-59 के इंदौर से गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा तक के खंड को चार लेन बनाने का कार्य प्रगति पर है और आशा है यह कार्य जून, 2014 तक पूरा हो जाएगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न पैदा नहीं होता।

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्माण कार्य

1700. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 77, 102, 103 और पूर्व-पश्चिम गलियारे का निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इन राजमार्गों के निर्माण कार्य के पूरा होने में विलंब के क्या कारण है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या निर्धारित समय सीमा के अंदर निर्माण कार्य पूरा नहीं होने के कारण यात्रियों को काफी समस्याएं हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन राजमार्गों पर निर्माण कार्य पूरा करने में गति लाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है या करने का विचार है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) और (ख) बिहार में 145 किमी. लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग (रारा) 77 का विकास राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) चरण-III के अंतर्गत किया जा रहा है। 145 किमी. में से 120 किमी. की कार्य पूरा हो चुका है तथा शेष लंबाई का कार्य वर्ष 2014-15 के दौरान पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है। भूमि अधिग्रहण और रेलवे से अनुमोदन में देरी के कारण यह कार्य विलंबित हुआ है। बिहार में 75 किमी. लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग 102 को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्य चरण-IV के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण और परियोजना की मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बिहार में 59 किमी. लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग 103 के मामले में 43 किमी. लंबे मार्ग में 6 स्थानों पर कार्य चल रहा है। जिसके वर्ष 2014-15 में पूरा हो जाने का लक्ष्य है। बिहार में 487 किमी. लंबे कोरिडोर में से 464 किमी. का कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष लंबाई को वर्ष 2015-16 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन कार्यों में भूमि अधिग्रहण, जन सुविधाओं के स्थानांतरण, रेलवे से मंजूरी में देरी तथा ठेकेदारों के ढीले कार्य निष्पादन के कारण विलंब हुआ है।

(ग) और (घ) जी, हां। चल रहे कार्यों में तेजी लाने के लिए कार्यान्वयन प्राधिकारियों द्वारा रियायतग्राही और ठेकेदारों के साथ नियमित रूप से कार्यों की समीक्षा की जा रही है। भूमि अधिग्रहण और अन्य अनुमतियां प्रदान करने में शीघ्रता के लिए, रेलवे मंत्रालय और राज्यों सरकारों के साथ मामलों को उठाया जा रहा है।

आयुध निर्माणी की स्थापना

1701. श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार झारखंड राज्य के कोडरमा/बरियारडीह में आयुध निर्माणी की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रयोजन हेतु भूमि का अर्जन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं। सरकार का वर्तमान में झारखंड राज्य के कोडरमा/बरियारडीह में आयुध निर्माणी की स्थापना का कोई विचार नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

केन्द्रीय सड़क निधि

1702. श्री इज्यराज सिंह :
श्री हरीश चौधरी :
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :
डॉ. मुरली मनोहर जोशी :
श्री एस.आर. जेयदुरई :
श्री अर्जुन राय :
श्री संजय सिंह चौहान :
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा :
श्री जोस के. मणि :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) योजना के अंतर्गत राज्य सड़कों के विकास हेतु राज्यों को निधियों के आवंटन हेतु क्या मानदंड अपनाए जा रहे है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत प्राप्त और अनुमोदित प्रस्तावों का तमिलनाडु और केरल सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत संचित और जारी सीआरएफ का राज्य-वार ब्यौया क्या है; और

(घ) लंबित और अस्वीकार किए गए प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है और शेष प्रस्तावों को कब तक अनुमोदित कर दिया जाएगा?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) केन्द्रीय सड़क निधि स्कीम (सीआरएफ) के अंतर्गत राज्य सड़कों के विकास के लिए राज्यों को निधि 30 प्रतिशत राज्यों के ईंधन उपभोग और 70 प्रतिशत ज्यामितिय क्षेत्र के आधार पर संवितरित की जाती है।

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सीआरएफ स्कीम के अंतर्गत तमिलनाडु और केरल राज्य सहित सभी राज्यों से प्राप्त और संस्वीकृत प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सीआरएफ स्कीम के अंतर्गत संचित और जारी सीआरएफ का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) सीआरएफ स्कीम के अंतर्गत संबंधित राज्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों का अनुमोदन निधि की समग्र उपलब्धता और कार्यों की परस्पर प्राथमिकता के अध्यधीन केन्द्रीय सड़क निधि (राज्य सड़क) नियम, 2007 के अनुरूप किया जाता है। किसी वर्ष के दौरान संस्वीकृत न किए गए प्रस्तावों को बिना अनुमोदन के लौटाया गया माना जाता है।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सीआरएफ स्कीम के अंतर्गत तमिलनाडु और केरल राज्य सहित सभी राज्यों से प्राप्त और संस्वीकृत राज्य-वार प्रस्ताव

क्र. सं.	राज्य	2010-11 से 2013-14*	
		प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	21	10
3.	असम	16	3
4.	बिहार	11	7
5.	छत्तीसगढ़	42	7
6.	गोवा	4	1
7.	गुजरात	58	36
8.	हरियाणा	1	1
9.	हिमाचल प्रदेश	5	5
10.	जम्मू और कश्मीर	16	16
11.	झारखंड	3	1
12.	कर्नाटक	287	270
13.	केरल	141	31
14.	मध्य प्रदेश	62	62
15.	महाराष्ट्र	446	59
16.	मणिपुर	14	14
17.	मेघालय	5	1
18.	मिज़ोरम	3	1

1	2	3	4
19.	नागालैंड	2	1
20.	ओडिशा	33	12
21.	पंजाब	10	10
22.	राजस्थान	153	81
23.	सिक्किम	1	0
24.	तमिलनाडु	154	36
25.	त्रिपुरा	2	2
26.	उत्तराखंड	12	11
27.	उत्तर प्रदेश	41	41
28.	पश्चिम बंगाल	8	2

* – नवंबर, 2013 को।

विवरण-II

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सीआरएफ स्कीम के अंतर्गत राज्य-वार संचित और जारी सीआरएफ

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	2010-14	
		संचित	जारी$
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	754.72	756.72
2.	अरुणाचल प्रदेश	158.64	137.13
3.	असम	175.37	129.32
4.	बिहार	244.60	126.80
5.	छत्तीसगढ़	296.19	217.68
6.	गोवा	25.71	18.12
7.	गुजरात	535.24	580.73
8.	हरियाणा	255.51	252.25
9.	हिमाचल प्रदेश	123.08	83.59
10.	जम्मू और कश्मीर	434.94	357.93
11.	झारखंड	198.29	87.16
12.	कर्नाटक	528.47	503.64
13.	केरल	178.72	275.75
14.	मध्य प्रदेश	683.77	892.11
15.	महाराष्ट्र	896.62	1112.85
16.	मणिपुर	44.85	23.10
17.	मेघालय	53.11	58.49
18.	मिज़ोरम	41.60	13.63
19.	नागालैंड	33.60	29.25
20.	ओडिशा	359.58	288.85
21.	पंजाब	222.11	270.39
22.	राजस्थान	734.45	651.81
23.	सिक्किम	15.60	9.09
24.	तमिलनाडु	491.61	619.70
25.	त्रिपुरा	23.40	21.55
26.	उत्तराखंड	129.82	68.50
27.	उत्तर प्रदेश	705.69	551.69
28.	पश्चिम बंगाल	262.78	199.76

$ – नवंबर, 2013 को।

[अनुवाद]

हरित जलवायु निधि

1703. श्री एम.आई. शानवास :
श्री सी. शिवासामी :
श्री असादूद्दीन ओवेसी :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकासशील देशों ने विकसित देशों से उनके द्वारा किए गए उत्सर्जन के कारण वैश्विक भू-तापन के जोखिम से विकासशील/गरीब देशों को मुआवजे हेतु निधि के वित्तपोषण के संबंध में स्पष्ट नीति बनाने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर विकसित देशों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या विकासशील देशों को वनीकरण में सहायता हेतु अतिरिक्त निधि का सृजन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) जी, हां। विकासशील देशों ने विकसित देशों से उनके द्वारा किए गए उत्सर्जन के कारण वैश्विक भू-तापन के जोखिम से विकासशील/गरीब देशों को मुआवजे हेतु निधि के वित्तपोषण के संबंध में स्पष्ट नीति बनाने को कहा है। नवंबर, 2013 में वारसॉ, पौलेंड में आयोजित जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र कार्यढांचा सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी) के पक्षकारों के सम्मेलन में भारत सहित विकासशील देशों ने हरित जलवायु निधि (जीसीएफ) के शीघ्र पूंजीकरण और प्रचालन की मांग की है।

विकसित देशों ने हरित जलवायु निधि की तैयारी और प्रारंभिक सहायता सहित, प्रभावी प्रचालन को समर्थ बनाने का निर्णय लिया है जो कि दिसंबर, 2014 में होने वाले पक्षकारों के अगले सम्मेलन तक तैयारी करने के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन की समस्या के हल हेतु विकासशील देशों की जरूरतों और चुनौतियों को प्रतिबिम्बित करता है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। विकासशील देशों को वनीकरण में सहायता हेतु अतिरिक्त निधि का सृजन नहीं किया गया है।

समुद्री पर्यटन पोतों हेतु सुविधाएं

1704. श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री एन.एस.वी. चित्तन :

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स से भारतीय पोत पत्तनों पर समुद्री पर्यटन बेहतु सुविधाओं की मांग हेतु निवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रमुख पोत पत्तनों पर समुद्री समुद्री पर्यटन पोतों के लिए टर्मिनल विकसित करने हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) समुद्री पर्यटन पोतों के लिए कब तक टर्मिनल स्थापित किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन) : (क) और (ख) पर्यटन मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार, भारतीय पत्तनों पर क्रूज़ पोतों के लिए बेहतर सुविधाओं की मांग करते हुए इंडियन एसोसिशन ऑफ टूअर ऑपरेटर्स से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) से (ङ) परियोजना की वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर, महापत्तन सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) माध्यम के आधार पर कार्गो टर्मिनलों का विकास करते रहे हैं। तथापि, पीपीपी माध्यम से क्रूज़ टर्मिनलों के विकास के लिए किसी महापत्तन द्वारा कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है।

सड़कों की गुणवत्ता

1705. श्री अब्दुल रहमान :
श्री पी. करुणाकरन :
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा :
श्रीमती सुस्मिता बाउरी :
श्री नलिन कुमार कटील :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश के राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच)/सड़कों पर निर्माण कार्य की गुणवत्ता के संबंध में सरकार को प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है और इन पर की-गई-कार्रवाई का केरल सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों/सड़कों के निर्माण कार्य की गुणवत्ता की निगरानी/जांच हेतु कोई तंत्र तैयार किया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान उनके द्वारा किए गए निरीक्षणों का ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों/सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हो?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए मुख्यत: मंत्रालय जिम्मेवार है। अन्य प्रकार की सड़कों के विकास और अनुरक्षण का कार्य संबंधित राज्य सरकारों और अन्य कार्यकारी

एजेंसियों को सौंपा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्माण कार्य की गुणवत्ता के बारे में जब भी शिकायतें प्राप्त होती हैं, उनकी जांच की जाती है और मौजूदा नीति तथा ठेका करार के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान केरल सहित देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य की गुणवत्ता के बारे में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्राप्त शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई तथा ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। अन्वेषण मामलों पर कार्रवाई अन्वेषण के निष्कर्ष पर निर्भर करेगी। ऐसी अन्वेषणों के लिए कोई समय नियत नहीं है।

(ख) से (घ) सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के विनिर्देशों में विनिर्धारित गुणवत्ता मामलों के अनुसार निर्मित की जाती हैं। नियमित जांच और परीक्षणों के जरिए निर्माण की गुणवत्ता की सघन निगरानी के लिए पर्यवेक्षण/स्वतंत्र परामर्शक नियुक्त किये जाते हैं। इसके अलावा मुख्यालय के अधिकारियों सहित मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारियों (आरआ) और परियोजना के कार्य संचालन करने वाले क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा भी कार्य की गुणवत्ता की सघन निगरानी की जाती है।

इसके अतिरिक्त सड़क निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता की जांच करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के सतर्कता प्रशासन द्वारा औचक निरीक्षण किया जाता है। इस प्रकार की जांच क्षेत्रीय अधिकारियों और ठेकेदारों को निर्माण स्थल पर पूर्व सूचना दिये बिना की जाती है और संग्रहित सामग्री के नमूना का परीक्षण स्वतंत्र रूप से किया जाता है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान केरल सहित देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की कार्य गुणवत्ता के बारे में प्राप्त शिकायतों, और उन पर की गई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कार्रवाई

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रा.रा. संख्या	कार्य का नाम	की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	7	इस्लामपुर से कथाल तक सड़क का चार लेन	जांचाधीन है।
2.	आंध्र प्रदेश	7	अनंतपुर जिला में सड़क	जांचाधीन है।
3.	असम	31 और 54	गोवाहाटी-नलबारी खंड और लंका दबोका खंड	जांचाधीन है।
4.	बिहार	80	मोकमा - मुंगेर परियोजना	जांचाधीन है।
5.	बिहार	2	वाराणसी से औरंगाबाद छह लेन	आईआईटी बीएचयू में सामग्री परिक्षित और परियोजना विनिर्देशन के अनुरूप पाई गई।
6.	बिहार	77	मुजफ्फरपुर से सोनबरसा तक पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन का	सामग्री का परिक्षण एनआईटी पटना से किया गया और उसे विनिर्देशन के अनुरूप पाया गया।
7.	बिहार	28ए	पीपराकोठी से रक्सौल खंड पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन का	सामग्री का परिक्षण एनआईटी पटना से किया गया और उसे विनिर्देशन के अनुरूप पाया गया।
8.	गुजरात	एनएच-8ई	सोमनाथ से भवनगर रोड	एजेंसी प्रतिबंधित की गई और कार्य एजेंसी के जोखिम और लागत पर शुरू किया गया।

1	2	3	4	5
9.	जम्मू और कश्मीर	44	संबा–कुंजवानी–नरवल खंड	रारा–44 पर बलोले पुल से संरक्षण/पुनर्वास का कार्य ठेकेदार द्वारा अब पूरा कर लिया गया है और इसे 09.06.2013 को यातायात के लिए खोल दिया गया है। ढह गये 10 (दस) स्पैन के निर्माण का कार्य और रारा–44 पर मौजूदा देवेक पुल से फ्लोर संरक्षण कार्य का पुनर्वास कार्य पूरा हो गया है।
10.	झारखंड	80	किमी. 191 से 281.501	जांचाधीन है।
11.	कर्नाटक	4	बेंगलूरु–कोलर–मुलाबागल खंड	रियायतग्राही द्वारा कमियां दूर कर दी गई और उन्हें स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा सत्यापित किया गया।
12.	कर्नाटक	17, 48 और 13	नया मंगलोर पत्तन	ठेकेदार को फिनिसिंग सुधारने का अनुदेश दिया गया जिसे पूरा कर लिया गया है।
13.	मध्य प्रदेश	25	झांसी–शिवपूरी खंड	कमी को ठेकेदार द्वारा अपनी लागत से ठीक किया गया।
14.	ओडिशा	5	बालूगांव शहर से होकर सोनखला से चिल्का तक रारा बाईपास	जांचाधीन है।
15.	राजस्थान	76	जिला बार में सर्विस रोड	जांचाधीन है।
16.	दिल्ली–हरियाणा	2	बदरपुर से सरिता विहार तक सर्सिव रोड	वसूली और कार्यों जो मानक के अनुसार नहीं थे, के विभिन्न घटकों के सुधार/प्रतिस्थापन के लिए जांच की गई थी। कुछ मदों के लिए, और विस्तृत जांच की भी सिफारिश भी गई।
17.	उत्तर प्रदेश	24	जंगबहादुरगंज मैगलगंज और महोली तीन शहरों में कार्य	
18.	उत्तर प्रदेश	93	आगरा–अलीगढ़ खंड	जांचाधीन है।
19.	तमिलनाडु	66 और 205	रारा–66 से तिरुपति–चेन्नई खंड 2/4 लेन का और टिंडीवनम से कृष्णागिरी खंड को पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन का	यह शिकायत निराधार पाई गई।
20.	तमिलनाडु	46	कृष्णागिरी से वालाझकपेट खंड छह लेन का	इसे सत्यापन के लिए रियायतग्राही और आईई को सूचित कर दिया गया था और यह पाया गया कि सगत गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण कर लिया गया है और उसे सीमा के अंदर ही पाया गया।

[हिन्दी]

निर्यात कार्य-निष्पादन

1706. श्री अनंत कुमार हेगड़े :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री नरहरि महतो
श्री अर्जुन राय :
श्री भूदेव चौधरी :
शेख सैदुल हक :
श्री एस. सेम्मलई :
श्री लक्ष्मण टुडु :
श्री एंटो एंटोनी :
श्री बद्रीराम जाखड़ :
श्री एस. पक्कीरप्पा :
श्री आर. थामराईसेलवन :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान व्यापार घाटे में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और प्रमुख निर्यात की गई वस्तुओं, व्यापार घाटे, आयात और निर्यात हेतु निर्धारित लक्ष्यों, मूल्य का वर्ष-वार और देश-वार क्या है और कुल वैश्विक व्यापार में भारत का स्थान क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के निष्पादन की समीक्षा और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर व्यापार घाटे के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो क्षेत्र-वार निष्पादन का ब्यौरा क्या है और विदेश व्यापार नीति की समीक्षा सहित इस पर क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है;

(घ) क्षेत्र-वार निर्यातकों को प्रदान की गई सहायता/प्रोत्साहन का ब्यौरा कया है और व्यापार घाटे को कम करने और निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या सरकार को निर्यात को बढ़ाने के लिए विभिन्न व्यापार संगठनों/निर्यात प्रोत्साहन परिषदों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी चिंताओं के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. ई.एम.एस. नाच्चीयप्पन) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक में व्यापार-घाटे में वृद्धि हुई है। तथापि वर्ष 2012-13 (अप्रैल-नवंबर) की तुलना में वर्ष 2013-14 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान व्यापार घाटे में कमी आई है। विवरण निम्नानुसार है:—

वर्ष	निर्यात हेतु निर्धारित लक्ष्य	निर्यात (क)	आयात (ख)	व्यापार घाटा निर्यात (= क-ख)
2010-11	200	251.1	369.8	118.7
2011-12	300	306.0	489.3	183.3
2012-13	350	300.4	490.7	190.3
2012-13 (अप्रैल-नवंबर)	—	192.0	321.2	129.2
2013-14 (अप्रैल-नवंबर)*	325	204.0	303.9	99.9

*वर्ष 2013-14 (अप्रैल-नवंबर) के आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत: डीजीसीआई एवं एस।

गत तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान निर्यात और आयात का वस्तु-वार और देश-वार ब्यौरा डीजीसीआई एवं एस प्रकाशन में सीडी के रूप में नामत: 'भारत के विदेश व्यापार के मासिक आंकड़े' के खंड-I (नियात) एवं खंड-II (आयात) में उपलब्ध है। डीजीसीआई एवं एस, कोलकाता द्वारा ऐसी सीडी नियमित रूप से संसदीय पुस्तकालय में भेजी जाती है। वर्ष 2012 के दौरान विश्व व्यापार में भारत का निर्यात में 9वां और आयात में 10वां स्थान है।

(ग) वित्तीय और समग्र आर्थिक बाधाओं के मद्देनजर सरकार

विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात निष्पादन की निरंतर निगरानी करती है और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर जरूरत के आधार पर सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान रत्न एवं आभूषण क्षेत्र, अयस्क एवं खनिजों तथा इलैक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में नकारात्मक वृद्धि हुई है। पेट्रोलियम, सोना और चांदी, इलैक्ट्रॉनिक वस्तुएं, कोयला इत्यादि, खाद्य तेल और उर्वरक कुल आयात का लगभग 59.6 प्रतिशत होते हैं और इसलिए ये व्यापार घाटे के प्रमुख कारक हैं। आयात को कम करने के उपायों में सोना, प्लेटिनम और चांदी, एलसीडी टीवी इत्यादि जैसी वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाना शामिल है। निर्यात को बढ़ाने के साथ इनसे व्यापार घाटे को कम करने में सहायता मिलती है।

(घ) और (ङ) सरकार ने विभिन्न व्यापार निकायों से अभ्यावेदन प्राप्त किए हैं। इन पर उचित महत्व देते हुए विचार किया गया है। सरकार ने विदेश व्यापार नीति (2009-14) के वार्षिक अनुपूरक के भाग के रूप में कई निर्यात संवर्धन उपायों की घोषणा की है। सरकार ने उत्पाद विविधीकरण और बाजार विविधीकरण की कार्य नीति जारी रखी है। वृद्धिक निर्यात प्रोत्साहन स्कीम को दिनांक 1.1.2013 से प्रारंभ किया गया है और इसे वर्ष 2013-14 के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। सरकार ने 01.08. 2013 से ब्याज की दर में छूट को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत करने की भी घोषणा की है।

वन्य जीवों के मारे जाने के संबंध में सर्वेक्षण

1707. श्री दत्ता मेघे : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हाल ही में ओडिशा में आए फाइलिन चक्रवात के कारण वन्य जीवों के मारे जाने के संबंध में आकलन के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) जी, नहीं। ओडिशा में आए फाइलिन चक्रवात के कारण वन्य जीवों के मारे जाने के संबंध में आकलन कराने हेतु सर्वेक्षण कराने का कोई प्रस्ताव मंत्रालय के पास विचाराधीन नहीं है। वन एवं वन्यजीव प्रबंधन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का अधिदेश है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वन्य बंजर भूमि का संरक्षण

1708. श्री हरीश चौधरी :
श्री हरिभाई चौधरी :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वनों में बंजर भूमि को हरित भूमि के दर्जे में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दर्जे में परिवर्तन करने के संबंध में सरकार के समक्ष क्या समस्याएं हैं; और

(ग) सरकार द्वारा बंजर भूमि को हरित भूमि के दर्जे में कब तक परिवर्तित किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) क्रियान्वित कर रहा है जो लोगों की भागीदारी के माध्यम से देश के अवक्रमित वनों और आस-पास वाले क्षेत्रों में वृक्षारोपण तथा पारि-पुनरुद्धार हेतु 100% केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है। अब तक, एनएपी के अंतर्गत वर्ष 2000-2002 में इनके प्रारंभ होने से 2 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र को साधित करने हेतु राज्यों को 3209.33 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। एनएपी के अलावा, पर्यावरण और वन मंत्रालय, लोगों की भागीदारी सहित भू-परिदृश्य दृष्टिकोण संबंधी राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम) क्रियान्वित कर रहा है जिसमें अगले 10 वर्षों में 5 मिलियन हैक्टेयर के विस्तार तक वन आवरण की गुणवत्ता में सुधार और उसके साथ अन्य 5 मिलियन हेक्टेयर भूमि मुख्यत: वनेत्तर भूमियों में वन एवं वृक्ष आवरण में वृद्धि करना परिकल्पित है। जीआईएम के अंतर्गत, वर्ष 2011-12 के दौरान 71 अभिज्ञात भू-परिदृश्यों में प्रारंभिक कार्य कलापों को करने के लिए 21 राज्यों को 49. 95 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। एनएपी के अंतर्गत निर्गमित की गई राशियों ओर अनुमोदित क्षेत्र के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं और जीआईएम के अंतर्गत निर्गमित की गई राशियां संलग्न विवरण-II में दी गई हैं। अवक्रमिक क्षेत्रों का वनीकरण करने में सरकार के सम्मुख आने वाली प्रमुख समस्याओं में बायोटिक दबाव, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, अतिक्रमण, स्थातरित कृषि इत्यादि शामिल हैं।

एनएपी और जीआईएम के अलावा, अन्य मंत्रालयों द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एमजीएनआरईजीएस), एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी), राष्ट्रीय बांस मिशन 13वें वित्त आयोग जैसी स्कीमों के अंतर्गत और विभिन्न राज्य योजना एवं गैर-योजना स्कीमों के अंतर्गत वृहत स्तर पर वनीकरण कार्य किया जा रहा है।

विवरण-I

वर्ष 2000-02 से 2013-14 (30.11.2013 की स्थिति अनुसार) तक राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) के अंतर्गत निगमित की गई राज्य-वार राशियों और अनुमानित क्षेत्र

क्र. सं.	राज्य	जारी की गई राशि (लाख रुपए में)	अनुमोदित क्षेत्र (क्षेत्र हैक्टेयर में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	116.76	82222
2.	बिहार	60.16	39898
3.	छत्तीसगढ़	237.59	121047
4.	गोवा	0.64	1250
5.	गुजरात	209.79	100175
6.	हरियाणा	154.41	51788
7.	हिमाचल प्रदेश	71.91	51453
8.	जम्मू और कश्मीर	77.63	77097
9.	झारखंड	150.95	105290
10.	कर्नाटक	194.94	110628
11.	केरल	73.41	38214
12.	मध्य प्रदेश	219.06	155736
13.	महाराष्ट्र	221.12	135766
14.	ओडिशा	133.22	137602
15.	पंजाब	25.12	20081
16.	राजस्थान	67.58	52765
17.	तमिलनाडु	117.94	75070
18.	उत्तर प्रदेश	258.30	155869
19.	उत्तराखंड	91.92	77565
20.	पश्चिम बंगाल	62.10	45103
	कुल (अन्य राज्य)	2551.96	1634619
21.	अरुणाचल प्रदेश	32.87	33446
22.	असम	81.00	56280
23.	मणिपुर	92.92	48493
24.	मेघालय	52.60	32975
25.	मिज़ोरम	146.71	59120
26.	नागालैंड	100.37	60628
27.	सिक्किम	86.95	33027
28.	त्रिपुरा	63.91	50296
	कुल (पूर्वोत्तर राज्य)	657.35	374265
	योग	3209.33	2008884

विवरण-II

वर्ष 2011-12 के दौरान हरित भारत मिशन (जीआईएम) के अंतर्गत निर्गमित की गई राज्य-वार राशियां

क्र. सं.	राज्य का नाम	जारी की गई राशि (रुपए करोड़ में)
1	2	3
1.	महाराष्ट्र	4.06
2.	झारखंड	1.47
3.	केरल	1.95
4.	तमिलनाडु	0.72
5.	गुजरात	1.34
6.	राजस्थान	2.75
7.	हिमाचल	1.27
8.	जम्मू और कश्मीर	0.64
9.	ओडिशा	1.08
10.	पंजाब	1.25
11.	हरियाणा	3.57

1	2	3
12.	छत्तीसगढ़	9.72
13.	असम	1.30
14.	आंध्र प्रदेश	0.89
15.	मणिपुर	0.40
16.	नागालैंड	1.42
17.	त्रिपुरा	3.50
18.	कर्नाटक	2.67
19.	मध्य प्रदेश	8.24
20.	उत्तर प्रदेश	1.20
21.	उत्तराखंड	0.51
	योग	49.95

वन्य जीवों की गणना

1709. श्री जगदानंद सिंह :
प्रो. सौगत राय :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष सहित गत चार वर्षों के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की गणना की गई है;

(ख) यदि हां, तो राज्यों में की गई गणना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गणना का आधार मात्र वनों की स्थिति पर है क्योंकि सघन वन की वन्य जीवों को जीवन को जीवन योग्य पर्यावरण प्रदान कर सकता है;

(घ) यदि हां, तो क्या वनों में कमी हो रही है;

(ङ) यदि हां, तो नदियों और झीलों के तटों के संरक्षण सहित वनों के आपेक्षित स्तर और सघनता को बनाए रखने के लिए क्या योजनाएं आरंभ की गई हैं; और

(च) इसके परिणामस्वरूप किस हद तक सफलता प्राप्त हुई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) जबकि प्रत्येक चार वर्षों में एकबार राष्ट्रीय स्तर पर बाघ की गणना की जाती है, तथा संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा राज्य स्तर पर अन्य प्रमुख फ्लैगशिप प्रजातियों की गणना कराई जाती है। वर्ष और संख्या के संबंध में फ्लैगशिप प्रजातियों हेतु कराई गई गणना के ब्यौरे जैसा कि पर्यावरण और वन मंत्रालय में उपलब्ध है, निम्नलिखित है:—

प्रजातियों	संख्या (वर्ष)			
बाघ	1411 (2006)	1706 (2010)		
हाथी	26373 (2002)	27657-27682 (2007)	29391-30711 (2012)	
शेर	304 (1995)	332 (2001)	359+10 (2005)	411 (2010)
गैंडा	1855 (2006)	2048 (2009)		

(ग) और (घ) गणना वनों के स्वास्थ्य का एकमात्र संकेतक नहीं है। वन का स्वास्थ्य पौधा और पशु प्रजातियों की विविधता एवं सघनता, विभिन्न पशुओं के अनुकूल भू-परिदृश्य के भीतर पर्यावास की विविधता, वन्यजीव हेतु खाद्य संसाधनों की उपलब्धता तथा मृदा की स्थिति इत्यादि का एक जटिल मिश्रण है और यह क्षेत्र के बायो-जियोग्राफिक जोन को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकित की जाएगी। यह भी अनिवार्य नहीं है कि वन्यजीवों को सघन वन ही स्वच्छ कर जीवन योग्य पर्यावरण प्रदान कर सकता है, जैसा कि पर्यावास की उपयुक्तता क्षेत्र में पाए जाने वाले वन्यजीवों की अपेक्षा पर निर्भर करती है।

(ङ) और (च) वन्यजीव के पर्यावासों का सुधार करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ, वन एवं वन्यजीव क्षेत्रों जैसे राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों के सुधार हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों - "वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत निकास" "बाघ परियोजना" और "हाथी परियोजना" के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रमुख वन्यजीवों की संख्या में बढ़ती प्रवृत्ति कार्यक्रमों की सफलता को दर्शाती है।

[अनुवाद]

वैश्विक भू-तापन संबंधी कार्य योजना

1710. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल :
श्री जय प्रकाश अग्रवाल :
श्री शिवराम गौडा :
श्री एन. धरम सिंह :
श्री नलिन कुमार कटील :
श्री जोस के. मणि :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वैश्विक भू-तापन प्रतिकूल प्रभावों के आकलन हेतु कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है;

(ग) देश में वैश्विक भू-तापन के कारण जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार की जन-जागरुकता कार्यक्रम आरंभ करने और लोगों में व्यापक जागरूकता उत्पन्न करने हेतु विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में वैश्विक भू-तापन को शामिल करने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) सरकार ने वर्ष 2010 में वैज्ञानिक अध्ययन कराया है जिनके निष्कर्ष "जलवायु परिवर्त और भारत: एक 4×4 मूल्यांकन-2030 हेतु प्रादेशिक और क्षेत्रीय विश्लेषण" शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित किए गए हैं। यह रिपोर्ट भारत के चार जलवायु संवेदनशील क्षेत्रों नामश: हिमालयी क्षेत्र पश्चिमी घाटों, तटीय क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था के चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों नामश: कृषि, जल, प्राकृतिक परि-प्रणालियों एवं जैव-विविधता व स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का मूल्यांकन करती है। यह अध्ययन, जलवायु मापदंडों और अभिज्ञात किए गए क्षेत्रों पर संबंधित प्रभावों के लिए विवक्षाओं की मिश्रित तस्वीर को निरुपित करता है। सभी क्षेत्रों के लिए कुल मिलाकर तापन अनुमानित है।

(ग) सरकार ने जून, 2008 को राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसीसी) जारी की है जो उन उपायों को अभिज्ञात करता है जो जलवायु परिवर्तन के कारगर रूप से निवारण हेतु सह-लाभ पहुंचाने के साथ भारत के विकास उद्देश्यों को भी बढ़ावा देता है। एनएपीसीसी, सौर ऊर्जा, संवर्धित ऊर्जा क्षमता, सतत् पर्यावास, जल, हिमालयी पारि-प्रणालियों की सततता हरित भारत, सत्त कृषि और जलवायु परिवर्तन हेतु कार्यनीतिक ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों में आठ मिशनों की रूप रेखा प्रस्तुत करता है। राज्य सरकारों से राज्य विशिष्ट मुद्दों का निवारण करने हेतु राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना तैयार करने का भी अनुरोध किया गया है।

ग्यारहवीं और बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संबंधित नोडल मंत्रालयों को प्रदत्त मिशनों हेतु निधियों का आबंटन समस्त योजना परिव्ययों का एक भाग है।

(घ) और (ङ) विभिन्न सम्मेलनों/सेमिनारों और राष्ट्रीय पर्यावरणीय जागरुकता अभियान के माध्यम से भी वैश्विक तापन संबंधी जन-जागरुकता का सृजन किया जाता है। गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), अकादमिया और स्कूलों इत्यादि सहित यह अभियान लगभग 10,000 संगठनों के माध्यम से चलाया जाता है। इसके अलावा, 'श्रेणी-I से V हेतु प्राथमिक पाठयक्रम' और 'उच्च श्रेणी हेतु स्कूल पाठयक्रम' के शीर्षक से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएससी) द्वारा प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, ग्रीन हाउस गैस प्रभावों एवं वैश्विक तापन पहलूओं को क्रमश: विज्ञान तथा पर्यावरणीय रसायन-शास्त्र पाठयक्रम में शामिल किया गया है।

पोत यातायात प्रबंधन

1711. श्री नरेनभाई काछादिया :
श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ल :

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात सरकार द्वारा पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली (वीटीएमएस) परियोजना को शीघ्र पूरा करने के संबंध में विभिन्न अभ्यावेदनों पर कोई कार्रवाई की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार कच्छ की खाड़ी हेतु वीटीएमएस प्राधिकरण की स्थापना पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन) : (क) जी, हां, पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली (वीटीएमएस) परियोजना को स्थापित किया गया है और कच्छ की खाड़ी में 13 फरवरी, 2012 को चालू की गई है।

(ख) वीटीएस-कच्छ की खाड़ी (जीओके) में कुल 21 स्टेशन हैं जिसमें से 9 रडार स्टेशन, 6 पोर्ट मॉनिटर स्टेशन, 3 रिपीटर स्टेशन, 2 कोस्ट गार्ड मॉनिटर स्टेशन और 1 भारतीय नौसेना मॉनिटर स्टेशन हैं। यह प्रणाली 13 फरवरी 2012 से कच्छ की खाड़ी में जलयान यातायात पर प्रभावी ढंग से निगरानी कर रही है।

(ग) जी, हां।

(घ) तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) की एक उपसमिति का गठन किया गया है और वीटीएमएस प्राधिकरण से संबंधित इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

एनएच-24 का उन्नयन

1712. श्री ओम प्रकाश यादव :
श्री राजेन्द्र अग्रवाल :
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली से ब्रजघाट (गढ़मुक्तेश्वर) खंड बरास्ता हापुड़ सहित राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच 24 को विकसित/उन्नयन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति क्या है और इस पर कितना व्यय होने का अनुमान है और गाजियाबाद से होकर गुजरने वाले उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास/उन्नयन हेतु सरकार को प्राप्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का राष्ट्रीय राजमार्ग-24 पर बाईपास को चौड़ा करने का भी प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग-24 विशेषकर दिल्ली गढ़मुक्तेश्वर और मसूरी-डासा खंडों पर यातायात सघनता को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) से (घ) जी, हां। राष्ट्रीय राजमार्ग-24 का दिल्ली से डासना खंड छह लेन मुख्य एक्सप्रेसवे और चार लेन हाइवे में दोनों और चौड़ा किया जाना है और डासना से हापुड तक छह लेन हाइवे में चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रस्ताव को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-VI के अंतर्गत दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस परियोजना के अधीन प्रारंभ किया जाना है जिसके लिए यह परियोजना सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति को परिचालन के लिए अंतिम रूप दिए जाने के चरण में है। हापुड बाईपास सहित रारा-24 के हापुड मुरादाबाद खंड को छः लेन बनाने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन एनएचडीपी चरण-V के अंतर्गत प्रगति पर है। इसके पूरा होने की तारीख का उल्लेख करना अभी समय पूर्व होगा।

चीन के साथ व्यापार

1713. श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ :
श्री बलीराम जाधव :
डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील :
श्री राजेन्द्र अग्रवाल :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी कंपनियों द्वारा सुरक्षा स्वीकृति के बिना पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ भारतीय कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन करने की घटनाएं हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई आरंभ की गई है;

(ग) क्या सरकार देश में औद्योगिक पार्कों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के विकास हेतु चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने के प्रयास कर रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या चीनी शिष्टमंडल ने हाल ही में अपने दौरे के दौरान भारत के औद्योगिक पार्कों के विकास हेतु संभावित स्थानों को चिन्हित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चीन द्वारा कब तक देश में उक्त एसईजेड और औद्योगिक पार्क की स्थापना और इन क्षेत्रों में निवेश करना आरंभ किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. ई.एम.एस. नाच्चीयप्पन) : (क) और (ख) इस विभाग के ध्यान में ऐसी कोई विशिष्ट घटना नहीं आई है।

(ग) जी, हां, सरकार वर्तमान नीति, नियमों एवं विनियमों के अनुसार औद्योगिक पार्कों के विकास हेतु निवेश सहित देश में निवेश को आकर्षित करने हेतु निरंतर प्रयास कर रही है। जहां तक इस संबंध में चीन से निवेश आकर्षित करने का संबंध है, चीन के प्रधानमंत्री के भारत दौरे के दौरान दिनांक 20 मई, 2013 के जारी एक संयुक्त वक्तव्य में उल्लिखित रूप से दोनों देशों ने अपने देशों के उद्यमों को समूह-स्तर पर विकसित करने हेतु प्लेटफार्म प्रदान करने के लिए औद्योगिक जोनों को स्थापित करने में परस्पर सहयोग करने पर सहमति व्यक्ति की।

चीन के निकायों से विशेष आर्थिक जोन की स्थापना के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) चीन के प्रतिनिधिमंडल ने अक्तूबर, 2013 में भारत के दौरे के दौरान कुछ औद्योगिक पार्क स्थलों का दौरा किया था परंतु विकास के लिए किसी संभाव्य स्थल को अभिज्ञात नहीं किया।

(ङ) चीन द्वारा औद्योगिक पार्कों में निवेश आरंभ करने की संभावना के लिए किसी नियत समय की कोई जानकारी नहीं है।

[हिन्दी]

अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा भारतीय ओलंपिक संघ को निलंबित किया जाना

1714. श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ल :
श्री नवीन जिन्दल :
श्री नरेनभाई काछादिया :
श्रीमती ज्योति धुर्वे :

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) द्वारा हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) को इसके चुनावों में कथित अनियमितताओं के कारण निलंबित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस निलंबन का देश के खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आईओसी द्वारा आईओए के निलंबन को रद्द करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ (आईओसी) ने 4 सितंबर, 2012 को आयोजित अपने कार्यकारी बोर्ड की बैठक में भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) को निलंबित करने का निर्णय लिया। आईओसी ने आईओए के निलंबन के लिए ओलंपिक चार्टर और इसकी संविधियों का अनुपालन न करने, आईओसी को समयबद्ध तरीके से सूचित करने में असफल रहने तथा आईओइए की चुनाव प्रक्रिया में सरकारी हस्तक्षेप के विरुद्ध एहतियाती उपाय करने संबंधी कारणों का उल्लेख किया।

(ग) और (घ) आईओसी द्वारा आईओए के निलंबन के कारण भारतीय खिलाड़ी ओलंपिक खेल, एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेल जैसी बहु-खेल विधा स्पर्धाओं में भारतीय ध्वज तले इन स्पर्धाओं में भाग नहीं ले सकते। चूंकि, आईओए के निलबंन के बाद ओलंपिक खेल, एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेल आयोजित नहीं हुए हैं और भारतीय एथलीट ओलंपिक काउंसिल आफ एशिया/आईओसी ध्वज तले अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग ले सकते हैं, अत: भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर कोई प्रतिकूल दूरगामी प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

(ङ) सरकार आईओसी द्वारा आईओए के निलंबन संबंधी मामले के शीघ्र समाधान के सभी संभव उपाय कर रही है ताकि भारतीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भारत के ध्वज तले भाग ले सकें। सरकार इस संबंध में आईओसी के साथ निरंतर संपर्क में है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आईओसी के प्रतिनिधियों के साथ मई, 2013 में एक बैठक के लिए लाउसेन (स्विटरजरलैंड) का दौरा किया जिसमें आईओसी द्वारा आईओए का निलंबन हटाने के लिए रोडमैप पर सहमति बनाई गई। आईओए अपने संविधान को आईओसी की अपेक्षानुसार संशोधित करने और अगले वर्ष फरवरी में नए चुनाव कराने पर सहमत हो गया है ताकि इसके निलंबन समाप्ति का मार्ग प्रशस्त हो सके।

[अनुवाद]

रोजगार कार्यालय

1715. श्री अनंत कुमार :
श्री मनोहर तिरकी :
श्री नृपेन्द्र नाथ राय :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान में कार्यरत रोजगार कार्यालयों की राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी संख्या है;

(ख) क्या रोजगार कार्यालयों में नौकरी प्राप्त करने वालों के पंजीकरण में कमी दर्ज की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान रोजगार कार्यालयों के माध्यम से कितने पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों को वर्ष-वार और राज्य-वार रोजगार प्रदान किया गया;

(ङ) क्या सरकार का पंजीकृत नौकरी प्राप्त करने वालों को रोजगार सुनिश्चित करने में उनके निष्पादन के मद्देनजर रोजगार कार्यालयों के कार्यकरण की समीक्षा करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) श्रम और रोजगार मंत्रालय, एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा संकलित किए तथा राज्यों से प्राप्त सूचना के आधार पर 31.12.2013 तक रोजगार कार्यालयों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) और (ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत रोजगार चाहने वालों की संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है जो पंजीकरण में वृद्धि दर्शाता है।

वर्ष	पंजीकृत रोजगार चाहने वालों की संख्या (लाख में)
1	2
2008	53.16

1	2
2009	56.94
2010	61.86
2011	62.06
2012	97.22

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उन रोजगार चाहने वालों, जिनका रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार प्रदान किया गया, का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय रोजगार सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है।

विवरण-I

31.12.2012 को राज्य-वार रोजगार कार्यालयों की संख्या तथा विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रोजगार कार्यालयों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	31
2.	अरुणाचल प्रदेश	11
3.	असम	52
4.	बिहार	37
5.	छत्तीसगढ़	18
6.	दिल्ली	14
7.	गोवा	1
8.	गुजरात	41
9.	हरियाणा	56
10.	हिमाचल प्रदेश	15
11.	जम्मू और कश्मीर	17
12.	झारखंड	41
13.	कर्नाटक	40
14.	केरल	89
15.	मध्य प्रदेश	48
16.	महाराष्ट्र	47
17.	मणिपुर	11
18.	मेघालय	12
19.	मिज़ोरम	3
20.	नागालैंड	8
21.	ओडिशा	40
22.	पंजाब	46
23.	राजस्थान	38
24.	सिक्किम*	
25.	तमिलनाडु	35
26.	त्रिपुरा	5
27.	उत्तराखंड	24
28.	उत्तर प्रदेश	91
29.	पश्चिम बंगाल	77
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1
31.	चंडीगढ़	2
32.	दादरा और नगर हवेली	1
33.	दमन और दीव	2
34.	लक्षद्वीप	1
35.	पुदुचेरी	1
	योग	956

टिप्पणी: *इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं है।

विवरण-II

31 दिसंबर, 2010, 2011 और 2012 को देश में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से प्रभावित राज्य-वार नियोजन की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रभावित नियोजन (हजार में)		
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0.9	0.8	0.4
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.0	0.0	0.0
3.	असम	0.6	3.1	0.7
4.	बिहार	3.2	2.3	2.1
5.	छत्तीसगढ़	2.2	0.9	0.3
6.	दिल्ली	4.1	0.2	0.0
7.	गोवा	1.8	1.4	1.8
8.	गुजरात	202.8	225.6	246.0
9.	हरियाणा	5.8	6.9	12.3
10.	हिमाचल प्रदेश	1.1	3.2	4.1
11.	जम्मू और कश्मीर	1.7	1.3	0.5
12.	झारखंड	12.5	8.7	12.1
13.	कर्नाटक	2.0	2.1	2.6
14.	केरल	11.5	13.5	9.4
15.	मध्य प्रदेश	9.0	6.6	8.5
16.	महाराष्ट्र	207.3	165.6	103.8
17.	मणिपुर	0.6	@	0.1
18.	मेघालय	0.0	@	@
19.	मिज़ोरम	0.0	0.0	0.0
20.	नागालैंड	0.0	@	0.2
21.	ओडिशा	5.4	2.9	2.8
22.	पंजाब	2.1	3.2	2.7
23.	राजस्थान	0.8	1.1	0.5
24.	सिक्किम*			
25.	तमिलनाडु	17.4	11.2	10.8
26.	त्रिपुरा	0.7	0.9	0.4

1	2	3	4	5
27.	उत्तराखंड	1.3	1.1	1.2
28.	उत्तर प्रदेश	7.2	5.6	1.6
29.	पश्चिम बंगाल	2.5	3.0	2.2
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.3	0.1	0.1
31.	चंडीगढ़	0.0	0.2	0.1
32.	दादरा और नगर हवेली	0.0	0.0	0.0
33.	दमन और दीव	0.0	0.0	0.0
34.	लक्षद्वीप	0.0	0.0	0.1
35.	पुदुचेरी	0.5	0.1	0.3
	योग	509.6	471.5	427.6

टिप्पणी: *इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय नहीं है। हो सकता है कि पूर्णांकन के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं

@आंकड़े पचास के कम।

कर्नाटक में उपरि पुलों का निर्माण

1716. श्री रमेश जिगजिणगी : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक में बीजापुर और सोलापुर के बीच उपरि पुलों के निर्माण को अनुमोदित कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में निविदाएं आमंत्रित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण है; और

(घ) इन उपरि पुलों के निर्माण का कार्य कब तक आरंभ और समाप्त होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) जी, हां। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण चार लेन की परियोजना के एक भाग के रूप में कर्नाटक में रारा-13 के बीजापुर और शोलापुर के बीच सार्वजनिक निजी भागीदारी विधि से उपरि पुल बनाने का इच्छुक है।

(ख) और (ग) जी, हां। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने निविदाएं जारी की थी और प्रतियोगी निविदा के माध्यम से यह कार्य सार्वजनिक निजी भागीदारी विधि पर सौंप दिया गया है। यह ठेका 21.10.2013 को समाप्त हो गया है।

(घ) इस चरण में इन उपरिपुलों के निर्माण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

[अनुवाद]

खेलों को प्रोत्साहन

1717. श्री जय प्रकाश अग्रवाल :
डॉ. मिर्जा महबूब बेग :

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में क्रिकेट के अतिरिक्त अन्य खेलों को प्रोत्साहन देने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) फुटबाल, हॉकी, बैडमिंटन, लॉन टेनिस और क्रिकेट सहित विभिन्न खेलों से जुड़े खिलाड़ियों को सरकार द्वारा क्या नकद प्रोत्साहन दिया गया है;

(घ) अन्य खेलों कार्यकलापों की तुलना में क्रिकेट को विशेष महत्व दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) गत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न खेलों के संवर्धन हेतु सरकार द्वारा कुल व्यय की गई राशि का राज्य-वार और खेल-वार ब्यौरा क्या है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) खेल विधाओं के विकास तथा प्रोत्साहन की मुख्य जिम्मेदारी संबंधित मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) की है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय "राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता स्कीम" के माध्यम से खेलों का स्तर बढ़ाने के लिए उनके प्रयासों में सहयोग हेतु एनएसएफ को सहायता प्रदान करता है। इस स्कीम के तहत उपस्कर तथा उपभोज्य वस्तुओं के प्रापण, भारत में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं का आयोजन, विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में खिलाड़ियों/टीमों की सहभागिता, भारतीय तथा विदेशी कोचों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों/टीमों के प्रशिक्षण/कोचिंग, एनएसएफ के साथ सहमत दीर्घकालिक विकास योजनाओं के लिए सरकार एनएसएफ को वित्तीय सहायता प्रदान कर एनएसएफ के प्रयासों में सहयोग करती है। एनएसएफ की सहायता स्कीम के अंतर्गत क्रिकेट के अलावा विभिन्न खेल विधाओं के लिए सहायता दी जाती है।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राज्य सरकारों को इसकी स्कीमों यथा पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान (पायका) और शहरी खेल अवसंरचना स्कीम (यूएसआईएस) के अंतर्गत भी सहायता कर रहा है। पायका का उद्देश्य विभिन्न खेल विधाओं में ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करना और 10 वर्ष की अवधी में चरणबद्ध रूप में सभी ग्राम पंचायतों और ब्लॉक पंचायतों में खेल के मैदान उपलब्ध कराना है। मंत्रालय यूएसआईएस के अंतर्गत राज्यों को सिंथेटिक हॉकी फील्ड/एथलेटिक ट्रैक, फुटबाल टर्फ बिछाने और बहुउद्देश्यीय हाल बनाने के लिए सहायता देता है।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं जैसे ओलंपिक खेलों, एशियन खेल, राष्ट्रमंडल खेल, विश्व चैम्पियनशिपों, एशियन चैम्पियनशिपों तथा राष्ट्रमंडल चैम्पियनशिपों (महिला व पुरुष दोनों के लिए) में पदक विजेताओं को "अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक विजेताओं को विशेष पुरस्कार" स्कीम के प्रावधानों की शर्तों के तहत नीचे दिए गए अनुसार नगद पुरस्कार दिए जाते हैं:—

		प्रतियोगिता का नाम	स्वर्ण पदक/प्रथम स्थान	रजत पदक/द्वितीय स्थान	कांस्य पदक/तृतीय स्थान
(क)	**सीनियर**				
	(i)	ओलंपिक खेल	50 लाख रुपए	30 लाख रुपए	20 लाख रुपए
	(ii)	एशियन खेल/राष्ट्रमंडल खेल	20 लाख रुपए	10 लाख रुपए	6 लाख रुपए
	(iii)	ओलंपिक खेल, एशियन खेल तथा राष्ट्रमंडल खेल विधाओं में विश्व चैम्पियनशिप	10 लाख रुपए	5 लाख रुपए	3 लाख रुपए
	(iv)	एशियन चैम्पियन शिप/राष्ट्रमंडल चैम्पियनशिप	3 लाख रुपए	2 लाख रुपए	1 लाख रुपए
(ख)	**विश्व चैम्पियनशिप (जूनियर तथा सब जूनियर)**				
	(i)	जूनियर	2 लाख रुपए	1.5 लाख रुपए	1 लाख रुपए
	(ii)	सब जूनियर	1 लाख रुपए	80 हजार रुपए	60 हजार रुपए
(ग)	**एशियन तथा राष्ट्रमंडल चैम्पियनशिप (जूनियर तथा सब जूनियर)**				
	(i)	जूनियर	1 लाख रुपए	80 हजार रुपए	60 लाख रुपए
	(ii)	सब जूनियर	50 हजार रुपए	40 हजार रुपए	30 हजार रुपए

(घ) क्रिकेट पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। वास्तव में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा अधिकांश सहायता और गैर-क्रिकेट खेलों को दी जाती है।

(ङ) एनएसएफ सहायता संबंधी स्कीम के तहत राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) को खेल विधा-वार दी गई अनुदान राशि संलग्न विवरण-I पायका स्कीम के तहत राज्य-वार अनुदान संलग्न विवरण-II और III तथा यूएसआईएस स्कीम के तहत राज्य-वार दिए गए अनुदान का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

विवरण-I

एनएसएफ सहायता संबंधी स्कीम के तहत राष्ट्रीय खेल परिसंघों को विधा-वार दी गई अनुदान राशि

(लाख रुपए)

क्र.सं.	परिसंघ का नाम	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	भारतीय एथलेटिक परिसंघ, नई दिल्ली	2.28	309.94	308.30	790.00	81.04	1491.56
2.	भारतीय तीरंदाजी संघ, नई दिल्ली	0.96	360.31	42.10	606.00	143.27	1152.64
3.	अखिल भरतीय शतरंज परिसंघ, चेन्नै	2.71	163.00	180.05	162.13	253.94	761.33
4.	भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ, नई दिल्ली	3.25	658.45	509.53	1440.00	561.47	3172.70
5.	अखिल भारतीय टेनिस संघ, नई दिल्ली	0.79	263.81	256.64	11.29	34.11	566.64
6.	भारतीय जूडो परिसंघ, नई दिल्ली	0.62	49.66	62.33	425.00	108.52	646.13
7.	भरतीय रोइंग परिसंघ सिकंदराबाद	0.55	88.79	64.71	319.00	52.25	525.30
8	भारतीय टेबल टेनिस परिसंघ, नई दिल्ली	1.02	375.51	356.36	360.00	379.51	1472.40
9.	भारतीय तैराकी परिसंघ, अहमदाबाद	0.15	125.07	35.36	122.00	131.28	413.86
10.	भारतीय स्क्वैश रैकेट परिसंघ, चेन्नै	0.33	168.25	146.54	68.40	33.12	416.64
11.	भारतीय एमेच्योर बॉक्सिंग परिसंघ, नई दिल्ली	1.65	174.30	165.89	1531.00	238.71	2111.55
12.	हॉकी (पु.) हॉकी (महिला) से संबंधित संगठन	2.30	762.82	435.76	1809.00	565.20	3575.08
13.	भारतीय भारोत्तोलन परिसंघ, नई दिल्ली	0.26	101.13	116.53	567.00	229.35	1014.27
14.	भारतीय बैडमिंटन संघ	1.70	435.48	150.71	910.00	382.72	2180.61
15.	भारतीय घुड़सवारी परिसंघ, नई दिल्ली	0.86	5.05	0.00	0.00	23.37	29.28
16.	अखिल भारतीय फुटबाल परिसंघ-दिल्ली	0.52	41.90	610.51	174.99	288.14	1116.06
17.	भारतीय गोल्फ यूनियन, नई दिल्ली	0.18	16.43	41.69	23.53	70.76	152.59
18.	भारतीय कुश्ती परिसंघ, आईजी स्टेडियम, दिल्ली	0.02	470.00	153.98	983.00	692.04	2299.04
19.	भारतीय याटिंग संघ, नई दिल्ली	0.36	147.85	85.95	255.00	51.66	540.82
20.	भारतीय एमेच्योर कबड्डी परिसंघ, जयपुर	0.32	11.77	1000	121.00	11.44	154.53
21.	भारतीय बालीबाल परिसंघ, चेन्नै	0.63	73.91	150.53	84.68	153.38	463.13
22.	भारतीय जिम्नॉस्टिक परिसंघ, जोधपुर	0.18	87.80	18.43	636.00	0.00	742.41
23	भारतीय एमेच्योर हैंडबाल परिसंघ, जम्मू और कश्मीर	0.72	13.55	46.44	78.70	46.33	182.74
24.	भारतीय बास्केटबाल परिसंघ, नई दिल्ली	0.44	61.60	24.24	227.89	40.23	354.40

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	भारतीय फेंसिंग संघ, पटियाला	0.24	30.56	174.06	36.06	9.00	249.92
26.	भारतीय कयाकिंग व केनोइंग संघ, नई दिल्ली	0.30	26.21	0.00	185.72	64.64	276.87
27.	बघिरों हेतु अखिल भारतीय खेल परिषद् नई दिल्ली	0.42	23.98	47.65	75.82	59.07	206.94
28.	भारतीय पैराओलंपिक कमिटि, बेंगलुरु	0.40	142.83	221.39	13.38	1.75.46	553.46
29.	विशेष ओलंपिक भारत, नई दिल्ली	0.53	3.81	12.00	285.89	69.28	371.51
30.	अखिल भारतीय कैरम परिसंघ, नई दिल्ली	0.19	13.58	23.77	10.96	783	56.33
31.	अखिल भारतीय कराटे डू परिसंघ, चेन्नई	0.00	0.00	10.18	0.00	0.00	10.18
32.	भारतीय एमेच्योर बेसवाल परिसंघ, चेन्नई	0.11	12.49	14.75	12.75	9.75	49.85
33.	भारतीय आत्या-पात्या परिसंघ, नागपुर	0.16	5.92	12.00	10.50	13.50	42.08
34.	भारतीय साइकल पोलो परिसंघ, नई दिल्ली	0.15	9.34	7.76	12.00	17.55	46.08
35.	भारतीय पोलो संघ, नई दिल्ली	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
36.	भारतीय पावरलिफ्टिंग परिसंघ	0.16	11.50	0.00	0.00	3.50	15.16
37.	भारतीय खो-खो परिसंघ, कोलकाता	0.00	4.50	7.50	16.50	16.50	45.00
38.	भारतीय कोर्फबाल परिसंघ, नई दिल्ली	0.12	13.31	5.50	2.50	0.00	21.43
39.	भारतीय सेपक टाकरों परिसंघ, नागपुर	0.12	8.00	12.00	12.00	12.00	44.12
40.	भारतीय शूटिंग बाल परिसंघ, नई दिल्ली	0.09	12.00	12.00	12.00	1.50	37.59
41.	भारतीय सॉफ्टबाल परिसंघ, इंदौर	0.00	12.25	13.75	11.75	21.00	58.75
42.	भारतीय ताइक्वांडों परिसंघ, बेंगलूरु	0.00	11.89	55.10	490.00	28.05	585.04
43.	भारतीय टेनीक्वाइट परिसंघ, बेंगलूरु	0.16	9.00	19.75	15.25	14.00	58.16
44.	भारतीय टेनिस बाल क्रिकेट परिसंघ, गोरखपुर	0.16	5.00	9.00	8.50	0.00	22.66
45.	भरतीय रस्काकशी परिसंघ, नई दिल्ली	0.06	9.75	16.00	11.25	9.25	46.31
46.	भारतीय वुशू संघ, नई दिल्ली	0.31	30.91	0.00	90.56	75.28	19.06
47.	भारतीय बिलियडर्स एवं स्नूकर परिसंघ, कोलकाता	0.37	38.87	50.11	50.20	88.98	288.53
48.	भारतीय रग्बी फुटबाल यूनियन, मुम्बई	0.00	2.02	1.41	0.00	0.00	3.43
49.	भारतीय साईक्लिग परिसंघ, दिल्ली	0.00	49.78	82.34	0.00	58.34	190.46
50.	भारतीय मलखंभ परिसंघ	0.09	0.16	11.50	0.00	0.00	11.66
51.	भारतीय एमेच्योर साफ्ट टेनिस परिसंघ	0.06	10.75	10.5	11.75	12.22	43.53
52.	भारतीय ब्रिज परिसंघ	0.03	0.00	0.00	0.00	4.50	4.53

1	2	3	4	5	6	7	8
53.	आइस हॉकी (एनएसपीओ), नई दिल्ली	0.01	0.00	0.00	0.00	1.00	1.01
54.	भारतीय स्कूल गेम्स परिसंघ, भोपाल	0.13	43.54	5.20	0.00	6.14	55.01
55.	भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन, नई दिल्ली	2.38	204.00	1324.60	39.54	284.44	1854.96
56.	भा.खे.प्रा., जे.एन. स्टेडियम, नई दिल्ली	10.00	2000.00	3700.16	322.00	7387.77	13419.93
57.	भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एनएसपीओ)	0.00	158.45	381.00	160.89	8.09	708.43
58.	भारतीय टेनपिन परिसंघ	0.00	0.00	55.10	0.00	0.00	55.10
59.	भारतीय बालिंग परिसंघ	0.00	56.86	64.27	0.00	0.00	121.13
60.	बाल बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ इंडिया	0.00	0.00	0.00	0.00	18.69	18.69
61.	भारतीय नेटबाल परिसंघ	0.18	65.00	0.00	0.00	0.00	65.18
62.	जम्प रोप फेडरेशन ऑफ इंडिया	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09	8.09
63.	भारतीय शीतकालीन खेल परिसंघ	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
	योग	39.31	7992.64	10337.18	1360338	13057.26	45029.77
64.	राष्ट्रीय कोचिंग कैंपों तथा विदेशी कोचों के वेतन के लिए जारी निधियां						8806.21
	कुल योग						53835.98

विवरण-II

वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान खेल मैदानों के विकास के लिए पायका स्कीम के अंतर्गत जारी राज्य-वार निधियां

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	12.99	12.99	25.98	25.98*	10.63
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	4.44	10.51	—	—
3.	असम	—	3.85	—	—	10.28
4.	बिहार	5.22	5.02	—	—	—
5.	छत्तीसगढ़	—	5.06	—	—	25.27
6.	गोवा	—	0.18	—	—	0.18
7.	गुजरात	—	7.10	2.55	13.43*	—
8.	हरियाणा	3.26	3.25	14.43	5.09	—
9.	हिमाचल प्रदेश	2.01	2.01	8.80	3.66	6.34

1	2	3	4	5	6	7
10.	जम्मू और कश्मीर	2.66	2.10	—	0.56*	—
11.	झारखंड	—	2.39	—	2.40*	—
12.	कर्नाटक	—	3.12	14.86	—	9.61
13.	केरल	0.80	0.80	11.17	—	10.36
14.	मध्य प्रदेश	11.82	—	—	39.99	—
15.	महाराष्ट्र	8.91	4.86	41.94	—	—
16.	मणिपुर	0.87	—	—	0.22	—
17.	मेघालय	—	1.06	1.19	1.72	—
18.	मिज़ोरम	0.85	0.21	2.27	2.07*	2.07
19.	नागालैंड	1.18	0.30	2.96	4.70	—
20.	ओडिशा	3.67	8.05	5.98	7.34*	19.21
21.	पंजाब	6.27	6.27	26.66	—	—
22.	राजस्थान	3.71	4.72	—	2.75	—
23.	सिक्किम	0.54	0.13	2.02	1.66	2.51
24.	तमिलनाडु	500	1.91	—	—	—
25.	त्रिपुरा	1.09	—	3.24	4.09	—
26.	उत्तर प्रदेश	10.00	16.96	62.27	18.39*	9.03
27.	उत्तराखंड	3.00	5.90	19.43	—	3.38
28.	पश्चिम बंगाल	—	2.32	2.32	—	—
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	1.06	—	—
30.	लक्षद्वीप	—	—	0.51	—	—
31.	पुदुचेरी	—	—	0.69#	—	—
32.	दमन और दीव	—	—	—	—	0.14
33.	वार्षिक प्रतियोगिताओं के लिए जारी निधियां				30.97	—
	कुल	83.85**	105.00	260.84	165.02	109.01

*पिछले वर्षों के दौरान अनुमोदित प्रस्तावों के प्रति जारी निधियों।

**92 करोड़ रुपए के परिव्यय में से शर्तों को पूरा करने पर 83.85 करोड़ रुपए/राज्यों को जारी किए गए थे तथा 8.15 करोड़ रुपए वार्षिक प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए राज्यों को जारी किए जाने के लिए साई को दिए गए।

#व्यय न की गई अवशेष राशि में से साई द्वारा निधियां संघ राज्यक्षेत्र पुदुचेरी को जारी कर दी गई है।

विवरण-III

वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान ब्लॉक, जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित वार्षिक प्रतियोगिताओं करने के लिए राज्य-वार राज्य-वार निधियां

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/साई/एनवाईकेएस को जारी की गई राशि (करोड़ रुपए)									
		2008-09	2009-10	2010-11		2011-12			2012-13		
				ग्रामीण प्रतियोगिताएं	महिला प्रतियोगिताएं	ग्रामीण प्रतियोगिताएं	महिला प्रतियोगिताएं	उत्तर पूर्व	ग्रामीण प्रतियोगिताएं	महिला प्रतियोगिताएं	उत्तर पूर्व
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	0.78	0.95	11.26	–	–	–	–	11.16	0.34	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.93	–	2.05	–	–	–	–	–	–	–
3.	असम	1.88	–	2.96	0.38	–	–	–	–	–	–
4.	बिहार	–	3.42	6.19	–	–	–	–	–	–	–
5.	छत्तीसगढ़	–	1.17	2.01	–	1.95	0.28	–	1.99	0.32	–
6.	गोवा	–	–	0.18	0.08	–	–	–	–	–	–
7.	गुजरात	–	–	2.69	–	–	–	–	–	–	–
8.	हरियाणा	–	1.10	1.50	0.31	1.51	0.09	–	0.62	0.23	–
9.	हिमाचल प्रदेश	–	0.70	1.18	0.15	1.11	0.13	–	1.12	0.14	–
10.	जम्मू और कश्मीर	–	–	2.10	–	–	–	–	–	–	–
11.	झारखंड	–	–	2.81	0.35	–	–	–	–	–	–
12.	कर्नाटक	–	1.42	2.52	0.42	2.17	–	–	2.58	0.69	–
13.	केरल	–	–	1.32	–	–	0.23	–	–	–	–
14.	मध्य प्रदेश	–	2.64	4.13	0.66	4.37	0.54	–	4.18	0.57	–
15.	महाराष्ट्र	–	–	3.88	0.48	–	–	–	3.44	–	–
16.	मणिपुर	–	0.47	–	–	–	–	–	0.75	0.17	0.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	मेघालय	—	—	0.67	0.12	—	—	0.08	0.67	—	—
18.	मिज़ोरम	—	0.37	0.58	0.13	—	—	0.10	1.06	0.13	0.10
19.	नागालैंड	—	0.56	—	0.13	—	—	—	0.91	—	0.12
20.	ओडिशा	—	2.11	3.85	0.42	—	—	—	3.86	0.53	—
21.	पंजाब	1.97	1.18	1.55	0.30	—	—	—	—	0.24	—
22.	राजस्थान	—	1.93	—	—	1.72	—	—	3.42	0.46	—
23.	सिक्किम	—	0.32	—	—	1.12	—	0.08	1.12	—	—
24.	तमिलनाडु	—	2.63	4.66	0.44	—	—	—	0.81	0.44	—
25.	त्रिपुरा	0.37	0.36	0.67	0.11	0.60	0.11	0.09	0.76	0.16	—
26.	उत्तर प्रदेश	—	2.55	9.47	—	8.20	—	—	—	—	—
27.	उत्तराखंड	—	1.03	1.38	0.09	1.29	0.11	—	0.18	0.10	—
28.	पश्चिम बंगाल	—	—	3.31	—	—	—	—	—	—	—
	संघ राज्य क्षेत्र										
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30.	चंडीगढ़				0.03	—	—	—	—	—	—
	कुल	5.93	24.91	72.92	4.60	24.03	1.49	0.35	39.63	4.52	0.32
31.	राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजक राज्यों/साई केंद्रों इत्यादि को जारी निधियां		—	—	—	2.60	—	2.50	—	—	—
32.	अंतर विद्यालय प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए एनवाईकेएस को अनुदान		—	10.53	—	—	—	—	—	—	—
	कुल योग	5.93	24.91	83.45	4.60	26.63	1.49	2.85	39.63	4.52	0.32

विवरण-IV

वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 में खेल अवसंरचना परियोजनाओं (यूएसआईएस) के सृजन/ उन्नयन के लिए शहरी खेल अवसंरचना स्कीम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी अनुदान (इस स्कीम को वर्ष 2010-11 में आरंभ किया गया था

2010-11 (करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य	परियोजना	जारी अनुदान
1	2	3	4
1.	हिमाचल प्रदेश	इंद्रा स्टेडियम, ऊना में सिंथेटिक हॉकी सतह बिछाना	3.50
2.	मिज़ोरम	ब्वाइज हॉकी अकादमी, क्वानपुर में सिंथेटिक हॉकी सतह बिछाना	4.00
3.	पंजाब	तरन तारन में बहुउद्देश्यीय इंडोर हॉल का निर्माण	2.00
4.	पश्चिम बंगाल	खुदी राम अनुशीलन, इडन गार्डन, कोलकाता में इंडोर खेल परिसर का नवीकरण/संशोधन और आधुनिकीकरण	3.00
		कुल	12.50

2011-12

1.	ओडिशा	कलिंगा, स्टेडियम, खेल परिसर में सिंथेटिक हॉकी सतह बिछाना	5.00
2.	मध्य प्रदेश	रानीताल खेल परिसर, जबलपुर में सिंथेटिक हॉकी सतह बिछाना	3.62
3.	राजस्थान	उमेद स्टेडियम, जोधपुर में बहुउद्देशीय इंडोर हाल का निर्माण	450
4.	नागालैंड	इंदिरा गांधी स्टेडियम, कोहिमा में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बिछाना	3.00
5.	मिज़ोरम	मुआलपुई, आइजवाल में बहुउद्देश्यीय इंडोर हॉल का निर्माण	4.50
6.	मेघालय	जे.एन. खेल परिसर, शिलांग में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बिछाना	4.30
7	असम	साई-एसएजी सेंटर तिनसुकिया में बहुउद्देश्यीय इंदोर हॉल का निर्माण	3.20
8.	जम्मू और कश्मीर	टीआरसी ग्राउंड, श्रीनगर में फुटबाल टर्फ ग्राउंड का निर्माण	4.47
9	पुदुचेरी	टैगोर आर्टस कॉलेज ग्राउंड, लाउसपेट में बहुउद्देश्यीय इंडोर हॉल का निर्माण	3.54
10.	केरल	नेहरू स्टेडियम, कोटाइम में बहुउद्देश्यीय इंदोर हाल का निर्माण	3.87
		कुल	40.00

2012-13

1.	हरियाणा	खेल परिसर, हिसार में सिंथेटिक हॉकी खेल का मैदान (सामान्य प्रकाश व्यवस्था सहित) बनाना	3.75

1	2	3	4
2.	मणिपुर	सेनापति जिला मुख्यालय में बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का निर्माण	1.80
3.	हरियाणा	दरियापुर, जिला फतेहाबाद में फुटबाल के लिए कृत्रिम टर्फ बिछाना	3.50
4.	छत्तीसगढ़	कोंडागांव, जिला कोंडागांव में बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का निर्माण	1.79
5.	राजस्थान	करौली, जिला करौली में बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का निर्माण	
6.	ओडिशा	कलिंगा राज्य खेल परिसार, भुवनेश्वर में फुटबाल टर्फ बिछाना	
7.	तमिलनाडु	वाडुवर हायर सैंकेंडरी स्कूल, जिला थिरूवरूर में बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का निर्माण	
8.	ओडिशा	कलिंगा राज्य खेल परिसर, भुवनेश्वर में फुटबाल टर्फ बिछाना	3.50
9.	अरुणाचल प्रदेश	खेल परिसर, चिम्पू, इटानगर में एस्ट्रो टर्फ हॉकी फील्ड बिछाना	1.26
10	राजस्थान	आलवर, राजस्थान में बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का निर्माण	1.00
11.	मिज़ोरम	ब्यॉज हॉकी अकादमी, क्वानपुई में हॉकी एस्ट्रो टर्फ बिछाने की परियोजना, जिसे 24 मार्च, 2011 (2010-11) में मंजूरी दी गई थी, की शेष किस्त	1.00

[अनुवाद]

पोत परिवहन क्षेत्र परियोजना

1718. श्री प्रदीप माझी : क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए पोत परिवहन क्षेत्र परियोजना हतु लक्ष्य निर्धारित किए हैं:-

(ख) यदि हां, तो परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न परियोजनाओं हेतु निधियां जुटाने हेतु पोत पत्तनों को सुकर बनाने के लिए कर मुक्त बांड योजना को एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो गत वर्ष के दौरान जुटाई गई निधियों का ब्यौरा क्या है और उक्त योजना के दौरान बढ़ाई गई अवधि के दौरान कितनी निधियां जुटाए जाने की संभावना है; और

(ङ) गत वर्ष जुटाई गई निधियों का विभिन्न पोत पत्तनों द्वारा किस हद तक उपयोग किया गया है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2012-13 में सौंपी गईं और वर्ष 2013-14 के लिए लिक्षित पत्तन परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण के रूप में दिया गया है।

(ग) जी, हां। नौवहन क्षेत्र के लिए कर मुक्त बांड की योजना वर्ष 2012-13 से आगे एक और वर्ष के लिए अर्थात् 2013-14 तक बढ़ा दी गई है।

(घ) वर्ष 2012-13 में कर मुक्त बांड के द्वारा जुटाई गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए में)

संगठन का नाम	कर मुक्त बॉन्ड के माध्यम से जुटाई गई राशि
भारतीय निकर्षण निगम (डीसीआई)	58.88
इन्नौर पत्तन लिमिटेड (ईपीएल)	94.65
जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी)	41.32

बढ़ाई गई अवधि के दौरान इन्नौर पत्तन लिमिटेड का प्रस्ताव 500 करोड़ रुपए जुटाने का है।

(ङ) पिछले वर्ष डीसीआई, ईपीएल और जेएनपीटी द्वारा जुटाई गई निधियों का उपयोग संबंधित संगठनों द्वारा पूरी तरह कर दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2012-13 के दौरान सौंपी गई पत्तन परियोजनाएं

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना की अनुमानित लागत
1	2	3
1.	वीओसीपीटी, तूतीकोरिन घाट संख्या-8 का कंटेनर टर्मिनल के रूप में रूपांतरण – 7.20 एमटीपीए	312.23
2.	**कांडला :** घाट संख्या 14 – 2.0 एमटीपीए	188.88
3.	जेएनपीटी एनएसआईसीटी टर्मिनल के उत्तर में 330 मीटर लंबी क्वे के साथ स्टैंड अलोन कंटेनर संभलाई सुविधा का विकास – 10.00 एमटीपीए	600.00
4.	मुरगांव घाट संख्या 11 पर 2 एसएमटीपीए यंत्रीकृत कोयला आयात टर्मिनल का विकास – 2.00 एमटीपीए	204.00
5.	**कांडला :** कांडला पत्तन पर रेणुका शुगर्स के लिए कैप्टिल घाट – 1.5 एमटीपीए	22.00
6.	वीओसीपीटी, तूतीकोरिन सीमेंट के संभलाई के लिए उथले डुबाव वाले घाट का निर्माण – 2.30 एमटीपीए	86.17
7.	**चेन्नई :** भारती डॉक पर ब्यार्ज जेटी का विकास – 1.00 एमटीपीए	27.29
8.	**वीओसीपीटी, तूतीकोरिन :** थर्मल कोयला और कॉपर कन्सन्ट्रेट की संभलाई के लिए एनसीबी-IV का विकास – 7.28 एमटीपीए	355.00
9.	**कोलकाता (एचडीसी) :** कैप्टिव आधार पर कार्गों की संभलाई के लिए हल्दिया डॉक परिसर में हुंगली नदी पर बार्ज संभलाई जेटी की स्थापना – 0.8 एमटीपीए	98.00
10.	**एनएमपीटी :** मैसर्स अम्बुजा सीमेंट लि. के लिए बल्क सीमेंट संभलाई सुविधा की स्थापना – 1.00एमटीपीए	95.00
11.	**मुरगांव :** एसडब्ल्यूपीएल द्वारा संस्थापित रैपिड इन मोशन वैगन लोडिंग सुविधा द्वारा कार्गो संभलाई क्षमता को बढ़ाना – 2.5 एमटीपीए	70.00
12.	**वीओपीटी, तूतीकोरिन :** घाट संख्या 1 से 6 और घाट संख्या 9 में उपस्करों का उन्नयन – 5.00 एमटीपीए	49.20
13.	**इन्नौर :** फेज़-II मैरीन लिक्विड टर्मिनल का विकास – 0.60 एमटीपीए	167.00
14.	**पारादीप :** घाट सीक्यू-3 का यंत्रीकरण – 0.25 एमटीपीए	40.00
15.	**मुरगांव :** एसडब्ल्यूपीएल द्वारा संस्थापित रैपिड इन मोशन वैगन लोडिंग सुविधा द्वारा कार्गो संभलाई क्षमता को बढ़ाना	50.00
16.	**मुरगांव :** मोबाइल हार्बर क्रेन्स का अधिग्रहण – 2.50 एमटीपीए	36.00
17.	**कोचीन :** मोबाइल हार्बर क्रेनों का अधिग्रहण – 2.80 एमटीपीए	19.00
18	**मुंबई :** मुंबई पत्तन में पीपपाव पर दूसरे तरल रसायन घाट का निर्माण – 2 एमटीपीए	130.00
19.	**जेएनपीटीएमसीबी :** पर एक नए सुपर पोस्ट पैनामैक्स आकार के आरएमक्यूसी का अधिग्रहण – 1.80 एमटीपीए	33.00

1	2	3
20.	**जेएनटीपी :** लाइन संख्या 1 और 2 पर 1 आरएमजीसी का प्रतिस्थापन — 0.01 एमटीपीए	22.65
21.	**कोलकाता :** घाट संख्या 5 एनएसडी का यंत्रीकरण (2 मोबाइल हार्बर क्रेनों की स्थापना) — 2.25 एमटीपीए	26.00
22.	**कोलकाता :** हल्दिया डॉक परिसर के घाट संख्या 4बी पर 2 मोबाइल हार्बर क्रेनों की आपूर्ति, प्रचालन और रखरखाव — 1.45 एमटीपीए	60.00
23.	विशाखापत्तनम एसएल कनाल में टगों/हार्बर जलायानों के लिए जेटियों/सुविधाओं का पुन:स्थानन — 1.00 एमटीपीए	31.62
24.	**एनएमपीटी :** घाट संख्या 13 का निर्माण (पीओएल घाट) — 7.80 एमटीपीए	79.17
25.	कांडला बंदर बेसिन पर बार्ज संभलाई सुविधाओं का उन्नयन — 4.71 एमटीपीए	49.20
26.	**चेन्नई :** 1,40,000 डीडब्ल्यूटी तक के जलयानों की संभलाई के लिए बीडी-III पर मूरिंग डॉल्फिन का पुनर्निर्माण — 2.40 एमटीपीए	6.04
27.	**कोचीन :** 90 छोटे और 120 मध्यम आकार के पोतों के लिए पोत मरम्मत सुविधा का विकास — 0.00 एमटीपीए	785.00
28.	**एनएमटीपी :** मंगलौर तट से एसपीएम सुविधाओं और क्रूड बूस्टर पम्पिंग स्टेशन (ओएनजीसी) की स्थापना — 18 एमटीपीए	1143.00
29.	**पारादीप :** पारादीप में आईओसीएल रिफाइनरी के लिए 2 एसपीएम — 22 एमटीपीए	1500.00
30.	**इन्नौर :** टीएनईबी के लिए इन्नौर पत्तन लि. में कोयला घाट-2 में 2000 एमटी/घंटा की क्षमता वाले तट पर आधारित 2 अनलोडर्स की स्थापना — 4 एमटीपीए	82.88
31.	**कोचीन :** अंतर्राष्ट्रीय बंकरिंग टर्मिनल — बहुउद्देशीय लीक्विड टर्मिनल का निर्माण (आईओसीएल के लिए तेल और एलपीजी जेटी) — 4.10 एमटीपीए	20630
32.	**पारादीप :** मैसर्स आईओसीएल द्वारा दक्षिण तेल जेटी का निर्माण — 10.00 एमटीपीए	191.00

वर्ष 2013-14 के दौरान सौंपी गई पत्तन परियोजनाएं

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना की अनुमानित लागत
1	2	3
1.	**विशाखापत्तनम :** कंटेनर टर्मिनल का विस्तार — 4.79 एमटीपीए	633.11
2.	**विशाखापत्तनम :** ड्राई बल्क कार्गो की संभलाई के लिए वीपीटी के अंदरूनी बंदरगाह की उत्तरी शाखा में डब्ल्यूक्यू-I पर यंत्रीकृत लौह अयस्क संभलाई सुविधाओं की स्थापना और वीपीटी पर अयस्क संभलाई परिसर का आधुनिकीकरण — 23.70 एमटीपीए	94.00

1	2	3
3.	**कांडला :** ओल्ड कांडला में पोत बंकरिंग टर्मिनल पर तरल कार्गो की संभलाई के लिए तेल जेटी का विकास – 3.39 एमटीपीए	233.25
4.	**कांडला :** कच्छ की खाड़ी में वीरा पर सिंगल प्वाइंट मूरिंग (एसपीएम) और सहायक सुविधाओं की स्थापना – 12.00 एमटीपीए	621.52
5.	**कांडला :** कांडला पत्तन की 7 और 8 ड्राई कार्गो घाटों के यंत्रीकरण के लिए 6 मोबाइल हार्बर क्रेनों को किराए पर लेना – 9.00 एमटीपीए	400.00
6.	**वीओसीपीटी, तूतीकोरिन :** वीओसी पत्तन न्यास में थर्मल कोयले ओर रॉक फॉस्फेट की संभलाई के लिए एनसीबी-III का विकास – 7.28 एमटीपीए	420.00
7.	**कोचीन :** मैसर्स जूआरी सीमेंट लि. द्वारा कोचीन पत्तन पर सीमेंट बैगिंग संयंत्र के लिए सुविधाओं की स्थापना – 0.3 एमटीपीए	47.00
8.	**कोलकाता :** हल्दिया डॉक परिसर, कोलकाता पर मैसर्स टाटा के लिए बार्ज जेटी-II – 1.00 एमटीपीए	30.00
9.	**इन्नौर :** इन्नौर पत्तन में मैसर्स चेटिनाड इंटरनैशनल कोल टर्मिनल प्रा.लि. द्वारा विकसित विद्यमान नॉन टीएनईबी कोल टर्मिनल का उन्नयन – 2.00 एमटीपीए	100.00
10.	**कांडला :** बाहरी तूना बे पर लाइसेंस आधार पर 6 फ्लोटिंग क्रेनों का काम प्रारंभ करना – 6.00 एमटीपीए	400.00
11.	**विशाखापत्तनम :** ड्राई बल्क कार्गो की संभालई के लिए डब्ल्यूक्यू-7 ओर ब्रेक बल्क कार्गो और निर्यात बल्क कार्गो की संभलाई के लिए डब्ल्यूक्यू-8 का विकास – 4.78 एमटीपीए	221.14
12	**एनएमपीटी :** एनएमपीटी में 10 टन की 3 व्हार्फ क्रेनों के प्रतिस्थापन के रूप में 2 मोबाइल हार्बर क्रेनों का प्रतिस्थापना – 1.00 एमटीपीए	47.87
13.	**जेएनपीटी :** जेएनपीटी में रबड़ के टायरों वाली 6 गैन्ट्री क्रेनों की आपूर्ति का कार्य सौंपना – 6.5 एमटीपीए	72.00
14.	**एनएमपीटी :** एनएमपीटी में सामान्य कार्गो और कंटेनरों की संभलाई के लिए बहुउद्देशीय घाट संख्या 18 का निर्माण – 5.00 एमटीपीए	137.00
15.	**इन्नौर :** बहुकार्गो घाट का विकास – 2.00 एमटीपीए	100.00
16.	**पारादीप :** पारादीप पत्तन पर दक्षिणी डॉक में स्वच्छ बहु-कार्गो घाटा का विकास – 5 एमटीपीए	387.31
17.	**चेन्नई :** चेन्नई पत्तन में पत्तन उपस्करों का आधुनिकीकरण (एचएमसी और अन्य कार्गो संभलाई उपस्करों की आपूर्ति और प्रचालन) – 5.00 एमटीपीए	70.00
18.	**इन्नौर :** इन्नौर पत्तन पर कंटेनर टर्मिनल का विकास – 16.80 एमटीपीए	1270.00
19.	**कोचीन :** कोचीन पत्तन में क्यू-1 से क्यू-3 सीजीबी घाटों का पुनर्निर्माण का विकास (पीपीपी माध्यम से बहुउद्देशीय टर्मिनल के रूप में मट्टचेरी व्हार्फ में क्यू-1-क्यू-3 घाटों का विकास) – 1.87 एमटीपीए	260.00

1	2	3
20.	**कोलकाता :** हल्दिया डॉक-II का विकास (उत्तर) — 11.70 एमटीपीए	821.40
21.	**चेन्नई :** चेन्नई प त्तन में बल्क तथा ब्रेक बल्क कार्गो की संभलाई के लिए जेडी पूर्वी घाटों का आधुनिकीकरण — 5.00 एमटीपीए	475.00
22.	**इन्नौर :** इन्नौर पत्तन पर आईओसीएल द्वारा एलएनजी टर्मिनल का विकास — 5.00 एमटीपीए	4512.00
23.	**जेएनपीटी :** अतिरिक्त तरल बल्क टर्मिनल का विकास-फेज़-I — 7.5 एमटीपीए	1100.00
24.	**इन्नौर :** इन्नौर पत्तन पर टीएनईबी के लिए कोयला घाट संख्या 3 का निर्माण — 9.00 एमटीपीए	150.00
25.	**चेन्नई :** चेन्नई पत्तन में वैकल्पिक कार्गो की संभलाई के लिए बीडी-II का विकास — 3.00 एमटीपीए	300.00
26.	**जेएनपीटी :** जेएनपीटी में 1000 मीटर की लंबाई के कंटेनर टर्मिनलों का विकास — फेज़-I	7915.00
	जेएनपीटी में 1000 मीटर की लंबाई के कंटेनर टर्मिनलों का विकास — फेज़-II — 60.00 एमटीपीए	
27.	**मुरगांव :** बल्क/ब्रेक बल्क कार्गो की संभलाई के लिए घाट संख्या 4 परियोजना - 0.2 एमटीपीए	35.00
28.	**कोचीन :** क्यू8 - क्यू8 घाटों पर सामान्य कार्गो टर्मिनल का विकास (कोचीन पत्तर पर कोयला संभलाई का आधुनिकीकरण) — 4.23 एमटीपीए	198.00
29.	**मुंबई :** मुंबई पत्तन में अपतटीय बहुउद्देशीय कार्गो घाट का विकास - 4.00 एमटीपीए	638.00
30.	**कांडला :** कांडला पत्तन के लिए तूना-टेकरा पर कंटेनर टर्मिनल की स्थापना - 62 एमटीपीए	5999.00

परिवहन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग

1719. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री प्रदीप माझी :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर हाल ही में चर्चा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर स्विट्जरलैंड सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) परिवहन क्षेत्र में बेहतर पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों की साझेदारी के द्वारा सहयोग बढ़ाने के लिए इन दोनों देशों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न पैदा नहीं होते।

एस्बेसट्स नियंत्रण इकाई को अनुमति

1720. श्री एस.आर. जेयदुरई :

श्री डी.बी. चन्द्र गौडा :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश में एस्बेसट्स निर्माण इकाइयों/इस पर आधारित फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और देश में एस्बेसट्स निर्माण इकाई की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या ये फैक्ट्रियां पर्यावरण संबंधी मानदंडों का उल्लंघन कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसी फैक्ट्रियां पर्यावरण संबंधी मानदंडों का उल्लंघन कर रही हैं;

(ङ) क्या देश में एस्बेसट्स से जुड़ी बीमारियों के संबंध में महामारी विज्ञान का अध्ययन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो इस अध्ययन के परिणाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (घ) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को देश में किसी उद्योग को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार नहीं है। तथापि, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के अनुसार, एस्बेसट्स मिलिंग और एस्बेसट्स आधारित उत्पादों को उक्त अधिसूचना की अनुसूची 4(ग) के अंतर्गत शामिल किया गया है और जिसके लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) से पर्यावरण स्वीकृति अपेक्षित है। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के पश्चात् पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा एस्बेसट्स मिलिंग की स्थापना और एस्बेसट्स आधारित उत्पादों संबंधी प्रस्तावों को पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है। वर्ष 1997 से 2013 के दौरान पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 84 एस्बेसट्स निर्माण इकाइयों को पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। सीपीसीबी द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, इन उद्योगों द्वारा पर्यावरणीय मानकों के उल्लंघन की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ङ) और (च) सीपीसीबी ने इंडस्ट्रीयल टोक्सीकॉलोजिकल रिसर्च सेंटर, लखनऊ के माध्यम से "भारत में एस्बेसट्स आधारित उद्योगों से मानव स्वास्थ्य पर खतरा संबंधी मूल्यांकन अध्ययन" कराया है और इसे अगस्त, 2008 में प्रकाशित कराया। एस्बेसट्स सीमेंट फैक्टरी में कराए गए मरक-विज्ञान अध्ययन से पता चला कि वे आबादी जो एस्बेसट्स फाईबर्स के जोखिम से ग्रस्त हैं, नियंत्रक आबादी जो एस्बेसट्स फाईबर्स के जोखिम से ग्रस्त नहीं हैं, उसकी तुलना में उनके फेफड़े के कार्य की विकृति में अच्छी-खासी वृद्धि हुई है। इसके अलावा, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के प्रायोजन से नेशनल इंस्टिच्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ ने देश में एस्बेसट्स के क्राईसोटाईल किस्म के प्रयोग से होने वाले स्वास्थ्य खतरे/पर्यावरणीय खतरे संबंधी अध्ययन भी कराया है।

विवरण

एस्बेसट्स निर्माण इकाइयों की स्थापना हेतु पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा राज्य-वार पर्यावरणीय स्वीकृति

क्र. सं.	राज्य		कंपनी/प्रस्तावक	पर्यावरणीय स्वीकृति की संख्या
1	2		3	4
1.	आंध्र प्रदेश	(i)	मैसर्स सालादरी उद्योग लिमिटेड	08
		(ii)	मैसर्स हैदराबाद उद्योग लिमिटेड	
		(iii)	मैसर्स विसाका उद्योग लिमिटेड	
		(iv)	मैसर्स वैंकटेश्वर पाईप्स लिमिटेड	
		(v)	मैसर्स सत्यम सीमेंट्स	
		(vi)	मैसर्स श्री वैंकटेशवर पाईप्स लिमिटेड (एक्सपेशन)	
		(vii)	मैसर्स हैदराबाद उद्योग (एक्सपेंशन)	
		(viii)	मैसर्स रामको उद्योग	
2.	असम	(i)	मैसर्स जम्बो रुफिंग्स एंड टाईल्स	04
		(ii)	ओ.पी. खरे जनरल मैनेजर (वर्कस), मैसर्स अमबो रफिंग्स एंड टाईल्स, हाउस नं. 62, बाई लेन नं. 2, तरुण नगर, एबीसी, जीएस रोड, गुवाहाटी-781005	
		(iii)	मैसर्स असम रुफिंग लिमिटेड	
		(iv)	मैसर्स नार्थ इष्ट रुफिंग (प्रा.) लिमिटेड	

1	2		3	4
3.	बिहार	(i)	मैसर्स ए इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	04
		(ii)	मैसर्स रामको इंडस्ट्रीज लिमिटेड	
		(iii)	मैसर्स बालमुकुन्द सीमेंट एंड एस्वेसट्स लिमिटेड	
		(iv)	मैसर्स निभी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	
4.	छत्तीसगढ़	(i)	मैसर्स विल्सन्स रुफिंग प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड	01
5.	गुजरात	(i)	मैसर्स रामको इंडस्ट्रीज लिमिटेड	10
		(ii)	मैसर्स भक्ति एसोसिएटस	
		(iii)	मैसर्स वर्धमान रुफिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	
		(iv)	मैसर्स चैम्पियन ज्वाइंटिंग प्राइवेट लिमिटेड	
		(v)	मैसर्स विसाका इंडस्ट्रीज लिमिटेड	
		(vi)	मैसर्स न्यू शायाद्री इंडस्ट्रीज	
		(vii)	मैसर्स गुजरात प्रेशर पाईप्स	
		(viii)	मैसर्स रामको इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एक्सपेशन)	
		(ix)	मैसर्स फायरसील इन्सूलेशन्स प्राइवेट लिमिटेड	
		(x)	मैसर्स एम.आर.के. पाईप्स लिमिटेड	
6.	हरियाणा	(i)	मैसर्स ए.एस.के. ऑटोमोटिव (प्राइवेट) लिमिटेड (यूनिट-II)	02
		(ii)	मैसर्स एम.आर.के. पाईप्स लिमिटेड	
7.	कर्नाटक	(i)	मैसर्स विसाका इंडस्ट्रीज लिमिटेड (सम्बलपुर)	02
		(ii)	मैसर्स विसाका इंडस्ट्रीज लिमिटेड (तुमकुड़)	
8.	मध्य प्रदेश	(i)	मैसर्स रोयल यूनिटोर्स रुफिंग प्राइवेट लिमिटेड	02
		(ii)	मैसर्स निभी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	
9.	महाराष्ट्र	(i)	मैसर्स यू.पी. एसबेसटोस लिमिटेड	07
		(ii)	मैसर्स विसाका इंडस्ट्रीज लिमिटेड	
		(iii)	मैसर्स एवरेस्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड	
		(iv)	मैसर्स विल्सन्स रुफिंग प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड	
		(v)	मैसर्स न्यू साहयाद्री इंडस्ट्रीज लिमिटेड	
		(vi)	मैसर्स हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड	
		(vii)	मैसर्स एट्रनिट एवरेस्ट लिमिटेड	

1	2		3	4
10.	ओडिशा	(i)	मैसर्स यूएएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	04
		(ii)	मैसर्स विसाका इंडस्ट्रीज लिमिटेड	
		(iii)	मैसर्स एचआईएल लिमिटेड	
		(iv)	मैसर्स हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड	
11.	पंजाब	(i)	मैसर्स स्टुर्डी इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	01
12.	राजस्थान	(i)	मैसर्स एमआरके पाईप्स लिमिटेड	14
		(ii)	मैसर्स श्री हरि पाईप्स (प्राइवेट) लिमिटेड	
		(iii)	मैसर्स अंकित रुफिंग लिमिटेड	
		(iv)	मैसर्स एआरएल इन्ट्रच	
		(v)	मैसर्स जी.जी. पाईपस प्राइवेट लिमिटेड	
		(vi)	मैसर्स मोहित पाईपस प्राइवेट लिमिटेड	
		(vii)	मैसर्स गुप्ता इंजीनियरिंग वर्कस	
		(viii)	मैसर्स आगम सीमेंट प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड	
		(ix)	मैसर्स गणपति एसबेस्टर प्राइवेट लिमिटेड	
		(x)	मैसर्स अंकित रुफिंग लिमिटेड (विस्तार)	
		(xi)	मैसर्स ए इन्ट्रास्टक्चर लिमिटेड	
		(xii)	मैसर्स सिद्धिर्थ उद्योग	
		(xiii)	मैसर्स जी.बी. एस्बेरट्स लिमिटेड	
		(xiv)	मैसर्स रुटिट इंडस्ट्रीज लिमिटेड	
13.	तमिलनाडु	(i)	मैसर्स निभि इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	07
		(ii)	मैसर्स प्रीमियर बिल्डिंग मैटिरीयल्स प्राइवेट लिमिटेड	
		(iii)	मैसर्स रामको इंडस्ट्रीज लिमिटेड	
		(iv)	मैसर्स विसाका इंडस्ट्रीज लिमिटेड	
		(v)	मैसर्स एवरेस्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड	
		(vi)	मैसर्स न्यू सहयाद्री इंडस्ट्रीज लिमिटेड	
		(vii)	मैसर्स रामको इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एक्सपेंशन)	
14.	उत्तर प्रदेश	(i)	मैसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड	09
		(ii)	मैसर्स उत्कल एस्बेस्ट्स लिमिटेड	

1	2		3	4
		(iii)	मैसर्स जेपी सीमेंट प्रोडक्ट्स	
		(iv)	मैसर्स हैदराबाद इंडस्ट्रीज	
		(v)	हैदराबाद इंडस्ट्रीज	
		(vi)	मैसर्स विसाका इंडस्ट्रीज	
		(vii)	यूपी. एसबेस्टोस लिमिटेड	
		(viii)	यूपी. एसबेसटोस लिमिटेड (ट्रांसफर केस)	
		(ix)	एक्सपेन्सन ऑफ मैसर्स यू.पी. एसबेस्टोस	
15.	उत्तराखंड	(i)	मैसर्स ऐक्वा इन्फ्रास्ट्रचर प्रोजक्ट्च लिमिटेड	02
		(ii)	मैसर्स ऐवरेस्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड	
16.	पश्चिम बंगाल	(i)	मैसर्स रामको इंडस्ट्रीज लिमिटेड	07
		(ii)	मैसर्स यूएएल बंगाल लिमिटेड	
		(iii)	मैसर्स स्वराज ऐसबेसटोस लिमिटेड	
		(iv)	मैसर्स यूएएल बंगाल (एक्सप्रेस)	
		(v)	मैसर्स महादेव ऐसबेस्टोस (प्राइवेट) लिमिटेड	
		(vi)	मैसर्स विसाका इंडस्ट्रीज लिमिटेड	
		(vii)	मैसर्स रामको इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एक्सपेंशन केस)	
			कुल योग	84

[हिन्दी]

एनवाईकेएस में रिक्त पद

1721. श्री राजू शेट्टी :
श्री पी.टी. थॉमस :

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेहरू युवा केन्द्र संगठन के कार्यक्रमों का पुनर्निर्धारण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में जिला युवा समन्वयकों के रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है और रिक्त पदों को भरने के लिए कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार और अधिक एनवाईकेएस की स्थापना करने और इस राष्ट्रीय संगठन को मजबूत बनाने के लिए और अधिक सहयोग स्टाफ भर्ती करने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो इसके लिए किन-किन स्थानों को चिन्हित किया गया है और पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी रीशि आवंटित की गई है; और

(च) सरकार द्वारा एनवाईकेएस के लिए निधियों में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले कुछ वर्षों के दौरान नेहरू युवा केंद्र संगठन ने अपने दायरे को बढ़ावा है जिसमें जिला नेहरू युवा केद्रों की संख्या 501 से बढ़ाकर

623 तथा जोनल कार्यालयों की संख्या 18 से बढ़ाकर 28 कर दी गई है। नए कार्यक्रम — युवा नेतृत्व एवं व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम, महिलाओं हेतु कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम, मेंटर युवा क्लब कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं। राष्ट्रीय युवा कोर (एनवाईसी) स्वयंसेवकों का मानदेय 1000 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है।

साथ ही विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित जागरुकता अभियान और पंजाब तथा मणिपुर में मादक पदार्थों एवं मद्यपान के सेवन को रोकने के क्षेत्र में समर्थन परियोजनाएं, 20 राज्यों में मनरेगा के लिए जागरुकता अभियान, जनजातीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम, किशोर विकास एवं अधिकारिता कार्यक्रम, जम्मू और कश्मीर आदान-प्रदान कार्यक्रम, चुनाव आयोग के माध्यम से मतदाता जागरुकता कार्यक्रम, एड्स के विरुद्ध जागरुकता तथा स्वच्छता कार्यक्रम (निर्मल बिहार) आदि हेतु कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए नई पहल आरंभ की गई है।

(ग) नेहरू युवा केन्द्र संगठन में जिला युवा समन्वय (डीवाईसी) के 623 संस्वीकृत पद हैं, इनमें से 352 पद इस समय खाली पड़े हैं। खाली पड़े पदों के स्थान पर 20 पात्र व्यक्तियों को प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त किया गया है इसके अलावा, जिला युवा समन्वयकों के 45 पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने के लिए रिक्ति परिपत्र जारी किया गया है। नेहरू युवा केन्द्र संगठन की पुनर्संरचना के संबंध में संवर्ग समीक्षा समिति (सीआरसी) गठित की गई है। रिपोर्ट को स्वीकार करने तथा अनुमोदन के पश्चात् डीवाईसी के खाली पदों को पात्र कर्मचारियों की पदोन्नति तथा सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा।

(घ) जी, नहीं। फिलहाल नेहरू युवा केन्द्र संगठन के और केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) लागू नहीं।

(च) मंत्रालय के बजट आबंटन में से नेहरू युवा केन्द्र संगठन को ब्लॉक अनुदान जारी किए जाते हैं। वित्त मंत्रालय और योजना आयोग से अधिक बजट आबंटन करने का अनुरोध किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी

1722. श्री भूदेव चौधरी :
श्री कादिर राणा :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार अधिक है और इसके परिणामस्वरूप राज्यों से पलायन हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी के अंतर को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) रोजगार और बेरोजगारी के विश्वसनीय अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जाने वाले श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। एनएसएस सर्वेक्षणों के अनुसार, 2009-10 और 2011-12 के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए सामान्य स्थिति (प्रमुख और सहायक) के अनुसार बेरोजगारी दर (यूआर) निम्नानुसार है:—

	2009-10	2011-12
ग्रामीण	1.6%	1.7%
शहरी	3.4%	3.4%
कुल	2.0%	2.2%

इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों से कम है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए और लोगों की रोजगारपरकता में सुधार करने के लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार के कदम उठाए हैं, जैसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीए), स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई); प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी); इत्यादि जैसी योजनाओं पर व्यापक निवेश वाली परियोजनाओं के लिए विभिन्न अनुमोदनों में तेजी लाना। इसके अतिरिक्त, सरकार ने कौशल विकास कार्यक्रमों पर और अधिक निधियां व्यय करने का निर्णय लिया है। उदाहरणार्थ, जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए-टीएसपी), अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए-एससीएसपी), बहु-क्षेत्रक विकास कार्यक्रम निधियों का कम-से-कम 10% तथा कौशल विकास हेतु सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम निधियों का 5% प्रयोग करने का निर्णय लिया गया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा परियोजनाओं को मंजूरी

1723. श्री रमेन डेका : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण को असम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उनमें से कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई; और

(ग) लंबित प्रस्तावों को कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (ग) पर्यावरण से संबंधित किसी कानूनी अधिकार क प्रवर्त्तन तथा व्यक्तियों एवं संपत्ति की क्षति हेतु राहत देने तथा क्षतिपूर्ति करने और इनसे संबंधित अथवा इनके प्रासंगिक मामलों सहित पर्यावरण सुरक्षा एवं वनों व अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के कारगर और शीघ्र निपटान के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई है।

मिग-21 विमान

1724. डॉ. थोकचोम मैन्या : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने मिग-21 विमान अभी भी भारतीय वायु सेना की सेवा में हैं;

(ख) पिछले दस वर्षों के दौरान कितने मिग-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए;

(ग) क्या पुराने लड़ाकू विमानों को चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह सेवा से हटाने और उनकी जगह नई पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को लाने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) भारतीय वायु सेना की सेवा में अभी भी 254 मिग-21 विमान हैं।

(ख) पिछले दस वर्षों में (2003-04 से 2012-13) और वर्तमान वर्ष (30.11.2013 तक) के दौरान कुल 38 मिग-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं।

(ग) और (घ) विमान को चरणबद्ध तरीके से सेवा से हटाना तथा उन्हें नई पीढ़ी के विमानों से प्रतिस्थापित करना, राष्ट्रीय सुरक्षा/सामरिक लक्ष्यों और रक्षा बलों की संक्रियात्मक आवश्यकताओं पर निर्भर है तथा उसकी सरकार द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

शराब पीकर वाहन चलाना

1725. प्रो. रंजन प्रसाद यादव : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शराब पीकर वाहन चलाने के कारण देश के विभिन्न राज्यों से सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि होने की सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने के कारण हुई सड़क दुर्घटनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) शराब पीकर वहन चलाए जाने को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) और (ख) राज्य-वार दिए गए आंकड़ों से पता चलता है कि अल्कोल/ड्रग्स लेने के कारण हुई दुर्घटनाओं में उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2011 में घटित 24655 दुर्घटनाओं की अपेक्षा 2012 में कम अर्थात् 23,979 दुर्घटनाएं हुई। शराब/ड्रग्स लेने के कारण हुई दुर्घटनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, वर्ष 2010 से 2012 तक का ब्यौरा अद्यतन उपलब्ध आंकड़े) संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) नशे में वाहन चलाने से कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

I. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 185 में नशे में वाहन चालन के अपराध के मामलों में जेल या जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है।

II. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों (परिवहन) से अनुरोध किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस जारी न किए जाएं।

III. मंत्रालय, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से नशे में वाहन चलाने के खतरों के बारे में जागरुकता अभियान चलाता है।

IV. नशे में वाहन चलाने सहित यातायात के नियमों के उल्लंघन के मामलों को रोकने के लिए, मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को श्वास विश्लेषक सहित 24 इंटरसैप्टर प्रदान किए गए हैं।

विवरण

शराब पीकर/नशीली दवाएं लेने के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाएं

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एल्कोहल/ड्रग्स लेने के कारण भारत में घटित कुल सड़क दुर्घटनाएं		
		2010	2011	2012
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2,877	2,205	1,660
2.	अरुणाचल प्रदेश	8	8	25
3.	असम	361	760	347
4.	बिहार	930	1,590	1,572
5.	छत्तीसगढ़	1,241	304	277
6.	गोवा	29	30	23
7.	गुजरात	234	212	231
8.	हरियाणा	365	368	316
9.	हिमालच प्रदेश	101	58	50
10.	जम्मू और कश्मीर	133	92	212
11.	झारखंड	1,005	1,220	909
12.	कर्नाटक	299	541	577
13.	केरल	65	67	168
14.	मध्य प्रदेश	4,082	4,028	5,374
15.	महाराष्ट्र	2,407	2,452	2,350
16.	मणिपुर	33	140	0
17.	मेघालय	33	93	56
18.	मिज़ोरम	27	17	46
19.	नागालैंड	2	4	5
20.	ओडिशा	858	1141	846
21.	पंजाब	539	226	82
22.	राजस्थान	1,804	1,159	779
23.	सिक्किम	36	27	1

1	2	3	4	5
24.	तलिनाडु	2,439	3096	3,096
25.	त्रिपुरा	0	19	7
26.	उत्तराखंड	0	1	240
27.	उत्तर प्रदेश	2,305	4,706	4,558
28.	पश्चिम बंगाल	8,663	0	एनआर
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	26	21	18
30.	चंडीगढ	0	एनआर	17
31.	दादरा और नगर हवेली	73	0	58
32.	दमन और दीव	1	1	7
33.	दिल्ली	12	46	60
34.	लक्षद्वीप	0	0	2
35.	पुदुचेरी	12	23	10
	जोड़	31,000	24,655	23,979

नाटो बलों द्वारा जासूसी

1726. **श्री एन.एस.बी. चित्तन :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाटो बलों द्वारा भारत के विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य पर जासूसी करने का संदेह है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ग) आईएनएस विक्रमादित्य का परीक्षणों के दौरान और भारत लाते समय समुद्र में प्रचालन किया जाता रहा है। दूसरे पोत एवं विमान भी समुद्र और हवाई मार्ग से ट्रांजिट और प्रचालन करते हैं। नौसेना संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक सूचना का संरक्षण करने के लिए उपयुक्त कदम उठाती है।

जल प्रदूषण रोकने हेतु निधियां

1727. **शेख सैदुल हक :**
प्रो. सौगत राय :
श्रीमती कमला देवी पटले :
श्री सी. शिवासामी :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में नदियों, तालाबों और झीलों को प्रदूषित होने से बचाने हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देशभर में नदियों, झीलों और भूमिगत जल को प्रदूषित होने से बचाने से संबंधित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न एजेंसियों को आवंटित धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जिस प्रयोजन से निधियों का आवंटन किया गया था उस पर व्यय किया गया;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा प्रदूषण को रोकने के लिए निधियों का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या यूरोपीय संघ (ईयू) ने देश में प्राकृतिक झीलों/नदियों के संरक्षण हेतु कोई वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया है/प्रदान किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) यह मंत्रालय, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) एवं राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरसीए) कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न नदियों के अभिज्ञात किए गए भागों में प्रदूषण उपशमन और उसी प्रकार राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (एनएलसीपी) के अंतर्गत झीलों के संरक्षण में राज्य सरकारों के प्रयासों को संपूरित कर रहा है। गत तीन वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान एनजीआरबीए एवं एनएलसीपी सहित एनआरसीपी के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों को मंत्रालय द्वारा निर्गमित की गई राशियों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं। केंद्रीय भू-जल बोर्ड के अनुसार, इस अवधि के दौरान भू-जल के प्रदूषण निवारण हेतु उनके द्वारा कोई की गई राशियां आबंटित नहीं की गई है।

(ग) और (घ) एनजीआरबीए और एनएलसीपी सहित एनआरसीपी के अंतर्गत नदियों एवं झीलों के प्रदूषण उपमशन तथा संरक्षण हेतु कार्यों का, राज्य सरकारों द्वारा मनोनीत एवं उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत क्रियान्वयन अभिकरणों के माध्यम से केन्द्र और राज्यों के बीच लागत शेयरिंग आधार पर क्रियान्वयन किया जाता है। कार्यों की संतोषजनक वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति और पूर्व में निर्गमित की गई राशियों के उपयोग के आधार पर विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों/कार्यान्वयन अभिकरणों को स्वीकृत कार्यों हेतु किश्तों में की गई राशियां जारी की जाती है। विभिन्न स्तरों पर सतत् आधार पर केन्द्र और राज्यों दोनों के द्वारा कार्यक्रमों के अंतर्गत कार्यों के क्रियान्वयन की प्रगति की मॉनीटरिंग की जाती है। इसके अलावा, कार्यों के क्रियान्वयन को कारगर बनाने हेतु, निम्नलिखित उपाय किए गए हैं, (i) समय सीमाओं का अनुपालन, सृजित की जा रही परिसंपत्तियों के उचित परिचालन एवं रख-रखाव, राज्य शेयर के समय पर निगर्मन हेतु राज्य सरकारों/कार्यान्वयन अभिकरणों/शहरी स्थानीय निकायों के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर करना, (ii) विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्टों का स्वतंत्र मूल्यांकन और स्वतंत्र अभिकरणों द्वारा तीसरे पक्षकार निरीक्षण (टीपीआई) कार्यतंत्र को प्रारंभ करना।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

गत तीन वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान एनजीआरबीए कार्यक्रम सहित राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को निर्गमित की गई राशि

क्र.सं.	राज्य	जारी निधियां (करोड़ रुपए में)			
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (सितंबर, 2013 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	बिहार	20.00	—	—	61.38
2.	गुजरात	0.39	—	41.71	—
3.	कर्नाटक	0.96	—	—	—
4.	महाराष्ट्र	11.82	—	5.07	22.42
5.	ओडिशा	—	5.00	—	—
6.	पंजाब	45.75	47.53	45.36	72.26
7.	राजस्थान	—	20.00	—	—
8.	दिल्ली	83.29	34.88	—	—

1	2	3	4	5	6
9.	हरियाणा	4.00	—	38.20	—
10.	उत्तर प्रदेश	238.59	70.75	107.31	53.54
11.	उत्तराखंड	31.88	—	9.30	6.68
12.	पश्चिम बंगाल	194.13	—	—	—
13.	सिक्किम	26.14	9.30	21.65	—
	कुल योग	656.95	187.46	268.60	216.28

विवरण-II

गत तीन वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को निर्गमित निधियां

क्र.सं.	राज्य	जारी की गई निधियां (करोड़ रुपए)			
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (सितंबर, 2013 तक)
1.	कर्नाटक	6.50	—	—	—
2.	आंध्र प्रदेश	—	1.90	—	—
3.	महाराष्ट्र	2.75	0.50	—	—
4.	राजस्थान	6.28	14.00	15.13	—
5.	उत्तराखंड	3.00	—	—	—
6.	पश्चिम बंगाल	1.30	3.50	7.17	—
7.	जम्मू और कश्मीर	17.43	41.00	—	29.86
8.	नागालैंड	—	—	—	3.00
9.	उत्तर प्रदेश	12.70	19.00	30.00	—
	कुल योग	49.96	79.90	52.30	32.86

[हिन्दी]

राष्ट्रीय गौण इस्पात प्रौद्योगिकी संस्थान

1728. श्री बृजभूषण शरण सिंह : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोहाली स्थित राष्ट्रीय गौण इस्पात प्रौद्योगिकी संस्थान वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार उक्त संस्थान को कोई उद्धार पैकेज देने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि उक्त संस्थान में कर्मचारियों की संख्या में कमी नहीं की जाएगी किसी उपाय पर विचार किया गया है?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय गौण इस्पात प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी गोविंदगढ़ में स्थित है। उसकी वित्तीय समस्याएं 2.32 करोड़ रुपए की वेतन बकाया की रकम का भुगतान करने से संबंधित है और यह राशि अप्रैल, 2009 से वेतन के संशोधन के परिणामत: बकाया हुई है। संस्थान द्वारा अर्जित आय और संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी) एवं फैरो स्क्रैप समिति (एफएससी) से प्राप्त वार्षिक अनुदान केवल मौजूदा वेतन का भुगतान करने और अन्य व्यय वहन करने के लिए ही पर्याप्त है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) राष्ट्रीय गौण इस्पात संस्थान, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1866 के अधीन पंजीकृत सोसाइटी है। संस्थान की स्थापना के समय सरकार द्वारा इसकी वित्त-पोषण सरकार द्वारा किए जाने की कल्पना नहीं की गई थी। तथापि, सरकार ने संस्थान की प्रारंभिक जरूरतों को पूरा करने के लिए तत्कालीन बिलेट री-रोलिंग समिति की निधियों से राष्ट्रीय गौण इस्पात प्रौद्योगिकी संस्थान को 10.08 करोड़ रुपए की रकम दी थी। इस समय इस संस्थान का संचालन संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी) और फैरो स्क्रैप समिति (एफएससी) से उसे प्राप्त होने वाली राजस्व अनुदान सहायता से हो रहा है।

(ङ) जी, हां।

[अनुवाद]

वन संबंधी स्वीकृति दिए जाने के मानदंडों का उल्लंघन

1729. श्री संजय भोई : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस पर ध्यान दिया है कि ओडिशा राज्य में अनिवार्य वन संबंधी अनुमोदन प्राप्त करने से पहले एक निजी इस्पात और विद्युत कम्पनी ने कथित रूप से परियोजना का निर्माण आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वन परामर्शदात्री समिति ने कम्पनी द्वारा किये गये कथित उल्लंघन की जांच शुरू की है;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त जांच को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) इस संबंध में कथित उल्लंघन हेतु कम्पनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (ङ) ओडिशा सरकार ने पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) को सूचित किया कि मैसस जिदंल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने उक्त परियोजना की स्थापना हेतु अपेक्षित 168.232 हैक्टेयर वन भूमि के अपवर्तन के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत केन्द्र सरकार के सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करने के पूर्व ओडिशा के आंगुल जिले में एकीकृत स्टील कॉम्प्लेक्स की स्थापना करने से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों के निष्पादन हेतु 11.21 हैक्टेयर वनेतर भूमि का उपयोग किया।

इस बात के मद्देनजर कि परियोजनाओं हेतु अपेक्षित वन भूमि के अपवर्तन के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत केंद्र सरकार के सैद्धांनिक अनुमोदन प्राप्त करने के पूर्व वनेत्तर भूमि पर परियोजना से संबंधी कार्यकलापों का निष्पादन करना वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत जारी दिशा-निर्देशों के पैरा 44 का उल्लंघन है, अत: मामले को जांच और समुचित संस्तुती के लिए वन सलाहकारी समिति को भेजा गया था।

वन सलाहकारी समिति ने दिनांक 28-29 नवंबर, 2013 को आयोजित बैठक में उक्त मामले की जांच करने के पश्चात् सिफारिश की कि उक्त वनेत्त भूमि का उपयोग करने के स्थान पर, राज्य सरकार, परियोजना हेतु अपेक्षित वन भूमि के अपवर्तन हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत सैद्धांतिक अनुमोदन की मंजूरी के पूर्व विभिन्न परियोजना संबंधी कार्यकलापों के निष्पादन हेतु प्रयोगकर्त्ता अभिकरण द्वारा उपयोग किए गए 11.21 हैक्टेयर वनेत्तर भूमि तक के समान अवक्रमित वन भूमि में प्रयोग कर्त्ता अभिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली निधियों से दंडात्मक प्रतिपूरक वनीकरण करेगी।

[हिन्दी]

ईएसआई अस्पताल

1730. श्री गणेश सिंह :
श्री एंटो एंटोनी :
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान में कार्यरत ईएसआई अस्पतालों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में, विशेषरूप से मध्य प्रदेश, केरल और गुजरात राज्यों में और अधिक ईएसआई अस्पतालों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अस्पतालों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना हे और इस संबंध में आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) देश में फिलहाल कुल 151 कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अस्पताल कार्य कर रहे हैं। इन अस्पतालों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) देश में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा अनुमोदित नए कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पतालों का उनकी वर्तमान स्थिति तथा इस संबंध में आबंटित निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

देश में राज्य-वार कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल

क्र. सं.	राज्यों के नाम	अस्पतालों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	12
2.	असम	1
3.	बिहार	3
4.	चंडीगढ़ प्रशासन	1
5.	दिल्ली	4
6	गोवा	1
7.	गुजरात	12
8.	हरियाणा	06
9.	हिमाचल प्रदेश	02
10.	जम्मू और कश्मीर	01
11.	झारखंड	03
12.	कर्नाटक	10
13.	केरल	13
14.	मध्य प्रदेश	07
15.	महाराष्ट्र	14
16.	ओडिशा	06
17.	पुदुचेरी	01
18.	पंजाब	08
19.	राजस्थान	06
20.	तमिलनाडु	10
21.	उत्तर प्रदेश	16
22.	पश्चिम बंगाल	14
	कुल	151

विवरण-II

देश में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा अनुमोदित नए ईएसआई अस्पतालों की वर्तमान स्थिति

क्र. सं.	राज्य	अस्पताल का नाम	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	वियजनगरम	राज्य सरकार द्वारा भूमि आबंटित नहीं की गई है। अभी तक निधियां आबंटित नहीं है।
2.	छत्तीसगढ़	भिलाई	राज्य सरकार द्वारा भूमि आबंटित नहीं की गई है। अभी तक निधियां आबंटित नहीं है।

1	2	3	4
3.	छत्तीसगढ़	रायपुर	राज्य सरकार द्वारा भूमि आबंटित नहीं की गई है। अभी तक निधियां आबंटित नहीं है।
4.	छत्तीसगढ़	भिलाई	
5.	गुजरात	अंकलेश्वर	निर्माण कार्य के लिए 105 करोड़ रुपये की निधि आबंटित की गई है तथा 21 जून, 2012 से निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है।
6.	कर्नाटक	बोमासुन्द्रा, बेंगलूरु	राज्य सरकार द्वारा भूमि आबंटित नहीं की गई है। अभी तक निधियां आबंटित नहीं है।
7.	कर्नाटक	डोडाबलापुर, बेंगलूरु	राज्य सरकार द्वारा भूमि आबंटित, वास्तुविद एजेंसी नियुक्त कर दी गई है तथा संकल्पना योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। अभी तक निधियां आबंटित नहीं है।
8.	केरल	पेरुम्बवूर	राज्य सरकार द्वारा भूमि आबंटित नहीं की गई है। अभी तक निधियां आबंटित नहीं है।
9.	महाराष्ट्र	बुटीबोरी	राज्य सरकार द्वारा भूमि आबंटित नहीं की गई है। अभी तक निधियां आबंटित नहीं है।
10.	ओडिशा	अंगुल	राज्य सरकार द्वारा भूमि आबंटित नहीं की गई है। अभी तक निधियां आबंटित नहीं है।
11.	ओडिशा	दुबुरी, जिला जाजपुर	राज्य सरकार द्वारा भूमि आबंटित, वास्तुविद एजेंसी नियुक्त कर दी गई है। अभी तक निधियां आबंटित नहीं है।
12.	पंजाब	लालरू, एसएएस नगर	राज्य सरकार द्वारा भूमि आबंटित नहीं की गई है। अभी तक निधियां आबंटित नहीं है।
13.	राजस्थान	उदयपुर	राज्य सरकार द्वारा भूमि आबंटित, वास्तुविद एजेंसी नियुक्त कर दी गई है तथा संकल्पना योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। अभी तक निधियां आबंटित नहीं है।
14.	तमिलनाडु	तिरुनेलवेल्ली	अस्पताल कार्य कर रहा है। आबंटित निधि – 60 करोड़ रुपये।
15.	तमिलनाडु	तिरुपुर	राज्य सरकार द्वारा भूमि आबंटित नहीं की गई है। अभी तक निधियां आबंटित नहीं है।
16.	तमिलनाडु	तुतीकोरिन	राज्य सरकार द्वारा भूमि आबंटित, वास्तुविद एजेंसी नियुक्त कर दी गई है तथा संकल्पना योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। अभी तक निधियां आबंटित नहीं है।
17.	तमिलनाडु	कन्याकुमारी	राज्य सरकार द्वारा भूमि आबंटित नहीं की गई है। अभी तक निधियां आबंटित नहीं है।
18.	तमिलनाडु	श्रीपेरूमबटूर	राज्य सरकार द्वारा भूमि आबंटित नहीं की गई है। अभी तक निधियां आबंटित नहीं है।

1	2	3	4
19.	उत्तर प्रदेश	फिरोजाबाद	राज्य सरकार द्वारा भूमि आबंटित नहीं की गई है। अभी तक निधियां आबंटित नहीं है।
20	उत्तराखंड	हरिद्वार	भूमि आबंटित कर दी गई है। अभी तक निधियां आबंटित नहीं की हैं।
21.	उत्तराखंड	उद्यमसिंह नगर	
22.	उत्तराखंड	देहरादून	राज्य सरकार द्वारा भूमि आबंटित नहीं की गई है। अभी तक निधियां आबंटित नहीं है।
23.	उत्तराखंड	काशीपुर	राज्य सरकार द्वारा भूमि आबंटित नहीं की गई है। अभी तक निधियां आबंटित नहीं है।
24.	पश्चिम बंगाल	हल्दिया	राज्य सरकार द्वारा भूमि आबंटित नहीं की गई है। अभी तक निधियां आबंटित नहीं है।
25.	पश्चिम बंगाल	सिलिगुड़ी	

संवेदनशील वस्तुओं का आयात

1731. श्री सज्जन वर्मा : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान संवेदनशील वस्तुओं के आयात में कोई वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वस्तु और वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे आयातों से घरेलू उद्योगों पर पड़ने वाले प्रभावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे उत्पादों के आयात को प्रतिबंधित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. ई.एम.एस. नाच्चीयप्पन) : (क) और (ख) विगत तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान संवेदनशील मदों का आयात निम्नानुसार है:–

मूल्य हजार करोड़ रुपए में

2010-11	2011-12	2012-13	2012-13 (अप्रैल-सितम्बर)	2013-14 (अप्रैल-सितम्बर)
7.19	101.2	129.3	66.3	60.7

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

पी: अनंतिम

2013-14 (अप्रैल-सितम्बर) के दौरान आयात की शीर्ष दस संवेदनशील मदें कच्चा पाम तेल और इसके अंश, परिष्कृत ब्लीचड डीऑडराईज्ड पामोलिन, वाहनों के अन्य हिस्से और सहायक सामग्रियों, सोयाबीन कच्चा तेल, काजू, छिलके में, सूरजमुखी के बीज का कच्चा तेल, अन्य शर्करा, अन्य रूपों में प्राकृतिक रबड़, प्रौद्योगिकी रूप में विशेषीकृत रबड़ (टीएसएनआर) लेन्टिल (मसूर), मुखी और छिलके में और मटर (पिसम साटीवम), सूखे और छिलके हैं।

(ग) और (घ) सरकार नियमित आधार पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों की सूक्ष्मता से निगरानी करती है, वित्तीय और समग्र आर्थिक निहितार्थों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर आवश्यकता आधारित कदम उठाए जाते हैं। बढ़े हुए आयातों की वजह से उत्पन्न हेतु किसी घरेलू समस्या को प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता 1994 के भाग-VI के कार्यान्वयन समझौतों के प्रावधानों, विश्व व्यापार संगठन के सुरक्षोपायों संबंधी समझौता और अनुदानों और प्रतिकारी उपायों संबंधी समझौता के प्रावधानों के तहत उपयुक्त कार्रवाई करके निपटाया जाता है।

[अनुवाद]

मजदूर संघों का पंजीकरण

1732. श्री गुरुदास दासगुप्त : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों में मजदूर संघों के पंजीकरण में हो रही देरी की शिकायतों की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो श्रमिकों के अपने-अपने कार्यस्थलों पर अपना मजदूर संघ बनाने के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) और (ख) श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 का प्रवर्तन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है तथा श्रमिक संघों का पंजीकरण संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नियुक्त पंजीयक द्वारा किया जाता है। तथापि, कुछ केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठनों द्वारा पंजीकरण में विलंब तथा 45 दिन की अवधि में श्रमिक संघों के अनिवार्य पंजीकरण की मांग के संबंध में कुछ शिकायतें सरकार के संज्ञान में लाई गई हैं। मामले की जांच की गई है तथा राज्य विनियमन में समुचित संशोधन शामिल करके अथवा राज्य पंजीयकों को कार्यकारी ओदश जारी करके संबंधित राज्य विनियमनों में श्रमिक संघों के पंजीकरण के आवेदनों के निपटान हेतु निश्चित समय-सीमा निर्धारित करने के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को निदेशों की अनुपालना करने हेतु कहा गया है।

शिक्षित बेरोजगार युवा

1733. श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश :
श्री एन. धरम सिंह :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक तथा चालू वर्ष के दौरान देश में एम.वी.ए. स्नातक, इंजीनियर, डॉक्टर और अन्य व्यावसायिक डिग्री/डिप्लोमा धारकों सहित शिक्षित बेरोजगार युवाओं की संख्या कितनी है;

(ख) क्या देश में सरसकार ऐसे शिक्षित बेरोजगार स्नातकों एवं अन्य व्यावसायिक डिग्री/डिप्लोमा धारकों को रोजगार प्रदान करने के लिए किसी नयी योजना को लाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान शिक्षित और बेरोजगार स्नातकों और व्यावसायिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए चल रही केन्द्रीय सरकार प्रायोजित योजनाओं की वर्ष-वार उपलब्धि का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) रोजगार एवं बेरोजगारी के विश्वसनीय अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जाने वाले श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। 2004-05 एवं 2009-10 के दौरान आयोजित किए हालिया सर्वेक्षणों के विस्तृत परिणामों के अनुसार, विभिन्न शिक्षा स्तर की श्रेणियों हेतु नियोजित व्यक्तियों का प्रतिशत वितरण लिंग-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। इसके अलावा, रोजगार कार्यालयों के माध्यम से राज्यों से एकत्र सूचना के अनुसार, वर्ष 2008, 2009 एवं 2010 के दौरान कला, विज्ञान, वाणिज्य, इंजीनियरी, दवा, पशुचिकित्सा, कृषि, कानून एवं शिक्षा आदि में स्नताक एवं स्नातकोत्तर व्यक्तियों सहित 10वीं कक्षा अथवा उससे अधिक शिक्षित पंजीकृत रोजगार चाहने वालों की संख्या क्रमश: 2.93, 2.92 एवं 3.16 करोड़ थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) केन्द्र सरकार शिक्षितों एवं बेरोजगार युवाओं सहित व्यक्तियों को रोजगारपरकता में सुधार के लिए स्व-रोजगार एवं कौशल उन्यन के संवर्द्धन के लिए अनेक योजनाएं चलाती है। विगत तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के माध्यम से रोजगार प्रदान किए गए व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है। विगत दो वर्षों के दौरान शिक्षित एवं विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यमों से कुशल व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण-III में दी गई है।

विवरण-I

2004-05 एवं 2009-10 के दौरान शिक्षा श्रेणी द्वारा 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के सामान्य रूप से नियोजित व्यक्तियों का प्रतिशत वितरण

सामान्य शैक्षिक स्तर	2004-05				2009-10			
	ग्रामीण पुरुष	शहरी पुरुष	ग्रमीण महिला	शहरी महिला	ग्रामीण पुरुष	शहरी पुरुष	ग्रामीण महिला	शहरी महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9
साक्षर नहीं	33.8	13.1	66.4	37.3	28.0	11.4	57.8	29.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
प्राथमिक तक	29.4	22.7	18.4	20.3	28.1	18.3	22.6	19.3
मिडिल तक शिक्षित	18.1	19.4	8.7	11.9	19.8	17.9	10.6	12.9
माध्यमिक	9.3	15.0	3.6	7.3	12.6	17.6	4.9	8.4
उच्चतर माध्यमिक	4.6	9.2	1.4	5.1	6.3	10.8	2.1	6.2
डिप्लोमा/प्रमाणपत्र	1.0	3.7	0.5	3.4	0.9	2.9	0.4	2.8
स्नातक एवं उससे अधिक	3.8	16.9	0.9	14.7	4.4	21.1	1.5	20.7
योग	100	100	100	100	100	100	100	100

स्रोत: एनएसएसओ रिपोर्ट संख्या 537: भारत में रोजगार एवं बेरोजगारी स्थिति, 2009-10.

विवरण-II

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम हेतु वस्तुपरक उपलब्धियां

योजना का नाम	अनुमानित सृजित रोजगार (लाख व्यक्ति में)			
	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (नवम्बर, 2013 के मध्य तक)
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)	4.81	4.96	4.28*	0.33

स्रोत: अति लघु, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय।

विवरण-III

2012-13 एवं 2013-14 (आज तक) के दौरान प्रशिक्षित व्यक्ति

कुशल बनाए गए व्यक्तियों की संख्या (व्यक्ति लाख में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/संगठन	उपलब्धि 2012-13	उपलब्धि 2013-14 (आदिनांक)
1	2	3	4
1.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	8.20	8.56
2.	सक्षम लघु, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	5.50	3.13
3.	राष्ट्रीय कौशल विकास निगम	4.03	3.06
4.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	5.42	2.76
5.	कृषि मंत्रालय	13.28	2.72

1	2	3	4
6.	इलैक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	3.68	2.01
7.	आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	5.25	1.90
8.	उच्चतर शिक्षा विभाग	2.82	0.94
9.	महिला और बाल विकास मंत्रालय	1.01	0.35
10.	वस्त्र मंत्रालय	0.71	0.36
11.	पर्यटन मंत्रालय	0.58	0.37
12.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	0.42	0.33
13.	रसायन और उर्वरक मंत्रालय	0.36	0.20
14.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	0.27	0.22
15.	भारी उद्योग विभाग	0.22	0.17
16.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	0.09	-
17.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	0.03	0.45
18.	उत्तरपूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	0.01	0.00
19.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय		0.01
20.	गृह मंत्रालय		-
21.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय		0.02
	कुल	51.88	27.56

स्रोत: राष्ट्रीय विकास अभिकरण।

[हिन्दी]

पोतों का विनिर्माण

1734. कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद : क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रमुख डाकयार्डों द्वारा कितने पोत/नाव/मालवाहक पोतों का निर्माण किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा आयातित नए और पुराने पोतों/नावों को वर्ष-वार और देश-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या वाणिज्यिक पोतों का कोई स्वदेशी बेड़ा तैयार करने की सरकार की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन) : (क) पोत परिवहन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन दो सार्वजनिक क्षेत्र शिपयार्ड अर्थात् कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एससीएल) तथा कोच्चि और हुगली डाक एवं पोर्ट इंजीनियरिंग लिमिटेड (एचडीपीईएल), कोलकाता हैं और रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन चार सार्वजनिक क्षेत्र शिपयार्ड अर्थात् मझगांव गोदी लिमिटेड (एमडीएल)-मुम्बई, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड (जीआरएसईएल)-कोलकाता, हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, (एचसीएल)-विशाखापट्टनम और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल)-गोवा हैं। इन शिपयार्डों से प्रत्येक विगत तीन वर्षों और चालू

वर्ष के दौरान केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र शिपयार्ड द्वारा निर्मित किए गए पोत/नाव/मालवाहक पोतों की संख्या को संलग्न विवरण-I में तालिका-रूप में दिया गया है।

(ख) भारतीय नौवहन निगम, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा आयातित नए और पुराने पोतों/नावों की संख्या, जो पोत परिवहन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है, संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) से (ङ) सरकार की भारतीय शिपयार्ड के लिए पोतनिर्माण रियायत योजना 14.08.2007 को समाप्त हो गई थी। शिपयार्ड रियायत योजना 80 मी. लम्बाई और उससे अधिक के घरेलू आदेश के लिए रियायत उपलब्ध करवाती थी। इसके अतिरिक्त, सरकार ने 2004 में टनभार शुल्क की शुरुआत जैसे भारतीय बेडें की उन्नति को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न उपाय पेश किए गए हैं। भारतीय पोत उद्योग को कार्गो सहायता पहले अवसर के साथ प्रदान की जाती है और सरकार के स्वामित्व/नियंत्रित कार्गो के लिए एफओबी आयात की नीति अपनाई जाती है। इसके अलावा निजी अकाउंट पर कार्गो के आवागमन के एिल जलयानों की चार्टरिंग भारतीय ध्वज वाले जलयानों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए नौवहन महानिदेशालय के माध्यम से नियमित की जाती है। भारतीय नौवहन बेडें को सहायता देने तथा बढ़ाने के लिए निरंतर उपाय किए जा रहे हैं।

विवरण-I

1. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	सीएसएल द्वारा निर्मित पोतों/नातों/कार्गो पोतों की संख्या
1.	2010-11	6
2.	2011-12	5
3.	2012-13	6
4.	2013-14	दो सौंप दिए हैं। स्वदेशी विमान वाहक जारी किया।

2. हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	एचडीपीईएल द्वारा निर्मित पोतों/नावों/कार्गो पोतों की संख्या
1	2	3
1.	2010-11	शून्य
2.	2011-12	1
3.	2012-13	1
4.	2013-14	शून्य

3. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	एचएसएल द्वारा निर्मित पोतों/नातों/कार्गो पोतों की संख्या
1.	2010-11	2
2.	2011-12	3
3.	2012-13	1
4.	2013-14 (दिसम्बर 13 तक)	4

4. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	जीआरएसईएल द्वारा निर्मित पोतों/नातों/कार्गो पोतों की संख्या
1.	2010-11	43
2.	2011-12	5
3.	2012-13	4
4.	2013-14 (07.12.2013 तक)	2

5. मझगांव गोदी लिमिटेड

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	एमडीएल ल द्वारा निर्मित पोतों/नातों/कार्गो पोतों की संख्या
1.	2010-11	शून्य
2.	2011-12	शून्य
3.	2012-13	1
4.	2013-14	शून्य

6. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	जीएसएल द्वारा निर्मित पोतों/नातों/कार्गो पोतों की संख्या
1	2	3
1.	2010-11	56

1	2	3
2.	2011-12	3
3.	2012-13	15
4.	2013-14	3

विवरण-II

पोत परिवहन नियंत्रणाधीन संगठनों द्वारा आयातित नए और पुराने पोतों/नावों की संख्याः

भारतीय नौवहन निगम

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	संख्या	देश
1.	2010-11	12	दक्षिण कोरिया
2.	2011-12	7	चीन
3.	2012-13	6	चीन
4.		1	दक्षिण कोरिया
5.	2013-14 (आज की तारीख तक)	2	चीन

भारतीय ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन

क्र. सं.	कैलेंडर वर्ष	संख्या	देश
1.	2012	1	नीदरलैंड
2.	2013	1	नीदरलैंड

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

क्र. सं.	कैलेंडर वर्ष	संख्या	देश
1.	2011	1	फिनलैंड
1.	2012	1	फिनलैंड
2.	2013	1	फिनलैंड

[अनुवाद]

जूट प्रसंस्करण उद्योग

1735. श्री विश्व मोहन कुमार :
श्री बदरुद्दीन अजमल :
श्री रेवती रमण सिंह :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यरत जूट प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या कितनी है और बिहार तथा पश्चिम बंगाल सहित राज्य-वार उनके उत्पादन का ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा जूट उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं बनाई गई है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान निर्यात किये गये जूट उत्पादों का उद्योग/देश-वार ब्यौरा क्या है तथा इनसे अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है;

(ग) विश्व बाजार में जूट उद्योगों को प्रतिस्पर्धा करने योग्य बनाने के लिए सरकार द्वारा उन्हें वित्तीय सहायता देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) देश में जूट के अधिशेष उत्पादन को देखते हुए जूट उत्पादकों को उनके उत्पादों का अधिकतम मूल्य दिलाया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार का कौन-सा तंत्र बनाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) (i) देश में कार्यशील पटसन मिलों की राज्य-वार संख्या निम्नानुसार है:—

राज्य का नाम	मिल का नाम
पश्चिम बंगाल	57
बिहार	3
उत्तर प्रदेश	2
आंध्र प्रदेश	7
छत्तीसगढ़	1
ओडिशा	1
असम	2
त्रिपुरा	1
कुल	74

(ii) पटसन सामानों का राज्य-वार उत्पादन निम्नानुसार है:—

(मात्रा: 000 मी.टन में)

राज्य का नाम	2010-11	2011-12	2012-13
पश्चिम बंगाल	1408.8	1422.8	1282
बिहार	एनए	एनए	एनए
छत्तीसगढ	एनए	एनए	एनए
असम	14.3	13.3	13.5
आंध्र प्रदेश	124.6	129.8	131.2
ओडिशा	7.7	5.8	5
त्रिपुरा	2.4	2.4	2.4
उत्तर प्रदेश	7.1	7.5	6.4

(iii) पटसन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार विभिन्न योजनाएं/उपाय कर रही है। कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं/उपाय निम्नानुसार हैं:—

- भारत सरकार ने 355.55 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ पटसन उद्योग के समग्र विकास और पटसन क्षेत्र के संवर्धन के लिए एक मुख्य पहल के रूप में पटसन प्रौद्योगिकी मिशन (जेटीएम) आरंभ किया है। इस जेटीएम के अधीन पटसन क्षेत्र के समग्र संवर्धन के लिए लघु मिशन-I, II, III और IV के अधीन उनके योजनाएं चल रही हैं। लघु मिशन-I का उद्देश्य उत्पादन और गुणवत्ता सुधारने के लिए पटसन क्षेत्र में कृषि अनुसंधान और विकास को सुदृढ़ बनाना है। लघु मिशन-II का लक्ष्य उत्पादन और फसल कटाई पश्चात् उन्नत प्रौद्योगिकी और एग्रोनोमिक प्रक्रियाओं का अंतरण करना है। लघु मिशन-III के अधीन सभी पटसन उत्पादक राज्यों को कच्ची पटसन की बाजार लिंकेज प्रदान किया जाता है। लघु मिशन-IV में पर्यटन उद्योग के आधुकिनीकरण, कौशल उन्न्यन, बाजार संवर्धन एवं निर्यातों के लिए प्रावधान हैं जो कच्ची पटसन की मांग बढ़ाने में सहायता करते हैं।

- सरकार पटसन का उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकेजिंग वस्तुओं में अनिवार्य उपयोग), 1987 के अधीन पटसन में खाद्योगों और चीनी की कुछ प्रतिशतता में अनिवार्य पैकेज प्रदान करती है।

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पटसन सामानों का निर्यात निम्नानुसार है:—

(मात्रा '000' मी. टन मूल्य करोड़ रुपए में)

मद	2010-11 (अप्रैल-मार्च)		2011-12 (अप्रैल-मार्च)		2012-13 (अप्रैल-मार्च)		2013-14 (अप्रैल-अगस्त)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
हैसियन	37.90	740.47	75.00	978.81	51.20	313.21	17.1	119.2
सैकिंग	42.80	223.95	73.00	418.94	103.80	613.76	41.3	252.8
यार्न	85.40	530.96	54.70	282.01	51.40	258.76	12.3	70.4
जेडीपी		269.75		378.00		349.76		157.8
अन्य	9.40	89.01	8.20	56.82	7.60	62.55	3.6	40.9
कुल	175.5	1854.14	210.9	2114.58	214.0	1598.04	74.3	641.1
विदेश विनिमय (अमेरिकी डॉलर मिलयन में)	412		420		294		110	

15 प्रमुख देशों को सभी पटसन सामानों का निर्यात निम्नानुसार है:—

देश	2010-11	2011-12	2012-13
अमेरिका	232.26	268.80	337.57
थाईलैंड	—	164.11	306.76
घाना	73.40	102.56	122.21
इंग्लैंड	102.00	119.43	110.08
सउदी अरब	126.27	96.69	103.53
नीदरलैंड	95.32	105.79	103.38
जर्मनी	80.28	90.05	77.19
टर्की	165.27	77.26	64.14
मिस्र एआरपी	138.38	76.35	60.76
बेल्जियम	101.21	51.16	46.69
यूएई	65.97	54.62	44.23
आस्ट्रेलिया	44.32	56.10	43.80
कोट डी' आईवर	19.01	54.41	37.19
इंडोनेशिया	57.54	58.95	33.54
इटली	25.79	29.96	32.25

(ग) विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए पटसन उद्योग की समर्थ बनाने के लिए सरकार ने समय-समय पर विभिन्न कदम उठाए हैं। कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं:—

(i) पटसन प्रौद्योगिकी मिशन के लघु मिशन-IV के अंतर्गत विभिन्न योजनाएं जैसे कि मशीनरी विकास, विविधिकृत उत्पादों का डिजायन एवं विकास, पटसन विविधिकरण का संवर्द्धन तथा विधिकृत क्षेत्र हेतु पटसन पार्कों की स्थापना आदि, पटसन उत्पादों के संवर्द्धन पर केंद्रित हैं।

(ii) पटसन विविधिकृत उत्पादों के संवर्द्धन मेलों में भाग लेना सुविधाजनक बनाना। इसके अलावा, फास्ट ट्रैक निर्यात बाजार विकास योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय पटसन बोर्ड की विभिन्न संवर्द्धनात्मक गतिविधियों में भाग लेने हेतु निर्यातकों को विपणन सहायता उपलब्ध कराना।

(iii) राष्ट्रीय पटसन बोर्ड पटसन उद्यमियों हेतु एक क्षमता विकास एवं विपणन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता है और निर्यात संवर्धन रणनीति को कार्यान्वित करके सामानों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नए बाजार के अवसरों की खोज करता है।

(iv) शुल्क वापसी योजना और भारत सरकार की फोकस उत्पादन योजना तथा राष्ट्रीय पटसन बोर्ड (एनजेबी) की निर्यात बाजार विकास सहायता योजना के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहनों के साथ पटसन सामानों के निर्यात निष्पादन में वृद्धि करने के लिए उन्हें सुविधा प्रदान की जाती है।

(घ) किसानों के हित की सुरक्षा करने के लिए कच्ची पटसन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का निर्धारण प्रत्येक वर्ष भारत सरकार द्वारा किया जाता है। भारतीय पटसन निगम, (जेसीआई), वस्त्र मंत्रालय के अधीन एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम किसानों से कच्ची पटसन के लिए समर्थन मूल्य प्रचालन आरंभ करता है। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पटसन उत्पादकों को मजबूरन बिक्री न करनी पड़े और उनके द्वारा कच्ची पटसन की जो भी मात्रा अथवा गुणवत्ता की पेशकश की जाए, उन्हें 171 विभागीय खरीद केन्द्रों और विभिन्न पटसन उत्पादक क्षेत्रों में स्थित राज्य कोऑपरेटिव के सहयोग से एमएसपी पर खरीदी जाए।

[हिन्दी]

ठेका कामगारों के लिए जोखिम भत्ता

1736. श्री पशुपति नाथ सिंह : क्या **श्री और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खतरनाक उद्योगों/कारखानों के ठेका कामगारों सहित अन्य कामगारों को विशेषकर कोल इंडिया लिमिटेड के कामगारों को कोई जोखिम भत्ता दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं तथा इस संबंध में सरकार के पास कोई प्रस्ताव यदि कोई हो, विचाराधीन है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार कोल इंडिया लि. के कामगारों सहित जोखिमकारी उद्योगों/कारखानों के ठेका कामगारों सहित कामगारों को ऐसा कोई भत्ता नहीं दिया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

बेलगांव छावनी

1737. श्री सुरेश अंगडी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बेलगांव में प्रमुख पर्यटक स्थलों पर आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए किला क्षेत्र को 'प्रतिबंधित क्षेत्र' के रूप में घोषित किए जाने वाली अधिसूचना जारी करने के लिए छावनी बोर्ड, बेलगांव या सैन्य प्राधिकारियों को कोई निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बेलगांव में रक्षा प्राधिकारियों को सुरक्षा कारणों से किला क्षेत्र में लोगों के अबाध आने-जाने को प्रतिबंधित करने या उनकी जांच करने की शक्ति प्रदान की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) गेरिसन की स्थानीय सुरक्षा स्थानीय सैन्य प्राधिकरण (एलएमए) का दायित्व है।

पड़ोसी देशों के साथ व्यापार

1738. श्री विन्सेंट एच. पाला :
श्री शिवराम गौडा :
श्री एन. धरम सिंह
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :
श्री एम. आनंदन :
श्री आर. ध्रुवनारायण :
श्री एम. कृष्णास्वामी :
श्री सुरेश कुमार शेटकर :
श्री अशोक तंवर :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में पाकिस्तान के साथ अपने व्यापारिक संबंधों की समीक्षा की है और यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान दोनों देशों के बीच हुए कुल निर्यात और आयात सहित वस्तु-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारत और पाकिस्तान ने कतिपय वस्तुओं के व्यापार पर कोई प्रतिबंध/रोक लगाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पाकिस्तान के साथ व्यापारिक संबंधों को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या पाकिस्तान ने भारत को सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र (एमएफएन) का दर्जा प्रदान कर दिया है और बाधा-अट्टारी सीमा पर सड़क मार्ग के माध्यम से व्यापार को खोलने सहित व्यापार संबंधी सभी बाधाओं को हटाने पर सहमत है और यदि हां, तो वर्तमान स्थिति और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का बांग्लादेश को दी जा रही कर-मुक्त बाजार पहुंच को पाकिस्तान को भी देने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने उत्तर-पूर्व राज्यों में बोर्डर हाटों की स्थापना करने की अनुमति दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे कितने हाट कार्यरत है तथा देश में और अधिक ऐसे हाटों की स्थापना करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. ई.एम.एस. नाच्चीयप्पन) : (क) पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय व्यापार वार्ता अप्रैल, 2011 में "वाणिज्यक एवं आर्थिक सहयोग" के संबंध में भारत — पाकिस्तान वाणिज्य सचिव स्तर की बातचीत के पांचवें दौर के साथ पुनः आरंभ की गई थी। तत्पश्चात् नवंबर, 2011 में दिल्ली में तथा सितम्बर, 2012 में इस्लामाबाद में वार्ताओं के अगले दौर आयोजित किए गए। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए भारत — पाकिस्तान के बीच व्यापार से संबंधित आंकड़े निम्नानुसार हैं:—

(मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

वर्ष	निर्यात	आयात	कुल
2010-11	2039.53	332.51	2372.05
2011-12	1541.56	397.66	1939.21
2012-13	2064.79	541.87	2606.66
2013-14 (अप्रैल-अक्तूबर)	950.35	211.90	1162.25

वर्ष 2013-14 (अप्रैल-अक्तूबर) के लिए निर्यात एवं आयात के मद-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) भारत के लिए पाकिस्तान की 'नकारात्मक सूची' में 1209 टैरिफ लाइनें हैं। पाकिस्तान अटरी — वाघा भू-मार्ग के जरिए केवल 137 मदों के आयात की अनुमति देता है।

(ग) पाकिस्तान ने भारत को अभी तक एमएफएन दर्जा प्रदान नहीं किया है। सितम्बर, 2012 में इस्लामाबाद में आयोजित 7वीं वाणिज्य सचिव स्तर की वार्ताओं में हुई सहमति के अनुसार पाकिस्तान सरकार भू-मार्ग पर लगे व्यापार प्रतिबंधों को हटाने तथा भारत को एमएफएन दर्जा प्रदान किए जाने संबंधी अपनी वचनबद्धताओं को पूरा करने में असमर्थ रही है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

(ङ) भारत सरकार ने मेघालय में कलईचर का बालात में भारत – बांग्लादेश सीमा पर दो सीमा – हाटों को आरंभ किया है जिनमें "स्थानीय मुद्रा में और/अथवा वस्तु – विनिमय आधार पर व्यापार की परंपरागत प्रणाली अपनाने की अनुमति दी गई है। दोनों देश भारत – बांग्लादेश सीमा पर त्रिपुरा में कमला सागर, श्रीनगर, पलबस्ती और कमलापुर में चार सीमा हाटों की स्थापना के संबंध में सिद्धांततः सहमत हुए हैं।

विवरण

वाणिज्य विभाग

भारत के मासिक विदेश व्यापार आंकड़े (प्रधान वस्तुएं एवं देश)

निर्यातः देश-वार सभी वस्तुएं

दिनांकः 11.12.2013

(मूल्यः मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

(अ)अनंतिम

देशः पाकिस्तान आईआर

क्र. सं.	वस्तु	अक्तूबर, 2012	अक्तूबर, 2013 (अ)	% वृद्धि	अप्रैल-अक्तूबर, 2012	अप्रैल-अक्तूबर, 2013(अ)	% वृद्धि देशः पाकिस्तान आईआर
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	रंजक/मध्यवर्ती और कोलतार रसायन	3.24	15.21	369.62	120.29	112.52	-6.46
2.	प्लास्टिक लिनोलियम उत्पाद	12.78	9.33	-27.04	56.40	82.241	45.81
3.	मानवनिर्मित यार्न, फेब्रिक्स, मेडअप्स	15.31	15.17	-0.87	84.69	75.10	-11.33
4.	कपास कच्ची अपशिष्ट सहित	1.30	1.45	12.13	104.98	71.23	-32.14
5.	औषध, भेषज एवं परिष्कृत रसायन	6.44	7.92	22.94	61.92	67.73	9.39
6.	कपास यार्न, फेब्रिक्स, मेडअप्स	2.18	14.73	575.99	19.11	60.13	214.57
7.	तेल खाद्य	34.39	2.281	-93.36	97.29	58.11	-40.27
8.	दालें	1.78	5.64	216.23	28.54	44.76	56.83
9.	ताजी सब्जियां	16.09	0.13	-99.17	39.79	36.14	-9.17
10.	पेट्रोलियम (अपरिष्कृत एवं उत्पाद)	0.81	4.05	398.77	10.65	31.75	198.14
11.	फूटवियर को छोड़कर रबड़ विनिर्मित उत्पाद	3.06	4.12	34.57	22.98	28.27	23.04

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	अकार्बनिक/कार्बनिक/कृषि रसायन	3.63	3.65	0.56	26.71	27.71	3.74
13.	मशीनरी एवं उपकरण	2.78	3.64	31.14	18.74	25.27	34.82
14.	अन्य वस्तुएं	2.22	3.50	57.49	19.83	21.18	6.80
15.	दुग्ध उत्पाद	0.88	2.31	163.05	6.30	17.03	170.33
16.	सौन्दर्य प्रसाधन/प्रसाधन इत्यादि	1.35	1.77	31.24	9.82	16.63	69.421
17.	रत्न एवं आभूषण	0.84	1.331	58.29	3.06	17.02	456.22
18.	मसाले	1.46	1.64	11.99	33.57	16.25	−51.59
19.	अवशिष्ट रसायन एवं संबद्ध, उत्पाद	3.21	2.67	−16.69	22.08	15.35	−30.47
20.	चाय	6.20	2.97	−52.11	24.52	13.81	−43.69
21.	लौह मिश्र धातु	1.06	0.76	−28.54	12.56	13.09	4.23
22.	ताजे फल	1.69	2.44	43.80	10.26	11.40	11.12
23.	मानवनिर्मित स्टेपिल रेशे	2.25	1.78	−20.95	17.71	10.72	−39.46
24.	धातु विनिर्मितियां	0.88	1.62	84.46	12.44	10.70	−13.97
25.	अन्य अनाज	0.17	0.09	−49.94	6.16	8.14	32.17
26.	अलौह धातुएं	0.89	0.98	10.21	5.80	6.34	9.25
27.	प्रसंस्कृत खनिज	0.65	0.74	13.96	4.06	6.27	54.48
28.	फल/सब्जियों के बीज	0.99	0.93	−6.60	10.35	4.90	−52.69
29.	पेंट/इनेमल/वार्निश इत्यादि	0.71	1.02	44.33	4.09	4.82	17.82
30.	चमड़ा	1.58	0.31	−80.21	5.74	4.95	−13.62
31.	कागज़ एवं काष्ठ उत्पाद	2.64	0.35	−86.78	10.41	3.55	−65.93
32.	अन्य अयस्क एवं खनिज	0.19	1.01	428.15	2.41	3.35	38.96
33.	अन्य प्रसंस्कृत मदें	0.22	0.79	251.22	5.57	3.22	−42.16
34.	प्राथमिक इस्पात, पिटवां लौह मदें	0.14	0.37	169.86	1.92	3.15	64.35
35.	मांस एवं विनिर्मितियों	0.41	0.67	61.98	2.32	3.12	34.47
36.	मूंगफली	0.75	0.13	−82.07	1.49	2.79	87.37
37.	काजू	0.12	0.53	335.02	0.66	1.56	138.18

1	2	3	4	5	6	7	8
38.	ग्लोंस/ग्लोंस वियर/रिसेमिक्स/ रिफरेक्टरी/सिमेंट	0.02	0.19	675.61	0.76	1.42	87.70
39.	इलेक्ट्रॉनिकी वस्तुएं	0.17	0.38	120.14	0.76	1.34	75.33
40.	प्रसंस्कृत फल एवं रस		0.31		0.03	1.27	3,765.65
41.	बासमती चावल	0.26			1.06	0.77	−27.24
42.	चर्म वस्तुएं	0.02	0.18	624.69	0.31	0.78	149.15
43.	लौह और इस्पात/रोड आदि	0.14	0.17	19.60	0.82	0.82	−0.91
44.	कुक्कुट उत्पाद	0.19	0.03	−82.13	061	0.78	28.60
45.	परिवहन उपकरण		0.04		0.11	0.54	408.44
46.	खेलकूल सामग्री	0.14	0.05	−64.31	0.51	0.29	−43.67
47.	अपशिष्ट इंजीनियरिंग मदें	0.03	0.03	6.19	0.13	0.26	94.19
48.	मशीनी उपकरण	0.01	0.01	33.33	0.11	0.23	101.31
49.	सहायक संबंधी सहित आरएमजी कपास	0.03	0.03	12.88	0.78	0.21	−72.75
50.	प्रसंस्कृत सब्जियों	0.03	0.03	−10.80	0.11	0.21	97.79
51.	ग्वारगम खाद्य				0.47	0.20	−57.92
52.	समतिल		0.04		0.09	0.19	116.34
53.	तंबाकू विनिर्मितियों	0.02			0.51	0.10	−79.30
54.	अरण्डी का तेल				0.05	0.11	136.03
55.	(बासमती को छोड़कर) चावल		0.03		0.15	0.11	−29.90
56.	उत्पादों को छोड़कर एल्यूमिनियम				0.08	0.09	7.02
57.	हथकरघा (हस्तशिल्प कालीनों को छोड़कर)				0.01	0.07	530.56
58.	आरएमजी रेशम	0.01	0.03	252.70	0.01	0.06	585.88
59.	ऊनी यार्न, फैब्रिक्स, मेडअप्स आदि		0.03		0.05	0.04	−12.28
60.	बागवानी उत्पादन	0.00	0.01	266.67	0.01	0.03	227.50
61.	चमड़े की फुटवियर		0.00	−93.33	0.24	0.02	−93.06

1	2	3	4	5	6	7	8
62.	कयर एवं कयर विनिर्मितिओं		0.00		0.03	0.02	−34.72
63.	चमड़ा उत्पाद				000	0.02	1,925.00
64.	माइका	0.00			0.01	0.01	78.21
65.	हस्तविर्मित कालीन (सिल्क को छोड़कर)					001	
66.	अन्य जूट विनिर्मितियां		0.00			0.01	
67.	आरएमजी मानव निर्मित फाइबर्स	0.21	0.00	−99.62	0.34	0.01	−97.77
68.	अन्य वस्त्र सामग्री के आर.एम.जी.				0.04	0.01	−83.33
69.	आरएमजी रेशम					0.00	
70.	प्राकृतिक सिल्क यार्न, फेब्रिक, मेडअप्स	0.01			0.02	0.00	−85.12
71.	काजू गिरी शेल					0.00	
72.	चमड़े की फूटवियर संघटक					0.00	
73.	रबड़/कैनवस की फुटवियर				0.01		
74.	परियोजना वस्तुएं				0.10		
	कुल	136.62	119.62	−12.44	933.54	950.35	1.80

आंकड़े स्रोत: डी.जी.सी.आई.एस. कोलकाता।

डीओसी – एनआईसी

(*) – > % कुल निर्यात में वस्तु हिस्सा, (2013-2014)।

वाणिज्य विभाग

भारत के मासिक विदेश व्यापार आंकड़े (प्रधान वस्तुएं एवं देश)

आयात: देश-वार सभी वस्तुएं

दिनांक: 11.12.2013

(मूल्य: मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

(अ)अनंतिम

देश: पाकिस्तान आईआर

क्र. सं.	वस्तु	अक्तूबर, 2012	अक्तूबर, 2013 (अ)	% वृद्धि	अप्रैल-अक्तूबर, 2012	अप्रैल-अक्तूबर, 2013(अ)	% वृद्धि देश: पाकिस्तान आईआर
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	काजूगिरी को छोड़कर फल एवं सब्जियां	18.66	13.41	−28.16	66.84	52.96	−20.76

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	कार्बनिक रसायन	0.21	6.16	−24.82	26.47	23.17	−12.48
3.	अन्य वस्तुएं	3.33	2.77	−16.80	27−53	19.60	−28.82
4.	अपरिष्कृत पेट्रोलियम और उत्पाद	4.19	3.45	−17.59	22.54	19.19	−14.89
5.	अपरिष्कृत कपास काता हुआ/ बिना काता हुआ/अपशिष्ट	3.75	4.10	9.50	37.19	15.40	−58.59
6.	सीमेंट	3.75	2.03	−45.77	24.74	14.47	−41.53
7.	चमड़ा	0.70	0.97	39.37	5.15	9.79	125.34
8.	सूती यार्न एवं फेब्रिक्स	1.45	1.54	6.29	9.28	9.49	5.47
9.	अपरिष्कृत ऊन	0.80	1.40	74.92	5.09	8.30	62.89
10.	अकार्बनिक रसायन	1.79	0.92	−48.37	9.95	6.38	−35.91
11.	घात्विक अयस्क एवं धात्विक कतरन	0.80	1.07	−40.60	149.19	5.16	−96.54
12.	चीनी					5.05	
13.	मोती को छोड़कर गैर-धात्विक खनिज विनिर्मितियों	0.35	0.83	134.02	1.90	2.89	52.22
14.	कृत्रिम रेजिन, प्लास्टिक सामग्री आदि	0.46	0.07	−85.60	6.42	2.67	−58.35
15.	ऊनी एवं सूती यार्न	0.44	0.52	18.82	3.05	2.46	−19.21
16.	तिलहन	0.59	0.15	−75.14	1.91	2.45	28.01
17.	अन्य अपरिष्कृत खनिज	0.28	0.25	−12.40	1.26	1.28	1.54
18.	सिले सिलाये परिधान	0.08	0.22	184.77	2.1 1	1.21	−42.43
19.	अलौह धातुएं	0.41			4.30	1.14	−73.56
20.	अन्य वस्त्र यार्न, फेब्रिक्स, मेडिअप्स	0.08	0.06	−23.37	0.74	0.76	2.39
21.	इलेक्ट्रॉनिक को छोड़कर व्यावसायिक उपकरण	0.07	0.16	126.39	0.48	0.69	43.32
22.	मेडअप वस्त्र सामग्री	0.23	0.01	−95.98	1.14	0.72	−36.53
23.	मसाले	0.05	0.06	10.33	0.57	0.68	18.74

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	मेडअप वस्त्र/स्पन यार्न	0.01	0.20	1,685.59	0.30	0.60	99.01
25.	परिवहन उपकरण	0.00			0.35	0.51	47.42
26.	इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं	0.05			0.66	0.43	−35.14
27.	काठी एवं जीनसाजी का सामान	0.07	0.07	−5.63	0.86	0.43	−50.01
28.	रसायन वस्तुएं एवं उत्पाद	0.01	0.08	540.00	0.17	0.30	78.78
29.	कोल, कोक एवं ब्रिकेट्स आदि	0.01			0.38	0.26	−31.70
30.	मुद्रित पुस्तकें, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं	0.05	0.02	−67.16	0.26	0.21	−19.44
31.	इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिकी को छोड़कर उपकरण	0.04	0.06	39.52	0.09	0.21	122.97
32.	दालें					0.17	
33.	पेपर बोर्ड एवं विनिर्मितियों		0.00		0.03	0.15	453.61
34.	प्राथमिक इस्पात, पिटवां लौह आधारित मदें					0.13	
35.	धातु विनिर्मितियां	0.01	0.02	74.00	0.05	0.09	94.48
36.	मोती, कीमती एवं बेशकीमती नगीने				0.22	0.09	−56.95
37.	इलेक्ट्रॉनिक को छोड़कर इलेक्ट्रिक मशीनरी	0.00	0.00	160.00	0.02	0.08	277.40
38.	काष्ठ एवं काष्ठ उत्पाद	0.02	0.00	−94.85	0.29	0.07	−74.80
39.	एसेंशियल ऑयल एवं प्रसाधन सामग्री	0.03	0.02	−36.40	0.05	0.06	15.94
40.	ऊनी यार्न एवं फैब्रिक्स	0.02	0.00	−87.57	0.08	0.04	−48.20
41.	डाईंग, ट्रैनिंग, कालरिंग सामग्री	0.09	0.02	−83.13	0.26	0.03	−87.57
42.	सिंथेटिक एवं रीक्लेम्ड रबड़				0.00	0.02	5,050.00
43.	अनाज विनिर्मितियों		0.00		0.00	0.01	1,700.00
44.	अपरिष्कृत उर्वरक	0.07			0.44	0.00	−99.00
45.	लौह एवं इस्पात	0.00	0.00	1,600.00	0.16	0.00	−97.23
46.	मशीन उपकरण					0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8
47.					0.01		
48.	औषधीय एवं भेषजीय उत्पाद	0.00			0.01		
	कुल	43.94	34.61	−21.23	412.53	211.89	−48.64

आंकड़े स्रोत: डी.जी.सी.आई.एस. कोलकाता।

डीओसी – एनआईसी

(*) – > % कुल निर्यात में वस्तु हिस्सा, (2013-2014)।

भारत-अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास

1739. श्री सी. राजेन्दन : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत-अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है;

(ख) यदि हां, तो भारत-अमेरिका युद्धक विमानों के कराये गए पिछले अभ्यास सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए ऐसे अभ्यास की उपयोगिता का मूल्यांकन कराया है; और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इन अभ्यासों के लिए आबंटित तथा व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा इससे क्या लाभ प्राप्त हुआ है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2013 में दोनों देशों की सेनाओं और नौसेनाओं प्रत्येक के बीच दो सैन्य अभ्यास हुए थे। दोनों पक्षों के बीच पिछला युद्धक विमान अभ्यास अक्तूबर, 2009 में भारत में संचालित किया गया था।

(ग) और (घ) विदेशी सशस्त्र सेनाओं के साथ अभ्यास से सद्भावना विकसित होती है और सशस्त्र सेनाओं में कौशल और क्षमता का विकास होता है। इन अभ्यासों पर होने वाले स्यय का वहन सशस्त्र सेनाओं के बजट से किया जाता है।

[हिन्दी]

कुशल श्रमिक

1740. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :
श्री कुलदीप बिश्नोई :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निकट भविष्य में स्वास्थ्य सेवाओं, उद्योगों, औद्योगिक, इकाइयों, ई-सेवाओं आदि सहित देश में कुशल श्रमिकों की संभावित आवश्यकता का मूल्यांकन कराया है;

(ख) यदि हां, तो क्षेत्र-वार विशेषरूप से उक्त अवसंरचना क्षेत्र का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा देश में, विशेषरूप से इन क्षेत्रों में आवश्यक कुशल श्रम शक्ति उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या इस संबंध में कोई विशेष योजना शुरू की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा एक अध्ययन आयोजित किया गया है, जिसके अनुसार वर्ष 2022 तक 21 उच्च विकास वाले क्षेत्रों (जिनमें स्वास्थ्य देखभाल, आईटी और आईटीइएस, अवसंरचना क्षेत्र शामिल हैं) में कुशल श्रमिकों की वर्धमान आवश्यकता 347 मिलियन होना अनुमानित है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) कौशल विकास संबंधी योजनाएं 17 केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा चलाई जाती हैं। सरकार ने निम्न सहित देश में बड़ी संख्या में व्यक्तियों को कुशल बनाना सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं:–

(i) 10 जून, 2013 को कौशल विकास पए मंत्रिमंडल समिति गठित की गई है।

(ii) 07 जून, 2013 को राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी गठित की गई है।

(iii) 12वीं योजना अवधि में 5 करोड़ व्यक्तियों को कुशल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(iv) व्यावसायिक पाठ्यक्रम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए उन्नतिशीलता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

विवरण

उच्च विकास वाले क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों की वर्धमान आवश्यकता

क्र. सं.	क्षेत्र/उद्योग	वर्धमान मानव संसाधन आवश्यकता (लाख में)
1	2	3
1.	भवन एवं निर्माण उद्योग	330
2.	अचल संपदा सेवाएं	140
3.	रत्न एवं आभूषण	46
4.	चमड़ा एवं चमड़े की वस्तुएं	46
5.	संगठित खुदरा	173
6.	वस्त्र एवं कपड़े	262
7.	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी हार्डवेयर	33
8.	ऑटो एवं ऑटो संघटक	350
9.	आईटी एवं आईटीईएस	53
10.	बैंकिंग, वित्त सेवाएं एवं बीमा	42
11.	फर्नीचर एवं फर्निशिंग	34
12.	अवसंरचना ढांचा	1030
13.	पर्यटन एवं आतिथ्य सेवाएं	36
14.	निर्माण सामग्री एवं भवन हार्डवेयर	14
15.	रसायन एवं औषधीय	19
16.	खाद्य प्रसंस्करण	93
17.	स्वास्थ्य देखभाल	127
18.	परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स	177
19.	मीडिया एवं मनोरंजन	30
20.	शिक्षा तथा कौशल विकास सेवाएं	58
21.	चुनिंदा अनौपचारिक योजनाए क्षेत्र (घरेलू सहायता, ब्यूटीशियन, सुविधा प्रबंधन, सुरक्षा गार्ड)	376
	वर्धमान	3470

राष्ट्रीय राजमार्गों पर गति-अवरोधक

1741. श्री मधुसूदन यादव : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर गति-अवरोधकों का निर्माण करने की अनुमूति नहीं है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर अनधिकृत गति-अवरोधकों के निर्माण करने का कोई दृष्टांत-सरकार के ध्यान में आया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हो और देश में पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर इन गति-अवरोधकों के कारण कितनी सड़क-दुर्घटनाएं हुई है; और

(घ) सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर अनधिकृत गति अवरोधकों को हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) और (ख) जी, हां। मंत्रालय के विद्यमान नीतिगत दिशा-निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों पर गति अवरोधकों का निर्माण किया जाना अनुमत नहीं है क्योंकि इनसे सुरक्षा जोखिम से बचने के अलावा निर्बाध गति सुविधा प्रदान किए जाने का उद्देश्य पूरा नहीं होता। तद्नुसार कार्यपालक एजेंसियों के नोटिस में जब भी ऐसा कोई दृष्टांत आता है तब अनाधिकृत गति अवरोधकों को हटाए जाने के लिए समुचित कार्रवाई की जाती है।

(ग) चूंकि राष्ट्रीय राजमार्गों पर गति अवरोधक बनाने की कोई नीति है। इसलिए गति अवरोधकों के कारण सड़क दुर्घटनाओं के राष्ट्रीय राजमार्ग-वार आंकड़े नहीं रखे जाते।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों पर गति अवरोधक हटाए जाने के लिए मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को समय-समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं।

[अनुवाद]

जलमार्गों का विकास

1742. श्री सुल्तान अहमद :
श्री आर. ध्रुवनारायण :

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में अंतर्देशीय से परिवाहित ऐसे कार्गो की मात्रा का ब्यौरा क्या है जिसका प्रस्थान और गंतव्य-स्थल दोनों भारत में ही थे;

(ख) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों का पथ-विस्तार करने तथा और अधिक कार्गो-परिवहन एवं अन्य परिवहन-रीतियों हेतु अंतर्देशीय जलमार्गों और समुद्रतटीय पोत-परिवहन का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव तैयार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने अब तक केवल नदियों और अन्य अंतर्देशीय जलमार्गों में ही परिवहन गतिविधि कर रहे जलयानों को समुद्री तटरेखा से संलग्न जलमार्गों पर प्रचालन की अनुमति देते हुए समुद्री परिवहन-आधारित घरेलू व्यापार को प्रोत्साहन दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों से (राष्ट्रीय जलमार्ग से भिन्न जलमार्ग शामिल) परिवहित ऐसे कार्गो की मात्रा जिसका प्रस्थान और गंतव्य-स्थल दोनों भारत में ही थे, से संबंधित ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

वर्ष	परिवहित कार्गो	
	(मिलियन टन में)	(अरब टन किमी. में)
2010-11	42.80	3.633
2011-12	68.76	3.494
2012-13	22.01*	1.114

*कार्गो परिवहन में कमी का प्राथमिक कारण गोवा में लौह अयस्क खनन पर प्रतिबंध होना है।

(ख) और (ग) केवल ऐसे ही जलमार्गों का विकास और विनियमन जिन्हें राष्ट्रीय जलमार्गों (एनडब्ल्यू) के रूप में घोषित किया गया है संघ सरकार के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है। सरकार ने अभी तक पांच जलमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया है। असम के बराक नदी में लखीपुर-भंगा 121 किमी. जलखंड को छठे राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित करने से संबंधित विधेयक संसद में विचाराधीन है। राष्ट्रीय जलमार्गों के उपयोग में वृद्धि करने के लिए, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) ने विभिन्न उपाय किए जिसमें अंतर्देशीय जल परिवहन अवसंरचना अर्थात् नौचालनात्मक नहर उपलब्ध करना, नौचालन सहायता और एनडब्ल्यू-1, 2 एवं 3 में टर्मिनल शामिल है। आईडब्ल्यूएआई ने संभावित टर्मिनलों में सड़क और रेल सम्पर्कता के लिए मैसर्स राइट्स के माध्यम से एकीकृत राष्ट्रीय परिवहन जलमार्ग ग्रिड पर अध्ययन भी किया है।

(घ) और (ङ) सरकार, विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 'आधार रेखा' तक विस्तार किए जाने के लिए अंतर्देशीय जल सीमा की अनुमति देती है। इससे नौवहन महानिदेशालय (डीजी शिपिंग) द्वारा नदी-समुद्र-जलयानों के निर्माण और प्रचालन में हाल में दी गई छूट से देश में तटीय नौवहन सुविधाजनक बनेंगा।

विदेशी प्रशिक्षकों की नियुक्ति

1743. श्री चार्ल्स डिएस : क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान एथलीटों और खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विदेशी प्रशिक्षकों की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी प्रशिक्षकों की नियुक्ति पर कितना व्यय किया गया; और

(ग) निकट भविष्य में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए जाने वाले नए संस्थानों का ब्यौरा क्या है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने विभिन्न खेल विधाओं के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 (11.12.2013 तक) में क्रमशः 31, 34 और 30 विदेशी कोच नियुक्त किए थे। इन विदेशी कोचों की नियुक्ति पर वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 (अक्तूबर, 2013 तक) क्रमशः 790.02, 717.73 और 509.85 लाख रुपए व्यय हुआ।

(ग) संबंधित ब्यौरा निम्नानुसार है:—

(i) देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के योग्य कोच तैयार करने और कोचिंग प्रदान करने हेतु एक समग्र व्यवस्था विकसित करने के लिए राष्ट्रीय खेल कोचिंग संस्थान।

(ii) विश्व खेल जगत में भारतीयश चुनौती की अगुवाई कर सकने वाले खेल चैम्पियन तैयार करने के लिए अनुसंधान की उच्च गुणवत्ता और खेल विज्ञान तथा औषधि के लक्ष्यों पर केंद्रित राष्ट्रीय खेल विज्ञान और औषधि संस्थान।

खेल संघों हेतु विनियमन

1744. श्री अजय कुमार :
श्री ई.जी. सुगावनम :

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इस आशय का कोई विनियम बनाने का विचार है कि केवल सुप्रतिष्ठित खिलाड़ी की खेल-संघों की अध्यक्षता कर सकेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त विनियम कब तक लागू किया जाएगा;

(घ) क्या खेल संघों ने नए विनियमों/खेल संहिता को स्वीकार करने में आपत्ति व्यक्त की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय खेल परिसंघ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत स्वायत्त निकाय है। सरकार उनके रोजमर्रा के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती। खेल निकायों में पारदर्शिता और सुशासन लाने के लिए सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ उनकी कार्यकारिणी में ऐसे खिलाड़ियों जिन्हें मताधिकार प्राप्त हो, को शामिल करने का प्रावधान है। ये दिशा-निर्देश भारतीय राष्ट्री खेल विकास संहिता, 2011 (एनएसडीसीआई) में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) भारतीय तीरदांजी संघ की मान्यता रद्द कर दी गई है क्योंकि इसने सरकार के दिशा-निर्देशों को मानने से इंकार कर दिया था। चुनावों में अनियमितताओं के मद्देनजर भारतीय अमेच्योर मुक्केबाजी परिसंघ की मान्यता को भी निलंबित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, कुछ अन्य राष्ट्रीय खेल परिसंघों जैसे भारतीय जिम्नास्टिक परिसंघ और भारतीय परिसंघ को भी विगत 3 वर्षों के दौरान सरकार के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते पाया गया है। इन राष्ट्रीय खेल परिसंघों को मान्यता प्रदान नहीं की गई है।

[हिन्दी]

सैनिकों हेतु किटों का आयात

1745. श्री अर्जुन राम मेघवाल :
प्रो. रामशंकर :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना में तैनात सैनिकों के लिए जूते, स्नो-जैकेट और आयुधों, आदि जैसे दैनंदिन उपयोग की सामग्री का आयात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार सेना के लिए इस सामग्री का क्रय स्वदेश में ही करने के लिए कोई योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (घ) सशस्त्र सेनाओं के सैनिकों के लिए रोजाना इस्तेमाल की मदों को प्राथमिक रूप से स्वदेशी स्रोतों मुख्यत: आयुध निर्माणी बोर्ड से अधिप्राप्त किया जाता है। अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों हेतु आवश्यक विशेष कपड़े और उपस्कर की कुछ मदें तथा विशेष हथियारों के लिए कुछ गोला-बारुद आयात के जरिए अधिप्राप्त किए जाते हैं। स्वदेशी स्रोतों की सीमाअे ंके कारण ऐसी मदों के आयात का सहारा लिया जाता है। स्वदेशी स्रोतों की पहचान करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं।

संयुक्त राष्ट्र का शांति मिशन

1746. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र बलों द्वारा आज तक विभिन्न देशों में किए जा रहे शांति बहाली मिशन अभियानों का देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन अभियानों में मारे गए भारतीय सैनिकों की देश-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र (यू.एन.) को इस कार्य हेतु भारतीय सेना को भुगतान करना होता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) शांति बहाली के लिए संयुक्त राष्ट्र मिशनों में भारतीय सशस्त्र बलों की भागीदारी का आज तक का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्तमान में, भारतीय सशस्त्र बल,

यू.एन. के चार शांति बहाली मिशनों में भाग ले रहे हैं, जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है:—

क्र.सं.	मिशन का नाम	कार्मिकों की संख्या
1.	कांगो (एमओएनयूएससीओ)	3768
2.	लेबनान (यूएनआईएफआईएल)	899
3.	दक्षिणी सूडान (यूएनएमआईएसएस)	2004
4.	गोलान की पहाड़ियां (यूएनडीओएफ)	194

(ख) शांति बाहली के लिए यू.एन. मिशन में संक्रियाओं के दौरान कार्रवाई में कब तक 70 सैनिक शहीद हो चुके हैं। इसका ब्यौरा निम्नलिखित है:—

1.	कांगो गणराज्य (एमओएनयूएससीओ)	08
2.	दक्षिणी सूडान (यूएनएमआईएसएस)	06
3.	मिश्र (सिनाई)/(यूएनईएफआई)	14
4.	कांगो (ओएनयूसी)	28
5.	सियरा लिओन	01
6.	यूएनओएसओएम-II (सोमिलिया)	12
7.	यूएनटीएसी (कम्बोडिया	01

(ग) जी, हां।

(घ) वर्तमान में, संयुक्त राष्ट्र, यू.एन. मिशन में तैनाती अवधि के लिए दल के प्रत्येक सदस्य को प्रति माह 1028 अमेरिकी डॉलर की प्रतिपूर्ति करता है। इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र इन मिशनों में तैनात उपस्करों के लिए भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र के बीच हस्ताक्षरित एमओयू/एलओए के आधार पर प्रतिपूर्ति भी करता है।

विवरण

उन शांति बहाली संक्रियाओं (1948-2013) की सूची जिनमें भारतीय सेना ने भाग लिया

क्र. सं.	प्रथमाक्षर	मिशन का नाम	देश
1	2	3	4
1.	यूएनएनआरसी	संयुक्त राष्ट्र तटस्थ राष्ट्र संप्रत्यावर्तन कमीशन	कोरिया
2.	यूएनएमआईसी	चीन में संयुक्त राष्ट्र शिन (के) (यूएनएमआईसी)	चीन
3.	यूएनईएफआई	संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन बल	मिश्र-इजराइल
4.	यूएनईएफ-1	प्रथ संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन बल	गाजा
5.	यूएनओजीआईएल	लेबनान में संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षण समूह	लेबनान
6.	ओएनयूसी	कांगो में संयुक्त राष्ट्र आपरेशन	कांगो
7.	यूएनएसएफ	पश्चिमी ईरान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा बल	पश्चिमी ईरान
8.	यूएनवाईओएम	संयुक्त राष्ट्र यमन प्रेक्षण मिशन	यमन
9.	यूएनएफआईसीवाईपी	साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र शांति बहाली बल	साइप्रस
10.	यूएनआईएमओजी	संयुक्त राष्ट्र ईरान-इराक मिलिट्री प्रेक्षण दल	ईरान-इराक
11.	यूएनएवीईएम-I	संयुक्त राष्ट्र अंगोला सत्यापन मिशन-I	अंगोला
12.	यूएनएवीईएम-II	संयुक्त राष्ट्र अंगोला सत्यापन मिशन-II	अंगोला

1	2	3	4
13.	यूएनएवीईएम-III	संयुक्त राष्ट्र अंगोला सत्यापन मिशन-III	अंगोला
14.	यूएनटीएजी	संयुक्त राष्ट्र ट्रांजिशन सहायता दल	नामीबिया
15.	ओएनयूसीए	मध्य अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षक दल	निकारागुआ
16.	ओएनयूएसएएल	अल्सल्वाडोर में संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षक मिशन	अल्सल्वाडोर
17.	यूएनआईकेओएम	संयुक्त राष्ट्र इराक, कुवैत पेक्षण मिशन	इराक, कुवैत
18.	यूएनएएमआईसी	कंबोडिया में संयुक्त राष्ट्र उच्च मिशन	कंबोडिया
19.	यूएनपीआरओएफओआर	संयुक्त राष्ट्र बचाव बल	पूर्व युगोस्लाविया
20.	यूएनटीएसी	कंबोडिया में संयुक्त राष्ट्र ट्रांजिशनल प्राधिकरण	कंबोडिया
21.	ओएनयूएमओजेड	मोजाम्बिक में संयुक्त राष्ट्र आपरेशन	मोजाम्बिक
22.	यूएनओएसओएम-II	सोमालिया-II में संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षक मिशन	सोमालिया
23.	यूएनओएसआईएल	लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षक मिशन	लाईबेरिया
24.	यूएनओएमआईजी	जार्जिया में संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षक मिश्न	कम्बोडिया
25.	यूएनएएमआईआईएच	हैती में संयुक्त राष्ट्र मिशन	हैती
26.	एमआईएनयूएसटीएएच	हैती में संयुक्त राष्ट्र शांति मिश्न	हैती
27.	यूएनएएमआईआर	रवांडा में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन	रवांडा
28.	यूएनएमआईबीएच	बोस्निया और हर्जेगोविना में संयुक्त राष्ट्र मिशन	बोस्नया-हर्जेगोविना
29.	यूएनओएमएसआईएल	सिअरा लिओन में संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षक मिशन	सिअरा लिओन
30.	एमओएनयूए	अंगोला में संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षक मिशन	अंगोला
31.	यूएनएमए	अंगोला में संयुक्त राष्ट्र मिशन	अंगोला
32.	यूएनजीसीआई	इराक में संयुक्त राष्ट्र गार्ड टुकड़ी	इराक-कुवैत
33.	एमआईएनयूआरएसओ	पश्चिमी सहारा में जनमत संग्रह हेतु संयुक्त राष्ट्र मिशन	पश्चिमी तिमोर
34.	यूएनटीएईटी	पूर्वी तिमोर में संयुक्त राष्ट्र ट्रांजिशनल प्रशासन	पूर्वी तिमोर
35.	यूएनएएमआईएस	सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन	सूडान
36.	ओएनयूबी	बुरुंडी में संयुक्त राष्ट्र आपरेशन	बुरुंडी
37.	यूएनएफआईसीवाईपी	साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र शांति बहाली बल	साइप्रस
38.	यूएनआईएफआईएल	लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल	लेबनान

1	2	3	4
39.	यूएनआईएफआईके	कोसोवो में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम प्रशासन मिशन	कोसोवो
40.	यूएनएमईई	इथोपिया और इरिट्रिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन	इथोपिया-इरिट्रिया
41.	एमओएनयूसी	कांगो गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन मिशन	कांगो गणराज्य
42.	ओएनयूसीआई	कोट दी वायर में संयुक्त राष्ट्र आपरेशन	आइवरी कोस्ट
43.	यूएनएमआईएस	सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन	सूडान
44.	यूएनडीओएफ	संयुक्त राष्ट्र विलगन प्रेक्षक बल	गोलन की पहाड़ियां
45.	यूएनएमआईएल	लाईबेरिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन	लाइबेरिया
46.	यूएनएमआईटी	तिमोर लेस्टे में संयुक्त राष्ट्र एकीकृत मिशन	तिमोर लेस्टे
47.	एमओएनयूएससीओ	कांगो गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरता मिशन	कांगो गणराज्य
48.	यूएनएमआईएसएस	दक्षिणी सूडान रिपब्लिक में संयुक्त राष्ट्र मिशन	दक्षिणी तूफान रिपब्लिक
49.	यूएनआईएसएफए	अबाई के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल	सूडान

[अनुवाद]

रोजगार सूचना केन्द्र

1747. श्री हरिन पाठक : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों को रोजगार से संबंधित सूचना प्रदान करने हेतु प्रत्येक गांव में रोजगार सूचना केन्द्र (ईआईसी) स्थापित करने का अनुदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों द्वारा इस अनुदेश का अनुपालन किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार उन गांवों के नाम क्या हैं जहां पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ईआइसी की स्थापना की गई है;

(घ) प्रत्येक गांव में रोजगार सूचना केन्द्र कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है; और

(ङ) निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रत्येक जिले के रोजगार केन्द्र में निजी क्षेत्र का रोजागर एक्सचेंज ब्यूरो स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) श्रम और रोजगार मंत्रालय ने प्रत्येक गांव में रोजगार सूचना केन्द्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों को अनुदेश जारी नहीं किए हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) राष्ट्रीय रोजगार सेवा (एनईएस) के पास राज्य सरकारों द्वारा प्रबंधित 956 रोजगार कार्यालयों का एक नेटवर्क है तथा ये कार्यालय 25 अथवा उससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों सहित रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अधिसूचना) अधिनियम, 1959 के तहत शामिल किए गए प्रतिष्ठानों द्वारा अधिसूचित रिक्तियों को प्राप्त करते हैं। 24 अथवा उससे कम व्यक्तियों को नियोजित करने वाले निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रोजगार अवसरों के बारे में रिक्तियों/सूचना को स्वैच्छिक आधार पर प्राप्त किया जाता है तथा नियोक्ताओं की आवश्यकता के अनुसार अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तुत किए जाते हैं। ये कार्यालय इस प्रकार से अधिसूचित रिक्तियों के प्रति संबंधित प्रतिष्ठानों को पात्र पंजीकृत रोजगार चाहने वालों की सूची भेजते हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण

1748. श्री सुदर्शन भगत : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण (एनआरसीए) की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो प्राधिकरण के कार्यों की प्रमुख विशेषताएं क्या है;

(ग) क्या पिछले आठ वर्षों के दौरान एनआरसीए की कोई समीक्षा बैठक आयोजित हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (ङ) सरकार द्वारा नदी संरक्षण कार्यक्रम, गंगा कार्य योजना के आरंभ होने के साथ प्रारंभ किया गया था, जिसे बाद में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के अंतर्गत देश की अन्य प्रमुख नदियों को शामिल करने के लिए 1995 में विस्तारित किया गया था।

एनआरसीपी के अंतर्गत प्रदूषण उपशमन कार्यों के नीतिगत कार्य ढांचे को अंतिम रूप देने और कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए सरकार द्वारा वर्ष 1995 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण (एनआरसीए) का गठन किया गया था। एनआरसीए की 11वीं बैठक जून, 2003 में आयोजित की गई थी। इस योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए सचिव, पर्यावरण और वन की अध्यक्षता में एनआरसीए की संचालन समिति की बैठक, एनआरसीए की जून, 2003 में हुई बैठक के बार चार बार आयोजित की गई थी। संचालन समिति की अंतिम बैठक दिसम्बर, 2007 में आयोजित की गई थी।

सरकार द्वारा नदी संरक्षण कार्यनीति की समीक्षा और सुधार करने हेतु एक व्यापक प्रक्रिया साथ-साथ शुरू की गई थी। गंगा कार्य योजना को संकेन्द्रित समीक्षा हेतु प्रारंभ किया गया था। संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और कार्यान्वयन अभिकरणों के साथ अनेक बैठकें आयोजित की गई थीं। यह तय किया गया था कि नदी स्वच्छता का प्रभाव बढ़ाने के लिए नदी संरक्षण की कार्यनीति को समग्र नदी बेसिन दृष्टिकोण के साथ लागू किया जाना चाहिए। तद्नुसार, फरवरी, 2009 में सरकार द्वारा आयोजना की इकाई के रूप में नदी बेसिन को अपनाकर गंगा नदी के प्रदूषण का प्रभावी उपशमन और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक शक्ति सम्पन्न आयोजना, वित्त पोषण, मॉनीटरिंग और समन्वयक प्राधिकरण के रूप में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) का गठन किया गया था। इस प्राधिकरण ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अब तक क्रमशः दिनांक 05.10.2009, 01.11.2010 और 17.04.2012 को तीन बैठके आयाजित की हैं।

[अनुवाद]

ईपीएफ का बकाया

1749. श्री के. सुधाकरण : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारियों में कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की बहुत भारी बकाया धनराशि जमा होकर 4238.00 करोड़ रुपए हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस भारी जमा हेतु मुख्य कारण ईपीएफओ द्वारा भविष्य निधि के बकाये की वसूली की धीमी प्रक्रिया पर विशेषकर न्यायालयों द्वारा आदेशित अर्थदंडों के संग्रहण में ढिलाई बरतना तथा दोषी नियोक्ताओं द्वारा प्राप्त स्थगनादेशों को निष्प्रभावी करने हेतु कदम उठाने के संबंध में शिथिलता बरतना है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार 4093.48 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी। कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 में उल्लिखित कार्रवाई बकायों की वसूली हेतु की जाती है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2012-13 के दौरान 1,441.43 करोड़ रुपये राशि की वसूली हुई है।

(ग) भविष्य निधि देय राशि की वसूली की धीमी प्रक्रिया का मुख्य कारण न्यायालयों तथा ईपीएफ अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा जारी स्थगन, परिसमापित हुए प्रतिष्ठान तथा पुनर्वास पैकेज हेतु औद्योगिकी एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) के पास आने वाली बीमार कम्पनियां हैं।

(घ) एक सुधारात्मक उपाय के रूप में ईपीएफओ ने वसूली डोजियरों की नियमित समीक्षा करने, अभियोजन दायर करने, पुलिस प्राधिकरणों में एफआईआर दायर करना, लगाए गए स्थगन आदेशों को हटाने हेतु समुचित न्यायालयों के समक्ष याचिका दायर करना तथा बकायों की वसूली हेतु भविष्य निधि मामलों में शीघ्र निपटान हेतु विशेष न्यायालयों/बैंच गठित करने के लिए उच्च न्यायालयों से अनुरोध करने के फील्ड कार्यालयों को निदेश दिए हैं।

[हिन्दी]

प्रदूषण कम करने हेतु विश्व बैंक से प्राप्त सहायता

1750. श्री सुरेश काशीनाथ तवारे : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने पर्यावरण और प्रदूषणमुक्त करने के लिए महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता/ऋण प्रदान किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों को पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जारी की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) इस मंत्रालय को तीन प्रमुख क्षेत्रों, नामशः राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन कार्यक्रम (एनजीआरबीपी), समेकित तटीय क्षेत्र प्रबंधन (आईसीजेडएम) कार्यक्रम और औद्योगिक प्रदूषण प्रबंधन क्षमता निर्माण परियोजना (सीबीआईपीएमपी) में विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है।

राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन कार्यक्रम के मामले में, विश्व बैंक गंगा नदी के प्रदूषण का उपशमन करने के लिए तकीनकी सहायता और 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तीयन प्रदान करके सरकार की सहायता करेगा। यह कार्यक्रम पांच गंगा बेसिन राज्यों, नामशः उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में कार्यान्वित किया जाना है।

समेकित तटीय क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत, विश्व बैंक व्यापक तटीय प्रबंधन के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय क्षमता का निर्माण करने में सरकार को 195 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इसमें पर्यावरण और प्रदूषण प्रबंधन के साथ-साथ गुजरात, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों में परिकल्पित कुछ पायलट परियोजनाएं शामिल है।

विश्व बैंक ने देश में संदूषित स्थलों का पर्यावरणीय रूप से अनुकूल उपचार प्रारंभ करने के लिए औद्योगिक प्रदूषण प्रबंधन क्षमता निर्माण परियोजना (सीबीआईपीएमपी) के लिए 75.39 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता भी प्रदान की है, जिसमें पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश राज्यों में खतरनाक अपशिष्ट स्थलों और नगरीय ठोस अपशिष्ट स्थलों की चार पायलट परियोजनाओं का उपचार शामिल है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों के चयनित औद्योगिक क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता मानकों के लागत-प्रभावी अनुपालन को समर्थ बनाने के लिए 0.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर (2.25 करोड़ रुपए) की कुल लागत से "पायलट मार्किट बेसड् एमीशन्स ट्रेडिंग स्कीम टु इम्प्रूव एयर क्वालिटी इन इंडिया" संबंधी विश्व बैंक सहायित परियोजना को भी सितम्बर, 2011 से कार्यान्वित कर रहा है।

(ख) वर्ष 2010-11 से वर्ष 2013-14 (नवम्बर, 2013 तक) की अवधि के दौरान इन प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को जारी की गई राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 2010-11 से वर्ष 2013-14 (नवम्बर, 2013 तक) के दौरान जारी की गई राशि

राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन कार्यक्रम

(करोड रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	वित्तीय वर्ष	जारी की गई निधियां
1	2	3	4
1.	उत्तराखंड	2010-11	0.00
		2011-12	0.00
		2012-13	1.55
		2013-14	0.00
2.	उत्तर प्रदेश	2010-11	0.00
		2011-12	0.00
		2012-13	1.79
		2013-14	0.00
3.	बिहार	2010-11	0.00
		2011-12	0.00
		2012-13	0.60
		2013-14	17.00
4.	झारखंड	2010-11	0.00
		2011-12	0.00
		2012-13	0.50
		2013-14	0.00

1	2	3	4
5.	पश्चिम बंगाल	2010–11	0.00
		2011–12	0.00
		2012–13	0.60
		2013–14	0.00
	योग		22.04

समेकित तटीय क्षेत्र प्रबंधन (आईसीजेडएम) कार्यक्रम

1.	गुजरात	2010–11	42.93
		2011–12	30.00
		2012–13	5.00
		2013–14	24.00
2.	ओडिशा	2010–11	35.98
		2011–12	30.00
		2012–13	0.00
		2013–14	10.00
3.	पश्चिम बंगाल	2010–11	32.27
		2011–12	30.00
		2012–13	0.00
		2013–14	0.00
	योग		21.8701

औद्योगिक प्रदूषण प्रबंधन क्षमता निर्माण परियोजना (सीबीआईपीएमपी)

1.	आंध्र प्रदेश	2010–11	3.39
		2011–12	5.39
		2012–13	11.82
		2013–14	0.00
	उप-योग		20.60

1	2	3	4
2.	पश्चिम बंगाल	2010–11	3.11
		2011–12	4.80
		2012–13	6.70
		2013–14	0.00
	योग		14.61
	कुल-योग		35.21

पायलट मार्किट बेसड् एमीशन्स ट्रेडिंग स्कीम टु इम्प्रूव एयर क्वालिटी एन इंडिया

इस परियोजना के अंतर्गत अब तक गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्य सरकारों को कोई धनराशि जारी नहीं की गई है।

निर्यात में कमी

1751. श्री श्रीपाद येसो नाईक : क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा के मरमुगांव पत्त से होने वाले निर्यात में लगातार गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त पत्तन से पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान हुए निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(ग) मरमुगांव पत्तन से होने वाले निर्यात में गिरावट आने के क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए आकलन का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार मरमुगांव पत्तन से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना बना रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन) : (क) से (ग) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लौह अयस्क के खनन पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के कारण मरमुगांव पत्तन से निर्यात में कमल आई है क्योंकि लौह अयस्क किसी वर्ष के दौरान संभाले गए कार्गो का 80% हुआ करता था। पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में उक्त पत्तन से किए गए निर्यात का विवरण निम्नानुसार है:–

(मिलियन टन में मात्रा)

2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (नवंबर, 2013 तक)
40.84	29.89	8.65	1.25

(घ) और (ङ) सरकार की सलाह पर, पत्तन वैकल्पिक कार्गो आकृष्ट करने के सभी प्रयास कर रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप, मक्का, ग्रेन्नाइट और फार्मास्यूटिकल कंटेनर प्राप्त किए गए हैं। पड़ोसी राज्यों में पश्चभूमि में अवस्थित उद्योगों के साथ कई व्यापारिक बैठकें की गई हैं। इन प्रयासों से परिणाम प्राप्त होने की आशा है। तथापि, यह मात्राएं बहुत सीमित हैं और यह लौह अयस्क यातायात से हुए नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती।

तेन्दुओं और बाघों का संरक्षण

1752. श्री रेवती रमण सिंह : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में चीतों कोक लगातार मारे जानपे की घटनाओं का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस समय देश में बाघों और तेंदुओं की संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार ने इन वन्य जीवों के संरक्षण के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किये हैं/करने का विचार किया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) जी, हां। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2013 के दौरान बाघ मर्त्यता के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। देश में तेंदुए की अर्त्यता, भारत सरकार के स्तर पर समेकित नहीं की जाती है। परिष्कृत पद्धति का प्रयोग करके प्रत्येक चार वर्ष में एक बार बाघों की संख्या का देश-स्तरीय आकलन किया जाता है जिससे बाघों की संख्या में बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति का पता चला है। हाल ही के अखिल भारतीय अनुमान (2010) के अनुसार, उनकी संख्या क्रमशः 1520 की निम्नतर और 1909 की उच्चतम सीमा के साथ 1706 हो जाने का अनुमान है, जबकि 2006 के विगत देश स्तरीय अनुमान के अनुसार यह संख्या अनुमानतः 1411 थी, जिसकी निम्नतर और उच्चतर सीमा क्रमशः 1165 और 1657 थी। वर्ष 2006 और 2010 के बाघ आकलन के राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। देश में तेंदुए की संख्या का आकलन नहीं किया जाता है तथापि, अखिल भारतीय बाघ आकलन के एक भाग के रूप में 17 बाघ राज्यों के भीतर तेंदुए की केवल स्थानिक मौजूदगी को अभिनिर्धारित किया गया है और इसके ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

(ग) भारत सरकार ने बाघ सहित अन्य पशुओं की सुरक्षा के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहलें की हैं जो संलग्न विवरण-IV में दी गई है।

विवरण-I

राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2013 के दौरान बाघ मर्त्यता के ब्यौरे (दिनांक 02.12.2013 की स्थिति अनुसार)

क्र. सं.	राज्य	बाघ रिज़र्व के अंदर			कुल	बाघ रिज़र्व के अंदर			कुल	कुल योग
		छानबीन के अंतर्गत मामले	अभिग्रहण सहित अवैध शिकार	स्वाभाविक एवं अन्य कारण		छानबीन के अंतर्गत मामले	अभिग्रहण सहित अवैध शिकार	स्वाभाविक एवं अन्य कारण		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	असम	5	1	0	6	2	0	0	2	8
2.	कर्नाटक	9	1	0	10	1	2	0	3	13
3.	केरल	0	0	0	0	4	1	1	6	8
4.	मध्य प्रदेश	7	1	1	9	0	1	0	1	10
5.	महाराष्ट्र	0	3	0	3	5	0	3	8	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	ओडिशा	1	0	0	1	0	0	0	0	1
7.	तमिलनाडु	0	0	0	0	1	0	1	2	2
8.	उत्तराखंड	1	0	0	1	0	1	0	7	8
9.	उत्तर प्रदेश	1	0	0	1	0	1	0	1	2
10.	पश्चिम बंगाल	0	0	1	1	0	0	0	0	1
11.	राजस्थान	1	0	0	1	0	0	0	0	1
	कुल	25	6	2	33	20	5	4	30	63

नोट: वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो और दिल्ली पुलिस द्वारा महाराष्ट्र से वन विभाग अधिकारियों के एक दल द्वारा दिल्ली में (दिनांक 07.09.2013 को) लगभग 18 कि.ग्रा. बाघ हड्डियां जब्त की गई थीं।

विवरण-II

वर्ष 2006 और 2010 के लिए बाघ आकलन

राज्य	बाघ संख्या						
	2006			2010			वृद्धि/कमी/स्थिर
	अनुमान (संख्या)	संख्या की दृष्टि से निम्नतर सीमा	संख्या की दृष्टि से उच्चतर सीमा	अनुमान (संख्या)	संख्या की दृष्टि से निम्नतर सीमा	संख्या की दृष्टि से उच्चतर सीमा	
1	2	3	4	5	6	7	8
शिवालिक-गांगेय मैदान भू-दृश्य परिसर							
उत्तराखंड	178	161	195	227	199	256	वृद्धि
उत्तर प्रदेश	109	91	127	118	113	124	स्थिर
बिहार	10	7	13	8(-)***	(-)***	(-)***	स्थिर
शिवालिक-गांगेय भू-दृश्य	297	259	335	353	320	388	स्थिर
केन्द्रीय भारतीय भू-दृश्य परिसर और पूर्वी घाट भू-दृश्य परिसर							
आंध्र प्रदेश	95	84	107	72	65	79	कमी
छत्तीसगढ़	26	23	28	26	24	27	स्थिर
मध्य प्रदेश	300	236	364	257	213	301	स्थिर
महाराष्ट्र	103	76	131	169	155	183	वृद्धि
ओडिशा	45	37	53	32	20	44	स्थिर

1	2	3	4	5	6	7	8
राजस्थान	32	30	35	36	35	37	स्थिर
झारखंड	आकलन नहीं किया गया			10	6	14	चूंकि इसे 2006 में आकलित नहीं किया गया था, इसलिए तुलना नहीं की जा सकी।
केन्द्रीय भारतीय भू-दृश्य	601	486	718	601	518	685	स्थिर
पश्चिमी घाट भू-दृश्य परिसर							
कर्नाटक	290	241	339	300	280	320	स्थिर
केरल	46	39	53	71	67	75	वृद्धि
तमिलनाडु	76	56	95	163	153	173	वृद्धि
पश्चिमी घाट भू-दृश्य	402	336	487	534	500	568	वृद्धि
पूर्वोत्तर पहाड़ियां और ब्रह्मपुत्र बाढ़ मैदान							
असम	70	60	80	143	113	173	वृद्धि
अरुणाचल प्रदेश	14	12	18	आकलन नहीं किया गया	आकलन नहीं किया गया	आकलन नहीं किया गया	चूंकि इसे 2010 में आकलित नहीं किया गया था, इसलिए तुलना नहीं की जा सकी।
मिज़ोरम	6	4	8	5(-)***	(-)***	(-)***	स्थिर
उत्तरी पश्चिम बंगाल	10	8	12	आकलन नहीं किया गया	आकलन नहीं किया गया	आकलन नहीं किया गया	चूंकि इसे 2010 में आकलित नहीं किया गया था, इसलिए तुलना नहीं की जा सकी।
पूर्वोत्तर पहाड़ियां और ब्रह्मपुत्र भू-दृश्य	100	84	118	148	118	178	वृद्धि
सुंदरवन	आकलन नहीं किया गया	आकलन नहीं किया गया	आकलन नहीं किया गया	70	64	90	चूंकि इसे 2006 में आकलित नहीं किया गया था, इसलिए तुलना नहीं की जा सकी।
कुल	1411	1165	1657	1706	1520	1909	

***कम संख्या होने के कारण निम्नतर/उच्चतर सीमा का अनुमान नहीं लगाया जा सका।

विवरण-III

परिष्कृत पद्धति का प्रयोग करके आकलन किए गए अनुसार बाघ राज्यों में तेंदुए की वन मौजूदगी

राज्य	तेंदुआ (वर्ग किमी.)
1	2
शिवालिक-गांगेय मैदान भू-दृश्य परिसर	
उत्तराखंड	3683
उत्तर प्रदेश	2936
बिहार	552
शिवालिक-गांगेय (कुल)	7171
केन्द्रीय भारतीय भू-दृश्य परिसर और पूर्वी घाट भू-दृश्य परिसर	
आंध्र प्रदेश	37609
छत्तीसगढ़	14939
मध्य प्रदेश	34736
महाराष्ट्र	4982
ओडिशा	25516
राजस्थान	—
झारखंड	131
केन्द्रीय भारतीय (कुल)	117913
पश्चिमी घाट भू-दृश्य परिसर	
कर्नाटक	20506
केरल	8363
तमिलनाडु	14484
पश्चिमी घाट (कुल)	43353
पूर्वोत्तर पहाड़ियां और ब्रह्मपुत्र के बाढ़ के मैदान	
असम	1500
अरुणाचल प्रदेश	670
मिज़ोरम	2324
उत्तरी पश्चिम बंगाल	1135
पूर्वोत्तर पहाड़ियां और ब्रह्मपुत्र (कुल)	5629
सुंदरवन	—

विवरण-IV

बाघ सहित वन पशुओं के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहलें

वैधानिक कदम

1. वर्ष 2006 में वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन करके राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और बाघ एवं अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो के गठन के लिए प्रावधान किए गए।

2. बाघ आरक्षित क्षेत्र के कोर क्षेत्र में अपराध अथवा बाघ आरक्षित क्षेत्र में शिकार करने के अपराध अथवा बाघ आरक्षित क्षेत्रों की सीमाओं में परिवर्तन करने के अपराध, आदि के लिए दंड को बढ़ाना।

प्रशासनिक कदम

3. बाघ रिज़र्व वाले राज्यों को सूचना/बेतार सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करने के अतिरिक्त स्थानीय लोगों के कार्यबल सहित भूतपूर्व सैनिकों अथवा होमगार्डों को शामिल करके अवैध शिकार रोधी दस्तों की तैनाती करने के लिए उनके द्वारा प्रस्तावित वित्तीय सहायता प्रदान करके वर्षा ऋतु में गश्त के लिए विशेष कार्यनीति बनाने सहित अवैध शिकार को रोकने की गतिविधियों का सुदृढ़ीकरण।

4. बाघ संरक्षण के सुदृढ़ीकरण हेतु राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण 4 सितंबर, 2006 से गठित किया गया है, जिसका उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, बाघ रिजर्व प्रबंधन में मानकों को सुनिश्चितता, रिजर्व विशेष बाघ संरक्षण योजना तैयार करना, संसद में वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना, मुख्य मंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समितियों का गठन करना और बाघ संरक्षण प्रतिष्ठान की स्थापना के द्वारा बाघ संरक्षण को सुदृढ़ किया जाना है।

5. वन्य जीवों के अवैध व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण हेतु दिनांक 6 जून,

2007 से बहुविध बाघ और अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो (वन्य जीवन अपराध नियंत्रण ब्यूरो) का गठन।

6. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा तीन नए बाघ रिज़र्वों के सृजन हेतु सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है और ये स्थल है; पीलीभीत (उत्तर प्रदेश), रातापानी (मध्य प्रदेश) और सुनाबेदा (ओडिशा)। कुदरेमुख (कर्नाटक), राजाजी (उत्तराखंड) और नवेगांव-नागजीरा (महाराष्ट्र) को बाघ रिजर्व के रूप में घोषित करने के लिए अंतिम अनुमोदन प्रदान किया गया है। राज्य सरकारों को निम्नलिखित क्षेत्रों को बाघ रिजर्व् घोषित करने संबंधी प्रस्ताव भेजने की सलाह दी गई है: (i) बोर (महाराष्ट्र), (ii) सुहेलवा (उत्तर प्रदेश), (iii) गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान (छत्तीसगढ़), (iv) महादेई अभयारण्य (गोवा) और श्रीविलीपुथुर (ग्रिज्लड जाईन्ट स्किवरल/मेगामलई वन्यजीव अभयारण्य/वरुशानाडु घाटी (तमिलनाडु)।

7. बाघ संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकारों को संशोधित बाघ परियोजना दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, जारी गतिविधियों के अलावा कोर अथवा संवेदनशील बाघ पर्यावासों में निवास कर रहे लोगों के लिए ग्राम पुनर्स्थापना अथवा पुनर्वास पैकेज को बढ़ाने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता (1 लाख रुपए प्रति परिवार से 10 लाख रुपए प्रति परिवार तक) देना, परंपरागत शिकार में लगे समुदायों का पुनर्वास अथवा पुनर्स्थापना, बाघ रिज़र्वों से बाहर के वनों में आजीविका और वन्य जीव सरोकारों को मुख्य धारा में लाना तथा पर्यावास विखंडन को रोकने के लिए आश्रय-नरीति द्वारा कॉरिडोर संरक्षण को बढ़ावा देना शामिल है।

8. बाघों के आकलन (सह-परभक्षियों, शिकार होने वाले जानवरों और पर्यावास स्थिति का मूल्यांकन करने सहित) के लिए एक वैज्ञानिक कार्य-प्रणाली विकसित की गई है और उसे कारगर बनाया गया है। इस आकलन तथा मूल्यांकन के परिणाम, भविष्य की बाघ संरक्षण कार्यनीति के लिए निर्देशचिन्ह हैं।

9. वर्ष 2006 में यथा संशोधित वन जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38V के अंतर्गत, 17 बाघ राज्यों द्वारा देश में सभी 43 बाघ रिजर्वो़ के कौर/संवेदनशील बाघ पर्यावास (36334.61 वर्ग किलोमीटर) और बफर/परिधीय क्षेत्र (29789.06 वर्ग किलोमीटर) अधिसूचित किये गये हैं।

10. वन्य पशुओं को प्रभावी सुरक्षा मुहैया कराने हेतु राज्य सरकारों की क्षमता और अवसंरचना में अभिवृद्धि हेतु राज्य सरकारों को विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों अर्थात् बाघ परियोजना और वन्य जीव पर्यावासों का एकीकृत विकास के तहत वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

11. भारत का चीन के साथ बाघ संरक्षण पर प्रोटोकॉल के अलावा वन्य जीव और संरक्षण में सीमा पारीय अवैध व्यापार की नियंत्रित करने के लिए नेपाल के साथ एक द्विपक्षीय समझौता विद्यमान है।

12. सुंदरवन के रॉयल बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए बांग्लादेश के साथ सितंबर, 2011 में एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

13. रुसी परिसंघ के साथ सहयोग हेतु बाघ और तेंदुआ संरक्षण संबंधी एक उप-दल का गठन किया गया है।

14. बाघ संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के निराकरण हेतु बाघ रेंज देशों के वैश्विक बाघ फोरम का सृजन किया गया है।

15. साइट्स (सीआईटीईएस) के पक्षकारों के सम्मेलन की 14वीं बैठक, जो हेग में दिनांक 3 से 15 जून, 2007 तक आयोजित हुई थी, के दौरान भारत ने चीन, नेपाल और रूसी फेडरेशन के साथ एक संकल्प प्रस्तुत किया, जिसमें ऐसी बंधक संख्या को केवल जंगली बाघों के संरक्षण को सहायक स्तर तक सीमित करने के लिए वाणिज्यिक पैमाने पर बाघों की प्रजनन प्रक्रिया के संबंध में पक्षकारों को दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इस संकल्प को किंचित संशोधनों के साथ निर्णय के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। इसके अलावा, भारत ने हस्तक्षेप करते हुए चीन से अपील की कि बाघ फार्मिंग के चरणबद्ध रूप से समाप्त किए जाए और एशियाई बाघों के अंगों और व्युत्पन्नों के भंडार को समाप्त किया जाए। बाघों के शरीर के अंगों के व्यापार पर रोक जारी रखने के महत्व पर बल दिया गया था।

16. दिनांक 23 से 27 जुलाई, 2012 तक जेनेवा में आयोजित वन्य प्राणिजात एवं वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन (सीआईटीईएस) की स्थायी समिति की 62वीं बैठक में भारत द्वारा किए गए जोरदर हस्तक्षेप के आधार पर, वन्य प्राणिजात एवं वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन सचिवालय ने पक्षकारों को 14.69 निर्णय के कार्यान्वयन हेतु दिनांक 3 सितम्बर, 2012 की अधिसूचना संख्या 2012/054 जारी की है और 25 सितंबर, 2012 तक सचिवालय को रिपोर्ट (बाघों आदि के केप्टिव ब्रीडिंग आप्रेशन्स को रोकने पर हेतुई प्रगति) प्रस्तुत करने के निदेश दिए हैं।

17. सरिस्का और पन्न बाघ रिजर्वों, जहां से बाघ स्थानीय रूप से विलुप्त

हो गए हैं, के पुनर्निर्माण के सक्रिय प्रबंधन के भाग के रूप में इनमं बाघों और बाघिनों को पुन: लाने का कार्य किया गया है। सरिस्का में जंगली बाघों को सफल रीति से पुन: लाया जाना एक विशिष्ट कार्य है और विश्व में अपने प्रकार का प्रथम है। पुन: लाई गई एक बाघिन ने हाल ही में शावकों को जन्म दिया और दो शावकों को कैमरे से भी देखा गया है। पन्ना (मध्य प्रदेश) में बाघ को पुन: लाने की पहल भी बहुत महत्वपूर्ण रही है तथा पुन: लाए गए बाघ प्रजनन कर रहे हैं।

18. बाघों और उनके शिकार जानवरों की कम संख्या वाले बाघ रिजर्वों में सक्रिय प्रबंधन के द्वारा शिकार – आधार और बाघों की संख्या की स्वस्थाने वृद्धि के लिए विशेष निर्देशिकाएं जारी की गई हैं।

विशेष बाघ सुरक्षा बल (एसटीपीएफ) का सृजन

19. वित्त मंत्री द्वारा दिनांक 29 फरवरी, 2008 के अपने बजट अभिभाषण में घोषित की गई नीतिगत पहलों में, अन्य बातों के साथ-साथ, बाघ सुरक्षा से संबंधित कार्य बिन्दु शामिल हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) को एक विशेष बाघ सुरक्षा बल (एसटीपीएफ) का गठन करने, उसे हथियारों से लैस करने और उसकी तैनाती के लिए प्रदान किए गए 50.00 करोड़ रुपए के एकमुश्त अनुदान के आधार पर, उक्त बल से संबंधित प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकारी द्वारा 13 बाघ रिज़र्वों के लिए मंजूरी प्रदान कर दी गई है। कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य पहले ही एसटीपीएफ का सृजन और तैनाती करक चुके हैं।

20. ट्रैफिक-इंडिया के सहयोग से ऑनलाइन टाइगर क्राइम डेटाबेस शुरू किया गया है और रिजर्व विशिष्ट सुरक्षा योजना तैयार करने के लिए सामान्य (जेनेरिक) दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं।

नवीनतम पहलें

21. बाघ संरक्षण पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु निधि प्रवाहों से जुड़े बाघ बहुल राज्यों के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) का कार्यान्वयन।

22. वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित बाघ रिजर्वों में तथा बाघ एवं उनके अहेर जानवरों की कम संख्या वाले क्षेत्रों में विशेष छापा दल भेजे गए।

23. वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित तथा बाघ और उनके अहेर जानवरों की कम संख्या वाले बाघ रिज़र्व राज्यों के मुख्य मंत्रियों को विशेष उपाय करने के लिए पत्र लिखे गए।

24. प्रभावी क्षेत्रीय गश्त और मॉनीटरिंग हेतु 'मॉनीटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इन्टेंसिव प्रोटैक्शन एंड इकोलोजिक स्टेट्स (M-STrIPES)' शुरू करने के साथ-साथ, अवसंरचना के आधुनिकीकरण और क्षेत्र सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए हैं।

25. वर्तमान में किए जा रहे अखिल भारतीय बाघ आकलन में गैर-सरकारी विशेषज्ञों की भागीदारी के लिए कदम उठाए गए।

26. प्रोत्साहन देने के अलावा, फील्ड अधिकारियों का क्षमता-निर्माण करके फील्ड डिलीवरी में सुधारात्मक पहलें की गईं।

27. देश स्तरीय बाघ स्थिति आकलन का दूसरा चरण वर्ष 2010 में पूरा किया गया, जिसके निष्कर्षों से पता चलता है कि 2006 के विगत देश स्तरीय अनुान की तुलना में बाघों की अनुमानित संख्या बढ़कर 1706 हो गयी है तथा इनकी न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्रमश: 1520 और 1909 हैं जबकि 2006 के पिछले देश स्तरीय अनुमान में बाघों की अनुमानित संख्या 1411 थी तथा न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्रमश: 1165 और 1657 थी। वर्तमान में, भारत में बाघों की संख्या, सर्वाधिक है और इसके स्रोत क्षेत्र विश्व में 13 बाघ रेंज देशों में से हैं, जिसका कारण बाघ परियोजना के माध्यम से प्रजातियों को संरक्षित करने का अपना लम्बा इतिहास है (देश के भौगोलिक क्षेत्र का 2 प्रतिशत, 17 राज्यों में 43 बाघ रिजर्वों में फैला है)।

28. बाघ रिजर्वों के प्रबंधन प्रभाविता मूल्यांकन (एमईई) संबंधी रिपोर्ट दिनांक 28 जुलाई, 2011 को जारी की गई थी, जिसमें 39 बाघ रिजर्वों के लिए वर्ष 2010-11 में किये गए परिष्कृत मानदंड के आधार पर स्वतंत्र आकलन का दूसरा चरण समाविष्ट है। इन 39 बाघ रिजर्वों में से 15 को 'बहुत अच्छे', 12 को 'अच्छे', 8 को 'संतोषजनक' और 4 और 'निकृष्ट' श्रेणी में रखा गया था।

29. समस्याग्रस्त क्षेत्रों में मानव-बाघ संघर्षों के उपशमन हेतु विशेष सहायता प्रदान करना।

30. नागपुर, बैंगलुरु और गुवाहाटी में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय प्रचालन में हैं।

31. वर्तमान चुनौतियों से भली-भांति निपटने के लिए वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, राज्य अधिकारियों और विशेषज्ञों के प्रयासों से बाघ परियोजना/राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की परामर्शिकाओं के आधार पर बाघों की मौतों को रोकने के लिए एक 'मानक प्रचालन क्रियाविधि' जारी की गई है।

32. मानव बस्तियों में आवारा बाघों से निपटने के लिए 'मानक प्रचालन क्रियाविधि' जारी की गई है।

33. बाघ/तेंदुए के शव/शरीर के अंगों का निपटान करने के लिए एक 'मानक प्रचालन क्रियाविधि' जारी की गई है।

34. XIवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान जारी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम – बाघ परियोजना के लिए लागत अनुमानों को बढ़ाकर संशोधन करने के बलए बाघ रिजर्वों के कोर क्षेत्रों में ग्राम स्थानांतरण में राज्यों को सहायता देने के लिए केन्द्रीय सहायता को 650 करोड़ रुपए से 1216.86 करोड़ रुपए तक बाघ परियोजना हेतु संशोधित लागत अनुमानों को दिनांक 11.08.2011 को अनुमोदित किया गया था। इस परियोजना में अनेक नए घटक जोड़े गए थे, नामश:–

(i) पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में निधीयन पैटर्न में परिवर्तन (90:10)।

(ii) मानव-पशु भिडंत के लिए क्षतिपूर्ति को 2 लाख रुपए तक बढ़ाना।

(iii) कोर/महत्वपूर्ण बाघ पर्यावास को निषिद्ध करने के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण।

(iv) 'बफर/संवेदनशील क्षेत्रों में सह-अस्तित्व कार्यसूची' के मौजूदा घटक के अंतर्गत बाघ सफारी, व्याख्या/जागरुकता केन्द्रों की स्थापना और संबंधित पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से ऐसे केन्द्रों का प्रबंधन।

(v) चीता को पुन: छोड़ा जाना।

35. चरण-IV बाघ रिजर्व स्तर को प्रारम्भ करना, कैमरा ट्रैप्स का प्रयोग करके बाघों की निरंतर निगरानी और वैयक्तिक बाघों के लिए गए फोटो संबंधी डेटा तैयार करना।

36. कुछ बाघों की कैमरा ट्रैप फोटो आईडी की राष्ट्रीय रिपोजिटरी बनाने की शुरुआत।

37. आंध्र प्रदेश में कावल बाघ रिजर्व की अधिसूचना जारी करना।

38. कोर क्षेत्रों से ग्राम स्थानांतरण के लिए काम्पा निधियों का प्रयोग करने हेतु सैद्धांतिक अनुमोदन।

39. कॉर्बेट में ई-निगरानी परियोजना का समापन।

40. बाघ परियोजना और बाघ रिजर्वों में पर्यटन के लिए दिनांक 15 अक्तूबर, 2012 को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 ओ 1(सी) के अंतर्गत व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए गए।

41. संक्रिय प्रबंधन के अंतर्गत, एक आवारा अल्प-वयस्क नर बाघ को पन्ना से सतपुड़ा (मध्य प्रदेश) में स्थानांतरित करने के अलावा दो बाघिनों को रणथम्भौर से सरिस्का (राजस्थान) में और एक आवारा बाघ को पीलीभीत से दुधवा बाघ रिजर्व (उत्तर प्रदेश) में स्थानांतरित करने की अनुमति प्रदान की गई।

42. बाघ संरक्षण के संबंध में बांग्लादेश के साथ हाल ही में एक द्विपक्षीय व्यवस्था तैयार की गई है। हमारे प्रतिनिधिमंडल मौजूदा द्विपक्षीय व्यवस्थाओं के कार्यढांचे के भीतर नेपाल और चीन के साथ बातचीत कर रहे हैं। रुसी परिसंघ के साथ सहयोग के लिए बाघ/तेंदुए के संरक्षण संबंधी एक उप-दल गठित किया गया है, जिसकी हाल ही में बैठक हुई है।

43. तादोबा और दुधवा बाघ रिजर्वों (2013) में आवारा बाघों से निपटने के लिए क्षेत्र अधिकारियों का क्षमता निर्माण करने हेतु क्षेत्र स्तरीय कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

44. बाघों की मौत, बाघ परियोजना के कार्यान्वयन आदि का क्षेत्रीय मूल्यांकन करने के लिए एनटीसीए दल भेजे गए।

45. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में समर्थकारी प्रावधानों की व्यवस्था करने, सीआईटीईएस के हमारे कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने और इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने पर दंडों को बढ़ाने के लिए प्रक्रिया चल रही है।

46. सत्यमंगलम (तमिलनाडु) और मुकुन्दरा पहाड़ियों (दरोह, जवाहर सागर और चम्बल वन्यजीव अभयारण्यों) (राजस्थान) को राज्य सरकारों द्वारा बाघ रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है।

[अनुवाद]

जोजिला सुरंग

1753. श्री हसन खान : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 2012 में श्रीनगर-लेह राजमार्ग पर 'जेड' मोड के निकट एक सुरंग के निर्माण का शिलान्यास किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भी जोजिला दर्रे पर सुरंग के निर्माण का अनुमोदन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कार्य में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) श्रीनगर-लेह राजमार्ग पर जेड-मोड़ पर सुरंग के निर्माण के लिए आधारशिला 04 अक्तूबर, 2012 को रखी गई थी।

(ख) आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने 17.10.2013

को आयोजित की गई अपनी बैठक में जोजिला सुरंग के निर्माण को अनुमोदित किया है।

(ग) इन दोनों सुरंगों की प्रगति के ब्यौरे निम्नवत् हैं:—

(i) जेड-मोड़ पर सुरंग के निर्माण के लिए संविदा प्रदान की गई है।

(ii) जोजिला दर्रा सुरंग के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है। संविदा संबंधी कार्रवाई चल रही है।

कामगारों को कर्मचारी भविष्य निधि का भुगतान न करना

1754. श्री एम. आनंदन : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी विभागों को ठेका-कामगारों की आपूर्ति करने वाली निजी प्लेसमेंट एजेंसियां अपने कामगारों को वेतन न देने और भविष्य निधि का भुगतान न करने के आरोप में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की निगाह में आ गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार और सरकारी क्षेत्र के उपक्रम बड़ी संख्या में ठेका-कामगारों को रखते हैं और उन्हें भविष्य निधि का भुगतान करने की जिम्मेदारी मुख्य नियोक्ता की बनती है;

(घ) यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि इसका वास्तविक अनुपालन केन्द्र और राज्य-स्तर पर विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा नहीं किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) भविष्य निधि देयों के प्रेषित धन में निजी प्लेसमेंट एजेंसियों के चूक करने के कुछ दृष्टांत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की निगाह में आए हैं।

(ख) ईपीएफओ में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 30.11.2013 की स्थिति के अनुसार कुल 16000 से अधिक निजी प्लेसमेंट एजेंसियों में से कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबंधों का उल्लंघन करने वाली ऐसी 763 स्थापनाओं की रिपोर्ट की गई है।

(ग) अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित केन्द्रीय सरकार आउटसोर्स मोड के माध्यम से पर्याप्त संख्या में कामगारों को नियोजित करती है। वे प्रधान नियोक्ता होने के नाते कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 30 के अनुसार इन ठेका कामगारों के संबंध में भविष्य निधि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

(घ) केन्द्र और राज्यों दोनों के सरकारी विभागों द्वारा इन कामगारों को भविष्य निधि का भुगतान न करने का कोई विशेष दृष्टांत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की निगाह में नहीं आया है।

(ङ) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कार्यालयी वेबसाइट में प्रावधान किए गए हैं जिससे केन्द्र और राज्यों दोनों के विभिन्न सरकारी विभागों सहित प्रधान नियोक्ता द्वारा कार्यबद्ध की गयी निजी प्लेसमेंट एजेंसियों द्वारा किए गए भविष्य निधि के भुगतान की जांच कर सकते हैं।

अपने कामगारों को भविष्य निधि के लाभों का भुगतान करने में असफल होने वाली भूल करने वाली निजी प्लेसमेंट एजेंसियों के विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाइयां की जाती हैं:—

1. देयों के निर्धारण के लिए चूककर्ता स्थापनाओं के विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7क के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।
2. विलंब से जमा किए गए देयों पर हर्जाना लगाने के लिए अधिनियम की धारा 14ख के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।
3. विलंब से भेजे गए धन पर ब्याज लगाने के लिए अधिनियम की धारा 7थ के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।
4. अधिनियम की धारा 8ख से 8छ तक के अंतर्गत यथा व्यवस्थित वसूली कार्रवाईयां की जाती हैं।
5. सक्षम न्यायालय के समक्ष चूककर्ताओं के विरुद्ध अभियोजन दायर करने के लिए अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।
6. कर्मचारियों की मजदूरी/वेतन से काटे गए लेकिन निधि में जमा न किए गए कर्मचारियों के अंशदान के भाग का भुगतान न करने के लिए नियोक्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

बिहार में उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम राजमार्ग गलियारा परियोजना

1755. श्री हुक्मदेव नारायण यादव : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्य उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम राजमार्ग गलियारा परियोजना के अंतर्गत राजमार्गों का निर्माण-कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और इसे कब तक पूरा किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 57 पर मुजफ्फरपुर और दरभंगा के बीच पुराने उपरिगामी पुलों की दशा खराब हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है या करने का विचार है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) और (ख) उत्तर-दक्षिण और पूर्व पश्चिम (उ.द.-पू.प.) कॉरीडोर की कुल लम्बाई 7142 किमी. है जिसमें से 6177 किमी. का कार्य सम्पन्न हो चुका है, 593 किमी. का कार्य चल रहा है तथा 372 किमी. का कर्य अभी सौंपा जाना है। कुछ परियोजनाओं के कार्यान्वियन में देरी हुई है। यह देरी, भूमि अधिग्रहण साधनों के स्थानांतरण, पर्यावरण और वनीय अनुमति/अनुमोदन, ऊपरि-रेल-पुलों का निर्माण, काननून और व्यवस्था की समस्या तथा साथ ही कुशल/अर्ध-कुशल जनशक्ति, ठेकेदारों का निम्नस्तरीय कार्य और आर्थिक मंदी के कारण है। ऊ.द.-पू.प. कॉरीडोर के पूरा होने की संभावित तिथि बताना, अभी जल्दीबाजी होगी।

(ग) और (घ) रा.रा. 57 पर मुजफ्फरपुर और दरभंगा के बीच में क्षतिग्रस्त अवस्था में कोई पुराना विद्यमान ऊपरिपुल नहीं है। तथापि 30300 कि.मी. परियोजना के और 34200 किमी. पर, चार लेन में बदलने की परियोजना के चलते, जिन दो पुलों को रोक लिया गया था, उनके बाल-बियरिगों में खराबी आ गई है और उन्हें बदले जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में परियोजना/अनुमानित व्यय के लिए सलाहकार नियुक्त कर लिया गया है।

[अनुवाद]

ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का प्रभाव

1756. श्री जोस के. मणि : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की ग्रीनहाउस गैस-उत्सर्जन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए अनुसंधान और विश्लेषण एजेंसी/संस्थान स्थापित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या सरकार को उक्त संस्थान की स्थापना के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (ङ) भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन के विज्ञान और भारत के विभिन्न क्षेत्रों के बीच अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों पर इसके प्रभावों के संबंध में अनुसंधान प्रारंभ करने के लिए दिनांक 14 अक्तूबर, 2009 को भारतीय जलवायु परिवर्तन आकलन नेटवर्क (आईएनसीसीए) स्थापित किया है जो विभिन्न विश्वविद्यालयों, अनुसंधान और विकास संस्थानों, सरकारी स्वायत्त संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों और निजी संस्थानों से संबंधित 127 देशव्यापी संस्थानों से युक्त है। आईएनसीसीए के तत्वावधान में दो रिपोर्टे नामशः 'भारतः ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन — 2007' और "भारत में जलवायु परिवर्तनः 4×4 आकलन — 2030 दशक के लिए एक सेक्टोरल और क्षेत्रीय विश्लेषण" क्रमशः मई, 2010 और नवम्बर, 2010 में प्रकाशित की गईं थीं।

भारत सरकार ने वैज्ञानिक, पर्यावरणीय, आर्थिक विकास और जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रौद्योगिकी मुद्दों के विश्लेषणात्मक अध्ययन कराने के विचार से पर्यावरण और वन मंत्रालय के जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (सीसीएपी) के अंतर्गत राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अध्ययन एवं कार्रवाई संस्थान (एनआईसीसीएसए) को गठित करने का प्रस्ताव भी रखा है।

[हिन्दी]

रक्षा-स्पेक्ट्रम को जारी करना

1757. श्री गजानन ध. बाबर :
श्री आनंदराव अडसुल :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय वायु तरंगों के 1,900 मेगाहर्ट्ज बैंड स्पेक्ट्रम को बदलकर 2100 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम रखने के वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव की जांच कर रहा है, ताकि इसके अंतर्गत 3-जी सेवाओं का लाभ उठाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परिवर्तनीयता के समझौते से 2×20 मेगाहर्ट्ज उच्च फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की अतिरिक्त क्षमता जुटानी होगी और इससे सरकार को चार स्लॉटों की नीलामी के जरिए लगभग 8 बिलियन डॉलर उगाहने में सहायता मिलेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से 3जी के 15 मेगाहट्र्ज बैंड (2100 मेगाहट्र्ज बैंड) स्पेक्ट्रम का 1900 मेगाहट्र्ज बैंड में इवोल्यूशन डाटा आप्टिमाइज्ड (ईवीडीओ) स्पेक्ट्रम से अदला-बदली का एक प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय में प्राप्त हुआ है।

(ग) और (घ) यह प्रस्ताव केवल 3जी स्पेक्ट्रम के 15 मेगाहट्र्ज का ईवीडीओ स्पेक्ट्रम के 15 मेगाहट्र्ज से अदला-बदली के लिए है। राजस्व प्राप्ति पर इस प्रस्ताव के वित्तीय भार का हिसाब लगा दिया गया है।

वैकल्पिक राजमार्ग का निर्माण

1758. श्री खगेन दास : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है कि हर बार मानसून के मौसम में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 अवरूद्ध हो जाता है, जिससे परिवहन में समस्या होती है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार को संबंधित राज्य सरकार की ओर से वैकल्पिक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) और (ख) जब कभी राष्ट्रीय राजमार्ग-44 (रारा) मानसून के दौरान भूस्खलन के कारण बंद हो जाता है तो इसे यथा संभव शीघ्र खोला जाता है।

(ग) और (घ) कूकीताल से सबरूप जैसे वैकल्पिक राजमार्गों का निर्माण उत्तर पूर्व के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एसएआरडीपी-एनई) चरण-ख के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग के तौर पर प्रोन्नत किए जाने है का प्रस्ताव जिसका सरकार द्वारा केवल डीपीआर तैयार किए जाने के लिए अनुमोदन किया गया है। इस सड़क की राष्ट्रीय राजमार्ग के तौर पर घोषणा का प्रस्ताव मंत्रालय में प्राप्त हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है और नये राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा सड़क संपर्क, परस्पर प्राथमिकता और निधि की उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर की जाती है।

गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग

1759. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम :

श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में स्थित राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है और इनमें से चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का उनकी कुल लम्बाई सहित राष्ट्रीय राजमार्ग-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) राजय में 'स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना' के अंतर्गत विकसित किये जा रहे राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा तथा उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इनमें विलंब में चल रही परियोजनाओं, यदि कोई हों, का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा उनका निर्माण-कार्य शीघ्रता से पूरा करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है या की जा रही है; और

(घ) राज्य के उन जिलों के नाम क्या हैं जो राष्ट्रीय राजमार्गों से नहीं जुड़े हैं और इन जिलों को राष्ट्रीय राजमार्गों से कब तक जोड़े जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) गुजरात में औसतन 3859 किमी. लम्बाई के राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 20 है। राष्ट्रीय राजमार्ग-वार लम्बाई संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) गुजरात में स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-8 को योजनाबद्ध चार लेन बनाने की अंतर्गत परियोजना पूरी हो गई है। तथापि, रा.रा. 8 के अहमदाबाद-बड़ोदरा खंड को डीबीएफओटी के आधार पर छह लेन में विकसित करने का कार्य शुरू किया गया है जिसके पूरा होने की नियत तारीख दिसम्बर, 2015 है। इसमें कोई विलंब नहीं है।

(घ) डैंग्स, जामनगर और बोताड जिले राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़े नहीं हैं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई

क्र. सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	गुजरात में लम्बाई किमी. में
1	2	3
1.	6	95.000

1	2	3
2.	6 (विस्तार)	24.600
3.	8	515.030
4.	8ए	371.290
5.	8(ए) विस्तार	244.000
6.	8बी	216.80
7.	8सी	44.420
8.	8डी	127.750
9.	8ई	260.100
10.	8ई (विस्तार)	208.850
11.	14	151.620
12.	15	271.900
13.	59	211.200
14.	113	39.000
15.	228	354.840
16.	58 (विस्तार)	152.000
17.	56	402.000
18.	848	67.600
19.	848ए	7.000
20.	एनई-I	93.400
	कुल	3859.000

व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंच नहीं होना

1760. श्री नवीन जिन्दल : क्या **श्रम और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मजदूरी और कामगारों की कुल संख्या का क्षेत्रक-वार और संगठित/असंगठित क्षेत्रक-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में उक्त श्रमिकबल और कर्मीबल में कितनी निवल वृद्धि हुई है;

(ग) क्या देश में औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण अवसंरचना की कमी है और श्रमिकबल के अल्पमात्र प्रतिशत की ही औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंच है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में औपचारिक प्रशिक्षण अवसंरचना गठित करने में शीघ्रता करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और इसके क्या परिणाम निकले हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) रोजगार और बेरोजगारी के विश्वसनीय अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा आयोजित किए जाने वाले श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्रापत किए जाते हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा आयोजित सर्वेक्षण तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय के रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के तहत एकत्रित सूचना के अनुसार 2011-12 के दौरान देश में श्रमबल और कार्यबल का कुल आकार क्रमश: 48.47 करोड़ तथा 47.41 व्यक्ति था। इसी अवध्कि दौरान संगठित तथा असंगठित क्षेत्र में कामगारों की कुल संख्या क्रमश: 2.90 करोड़ तथा 44.51 करोड़ व्यक्ति थी।

(ख) 2009-10 एवं 2011-12 के दौरान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा आयोजित किए गए श्रम बल सर्वेक्षणों के अनुसार इस अवधि में देश में श्रम बल तथा कार्यबल में निवल वृद्धि क्रमश: 0.97 करोड़ तथा 0.86 करोड़ व्यक्ति थी।

(ग) से (ङ) सरकार विभिन्न कौशल विाकस कार्यक्रमों के तहत बड़ी संख्या में लोगों के कौशल विकास में वृद्धि के लिए गंभीर प्रयास करती रही है। 2006-07 में सरकारी एवं निजी आटीआइज 5,114 थे जो अब बढ़कर 10,344 हो गए हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति के तहत सेवारहित खंडों में आटीआईज स्थापित करने के लिए योजना बनाई है।

जहरीले रसायनों वाले पोतों पर प्रतिबंध

1761. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी : क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में अलंग शिपयार्ड और अन्य पत्तनों की तरफ बढ़ रहे जहरीले रसायन-वाहक विदेशी पोतों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसे पोतों को प्रवेश देकर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन) : (क) और (ख) यदि पोत पुनर्चक्रण प्रक्रिया के लिए अलंग की ओर बढ़ते हैं, तो पोत पर जहरीले रसायनों की उपस्थिति की पहचान एक ऐसा चरण है जोकि पोत-प्रभंजन के लिए प्रारंभिक प्रक्रिया है। वर्तमान में गुजरात के अलंग पोत प्रभंजन यार्ड में अपनाई जा रही कार्यप्रणाली के अनुसार, पोत को तभी भारतीय जल में प्रवेश के लिए अनुमति दी जाती है जब गुजरात समुद्री बोर्ड (जीएमबी) इस आशय की अपनी सहमति देते हुए यह बताता है कि पोत में रेडियोधर्मी/परमाणु कचरा सहित कोई खतरनाक कार्गों नहीं है। जीएमबी ऐसी सहमति परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) और सीमा-शुल्क प्राधिकारियों की सलाह के पश्चात् ही जारी करता है। इसके उपरांत, किसी समुद्रतट पर और जीएमबी द्वारा किस प्रभंजक अनुमति के आधार पर गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जीपीसीबी) को यह प्रमाणित करना होता है कि पोत में कोई खतरनाक कचरा नहीं है।

(ग) और (घ) किसी भी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किए जाने की कोई विशिष्ट रिपोर्ट मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) सरकार ने सुरक्षा एवं पर्यावरण की दृष्टि से सक्षम पोत पुर्नचक्रण के लिए संहिता तैयार की है।

बेरोजगार महिलाएं

1762. श्रीमती ज्योति धुर्वे :
डॉ. भोला सिंह :
श्री नरेनभाई काछादिया :
श्री निशिकांत दुबे :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में वर्ष-वार और राज्य-वार विभिन्न रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार महिलाओं की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन रोजगार कार्यालयों के माध्यम से इन्हें प्रदान किए गए रोजगार का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कार्यालयों द्वारा महिलाओं को रोजगार प्रदान करने की प्रक्रिया संतोषजनक नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है यहां महिलाओं को अधिक रोजगार दिया जा सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) और (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत रोजगार चाहने वाली महिलाओं, जिसमें यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, तथा इन कार्यालयों के माध्यम से उन्हें प्रदान कराए गए रोजगार की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) रोजगार कार्यालय विभिन्न नियोक्ताओं द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के प्राप्त महिलाओं सहित रोजगार चालने वालों को नामित कर रहे हैं जहां से वे उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन कर सकते हैं। तथापि, सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को और अधिक रोजगारपरक बनाने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महिलाओं सहित 5 करोड़ व्यक्तियों को कुशल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

विवरण

2010 से 2012 (31 दिसंबर की स्थिति के अनुसार) रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वाली महिलाओं की संख्या तथा उनका नियोजन

(हजार में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रोजगार चाहने वाले			नियोजन		
		2010	2011	2012	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	555.4	547.1	538.6	0.3	0.2	0.1

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	14.6	17.3	19.2	0.0	0.0	0.0
3.	असम	432.4	462.6	476.1	0.1	0.9	0.2
4.	बिहार	105.2	104.6	101.4	0.0	0.0	@
5.	छत्तीसगढ़	351.7	388.7	437.8	0.2	0.1	@
6.	दिल्ली	165.4	211.3	211.3	0.0	0.0	0.0
7.	गोवा	38.3	44.3	46.4	0.5	0.4	0.7
8.	गुजरात	248.2	260.5	265.4	40.2	39.1	34.1
9.	हरियाणा	233.5	208.8	206.9	0.4	0.4	0.3
10.	हिमाचल प्रदेश	287.5	296.8	299.0	0.2	0.5	1.4
11.	जम्मू और कश्मीर	144.3	186.9	171.4	0.5	0.2	0.1
12.	झारखंड	118.6	127.6	94.6	1.5	0.3	0.4
13.	कर्नाटक	141.1	131.9	119.6	0.6	0.7	0.6
14	केरल	2578.9	2575.2	2359.5	6.0	7.2	4.6
15.	मध्य प्रदेश	411.1	430.4	459.6	0.8	0.4	0.7
16.	महाराष्ट्र	696.0	671.2	629.9	44.6	28.9	18.6
17.	मणिपुर	189.2	199.1	193.3	0.3	0.0	@
18.	मेघालय	14.8	14.1	16.2	0.0	0.0	@
19.	मिज़ोरम	16.9	17.2	19.0	0.0	0.0	0.0
20.	नागालैंड	22.6	24.1	25.7	0.0	0.1	0.1
21.	ओडिशा	261.3	305.0	316.0	1.5	0.9	0.5
22.	पंजाब	112.7	104.4	107.9	0.4	0.3	0.3
23.	राजस्थान	119.6	105.6	111.8	0.0	0.0	@
24.	सिक्किम						
25.	तमिलनाडु	2899.8	3292.1	3877.1	7.1	3.5	4.1
26.	त्रिपुरा	191.0	193.6	202.5	0.3	0.3	0.1
27.	उत्तराखंड	149.3	194.3	221.4	0.1	0.1	@

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	उत्तर प्रदेश	342.1	393.8	1846.0	0.5	0.1	0.2
29.	पश्चिम बंगाल	1948.0	2046.0	2127.0	0.7	1.0	0.5
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	14.2	16.2	17.9	0.1	0.0	@
31.	चंडीगढ़	9.4	8.5	8.5	0.0	0.0	0.0
32.	दादरा और नगर हवेली	1.9	2.2	2.4	0.0	0.0	0.0
33.	दमन और दीव	3.0	2.4	2.5	0.0	0.0	0.0
34	लक्षद्वीप	5.2	5.2	5.9	0.0	0.0	@
35.	पुदुचेरी	102.5	105.8	108.0	0.1	0.0	0.1
	अखिल भारत	12927.6	13694.8	15645.8	107.1	85.7	67.8

*इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

@आंकड़े पचास से कम हो सकता है कि पूर्णांकन कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं।

[हिन्दी]

वन क्षेत्र का संरक्षण

1763. डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील :
श्री बलीराम जाधव :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में वन आच्छादित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक समेकित वन संरक्षण योजना तैयार करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में वर्गीकरण हेतु निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त अवधि के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार इस पर कितनी, राशि व्यय की गई है;

(घ) चालू पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान वनीकरण हेतु निर्धारित लक्ष्य क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस हेतु क्या उपाए किए गए/प्रस्तावित हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) जी, नहीं। सरकार, देश में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक समेकित वन संरक्षण योजना तैयार करने का विचार नहीं रखती है।

(ख) से (घ) वनीकरण/वृक्षारोपण के लक्ष्य 20-बिदु कार्यक्रम के अंतर्गत वार्षिक रूप से निर्धारित और मॉनीटर किए जाते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2002-03 से वर्ष 2006-07 तक और वर्तमान/12वीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2011-12, अगस्त, 2013 तक, तक के लक्ष्य और उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:—

मिलियन हैक्टेयर में क्षेत्र

पंचवर्षीय योजना	वर्ष	लक्ष्य	उपलबिध
दसवीं	2002-03	1.53	1.14
	2003-04	1.5	1.22
	2004-05	2.12	1.58
	2005-06	2.26	1.99
	2006-07	2.61	2.32
वर्तमान/12वीं योजना	2011-12	1.74	1.60
	2012-13	1.54	1.63
	2013-14	1.48	0.84*

*अगस्त, 2013 तक उपलब्धि।

कुछ राज्यों ने लक्ष्य प्राप्त नहीं किए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार लक्ष्यों की कम प्राप्ति के कुछ कारण हैं:—

(i) राज्य वन विभागों/अन्य अभिकरणों के पास उपलब्ध अपर्याप्त निधियां।

(ii) स्टाफ की कमी सहित विभाग की कमजोर अवसरंचना और क्षमता।

(ङ) वनीकरण/वृक्षारोपण के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए है:—

(i) पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) जन भागीदारी के माध्यम से देश के अवक्रमित वनों और समीपवर्ती क्षेत्रों में वृक्षारोपण और इनका पारि-पुनरुद्धार करने के लिए राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) कार्यान्वित कर रहा है जोकि एक 100% केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है। वर्ष 2000-2002 में एनएपी के आरंभ होने से 3209.33 करोड़ रुपए का व्यय उपगत करते हुए 2 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र को साधित कर लिया गया है। एनएपी के अंतर्गत जारी की गई निधियों और अनुमोदित क्षेत्र के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए है।

(ii) पर्यावरण और वन मंत्रालय जन भागीदारी से भू-दृश्य दृष्टिकोण अपनाकर राष्ट्रीय हरि भारत मिशन (जीआईएम) को कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें अगले 10 वर्षों में 5 मिलियन हैक्टेयर विस्तार तक वन क्षेत्र की गुणवत्ता में सुधार करने के साथ-साथ अन्य 5 मिलियन हैक्टेयर 2011-12 के दौरान 71 अभिज्ञात भू-दृश्यों में प्रारम्भिक गतिविधियों को निष्पादित करने के लिए जीआईएम के अंतर्गत 21 राज्यों को 49.95 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। जीआईएम के अंतर्गत जारी की गई निधियों के राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(iii) सुदूर और कठिन क्षेत्रों में वनीकरण, मृदा संरक्षण और जल संसाधन प्रबंधन तकनीकों के माध्यम से अवक्रमित पारि-प्रणालियों का पुनरुद्धार प्रारंभ करने के लिए असम, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर तथा राजस्थान राज्यों में छह पारि कार्य बल बटालियनें सक्रिय हैं। गत तीन वर्षों, वर्ष 2011-12 से वर्ष 2013-14 तक (दिनांक 30.11.13 की स्थिति के अनुसार), के दौरान रक्षा मंत्रालय को बटालियनों की स्थापना लागत के लिए 62.20 करोड़ रुपए की राशि की प्रतिपूर्ति की गई है।

(iv) भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों की अनेक स्कीमों के अंतर्गत वृक्षारोपण एक अनुज्ञेय कार्यकलाप है तथा अन्य मंत्रालयों द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), समेकित जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी), राष्ट्रीय बांस मिशन, तेरहवें वित्त आयोग जैसी स्कीमों के अंतर्गत तथा विभिन्न राज्य योजना और गैर-योजना स्कीमों, जो देश में वन और वृक्ष क्षेत्र को बढ़ाने हेतु सहायता प्रदान करती है, के अंतर्गत व्यापक स्तर पर वनीकरण कार्य भी किया जा रहा है।

विवरण-I

वर्ष 2000-02 से 2013-14 तक (दिनांक 30.11.2013 की स्थिति के अनुसार) राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) के अंतर्गत राज्य-वार जारी की गई निधियां और अनुमोदित क्षेत्र

क्र. सं.	राज्य	जारी की गई राशि (लाख रुपए में)	अनुमोदित क्षेत्र (हैक्टेयर में क्षेत्र)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	116.76	82222
2.	बिहार	60.16	39898
3.	छत्तीसगढ़	237.59	121047
4.	गोवा	0.64	1250
5.	गुजरात	209.79	100175
6.	हरियाणा	154.41	51788
7.	हिमाचल प्रदेश	71.91	51453
8.	जम्मू और कश्मीर	77.63	77097
9.	झारखंड	150.95	105290
10.	कर्नाटक	194.94	110628
11.	केरल	73.41	38214
12.	मध्य प्रदेश	219.06	155736
13.	महाराष्ट्र	221.12	135766
14.	ओडिशा	133.22	137602
15.	पंजाब	25.12	20081

1	2	3	4
16.	राजस्थान	67.58	52765
17.	तमिलनाडु	117.94	75070
18.	उत्तर प्रदेश	258.30	155869
19.	उत्तराखंड	91.92	77565
20.	पश्चिम बंगाल	62.10	45103
	कुल (अन्य राज्य)	2551.96	1634619
21.	अरुणाचल प्रदेश	32.87	33446
22.	असम	81.00	56280
23.	मणिपुर	92.92	48493
24.	मेघालय	52.60	32975
25.	मिज़ोरम	146.71	59120
26.	नागालैंड	100.37	60628
27.	सिक्किम	86.95	33027
28.	त्रिपुरा	63.91	50296
	कुल (पूर्वोत्तर राज्य)	657.35	374265
	कुल	3209.33	2008884

विवरण-II

वर्ष 2011-12 के दौरान हरित भारत मिशन (जीआईएस) के अंतर्गत राज्य-वार जारी की गई निधियां ब्यौरे

क्र सं.	राज्य का नाम	जारी की गई राशि (करोड़ रुए में)
1	2	3
1.	महाराष्ट्र	4.06
2.	झारखंड	1.47
3.	केरल	1.95
4.	तमिलनाडु	0.72
5.	गुजरात	1.34
6.	राजस्थान	2.75
7.	हिमाचल प्रदेश	1.27
8.	जम्मू और कश्मीर	0.64
9.	ओडिशा	1.08
10.	पंजाब	1.25
11.	हरियाणा	3.57
12.	छत्तीसगढ़	9.72
13.	असम	1.30
14.	आंध्र प्रदेश	0.89
15.	मणिपुर	0.40
16.	नागालैंड	1.42
17.	त्रिपुरा	3.50
18.	कर्नाटक	2.67
19.	मध्य प्रदेश	8.24
20.	उत्तर प्रदेश	1.20
21.	उत्तराखंड	0.51
	कुल	49.95

हथकरघा/हस्तशिल्प को बढ़ावा देना

1764. श्री निखिल कुमार चौधरी :
श्री इज्यराज सिंह :
श्री भूदेव चौधरी :
श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण :
डॉ. संजय सिंह :
राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा हस्तशिल्प मदों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रदान की जा रही रियायतें/प्रोत्साहन/योजनाएं कौन सी हैं और देश

में हस्तशिल्प/शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की जाने वाली कुछ नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हथकरघा/हस्तशिल्प उत्पादों का आयात इनके निर्यात से अधिक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस असंतुलन को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार विदेश सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में हस्तशिल्प उद्योग कोक प्रारंभ करने का है और इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो इसके परिणाम क्या रहे;

(घ) क्या सरकार का विचार देश के हथकरघा बुनकरों को दिए गए पैकेज को शिल्पकारों को भी प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में सरकार द्वारा तैयार की गई विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हस्तशिल्प उद्योग/शिल्पकारों को आबंटित निधियों के इष्टतम प्रयोग/दुरुपयोग हेतु स्थापित निगरानी केन्द्रों की संख्या कितनी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) सरकार द्वारा हस्तशिल्प के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु एक घटक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय विपणन सहित विपणन सहायता एवं सेवाएं स्कीम नामक एक योजना क्रियान्वित की जा रही है।

हस्तशिल्प के निर्यात के लिए सरकार द्वारा मुहैया कराई जा रही रियायतें/प्रोत्साहन निम्न प्रकार से हैं:—

- सकेन्द्रित उत्पाद स्कीम में 138 हस्तशिल्प मदों को शामिल किया गया है जिसमें विभिन्न हस्तशिल्प मदों पर निर्यात के एफओबी मूल्य का 7 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 2 प्रतिशत ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप लाभ के रूप में उपलब्ध है।
- सकेन्द्रित बाजारों को निर्यात के लिए रियायतें मुहैया कराने की दृष्टि से सकेन्द्रित बाजारों के लिए 4 प्रशित का ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप लाभ उपलब्ध हैं।
- हस्तशिल्प से जुड़े निर्यात विशिष्ट शहरों के रूप में जोधपुर, जयपुर, श्रीनगर, अनंतनाग, बाड़मेर, फिरोज़ाबाद, अगरतला और सहारनपुर नामक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प कलस्टरों को शामिल करना।
- 31 मार्च, 2014 तक हस्तशिल्प क्षेत्र को ब्याज में 3 प्रतिशत की छूट दी गई है।

12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वयन के लिए 'आधारभूत संरचना एवं प्रौद्योगिक विकास' नामक एक नई स्कीम शामिल की गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सरकार का हस्तशिल्प के संवर्धन एवं विकास हेतु क्रियान्वित की जा रही स्कीमें पहले से ही देश के एक बड़े ग्रामिण क्षेत्र के साथ-साथ उसके विदेश में निर्यात की आवश्यकता को पूरा कर रही है।

(घ) जी, नहीं। कोई विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) सरकार द्वारा ऐसे कोई विशिष्ट निगरानी केन्द्र स्थापित नहीं किए गए हैं। तथापि यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभिन्न स्कीमों के तहत संस्वीकृत निधियों का उचित उपयोग हो गया है और निधियों का दुरुपयोग नहीं हुआ है, इसके लिए देशभर में फैले विभिन्न फील्ड कार्यालयों द्वारा स्कीमों के कार्यान्वयन पर नज़र रखी जा रही है। ऐसे फील्ड कार्यालयों की संख्या, राज्य-वार संलग्न विवरण के अनुसार है।

विवरण

फील्ड कार्यालयों की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य	राज्य-वार फील्ड कार्यालय
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	4
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	असम	4
4.	बिहार	2
5.	छत्तीसगढ़	1
6.	दिल्ली	3
7.	गोवा	1
8.	गुजरात	2
9.	हरियाणा	1
10.	हिमाचल प्रदेश	1
11.	जम्मू और कश्मीर	6
12.	झारखंड	2

1	2	3
13.	कर्नाटक	4
14.	केरल	2
15.	मध्य प्रदेश	3
16.	महाराष्ट्र	5
17.	मणिपुर	1
18.	मेघालय	1
19.	मिज़ोरम	1
20.	नागालैंड	1
21.	ओडिशा	2
22.	पुदुचेरी	1
23	पंजाब	1
24.	राजस्थान	3
25.	सिक्किम	1
26.	तमिलनाडु	4
27.	त्रिपुरा	1
28.	उत्तर प्रदेश	8
29.	उत्तराखंड	2
30.	पश्चिम बंगाल	4
31.	अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह	1

[अनुवाद]

वाहनों हेतु उत्सर्जन मानदंड

1765. श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री एस.आर. जेयदुरई :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में सभी प्रकार के मोटर वाहनों हेतु यूरो-IV मानदंडों को अनिवार्य बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में सरकार के संज्ञान में वाहन उत्सर्जन के उल्लंघन का कोई मामला आया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) सरकार द्वारा देशभर में वाहन उत्सर्जन मानदंडों का कड़ा अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) एक वाहन निर्माता ने हाल ही में बताया है कि उत्पादन अनुकूलता-जांच के दौरान, इसके कर्मचारियों द्वारा कुछ अनियमितताएं बरती जा रही हैं। निम्न आशयों से संबंधित, सरकार द्वारा 3 सदस्यीय समिति स्थापित की गई:—

(i) उसके संबंध में उल्लंघन और उत्तरादियत्व/सदोषता की सीमा निश्चित करना।

(ii) उपभोक्ता के बचाव के लिए उपचार के नये तरीके।

(iii) भविष्य में 'उत्पादन-अनुकूलता के उल्लंघन के बचाव के तरीके।

(iv) कमेटी की रिपोर्ट की प्रतियां संबंधित राज्यों की सरकारों को, जांच संबंधी आगामी कार्रवाई के लिए भेज दी गई हैं। भविष्य में वाहन निर्माता द्वारा भविष्य में उत्पादन-अनुकूलता संबंधी अनियमितताओं से बचाव के उद्देश्य से 'टाईप अप्रूवल डाक्यूमेंट', 'स्टेडिंग कमेटी ऑन एभीशंस' (एससीओई) को भेज दी गई हैं।

एनएमडीसी में अनियमितताएं

1766. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा :
श्री अब्दुला रहमान :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार के संज्ञान में निविदा अनुबंध प्रदान करने में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम

(एनएमडीसी) के पदाधिकारियों द्वारा कथित भ्रष्टाचार और की गई अनियमितताओं की घटनाएं आई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच प्रारंभ/आयोजित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा अभियुक्तों और दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ङ) जब कभी एनएमडीसी लि. में अधिकारियों के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उनकी पूर्ण रूप से जांच की जाती हजै और यदि आवश्यक होता है तो उन्हें सुधारात्मक उपायों सहित उपयुक्त कार्यवाही हेतु संबंधित प्राधिकारियों को भेजा जाता है। तथापि, निविदाएं प्रदान करने में पादर्शिता सुनिश्चित करने के एिल एनएमडीसी लि. ने प्रत्येक 10 करोड़ रुपए से अधिक के अधिप्राप्ति मामलों और 20 करोड़ रुपए से अधिक के सभी कार्यों के लिए सत्यनिष्ठा समझौता लागू किया है जिस पर एनएमडीसी और बोलीदाताओं द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं। ऐसे कार्य जो 10 लाख रुपए से अधिक के हैं एनएमडीसी द्वारा उन्हें अग्रणी समाचार पत्रों, कंप0नी की वेबसाइट तथा सेंट्रल प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर विस्तृत प्रचार करके खुली निविदा के आधार पर प्रदान किया जाता है।

उपदान संदाय अधिनियम

1767. श्री गोरखप्रसाद जायसवाल :
श्री हरीश चौधरी :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त अधिनियम के उल्लंघन के मामलों की संख्या कितनी है;

(ग) उक्त अवधि में कितने लोग दोष सिद्ध ठहराए गए;

(घ) आज की तिथि के अनुसार उक्त अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय में अभी तक लंबित मामलों की संख्या कितनी है;

(ङ) उपरोक्त मामलों में से 10 सबसे अधिक समय से लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है और इनके लंबित रहने के मामला-वार कारण क्या हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) अधिनियम का उद्देश्य केन्द्रीय कानून बनाना है ताकि देशभर के कर्मचारियों को उपदान संदाय का समान स्वरूप सुनिश्चित किया जा सके। यह अधिनियम कारखानों, खानों, तेल क्षेत्रों, बागानों, पत्तनों, रेलवे कंपनियों, दुकानों अथवा अन्य स्थापनाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उपदान संदय की स्कीमों तथा इनसे संबंधित या इनके प्रासंगिक विषयों के लिए स्कीमों का प्रावधान करता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के और चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में उक्त अधिनियम के अंतर्गत पता लगाई गई अनियतिताओं की संख्या निम्नानुसार है:-

2010-11	45620
2011-12	37753
2012-13	34125
2013-14 (30.9.2013 तक)	26194

राज्य क्षेत्र में अनियतिताओं के संबंध में केन्द्रीय रूप से आंकड़े नहीं बनाए गए हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में प्रतिबिम्बित मामलों में अपराध-सिद्धियों की संख्या निम्नानुसार है:-

2010-11	01
2011-12	03
2012-13	05
2013-14 (30.9.2013 तक)	00

(घ) आदिनांक तक न्यायालय में उक्त अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय क्षेत्र में 21 मामले अभी भी लंम्बित हैं।

(ङ) लंबित मामलों में से 10 सबसे पुराने न्यायालयों मामलों के ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न है। ये न्यायिक कार्यवाहियां हैं।

(च) केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र में सभी क्षेत्रीय श्रमायुक्तों को निदेश दिए गए हैं कि लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए न्यायालयों में जाएं।

विवरण

उपदान संदाय अधिनियम के अंतर्गत दस सबसे पुराने न्यायालायी मामले

क्र. सं.	क्षेत्र	मामला दायर करने की तारीख	स्थापना का नाम
1.	अहमदाबाद	01.11.2000	भारतीय जीवन बीमा निगम
2.	अहमदाबाद	02.03.2003	शीर्ष जासूसी एवं सुरक्षा सेवाएं
3.	अजमेर	01.08.2003	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी
4.	अहमदाबाद	18.03.2004	बाटा इंडिया लि.
5.	अहमदाबाद	10.06.2004	गृह वित्त लि.
6.	अजमेर	29.10.2004	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
7.	अहमदाबाद	23.03.2006	जेके सीमेंट लि.
8.	अहमदाबाद	23.03.2006	कुओनी ट्रेवल इंडिया प्रा.लि.
9.	अहमदाबाद	24.05.2006	सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स लि.
10.	अहमदाबाद	24.07.2006	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.

[हिन्दी]

राष्ट्रीय सुरक्षा समिति

1768. श्री दिनेश चन्द्र यादव :
डॉ. मुरली मनोहर जोशी :
श्री नवीन जिन्दल :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली और देश द्वारा सामना की जा रही बढ़ती चुनौतियों और खतरों का सामना करने में इसकी क्षमता की समीक्षा के लिए कोई कृतिक बल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कृतिक बल द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ संस्था की स्थापना सहित इनें से प्रत्येक सिफारिशों की स्थिति क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सुधार और प्रक्रिया में राज्य सरकारों को शामिल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (घ) जी, हां। राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंध प्रणाली की समीक्षा करने और उचित सिफारिशें करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में एक कृतिक बल का गठन किया था। कृतिक बल ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय, संबंधित पणधारी अभिकरणों के साथ परामर्श करने के पश्चात् सरकार के निर्णयों हेतु इस कृतिक बल की सिफारिशों को देख रहा है।

[अनुवाद]

भारत — अमेरिका रक्षा बैठक

1769. श्री एम. कृष्णास्वामी :
श्री प्रदीप माझी :
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री सुरेश कुमार शेटकर :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत और अमेरिका ने रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चाएं की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन द्विपक्षीय रक्षा संबंधों का क्या प्रभाव पड़ा; और

(ग) दोनों देशों के नेताओं ने जिन मुद्दों पर सहमति जताई है, उनका ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ग) रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा के बारे में यूएसए सहित विभिन्न देशों के साथ आवधिक रूप से विचार-विमर्शों का आयोजन किया जाता है। वर्तमान में यूएसए के साथ रक्षा सहयोग गतिविधियों के प्रशिक्षण का आदान-प्रदान, सशस्त्र सेनाओं के बीच व्यावसायिक वार्तालाप, युद्धाभ्यासों का संचालन और पारस्परिक हित के मसलों पर दोनों देशों की रक्षा स्थापनाओं के बीच नियमित वार्ताएं शामिल हैं।

नर्मदा नदी पर चार-लेन वाला पुल

1770. श्री हरिभाऊ जावले :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री सी.आर. पाटिल :
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 के वडोदरा-सूरत खंड पर जड़ेश्वर में नर्मदा नदी पर नए चार-लेन वाले पुल का निर्माण प्रारंभ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है और उक्त पुल के निर्माण कार्य को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) से (ग) रारा-8 पर जड़ेश्वर में नर्मदा नदी पर नए चार-लेन वाले पुल का निर्माण कार्य निर्माण प्रचालन-अंतरण (बीओटी पथकर) विधि पर सौंपा गया था। रियायतग्राही ने कार्य प्रारंभ नहीं किया। अतः कार्य को बंद करने का निर्णय लिया गया है। अब यह कार्य इंजीनियरी प्रापण, निर्माण विधि पर कराए जाने का प्रस्ताव है ओर इसे जनवरी, 2014 तक सौंपा जाना नियत किया गया है। इस परियोजना के पूरा होने की निर्धारित अवधि 30 माह है।

पश्चिमी घाटों संबंधी रिपोर्ट

1771. डॉ. मन्दा जगन्नाथ :
श्री प्रह्लाद जोशी :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाडगिल समिति ने देश में पश्चिमी घाटों के पारिस्थितिकी प्रणाली के अनुरक्षण पर बल दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इसके कार्यान्वयन और पश्चिमी घाटों में हरित वृद्धि हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने *अन्य बातों के साथ-साथ,* पश्चिमी घाटों में पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों का सीमांकन करने हेतु दिनांक 4 मार्च, 2010 को प्रो. माधव गाडगिल की अध्यक्षता में पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल (डब्ल्यूजीईईपी) गठित किया था। डब्ल्यूजीईईपी ने अपनी रिपोर्ट मंत्रालय में प्रस्तुत कर दी थी। इसके अतिरिक्त, संबंधित राज्य सरकारों/केन्द्रीय मंत्रालयों/पणधारियों से प्राप्त टिप्पणियों और बहुमूल्य जैव-विविधता के परिरक्षण, स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं, क्षेत्र के सतत् विकास एवं पर्यावरणीय अखण्डता जैसे अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखते हुए डब्ल्यूजीईईपी रिपोर्ट की समग्र और बहुपक्षीय रूप में जांच करने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय ने दिनांक 17 अगस्त, 2012 को डॉ. के. कस्तूरीरंगन, सदस्य (विज्ञान), योजना आयोग की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कार्य दल (एचएलडब्ल्यूजी) गठित किया था।

इस उच्च स्तरीय कार्य दल (एचएलडब्ल्यूजी) ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को दिनांक 15 अप्रैल, 2013 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट को सभी संबंधित पणधारियों की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर डालकर पब्लिक डोमेन में प्रदर्शित किया गया था। संबंधित राज्य सरकारों को उनके अभिमत देने के लिए अनुरोध भी किया गया था। पारदर्शी प्रक्रिया के पूर्ण होन पर पर्यावरण और वन मंत्रालय ने अपने दिनांक 16 नवंबर, 2013 के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) के तहत उच्च स्तरीय कार्य दल की रिपोर्ट को "सिद्धांत रूप में" स्वीकार कर लिया है। उक्त कार्यालय ज्ञापन की प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

सं. 1-4/2012-आरई (पार्ट)
भारत सरकार
पर्यावरण और वन मंत्रालय

पर्यावरण भवन,
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड,
नई दिल्ली-110 003
दिनांक : 16 नवंबर, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषयः पश्चिमी घाटों के संबंध में उच्च स्तरीय कार्य दल की रिपोर्ट

1. पर्यावरण और वन मंत्रालय ने अपने दिनांक 17.08.2012 के कार्यालय आदेश द्वारा पश्चिमी घाटों की समृद्ध जैव-विविधता और पर्यावरणीय अक्षुणता की सुरक्षा, संरक्षण और पोषण के तौर-तरीकों का अध्ययन करने और सिफारिशें करने तथा पश्चिमी घाटों की संवेदनशील पारिस्थितिकी को और अधिक अवक्रमण से बचाने के उपाय सुझाने के लिए योजना-आयोग के सदस्य (विज्ञान) डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कार्य दल (एचएलडब्ल्यूजी) गठित किया था। एचएलडब्ल्यूजी को अधिकदेश के द्वारा इस मुद्दे पर एक समय दृष्टिकोण अपनाने तथा पर्यावरण एवं जैवविविधिता के संरक्षण तथा पश्चिमी घाट क्षेत्र के स्थानीय निवासियों, विशेष रूप से समाज के वंचित वर्गों, के अधिकारों के बीच तालमेल बैठने का कार्य भी सौंपा गया था ताकि सम्मिलित उन्नति और सतत् विकास हेतु उनकी सही आकांक्षाओं की भी सुरक्षा की जा सके एवं उन्हें पूर किया जा सके।

2. एचएलडब्ल्यूजी ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट 15 अप्रैल, 2013 को प्रस्तुत की और तत्पश्चात् इसे पर्यावरण वन मंत्रालय की वेबसाइट पर डालकर पब्लिक डोमेन में प्रदर्शित किया गया था तथा फीडबैक तथा टिप्पणियां देने हेतु पश्चिमी घाटा के छह राज्यों सहित सभी पणधारियों में इसका प्रचार किया गया था। सभी पणधारियों को एचएलडब्ल्यूजी रिपोर्ट पर अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित भी किया गया था। तत्पश्चात्, एक पारदर्शी प्रक्रिया पूरी होने पर, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने एचएलडब्ल्यूजी रिपोर्ट पर निम्नलिखित दृष्टिकोण अपनया है;

मंत्रालय ने निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन एचएलडब्ल्यूजी की रिपोर्ट "सिद्धांत रूप" में स्वीकार कर ली हैः—

(i) एचएलडब्ल्यूजी द्वारा किए गए सीमांकन के अनुसार पश्चिमी घाटों की सीमा की परिभाषा को स्वीकार किया जाता है।

(ii) एचएलडब्ल्यूजी द्वारा अभिज्ञात और वर्णित किए गए अनुसार पश्चिमी घाटों में पारि-संवेदी क्षेत्र (ईएसए) को स्वीकार किया जाता है।

(iii) एचएलडब्ल्यूजी ने पश्चिमी घाटों के लगभग 37% क्षेत्र को पारि-संवेदी क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात किया है। अभिज्ञात किए गए पारि-संवेदी क्षेत्र में पश्चिमी घाटों के प्राकृतिक भू-दृश्य का लगभग 60,000 वर्ग किमी. क्षेत्र शामिल है। पारि-संवेदी क्षेत्र पश्चिमी घाट क्षेत्र के छह राज्यों अर्थात् गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है। पारि-संवेदी क्षेत्र में पश्चिमी घाटों के संरक्षित क्षेत्र और विश्व धरोहर स्थल भी शामिल हैं।

(iv) पारि-संवेदी क्षेत्र में ताप विद्युत संयंत्रों और रेड श्रेणी के उद्योगों के साथ-साथ खनन, उत्खनन और रेत खनन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की एचएलडब्ल्यूजी की सिफारिशें भी स्वीकार कर ली गई हैं।

(v) जल विद्युत के ऊर्जा का एक अपेक्षाकृत स्वच्छ स्रोत होने के कारण एचएलडब्ल्यूजी ने सख्त शर्तों के अध्यधीन पारि-संवेदी क्षेत्र में इसकी अनुमति देने की सिफारिश की है। मंत्रालय ने इस सिफारिश को भी स्वीकार कर लिया है।

(vi) लागू विनियमों के अध्ययधीन पारि-संवेदी क्षेत्र में पवन ऊर्जा की अनुमति दी गई है।

(vii) मंत्रालय की वेबसाइट पर एचडब्ल्यूजी की रिपोर्ट के प्रदर्शित किये जाने की तारीख अर्थात् दिनांक 17.04.2013 से पूर्व ईएसी/एमओईएफ या एसईएसी/एसईआईएए के द्वारा प्राप्त मामलों तथा ईएसी/एमओईएफ या एसईएसी/एसईआईएए के पास लंबित मामलों को छोड़कर निम्नलिखित वर्ग की नई और/अथवा विस्तार परियोजनाओं/कार्यकलापों को प्रतिबंधित किया जाएगा। ऐसी परियोजनाओं पर संबंधित ईएसी/ एमओईएफ या एसईएसी/एसईआईएए के समक्ष आवेदन करने के समय लागू दिशा-निर्देशों औ नियमों के तहत कार्यवाही की जाएगी।

(क) खनन, उत्खनन और रेत खनन।

(ख) ताप विद्युत संयंत्र।

(ग) 20,000 वर्ग किमी. और उससे अधिक क्षेत्र में भवन तथा निर्माण परियोजनाएं।

(घ) 50 हैक्टेयर और उससे अधिक के क्षेत्र तथा/अथवा

1,50,000 वर्ग मी. या उससे अधिक के निर्मित क्षेत्र वाली शहर विकास और क्षेत्र विकास परियोजनाएं।

(ङ) रेड श्रेणी के उद्योग।

(viii) जो परियोजनाएं/कार्यकलाप, पारि-संवेदी क्षेत्र के तहत विशेष रूप से प्रतिबंधित नहीं है, उन्हें पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व संचयी प्रभाव और विकास आवश्यकताओं हेतु उनकी जांच और आकलन किया जाएगा।

(ix) वन अधिकार अधिनियम का सही अर्थों में पालन किया जाएगा। एचएडब्ल्यूजी द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार पारि-संवेदी क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य होगी।

3. पारि-संवेदी क्षेत्र की सीमा तथा विनियमामक व्यवस्था, इस संबंध में मसौदा अधिसूचना को क्षेत्र की राज्य सरकारों सहित पणधारियों की टिप्पणियों/विचारों के लिए पब्लिक डोमेन में प्रदर्शित किए जाने के बाद सुसंगत बनाया जाएगा।

4. उच्च स्तरीय कार्य दल ने नोट किया है कि सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी जिलों जहां रोग लगायी गयी है, का एक बड़ा भाग एचएलडब्ल्यूजी द्वारा यथा निर्धारित पश्चिमी घाटों की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। उच्च स्तरीय कार्य दल ने कुछ शर्तों के अध्यधीन, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में लगी रोक को हटाने की सिफारिश की है।

5. एचएलडब्ल्यूजी द्वारा की गई अन्य सभी मुख्य सिफारिशों, विशेषकर पश्चिमी घाटों में हरित विकास को प्रोत्साहित करने हेतु धनराशि की व्यवस्था करने, निर्णय करने की प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों को भागीदारी बनाने और उन्हें शामिल करने, डाटा निगरानी प्रणाली विशेषकर पश्चिमी घाटों के लिए डिसिजन स्पोर्ट एंड मॉनीटरिंग सेंटर की स्थापना करने संबंधी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है।

6. मंत्रालय द्वारा एचएलडब्ल्यूजी की रिपोर्ट को दी गई "सैद्धांतिक" स्वीकृत पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए एचएलडब्ल्यूजी की सिफारिशों का कार्यान्वयन करने हेतु संगत कदम उठाए जाएंगे। मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किए गए अनुसार पश्चिमी घाटों के पारि-संवेदी क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात क्षेत्र की घोषणा करने हेतु मसौदा अधिसूचना जाीर की जाएगी और उसे पणधारियों के विचारों हेतु मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। एचएलडब्ल्यू की सिफारिशों के समयबद्ध कार्यान्वयन की मॉनीटरी करने हेतु पर्यावरण और वन मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी।

इस विषय पर दिनांक 19 अक्तूबर, 2013 को पूर्व में जारी समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन को वापिस लिया जाता है।

यह सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से जारी किया जाता है।

(डॉ. अमित लव)
उप-निदेशक

प्रतिलिपि:-

1. पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव।
2. सचिव (पर्यावरण एवं वन) के प्रधान निजी सचिव।
3. अपर सचिव (एचपी) के प्रधान निजी सचिव।
4. संयुक्त सचिव (एटी)/संयुक्त सचिव (एमएस)/सलाहकार (जीवीएस) के निजी सचिव।

[हिन्दी]

चीन के साथ व्यापार असंतुलन

1772. श्री सुरेश कुमार शेटकर :
श्री राकेश सिंह :
श्री राजय्या सिरिसिल्ला :
श्री पी. कुमार :
श्री ए.के.एस. विजयन :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने चीन के साथ व्यापार असंतुलन के मुद्दे को उठाया है और यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान व्यापार घाटे का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा बढ़ते व्यापार घाटे को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे क्षेत्रों को निर्धारित किया जहां चीन द्वारा आयात प्र:शुल्क प्रतिषेधात्मक प्रकृति के हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं, भेषज और कृषि उत्पादों के भारतीय निर्यात को सुकर बनाने के अपने लंबित अनुरोध की ओर चीनी प्राधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया है और यदि हां, तो इस पर चीनी सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) क्या सरकार ने घरेलू कंपनियों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर चीनी कंपनियों द्वारा विद्युतीय इन्सुलेटरों के कथित पाठन की कोई जांच प्रारंभ की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) क्या देश में सस्ते चीनी पटाखों का आयात किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका रोजगार अवसरों

और घरेलू पटाखा निर्माण उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. ई.एम.एस. नाच्चीयप्पन) : (क) जी, हां। इस विभाग ने चीन के प्राधिकारियों के साथ व्यापार घाटे के मुद्दे को उठाया है। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान चीन के साथ आयात-निर्यात तथा व्यापार घाटे का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा:

(मूल्य बिलियन अमेरिकी डॉलर में)

निर्यात/आयात/ व्यापार घाटा	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (अप्रैल अक्तूबर)	2013-14 (अप्रैल- (अक्तूबर) (अनंतिम)
निर्यात	15.5	18.1	13.6	7.4	7.2
आयात	43.5	54.7	52.2	31.3	30.5
व्यापार घाटा	28	36.6	38.6	23.9	23.3

चीन के साथ व्यापार घाटे को कम करने के उद्देश्य से विनिर्मित वस्तुओं पर बल देने के साथ व्यापार समूह को विविधीकृत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हम चीन के बाजार में गैर-टैरिफ बाधाओं का समाधान करने के लिए विभिन्न मंचों पर बाजार पहुंच मुद्दों को उठा रहे हैं। मंत्रिस्तर पर आर्थिक संबंध, व्यापार विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संबंधी भारत-चीन संयुक्त समूह (जेईजी) इन मुद्दों का नियमित रूप से समाधान करता है। चीन के बाजार में भारतीय उत्पादों का प्रदर्शन करने तथा चीन की कंपनियों के साथ व्यापार संबंधों में वृद्धि करने के लिए भारतीय निर्यातकों को चीन के प्रमुख व्यापार मेलों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। व्यापार मेलों में भारतीय निर्यातकों की भागीदारी से भारतीय उत्पादों का संवर्धन होता है। बाजार पहुंच पहल (एमएआई)/बाजार विकास सहायता (एमडीए) जैसी स्कीमों के माध्यम से व्यापार-सह-व्यापार संबंधों को प्रोत्साहित किया जाता है।

(ख) हमारे प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कपास यार्न और वस्त्र जैसी कुछ मदें उच्च सीमाशुल्क आकर्षित करती हैं क्योंकि वे इन देशों और चीन के बीच हुए विभिन्न मुक्त व्यापार करार के अंतर्गत लाभ उठा रहे हैं।

(ग) जी, हां। वाणिज्य विभाग ने आईटी उद्योग के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को चिन्हित किया है और आईटी और आईटीईएस क्षेत्रों में भारत और चीन के बीच संवर्धित सहयोग हेतु रूप-रेखा देने के लिए चीन के वाणिज्य मंत्री को इस विषय पर नोन पेपर दिया गया। अगर कार्यान्वित किया जाए तो, नोन पेपर में दिए गए उपाय चीन के साथ व्यापार घाटा को कम करने में मदद करेंगे।

इसी तरह, मुख्य क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात किए जाने के परिणामस्वरूप चीन को भेषजों का निर्यात बढ़ानके हेतु चीन के सहयोगियों से भारत सरकार निरंतर बातचीत कर रही है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को सुकर बनाने हेतु मई, 2013 में 'फार्मेक्सिल और' "औषध एवं स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों के निर्यात हेतु चीन वाणिज्य चेंबर" के बीच समझौता ज्ञापन किया गया है। नवम्बर, 2013 को आयोजित 5वें चीन औषध मेले में भारतीय भेषजीय उद्योग ने प्रतिभागिता की। वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में गठित एक तकनीकी प्रतिनिधिमंडल ने नवंबर, 2013 के दौरान चीन के खाद्य एवं औषध प्रधासन, "औषध एवं स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों के आयात और निर्यात हेतु चीन वाणिज्य परिसंघ" (सीसीसीएमपीएच आईई) और एमओएफसीओएम के साथ भेषजीय उद्योग से संबंधित विविध व्यापार संबंधी मामलों पर चर्चा की।

कृषि उत्पादों के संबंध में, वाणिज्य विभाग गोमांस, सब्जियों और फलों की लम्बित बाज़ार पहुंचे के मुद्दे को चीन प्राधिकारियों के ध्यान में लाने का निरंतर प्रयास कर रहा हैं। गोमांस की बाजार पहुंच के संबंध में, चीन के संबंधित प्राधिकारी के साथ बैठक करने के लिए दिनांक 17 दिसंबर, 2013 को एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल चीन का दौरा भी कर रहा है।

(घ) मै. डब्ल्यूएस इंडस्ट्रीज (इंडिया) लि., मैसर्स मोर्डन इन्सुलेटर्स लिमिटेड, मैसर्स इन्सुलेटर्स एंड इलेक्ट्रिकल कंपनी, मैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लि. और मैसर्स आदित्य विरला नुवो लिमिटेड द्वारा दर्ज की गई याचिका के आधार पर, पाटनरोधी तथा संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी) द्वारा दिनांक 5.9.2013 को चीन से इलेक्ट्रिकल इन्सुलेटरों के तथाकथित पाटन के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ङ) भारत को आयातित सभी वस्तुएं घरेलू कानूनों, नियमों, आदेशों, विनियमनों, तकनीकी विनिर्देशनों, पर्यावरण और सुरक्षा मानकों के अध्यधीन होती हैं। इन विनियमों को समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है। यदि यह पाया जाता है कि किसी स्रोत से आयातित वस्तुओं से इन विनियमों का उल्लंघन हो रहा है तथा उससे मानव, पशु अथवा पादप जीवन अथवा स्वास्थ्य को खतरा है तो उस स्थिति में सरकार द्वारा समुचित कार्रवाई की जाती हैं डीजीसीआई एंड एस द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सीबीईसी, नई दिल्ली द्वार बनाई गई आईटीसी (एचएस) कोड सूची में क्रैकर्स के लिए कोई निर्दिष्ट कोड नहीं है। तथापि, उपलब्ध

आंकड़ों के अनुसार, गत तीन वर्षों और प्रत्येक वर्ष के दौरान (सितम्बर, 2013 तक) चीन से "फायरवर्क्स" के अंतर्गत कोई आयात नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट का निपटान

1773. श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला :
श्री ए.टी. नाना पाटील :
श्री भर्तृहरि महताब :
श्री पी. कुमार :
श्री संजय धोत्रे :
श्री ई.जी. सुगावनम :
श्री देवजी एम. पटेल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में बड़ी संख्या में अस्पतालों में जलमाल शोधन संयंत्र और जैविक चिकित्सीय अपशिष्ट हेतु कोई व्यवस्थापन नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा प्रत्येक अस्पताल के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार ने अस्पतालों को जलमल शोधन संयंत्र स्थापित करने हेतु कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं ताकि अस्पताल द्वारा अपशिष्ट पदार्थ जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विषैला कहा गया है, नहीं निकलें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (घ) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने देश में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं (एचसीएफ) द्वारा उत्सर्जित जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट का प्रबंधन करने के लिए जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालय) नियम, 1998 अधिसूचित किए हैं। जो अस्पताल या तो टर्मिनल मलजल शोधन संयंत्र के बिना सीवरों से जुड़े हैं अथवा सार्वजनिक सीवरों से नहीं जुड़े हैं, उनके लिए इन नियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट द्रव अपशिष्ट हेतु मानकों को पूरा करना अपेक्षित है। टर्मिनल सुविधाओं के साथ सार्वजनिक सीवरों में प्रवाह के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत यथा अधिसूचित सामान्य मानकों को पूरा करने अपेक्षित है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा करने और एचसीएफ से उत्सर्जित द्रव अपशिष्ट का समुचित शोधन और निपटान सुनिश्चित करने के लिए एचसीएफ पर उपयुक्त शर्तें लगाने के द्वारा यथोक्त नियमों के अंतर्गत 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' अथवा प्राधिकारी जारी करने के लिए मामला दर मामला आधार पर किसी एचसीएफ द्वारा एक बहि:स्राव शोधन संयंत्र की अपेक्षा की आवश्यकता की जांच करने के लिए सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को पत्र लिखे हैं।

केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएण्ड एफडब्ल्यू) द्वारा राष्ट्रीय अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन दिशा-निर्देशो, जो यथोक्त नियमों पर आधारित हों, को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, को जारी किया गया है। इन दिशा-निर्देशों को वर्ष 2012 में यथा संशोधित भारतीय जन स्वास्थ्य एचसीएफ मानकों में समाविष्ट किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने समुचित जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन के लिए समुदाय स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-केन्द्रों के लिए एक राष्ट्रीय नीति दस्तावेज़ एवं प्रचालनात्मक दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।

चार लेन वाला राष्ट्रीय राजमार्ग

1774. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर :
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे :
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना :
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण :
श्रीमती भावना पाटील गवली :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में महाराष्ट्र सहित राज्य-वार और राष्ट्रीय राजमार्ग-वार विशेषकर पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में विद्यमान चार-लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) की कुल लंबाई कितनी है और विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन एनएच के अनुसरण हेतु जारी/आवंटित निधियां कितनी हैं;

(ख) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान देश में राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का बनाने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके राज्य-वार क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में सभी चार-लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर पथ-कर लगाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन सभी चार-लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों का ब्यौरा क्या है, जहां पथ-कर संग्रहीत किया जा रहा है और उन निजी कंपनियों के नाम क्या हैं, जो पथकर संग्रह कर रही है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुसरण और मरम्मत हेतु आबंटन और किए गए व्यय सहित देश में 4 लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। निधियों का आबंटन राज्य-वार किया जाता है न कि राष्ट्रीय राजमार्ग-वार।

(ख) और (ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राजमार्गों के विकास के लिए लक्ष्यों और पूरी की गई लंबाई के संदर्भ में उपलब्धियों का वर्ष-वार ब्यौरा इस प्रकार है:—

(लंबाई किमी.)

वर्ष	निर्माण के लिए लक्ष्य	पूरी की गई लंबाई लंबाई के संदर्भ में उपलब्धि
1	2	3
2010-11	5,534	4,439
2011-12	5,824	5,013
2012-13	6,092	5,732
2013-14	6,330	1,817$

$अक्तूबर, 2013 तक।

लक्ष्यों में गिरावट के लिए जिम्मेदार कारकों में मुख्यत: भूमि अधिग्रहण जन सुविधाओं के स्थानांतरण पर्यावरण और वन स्वीकृति, रेल उपरि पुलों के अनुमोदन में विलंब, कानून और व्यवस्था की समस्या, कुशल/अर्ध-कुशल मानव शक्ति की कमी और आर्थिक मंदी आदि हैं।

(घ) लेन के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 के प्रावधानों और इसके उत्तरवर्ती संशोधनों के अनुसार किया जाता है।

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत विकसित किए गए 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों जहां पथकर संग्रहीत किया जाता है, ठेकेदार/रियायतग्राही के नाम सहित का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत हेतु आबंटन और किए गए व्यय सहित देश में 4 लेन के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार राष्ट्रीय राजमार्ग

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	4 लेन राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई (किमी.)#	मरम्मत के लिए निधियों	
			आबंटन	व्यय*
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2,363.04	350.62	205.08
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	56.23	42.21
3.	असम	677.36	345.83	229.88
4.	बिहार	800.82	365.72	210.98
5.	चंडीगढ़	0.85	10.75	1.43
6.	छत्तीसगढ़	160.80	146.37	87.46
7.	दिल्ली	80.00	0.42	0.00
8.	गोवा	39.52	43.67	19.32

1	2	3	4	5
9.	गुजरात	1,641.36	273.28	204.53
10.	हरियाणा	398.98	87.82	76.54
11.	हिमाचल प्रदेश	5.10	205.71	144.71
12.	जम्मू और कश्मीर	113.00	7.78	0.00
13.	झारखंड	275.26	132.56	94.17
14.	कर्नाटक	864.21	304.57	235.67
15.	केरल	50.40	172.19	96.05
16.	मध्य प्रदेश	928.90	198.98	145.48
17.	महाराष्ट्र	1,970.24	372.00	281.37
18.	मणिपुर	14.39	72.71	50.81
19.	मेघालय	0.00	156.55	103.35
20.	मिज़ोरम	0.00	132.97	103.75
21.	नागालैंड	0.00	119.659	96.85
22.	ओडिशा	1,463.42	285.10	236.64
23.	पुदुचेरी	0.00	7.38	4.92
24.	पंजाब	524.89	116.46	88.70
25.	राजस्थान	3,827.27	411.72	359.67
26.	तमिलनाडु	585.93	217.86	192.74
27.	उत्तर प्रदेश	1,880.00	437.6	314.42
28.	उत्तराखंड	39.41	237.23	156.71
29.	पश्चिम बंगाल	806.01	197.99	127.04
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	29.5	4.12
31.	एनएचएआई$	—	1,056.63	1,056.63
32.	बीआरओ$	—	288.00	158.50

*-राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए नवंबर, 2013 तक और बीआरओ के लिए अक्तूबर, 2013 तक।

$-भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और बीआरओ के लिए राज्य-वार आबंटन नहीं किया जाता है।

#-अनंतिम

विवरण-II

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत विकसित किए गए 4 लेन राष्ट्रीय खंड, जहां पथकर संग्रहीत किया जाता है

क्र. सं.	खंड	पथकर योग्य खंड	रारा सं.	ठेकेदार/रियायतग्राही के नाम
1	2	3	4	5
1.	किशनगढ़-गांव कावलियास	किमी. 0.00 - किमी. 35.00 और किमी. 15.00 - किमी. 81.00	79 और 79ए	मै. कोर्णाक इंफ्रास्ट्रक्चर लि.
2.	भीलवाड़ा-चित्तौड़गढ़	किमी. 81.00 - किमी. 163.900	79	मै. सहकार ग्लोबल लि.
3.	गांव रिठोला-उदयपुर	किमी. 213 - किमी. 113.830	76	मै. सहकार ग्लोबल लि.
4.	उदयपुर-खेवड़ा	किमी. 278.00 - किमी. 348.00	8	मै. कोर्णाक इंफ्रास्ट्रक्चर लि.
5.	खेवड़ा रतनपुर	किमी. 348.00 - किमी. 388.180	8	मै. कोर्णाक इंफ्रास्ट्रक्चर लि.
6.	रतनपुर-हिम्मतनगर	किमी. 388.180 - किमी. 443.00	8	मै. स्काईलार्क सेक्योरिट्स प्रा.लि.
7.	हिम्मतनगर-चिलोधा	किमी. 443.00 - किमी. 495.00	8	मै. स्काईलार्क सेक्योरिट्स प्रा.लि.
8.	जयपुर-किशनगढ़	किमी. 273.50 - किमी. 363.885	8	मै. जीवीके जयपुर किशनगढ़ एक्सप्रेसवे कं. लि.
9.	महाराष्ट्र सीमा-बेलगाम	किमी. 592.24 - किमी. 537	4	मै. कोर्णाक इंफ्रास्ट्रक्चर लि.
10.	हट्टारगी-हीरेबागेवदी	किमी. 537.000 - किमी. 515.000	4	एम. गोपालकृष्णा मेलांता
11.	गब्बूर-देवगिरी	किमी. 404.00 - किमी. 340.00	4	मै. एमईपी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्रा.लि.
12.	डोडासिद्दनहल्ली-हदादी	किमी. 189.000 - किमी. 260.000	4	मै. ईगल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लि.
13.	हदादी-देवगिरी	किमी. 260.000 - किमी. 340.000	4	मै. बीवीएसआर कंस्ट्रक्शन प्रा.लि.
14.	नीलमंगला-तुमकुर	किमी. 29.5 - किमी. 62.0	4	मै. जस टोल रोड कं. लि.
15.	सतारा-कागल	किमी. 592.240 - किमी. 725.00	4	मैं महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि.
16.	टुंडला-माखनपुर	किमी. 219.00 - किमी. 250.500	2	मै. आयुषजय कंस्ट्रक्शन प्रा.लि.
17.	शिकोहाबाद-इटावा और इटावा बाइपास	किमी. 250.50 - किमी. 321.100	2	मै. एमईपी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्रा.लि.
18.	भौंती-फतेहपुर	नया चैनेज किमी. 457.377 - किमी. 508.877	2	मै. एमईपी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्रा.लि.
19.	आशापुर-थरिवान	किमी. 38.000 - किमी. 94.020	2	श्री विनय कुमार सिंह

1	2	3	4	5
20.	फतेहपुर-खोखराज	किमी. 100.00 - किमी. 158.00	2	मै. वीरेंद्र नाथ उपाध्यक्ष
21.	इलाहाबाद-बाइपास	किमी. 158.00 - किमी. 242.708	2	श्री वीरेंद्र कुमार व्यास
22.	इलाहाबाद-हंडिया-वाराणसी	किमी. 245.00 - किमी. 317.00	2	मै. भोलानाथ प्रजापति शुक्ला
23.	औरंगाबाद-बाराचेट्टी	किमी. 180.00 - किमी. 240.00	2	मै. मदर इंडिया कंस्ट्रक्शन प्रा.लि.
24.	बाराचेट्टी-गोरहर	किमी. 240.00 - किमी. 320.00	2	मै. वेस्ट वेल आयरन और स्टील प्रा.लि.
25.	गोरहर-बरवा अड्डा	किमी. 320.00 - किमी. 398.75	2	मै. सहकार ग्लोबल लि.
26.	बरवा अड्डा-पानागढ़	किमी. 398.750 - किमी. 515.236	2	मै. स्काईलार्क सेक्योरिटस प्रा.लि.
27.	बुदबुद-पलसित	किमी. 525.853 - किमी. 587.853	2	मै. कोर्णाक इंफ्रास्ट्रक्चर लि.
28.	पलसित-धनकुनी	किमी. 587.853 - किमी. 651.02	2	मै. कोर्णाक इंफ्रास्ट्रक्चर लि.
29.	सेकेंड विवेकानंद पुल और पहुंचमार्ग	किमी. 666.165 - किमी. 651.602	2	मै. सेकेंड विवेकानंद ब्रिज टोलवे कं. प्रा. लि.
30.	भद्रक-बालासोर	किमी. 136.500 - 199.141	5	मै. एस.एस. इंटरप्राइजेज लि.
31.	भद्रक-चेतिया	किमी. 53.124 - 123.124	5	मै. कोर्णाक इंफ्रास्ट्रक्चर लि.
32.	सुनाखला-भुबनेश्वर	किमी. 337.01 - किमी. 402.01	5	मै. ईगल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लि.
33.	इच्छापुरम-पुइनटोला	किमी. 477.054 - किमी. 432.00	5	मै. बीवीएसआर कंस्ट्रक्शन्स प्रा.लि.
34.	इच्छापुरम-नंदीगाम	किमी. 226.15 - किमी. 160.00	5	मै. विजय एग्रो प्रोडक्ट्स प्रा.लि.
35.	नंदीगाम-श्रीकाकुलम	किमी. 160.00 - किमी. 97.00	5	के. कुमार राजा प्रोजेक्ट्स प्रा.लि.
36.	श्रीकाकुलम-चंपावती	किमी. 97.00 - किमी. 49.00	5	मै. सहकार ग्लोबल लि.
37.	चंपावती/कोप्परला-विशाखापट्टनम	किमी. 49.00 - किमी. 2.837	5	मै. ईगल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लि.
38.	विशाखापट्टनम-अंकापल्ली	किमी. 2.837 - किमी. 0.000 और किमी. 395.870 - किमी. 358.000	5	वीरेंद्र कुमार व्यास
39.	अंकापल्ली-तुनी	किमी. 358.00 - किमी. 272.00	5	मै. कोणार्क इंफ्रास्ट्रक्चर लि.
40.	तुनी-राजामुंदी (बम्मूरु)	किमी. 272.000 - किमी. 187.600	5	मै. श्री साई इंटरप्राइजेज
41.	बम्मूरू-गुंडुगोलानू	किमी. 187.6 - किमी. 81.6	5	मै. कोणार्क इंफ्रास्ट्रक्चर लि.
42.	गुंडूगोलानू-विजयवाड़ा-इलूरू बाइपास सहित	किमी. 81.60 - किमी. 42.5 (नया चैनेज किमी. 1022.494-1061.5940)	5	कोव्वूरी रवींद्रा रेड्डी (इंडिवीजुअल)
43.	गुंडुगोलानू-विजयवाड़ा-इलूरू बाइपास सहित	किमी. 42.50 - किमी. 3.4	5	मै. एस.एस. इंटरप्राइजेज

1	2	3	4	5
44.	बालेश्वर से खड़गपुर	किमी. 0.000 – किमी. 119.300	60	मै. बालेश्वर खड़गपुर एक्सप्रेसवे लि.
45.	टाडा–नेल्लौर	किमी. 52.8 – किमी. 163.6	5	मै. सीआईडी इंवेंचर्स एसडीएन बीएचडी और मै. स्वर्ण टोलवे प्रा.लि.
46.	जालंधर–पठानकोट	किमी. 70.000 – किमी. 110.000	1ए	मै. पी.के. हॉस्पिटिलटी सर्विस
47.	आगरा–धौलपुर	किमी. 8.00 – किमी. 51	3	मै. कोणार्क इंफ्रास्ट्रक्चर लि.
48.	मुरैना–ग्वालियर	किमी. 61.00 – किमी. 103.00	3	मै. कोणार्क इंफ्रास्ट्रक्चर लि.
49.	ग्वालियर बाइपास	रारा–3 के किमी. 103.00 से रारा–75 के किमी. 16.000 तक	3 और 75	मै. बालाजी इंटरप्राइजेज
50.	झांसी–ललितपुर (वार्षिकी परियोजना)	किमी. 49.700 – किमी. 99.005	26	मै. बालाजी इंटरप्राइजेज
51.	लखनादेान–महागांव (वार्षिकी परियोजना)	किमी. 567.550 – किमी. 624.480	7	मै. वंशिका कंस्ट्रक्शन
52.	अडलूर बेल्लारेड्डी–गुंडला पोचमपल्ली	किमी. 368.225 – किमी. 471.331	5	मो. उस्मान
53.	महाराष्ट्र/आंध्र प्रदेश सीमा–इस्लाम नगर	किमी. 175.000 से किमी. 230.000	7	मै. श्री साई इंटरप्राइजेज
54.	इस्लाम नगर–कटइल	किमी. 230.00 – किमी. 278.00	7	मै. ईगल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लि.
55.	कटडल–अरमूर	किमी. 278.00 – किमी. 308.00	5	मै. इंदरदीप कंस्ट्रक्शन कं.
56.	कोथाकोटा बाइपास–करनूल	किमी. 135.469 – किमी. 211.00	5	मै. श्री साईं इंटरप्राइजेज (कंसोर्टियम)
57.	आ.प्र./कर्नाटक सीमा–देवनहल्ली	किमी. 462.164 – किमी. 533.619	7	मै. छाबड़ा एसोसिएट्स
58.	बोरखेड़ी–वाडनेर	किमी. 36.600 – किमी. 94.00	7	मै. बोरले बिल्डकॉन प्रा.लि.
59.	देवधारी–केल्लौर	किमी. 123.00 – किमी. 153.000	7	मै. अनोज कुमार अग्रवाल
60.	पानीपत उत्थापित राजमार्ग	किमी. 86.00 – किमी. 96.00	1	मै. एल एंड टी पानीपत एलीवेटेड कॉरीडोर लि.
61.	थोंडापल्ली–जेडचेरला	किमी. 22.30 – किमी. 80.50	7	मै. जीएमआर जेडचेरला एक्सप्रोसवे प्रा. लि.
62.	जेडचेरल–कोटाकट्टा	किमी. 80.05 – किमी. 135.469	7	मै. एल एंड टी वेस्टर्न आंध्रा टोलवेज प्रा. लि.
63.	कृष्णागिरी–थोपुरघाट	किमी. 94.000 – किमी. 180.000	7	मै. एल एंड टी कृष्णागिरी थोपुर टोल रोड प्रा.लि.

1	2	3	4	5
64.	ओमल्लूर-नामक्कल	किमी. 180.000 – किमी. 248.625	7	मै. एम.वी.आर. इंफ्रास्ट्रक्चर टोलवेज प्रा. लि.
65.	नामक्कल-करूर	किमी. 248.625 – किमी. 292.600	7	मै. एनके टोल रोड लि.
66.	करुर बाइपास-डिंडीगुल बाइपास	किमी. 292.600 – किमी. 373.275	7	मै. टीएन (डीके) एक्सप्रेसवेज लि.
67.	डिंडीगुल बाइपास-साम्यानेल्लौर	किमी. 373.725 – किमी. 426.600	7	मै. डीएस टोल रोड लि.
68.	अरमूर-अडलूर-येल्लारेड्डी	किमी. 308.000 से किमी. 367.000	7	मै. नवयुग दिचपल्ली टोलवे प्रा.लि.
69.	सेलम-कुमारपलयम	किमी. 00.000 – किमी. 53.525	47	मै. सेलम टोलवेज लि.
70.	कुमारपलयम-चेंगापल्ली	किमी. 53.00 – किमी. 100	47	मै. कुमारपलयम टोलवेज लि.
71.	त्रिशूर-अंगमाली-ईडापल्ली	किमी. 270.000 – किमी. 316.700 – किमी. 342.000	47	मै. गुरूवायूर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.
72.	मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा-नागपुर और नागपुर बाइपास और पहले से ही 4 लेन (नागपुर-हैदराबाद) का प्रचालन और अनुरक्षण	किमी. 652.000 से किमी. 729.000 और किमी. 14.585 से किमी. 36.600	7	मै. ओरिएंटल नागपुर बाइपास कंस्ट्रक्शन प्रा.लि.
73.	जवाहर लाल नेहरू पत्तन (चरण-I) (एसपीवी आधार पर)	किमी. 5.000 से किमी. 26.987 (ए1-ई खंड) और किमी. 0.00 से किमी. 4.400 (डीजी खंड) और किमी. 106.000 से किमी. 109.500	4बी और 4	मै. मुंबई-जेएनपीटी पोर्ट रोड कं. लि.
74.	जवाहर लाल नेहरू पत्तन (चरण-II) (एसपीवी आधार पर)	पनवेल क्री पर 6 लेन के नए पुल के निर्माण सहित एसएच-54 के किमी. 6.400-किमी. 14.550 और आमरा मार्ग के किमी. 0.000 – किमी. 6.202	एसएच 54	मै. मुंबई-जेएनपीटी पोर्ट रोड कं. लि.
75.	विशाखापट्टनम पत्तन संपर्क परियोजना	किमी. 0.000 – किमी. 10.336	एसआर	मै. विशाखापट्टनम पोर्ट रोड कं. लि.
76.	चांदीखोल-पारादीप	किमी. 0.000 – किमी. 76.588	5ए	मै. इंदरदीप कंस्ट्रक्शन कं.
77.	कोलाघाट-हल्दिया	किमी. 0.500 – किमी. 52.700	41	श्री वीरेंद्र कुमार व्यास
78.	ईडापल्ली-वाइतिला-अरूर	किमी. 342.000 – 358.750	47	मै. कोचीन पोर्ट रोड कं. लि.
79.	तिरुनेलवेली-तूतीकोरिन	किमी. 4.00 – 51.02 नया 0.000 से 47.250	7ए	मै. इंदरदीप कंस्ट्रक्शन कं.
80.	गजियाबाद-हापुड और हापुड	किमी. 27.643 – किमी. 48.638	24	मै. एमईपी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्रा.लि.

1	2	3	4	5
81.	टिंडीवनम-टिंडीवनम	किमी. 28.00 - किमी. 74.50	45	मै. प्रीमियर कार सेल्स लि.
82.		किमी. 74.50 - किमी. 121.00	45	मै. कोणार्क इंफ्रास्ट्रक्चर लि.
83.	नैनी और इसके पहुंचमार्ग पर केबल आधारित पुल	किमी. 0.00 - किमी. 5.410	27	मै. इंदरदीप कंस्ट्रक्शन
84.	चित्तौड़गढ़बाइपास	किमी. 159.0 से रारा-79	79 और 76	मै. रिद्धि सिद्धि एसोसिएट्स
85.	हापुड़-गढ़मुक्तेश्वर	किमी. 58.000 से किमी. 93.000	24	मै. नागर डेयरी प्रा.लि.
86.	बृजघाट-मुरादाबाद	किमी. 93.00 किमी. 149.25	24	मै. ईगल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लि.
87.	बदोदरा-सूरत खंड पर नर्मदा पुल और इसके पहुंचमार्ग को 4 लेन का बनाया गया	किमी. 192.00 - किमी. 198.00	8	मै. कोणार्क इंफ्रास्ट्रक्चर लि.
88.	आरओबी पदनाकड़	किमी. 91.100 - किमी. 91.300	17	मै. एम. श्रीकांतन नैय्यर
89.	दुर्ग बाइपास	रारा 6 के किमी. 308.6 से प्रारंभ होकर और किमी. 323.6 पर मिलने वाला	6	मै. शक्ति कुमार एम. संचेती लि.
90.	नंदीगाम-विजयवाड़ा	किमी. 217.00 - किमी. 265.00	9	मै. सीआईडीबी इंवेंचर्स एसडीएन बीएचडी
91.	दिल्ली-गुडगांव	किमी. 14.30 - किमी. 42.00	8	मै. दिल्ली-गुड़गांव सुपर कनेक्टिविटी लि.
92.	टिंडीवनम-उलूंडरपेट	किमी. 121.00 - किमी. 192.25	45	मै. जीएमआर उलूंडरपेट एक्सप्रेसवेज प्रा. लि.
93.	उलूंडरपेट-पडलूर	किमी. 192.25 - किमी. 285.00	45	मै. त्रिची टोलवे प्रा.लि.
94.	पडलूर-त्रिची	किमी. 285.00 - किमी. 325.00	45	मै. इंदु नवयुग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.
95.	गारामोर-समखियाली	किमी. 254.000 - किमी. 306.000	8ए	मै. एसएमएस इंफ्रास्ट्रक्चर लि.
96.	गारामोर-बामनबोर	किमी. 182.60 - किमी. 254.00	8ए	मै. स्काईलार्क सेक्योरिट्स प्रा.लि.
97.	पालनपुर/खेमान-आबू रोड	किमी. 340.000 - किमी. 295.00	14	मै. वीरेंद्र कुमार व्यास
98	आबू रोड-पालनपुर/खेमाना	किमी. 264.000 - किमी. 295.00	14	मै. राजीव कुमार सिंह
99.	झांसी-पूछ	किमी. 90.00 - किमी. 165.000 (किमी. 97.150 - किमी. 98.000 को छोड़कर)	25	श्री वीरेंद्र नाथ उपाध्याय

1	2	3	4	5
100.	पूछ–ओरई	किमी. 155.00 से किमी. 120.00	25	मै. स्काईलार्क सेक्योरिटस प्रा.लि.
101.	ओरई–बारा	किमी. 220.00 से 288.513	25	मै. संगम इंडिया लि.
102.	गोरखपुर बाइपास (वार्षिकी परियोजना)	किमी. 0.000 – किमी. 32.270	28	मै. समीर पांडे
103.	गोरखपुर–कसिया	किमी. 279.80 – किमी. 320.80		मैं संगम इंडिया लि.
104.	उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा–कसिया	किमी. 320.800 – किमी. 366.800		मै. विनय कुमार सिंह
105.	कोटवा–मेहसी–मुजफ्फरपुर	किमी. 440.000 से किमी. 520.000	28	मै. एमईपी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्रा.लि.
106.	डलकोला–इस्लामपुर	किमी. 447.00–498.970	31	मै. कोणार्क इंफ्रास्ट्रक्चर लि.
107.	सोनापुर–गोशपुकुर	किमी. 551.000 – किमी. 507.000	31	मै. कोणार्क इंफ्रास्ट्रक्चर लि.
108.	पुलपरास–सरायगढ़ (कोसी पुल)	किमी. 148.550 – किमी. 159.185	57	मै. बालाजी इंटरप्राइजेज
109.	फोरबिसगंज–पूर्णिया	किमी. 230.790 – किमी. 310.000	57	मै. स्काईलार्क सेक्योरिटस प्रा.लि.
110.	मुजफ्फरपुर–दरभंगा	किमी. 0.000 – किमी. 69.500	57	विनय कुमार पांडे
111.	दरभंगा–कोसी बंद	किमी. 69.500 – किमी. 148.550	57	मै. सूर्या इंटरनेशनल प्रा.लि.
112.	जेतपुर–गोंडल–राजकोट और राजकोट बाइपास	किमी. 117.00 – किमी. 185.00	8बी	मै. वेस्ट गुजरात एक्सप्रेसवे लि.
113.	पालनपुर–राधनपुर–समखियाली	किमी. 340.00 – किमी. 458.00 और	14	मै. पटेल हाईवे मैनेजमेंट प्रा.लि.
114.		किमी. 138.800 – किमी. 281.300	14 और 15	
115.	पोरबंदर–भिलाड़ी–जेतपुर	किमी. 1.960 – किमी. 52.50	8बी	मै. गुजरात प्रतिभा जॉनसन ओएमटी–2 प्रा.लि.
116.		किमी. 52.50 – किमी. 117.60	8बी	
117.	बारन–शिवपुरी खंड	किमी. 492.322 – किमी. 559.814	76	मै. झांसी–बारन पाथवेज प्रा.लि.
118.		रारा–76 के किमी. 559.814 – किमी. 591.087 और शिवपुरी बाइपास किमी. 591.087 – किमी. 613.087	76	
119.		किमी. 15.00 – 90.300	25	
120.	स्वरूपगंज–पिंडवाड़ा–उदयपुर	रारा–14 के किमी. 264.000 – किमी. 248.700 और रारा–76 के	14 और 76	मै. उदयपुर पाथवेज प्रा.लि.
121.		किमी. 0.000 – किमी. 104.724	76	

1	2	3	4	5
122.	हैदराबाद-बेंगलूरु (किमी. 211.00 किमी. 462.164)	किमी. 211.000 से किमी. 462.164	7	मै. एमईपी हैदराबाद बेंगलूरु टोल रोड प्रा.लि.
123.	चित्तौड़गढ़-कोटा और चित्तौड़गढ़	किमी. 199.929 - किमी. 360.429	76	मै. चित्तौड़गढ़कोटा टोलवे प्रा.लि.
124.	कोटा-बारन	किमी. 388.263 - किमी. 492.322	76	मैं कोटा बारन टोलवे प्रा.लि.
125.				
126.	त्रिची-तोवरनकुरिची-मदुरै	किमी. 0.00 - किमी. 60.950	45बी	मै. ईगल दीप त्रिची बाइपास टोलवेज इंडिया प्रा.लि.
127.		किमी. 60.950 से किमी. 124.840		
128.	चेन्नै बाइपास	किमी. 0.00 से किमी. 32.600	45 और 4	मै. एमईपी चेन्नै बाइपास टोल रोड प्रा. लि.
129.	कानपुर-अयोध्या (लखनऊ)	किमी. 11.00 - किमी. 135.00	25	मै. पीएनसी कानपुर-अयोध्या टोलवेज प्रा.लि.
130.	अयोध्या-गोरखपुर	किमी. 135.00 से किमी. 252.860	28	मै. अयोध्या गोरखपुर एसएमएस टोल प्रा.लि.
131.	ललितपुर-लखनादोन	किमी. 99.005 - किमी. 415.089	26	मै. डीपीजे-डीआरए टोलवे प्रा.लि.
132.	मदुरै-कन्याकुमारी	किमी. 1.500 - किमी. 52.300	7	मै. रैमा टोल रोड प्रा.लि.
133.	(किमी. 0.000 - किमी. 243.170)	किमी. 52.300 - किमी. 116.500	7	
134.	ओएमटी-6	किमी. 116.500 - किमी. 180.00	7	
135.		किमी. 173.183 - किमी. 231.600	7	
136.	अमृतसर-वाघा सीमा	किमी. 456.100 — किमी. 492.030	1	श्री विनय कुमार सिंह
137.	मोकामा-मुंगेर	किमी. 1.43 - किमी. 70.00	80	मै. विनय कुमार पांडे
138.	हजारीबाग-रांची	किमी. 40.500 - किमी. 114.000	33	मै. विरेन्दर कुमार व्यास
139.	पुणे-खेड	किमी. 12.190 - किमी. 42.00	50	मै. आईआरबी
140.	आगरा-भरतपुर	किमी. 18.000 - किमी. 63.000	11	मै. ओरिएंटल पाथवेज (आगरा) प्रा.लि.
141.	भरतपुर-महुआ	किमी. 63.000 - किमी. 120.000	11	मै. मधुकॉन हाउस आगरा-जयपुर एक्सप्रेसवेज लि.
142.	जयपुर-महुआ	किमी. 120.000 - किमी. 228.00	11	मै. जयपुर महुआ टोलवे कं. प्रा.लि.
143.	नागपुर-महुआ	किमी. 9.200 - किमी. 50.000	6	मै. बालाजी टोवेज लि.

1	2	3	4	5
144.	कोंधली-तालेगांव	किमी. 50.00 - किमी. 100.00	6	मै. ओरिएंटल पाथवेज (नागपुर) प्रा.लि.
145.	तालेगांव-अमरावती खंड	किमी. 100.000 - किमी. 166.0	6	मै. आईआरबी तालेगांव - अमरावती टोलवे प्रा.लि.
146.	एंड ऑफ दुर्ग बाइपास - छत्तीसगढ़/महाराष्ट्र सीमा	किमी. 322.400 से किमी. 405.000	6	मै. अशोका हाईवेज (दुर्ग) लि.
147.	छत्तीसगढ़/महाराष्ट्र सीमा-वेनगंगा पुल	किमी. 405.00 - किमी. 485.00	6	मै. अशोका हाईवेज (बांद्रा) लि.
148.	अंबाला-जिरकपुर	रारा-22 के किमी. 5.735 - किमी. 39.960 और रारा-21 के किमी. 0.00 किमी. 0.871	22 और 21	मै. जीएमआर अंबाला-चंडीगढ़ एक्सप्रेसवेज प्रा.लि.
149.	जिरकपुर-परवानू	किमी. 39.960 - किमी. 67.550	22	मै. हिमालयन एक्सप्रेसवे लि.
150.	किरतपुर-कुराली	किमी. 28.600 - किमी. 73.200	21	मै. बीएससी - सी एंड सी - कुराली टोल रोड लि.
151.	इंदौर-खालघाट	किमी. 12.60 - किमी. 84.70	3	मै. ओरिएंटल पाथवेज लि.
152.	खालघाट-मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा	किमी. 84.700 - किमी. 167.500	3	मै. एससीडब्ल्यू नवयुग बरवानी टोलवेज प्रा.लि.
153.	मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा-धुले	किमी. 168.500 - किमी. 265.000	3	मै. धुले पालेसनर टोलवे लि.
154.	पिंपलगांव-धुले	किमी. 380.00 - किमी. 265.00	3	मै. इरकॉन सीमा टोलवे प्रा.लि.
155.	पिंपलगांव-नासिक-गोंडे	किमी. 380.00 - किमी. 440.000	3	मै. पीएनजी टोलवेज लि.
156.	वडापे-गोंडे	किमी. 440.00 - 539.500	3	मै. मुंबई नासिक एक्सप्रेसवे लि.
157.	सिल्क बोर्ड जंक्शन-होसुर	किमी. 8.765 - किमी. 18.750 - किमी. 33.130	7	मै. बेंगलूरु एलीवेटेड टोलवे लि.
158.	जालंधर-अमृतसर	किमी. 407.100 - किमी. 456.100	1	मै. जालंधर अमृतसर टोलवेज लि.
159.	बेंगलुरु-नीलमंगला	किमी. 10.00 - किमी. 29.50	4	मै. नवयुग बेंगलूरु टोलवे प्रा.लि.
160.	नीलमंगला जंक्शन-देवीहल्ली	किमी. 28.200 - किमी. 110.000	48	मै. लैंको देवनहली हाइवेज प्रा.लि.
161.	बीजापुर-हुंगुंड	किमी. 102.000 से किमी. 202.000 (नया चैनेज किमी. 225.800 से किमी. 323.021)	13	मै. बीजापुर - हुंगुंड टोलवे प्राइवेट लि.
162.	हुंगुंड-होजपेट	किमी. 202.000 - किमी. 299.000	13	मै. जीएमआर ओएसई हुंगुंड होजपेट हाईवेज प्रा.लि.

1	2	3	4	5
163.	मेरठ-मुजफ्फरनगर	किमी. 52.250 - किमी. 131.000 (डिजाइन चैनेज 52.250-130.560)	58	मै. वेस्टर्न उ.प्र. टोलवे लि.
164.	तंजावूर-त्रिची	किमी. 80.000 - किमी. 128.480	67	मै. त्रिची - तंजावूर एक्सप्रेसवेज लि.
165.	मदुरै तूतीकोरीन	किमी. 138.800 - किमी. 264. डिजाइन चैनेज 138.800-266.860)	45बी	मै. मदुरै - तूतीकोरीन एक्सप्रेसवेज लि.
166.	लखनऊ-सीतापुर	किमी. 488.270 - किमी. 413.200	24	मै लखनऊ सीतापुर एक्सप्रेसवे लि.
167.	त्रिची-डिंडीगुल	किमी. 333.000 - किमी. 421.273	45	मै. टीडी टोल रोड प्रा.लि.
168.	पुदुचेरी-टिंडीवनम	किमी. 0.000 - किमी. 37.920	66	मै. पुदुचेरी टिंडीवनम टोलवेज लि.
169.	सेलम-उलूंडरपेट	किमी. 0.000 - किमी. 134.000 (डिजाइन चैनेज किमी. 0.313-किमी. 136.670)	68	मै. एसयू टोल रोड लि.
170.	हैदराबाद-यादगिरी	किमी. 18.600 से किमी. 54.000	202	मै. हैदराबाद-यादगिरी टोलवे प्रा.लि.
171.	पुणे-शोलापुर	किमी. 40-किमी. 144.400	9	मै. पुणे शोलापुर एक्सप्रेसवेज प्रा.लि.
172.	जयपुर-रींगस	किमी. 246.300 से किमी. 298.075	11	मै. जेआर टोल रोड्स प्रा.लि.
173.	जयपुर-देवली	किमी. 18.700 - किमी. 165.000	12	मै. आईआरबी जयपुर-देवली टोलवे लि.
174.	पुणे-शोलापुर (144.4-249.000)	किमी. 144.400 - किमी. 249.00	9	मै. पुणे शोलापुर रोड डेवलपमेंट कं.लि.
175.	रोहतक-बावल	किमी. 363.300 - किमी. 450.800 (डिजाइन चैनेज 363.300 -450.80)	71	मै. कुरुक्षेत्र एक्सप्रेसवे प्रा.लि.
176.	हैदराबाद-विजयवाड़ा	किमी. 40.000 से किमी. 221.500	9	मै. जीएमआर हैदराबाद विजयवाड़ा एक्सप्रेसवेज प्रा.लि.
177.	अहमदाबाद-गोधरा	किमी. 4.200 - किमी. 122.420	59	मै. एस्सेल इंफ्रा लि. (मै. एस्सेल अहमदाबाद गोधरा टोल रोड लि.)
178.	गोधरा-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा	किमी. 129.300 - किमी. 215.900	59	मै. बीएससीपीएल गोधरा टोल रोड लि.
179.	गुड़गांव-कोटपुतली-जयपुर	किमी. 42.700 - किमी. 273.500	8	मै. पिंकसिटी एक्सप्रेसवे प्रा.लि.
180.	बदोडरा-भरूच	किमी. 108.7 - किमी. 192	8	मै. एल एंड टी बडोदरा भरूच टोवले लि.
181.	भरूच-सूरत	किमी. 198.00 - किमी. 263.00	8	मै. आईडीएए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.
182.	सूरत-दहिसर	किमी. 263.4 - किमी. 318.6	8	मै. आईआरबी सूरत दहिसर टोलवे प्रा. लि.
183.		किमी. 318.60 - किमी. 381.60	8	

1	2	3	4	5
184.		किमी. 381.6 – किमी. 439.0	8	
185.		किमी. 439.00 – किमी. 502.00	8	
186.	भुबनेश्वर-चेतिया	किमी. 402.010 – किमी. 53.124 (नया चैनेज 297.00 – 227.000)	5	मै. श्री जगन्नाथ एक्सप्रेसवंज प्रा.लि.
187.	विजयवाड़ा-चिल्कालूरीपेट	किमी. 354.775 – किमी. 434.150 (नया किमी. 1183.027 – किमी. 1100.641)	5	मै. विजयवाड़ा टोलवे प्रा.लि.
188.	चिल्कालूरीपेट-नेल्लौर	किमी. 358.00 किमी. 178.200 (नया चैनेज किमी. 1182.802–किमी. 1366.547)	5	मै. सिम्हापुरी एक्सप्रेसवे लि.
189.				
190.				
191.	चेन्नै-टाडा	किमी. 11.00 – किमी. 54.40	5	मै. एल. एंड टी चेन्नै-टाडा टोलवे लि.
192.	वेस्टरली डायवर्जन, कटराज पुनर्संरेखण और कटराज-सरोले	किमी. 2.80–किमी. 30.0 और किमी. 834.50 – किमी. 781.00	4	मै. पर. एस. टोल रोड प्रा.लि.
193.	खंडाला-सतारा	किमी. 772.00 – किमी. 725.00	4	
194.	बेलगाम-धारवाड़	किमी. 433.000 – किमी. 515.000	4	अशोका बेलगाम धारवाड़ टोलवे प्रा.लि.
195.	तुमकुर-चित्रदुर्ग	किमी. 189.00 – किमी. 75.00	4	मै. आईआरबी तुमकुर चित्रदुर्ग टोलवे प्रा.लि.
196.	होसुर-कृष्णागिरी	किमी. 33.130 – किमी. 93.000	7	मै. एचके टोल रोड प्रा.लि.
197.	कृष्णागिरी-वालाझपेट	किमी. 0.000 – किमी. 148.300	7 और 46	मै. लार्सन एंड टुब्रो (एल एंड टी) कृष्णागिरी – वासलाझपेट टोलवे प्रा.लि.
198.	वालाझपेट-पूनामल्ली	किमी. 107.200 – किमी. 13.800	4	मै. एस्सेल वालाझपेट-पूनामल्ली टोल रोड प्रा.लि.
199.	इटावा-चकेरी	किमी. 321.00 किमी. 393.00	2	मै. ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स प्रा. लि.
200.		किमी. 393.0 – किमी. 470.00		
201.	बदरपुर उत्थापित राजमार्ग	किमी. 16.100 – किमी. 20.500	2	मै. बदरपुर फरीदाबाद एलीवेटेड टोलवे लि.
202.	दिल्ली-आगरा	किमी. 20.500 – किमी. 110.250	2	डीए टोल रोड्स प्रा.लि.
203.		किमी. 110.250 – किमी. 199	2	

1	2	3	4	5
204.	एवी एक्सप्रेसवे चरण-1 और 2	किमी. 0.00 - किमी. 43.4 और किमी. 43.40 - किमी. 93.302	एनई-1	मै. अहमदाबाद बदोदरा एक्सप्रेसवे कं. लि.
205.		किमी. 43.40 - किमी. 93.302	एनइ-1	
206.		किमी. 6.400 से किमी. 104.00	8	
207.	वाराणसी-औरंगाबाद खंड	किमी. 786.00 - किमी. 978.400	2	मै. सोमा आइसोलक्स वाराणसी औरंगाबाद टोलवे प्रा.लि.
208.	धनकुनी-खड्गपुर	किमी. 17.60 - किमी. 129.00	6	मै. अशोका बिल्डकोन लि.
209.	पानीपत-जालंधर	किमी. 96 - किमी. 206	1	मै. सोमा - आइसोलक्स एनएच वन टोलवे प्रा.लि.
210.		किमी. 206 - किमी. 272	1	
211.		किमी. 272 - किमी. 372	1	
212.	समखियाली-गांधीधाम	किमी. 306 - किमी. 362.16	8ए	मै. एल. एंड टी समखियाली गांधीधाम टोलवे प्रा.लि.
213.	इंदौर-देवास	किमी. 577.550 - किमी. 610.00 और किमी. 0.000 - किमी. 12.600	3	मै. इंदौर देवास टोलवेज लि.
214.	देवनहल्ली-बंगलौर	किमी. 534.720 - किमी. 556.840	7	मै. नवयुग देवनहल्ली टोलवे प्रा.लि.

[अनुवाद]

ईएसआईसी न्यूनतम पेंशन सेवानिवृत्त कर्मचारियों हेतु

1775. श्री पी. लिंगम :
श्री पी.सी. गद्दीगौदर :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री गुरुदास दासगुप्त :
श्री मधुसूदन यादव :
श्री पी.आर. नटराजन :
श्री अशोक तंवर :
श्री पी. कुमार :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएस) लाभार्थियों के सदस्य, जिन्हें पेंशन लाभ दिए गए हैं, का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार या प्रस्ताव सेवानिवृत्त कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) कमचारियों सहित कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत सदस्यों को पेंशन की न्यूनतम राशि को बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त निधि पर ब्याज दर बढ़ाने की भी कोई मांग है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) कर्मचारी पेंशन स्कीम (ईपीएस), 1995 के अंतर्गत पेंशन भोगियों को दिए जाने वाले हितलाभों के निवारण निम्नानुसार हैं:—

(i) सेवानिवृत्ति/अधिवर्षिता पर सदस्य पेंशन।

(ii) सेवा में रहते हुए अपंगता होना पर सदस्य पेंशन।

(iii) 10 वर्ष से कम और छह माह से अधिक सेवा करने के बाद सेवा छोड़ने पर हिमलाभ की वापसी।

(iv) सदस्य की मृत्यु होने पर विवाहिता पेंशन।

(v) पेंशनभोगी के रूप में सदस्य की मृत्यु होने पर विवाहिता पेंशन।

(vi) एक समय पर दो बच्चों के लिए विवाहिता पेंशन सहित संतान पेंशन (25 वर्ष की आयु तक)।

(vii) विवाहिता की मृत्यु या दूसरा विवाह होने पर अनाथ पेंशन (25 वर्ष की आयु तक)।

(viii) बच्चों/अनाथों के लिए निःशक्तता बाल पेंशन (आजीवन)।

(ix) कोई परिवार न होने पर नामिती हेतु नामिती पेंशन।

(x) कोई परिवार या नामिती न होने पर आश्रित माता-पिता पेंशन।

(ख) और (ग) कर्मचारी पेंशन स्कीम (ईपीएस), 1995 के अंतर्गत सदस्य पेंशनभोगियों को 1,000/- रुपये प्रतिमाह की न्यूनत पेंशन प्रदान करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 द्वारा शासित है।

(घ) और (ङ) निधि पर ब्याज की दर कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 60(4) के अनुसार निर्धारित की जाती है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने निधियों पर बेहतर प्रतिफल के लिए 21.11.2013 को नया निवेश स्वरुप अधिसूचित किया है।

रक्षा भूमि का प्रबंधन

1776. श्री उदय सिंह :
श्री यशवीर सिंह :
श्री नीरज शेखर :
श्री आनंदराव अडसूल :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री गजानन ध. बाबर :
श्री ए.टी. नाना पाटील :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2500 एकड़ रक्षा भूमि कथित रूप से प्राइवेट पार्टियों को बहुत ही कम राशि का पट्टे पर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन प्राइवेट पार्टियों के नाम क्या हैं और सरकार को कितनी पट्टा राशि प्राप्त हुई है;

(ग) क्या देश में रक्षा भूमि का अवैध ढंग से गोल्फ, पार्कों और क्लबों इत्यादि के लिए प्रयोग किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार, संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में रक्षा भूमि प्रबंधन हेतु एकल एकीकृत स्थापित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्राधिकरण को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) सरकार द्वारा रक्षा भूमि के अवैश प्रयोग को रोकने हेतु रक्षा भूमि रिकॉर्डों के डिजिटलीकरण सहित क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) लगभग 4200 एकड़ रक्षा भूमि छावनी नियमावली 1899 तथा 1912 और छावनी भूमि प्रशासन नियम, 1925 तथा 1937 के प्रावधानों के अंतर्गत निजी पक्षकारों को पट्टे पर दी गई थी। ये पट्टे बहुत पहले दिए गए थे और उस समय पट्टा किराया और प्रीमियम (जहां लागू हो) तत्कालीन भूमि मूल्य के आधार पर निर्धारित किया गया था। यह पट्टा कराया पट्टा विलेख के निबंधन और शर्तों के अनुसार बढ़ाया जाता है, जो कि पट्टे के नवीनीकरण के समय 50% पट्टा किराया बढ़ाने की अनुमति देते हैं। इस समय, वार्षिक पट्टा किराया लगभग 148 लाख रुपए है। ऐसे लगभग 6300 पट्टे हैं जो निजी पत्रकारों को दिए गए थे। उन निजी पक्षकारों के नाम जिन्हें पट्टे दिए गये हैं तथा प्राप्त किए गए किराए का केंद्रीकृत हिसाब-किताब नहीं रखा जाता है।

(ग) रक्षा भूमि को पट्टे पर दिए जाने संबंधी कानून के अनुसार पट्टे पर दी गई रक्षा भूमि पर चार गोल्फ कोर्स चलाए जा रहे हैं। एक सैन्य स्टेशन/छावनी में स्थलों और प्लेफील्डों की महत्वपूर्ण अवस्थिति योजना (केएलपी) के द्वारा प्राधिकृत किया जाता है। ये खुले स्थल और प्लेफील्ड क्षेत्र के पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखने तथा सैनिकों के प्रशिक्षण में मदद करते हैं। इन खुले स्थानों पर गोल्फ सहित विभिन्न क्रीडा कार्यकलाप आयोजित किए जाते हैं। रक्षा भूमि का प्रयोग रक्षा कार्मिकों तथा छावनी क्षेत्रों के निवासियों के मनोरंजन उद्देश्यों के लिए पार्कों, क्लबों और संस्थानों के लिए भी किया जाता है। तथापि, केन्द्रीय रूप से इनका ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(घ) एकल एकीकृत प्राधिकरण स्थापित करने का कोई प्रस्ताव

नहीं है। मौजूदा व्यवस्थाओं के अंतर्गत अतिक्रमणों की रोकथाम तथा उनको हटाने के साथ-साथ रक्षा भूमियों के दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्य प्रयोक्ता एजेंसियों अर्थात् सेना, वायुसेना, नौसेना, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, आयुध निर्माणियों, रक्षा सम्पदा महानिदेशालय इत्यादि द्वार किए जाते हैं जिनके प्रबंधन में भूमि सौंपी गई है। तथापि, सभी रक्षा भूमि के रिकॉड तथा संपदा महानिदेशालय द्वारा रखे जाते हैं।

(ङ) सरकार ने अतिक्रमण रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:—

(i) भूमि रिकॉर्डों का डिजिटाईजेशन तथा रक्षा भूमियों का सर्वेक्षण, सीमांकन तथा सत्यापन।

(ii) अतिक्रमणों की सतर्कता, पहचान तथा नए अतिक्रमणों की रोकथाम करने की आवश्यकता पर जोर देने हेतु विस्तृत अनुदेश मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं। रक्षा भूमि पर अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई सरकारी स्थल (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 तथा छावनी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार की जाती है।

[हिन्दी]

पाकिस्तान द्वारा युद्धविराम का उल्लंघन

1777. श्री हर्ष वर्धन :
डॉ. संजीव गणेश नाईक :
श्री बलीराम जाधव :
श्रीमती सुप्रिया सुले :
श्री हंसराज गं. अहीर :
डॉ. पद्मसिंह बाजीराव सिंह :
श्री सुरेश अंगड़ी :
श्री संजय दिना पाटील :
श्री राकेश सिंह :
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल :
श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव :
श्री सी.आर. पाटिल :
श्री अनुराग सिंह ठाकुर :
श्री सी. राजेन्द्रन :
श्री महेश्वर हजारी :
श्री शिवकुमार उदासी :
श्रीमती सीमा उपाध्याय :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पाकिस्तान सेना युद्धविराम का उल्लंघन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान ऐसे उल्लंघनों में मारे गये और घायल भारतीय सैनिकों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या इस संबंध में पाकिस्तान के साथ कोई उच्च स्तरीय वार्ता हुई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त स्थिति के आलोक में जम्मू और कश्मीर की सीमाओं पर और अधिक सैनिक भेजने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस मुद्दे के समाधान हेतु क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर युद्धविराम उल्लंघनों के ब्यौर निम्नवत् है:—

क्र. सं.	वर्ष	युद्धविराम उल्लंघनों की संख्या
1.	2010	44
2.	2011	51
3.	2012	93
4.	2013	195

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जम्मू एवं कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर युद्धविराम उल्लंघनों के दौरान शहीद हुए/घायल हुए सेना कार्मिकों की संख्या निम्नवत् है:—

क्र. सं.	वर्ष	शहीद हुए	घायल हुए
1.	2010	02	07
2.	2011	—	03
3.	2012	01	06
4.	2013	01	15

(ग) युद्धविराम के सभी उल्लंघनों को हॉटलाइन संदेशों के स्थापित

तंत्र के साथ-साथ भारत-पाकिस्तान के महानिदेशक सैन्य संक्रिया (डीजीएमओ) के बीच साप्ताहिक वार्तों के माध्यम से उपयुक्त स्तर पर पाकिस्तान सैन्य प्राधिकारियों के साथ उठाया जाता है।

25 और 29 अक्तूबर, 2013 को दोनों महानिदेशक, सैन्य संक्रिया के बीच टेलीफोन पर हुई वार्ताओं के पश्चात् युद्धविराम उल्लंघनों की घटनाओं में उल्लेखनीय की आई है।

(घ) और (ङ) सेना ने नियंत्रण रेखा पर समुचित रूप से निगरानी और आसूचना संसाधनों के साथ-साथ पर्याप्त सैन्य टुकड़ियों को तैनात किया है। हाल ही में हुई घटनाओं के आधार पर घुसपैठ-रोधी रणनीति की समीक्षा की गई है और घुसपैठ-रोधी ग्रिड को और गीशील बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सैन्य टुकड़ियों को तैनात किया गया है।

[अनुवाद]

डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत कृषि समझौता

1778. श्री प्रबोध पांडा :
श्री के. सुगुमार :
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री डी.के. सुरेश :
डॉ. मन्दा जगन्नाथ :
श्री गुरुदास दासगुप्त :
श्री आर.थामराईसेलवन :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री एम. आनंदन :
श्री गजानन ध. बाबर :
श्री आनंराव अडसुल :
श्री पी. कुमार :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसका उद्देश्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राजसहायता प्राप्त दरों पर प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 5 कि.ग्रा. खाद्यान्न प्रदान करना है, का अधिनियमन विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अंतर्गत कृषि संबंधी वैश्विक व्यापार नियमों का उल्लंघन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के कृषि संबंधी वर्तमान समझौते के अंतर्गत और खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद, सरकारी स्टॉकधारिता और कृषि वस्तुओं पर सरकारी राजसहायता संबंधी मूलभूत प्रावधान क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार डब्ल्यूटीओ सदस्यों में सहमति बनाने के लिए उनसे कृषि संबंधी वर्तमान समझौते के प्रावधानों में कुछ छूट प्रदान करने हेतु अनुरोध करने, चार वर्ष्ज्ञ के शांति संबंधी विधानखंड पर समझौता करने और व्यापार को सुकर बनाने संबंधी समझौता करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके पीछे क्या तर्क है और डब्ल्यूटीओ सदस्यों द्वारा उक्त खंड पर समझौता करने/समझौता करने हेतु प्रक्रिया को सुकर बनाने हेतु क्या कार्रवाई की गई और छोटे एवं सीमांत किसानों पर इसका संभावित प्रभाव क्या होगा; और

(ङ) यह सुनिचित करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि बाली में डब्ल्यूटीओ सम्मेलन में भारत को इन चिन्ताओं पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. ई.एम.एस. नाच्चीयप्पन) : (क) और (ख) जी, नहीं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिरियम के तहत निर्धनों या लक्षित समूहों को सब्सिडाइज्ड खाद्य सामग्री का प्रावधान पूरी तरह से डब्ल्यूटीओ नियमों के संगत है।

जबकि खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों हेतु सार्वजनिक स्टॉक का संचय करने तथा उसे धारण करने को गैर-व्यापार — विकृति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, प्रशासनिक कीमतों पर (भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर खरीद को निहितार्थतः व्यापार विकृति समझा जाता है और इसलिए डब्ल्यूटीओ नियमों के तहत एक सीमा के अधीन है।

(ग) से (ङ) चूकि यह सीमा विकासशील देशों के अधिप्रापण प्रचालनों पर एक बाधा हो सकती है, इसलिए भारत ने अन्य विकासशील देशों के साथ इस मुद्दे के समाधान के लिए नियमों में एक उपयुक्त संशोधन करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

3 से 7 दिसम्बर, 2013 को बाली, इण्डोनेशिया में आयोजित विश्व व्यापार संगठन के नौवें मंत्रीस्तरीय सम्मेलन के दौरान मंत्रीगण एक निर्णय पर सहमत हुए जिसमें प्रावधान है कि इसमें विकासशील सदस्य देशों के खाद्य सुरक्षा प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक, स्टॉकहोल्डिंग कार्यक्रमों को अंतरिम अवधि के लिए डब्ल्यूटीओ में इस आधार पर चुनौती दिए जाने के संरक्षण है कि वे ऐसी सहायता से अधिक सहायता प्रदान कर रहे हैं जिसे देने के वे हकदार हैं।

यह निर्णय सुनिश्चित करता है कि कृषि के संदर्भ में व्यापार नियम खाद्य में आत्मनिर्भरता तथा घरेलू मूल्य के स्थिरीकरण पर लक्षित पहलुओं में अवरोध उत्पन्न नहीं करेंगे। इस निर्णय के परिणामस्वरूप, विकासशील

देशों के अधिप्रापण प्रचालनों पर उनके मौजूदा फार्म सहायता सीमाओं द्वारा अवरूद्ध नहीं होंगे।

रक्षा बजट

1779. श्री शिवकुमार उदासी :
श्री रुद्रमाधव राव :
श्री हंसराज गं. अहीर :
श्री ओम प्रकाश यादव :
श्री जय प्रकार अग्रवाल :
श्री सुरेश अंगड़ी :
श्री अशोक कुमार रावत :
श्री अजय कुमार :
श्री सी. राजेन्द्रन :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रक्षा बजट में कटौती करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या कारण हैं तथा सशस्त्र बलों के आधुकिनीकरण एवं जरूरतों पर इसके क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे;

(ग) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान चीन एवं पाकिस्तान सहित पड़ोसी देशों द्वारा रक्षा पर कुल व्यय कितना है तथा इनका रक्षा व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिश है;

(घ) क्या हाल के वर्षों में हमारा रक्षा व्यय दक्षिण एवं पूर्व एशिया के अन्य देशों में कम हो गया है तथा यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश की रक्षा के हित में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ङ) रक्षा मंत्रालय रक्षा बजट को कम करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है। स्टॉकहाम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान (एसआईपीआरआई) द्वारा यथा प्रकाशित मुख्य पड़ोसी देशों द्वारा रक्षा व्यय इस प्रकार है:—

(स्थिर (2011) मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

देश	2010	2011	2012
चीन*	136467	146154	157603
पाकिस्तान	6251	6547*	6630

*(एसआईपीआरआई अनुमान)

पिछले तीन वर्षों में इन देशों के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में रक्षा बजट इस प्रकार है:—

देश	2010	2011	2012
चीन*	2.1	2.0	2.0
पाकिस्तान	2.6	2.7*	2.7

*(एसआईपीआरआई अनुमान)

व्यय के विभिन्न घटकों के प्रबंध में सरूपता की कमी और विश्वसनीय तथा नवीनतम प्रकाशित आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण अन्य देशों के सापेक्ष में रक्षा खर्च की तुलना कठिन है।

सरकार यह सुनिश्चित करती है कि हमारी सशस्त्र सेनाएं सदैव किसी भी सुरक्षा चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार रहें।

श्रम सघन क्षेत्र के लिए पैकेज

1780. श्री आनंदराव अडसुल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री इज्यराज सिंह :
श्री दत्ता मेघे :
श्री हरिभाई चौधरी :
श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री एम. कृष्णास्वामी :
श्री पोन्नम प्रभाकर :
श्री गजानन ध. बाबर :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक एवं चालू वर्ष के दौरान इंजीनियरिंग वस्तुओं, रत्नों, आभूषणों तथा चर्म वस्त्र आदि श्रम सघन क्षेत्रों से किए गए निर्यात का मूल्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पिछड़ रहे क्षेत्रों की पहचान करने के लिए अंतिम विश्लेषण एवं क्षेत्रों की समीक्षा पूरी की है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार विशेषकर श्रम सघन क्षेत्रों सहित निर्यात में पिछड़ रहे क्षेत्रों के लिए सहायता एवं प्रोत्साहन पैकेज देने का है एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने पूर्ववर्ती प्रोत्साहन पैकेज के प्रभाव की समीक्षा की है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या हैं एवं इंजीनियरिंग वस्तुओं, रत्नों, आभूषणों तथा श्रम सघन क्षेत्रों से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए राजकोषीय एवं गैर-राजकोषीय उपाय किया हैं; और

(ङ) क्या 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रत्नों, आभूषणों के क्षेत्र एवं अन्य श्रम सघन क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसरों के सृजन का विचार था तथा यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. ई.एम.एस. नाच्चीयप्पन) : (क) गत तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष में रत्न एवं आभूषण सहित श्रम सघन क्षेत्रों के निर्यात आंकड़े निम्नानुसार हैं:—

(मूल्य बिलियन अमेरिकी डॉलर में)

रत्न एवं आभूषण सहित श्रम सघन क्षेत्र	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (अप्रैल से अक्तूबर 2013) (अनंतिम)
1. चमड़ा एवं विनिर्माण	3.9	4.8	4.9	3.2
2. अभियांत्रिकी वस्तुएं	49.8	58.5	56.8	34.1
3. वस्त्र	23.2	27.2	26.4	17.0
4. हस्तशिल्प	0.3	0.3	0.2	0.2
5. कालीन	1.0	0.8	1.0	0.6
6. खेलों का सामान	0.2	0.2	0.2	0.1
7. रत्न एवं आभूषण	40.5	44.9	43.3	24.6

[*स्रोत:* डीजीसीआईएस, कोलकाता]

(ख) से (घ) सरकार नियमित आधार पर निर्यात निष्पादन की निगरानी करती है तथा निर्यात को बढ़ाने के लिए समय-समय पर सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। व्यापार एवं उद्योग के शीर्ष चैम्बरों और निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) के साथ नियमित अंतराल पर क्षेत्रीय बैठकें भी आयोजित की जाती है। हाल ही में डीजीएफटी ने निर्यातकों के प्रश्नों का समाधान करने और निर्यात निष्पादन में सुधार करने के लिए सुझाव प्राप्त करने हेतु मुम्बई और चेन्नई में ओपन हाउस बैठकों में भाग लिया है। निर्यात में बढ़ोत्तरी के उद्देश्य से विदेश व्यापार नीति (2009-14) के वार्षिक परिशिष्ट के भाग के रूप में 18.04.2013 को कतिपय उपायों की घोषणा की गई। सरकार ने फोकस बाजार स्कीम (एफएमएस) में नॉर्वे को शामिल कर इस स्कीम के तहत कुल बाजरों की संख्या को बढ़ाकर 125 कर दिया है। वेनेजुएला को विशेष फोकस बाजार स्कीम (विशेष एफएमएस) में शामिल किया गया है। 47 नई वस्तुओं को बाजार संबद्ध फोकस उत्पाद स्कीम (एमएलएफपीएस) में और 122 नई वस्तुओं को फोकस उत्पाद स्कीम (एफपीएस) में शामिल किया गया है। वृद्धिक निर्यात प्रोत्साहन स्कीम (आईईआईएस) को वर्ष 2013-14 तक के लिए बढ़ाया गया है और 53 लैटिन अमेरिकी और अफ्रीकी देशों को 1.4.2013 से पात्र देशों की सूची में शामिल किया गया है। सरकार ने 10.07.2013 को 153 हाईटेक उत्पादन अधिसूचित किए हैं। सरकार ने 01.08.2013 से ब्याज़ सहायता की दर 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर दी है।

सरकार ने रत्न एवं आभूषण सहित श्रम गहन क्षेत्रों से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित बजटीय उपाय किए हैं:—

- चमड़ा क्षेत्र के लिए मशीनरी हेतु सीमा-शुल्क को 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है।
- राइस ब्रान ऑयल और डी-ऑयल केक पर निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया है ताकि उस क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा मिल सके।
- तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में विनिर्माण उद्योग और निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए बेंगलुरु और मुम्बई औद्योगिक गलियारे का विकास।
- रत्न एवं आभूषण क्षेत्र में मूल्य-संवर्धन को बढ़ावा देने के

लिए कीमती एवं अर्द्ध-कीमती पत्थरों के पूर्व-रूपों के शुल्क में कमी।

इन सभी उपायों को निर्यात बढ़ाने के लिए बनाया गया था और अब परिणाम सामने आ रहे हैं। अप्रैल-अक्तूबर, 2013 के दौरान निर्यात विगत वर्ष के उसी अवधि के दौरान 168.70 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 179.02 बिलियन डॉलर रहा। यह विगत वर्ष में उस अवधि की तुलना में 2013-14 में 6.11 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी रही।

(ङ) योजना आयोग ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में चमड़ा, रबड़ और रबड़ उत्पादों, लकड़ी और बांस उत्पादों, हस्तशिल्प, हथकरघा, खादी और ग्राम उद्योग आदि को उत्पादन में उच्चवृद्धि, नए प्रतिष्ठानों के निर्माण और रोजगार के नए अवसरों की संभावना वाले क्षेत्रों के रूप में पहचान की है। योजना आयोग ने स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के एक नए उपवर्ग के तहत वस्त्र चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, खुदरा चेन क्षेत्र, जहां पर प्रशिक्षित श्रम की आपूर्ति की कमी है, की पहचान की है। इसके अलावा, 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईडीएलपी) नामक एक स्कीम कार्याध्वित की है, जो एक ऐसी स्कीम है जिसमें 14,400 चमड़ा दस्तकारों की आजीविका सहायता और पारंपरिक ग्रामीण समूहों के संवर्धन के साथ विपणन सहायता प्रदान की गई है।

[हिन्दी]

प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का निर्यात

1781. श्री भक्त चरण दास :
श्री प्रहलाद जोशी :
श्री जयवंत गंगाराम आवले :
श्री राजेन्द्र अग्रवाल :
श्री राजू शेट्टी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका सहित विभिन्न देशों से मूल्यवर्धित कृषि उत्पाद/प्रसंस्कृत खाद्य सामग्री को निर्यात/आयात का मूल्य, वस्तु और देश-वार मात्रा कितनी है एवं निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है;

(ख) क्या अर्द्ध विकासशील देशों की तुलना में मूल्यवर्धित कृषि उत्पादों और प्रसंस्कृत खाद्य सामग्री के वैश्विक व्यापार में भारत का हिस्सा बहुत कम है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्य है एवं इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश से प्रसंस्कृत खाद्य सामग्री के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा उक्त अवधि के दौरान निर्यातकों को क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं;

(घ) क्या सरकार हाल में अन्य देशों से प्रसंस्कृत खाद्य सामग्री के आयात में अनुमति देने में उदार रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या कारण हैं तथा इसका इन पर क्या प्रभाव है; और

(ङ) क्या सरकार ने इस बुनियादी कृषि उपज के निर्यात पर निषेध/प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद प्रसंस्कृत/मूल्यवर्धित कृषि उत्पादों के निर्यात की अनुमति देने का निर्णय लिया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या कारण हैं तथा घरेलू बाजार में ऐसी वस्तुओं की कीमतों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. ई.एम.एस. नाच्चीयप्पन) : (क) विगत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान यूएस सहित पांच प्रमुख देशों को निर्यात किये जा रहे प्रसंस्कृत सामग्रियों की मात्रा का देश-वार तथा मूल्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। चूंकि प्रसंस्कृत खाद्य सामग्री में प्रसंस्कृत सब्जियां प्रसंस्कृत फल एवं जूस और विविध प्रसंस्कृत मदें शामिल हैं, मात्रा के आंकड़े देना संभव नहीं होगा।

(ख) अनकामट्रेड के अनुसार वर्ष 2012 के दौरान प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के वैश्विक व्यापार में भारत का हिस्सा 1.05% है। सामान्य रूप से कृषि उत्पाद तथा विशेष रूप से प्रसंस्कृत खाद्य उध्पादों में भारत का सापेक्षिक कम हिस्सा प्राथमिकता बहुत अधिक घरेलू खपत, भूमिजोत का छोटा आकार, कम उत्पादकता, आपूर्ति श्रृंखला तथा विपणन कड़ी में अवरोध के अलावा प्रसंस्करण का न्यूनस्तर तथा अपर्याप्त निवेश के कारण है।

(ग) वस्तु बोर्डों तथा निर्यात संवर्धन परिषदों की योजना स्कीमों के तहत प्रसंस्कृत खाद्य सामग्रियों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) समग्र कृषि निर्यात के संवर्धन के लिए इसके साथ पंजीकृत पात्र निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है। इन उपायों के अतिरिक्त, कृषि एवं वन उत्पाद तथा ग्राम उद्योग उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से भारत सरकार ने विदेश व्यापार नीति में विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना (वीकेजीयूवाई) नामक एक स्कीम प्रारंभ की। वीकेजीयूवाई का उद्देश्य उच्च परिवहन लागतों की क्षतिपूर्ति करना तथा निम्नलिखित उत्पादों के निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए अन्य त्रुटियों को दूर करन है:—

(i) कृषि उत्पाद तथा उनके मूल्य वर्धित उत्पद;

(ii) गौण वन उत्पाद तथा उनके मूल्य वर्धित रूप;

(iii) ग्राम उद्योग उत्पाद;

(iv) वन पर आधारित उत्पाद; तथा

(v) अन्य उत्पाद, जैसा कि समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो।

(घ) अन्य देशों से प्रसंस्कृत खाद्यों का किसी अन्य देश को निर्यात देश के विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) आयातक एवं निर्यातक देशों के व्यापार अधिनियमों तथा विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में परिकल्पित अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय नियम संग्रह (जहां कहीं लागू हो) के दिशा-निर्देश द्वारा भी नियंत्रित किया जाता है तथा यह राष्ट्रीय बागान एवं पशु संगरोध विनियमन, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) विनियमन आदि से संबंधित अन्य घरेलू विनियामक मांग के अनुपालन के अध्यधीन है।

(ङ) जी, हां। सरकार ने दिनांक 4 फरवरी, 2013 की अधिसूचना संख्या 31 (आरई-2012) के जरिए भविष्य में अपने मूल फार्म उत्पादों के निर्यात पर संभाव्य प्रतिबंध/पाबंदी होने के बावजूद 14 वस्तुओं/प्रसंस्कृत/मूल्यवर्धित कृषि उत्पादों के उत्पाद समूहों जैसे अनाज आटा/मील्स खाद्यान्नों आदि को बनाना दुग्ध उत्पाद जैसे केसीन और केसीनेट, मक्खन, पनीर, दही आदि, प्याज के मूल्यवर्धित उत्पाद और पी-नट बटर के निर्यात की अनुमति देने का निणर्य लिया है।

ऊपर उल्लिखित प्रसंस्कृत/मूल्यवर्धित कृषि उत्पादों का निर्यात कृषि उत्पादों के कुल निर्यात का एक अत्यंत छोटा सा अंश है और घरेलू बाजार में उनके कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह निर्णय प्रसंस्कृत और/अथवा मूल्यवर्धित कृषि उत्पादों के लिए सुसंगत और स्थाई नीति सुनिश्चित करने तथा सुनिश्चित करने तथा भारत को कृषि वस्तुओं के निर्यात का एक अत्यंत छोटा सा अंश है और घरेलू बाजार में उनके कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह निर्णय प्रसंस्कृत और/अथवा मूल्यवर्धित कृषि उत्पादों के लिए सुसंगत और स्थाई नीति सुनिश्चित करने तथा भारत को कृषि वस्तुओं के निर्यात की मूल्य शृंखला में ऊपर उठाने में सक्षम बनाने के लिए लिया गया है। इससे किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्ति, फसलोत्तर हानियों में कमी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में रोजगार सृजन, कृषि उत्पादों के लिए अवसंरचना सुविधाओं में निवेश सुनिश्चित होगा।

विवरण

प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों का निर्यात

देश	2010-11 मूल्य (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)	देश	2011-12 मूल्य (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)	देश	2012-13 मूल्य (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)	देश	2013-14 (अप्रैल-सितम्बर) मूल्य (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)
यूएसए	172.33	यूएसए	224.64	यूएसए	226.27	यूएसए	110.85
यूके	75.08	यूके	101.37	यूके	94.96	यूके	51.47
संयुक्त अरब अमीरात	60.68	संयुक्त अरब अमीरात	86.90	संयुक्त अरब अमीरात	87.91	संयुक्त अरब अमीरात	50.16
नेपाल	46.33	नेपाल	58.35	नेपाल	71.35	नेपाल	42.08
नीदरलैण्ड	37.67	नीदरलैण्ड	53.84	नीदरलैण्ड	60.76	नीदरलैण्ड	36.53
अन्य	580.95	अन्य	840.81	अन्य	938.46	अन्य	570.86
कुल	973.03	कुल	1365.91	कुल	1479.71	कुल	861.94

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

नोट: प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों हेतु, बीआरसी कोड 28,29,30 पर विचार किया जाता है।

नोट: वर्ष 2013-14 हेतु आंकड़ा अनंतिम तथा परिवर्तन के अध्यधीन है।

नोट: प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों में प्रसंस्कृत सब्जी, प्रसंस्कृत फल एवं रस तथा विविध प्रसंस्कृत मदें शामिल हैं।

श्रम निरीक्षकों और दोषी व्यक्तियों की मिलीभगत

1782. श्री सुशील कुमार सिंह :
श्री एस. अलागिरी :
श्रीमती रमा देवी :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम निरीक्षकों और श्रम प्रवर्तन अधिकारियों का दोषी व्यक्तियों के साथ मिली भगत के कारण श्रम कानूनों का क्रियान्वयन सफल नहीं रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

(ग) क्या सरकार, श्रम निरीक्षकों के कार्यकरण की समीक्षा पर विचार कर रही है तथा यदि नहीं, तो श्रम निरीक्षकों/अधिकारियों और विभिन्न श्रम कानूनों के उल्लंघनकर्त्ताओं के बीच किसी संभावित संबंध का पता लगाने के लिए स्थापित तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कितने निरीक्षण किए गए तथा किस प्रकार ये निरीक्षण किए गए हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अभियोजन की क्या स्थिति है तथा प्रवर्तन अधिकारियों सहित उल्लंघनकर्त्ताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई एवं श्रम कानूनों को प्रभावी और कड़ाई तरीके से लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

निरीक्षणालय का गठन

सरकार ने मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के अधीन निरीक्षणालय का गठन किया है जिसका प्रमुख दायित्व केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत फील्ड अधिकारियों के माध्यम से विभिन्न श्रम कानूनों का प्रवर्तन करना है।

सरकार ने श्रम निरीक्षकों/अधिकारियों और श्रम कानूनों के दोषियों के बीच किसी संभावित मिलीभगत की जांच करने के लिए व्यापक तंत्र भी तैयार किया है। क्षेत्रीय प्रमुखों को उनके दौरों/जांच निरीक्षणों के दौरान संघ के नेताओं, कामगारों और प्रबंधन के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करके निरीक्षणों के प्रयोजनार्थ स्थापनाओं का दौरान करने वाले अपने अधिकारियों के बारे में भी जानकारी मिलती है।

श्रम कानूनों का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने के दृष्टिगत वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जांच निरीक्षण करने का भी प्रावधान है। ये जांच निरीक्षण सहायक श्रमायुक्तों (केन्द्रीय)/क्षेत्रीय श्रमायुक्तों (केन्द्रीय) द्वारा संबंधित श्रम प्रवर्तन अधिकारियों (केन्द्रीय)/सहायक श्रमायुक्तों (केन्द्रीय) और नियोक्ता की जानकारी या सूचना के बिना संचालित किए जाते हैं। उपर्युक्त के अलावा, क्षेत्रीय प्रमुख के आदेशों पर निरीक्षण किए जाने वाले इलाके के अलावा अन्य अधिकार क्षेत्र वाले इलाके प्राप्त अधिकारियों की टीम द्वारा अकस्मात निरीक्षण कार्यक्रम भी संचालित किए जाते हैं।

वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 तथा चालू वर्ष (सितंबर, 2013 तक) के लिए संचालित किए गए निरीक्षणों, आरंभ किए गए अभियोजनों की संख्या, पता लगाई गई अनियमितताओं की संख्या तथा विभिन्न रम कानूनों के अंतर्गत अपराध-सिद्धियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। इन उल्लंघनकर्त्ताओं के विरुद्ध अभियोजनों की स्थिति और अपराध-सिद्धियों की संख्या संलग्न विवरण में भी दर्शायी गई है।

विवरण

केन्द्रीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में श्रम कानूनों का प्रवर्तन
(2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14)*

ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970

क्र.सं.	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14*
1	2	3	4	5	6
1.	किए गए निरीक्षणों की संख्या	7327	7268	8146	2647
2.	आरम्भ किए गए अभियोजनों की संख्या	4908	4962	4671	1654

1	2	3	4	5	6
3.	अनियमितताओं की संख्या	148731	192418	148838	86749
4.	अपराध सिद्धियों की संख्या	3643	4962	2871	1626

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

क्र.सं.	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14*
1.	किए गए निरीक्षणों की संख्या	16780	15155	15460	5698
2.	आरम्भ किए गए अभियोजनों की संख्या	6008	6879	5267	2322
3.	अनियमितताओं की संख्या	305796	289525	291116	195976
4.	अपराध सिद्धियों की संख्या	6124	6746	4914	3047

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976

क्र.सं.	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14*
1.	किए गए निरीक्षणों की संख्या	3421	3453	4167	1086
2.	आरम्भ किए गए अभियोजनों की संख्या	570	994	773	335
3.	अनियमितताओं की संख्या	6996	7721	8821	6219
4.	अपराध सिद्धियों की संख्या	1241	937	777	466

मजूदरी का भुगतान (खान) नियम, 1956

क्र.सं.	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14*
1.	किए गए निरीक्षणों की संख्या	3523	3431	3075	988
2.	आरम्भ किए गए अभियोजनों की संख्या	1036	911	1011	398
3.	अनियमितताओं की संख्या	72512	79215	76301	52325
4.	अपराध सिद्धियों की संख्या	451	1367	516	248

वेतन का भुगतान (रेलवे) नियम, 1938

क्र.सं.	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14*
1.	किए गए निरीक्षणों की संख्या	1121	850	1384	346
2.	आरम्भ किए गए अभियोजनों की संख्या	02	06	07	0
3.	अनियमितताओं की संख्या	25561	18927	23064	20741
4.	अपराध सिद्धियों की संख्या	01	04	05	01

मजदूरी भुगतान (ए.टी.एस.) नियम, 1968

क्र.सं.	विवरण	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14*
1.	किए गए निरीक्षणों की संख्या	291	106	174	61
2.	आरम्भ किए गए अभियोजनों की संख्या	33	21	23	23
3.	अनियमितताओं की संख्या	4376	3411	4426	3855
4.	अपराध सिद्धियों की संख्या	90	12	05	6

मजदूरी भुगतान (मुख्य पत्तन)

क्र.सं.	विवरण	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14*
1.	किए गए निरीक्षणों की संख्या	92	17	12	4
2.	आरम्भ किए गए अभियोजनों की संख्या	07	59	0	0
3.	अनियमितताओं की संख्या	1231	1099	827	807
4.	अपराध सिद्धियों की संख्या	0	14	19	35

बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986

क्र.सं.	विवरण	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14*
1.	किए गए निरीक्षणों की संख्या	3227	3202	2421	541
2.	आरम्भ किए गए अभियोजनों की संख्या	98	14	74	0
3.	अनियमितताओं की संख्या	6556	6353	6174	5708
4.	अपराध सिद्धियों की संख्या	117	22	62	0

अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार (रोजगार एवं सेवा-शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979

क्र.सं.	विवरण	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14*
1.	किए गए निरीक्षणों की संख्या	452	174	155	61
2.	आरम्भ किए गए अभियोजनों की संख्या	55	331	51	38
3.	अनियमितताओं की संख्या	4325	6177	5660	753
4.	अपराध सिद्धियों की संख्या	37	250	43	1

बोनस संदाय अधिनियम, 1965

क्र.सं.	विवरण	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14*
1	2	3	4	5	6
1.	किए गए निरीक्षणों की संख्या	1083	765	905	294

1	2	3	4	5	6
2.	आरम्भ किए गए अभियोजनों की संख्या	55	19	39	0
3.	अनियमितताओं की संख्या	4672	3331	5610	2644
4.	अपराध सिद्धियों की संख्या	128	31	14	37

उपदान संदाय अधिनियम, 1972

क्र.सं.	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14*
1.	किए गए निरीक्षणों की संख्या	2441	3072	2915	932
2.	आरम्भ किए गए अभियोजनों की संख्या	07	13	01	0
3.	अनियमितताओं की संख्या	45620	37753	34125	26194
4.	अपराध सिद्धियों की संख्या	01	03	05	0

रेलवे कर्मचारी (एचडब्ल्यू एण्ड पीआर) नियम, 2005

(एचओईआर)

क्र.सं.	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14*
1.	किए गए निरीक्षणों की संख्या	1401	1089	1423	413
2.	आरम्भ किए गए अभियोजनों की संख्या	0	0	01	0
3.	अनियमितताओं की संख्या	59262	46532	74376	43710
4.	अपराध सिद्धियों की संख्या	0	0	0	0

*अनंतिम (सितम्बर, 2013 तक)।

कौशल विकास

1783. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री ए. गणेशमूर्ति :
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्री असादूद्दीन ओवेसी :
श्री वीरेन्द्र कश्यप :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वस्त्र क्षेत्र में प्रशिक्षित लोगों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं वस्त्र क्षेत्र के विकास हेतु निटिंग, बुनाई, रंगाई, प्रसंस्करण और सिलाई में कौशल विकास हेतु कितनी निधि आवंटित की गई है;

(ग) वस्त्र उद्योग में कौशल मानव शक्ति की आवश्यकता हेतु सरकार या वस्त्र उद्योग के प्रतिनिधियों द्वारा कराए गए अध्ययन का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत हथकरघा और रेशम कीट पालन को जोड़ने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त क्षेत्र को कब तक मनरेगा के अंतर्गत लाए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) जी, हां।

(ख) 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17 के लिए वस्त्र और वस्त्र उद्योग संबंधी कार्य समूह की रिपोर्ट के अनुसार वस्त्र क्षेत्र में मानव संसाधनों

की आवश्यकता लगभग 178 लाख होगी जिसमें से 110 लाख मानव संसाधनों की आवश्यकता मुख्य धारा के वस्त्र और क्लोदिंग क्षेत्र में होगी। वस्त्र और संबंधित क्षेत्रों की प्रशिक्षित जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के एिल सरकार ने 2.58 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए भारत सरकार के 229 करोड़ रुपए के अंशदान सहित 272 करोड़ रुपए के परिव्यय से 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम 2 वर्षों में पायलट योजना के रूप में एकीकृत कौशल विकास योजना (आईएसडीएस) आरंभ की है। इस योजना का विस्तार 1900 करोड़ के आबंटन से 15 लाख कामगारों को शामिल करने के लिए 12वीं योजना के अंतर्गत किया गया है। आईएसडीएस के अंतर्गत निधियां क्षेत्र-वार आबंटित नहीं की जाती हैं। तथापि, 12वीं योजना के दौरान 55 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान करके निटिंग और निटवियर प्रौद्योगिकी में कौशल विकास पर विशेष फोकस किया जा रहा है।

(ग) विभिन्न एजेंसियों अर्थात् भारतीय क्रेडिट रेटिंग सूचना सेवा लिमिटेड (क्रिसिल), भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ (सीआईटीआई) और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा किए गए अध्ययन के आधार पर 12वीं पंचवषीय योजना के लिए वस्त्र और पटसन उद्योग संबंधी कार्य समूह ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसमें उन्होंने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 178 लाख नए कामगारों तथा 2022 तक लगभग 600 से 620 लाख कामगारों की आवश्यकता का अनुमान लगाया है।

(घ) और (ङ) वस्त्र मंत्रालय ने हथकरघा क्षेत्र को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंभ अधिनियम (मनरेगा) के साथ जोड़ने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ परामर्श किया है। तथापि, यह स्पष्ट किया गया कि आर्थिक कार्यकलाप होने के कारण हथकरघा क्षेत्र मनरेगा के दायरे में नहीं आता है। जहां तक रेशम उत्पादन क्षेत्र का संबंध है वर्ष 2012-13 तक रेशम उत्पादन कार्यकलापों के मनरेगा के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया था। तथापि, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अब मनरेगा के अंतर्गत प्राथमिकता के एक क्षेत्र के रूप में रेशम उत्पादन की पहचान की है। मनरेगा से सहायता प्राप्त करने के लिए राज्यों को अपयुक्त प्रस्ताव तैयार करने हैं।

वस्त्र उद्योग का विस्तार

1784. श्री अनंत वेंकटरामी रेड्डी :
श्री रामसिंह राठवा :
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :
श्रीमती रमा देवी :
श्री हरिभाई चौधरी :
श्री सी. राजेन्द्रन :
श्री निखिल कुमार चौधरी :
श्री गोपीनाथ मुंडे :
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान औद्योगिक उत्पादन और रोजगार सृजन में वस्त्र उद्योग का कितने प्रतिशत योगदान है एवं देश में वस्त्र उद्योग में रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं;

(ख) बुनाई और प्रसंस्करण क्षेत्र के आधुनिकीकरण सहित निवेश बढ़ाने/विस्तार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या वस्त्र उद्योग वैश्विक मंदी के कारण समस्याओं का सामना कर रहा है एवं गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस क्षेत्र की वृद्धि में गिरावट हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा भारतीय वस्त्र उद्योग की वैश्विक हिस्सेदारी में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं एवं अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) देश में कपास/धागे की कमी को दूर करने एवं वस्त्र उद्योग को पर्याप्त कपास/धागा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है; और

(च) वैश्विक वस्त्र उत्पादन में भारतीय वस्त्र उद्योग की कितनी जिम्मेदारी है तथा उत्पादन और भारतीय वस्त्र उद्योग की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक उत्पादन के प्रतिशत के रूप में वस्त्र उद्योग का योगदान तथा निर्यात आय 12% पर स्थिर रही है। वर्ष 2011-12 में वस्त्र उद्योग ने 35 मिलियन लोगों से अधिक के लिए प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किया।

वस्त्र उद्योग में रोजगार में अभिवृद्धि के उद्देश्य से सरकार ने एकीकृत कौशल विकास योजना (आईएसडीएस) तथा एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी) जैसी कई योजनाएं शुरू की हैं।

(ख) सरकार की भूमिका अनुकूल नीतिगत वातावरण को सुनिश्चित करना तथा निवेश को प्रोत्साहित करने की है। सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं और वस्त्र क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने तथा उत्प्रेरित करने की दिशा में प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस), एसआईटीपी, आईएसडीएस जैसी योजनाओं को प्रारंभ किया है।

विविंग क्षेत्र के आधुनिकीकरण हेतु सब्सिडी (दोनों ब्याज प्रतिपूर्ति (आईआर) तथा पूंजीगत सब्सिडी (सीएस) को क्रमशः बढ़ाकर 5% से

6% तथा 10% से 15% कर दिया गया है। आरआरटीयूएफएस में मार्जिन मनी सब्सिडी को 20% से बढ़ाकर 30% कर दिया गया है। प्रसंस्करण क्षेत्र के आधुनिकीकरण हेतु एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस) को 500 करोड़ रुपए के बजट के साथ अनुमोदित किया गया है।

(ग) और (घ) वैश्विक मंदी ने वस्त्र क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं किया है चूंकि पिछले दो वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान उत्पादन की मात्रा तथा प्रमुख वस्त्र मदों के निर्यात में वृद्धि का रुख देखा गया है। विवरण इस प्रकार है:—

वस्त्र मदों का उत्पादन

मदें	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14 (अप्रैल-अक्तूबर) (अनं.)
मानव निर्मित फाइबर	मि. किग्रा.	1234	1263	770
स्पन यार्न	मि. किग्रा.	4372	4868	2601
मानव निर्मित फिलामेंट यार्न	मि. किग्रा.	1463	1371	773
फैब्रिक्स (खादी, ऊनी एवं रेशम सहित)	मि. वर्ग मीटर	60453	62583	37406

वस्त्र मदों का निर्यात
(अध्याय शीर्षक 50 से 63)

(मूल्य करोड़ रुपए में) (मात्रा मि.किग्रा. में)

मदें	2011-12		2012-13		2013-14 (अप्रैल-अगस्त)	
	मात्रा	संख्या	मात्रा	संख्या	मात्रा	संख्या
फाइबर	2669	24948	2795	23047	629	4612
फाइबर अपशिष्ठ	83	571	94	674	48	397
यार्न	1619	24902	1984	30156	862	15105
फैब्रिक्स	एनए	22248	एनए	23114	एनए	10771
सिलेसिलाए परिधान	एनए	65739	एनए	70522	एनए	34788
मेडअप्स	एनए	18930	एनए	21980	एनए	10033
अन्य वस्त्र	एनए	8176	एनए	10494	एनए	4972
कुल	एनए	165515	एनए	179987	एनए	80678

(ङ) घरेलू वस्त्र उद्योग की आवश्यकताओं हेतु देश में कपास/यार्न की कोई कमी नहीं है। भारत सरकार के पास सलाहकार बोर्ड (सीएबी) नामक एक प्रणाली की स्थापना की है जोकि सरकार को सामान्यत: कपास के उत्पादन, खपत एवं विपरण संबंधी विषयों पर परामर्श देता है। चालू कपास सत्र 2013-14 (अक्तूबर-सितम्बर) हेतु 387 लाख गांठों की कुल अनुमानित मांग की तुलना में कपास की 827 लाख गांठों की कुल

अनुमानित उपलब्धता है जोकि वस्त्र उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

हथकरघा क्षेत्र में, सरका पात्र हथकरघा इकाइयों को मिल गेट मूल्यों पर सभी यार्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मिल गेट मूल्य योजना (एमजीपीएस) को क्रियान्वित कर रही है। इस योजना के अंतर्गत भरत सरकार मिल से प्रायोक्ता एजेंसियों के गोदाम तक यार्न की आपूर्ति में हुए परिवहन व्य की प्रतिपूर्ति करती है। इसके अतिरिक्त यार्न डिपो के माध्यम से भी यार्न की आपूर्ति का प्रावधान है तथा भारत सरकार द्वारा यार्न डिपो के प्रचालन व्यय की 2.5% की दर से, वास्तविक आधार पर प्रतिपूर्ति की जाती है। देश में 788 यार्न डिपो कार्यरत हैं। इसके अलावा, विद्युतकरघा एवं मिल क्षेत्र के प्रतिस्पर्धा के उद्देश्य से मात्र हथकरघा बुनकरों को सब्सिडी पर यार्न उपलब्ध कराने के लए 06.01.2012 से मिल गेट मूल्य योजना मं हैंक यार्न पर 10% मूल्य सब्सिडी का एक नया संघटक शामिल किया गया है। हथकरघा वस्तुओं के उत्पादन हेतु आवश्यक कपास एवं घरेलू यार्न इस संघटक के अंतर्गत शामिल हैं।

(च) भारतीय वस्त्र उद्योग टेक्सटाइल फाइबर और यार्न के वैश्विक उत्पादन का 12% उपलब्ध कराता है तथा कपास यार्न के वैश्विक निर्यात में 25% की हिस्सेदारी के साथ यार्न का सबसे बड़ा निर्यातक है। स्पिंडलेज़ के रूप में भरतीय वस्त्र उद्योग चीन के बाद दूसरे स्थान पर है तथा वैश्विक स्पिंडलक्षमता का 23% उपलब्ध कराता है।

सरकार ने वस्त्र क्षेत्र में अधीक उत्पादन तथा प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के उद्देश्य विभिन्न कदम उठाए हैं तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस), एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी), एकीकृत कौशल विकास योजना (आईएसडीएस), एकीकृत प्रसंस्करण योजना (आईपीएस) जैसी परियोजनाएं प्रारंभ की हैं।

[हिन्दी]

हथकरघा क्लस्टर/योजना

1785. श्रीमती मीना सिंह :
श्री एस. पक्कीरप्पा :
श्री निशिकांत दुबे :
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :
श्री भूदेव चौधरी :
कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद :
श्री एस. सेम्मलई :
डॉ. संजय सिंह :
राजुकमारी रत्ना सिंह :
श्री राजय्या सिरिसिल्ला :
श्री पोन्नम प्रभाकर :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चल रहे हथकरघा क्लस्टर का ब्यौरा क्या है एवं देश में बुनकरों को क्या लाभ दिए गए हैं;

(ख) क्या सरकार को देश में बुनकरों के लिए बनाई गई योजना के संबंध में शिकायतें/अनियमितताएं प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं सरकार द्वारा इन शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) देश में बुनकरों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा स्थापित/स्थापित किए जाने वाले प्रशिक्षण केन्द्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने देश में हथकरघा/बुनकरों को कच्चा माल प्रदान किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार द्वारा उनके उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विपणन के लिए हथकरघा क्षेत्र/बुनकरों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का विचार देश में बुनकर समुदाय के लिए घर बनाने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बुनकरों को प्राथमिक क्षेत्र में ऋण प्रदान करने के लिए कोई योजना बनाने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) भारत सरकार ने 300-500 हथकरघों को शामिल करते हुए 612 छोटे क्लस्टरों, कम से कम 5000 करघों को शामिल करते हुए 20 बड़े क्लस्टरों और 25,000 में अधिक हथकरघों को शामिल करते हुए 6 मेगा हथकरघा क्लस्टरों को मंजूरी दी है। क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत कौशन उन्नयन, मार्जिन राशि, हथकरघों, डॉबी, जैकार्ड की खरीद, यार्न डिपो, डिजाइन विकास और उत्पाद विविधीकरण के लिए कारपस विधि, डिजाइनर नियुक्त करने, साझा सुविधा केन्द्र/रंगाई गृह स्थापित करने, प्रचार और विपणन, कार्य स्थलों का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) और (ग) हथकरघा बुनकर व्यापक कारण योजना (स्वास्थ्य बीमा योजना) के तहत वस्त्र मंत्रालय में किसी प्रमाणित शिकायत/अनियमितता की सूचना नहीं मिली है। तथापि, दावों के निपटारे में विलंब

या अस्पताल आदि की अनुपलब्धता के बारे में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों को सेवा प्रदाता द्वारा इस कार्यालय को सूचित करते हुए सीधे ही दूर किया जाता है।

(घ) समूचे देश में 25 बुनकर सेवा केन्द्र कार्य कर रहे हैं। ये केन्द्र बुनकरों के प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन और क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बुनकर सेवा केन्द्रों की राज्य-वार सूची संलगन विवरण में दी गई है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में झारखंड, मिज़ोरम और नागालैंड राज्यों में 3 और बुनकर सेवा केन्द्र खोले जाने का अनुमोदन किया गया है। केन्द्रीय क्षेत्र में वाराणसी, सेलम, गुवाहाटी, जोधपुर और बारगढ़ में 5 भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान है और राज्य क्षेत्र में चम्पा (छत्तीसगढ़), वेंकटगिरि (आन्ध्र प्रदेश), गडग (कर्नाटक) और कन्नूद (केरल) में 4 भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान हैं। 12वीं योजना अवधि के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में शांतिपुर, पश्चिम बंगाल में 1 और भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान का अनुमोदन किया गया है। हथकरघा और वस्त्र प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के माध्यम से ये भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान हथकरघा और वस्त्र उद्योग को प्रशिक्षित और व्यावसायिक दृष्टि से श्रमशक्ति प्रदान करते हैं।

(ङ) भारत सरकार हथकरघा बुनकरों को बुनियादी कच्चे माल की नियमित रूप से आपूर्ति को सुकर बनाने के लिए मिल गेट कीमत योजना कार्यान्वित कर रही है। इस योजना के तहत भारत सरकार मिल से प्रयोक्ता एजेंसियों के गोदाम तक यार्न की आपूर्ति में हुए परिवहन व्यय का वहन करती है तथा साथ ही डिपो परिचालन व्यय भी प्रदान करती है। इसके अलावा, हथकरघा बुनकरों को रियायती यार्न प्रदान करने के लिए सरकार ने 6.1.2012 से मिल गेट कीमत योजना के तहत हैक यार्न पर 10% कीमत सब्सिडी का अनुमोदन किया है विगत 3 वर्षों और 30.11.2013 तक चालू वर्ष के दौरान आपूर्ति किए गए यार्न का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	एमजीपीएम के तहत आपूर्ति किया गया यार्न	
	मात्रा (लाख किलोग्राम)	मूल्य (करोड़ रुपये)
2010-11	1105.96	1195.55
2011-12	967.068	1081.12
2012-13	1070.78	636.39
2013-14 (नवम्बर, 2013 तक)	699.42	909.31

(च) हथकरघा उत्पादों के विपणन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में अपने सदस्य निर्यातकों की सहभागिता के लिए पात्र हथकरघा संगठनों को विगत 3 वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान की गई है:-

क्र. सं.	वर्ष	प्रदान की गई वित्तीय सहायता (लाख रुपये)
1	2010-11	341.26
2.	2011-12	277.85
3.	2012-13	141.01
4.	2013-14 (अप्रैल-नवम्बर, 2013)	341.22

(छ) भारत सरकार मकान निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान नहीं कर रही है। तथापि, एकीकृत हथकरघा विकास योजना के तहत कार्य स्थलों के निर्माण के लिए प्रावधान किया गया है जिसमें गरीबी की रेखा से नीचे की श्रेणी वाले बुनकरों को 25,000/- रुपये और गरीबी की रेखा से ऊपर की श्रेणी के बुनकरों को 18,750/- रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ज) भारत सरकार 3 वर्ष के लिए अधिकतम 7% के अध्यधीन ब्याज परिदान प्रदान कर हथकरघा बुनकरों को 6% ब्याज दर पर रियायती ऋण, मार्जिन राशि की सहायता और सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी ट्रस्ट के माध्यम से बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों को ऋण गारंटी प्रदान करती है। यह योजना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बुनकरों सहित सभी श्रेणी के बुनकरों पर लागू है।

विवरण

बुनकर सेवा केन्द्रों की संख्या

क्र.सं.	बुनकर केन्द्र का नाम	शामिल किए गए राज्य
1	2	3
उत्तर क्षेत्र		
1.	दिल्ली	दिल्ली
2.	मेरठ	उत्तर प्रदेश
3.	वाराणसी	उत्तर प्रदेश

1	2	3
4.	जयपुर	राजस्थान
5.	चमौली	उत्तराखंड
6.	श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर
7	पानीपत	हरियाणा
दक्षिण क्षेत्र		
8.	चैन्नई	तमिलनाडु
9	कांचीपुरम	
10.	सेलम	
11.	बेंगलुरु	कर्नाटक
12.	कन्नूर	केरल
13.	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश
14.	हैदराबाद	
पश्चिम क्षेत्र		
15.	मुम्बई	महाराष्ट्र
16.	नागपुर	
17.	अहमदाबाद	गुजरात
18.	इंदौर	मध्य प्रदेश
19.	रायगढ़	छत्तीसगढ़
पूर्वी क्षेत्र		
20.	गुवाहाटी	असम
21.	भुवनेश्वर	ओडिशा
22.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल
23.	इम्फाल	मणिपुर
24.	अगरतला	त्रिपुरा
25.	भागलपुर	बिहार

ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देना

1786. श्री अशोक तंवर :
श्री जगदानंद सिंह :
श्री जयवंत गंगाराम आवले :
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर :
श्री कीर्ति आजाद :
श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी :

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में खेलों को बढ़ावा देने एवं खेल स्तर तथा अवसंरचना सुविधाओं के स्तर में सुधार के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है तथा उक्त प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है; और

(ङ) गत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत आवंटित और व्यय की गई निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क), (ख) और (ङ) खेल राज्य का विषय है। तथापि, केन्द्रीय सरकार देश में बुनियादी खेल अवसंरचना के विकास हेतु दो स्कीमें अर्थात् पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पायका) तथा शहरी खेल अवसंरचना योजना (यूएसआईएस) कार्यान्वित कर रही है। पायका स्कीम के अंतर्गत ग्रामीण और ब्लॉक स्तर पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बुनियादी खेल अवसंरचना के सृजन हेतु केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। पायका स्कीम के अंतर्गत जारी निधियों और प्रतियोगिता प्रतिभागियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I (क) से (ट) में दिया गया है। यूएसआईएस स्कम के तहत केन्द्रीय/राज्य सरकारों के अंतर्गत स्थानीय नागरिक निकाय, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय तथा खेल नियंत्रण बोर्ड खेल-अवंरचना के सृजन हेतु सहायता पाने के पात्र हैं। (i) सिंथेटिक खेल सतह बिछाना (हॉकी, फुटबाल तथा एथलेटिक्स हेतु), तथा (ii) बहुउेश्यीय इन्डोर हॉल के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यूएसआईएस के अंतर्गत जारी की गई निधि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) पायका तथा यूएसआईएस के अंतर्गत सरकार को राज्य सरकारों तथा पात्र संस्थाओं से इस संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं तथा संबंधित स्कीमों के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निधि जारी करने की कार्रवाई इस शर्त पर की जा रही है कि संबंधित सरकार/पात्र संस्थाओं को पिछले वर्षों के दौरान जारी की गई निधियों का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रेषित कर दिया गया है तथा इसे सरकार द्वारा मंजूर किया गया है।

विवरण-I(क)

वर्ष 2008-09 के दौरान खेल मैदानों के विकास हेतु पायका योजना के अंतर्गत अनुमोदित और जारी अनुदान के लिए ग्राम/ब्लॉक पंचायतों की राज्य-वार संख्या

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	अनुमोदित ग्राम पंचायतों की संख्या	अनुमोदित ब्लॉक पंचायतों की संख्या	जारी निधि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2190	113	12.99
2.	असम	333	22	—
3.	बिहार	847	53	5.22
4.	छत्तीसगढ़	982	14	—
5.	गोवा	19	04	—
6.	गुजरात*	900	22	—
7.	हरियाणा	619	12	3.26
8.	हिमाचल प्रदेश	324	08	2.01
9.	जम्मू और कश्मीर	413	14	2.66
10.	केरल	100	15	0.80
11.	मध्य प्रदेश	2304	31	11.82
12.	महाराष्ट्र	2689	35	8.91
13.	मणिपुर	79	04	0.87
14.	मिज़ोरम	82	03	0.85
15.	नागालैंड	110	05	1.18
16.	ओडिशा	623	31	3.67
17.	पंजाब	1233	14	6.27
18.	राजस्थान	869	24	3.71
19.	सिक्किम	16	10	0.54
20.	तमिलनाडु	1,261	38	5.00
21.	त्रिपुरा	104	04	1.09
22.	उत्तर प्रदेश	5,203	82	10.00

1	2	3	4	5
23.	उत्तराखंड	750	10	3.00
24.	पश्चिम बंगाल	335	33	—
	कुल	22,385	601	**83.85

*वर्ष 2008-09 में शुरू में 1,369 ग्राम पंचायतें अनुमोदित की गई और राज्य सरकार द्वारा इसे घटाकर 900 कर दिया गया।

**92 करोड़ रुपए के परिव्यय में, राज्यों को शर्तों को पूरा करने पर 83.85 करोड़ रुपए जारी किए गए और 8.15 करोड़ रुपए साई को वार्षिक खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को देने के लिए जारी किए गए।

विवरण-I(ख)

वर्ष 2009-10 के दौरान खेल मैदानों के विकास हेतु पायका योजना के अंतर्गत अनुमोदित और जारी अनुदान के लिए ग्राम/ब्लॉक पंचायतों की राज्य-वार संख्या

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनुमोदित ग्राम पंचायतों की संख्या	अनुमोदित ब्लॉक पंचायतों की संख्या	*जारी निधि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	—	113	12.99
2.	अरुणाचल प्रदेश	355	32	4.44
3.	असम	—	—	3.85
4.	बिहार	—	—	5.02
5.	छत्तीसगढ़	—	—	5.06
6.	गोवा	—	—	0.18
7.	गुजरात	—	—	7.10
8.	हरियाणा	—	—	3.25
9.	हिमाचल प्रदेश	—	—	2.01
10.	जम्मू और कश्मीर	—	—	2.10
11.	झारखंड	403	21	2.39
12.	कर्नाटक	565	18	3.12
13.	केरल	—	—	0.80
14.	महाराष्ट्र	—	—	4.86
15.	मेघालय	83	08	1.06
16.	मिज़ोरम	164	05	0.21
17.	नागालैंड	—	—	0.30

1	2	3	4	5
18.	ओडिशा	623	31	8.05
19.	पंजाब	—	—	6.27
20.	राजस्थान	—	—	4.72
21.	सिक्किम	32	20	0.13
22.	तमिलनाडु	—	—	1.91
23.	उत्तर प्रदेश	—	—	16.96
24.	उत्तराखंड	—	—	5.90
25.	पश्चिम बंगाल	—	—	2.32
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	19	01	—
	कुल	2,225	135	105.00*

*इसमें पहले वर्ष (2008-09) के लिए अनुमोदित अनुदान को जारी करना शामिल है।

विवरण-I (ग)

वर्ष 2010-11 के दौरान खेल मैदानों के विकास हेतु पायका योजना के अंतर्गत अनुमोदित और जारी अनुदान के लिए ग्राम/ब्लॉक पंचायतों की राज्य-वार संख्या

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनुमोदित ग्राम पंचायतों की संख्या	अनुमोदित ब्लॉक पंचायतों की संख्या	जारी निधि*
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	4,380	226	25.98
2.	अरुणाचल प्रदेश	710	64	10.51
3.	गुजरात	1,075	22	02.55
4.	हरियाणा	1,238	24	14.43
5.	हिमाचल प्रदेश	648	16	08.80
6.	कर्नाटक	1,129	36	14.86
7.	केरल	100	15	11.17
8.	महाराष्ट्र	2,752	35	41.94
9.	मेघालय	83	08	01.19
10.	मिज़ोरम	163	05	02.27
11.	नागालैंड	440	20	02.96

1	2	3	4	5
12.	ओडिशा	623	31	05.98
13.	पंजाब	2,466	28	26.66
14.	सिक्किम	16	10	02.02
15.	त्रिपुरा	520	20	03.24
16.	उत्तर प्रदेश	4,493	82	62.27
17.	उत्तराखंड	1,500	19	19.43
18.	पश्चिम बंगाल	—	—	02.32
संघ राज्य क्षेत्र				
19.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	60	06	01.06
20.	लक्षद्वीप	02	09	00.51
21.	पुदुचेरी	50	05	00.69 **
	कुल	22,448	681	260.84

*इसमें पूर्ववर्ती वर्ष (अर्थात् 2008-09 और 2009-10) के लिए अनुमोदित अनुदान को जारी करना शामिल है।

**संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी को साई द्वारा अनखर्ची शेष राशि, निधियां जारी कर दी गई हैं।

विवरण-I(घ)

वर्ष 2011-12 के दौरान खेल मैदानों के विकास हेतु पायका योजना के अंतर्गत अनुमोदित और जारी अनुदान के लिए ग्राम/ब्लॉक पंचायतों की राज्य-वार संख्या

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	अनुमोदित ग्राम पंचायतों की संख्या	अनुमोदित ब्लॉक पंचायतों की संख्या	जारी निधि*
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	—	—	25.98
2.	गुजरात	—	—	13.43
3.	हरियाणा	619	12	5.09
4.	हिमाचल प्रदेश	324	08	3.66
5.	जम्मू और कश्मीर	—	—	0.56
6.	झारखंड	—	—	2.40
7.	मध्य प्रदेश	2,304	31	39.99

1	2	3	4	5
8.	मणिपुर	—	—	0.22
9.	मेघालय	83	08	1.72
10.	मिज़ोरम	—	—	2.07
11.	नागालैंड	110	05	4.70
12.	ओडिशा	—	—	7.34
13.	राजस्थान	917	25	2.75
14.	सिक्किम	32	20	1.66
15.	त्रिपुरा	312	12	4.09
16.	उत्तर प्रदेश	—	—	18.39
	कुल	4,701	121	134.05

*इसमें पूर्ववर्ती वर्ष (अर्थात् 2008-09, 2010-11) के लिए अनुमोदित अनुदान को जारी करना शामिल है।

विवरण-I(ङ)

वर्ष 2012-13 के दौरान खेल मैदानों के विकास हेतु पायका योजना के अंतर्गत अनुमोदित और जारी अनुदान के लिए ग्राम/ब्लॉक पंचायतों की राज्य-वार संख्या

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनुमोदित ग्राम पंचायतों की संख्या	अनुमोदित ब्लॉक पंचायतों की संख्या	जारी निधि*
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	—	—	10.63
2.	असम	666	44	10.28
3.	छत्तीसगढ़	1,964	28	25.27
4.	गोवा	—	—	0.18
5.	हरियाणा	—	—	—
6.	हिमाचल प्रदेश	389	10	6.34
7.	कर्नाटक	566	18	9.61
8.	केरल	200	30	10.36
9.	मध्य प्रदेश	—	—	—
10.	महाराष्ट्र	—	—	—
11.	मणिपुर	—	—	—

1	2	3	4	5
12.	मेघालय	—	—	—
13.	मिज़ोरम	163	05	2.07
14.	नागालैंड	—	—	—
15.	ओडिशा	1,246	62	19.21
16.	पंजाब	—	—	—
17.	राजस्थान	—	—	—
18.	सिक्किम	70	35	2.51
19.	तमिलनाडु	—	—	—
20.	त्रिपुरा	—	—	—
21.	उत्तर प्रदेश	3,384	82	9.03
22.	उत्तराखंड	—	—	3.38
	संघ राज्य क्षेत्र का नाम			
23.	दमन और दीव	14	—	0.14
	कुल	8,662	314	109.01

विवरण-I(च)

वर्ष 2013-14 (30.11.2013 तक) के दौरान खेल मैदानों के विकास हेतु पायका योजना के अंतर्गत अनुमोदित और जारी अनुदान के लिए ग्राम/ब्लॉक पंचायतों की राज्य-वार संख्या

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	खेल - मैदानों के विकास और अनुरक्षण हेतु		
		ग्राम पंचायतों की संख्या	ब्लॉक पंचायतों की संख्या	जारी निधि*
1.	अरुणाचल प्रदेश	355	32	7.27
2.	कर्नाटक	565	18	10.20
3.	मध्य प्रदेश	2,304	31	32.55
4.	मिज़ोरम	245	8	4.10
5.	नागालैंड	438	22	5.99
6.	तमिलनाडु	—	—	6.58
7.	त्रिपुरा	208	10	4.30
8.	उत्तराखंड	1,511	17	22.84
	कुल	5,626	138	93.83

विवरण-I(छ)

2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 दौरान ब्लॉक/जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर वार्षिक प्रतियोगिता के आयोजन के लिए जारी राज्य-वार निधि

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/साई/एनवाईकेएस को जारी राशि (करोड़ रुपए)								
		2008-09 (साई के माध्यम से)	2009-10 (साई के माध्यम से	2010-11			2011-12			
				ग्रामीण प्रतियोगिताएं	महिलाओं की प्रतियोगिताएं	कुल	ग्रामीण प्रतियोगिताएं	महिलाओं की प्रतियोगिताएं	पूर्वोत्तर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	0.78	0.95	11.26	–	11.26	–	–	–	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.93	–	2.05	–	2.05	–	–	–	–
3.	असम	1.88	–	2.96	0.38	3.34	–	–	–	–
4.	बिहार	–	3.42	6.19	–	6.19	–	–	–	–
5.	छत्तीसगढ़	–	1.17	2.01	–	2.01	1.95	0.28	–	2.23
6.	गोवा	–	–	0.18	0.08	0.26	–	–	–	–
7.	गुजरात	–	–	2.69	–	2.69	–	–	–	–
8.	हरियाणा	–	1.10	1.50	0.31	1.81	1.51	0.09	–	1.60
9.	हिमाचल प्रदेश	–	0.70	1.18	0.15	1.33	1.11	0.13	–	1.24
10.	जम्मू और कश्मीर	–	–	2.10	–	2.10	–	–	–	–
11.	झारखंड	–	–	2.81	0.35	3.16	–	–	–	–
12.	कर्नाटक	–	1.42	2.52	0.42	2.94	2.17	–	–	2.17
13.	केरल	–	–	1.32	–	1.32	–	0.23	–	0.23
14.	मध्य प्रदेश	–	2.64	4.13	0.66	4.79	4.37	0.54	–	4.91
15.	महाराष्ट्र	–	–	3.88	0.48	4.36	–	–	–	–
16.	मणिपुर	–	0.47	–	–	0	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	मेघालय	—	—	0.67	0.12	0.79	—	—	0.08	0.08
18.	मिज़ोरम	—	0.37	0.58	0.13	0.71	—	—	0.10	1.10
19.	नागालैंड	—	0.56	—	0.13	0.13	—	—	—	—
20.	ओडिशा	—	2.11	3.85	0.42	4.27	—	—	—	—
21.	पंजाब	1.97	1.18	1.55	0.30	1.85	—	—	—	—
22.	राजस्थान	—	1.93	—	—	0.00	1.72	—	—	1.72
23.	सिक्किम	—	0.32	—	—	0.00	1.12	—	0.08	1.20
24.	तमिलनाडु	—	2.63	4.66	0.44	5.10	—	—	—	—
25.	त्रिपुरा	0.37	0.36	0.67	0.11	0.78	0.60	0.11	0.09	0.79
26.	उत्तर प्रदेश	—	2.55	9.47	—	9.47	8.20	—	—	8.20
27.	उत्तराखंड	—	1.03	1.38	0.09	1.47	1.29	0.11	—	1.40
28.	पश्चिम बंगाल	—	—	3.31	—	3.31	—	—	—	—
	संघ राज्य क्षेत्र									
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—	—	0.00	—	—	—	—
30.	चंडीगढ़				0.03	0.03	—	—	—	—
	कुल	5.93	24.91	72.92	4.60	77.52	24.03	1.49	0.35	25.87
31.	राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं साई को जारी किया गया		—	—	—	0.00	2.60	—	2.50	5.10
32.	एनवाईकेए को ग्रामीण और अंतर विद्यालयी स्पर्धा आयोजित करने के लिए		—	10.53	—	10.53	—	—	—	—
	सकल योग	5.93	24.91	83.45	4.60	88.05	26.63	1.49	2.85	30.97

विवरण-I(ज)

वार्षिक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए वर्ष 2012-13 के दौरान पायका स्कीम के अंतर्गत जारी की गई राज्य-वार निधियां

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ग्रामीण प्रतियोगिताएं	महिलाओं की प्रतियोगिताएं	पूर्वोत्तर खेल	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	11.16	0.34	—	11.50
2.	छत्तीसगढ़	1.99	0.32	—	2.31
3.	हरियाणा	0.62	0.23	—	0.85
4.	हिमाचल प्रदेश	1.12	0.14	—	1.26
5.	कर्नाटक	2.58	0.69	—	3.27
6.	मध्य प्रदेश	4.18	0.57	—	4.75
7.	महाराष्ट्र	3.44	—	—	3.44
8.	मणिपुर	0.75	0.17	0.10	1.02
9.	मेघालय	0.67	—	—	0.67
10.	मिज़ोरम	1.06	0.13	0.10	1.29
11.	नागालैंड	0.91	—	0.12	1.03
12.	ओडिशा	3.86	0.53	—	4.39
13.	पंजाब	—	0.24	—	0.24
14.	राजस्थान	3.42	0.46	—	3.88
15.	सिक्किम	1.12	—	—	1.12
16.	तमिलनाडु	0.81	0.44	—	1.25
17.	त्रिपुरा	0.76	0.16	—	0.92
18.	उत्तराखंड	1.18	0.10	—	1.28
	कुल	39.63	4.52	0.32	44.47

विवरण-I(झ)

वार्षिक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए वर्ष 2012-13 के दौरान (30.11.2013 तक) पायका स्कीम के अंतर्गत जारी की गई राज्य-वार निधि

क्र. सं.	राज्य	ग्रामीण प्रतियोगिताएं	महिलाओं की प्रतियोगिताएं	उत्तर पूर्वी खेल	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0.70	0.13	—	0.83
2.	मध्य प्रदेश	4.10	0.55	—	4.65

1	2	3	4	5	6
3.	मिज़ोरम	0.58	0.13	0.10	0.81
4.	पंजाब	3.28	0.45	—	3.74
5.	तमिलनाडु	2.17	0.57	—	2.74
6.	त्रिपुरा	0.67	0.15	0.10	0.92
7.	उत्तराखंड	1.10	0.10	—	1.20
	कुल	12.61	2.08	0.20	14.89

विवरण-I(ज)

वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान पायका के अंतर्गत आयोजित वार्षिक खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2008-09 (वार्षिक प्रतियोगिताएं) प्रतिभागियों की संख्या			2009-10 (वार्षिक प्रतियोगिताएं) प्रतिभागियों की संख्या		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	78081	56016	1,34,097	78153	57058	1,35,211
2.	अरुणाचल प्रदेश	17412	11898	29310	27232	19600	46832
3.	असम	96429	43471	1,39,900	13	8	21*
4.	बिहार	87	56	143*	105	56	161*
5.	छत्तीसगढ़	85	49	134*	52834	36051	88885
6.	गोवा	92	64	156*	—	—	—
7.	गुजरात	95	69	164*	87507	66852	1,54,359
8.	हरियाणा	97	70	167*	43657	32570	76227
9.	हिमाचल प्रदेश	2771	2369	5140	13314	8015	21329
10.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—	—	—
11.	झारखंड	80	60	140*	—	—	—
12.	कर्नाटक	97	71	168*	65933	47651	1,13,584
13.	केरल	82	67	149*	56177	19310	75487
14.	मध्य प्रदेश	93	66	159*	98570	49733	1,48,303
15.	महाराष्ट्र	95	71	166*	119509	86240	2,05,749
16.	मणिपुर	—	—	—	93	97	190*
17.	मेघालय	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	मिज़ोरम	11836	8156	19992	13624	8134	21758
19.	नागालैंड	—	—	—	14892	7361	22253
20.	ओडिशा	37479	26888	64367	37514	27382	64896
21.	पंजाब	86993	33425	1,20,418	72303	43181	1,15,484
22.	राजस्थान	—	—	—	82237	62254	1,44,491
23.	सिक्किम		—	—	8370	7198	15568
24.	तमिलनाडु	97	71	168*	246336	150899	3,97,235
25.	त्रिपुरा	10098	6761	16859	9415	6101	15516
26.	उत्तर प्रदेश	130163	59422	189585	190299	112409	3,02,708
27.	उत्तराखंड				9774	6949	16723
28.	पश्चिम बंगाल	42	44	86*	47124	18649	65773
	संघ राज्य क्षेत्र						
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—	—	—	—
30.	चंडीगढ़	—	—	—	—	—	—
31.	दादरा और नगर हवेली	—	—	—	—	—	—
32.	दमन और दीव	—	—	—	—	—	—
33.	दिल्ली	25	26	51*	117	84	201*
34.	पुदुचेरी						
	कुल	4,72,329	2,49,190	7,21,519	13,75,102	8,73,842	22,48,944

*केवल राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के प्रतिभागी।

—जारी

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2010-11 (वार्षिक प्रतियोगिताएं)			2011-12 (वार्षिक प्रतियोगिताएं)		
		प्रतिभागियों की संख्या			प्रतिभागियों की संख्या		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	2	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	339848	318971	658819	188692	1,36,711	325403
2.	अरुणाचल प्रदेश	1638	1170	2808	12588	9,622	22210
3.	असम	9724	5488	15212	76359	46,208	122567
4.	बिहार	105738	65428	171166	—	—	0
5.	छत्तीसगढ़	60102	40298	100400	64649	83,101	147750
6.	गोवा	1743	1542	3285	—	—	0

1	2	9	10	11	12	13	14
7.	गुजरात	7,523	5,791	13,314	—	—	0
8.	हरियाणा	90,129	81,865	1,71,994	55,462	65,739	1,21,201
9.	हिमाचल प्रदेश	19,120	26,095	45,215	24,000	23,159	47,159
10.	जम्मू और कश्मीर	53,850	6,634	60,484	45,231	9,003	54,234
11.	झारखंड	8,709	6,348	15,057		—	0
12.	कर्नाटक	90,884	1,09,802	2,00,686	82,443	1,22,044	2,04,487
13.	केरल	41,623	23,277	64,900	60,209	31,643	91,852
14.	मध्य प्रदेश	1,17,471	89,111	2,06,582	1,09,426	95,274	2,04,700
15.	महाराष्ट्र	1,81,062	1,41,011	3,22,073	1,30,860	1,23,891	2,54,751
16.	मणिपुर	4,745	2,912	7,657	—	—	0
17.	मेघालय	18,871	16,715	35,586	—	—	0
18.	मिज़ोरम	26,473	21,489	47,962	13,239	7,771	21,010
19.	नागालैंड	4,943	23,,478	28,421	—	—	0
20.	ओडिशा	1,22,030	1,21,510	2,43,540	—	—	0
21.	पंजाब	82,411	55,594	1,38,005	68,655	49,925	1,18,580
22.	राजस्थान	67,581	30,994	98,575	—	—	0
23.	सिक्किम	1,542	955	2,497	30,139	25,950	56,089
24.	तमिलनाडु	392,306	3,98,490	7,90,796	1,57,202	98,830	2,56,032
25.	त्रिपुरा	13,800	18,664	32,464	9,710	16,825	26,535
26.	उत्तर प्रदेश	3,98,733	1,80,957	5,79,,690	3,47,261	2,10,921	5,58,182
27.	उत्तराखंड	78,762	67,063	1,45,825	1,26,935	33,771	1,60,706
28.	पश्चिम बंगाल	66,737	25,589	92,326	39,350	19,135	58,485
	संघ राज्य क्षेत्र						
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	148	148	296			
30.	चंडीगढ़	827	541	1,368			
31.	दादरा और नगर हवेली	623	503	1,126			
32.	दमन और दीव	810	123	933			
33.	दिल्ली	4557	3,626	8,183			
34.	पुदुचेरी	2437	1,651	4,088			
	कुल	24,17,500	18,93,833	43,11,333	16,42,410	12,09,523	28,51,933

विवरण-I(ट)

वर्ष 2012-13 के दौरान पायका के अंतर्गत आयोजित वार्षिक खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों की राज्य-वार

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ग्रामीण प्रतियोगिताएं			महिलाओं की प्रतियोगिताएं	पूर्वोत्तर खेल			सकल कुल		
		पुरुष	महिला	कुल		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	811,517	677,752	1,489,269	8,573			—	811,517	686,325	1,497,842
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	75	49	124	75	49	124
3.	असम	—	—	—	20	103	98	201	103	118	221
4.	बिहार	—	—	—	90	—	—	—	—	90	90
5.	छत्तीसगढ़	42,080	33,042	75,122	39,882	—	—	—	42,080	72,924	115,004
6.	गोवा	2,966	2,418	5,384	3,499	—	—	—	2,996	5,917	8,883
7.	गुजरात	103	92	195	81	—	—	—	103	173	276
8.	हरियाणा	68,002	46,778	114,780	33,529	—	—	—	68,002	80,307	148,309
9.	हिमाचल प्रदेश	17,424	12,128	29,552	10,087	—	—	—	17,424	22,215	39,639
10.	जम्मू और कश्मीर	33,974	7,975	41,494	—	—	—	—	33,974	7,975	41,949
11.	झारखंड	36,773	26,357	63,130	8,247	—	—	—	36,773	34,604	71,377
12.	कर्नाटक	88,554	61,645	150,199	65,115	—	—	—	88,554	126,760	215,314
13.	केरल	51,270	22,606	73,876	7,360	—	—	—	51,270	29,966	81,236
14.	मध्य प्रदेश	110,197	75,788	185,985	25,098	—	—	—	110,197	100,886	211,083
15.	महाराष्ट्र	136,268	104,187	240,455	17,959	—	—		136,268	122,146	258,414
16.	मणिपुर	80	72	152	112	104	99	203	184	283	467

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	मेघालय	22,422	16,870	39,292	4,564	92	58	150	22,514	21,492	44,006
18.	मिज़ोरम	13,348	8,741	22,089	2,139	8,239	6,751	14,990	21,587	17,631	39,218
19.	नागालैंड	5	3	8		81	50	131	86	53	139
20.	ओडिशा	115,536	76,551	192,087	54,345				115,536	130,896	246,432
21.	पंजाब	2,620	2,058	4,678	12,691				2,620	14,749	17,369
22.	राजस्थान	88,922	48,585	137,507	22,467				88,922	71,052	159,974
23.	सिक्किम					31	21	52	31	21	52
24.	तमिलनाडु	189,071	118,150	307,221	60,468				189,071	178,618	367,689
25.	त्रिपुरा	14,627	13,340	27,967	12,267	71	52	123	14,698	25,659	40,357
26.	उत्तर प्रदेश	296,894	182,719	479,613	125				296,894	182,844	479,738
27.	उत्तराखंड	33,364	23,039	56,403	17,127				33,364	40,166	73,530
28.	पश्चिम बंगाल	36,671	17,549	54,220					36,671	17,549	54,220
29.	दादरा और नगर हवेली	8	5	13					8	5	13
30.	दिल्ली	91	76	167	112				91	188	279
	कुल	2,212,787	1,578,526	3,791,313	405,957	8,796	7,178	15,974	2,221,583	1,991,661	4,213,244

विवरण-II

यूएसआईएस के अंतर्गत जारी की गई धनराशि

2010-11 (करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	परियोजना	अनुमोदित अनुदान	जारी अनुदान
1	2	3	4	5
1.	हिमाचल प्रदेश	इंद्रा स्टेडियम ऊना में सिंथेटिक हॉकी सतह बिछाना	5.00	3.50
2.	मिज़ोरम	ब्वाइज हॉकी अकादमी क्वानपुर में सिंथेटिक हॉकी सतह बिछाना	5.00	4.00
3.	पंजाब	तरन तारन में बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का निर्माण	3.98	2.00
4.	पश्चिम बंगाल	खुदी राम अनुशीलन, इडन गार्डन, कोलकाता में इंडोर खेल परिसर का नवीकरण/संशोधन और आधुनिकीकरण	6.00	3.00
		कुल	19.98	12.50
2011-12				
1.	ओडिशा	कलिंगा स्टेडियम खेल परिसर में सिंथेटिक हॉकी सतह बिछाना	5.00	5.00
2.	मध्य प्रदेश	रानीताल खेल परिसर जबलपुर में सिंथेटिक हॉकी सतह बिछाना	4.81	3.62
3.	राजस्थान	उमेद स्टेडियम जोधपुर में बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का निर्माण	6.00	4.50
4.	नागालैंड	इंदिरा गांधी स्टेडियम कोहिमा में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बिछाना	5.00	3.00
5.	मिज़ोरम	मुआलपुई आइजवाल में बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का निर्माण	6.00	4.50
6.	मेघालय	जे.एन. खेल परिसर शिलांग में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बिछाना	5.50	4.30
7.	असम	साई-एसएजी सेंटर तिनसुकिया में बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का निर्माण	6.00	3.20
8.	जम्मू और कश्मीर	टीआरसी ग्राउंड श्रीनगर में फुटबाल टर्फ ग्राउंड का निर्माण	4.50	4.47
9.	पुदुचेरी	टैगोर आर्टस कॉलेज ग्राउंड लाउसपेट में बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का निर्माण	6.00	3.54
10.	केरल	नेहरू स्टेडियम कोट्टायम में बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का निर्माण	6.00	3.87
		कुल	54.81	40..00
2012-13				
1.	हरियाणा	खेल परिसर, हिसार में सिंथेटिक हॉकी खेल का मैदान (सामान्य प्रकाश व्यवस्था सहित) बनाना	5.00	3.75
2.	मणिपुर	सेनापति जिला मुख्यालय में बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का निर्माण	6.00	1.80

1	2	3	4	5
3.	हरियाणा	दरियापुर, जिला फतेहाबाद में फुटबॉल के लिए कृत्रिम टर्फ बिछाना	4.50	3.50
4.	छत्तीसगढ़	कोंडागांव, जिला कोंडागांव में बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का निर्माण	5.00	1.79
5.	राजस्थान	करौली, जिला करौली में बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का निर्माण	6.00	1.80
6.	ओडिशा	कलिंगा राज्य खेल परिसर, भुवनेश्वर में बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का निर्माण	6.00	1.80
7.	तमिलनाडु	वाडुवर हायर सैकेंडरी स्कूल, जिला थिरुवरसर में बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का निर्माण	6.00	1.80
8.	ओडिशा	कलिंगा राज्य खेल परिसर, भुवनेश्वर में फुटबाल टर्फ बिछाना	4.50	3.50
9.	अरुणाचल प्रदेश	खेल परिसर, चिम्पू, इटानगर में एस्ट्रो टर्फ हॉकी फील्ड बिछाना	5.00	1.26
10.	राजस्थान	अलवर, राजस्थान में बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का निर्माण	6.00	1.00
11.	मिज़ोरम	ब्यॉज हॉकी अकादमी, क्वानपुई में हॉकी एस्ट्रो टर्फ बिछाने की परियोजना, दिनांक, 24 मार्च, 2011 (2010-11) में मंजूरी दी गई थी, की शेष किस्त	शून्य	1.00
		कुल	54.98	23.00

2013-14 (30 नवम्बर, 2013 तक)

1.	गोवा	चौडी, कैनाकोना गोवा में बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का निर्माण	6.00	3.75
2.	केरल	केलिकट यूनिवर्सिटी, केरल में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बिछाना	5.50	3.00
3.	उत्तराखंड	काशीपुर जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड में बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का निर्माण	6.00	1.80
4.	मिज़ोरम	छंगफुत खेल-मैदान चमफाइ, मिज़ोरम में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बिछाना	4.50	3.00
5.	मिज़ोरम	सजाईकांन, लूंगई शहर मिज़ोरम में बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का निर्माण	6.00	1.80
6.	पंजाब	वार हीरोज स्टेडियम, संगरुर में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बिछाना	5.50	3.00
7.	उत्तर प्रदेश	श्री मेघवरन सिंह स्टेडियम कर्मपुर, सईदपुर, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में सिंथेटिक हॉकी ट्रैक बिछाना	5.00	3.00
8.	जम्मू और कश्मीर	लेह, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर में बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का निर्माण	6.00	1.80
9.	आंध्र प्रदेश	कृषि विश्वविद्यालय बापाटला, गंटूर जिला, आंध्र प्रदेश में बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का निर्माण	6.00	1.80
10.	उत्तराखंड	महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज, रायपुर, देहरादून उत्तराखंड में सिंथेटिक ट्रैक हॉकी फील्ड बिछाना	5.00	1.80
		कुल	55.50	22.80

[अनुवाद]

नर्सिंग कॉलेज

1787. श्री पी. करुणाकरन : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं (एएफएमएस) के अंतर्गत चल रहे नर्सिंग कॉलेजों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

रक्षा भूमि की अदला-बदली

1788. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार से एमआईएचएएन परियोजना, नागपुर से भूमि की अदला-बदली हेतु हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुमोदन हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रस्ताव की नवीनतम स्थिति क्या है; और

(घ) इस प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है और विलंब यदि कोई हैं, तो क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) जी, हां। नागपुर के वर्तमान हवाई अड्डे के मल्टी मॉडल इंटरनेशनल हब एयरपोर्ट में विकसित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने वायु सेना स्टेशन, नागपुर के स्वामित्वाधीन 278 हैक्टेयर भूमि के हस्तान्तरण का प्रस्ताव किया है जिसके बादले में राज्य सरकार द्वारा 400 हैक्टेयर भूमि भारतीय वायु सेना (आईएएफ) को हस्तांरित की जानी है इस प्रस्ताव पर सरकार द्वारा सैद्धांतिक रूप से सहमति दी गई है।

(ग) और (घ) भारतीय वायु सेना और महाराष्ट्र एयरपोर्ट विकास कंपनी (एमएडीसी) जो महाराष्ट्र सरकार की एक कम्पनी है, के बीच भूमि के हस्तांतरण/आदान-प्रदान के लिए प्रारुप समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया जाना, नागपुर एयरपोर्ट, जो वर्तमान में भारतीय वायु सेना के स्वामित्व केअंतर्गत है, पर 288.74 एकड़ भूमि के संबंध में स्वामित्व/पट्टे के संबंध में भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण के दावे के कारण लम्बित था। इस मुद्दे को हल कर लिया गया है। समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिये जाने और भारतीय वायु सेना के हवाई प्रचालनों का स्थान परिवर्तन करने के लिए राज्य सरकार और भारतीय वायु सेना द्वारा नई जगह पर समयबद्ध आधारभूत संरचना के सृजन के बाद भूमि का आदान-प्रदान किया जाएगा।

[अनुवाद]

विद्युत परियोजनाओं को अनुमति

1789. श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ :
श्री प्रदीप कुमार सिंह :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देशभर में विद्युत परियोजनाओं के लिए पर्यावरण संबंधी अनुमति देने में हो रही देरी के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पर्यावरण संबंधी अनुमति नहीं होने के कारण सरकार के पास लंबित विद्युत परियोजना संबंधी प्रस्तावों का कर्नाटक में कुडगी सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विद्युत परियोजनाओं की उत्पादन क्षमता पर पर्यावरण संबंधी अनुमति देने में हो रही ऐसी देरी के पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को नोट किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी परियोजनाओं को पर्यावरण संबंधी अनुमति शीघ्र देने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस उपाय किए जा रहे हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) समझा जाता है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय में विभिन्न अवधियों की विद्युत परियोजनाएं पर्यावरण मंजूरी के लिए लंबित है। इन परियोजनाओं के लंबित रहने का मुख्य कारण यह है कि परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) रिपोर्ट तथा पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) से संबंधित पूरी सूचना जो पर्यावरण मंजूरी के लिए प्रस्तुत परियोजनाओं के लिए अपेक्षित होती हैं, मंत्रालय को प्रस्तुत नहीं करते हैं तथा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 2006 और मंत्रालय के द्वारा जारी परिपत्रों में निर्धारित प्रक्रिया का भी पालन नहीं करते हैं।

(ख) मंत्रालय में 31 विद्युत परियोजनाएं पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लंबित है। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। मंत्रालय द्वारा 25.01.2012 को 3×800 मेगावाट (चरण-1) के कुडगी सुपर ताप विद्युत संयंत्र, गांव कुडगी, बासवाना बागेवाडी तालुक, जिला बीजापुर, कर्नाटक को पर्यावरणीय स्वीकृत प्रदान की गई थी।

(ग) से (ङ) मंत्रालय ने ईआईए अधिसूचना, 2006 में यथा अधिदेशित क्षेत्र विशिष्ट विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियां गठित करके, प्रत्येक माह विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों को नियमित बैठकें आयोजित करके, परियोजना प्रस्तावकों द्वारा ईआईएईएमपी रिपोर्टें को बेहतर ढंग से तैयार करने को सुविधाजनक बनाने के लिए क्षेत्र विशिष्ट मैनुअल तैयार करके और उन्हें मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोट करके, परियोजनाओं के संबंध में समय पर निर्णय लेने को सुविधाजनक बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

विवरण

31.11.2013 की स्थिति के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लंबित 31 विद्युत परियोजनाओं की सूची

1. **अरुणाचल प्रदेश**

(i) मैसर्स जेपी अरुणाचल पावर लि. द्वारा जिला पश्चिमी सियांग, अरुणाचल प्रदेश में हिरोंग जल विद्युत परियोजना (500 मेगावाट)।

(ii) मैसर्स नेमिंग डीएससी पावर लि. द्वारा जिला पश्चिमी सियांग, अरुणाचल प्रदेश में नेयिंग जल विद्युत परियोजना (1000 मेगावाट)।

(iii) मैसर्स एनएचपीसी लि. द्वारा जिला दिबांग वैली... अरुणाचल प्रदेश में दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना (3000 मेगावाट)

(iv) मैसर्स कंगतंगश्री एचईपी लि. द्वारा जिला पश्चिमी सियांग, अरुणाचल प्रदेश में हिरोंग जल विद्युत परियोजना (80 मेगावाट)।

2. **बिहार**

(i) मैसर्स बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लि. द्वारा ग्राम बरौनी, जिला बेगुसराय, बिहार में वर्तमान बीटीपीएस की यूनिट के समीप 2×250 मेगावाट की बरौनी विस्तार ताप विद्युत परियोजना।

3. **छत्तीसगढ़**

(i) मैसर्स कोरबा वेस्ट पावर कंपनी लि. द्वारा ग्राम बड़े भंडार, सरवनी और आमली भौना, तहसील पस्सोर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ में कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना (चरण-II) में 2×600 मेगावाट की वृद्धि करके उसका विस्तार करना।

(ii) मैसर्स एमबी पावर (छत्तीसगढ़) लि. द्वारा ग्राम बिर्रा, सिलादेशी और गतवा, तालुक बामनिधि, जिला जंगीर चम्पा, छत्तीसगढ़ में 2×600 मेगावाट की कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना।

(iii) मैसर्स लेंकों अमरकंटक पावर लि. द्वारा तहसील एवं जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ में आयातित कोयले पर आधारित ताप विद्युत परियोजना में 2×600 मेगावाट की वृद्धि करके उसका विस्तार करना।

4. **गुजरात**

(i) जीआईपीसीएल-एसएलपीपी स्टेशन-प्प्: मैसर्स गुजरात इंडस्ट्रीज पावर मंपनी लि. द्वारा ग्राम नानी नरोली, तालुक मंगरोल, जिला सूरत, गुजरात में 2×300 मेगावाट की वृद्धि करके उसका विस्तार करना।

5. **हरियाणा**

(i) मैसस न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एनपीसीआईएल) द्वारा ग्राम गोरखपुर, जिला फतेहाबाद, हरियाणा में हरियाणा परमाणु विद्युत परियोजना (4×700 मेगावाट)।

6. **हिमाचल प्रदेश**

(i) मैसर्स डीसीएम श्रीराम इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. द्वारा जिला लाहौल और स्पीति, हिमाचल प्रदेश में छतरू जल विद्युत परियोजना (120 मेगावाट)।

7. **झारखंड**

(i) मैसर्स टाटा पाावर कंपनी लि. द्वारा चारा, पोर्का, कुडा और सिर्काडीह, तहसील इच्छागढ़, जिला सरायकेला, झारखंड में प्रस्तावित 1980 मेगावाट (3×600 मेगावाट) की कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना।

8. **कर्नाटक**

(i) मैसर्स जमखंडी शुगर्स लि. द्वारा ग्राम नाडकेडी, तालुक इंडी, जिला बिजापुर, कर्नाटक में 27 मेगावाट का को-जेनरेशन विद्युत संयंत्र।

(ii) मैसर्स पावर कॉर्पोरेशन लि. द्वारा जिला हसन और दक्षिण कन्नड, कर्नाटक में गुंडिया जल विद्युत परियोजना (200 मेगावाट)।

9. **मध्य प्रदेश**

(i) मैसर्स एसजेके पावरजेन लि. द्वारा ग्राम लालापुर, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश में 2×600 मेगावाट की सुपर-क्रिटिकल टेक्नोलोजी आयातित कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना।

(ii) मैसर्स झबुआ पावर कंपनी द्वारा ग्राम बरेला और गोरखपुर, तहसील धनसोर, जिला शिवानी, मध्य प्रदेश में कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना (चरण-II) में 1×660 मेगावाट की वृद्धि करके उसका विस्तार करना।

(iii) मैसर्स द्वारकेश एनर्जी लि. द्वारा ग्राम तोरनिया, छिणीपुरा और रामपुरी, तहसील न्यू हरसूद, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश में 320 मेगावाट (2×600 मेगावाट) का सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र।

(iv) मैसर्स गेल इंडिया लि. द्वारा ग्राम विजयपुर, जिला गूना, मध्य प्रदेश में 380 मेगावाट का गैस आधारित संयुक्त चक्र विद्युत संयंत्र।

(v) मैसर्स जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जिला सागर, मध्य प्रदेश में बीना कॉप्लैक्स सिंचाई और बहु-उद्देशीय परियोजना (24 मेगावाट + 10 मेगावाट)।

10. **महाराष्ट्र**

(i) मैसर्स श्री विट्ठल सहकारी शक्कर कारखाना लि. द्वारा ग्राम वेणुनगर, डाकघर गुरसले, तालुक पंधरपुरिन, जिला शोलापुर, महाराष्ट्र में बेगैस आधारित को-जेनरेशन विद्युत परियोजना में 19.8 मेगावाट की वृद्धि करके उसका विस्तार करना।

(ii) मैसर्स दी टाटा कंपनी लि. द्वारा माहुल रोड, जिला चेम्बुर, मुंबई में ट्रॉम्बे ताप विद्युत केन्द्र में ईंधन को एलएसएचएस/एलएसएफओ से बदल कर आयातित कोयला करके वर्तमान ईकाई -6का आधुनिकीकरण करना।

(iii) मैसर्स लोकमंगल मौली इंडस्ट्रीजल लि. द्वारा ग्राम रवेड, तालुक लोहारा जिला उस्मानाबाद (महाराष्ट्र) में 30 मेगावाट का बेगैस और बॉयोमास आधारित विद्युत संयंत्र।

11. **ओडिशा**

(i) मैसर्स सहारा इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लि. द्वारा ग्राम घंटबहल, मोहदा और भलेगांव, तहसील तितिलगढ़, जिला बोलनगीर, ओडिशा में 2×660 मेगावाट की कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना।

(ii) मैसर्स भूषण स्टील लि. द्वारा मीरामंडली, जिला धेनकनाल, ओडिशा में (175+3×27) 256 मेगावाट का सीएफबीसी आयातित कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र।

(i) मैसर्स भूषण एनर्जी लि. द्वारा मीरामंडली, जिला धेनकनाल, ओडिशा में (165+20) 185 मेगावाट का सीएफबीसी आयातित कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र।

12. **सिक्किम**

(i) मैसर्स एनएचपीसी लि. द्वारा जिला नार्थ सिक्किम, सिक्किम में तीस्ता-IV जल विद्युत परियोजना।

13. **उत्तर प्रदेश**

(i) मैसर्स वेल्सपुर एनर्जी उत्तर प्रदेश प्रा.लि. द्वारा जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में 2×600 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना।

(ii) मैसर्स पशुपति एक्रिलोन लि. द्वारा ठाकुरद्वारा, जिला मुदाबाद, उत्तर प्रदेश में 50 टीपीएचएफबीसी के बॉयलर तथा 8 मेगावाट के कैप्टिलव विद्युत संयंत्र की स्थापना।

(iii) मैसर्स नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लि. द्वारा घाटमपुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश में 1980 मेगावाट का घाटमपुर ताप विद्युत केन्द्र (2×600 मेगावाट)

14. **उत्तराखंड**

(i) मैसर्स टीएचडीसी इंडिया लि. द्वारा उत्तराखंड के चमोली जिले में जेलम तमक जल विद्युत परियोजना (108 मेगावाट)।

15. **पश्चिम बंगाल**

(i) मैसर्स एमसीसी पीटीए इंडिया कॉर्पोरेशन प्रा.लि. द्वारा ग्राम भुमराईचक, जिला इल्दिया, पश्चिम बंगाल में 2×20 मेगावाट का कोयला आधारित ताप विद्यफत संयंत्र।

हार्बर विभाग में रिक्त पद

1790. श्री हमदुल्लाह सईद : क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स (एएलएचडब्ल्यू) विभाग में बहुत से आवश्यक पद रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्तमान में एएलएचडब्ल्यू विभाग में वेल्डर के स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान वेल्डर के कितने पद रिक्त पड़े हैं एवं इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन) : (क) अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण कार्य (अ.ल.ब.नि.का.) में कुछ अनिवार्य पद रिक्त हैं और वर्तमान में उन्हें भरने की प्रक्रिया चल रही है।

(ख) अ.ल.ब.नि.का. में रिक्त कुछ अनिवार्य पदों में शामिल हैं:—

(i) कार्यकारी अभियंता (मकैनिकल)-1 पद। इस पद को अदालती मुकदमे के कादण नहीं भरा जा सका।

(ii) कनिष्ठ अभियंता — 32 पद। यह पद चालू वर्ष में रिक्त हुए हैं और उन्हें भरने की प्रक्रिया चल रही है।

(ग) और (घ) वर्तमान में अ.ल.ब.नि.का. में वैल्डर का कोई पद खाली नहीं है।

[हिन्दी]

निर्यात के लिए प्रोत्साहन

1791. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आयात और निर्यात के लिए व्यापारियों को प्रदान किए गए प्रोत्साहन का ब्यौरा क्या है;

(ख) चीनी, खाद्यान्न, खाद्य तेल और ऑयल केक आयात-निर्यात हेतु अलग-अलग कितनी अनुदान राशि प्रदान की गई है;

(ग) ऐसे व्यापारियों/कंपनियों के नाम और पते क्या हैं जिन्हें इस तरह का व्यापार करने के लिए अनुदान के रूप में पांच करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की गई है;

(घ) कुछ उत्पाादों को ऊंची कीमत पर आयात करने एवं उसी उत्पाद को कम दर पर निर्यात करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) ऐसी कंपनियों की संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध उक्त अवधि के दौरान अनियमितता के मामले दर्ज हुए हैं एवं दोषी पाए गए व्यक्तियों/कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. ई.एम.एस. नाच्चीयप्पन) : (क) से (ग) वाणिज्य विभाग द्वारा किसी आयातक या निर्यातक को कोई अनुदान नहीं दिया जाता है। तथापि, बाजार पहुंच पहल (एमएआई) और बाजार विकास सहायता (एमडीए) के तहत निर्यात संवर्धन परिषदों और व्यापार निकायों को आंशिक रूप से वित्तपोषित किया जाता है। एमडीए दिशा-निर्देशों का ब्यौरा *http://www.commerce.nic.in/trade/mda-guidelines.pdf* और *http://www.commerce.nic.in/trade/mai_guide.pdf* पर उपलब्ध हैं। एमएआई दिशा-निर्देश *http://www.commerce.nic.in/trade/mai_guide.pdf* पर उपलब्ध है।

(घ) निजी कम्पनियों द्वारा सरकारी नीति के ढांचे के भीतर निर्यात और आयात के वाणिज्यिक निर्णय किए जाते हैं। सरकार ने अपने आयात के मूल्य से कम मूल्य पर किए जाने वाले निर्यात का अधिदेश नहीं दिया है।

(ङ) एमडीए और एमएआई के तहत किए गए वित्तपोषण के मामले में उपयोग प्रमाण-पत्रों पर जोर दिया जाता है तथा विधिवत रूप से मॉनीटर किया जाता है। किसी अनियमितता के लिए धन वापसी सहित समुचित कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

वन्य जीव अभ्यारण्य

1792. श्री पन्ना लाल पुनिया : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में वन्यजीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों में खनन पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके कब तक क्रियान्वित होने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं एवं सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (ग) भारत के उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) संख्या 202/1995 (टीएन गोदवर्मन तिरुमलपाद बनाम भारत संघ) में अपने दिनांक 4 अगस्त, 2006 के आदेश के द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत अधिसूचित राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के अंदर खनन वर्जित किया है। उक्त आदेश को कार्यान्वित किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

हटाया न गया कार्गो

1793. श्री एस. सेम्मलई : क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न बड़े पोतों पर भारी मात्रा में कार्गों को हटाया नहीं गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कार्गो को हटाने एवं पत्तनों पर कार्गो के अतिरिक्त प्रवाह हेतु प्रस्तावित अतिरिक्त संभारतंत्र एवं सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन) : (क) जी, नहीं महापत्तनों में कार्गो की निकासी समय से की जाती है और यह बड़ी मात्राओं में पड़ा नहीं रहता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) महापत्तनों में आने वाले अतिरिक्त कार्गो की निकासी के लिए घाटों और जेटियों के निर्माण, यंत्रिकरण, उपस्करों आदि के अधिग्रहण, प्रतिस्थापन आदि द्वारा अतिरिक्त सुविधाओं के सृजन के लिए कई परियोजनाएं सौंपी हैं। महापत्तनों ने वर्ष 2012-13 में 32 परियोजनाएं सौंपी हैं जो 6765.63 करोड़ रुपए की लागत पर 136.75 मिलियन टन प्रतिवर्ष (एमटीपीए) की अतिरिक्त क्षमता जोड़ेंगी और इस वर्ष नवंबर, 2013 तक, 13 परियोजनाएं सौंपी गई हैं जिनके परिणामस्वरूप 3831 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश पर 80.85 एमटीपीए की अतिरिक्त क्षमता का सृजन होगा।

[हिन्दी]

कपास/धागे का निर्यात

1794. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :
श्री अमरनाथ प्रधान :
श्री हरिभाऊ जावले :
श्री सुरेश कलमाडी :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कपास/धागे के निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष/देश-वार ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा घाटे को कम करने के लिए कपास/धागे के निर्यात में वृद्धि हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) सरकार द्वारा कपास/धागे के निर्यात हेतु नए बाजार तलाशने तथा भारतीय विनिर्माताओं के वैश्विक रूप से निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार केन्द्रित बाजार योजना के अंतर्गत कपास/सूत के निर्यात को निषिद्ध करने हेतु निर्यात व्यय को हटाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वस्त्र मिलों/संगठनों से इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा देश में कपास निर्यात नीति को पारदर्शी बनाने के लिए क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई;

(च) क्या सरकार के संज्ञान में आया है कि सरकार के विभिन्न विभागों ने पिछले दो वर्षों के दौरान कपास के उत्पादन के संबंध में भिन्न-भिन्न आंकड़े दिए हैं; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा चालू वर्ष के दौरान सरकारी एजेंसियों को कपास का कितना उत्पादन होने का अनुमान है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कपास यार्न के निर्यात में वृद्धि हुई है तथापि, कपास के निर्यात में भिन्न-भिन्न प्रवृत्ति देखने को मिली हैं।

(ख) और (ग) कपास और कपास यार्न के निर्यात (वर्ष/देश-वार) का ब्यौरा विवरण-I और II के रूप में संलग्न है। सरकार ने कपास/यार्न के निर्यात और वैश्विक तौर पर भारतीय विनिर्माण की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक में वृद्धि करने के लिए नए बाजारों की तलाश करने के विभिन्न उपवाय किए हैं जिसमें यार्न एक्सपो चाइना, हस्ताम्बुल यार्न फेयर, कोलम्बिया टेक्स आदि जैसे विश्व के महत्वपूर्ण मेलों में काफी संख्या में निर्यातकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना शामिल है। नए बाजारों के संबंध में टेक्सटाइल ईपीसी ब्लूमेनाऊ सिटी, ब्राजील, मास्को, रूस, सेनझेन, दक्षिणी चीन, हस्ताम्बुल, तुर्की, इजराइल, दुबई आदि में महत्वपूर्ण मेलों में ब्राजील पहुंच पहल योजना/बाजार विकास सहायता योजना के अंतर्गत प्रतिभागिता का आयोजन कर रहे हैं। इसके अलावा, वस्त्र क्षेत्र के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय भी किए गए हैं:—

(i) अध्याय 61 और अध्याय 62 (वस्त्र और क्लोदिंग) के अंतर्गत आने वाली मदों के संबंध में यूएसए और ईयू को निर्यात के लिए मार्किट लिंक्ड फोक्स उत्पाद योजना (एमएलएफपीएस) का 31 मार्च, 2014 तक विस्तार कर दिया गया है।

(ii) बाजार संपर्क फोकस उत्पाद योजना के अंतर्गत वूवन कॉटन फैब्रिक के निर्यात हेतु देशों की सूची में हांगकांग, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, एशियाई देशों का समूह, फिलिपिन्स आदि को शामिल कर लिया गया है।

(iii) एमएलएफपीएस के अंतर्गत ग्लव्स, मिटन्स और कॉटन फाइबर से भरे कॉटन के मिट्स की निर्यात सूची में 27 ईयू देशों को शामिल कर लिया गया है।

(iv) गुड़गांव को टाउन ऑफ एक्सपोर्ट्स एक्सेलेंस (टीईई) फॉर टेक्सटाइल्स में शामिल कर लिया गया है।

(v) 18.4.2013 को वस्त्र क्षेत्र से संबंधित लगभग 15 नए उत्पादों को फोकस उत्पाद योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।

(vi) वस्त्र क्षेत्र सहित विशिष्ट क्षेत्र हेतु 2012-13 की बजाय 2013-14 तक वृद्धिशील निर्यात प्रोत्साहन योजना का विस्तार कर दिया गया है।

(vii) सिलेसिलाए परिधान हेतु 2% की ब्याज सहायता योजना को 2013-14 के लिए भी बढ़ा दिया गया है तथा इसे बढ़ाकर 3% कर दिया गया है। अध्याय 63 की मदों को भी ब्याज सहायता योजना में शामिल कर लिया गया है।

(घ) और (ङ) आज की तारीख के अनुसार कपास/कपास यार्न के निर्यात के लिए फोकस मार्किट योजना के अंतर्गत कोई निर्यात प्रोत्साहन नहीं है। अत: उन्हें हटाने के प्रस्ताव का प्रश्न नहीं उठता।

(च) सरकार को कपास के उत्पादन के संबंध में विभिन्न आंकड़ों की जानकारी नहीं है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

कच्ची कपास (आईटीसी एचएस:5201) का वर्ष-वार (अक्तूबर-सितम्बर) निर्यात

(प्रत्येक 170 किग्रा. की मात्रा गांठ में)
मूल्य करोड़ रुपए में

क्र. सं.	देश	2010-11		देश	2011-12		देश	2012-13	
		गाठ में	मूल्य		मात्रा	मूल्य		मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	चीन गणराज्य	4770795.53	8700.40	बहरीन	5,986	11.27	बहामा	277	0.49
2.	बांग्लादेश	1102637.35	2067.11	बांग्लादेश गणराज्य	1559680	273714	बहरीन	6211	1064
3.	पाकिस्तान	629101.59	1563.58	बेल्जियम	219	0.46	बांग्लादेश गणराज्य	18,565,261	3438,89
4.	वियतनाम गणराज्य	196747.47	397.51	कम्बोडिया	289	0.45	बेल्जियम	63	0.14
5.	इण्डोनेश्यिा	236064.94	464.51	कनाडा	74	0.16	कनाडा	356	0.83
6.	हांग कांग	62249.35	136.06	ताइवान	98651	178.59	ताइवान	110,470	191.21
7.	चीन ताइपे	244153.41	319.13	चीन गणराज्य	10047330	18351.18	चीन गणराज्य	5,789,876	9680.89
8.	मलेशिया	200086.29	406.16	कांगी गणराज्य	576	1.07	जिबोटी	9,063	17.11
9.	थाइलैंड	67384.35	131.48	जिबोटी	1155	1.93	इथोपिया	2,799	5.22
10.	सिंगापुर	9358.35	19.45	जर्मनी	2017	4.32	जर्मनी	347	0.81
11.	तुर्की	60593.24	130.63	ग्रीस	1331	2.47	ग्रीस	1,742	3.14
12.	ईरान	0.29	0.00	हांग कांग	82059	139.05	ग्वाटेमाला	121	0.20
13.	जापान	8420.53	20.95	इण्डोनेशिया	157033	279.91	हांगकांग	176,795	297.40
14.	इटली	3125.06	7.16	इटली	11954	21.17	इंडोनेशिया	169,940	294.18
15.	कोरिया गणराज्य	16169.53	32.58	जापान	11797	33.31	ईरान	17,173	35.17

16.	जिबोटी	0.00	0.00	कोरिया गणराज्य	8270	14.42	इटली	13,729	23.10
17.	सं. अरब अमीरात	6502.47	13.67	मकाउ	1764	3.47	जापान	9,570	23.59
18.	बहरीन	6827.18	14.62	मलेशिया	98710	177.84	कोरिया गणराज्य	10,985	18.46
19.	मोरक्को	491.59	1.24	मारिशस	7335	13.51	मलेशिया	85,287	149.88
20.	म्यनमार	0.00	0.00	म्यनमार	3476	5.79	मालदीव	10	0.02
21.	अन्य देश	28165.76	57.10	मैक्सिको	272	0.78	मारिशस	306	0.55
	कुल	**7648874.29**	**14483.31**	मोरक्को	4065	7.67	म्यनमार	6,726	13.64
				नेपाल	2833	4.99	मोरक्को	5,304	9.14
				नाइजीरिया	0	0.00	नेपाल	3,812	7.24
				पाकिस्तान	440984	774.57	नीदरलैंड	121	0.20
				पुर्तगाल	1139	2.15	पाकिस्तान	1,126,247	1966.35
				रवांडा	43	0.16	पुर्तगाल	1,892	3.66
				सउदी अरब	0	0.00	सउदी अरब	353	0.53
				थाइलैंड	93572	161.04	सिंगापुर	68,187	114.64
				ट्यूनीशिया	2033	3.71	थाइलैंड	73,548	139.44
				तुर्की	26,963	48.09	ट्यूनीशिया	1,444	2.83
				संयुक्त अरब अमीरात	8901	15.43	बुर्की	30,122	55.76
				यूनाइटड किंगडम	775	1.27	सं. अरब अमीरात	6,674	12.24
				यूएसए	306	0.51	यूएसए	194	0.41
				वियतनाम गणराज्य	2,75,906	490.71	वियतनाम गणराज्य	541,246	944.84
				कुल	**1,29,57,499**	**23,488.59**	**कुल**	**10,136,254**	**17462.87**

(*स्रोत:* डीजीसीआईएण्डएस, कोलकाता)

विवरण-II

(मात्रा टन में)
(मूल्य लाख रुपए में

क्र.सं.	देश	2010–11		2011–12		2012–13		अप्रैल–अगस्त			
								2012–13		2013–14	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1.	चीन गणराज्य	83547.52	140660.54	162698.60	273827.72	386300.19	629862.99	128784.42	219964.57	242586.02	458184.75
2.	बांग्लादेश	133943.73	251525.87	125888.83	247999.43	149973.20	296602.90	65241.83	127553.68	51340.66	113208.55
3.	कोरिया गणराज्य	66436.63	132181.89	50882.69	99449.05	5651201	109303.87	16429 57	31772.56	17785.18	38381.63
4.	मिस्र गणराज्य	29946.64	52461.45	63084.69	106533.14	35894.24	68050 82	1351351	25450.25	14578.42	30381.33
5.	हांग कांग	25082.09	44967.98	19370.29	35860.38	40100.97	74645 95	14228 69	26276.86	14616.35	29604.69
6.	पेरू	17375.73	29517.50	24283.76	46599.29	49335.36	54714.38	12135.39	21723.74	13133.08	26692.30
7.	पुर्तगाल	24847.25	44397.79	24436.58	47461.66	3413413	64508.60	9835 82	17710.21	12312.41	25805.80
8.	कोलिम्बया	20455.72	31834.71	28173.60	47599.62	30044.32	50774 51	14266 53	23312.93	11585.09	22165.49
9.	तुर्की	22259.30	45203.67	9941.50	23987.30	11424.83	24065 19	202842	4436.15	9786.93	20753.92
10.	श्रीलंका	15076.72	28617.17	13772.81	29502.68	36763.37	32584 21	6280 84	12678.08	8410.45	20181.75
11.	पाकिस्तान	2521.83	5761.93	3570.45	8679.00	17130 75	39539 80	2740 40	7533.55	7019.12	17386.75
12.	वियतनाम गणराज्य	8908.20	14946.33	9077.55	16784.57	13515.07	25895 42	4844 11	8992.40	7504.04	16181.96
13.	जर्मनी गणराज्य	14060.80	29241.54	15173.99	35000.01	16773 17	37259.53	6745.32	14732.14	6078.85	15280.48
14.	ब्राजील	36279.95	61215.90	17382.68	32727.82	17847 94	34982.23	9317.94	17940.38	6177.96	13957.58
15.	इटली	15933.44	38939.73	13929.98	40354.80	12006.09	31856,43	5091 47	13169.03	4917.74	13353.58
16.	जापान	10301.13	28478.42	8928.33	31811.34	8487 46	24735.15	3703.44	9839.81	3364.56	12040.93
17.	मलेशिया	7179.71	13471.19	9610.12	15994.91	10070.94	18823 59	4310 26	7852.20	5432.45	11473.74
18.	ईरान	3146.20	5723.82	8239.25	14868.33	2277 91	4494.68	659.09	1269.68	5039.11	10606.96
19.	मारिशस	8579.35	15930.84	8591.06	17465.21	7370.60	14862.14	3080.90	5852.64	3480.82	8010.60
20.	पॉलैंड	10156.11	17127.74	10580.55	19281.75	10849.96	19964.21	411491	7180.48	3589.40	7719.95
21.	अन्य देश	140208.07	198462.81	124784.94	244668.34	162737.82	274566.84	76835.27	105129.54	55452.50	120111.27
	कुल	696246.12	1230668.82	752402.25	1436456.35	1109550.33	1932093.44	404188.13	710370.88	504191.14	1031484.01

स्रोत: भारतीय विदेश व्यापार के मासिक आंकडे, डीजीसीआईएस कोलकाता।

[अनुवाद]

पत्तनों का विकास

1795. श्री के.पी. धनपालन : क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कोयला आयात के प्रबंधन के लिए कोच्चि पत्तन सहित कुछ पत्तनों पर कुछ विशेष प्रबंध विकसित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार कोच्चि पत्तन के विकास के लिए कोई विशेष सहायता देने का भी विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2013-14 में कोयले के आयात की संभलाई के लिए निर्धारित की गई परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार ने वल्लापदम, कोचीन में अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर यानांतरण टर्मिनल (आईसीटीटी) के सामने सबवे के निर्माण हेतु वर्ष 2013-14 के लिए बजट में 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

विवरण

कोयला आयात की संभलाई के लिए वर्ष 2013-14 के लिए चिह्नित परियोजनाएं

क्र. सं.	पत्तन का नाम	परियोजना	क्षमता (एमटीपीए)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए में)
1.	वीओ चिदम्बरनार पत्तन, तूतीकोरिन	थर्मल कोयला और रॉक फॉस्फेट की संभलाई के लिए एनसीबी-III का विकास	728	420
2.	कोलकाता	हल्दिया डॉक परिसर में बार्ज जेटी-II	1.00	30
3.	इन्नौर	मौजूदउा गैर-टीएनईबी कोयला टर्मिनल का उन्नयन	2.00	100
4.	इन्नौर	टीएनईबी के लिए कोयला घाट संख्या 3 का निर्माण	9.00	150
5.	कोचीन	क्यू8-क्यू9 घंटों पर सामान्य कार्गो टर्मिनल का विकास (कोयला संभालाई का आधुनिकीकरण)	4.23	198

प्रवासी कामगार

1796. श्री हेमानंद बिसवाल : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में प्रवासी कामगारों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) प्रवासी परिवारों के कारण विस्थापित बच्चों की अनुमानित संख्या कितनी है एवं सरकार ने ऐसे परिवारों के बच्चों की सहायता के लिए क्या प्रयास किए हैं;

(ग) वर्तमान में ऐसे बच्चों की संख्या कितनी है जो प्रवासी कामगार हैं;

(घ) क्या सरकार प्रवासी बाल कामगारों को नियोजित करने वाले कारखानों और ईंट भट्टों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा देश में विशेषकर ओडिशा में प्रवास दर नियंत्रित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) प्रवास करने वाले परिवारों द्वारा विस्थापित बच्चों की संख्या से संबंधित आंकड़े श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा नहीं रखे

जाते। प्रवासी कामगारों परिवारों के बच्चों सहित बच्चों की सहायता करने के लिए, सरकार 1988 से राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम कार्यान्वित करती आ रही है। जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में छुड़ाए गए/हटाए गए बच्चचें को विशेष विद्यालयों में नामांकित किया जाता है जहां उन्हें ब्रिज शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पौषणहार, वजीफा, स्वास्थ्य देखभाल आदि प्रदान किए जाते हैं। प्रवासी कामगारों के रूप में काम करने वाले बच्चों से संबंधित कोई अलग से आंकड़े नहीं है।

(घ) से (च) जब कभी ईंट भट्टों और कारखानों में बाल श्रम की किसी घटना का पता चलता है तो राज्य सरकारें नियोक्ताओं विरुद्ध अभियोजन शुरू करती हैं। सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में किसी ग्रामीण परिवार जिसके प्रौढ़ सदस्य शारीरिक कार्य करने की स्वेच्छा व्यक्त करें, को एक वित्तीय वर्ष में सौ दिन के मजदूरी-रोजगार की गारंटी देकर लोगों की जीवनयापन सुरक्षा को बढ़ाना है। अधिनियम के अनुसार, रोजगार उस गांव की पांच किलोमीटर परिधि के अंदर प्रदान किया जाएगा जिसमें आवेदनकर्त्ता आवेदन करते समय रह रहा हो। अगर रोजगार ऐसी परिधि से बाहर प्रदान किया जाता है तो इसे ब्लॉक के भीतर ही प्रदान किया जाना होगा तथा श्रमिकों को 10% अतिरिक्त मजदूरी अदा करनी होगी। इस तरह, परिवार द्वारा मांग करने पर, स्थानीय रोजगार प्रदान करने में प्रवसन संकट कम होता है।

ओडिशा और आंध्र प्रदेश सरकार ने जून, 2012 में प्रवासी कामगारों के स्रोत और गंतव्य क्षेत्रों में कार्यकलापों के सहज कार्यान्वयन हेतु अंतर्राज्य समन्वय तंत्र को सुदृढ़ करना सुविधाजनक बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

विवरण

जनगणना 2001 के अनुसार कुल प्रवासी कामगार

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रवासी कामगारों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	1,22,02,795
अरुणाचल प्रदेश	2,25,768
असम	29,67,253
बिहार	72,01,618
छत्तीसगढ़	42,67,852
गोवा	3,00,067
गुजरात	91,18,394
हरियाणा	36,19,689
हिमाचल प्रदेश	13,78,996
जम्मू और कश्मीर	7,65,762
झारखंड	35,27,643
कर्नाटक	82,47,920
केरल	28,12,441
मध्य प्रदेश	1,01,25,610
महाराष्ट्र	2,06,85,108
मणिपुर	2,05,885
मेघालय	1,99,730
मिज़ोरम	1,78,687
नागालैंड	1,79,646
ओडिशा	46,28,673
पंजाब	35,43,444
राजस्थान	91,38,707
सिक्किम	1,14,009
तमिलनाडु	77,34,609
त्रिपुरा	4,02,593
उत्तर प्रदेश	1,41,07,361
उत्तराखंड	15,22,759
पश्चिम बंगाल	96,57,360
दिल्ली	28,13,920
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	87,224
चंडीगढ़	2,78,187

1	2
दादरा और नगर हवेली	50,107
दमन और दीव	43,891
लक्षद्वीप	7,966
पुदुचेरी	1,65,681
कुल	14,25,07,355

जापान के साथ व्यापार संबंध

1797. श्री आर. ध्रुवनारायण :
श्री राजय्या सिरिसिल्ला :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और जापान का निवेश तथा द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है तथा इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या जापान में भारत से होने वाली झींगा सहित समुद्री उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण क्या हैं एवं इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) क्या जापान समुद्री उत्पादों का खाद्य पदार्थों के रूप में और उनके संरक्षण के लिए प्रयुक्त रसायनों से संबंधित मुद्दों का समाधान करने पर अब सहमत हो गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. ई.एम.एस. नाच्चीयप्पन) : (क) जी, हां। 16 फरवरी, 2011 को भारत तथा जापान के बीच एक व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए) पर हस्ताक्षर किए गए थे और यह 1 अगस्त, 2011 से लागू हुआ। करार हमारे निवेश भागीदारों की नीतिगत व्यवस्था के स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। जापान से निवेश ने केवल वित्तीय संसाधन की दृष्टि से बल्कि सन्निहित उच्च प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता प्रबंधन व्यवहारों, जो इसके साथ आती है के कारण महत्वपूर्ण है। सीईपीए द्विपक्षीय व्यापार के स्तर को बढ़ाने के लिए भी परिकल्पित है।

(ख) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जी ने जापान के साथ द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग की एक व्यापक तथा वास्तविक समीक्षा करने के लिए 16 से 19 मई, 2013 को जापान का दौरा किया और जापान के अपने भागीदार के साथ अपनी बैठक के दौरान दोनों मंत्रियों ने अन्य बातों के साथ-साथ जिन मामलों पर विचार-विमर्श किया वे हैं (i) दिल्ली-मुम्बई औद्योगिकी कोरिडोर (डीएपआईसी) परियोजना, (ii) चेन्नई-बेंगलुरु औद्योगिक कोरिडोर (सीबीआईसी) परियोजना; और (iii) भारत जापान-निवेश संवर्धन।

(ग) और (घ) जापान के खाद्य सुरक्षा आयोग ने सितम्बर, 2012 में नई विनियमनों की घोषणा की जिसने शिम्प की खेपों में एथोक्साईक्विन (मछली के भोजन में पाए जाने वाला एक रसायन) के लिए आवश्यक परीक्षण, करना 0.01 पीपीएप प्रति कि.ग्रा. भार के डिफाल्ट मानक का अपनाना लागू कर दिया। मामले के शीघ्र समाधान के लिए मई, 2013 में जापान के प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान सहित विभिन्न स्तरों पर जापान के प्राधिकारियों के साथ उठाया। जापान के कानून के अनुसार अनुमत मानदंडों को स्थापित करने के लिए मामले को खाद्य सुरक्षा आयोग को संदर्भित करना अपेक्षित है।

(ङ) जापान में भारत के दूतावास ने सूचित किया है कि जापान के स्वास्थ्य, श्रम और कल्याण मंत्रालय ने 0.2 पीपीएम के एक प्रस्तावित अपशिष्ट को अधिसूचित किया है। उन्होंने प्रस्तावित अधिकतम अपशिष्ठ के स्तर (एमआरएल) पर जनता से टिप्पणियां मांगी हैं, जो 31 दिसंबर, 2013 से पहले प्राप्त की जानी हैं।

काजू बोर्ड की स्थापना

1798. श्री एंटो एंटोनी : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में काजू बोर्ड की स्थापना के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) देश में काजू बोर्ड की स्थापना में विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने प्रस्तावित काजू बोर्ड की स्थापना के लिए स्थान की पहचान कर ली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में काजू उद्योग की सहायता और काजू निर्यात को

बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. ई.एम.एस. नाच्चीयप्पन) : (क) और (ख) जी, हां। अनेक संसद सदस्यों, और केरल के मुख्य मंत्री के अलावा वाणिज्य संबंधी विभाग की संसदीय स्थाई समिति ने अपनी 42वीं, 46वीं, 50वीं, 58वीं, 65वीं, 70वी, 77वीं तथा 99वीं रिपोर्ट में सस्तुतियां/सिफारिशें की हैं कि काजू बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। तद्नुसार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने पहल की है और एक काजू बोर्ड के गठन के लिए प्रस्ताव पेश किया है। चूंकि प्रस्तावित काजू बोर्ड में कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत कोकोआ और काजू विकास निदेशालय (डीसीसीडी) और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यरत काजू निर्यात संवर्धन परिषद् (सीईपीसी) को विलय करना शामिल है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय सचिव स्तर पर बैठक समेत कृषि मंत्रालय के साथ बातचीत कर रहा है क्योंकि विलय करने के लिए उनकी सहमति आवश्यक है। तथापि, कृषि मंत्रालय काजू निर्यात संवर्धन परिषद् (सीईपीसी) के साथ काजू गिरी और कोकोआ विकास निदेशालय विलय करने पर सहमत नहीं है। उनका मत है कि कृषि मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न एजेंसियों ने काफी की खेती का संवर्धन तथा उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है और इसलिए उनका मत है कि अलग से काजू बोर्ड की स्थापना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, काजू उद्योग भी काजू बोर्ड के गठन पर सहमत नहीं है और उन्होंने काजू बोर्ड के प्रस्तावित गठन का विरोध करने की सूचना दी है। ऐसी स्थिति में एक अलग काजू बोर्ड स्थापित करने के प्रस्ताव को छोड़ने का निर्णय लिया गया था।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) काजू के निर्यात का संवर्धन करने की दृष्टि से सरकार पंचवर्षीय योजना के जिरिए भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद् को लगातार सहायता दे रही है। XIवीं पंचवर्षीय योजना में भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद् को प्रसंस्करण सुविधाओं के उन्नयन के लिए 9.02 करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध कराई गई है। इसी प्रकार XIIवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के लिए सीईपीसीआई ने आधुनिकीकरण, विविधीकरण, प्रक्रिया यंत्रीकरण, काजू प्रसंस्करण इकाईयों का ऑटोमेशन, गुणवत्ता उन्नयन और खाद्य सुरक्षा प्रमाणन के लिए 26 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने जिसमें काजू उद्योग भी शामिल है के लिए विभिन्न स्कीमों नामत: बाजार विकास सहायता (एमडीए), बाजार पहुंच पहल (एमएआई), निर्यात विकास अवसंरचना एवं संबद्ध कार्यकलापों के लिए राज्यों को सहायता (एएसआईडीई), विशेष कृषि एवं ग्राम उपज योजना, फोकस उत्पाद स्कीम, फोकस बाजार स्कीम, निर्यात उत्कृष्टता का शहर आदि को शुरू किया है।

[हिन्दी]

गायों का संरक्षण

1799. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में गायों का संरक्षण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (ग) जी, नहीं। इस मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, पर्यावरण और वन मंत्रालय पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 को प्रशासित करता है जिसका उद्देश्य पशुओं को अनावश्यक पीड़ा या दु:ख देने को रोकना है। इस अधिनियम के अंतर्गत, सरकार ने सामान्य तौर पर पशुओं के कल्याण को बढ़ावा देने और विशेष रूप से अनावश्यक पीड़ा या दु:ख दिये जाने वाले पशुओं की सुरक्षा के उद्देश्य से भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) का गठन किया है।

जल-मल शोधन संयंत्र

1800. श्री कपिल मुनि करवारिया : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद के क्षेत्रों सहित गंगा और यमुना के किनारों पर सभी नगर निकायों में जल-मल शोधन संयंत्र जनसंख्या के मानक अनुपात में स्थापित किए गए हैं;

(ख) इलाहाबाद में दैनिक जल-मल उत्पादित मात्रा और जल-मल शोधन संयंत्रों की शोधन क्षमता में कितना अंतर है;

(ग) इस अंतर को कम करने के लिए नए जल-मल शोधन संयंत्रों की स्थापना की योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो इन संयंत्रों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) निगम निकायों के लिए मलजल शोधन संयंत्र (एसटीपी) स्थापित करने की परियोजनाएं स्वीकृत करते समय एसटीपी की क्षमता निर्धारित करने में वर्तमान तथा भावी संभावित जनसंख्या का समुचित ध्यान रखा जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए वर्तमान अनुमानों के अनुसार, इलाहाबाद सहित गंगा और यमुना नदी के तटों पर निगम निकायों का घरेलू मलजल उत्पादन क्रमशः 1125 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) और 1032 एमएलडी हैं इसकी तुलना में, गंगा और यमुना के लिए उत्तर प्रदेश में उपलब्ध मलजल शोधन क्षमता क्रमशः 507 एमएलडी और 599 एमएलडी है। इलाहाबाद के संबंध में 232 एमएलडी मलजल उत्पादन की तुलना में संस्थापित क्षमता 211.50 एमएलडी है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार के अनुसार, इस अंतर को समाप्त करने के लिए इलाहाबाद शहर के लिए 42.50 एमएलडी की अतिरिक्त क्षमता सृजित करने का विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, भावी जरूरतों को पूरा करने के लिए, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) के अंतर्गत इलाहाबाद के लिए 14 एमएलडी क्षमता का मलजल शोधन संयंत्र स्थापित करने की एक परियोजना हाल ही में अनुमोदित की गई है जिसे 2016 तक पूरा किया जाना है।

[अनुवाद]

औद्योगिक असंतोष

1801. श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में श्रम असंतोष की प्रवृत्ति क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान दर्ज ऐसे विवादों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इसके परिणामस्वरूप देश में वास्तविक रूप से उत्पादन और मौद्रिक हानि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास ऐसे तंत्र को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है जो ऐसे सभी विवादों की जांच कर सके;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) ऐसे विवादों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) से (ग) श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संकलित पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार सूचित किए गए क्षति हुए मानव दिवसों तथा उत्पादन में कुल हानि (रुपयों में) सहित हड़तालों और तालाबंदियों से संबंधित विवादों की संख्या दर्शानेवाले विवरण संलग्न है।

जैसा कि देखा गया है कि, संदर्भाधीन अवधि के दौरान देश में श्रम अशांति में मामूली वृद्धि हुई है।

(घ) और (ङ) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखने के लिए स्वरूप का प्रावधान है। इस अधिनियम में समुचित सरकार के औद्योगिक संबंध तंत्र द्वारा औद्योगिक विवादों को समाधान हेतु हस्तक्षेप, मध्यस्थता और सुलह को सुविधाजनक बनाया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय का केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों में सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखने के सतत् प्रयास करता है। राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों के लिए राज्यों में सदृश व्यवस्था भी उपलब्ध है।

(च) औद्योगिक विवादों के कारगर निपटान/समाधान हेतु सरकार समय-समय पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबंधों को संशोधित करती है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में अंतिम संशोधन वर्ष 2010 में किया गया था, जिसके अनुसार, कोई भी कर्मकार सुलह अधिकारी को आवेदन देने की तारीख से 45 दिवस की समाप्त के उपरांत विवाद के न्यायनिर्णयन हेतु श्रम न्यायालय अथवा अधिकरण में सीधे आवेदन कर सकता है। इसके अलावा श्रम न्यायालय अथवा अधिकरण को आवेदन वर्खास्तगी, छंटनी अथवा अन्यथा सेवा से हटाए जाने की तारीख से 3 वर्ष समाप्त होने से पहले आवेदन किया जाना चाहिए।

उपर्युक्त के अलावा, श्रम न्यायालय अथवा अधिकरण अथवा राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा दिया गया प्रत्येक पंचाट पीठासीन अधिकारी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश-21 के तहत सिविल न्यायालय के आदेशों और डिग्री के निष्पादन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निष्पादित किया जाएगा।

विवरण

पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान हड़ताल और तालाबंदी, क्षति हुए मानव दिवस तथा उत्पादन हानि से संबंधित विवादों की राज्य-वार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010			2011 (अ.)		
	विवादों की संख्या	क्षति हुए मानव दिवसों की संख्या	उत्पादन हानि (रुपयों में)	विवादों की संख्या	क्षति हुए मानव दिवसों की संख्या	उत्पादन हानि (रुपयों में)
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	16	310,152	244,090,139	21	371,233	198,916,813
अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—
असम	2	11,554	0	14	155,423	434,728,515
बिहार	3	189,338	0	2	88,826	0
छत्तीसगढ़	3	36,666	17,409,100	3	1,595	240,000
गोवा	—	—	—	—	—	—
गुजरात	22	57,536	212,491,000	30	36,443	513,617,827
हरियाणा	11	141,461	0	6	120,018	0
हिमाचल प्रदेश	6	44,902	594,660,000	4	15,006	0
जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—	—	—
झारखंड	1	110,000	0	—	—	—
कर्नाटक	10	131,179	288,909,000	15	116,490	1,584,352,960
केरल	20	351,374	0	31	379,719	292,826,000
मध्य प्रदेश	1	68,096	4,785,720	3	124,428	263,095,634
महाराष्ट्र	5	99,294	0	4	50,007	0
मणिपुर	—	—	—	—	—	—
मेघालय	1	416	0	—	—	—

2012(अ.)			2013 (जनवरी-अक्तूबर)(अ.)		
विवादों की संख्या	क्षति हुए मानव दिवसों की संख्या	उत्पादन हानि (रुपयों में)	विवादों की संख्या	क्षति हुए मानव दिवसों की संख्या	उत्पादन हानि (रुपयों में)
8	9	10	11	12	13
20	280,282	180,051,591	4	326,040	139,482,104
—	—	—	—	—	—
26	135,422	1,632,971,217	—	—	—
1	70,143	0	2	98,331	0
9	55,827	383,732,500	8	38,485	0
2	4895	0	2	9554	0
34	180,000	992,682,273	19	121,969	421,343,000
4	378·245	0	3	247,220	0
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
26	264,628	1,139,300,000	16	123,859	797,934,000
48	329 831	53,812,000	31	349,883	59,179,224
10	126,211	181,904,532	7	255,796	900,548,000
11	60,581	0	6	64,386	1,200,000
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7
मिज़ोरम	—	—	—	—	—	—
नागालैंड	—	—	—	—	—	—
ओडिशा	—	—	—	2	16,850	270,528,550
पंजाब	3	10,222	18,024,491	1	34,255	49,365,256
राजस्थान	12	172,463	15,121,000	15	140,208	61,917,292
सिक्किम	—	—	—	—	—	—
तमिलनाडु	87	1,170,973	0	64	3,348,342	46,400,000
त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—
उत्तर प्रदेश	8	678,728	50,555,600	15	415,748	153,701,070
उत्तराखंड	1	18,771	10,500,000	—	—	—
पश्चिम बंगाल	157	19,526,780	244,981,436	156	9,044,404	284,000,000
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—	—	—	—
चंडीगढ़	—	—	—	—	—	—
दादरा और नगर हवेली	—	—	—	—	—	—
दिल्ली	—	—	—	—	—	—
दमन और दीव	—	—	—	—	—	—
लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—
पुदुचेरी	2	622	369,000	4	24,018	67,779,828
कुल	371	23,130,527	1,701,896,486	390	14,483,013	4,221,469,745

(अ.) = अनंतिम

0 = उपलब्ध नहीं।

— = उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में सूचना जिन्हें शून्य माना जा रहा है।

स्रोत: श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय।

8	9	10	11	12	13
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—
1	21,012	0	—	—	—
—	—	—	6	340,005	0
15	234,490	146,415,568	10	196,935	15.534,222
—	—	—	—	—	—
46	821,879	218,955,550	23	256,333	997,234,995
—	—	—	—	—	—
6	32,667	169,878,682	3	47,106	195,040,947
4	28,280	100,000,000	—	—	—
171	9,631,280	53,168,000	8	146,828	0
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
1	34.055	0	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
4	38,245	647,900,000	—	—	—
439	12,727,973	5,900,771,913	148	2,622,730	3,527,496,492

[हिन्दी]

पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पीवाईकेकेए)

1802. श्री कौशलेन्द्र कुमार :
श्री हरिभाऊ जावले :
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :
श्री हेमानंद बिसवाल :
श्री शिवराज गौडा :

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार और ओडिशा सहित विभिन्न राज्यों के कितने ग्रामों/पंचायतों/ब्लॉक पंचायतों को पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पीवाईकेकेए) के अंतर्गत शामिल किया गया है और इनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इससे लाभान्वित खिलाड़ियों की राज्य-वार संख्या तथा इसके लिए निर्गत निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना के तहत राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में कई खेल प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की गई हैं;

(घ) क्या सरकार को इस स्कीम के तहत निधि जारी करने के संबंध में विभिन्न राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पायका) स्कीम के अंतर्गत 30.11.2013 तक कवर की गई ग्राम पंचायतों और ब्लॉक पंचायतों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I (क) से (च) में दिया गया है।

(ख) और (ग) पायका के अंतर्गत विकसित किए गए खेल मैदान सभी समुदायों के लिए जिसमें खिलाड़ी भी शामिल हैं, उपयोग के लिए खुले हैं। पायका के अंतर्गत तीन प्रकार की प्रतियोगिताएं अर्थात् (प) ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण प्रतियोगिताएं, (पप) जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर महिला प्रतियोगिताएं तथा (पपप) जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर-पूर्वी खेलों का वार्षिक रूप से आयोजन किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी निधियों औन इन प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II (क) से (ङ) में दिया गया है। चालू वर्ष के लिए होने वाली प्रतियोगिताएं प्रगति में है।

(घ) और (ङ) पायका तथा यूएसआईएस के अंतर्गत सरकार को राज्य सरकारों तथा पात्र संस्थाओं से इस संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं तथा संबंधित स्कीमों के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निधि जारी करने की कार्रवाई इस शर्त पर की जा रही है कि संबंधित सरकार/पात्र संस्थाओं को पिछले वर्षों के दौरान जारी की गई निधियों का उपयोगिता प्रामण-पत्र प्रेषित कर दिया गया है तथा इसे सरकार द्वारा मंजूर किया गया है।

विवरण-I(क)

वर्ष 2008-09 के दौरान खेल मैदानों के विकास हेतु पायका योजना के अंतर्गत अनुमोदित और जारी अनुदान के लिए ग्राम/ब्लॉक पंचायतों की राज्य-वार संख्या

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य का नाम	अनुमोदित ग्राम पंचायतों की संख्या	अनुमोदित ब्लॉक पंचायतों की संख्या	जारी निधि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2190	113	12.99
2.	असम	333	22	—
3.	बिहार	847	53	5.22
4.	छत्तीसगढ़	982	14	—
5.	गोवा	19	04	—
6.	गुजरात*	900	22	—

1	2	3	4	5
7.	हरियाणा	619	12	3.26
8.	हिमाचल प्रदेश	324	08	2.01
9.	जम्मू और कश्मीर	413	14	2.66
10.	केरल	100	15	0.80
11.	मध्य प्रदेश	2304	31	11.82
12.	महाराष्ट्र	2689	35	8.91
13.	मणिपुर	79	04	0.87
14.	मिज़ोरम	82	03	0.85
15.	नागालैंड	110	05	1.18
16.	ओडिशा	623	31	3.67
17.	पंजाब	1233	14	6.27
18.	राजस्थान	869	24	3.71
19.	सिक्किम	16	10	0.54
20.	तमिलनाडु	1,261	38	5.00
21.	त्रिपुरा	104	04	1.09
22.	उत्तर प्रदेश	5,203	82	10.00
23.	उत्तराखंड	750	10	3.00
24.	पश्चिम बंगाल	335	33	—
	कुल	22,385	601	**83.85

*वर्ष 2008-09 में शुरू में 1,369 ग्राम पंचायतें अनुमोदित की गई और राज्य सरकार द्वारा इसे घटाकर 900 कर दिया गया।

**92 करोड़ रुपए के परिव्यय में, राज्यों को शर्तों को पूरा करने पर 83.85 करोड़ रुपए जारी किए गए और 8.15 करोड़ रुपए साई को वार्षिक खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को देने के लिए जारी किए गए।

विवरण-I(ख)

वर्ष 2009-10 के दौरान खेल मैदानों के विकास हेतु पायका योजना के अंतर्गत अनुमोदित और जारी अनुदान के लिए ग्राम/ब्लॉक पंचायतों की राज्य-वार संख्या

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनुमोदित ग्राम पंचायतों की संख्या	अनुमोदित ब्लॉक पंचायतों की संख्या	*जारी निधि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	—	113	12.99

1	2	3	4	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	355	32	4.44
3.	असम	—	—	3.85
4.	बिहार	—	—	5.02
5.	छत्तीसगढ़	—	—	5.06
6.	गोवा	—	—	0.18
7.	गुजरात	—	—	7.10
8.	हरियाणा	—	—	3.25
9.	हिमाचल प्रदेश	—	—	2.01
10.	जम्मू और कश्मीर	—	—	2.10
11.	झारखंड	403	21	2.39
12.	कर्नाटक	565	18	3.12
13.	केरल	—	—	0.80
14.	महाराष्ट्र	—	—	4.86
15.	मेघालय	83	08	1.06
16.	मिज़ोरम	164	05	0.21
17.	नागालैंड	—	—	0.30
18.	ओडिशा	623	31	8.05
19.	पंजाब	—	—	6.27
20.	राजस्थान	—	—	4.72
21.	सिक्किम	32	20	0.13
22.	तमिलनाडु	—	—	1.91
23.	उत्तर प्रदेश	—	—	16.96
24.	उत्तराखंड	—	—	5.90
25.	पश्चिम बंगाल	—	—	2.32
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	19	01	—
	कुल	2,225	135	105.00*

*इसमें पहले वर्ष (2008-09) के लिए अनुमोदित अनुदान को जारी करना शामिल है।

विवरण-I (ग)

वर्ष 2010-11 के दौरान खेल मैदानों के विकास हेतु पायका योजना के अंतर्गत अनुमोदित और जारी अनुदान के लिए ग्राम/ब्लॉक पंचायतों की राज्य-वार संख्या

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनुमोदित ग्राम पंचायतों की संख्या	अनुमोदित ब्लॉक पंचायतों की संख्या	जारी निधि*
1.	आंध्र प्रदेश	4,380	226	25.98
2.	अरुणाचल प्रदेश	710	64	10.51
3.	गुजरात	1,075	22	02.55
4.	हरियाणा	1,238	24	14.43
5.	हिमाचल प्रदेश	648	16	08.80
6.	कर्नाटक	1,129	36	14.86
7.	केरल	100	15	11.17
8.	महाराष्ट्र	2,752	35	41.94
9.	मेघालय	83	08	01.19
10.	मिज़ोरम	163	05	02.27
11.	नागालैंड	440	20	02.96
12.	ओडिशा	623	31	05.98
13.	पंजाब	2,466	28	26.66
14.	सिक्किम	16	10	02.02
15.	त्रिपुरा	520	20	03.24
16.	उत्तर प्रदेश	4,493	82	62.27
17.	उत्तराखंड	1,500	19	19.43
18.	पश्चिम बंगाल	—	—	02.32
संघ राज्य क्षेत्र				
19.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	60	06	01.06
20.	लक्षद्वीप	02	09	00.51
21.	पुदुचेरी	50	05	00.69 **
	कुल	22,448	681	260.84

*इसमें पूर्ववर्ती वर्ष (अर्थात् 2008-09 और 2009-10) के लिए अनुमोदित अनुदान को जारी करना शामिल है।

**संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी को साई द्वारा अनखर्ची शेष राशि, निधियां जारी कर दी गई हैं।

विवरण-I(घ)

वर्ष 2011-12 के दौरान खेल मैदानों के विकास हेतु पायका योजना के अंतर्गत अनुमोदित और जारी अनुदान के लिए ग्राम/ब्लॉक पंचायतों की राज्य-वार संख्या

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य का नाम	अनुमोदित ग्राम पंचायतों की संख्या	अनुमोदित ब्लॉक पंचायतों की संख्या	जारी निधि*
1.	आंध्र प्रदेश	—	—	25.98
2.	गुजरात	—	—	13.43
3.	हरियाणा	619	12	5.09
4.	हिमाचल प्रदेश	324	08	3.66
5.	जम्मू और कश्मीर	—	—	0.56
6.	झारखंड	—	—	2.40
7.	मध्य प्रदेश	2,304	31	39.99
8.	मणिपुर	—	—	0.22
9.	मेघालय	83	08	1.72
10.	मिज़ोरम	—	—	2.07
11.	नागालैंड	110	05	4.70
12.	ओडिशा	—	—	7.34
13.	राजस्थान	917	25	2.75
14.	सिक्किम	32	20	1.66
15.	त्रिपुरा	312	12	4.09
16.	उत्तर प्रदेश	—	—	18.39
	कुल	4,701	121	134.05

*इसमें पूर्ववर्ती वर्ष (अर्थात् 2008-09, 2010-11) के लिए अनुमोदित अनुदान को जारी करना शामिल है।

विवरण-I(ङ)

वर्ष 2012-13 के दौरान खेल मैदानों के विकास हेतु पायका योजना के अंतर्गत अनुमोदित और जारी अनुदान के लिए ग्राम/ब्लॉक पंचायतों की राज्य-वार संख्या

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनुमोदित ग्राम पंचायतों की संख्या	अनुमोदित ब्लॉक पंचायतों की संख्या	जारी निधि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	—	—	10.63

1	2	3	4	5
2.	असम	666	44	10.28
3.	छत्तीसगढ़	1,964	28	25.27
4.	गोवा	—	—	0.18
5.	हरियाणा	—	—	—
6.	हिमाचल प्रदेश	389	10	6.34
7.	कर्नाटक	566	18	9.61
8.	केरल	200	30	10.36
9.	मध्य प्रदेश	—	—	—
10.	महाराष्ट्र	—	—	—
11.	मणिपुर	—	—	—
12.	मेघालय	—	—	—
13.	मिज़ोरम	163	05	2.07
14.	नागालैंड	—	—	—
15.	ओडिशा	1246	62	19.21
16.	पंजाब	—	—	—
17.	राजस्थान	—	—	—
18.	सिक्किम	70	35	2.51
19.	तमिलनाडु	—	—	—
20.	त्रिपुरा	—	—	—
21.	उत्तर प्रदेश	3384	82	9.03
22.	उत्तराखंड	—	—	3.38
	संघ राज्य क्षेत्र का नाम			
23.	दमन और दीव	14	—	0.14
	कुल	8662	314	109.01

विवरण-I(च)

वर्ष 2013-14 (30.11.2013 तक) के दौरान खेल मैदानों के विकास हेतु पायका योजना के अंतर्गत अनुमोदित और जारी अनुदान के लिए ग्राम/ब्लॉक पंचायतों की राज्य-वार संख्या

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	खेल - मैदानों के विकास और अनुरक्षण हेतु		
		ग्राम पंचायतों की संख्या	ब्लॉक पंचायतों की संख्या	जारी निधि
1	2	3	4	5
1.	अरुणाचल प्रदेश	355	32	7.27
2.	कर्नाटक	565	18	10.20
3.	मध्य प्रदेश	2304	31	32.55
4.	मिज़ोरम	245	8	4.10
5.	नागालैंड	438	22	5.99
6.	तमिलनाडु	—	—	6.58
7.	त्रिपुरा	208	10	4.30
8.	उत्तराखंड	1511	17	22.84
	कुल	5626	138	93.83

विवरण-II(क)

2010-11 और 2011-12 दौरान ब्लॉक/जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर वार्षिक प्रतियोगिता के आयोजन के लिए जारी राज्य-वार निधियां

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/साई/एनवाईकेएस को जारी राशि (करोड़ रुपए)						
		2010-11			2011-12			
		ग्रामीण प्रतियोगिताएं	महिलाओं की प्रतियोगिताएं	कुल	ग्रामीण प्रतियोगिताएं	महिलाओं की प्रतियोगिताएं	पूर्वोत्तर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	11.26	—	11.26	—	—	—	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.05	—	2.05	—	—	—	—
3.	असम	2.96	0.38	3.34	—	—	—	—
4.	बिहार	6.19	—	6.19	—	—	—	—
5.	छत्तीसगढ़	2.01	—	2.01	1.95	0.28	—	2.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	गोवा	0.18	0.08	0.26	—	—	—	—
7.	गुजरात	2.69	—	2.69	—	—	—	—
8.	हरियाणा	1.50	0.31	1.81	1.51	0.09	—	1.60
9.	हिमाचल प्रदेश	1.18	0.15	1.33	1.11	0.13	—	1.24
10.	जम्मू और कश्मीर	2.10	—	2.10	—	—	—	—
11.	झारखंड	2.81	0.35	3.16	—	—	—	—
12.	कर्नाटक	2.52	0.42	2.94	2.17	—	—	2.17
13.	केरल	1.32	—	1.32	—	0.23	—	0.23
14.	मध्य प्रदेश	4.13	0.66	4.79	4.37	0.54	—	4.91
15.	महाराष्ट्र	3.88	0.48	4.36	—	—	—	—
16.	मणिपुर	—	—	0	—	—	—	—
17.	मेघालय	0.67	0.12	0.79	—	—	0.08	0.08
18.	मिज़ोरम	0.58	0.13	0.71	—	—	0.10	1.10
19.	नागालैंड	—	0.13	0.13	—	—	—	—
20.	ओडिशा	3.85	0.42	4.27	—	—	—	—
21.	पंजाब	1.55	0.30	1.85	—	—	—	—
22.	राजस्थान	—	—	0.00	1.72	—	—	1.72
23.	सिक्किम	—	—	0.00	1.12	—	0.08	1.20
24.	तमिलनाडु	4.66	0.44	5.10	—	—	—	—
25.	त्रिपुरा	0.67	0.11	0.78	0.60	0.11	0.09	0.79
26.	उत्तर प्रदेश	9.47	—	9.47	8.20	—	—	8.20
27.	उत्तराखंड	1.38	0.09	1.47	1.29	0.11	—	1.40
28.	पश्चिम बंगाल	3.31	—	3.31	—	—	—	—
	संघ राज्य क्षेत्र							
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	0.00	—	—	—	—
30.	चंडीगढ़	—	0.03	0.03	—	—	—	—
	कुल	72.92	4.60	77.52	24.03	1.49	0.35	25.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.	राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं साई को जारी निधियां	—	—	0.00	2.60	—	2.50	5.10
32.	एनवाईकेए को ग्रामीण और अंतर विद्यालयी स्पर्धा आयोजित करने के लिए	10.53	—	10.53	—	—	—	—
	सकल योग	83.45	4.60	88.05	26.63	1.49	2.85	30.97

विवरण-II(ख)

वार्षिक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए वर्ष 2012-13 के दौरान पायका स्कीम के अंतर्गत जारी की गई राज्य-वार निधियां

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ग्रामीण प्रतियोगिताएं	महिलाओं की प्रतियोगिताएं	पूर्वात्तर खेल	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	11.16	0.34	—	11.50
2.	छत्तीसगढ़	1.99	0.32	—	2.31
3.	हरियाणा	0.62	0.23	—	0.85
4.	हिमाचल प्रदेश	1.12	0.14	—	1.26
5.	कर्नाटक	2.58	0.69	—	3.27
6.	मध्य प्रदेश	4.18	0.57	—	4.75
7.	महाराष्ट्र	3.44	—	—	3.44
8.	मणिपुर	0.75	0.17	—	1.02
9.	मेघालय	0.67	—	—	0.67
10.	मिज़ोरम	1.06	0.13	0.10	1.29
11.	नागालैंड	0.91	—	0.12	1.03
12.	ओडिशा	3.86	0.53	—	4.39
13.	पंजाब	—	0.24	—	0.24
14.	राजस्थान	3.42	0.46	—	3.88
15.	सिक्किम	1.12	—	—	1.12
16.	तमिलनाडु	0.81	0.44	—	1.25

1	2	3	4	5	6
17.	त्रिपुरा	0.76	0.16	—	0.92
18.	उत्तराखंड	1.18	0.10	—	1.28
	कुल	39.63	4.52	0.32	44.47

विवरण-II(ग)

वार्षिक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए वर्ष 2013-14 के दौरान (30.11.2013 तक) पायका स्कीम के अंतर्गत जारी की गई राज्य-वार निधियां

क्र. सं.	राज्य	ग्रामीण प्रतियोगिताएं	महिला प्रतियोगिताएं	उत्तर पूर्वी खेल	कुल
1.	हिमाचल प्रदेश	0.70	0.13	—	0.83
2.	मध्य प्रदेश	4.10	0.55	—	4.65
3.	मिज़ोरम	0.58	0.13	0.10	0.81
4.	पंजाब	3.29	0.45	—	3.74
5.	तमिलनाडु	2.17	0.57	—	2.74
6.	त्रिपुरा	0.67	0.15	0.10	0.92
7.	उत्तराखंड	1.10	0.10	—	1.20
	कुल	12.61	2.08	0.20	14.89

विवरण-II(घ)

वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान पायका के अंतर्गत आयोजित वार्षिक खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2010-11 (वार्षिक प्रतियोगिताएं) प्रतिभागियों की संख्या			2011-12 (वार्षिक प्रतियोगिताएं) प्रतिभागियों की संख्या		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	2	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	339848	318971	658819	188692	1,36,711	325403
2.	अरुणाचल प्रदेश	1638	1170	2808	12588	9,622	22210
3.	असम	9724	5488	15212	76359	46,208	122567
4.	बिहार	105738	65428	171166	—	—	0
5.	छत्तीसगढ़	60102	40298	100400	64649	83,101	147750
6.	गोवा	1743	1542	3285	—	—	0
7.	गुजरात	7,523	5,791	13,314	—	—	0

1	2	9	10	11	12	13	14
8.	हरियाणा	90,129	81,865	1,71,994	55,462	65,739	1,21,201
9.	हिमाचल प्रदेश	19,120	26,095	45,215	24,000	23,159	47,159
10.	जम्मू और कश्मीर	53,850	6,634	60,484	45,231	9,003	54,234
11.	झारखंड	8,709	6,348	15,057		—	0
12.	कर्नाटक	90,884	1,09,802	2,00,686	82,443	1,22,044	2,04,487
13.	केरल	41,623	23,277	64,900	60,209	31,643	91,852
14.	मध्य प्रदेश	1,17,471	89,111	2,06,582	1,09,426	95,274	2,04,700
15.	महाराष्ट्र	1,81,062	1,41,011	3,22,073	1,30,860	1,23,891	2,54,751
16.	मणिपुर	4,745	2,912	7,657	—	—	0
17.	मेघालय	18,871	16,715	35,586	—	—	0
18.	मिज़ोरम	26,473	21,489	47,962	13,239	7,771	21,010
19.	नागालैंड	4,943	23,,478	28,421	—	—	0
20.	ओडिशा	1,22,030	1,21,510	2,43,540	—	—	0
21.	पंजाब	82,411	55,594	1,38,005	68,655	49,925	1,18,580
22.	राजस्थान	67,581	30,994	98,575	—	—	0
23.	सिक्किम	1,542	955	2,497	30,139	25,950	56,089
24.	तमिलनाडु	392,306	3,98,490	7,90,796	1,57,202	98,830	2,56,032
25.	त्रिपुरा	13,800	18,664	32,464	9,710	16,825	26,535
26.	उत्तर प्रदेश	3,98,733	1,80,957	5,79,,690	3,47,261	2,10,921	5,58,182
27.	उत्तराखंड	78,762	67,063	1,45,825	1,26,935	33,771	1,60,706
28.	पश्चिम बंगाल	66,737	25,589	92,326	39,350	19,135	58,485
	संघ राज्य क्षेत्र						
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	148	148	296			
30.	चंडीगढ़	827	541	1,368			
31.	दादरा और नगर हवेली	623	503	1,126			
32.	दमन और दीव	810	123	933			
33.	दिल्ली	4557	3,626	8,183			
34.	पुदुचेरी	2437	1,651	4,088			
	कुल	24,17,500	18,93,833	43,11,333	16,42,410	12,09,523	28,51,933

*केवल राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के प्रतिभागी।

विवरण-II(ङ)

वर्ष 2012-13 के दौरान पायका के अंतर्गत आयोजित वार्षिक खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ग्रामीण प्रतियोगिताएं			महिलाओं की प्रतियोगिताएं	पूर्वोत्तर खेल			सकल कुल		
		पुरुष	महिला	कुल		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	811,517	677,752	1,489,269	8,573			–	811,517	686,325	1,497,842
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	75	49	124	75	49	124
3.	असम	–	–	–	20	103	98	201	103	118	221
4.	बिहार	–	–	–	90	–	–	–	–	90	90
5.	छत्तीसगढ़	42,080	33,042	75,122	39,882	–	–	–	42,080	72,924	115,004
6.	गोवा	2,966	2,418	5,384	3,499	–	–	–	2,996	5,917	8,883
7.	गुजरात	103	92	195	81	–	–	–	103	173	276
8.	हरियाणा	68,002	46,778	114,780	33,529	–	–	–	68,002	80,307	148,309
9.	हिमाचल प्रदेश	17,424	12,128	29,552	10,087	–	–	–	17,424	22,215	39,639
10.	जम्मू और कश्मीर	33,974	7,975	41,494	–	–	–	–	33,974	7,975	41,949
11.	झारखंड	36,773	26,357	63,130	8,247	–	–	–	36,773	34,604	71,377
12.	कर्नाटक	88,554	61,645	150,199	65,115	–	–	–	88,554	126,760	215,314
13.	केरल	51,270	73,876	73,876	7,360	–	–	–	51,270	29,966	81,236
14.	मध्य प्रदेश	110,197	75,788	185,985	25,098	–	–	–	110,197	100,886	211,083
15.	महाराष्ट्र	136,268	104,187	240,455	17,959	–	–		136,268	122,146	258,414
16.	मणिपुर	80	72	152	112	104	99	203	184	283	467

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	मेघालय	22,422	16,870	39,292	4,564	92	58	150	22,514	21,492	44,006
18.	मिज़ोरम	13,348	8,741	22,089	2,139	8,239	6,751	14,990	21,587	17,631	39,218
19.	नागालैंड	5	3	8		81	50	131	86	53	139
20.	ओडिशा	115,536	76,551	192,087	54,345	—	—	—	115,536	130,896	246,432
21.	पंजाब	2,620	2,058	4,678	12,691	—	—	—	2,620	14,749	17,369
22.	राजस्थान	88,922	48,585	137,507	22,467	—	—	—	88,922	71,052	159,974
23.	सिक्किम	—	—	—	—	31	21	52	31	21	52
24.	तमिलनाडु	189,071	118,150	307,221	60,468	—	—	—	189,071	178,618	367,689
25.	त्रिपुरा	14,627	13,340	27,967	12,267	71	52	123	14,698	25,659	40,357
26.	उत्तर प्रदेश	296,894	182,719	479,613	125	—	—	—	296,894	182,844	479,738
27.	उत्तराखंड	33,364	23,039	56,403	17,127	—	—	—	33,364	40,166	73,530
28.	पश्चिम बंगाल	36,671	17,549	54,220		—	—	—	36,671	17,549	54,220
29.	दादरा और नगर हवेली	8	5	13		—	—	—	8	5	13
30.	दिल्ली	91	76	167	112	—	—	—	91	188	279
	कुल	2,212,787	1,578,526	3,791,313	405,957	8,796	7,178	15,974	2,221,583	1,991,661	4,213,244

[हिन्दी]

पथकर नीति की समीक्षा

1803. श्री महेश्वर हजारी :
श्री असादुद्दीन ओवेसी :
श्री हर्ष वर्धन :
श्रीमती सीमा उपाध्याय :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पथकर वसूली के संबंध में सरकार द्वारा निरुपित नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों की छह लेनों वाली परियोजनाओं के लिए अपनी पथकर नीति की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली के चारों ओर 300 कि.मी. की दूरी के भीतर विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर वसूले जा रहे पथकर का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय दयनीय दशा के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी प्रकृति क्या है एवं इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) सरकार ने समय-समय पर यथासंशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008, 5 दिसम्बर, 2008 को अधिसूचित किया है। 5 दिसम्बर, 2008 से पूर्व पूर्ण हो चुके खंडों के लिए फीस का संग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्गों पर रारा के खंडों/स्थायी पुलों/अस्थायी पुलों के प्रयोग के लिए किसी व्यक्ति के द्वारा फीस का संग्रहण) नियम, 1997, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों-सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजना के प्रयोग के लिए फीस) नियम, 1997 तथा इन नियमों के अधिसूचित होने के बाद पूरे होने वाले खंडों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग नियम, 1957 के अनुरूप किया जाता है। उपर्युक्त नियम राष्ट्रीय राजमार्ग, 1956 की धारा 7 के अंतर्गत अधिसूचित किए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर उपयोक्ता फीस केन्द्र सरकार द्वारा गजट में प्रकाशित पृथक-पृथक अधिसूचना के अनुसार संग्रहीत की जाती है। ऐसे मामलों में जहां राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड विशेष राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश को सौंपा जाता है वहां केंद्रीय सरकार की अधिसूचनाओं का अनुपालन करते हैं।

(ख) जी, हां। चार लेन वाले राजमार्ग के खंड के लिए फीस की दर, छह लेन का कार्य शुरू होने की तारीख से राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) संशोधन नियम, 2013 के लागू होने की तारीख से लागू फीस का 75 प्रतिशत होगी तथा यह परियोजना के अंत तक बिना किसी वार्षिक संशोधन के लागू रहेगी। इसके अतिरिक्त विलंबित अवधि के लिए कोई प्रयोक्ता फीस नहीं लगाई जाएगी।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। गुडगांव-कोटपूतली-जयपुर खंड विशेषकर मानसून के दौरान जीर्णशीर्ण स्थिति में था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने स्वतंत्र अभियंता तथा रियायतग्राही के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की है तथा रियायतग्राही को ओएंडएम कार्यों को पूर करने में विलंब के लिए 'डिफाल्ड नोटिस' भी जारी किया है।

विवरण

दिल्ली के चारों ओर 300 किमी. के दायरे में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित टोल

खंड	टोल पहुंच के किमी.	रा.रा.	प्लाजा की स्थिति
2	3	4	5
दिल्ली-आगरा	किमी. 20.500 - किमी. 11.250	2	किमी. 74.000 श्रीनगर
	किमी. 110.250 - किमी. 199	2	किमी. 164.000 महुवा
टुडंला-माखनपुर	किमी. 219.00 - किमी. 250.50	2	किमी. 225.00 टुंडला

2	3	4	5
शिकोहाबाद-इटावा तथा इटावा बाइपास	किमी. 250.50 किमी. 321.00	2	किमी. 285.0 सेमरा, अतीकताबाद (गोरवा)
इटावा-चेकरी	किमी. 321.10 - किमी. 393.00	2	किमी. 353.000 अंनतराम
	किमी. 393.0 किमी. 470.00	2	किमी. 438.300 बराजोड (पूर्व सिकंदरा)
गाजियाबाद-हापुड और हापुड बाइपास	किमी. 27.643 - किमी. 48.638 और बाइपास से किमी. 11.250 किमी.	24	किमी. 29.30 डासना
हापुड-गढमुक्तेश्वर	किमी. 58.000 से किमी. 93.000	24	किमी. 88.500 ब्रिजघाट, जिला गाजियाबाद
ब्रिजघाट-मुरादाबाद	किमी. 93.00 - किमी. 149.25	24	किमी. 121.975 जोया
मुरादाबाद बाईपास	Starting at किमी. 148.43 ऑफ एनएच-24 और rejoining at किमी. 166.65	24	किमी. 156 टीपी-1 और किमी. 158 टीवी-2
दिल्ली-गुडगांव	किमी. 14.30 - किमी. 42.00	8	किमी. 24.0, किमी. 42.00 और एक तरफ प्लाजा-किमी. 19.10
गुडगांव-कोटपूतली-जयुपर बाइपास	किमी. 42.700 - किमी. 273.500	8	किमी. 115 शाहजहांपुर
		8	किमी. 211 मनोहरपुर
		8 और 11	किमी. 241.000 दौलतपुरा
जयपुर-किशनगढ़	किमी. 273.50 - किमी. 363.885	8	किमी. 286.450 जयपुर और किमी. 360.20 किशनगढ़
आगरा-धोलपुर	किमी. 8.00 - किमी. 51	3	किमी. 34 बरेठा
मुरेना-ग्वालियर	किमी. 61.00 - किमी. 103.00	3	किमी. 85.870 गांव चौंधा जिला मुरेना
पानीपत-जलंधर	किमी. 96 - किमी. 206	1	किमी. 146.40 किमी. (पूर्व 132 पर करनाल)
	किमी. 206 - किमी. 272	1	किमी. 213.300 शम्भू
	किमी. 272 - किमी. 372	1	किमी. 328.05 लौडोवाल (पूर्व किमी. 296 पर दोराहा)
पानीपत ऊपरी राजमार्ग	किमी. 86.00 — किमी. 96.00	1	किमी. 96.000

[अनुवाद]

रक्षा अधिकारियों का पुनर्वास

1804. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी :
श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र बलों के प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त हो रहे कर्मियों की अनुमानित संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार उनकी सेवानिवृत्ति के पूर्व सशस्त्र बलों के कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और शार्ट सर्विस कमीशंड अधिकारियों के लिए क्या व्यवस्था की गई है;

(घ) क्या भारतीय प्रबंधन संस्थान भी रोजगार प्रदान करने में उन्हें मदद देने के लिए सामने आया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) सशस्त्र सेनाओं के प्रतिवर्ष लगभग 50,000 से 55,000 कार्मिक सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

(ख) और (ग) हां, पुनर्वास महानिदेशालय सभी इच्छुक सेवानिवृत्त अधिकारियों, जूनियर कमीशन अधिकारियों और अन्य रैंकों (अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों सहित) के लिए नागरिक जीवन में उनके पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से पेशेवर और व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान दिए गए प्रशिक्षण का ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

वर्ष	अधिकारी	जेसीओ/ अन्य रैंक	भूतपूर्व सैनिक	कुल
2010–11	810	17743	942	19395
2011–12	967	23814	276	25057
2012–13	748	20730	155	21633

(घ) और (ङ) भारतीय प्रबंधन संस्थान सशस्त्र सेनाओं के सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त हो गए अधिकारियों के लिए छह माह के सर्टीफिकेट कोर्स संचालित करता है जो नागरिक जीवन में प्रबंधकीय स्तर पर रोजगार पाने में उनकी सहायता करता है। तथापि, ये भारतीय प्रबंधन संस्थान रोजगार की खोज करने में सहायता/कैंपस प्लेसमेंट नहीं प्रदान करते हैं।

[हिन्दी]

जोधुपर शहर में बाईपास का निर्माण

1805. श्री भारत राम मेघवाल :
श्री बद्रीराम जाखड़ :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एनएचडीपी चरण-VII के तहत राजस्थान में जोधुपर शहर को एनएच-112 और एचएच-114 के साथ एनएच-65 के नागौर की ओर से जोड़ते हुए एक बाईपास बनाने को अनुमोदित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बाईपास का निर्माण कार्य कब तक शुरू होने और पूरे होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जोधपुर शहर के आस-पास एनएच-112 और एचएच-114 के साथ एनएच-65 के नागौर की ओर से जोड़ते हुए एक बाईपास के संरेखण के प्रस्ताव को सभी हितधारकों की सहमति से निश्चित किया जाना है ताकि विस्तृत इंजीनियरी अध्ययन प्रारंभ किया जा सके। इस स्थिति में बाईपास का कार्य प्रारंभ और पूरा किए जाने के समय का उल्लेख करना अभी समय पूर्व होगा।

राष्ट्रीय खेल विकास निधि

1806. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा :
श्री जोस. के. मणि :
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी :

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) का उद्देश्य और गठन तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा प्रदत्त/प्राप्त निधि का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान खेलों के विकास के लिए विभिन्न राज्यों को आवंटित निधि का केरल सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान एनएसडीएफ स्कीम के अंतर्गत सहायता प्राप्त खिलाड़ियों/संस्वीकृत राशि का खेल-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इस स्कीम के तहत निधि की संस्वीकृति के लिए निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) खेलों के विकास के लिए एनएसडीएफ हेतु अधिक संसाधन/निधि को सृजित करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) की स्थापना भारत सरकार की दिनांक 12.11.1998 की अधिसूचना का.आ. 973(ई) द्वारा पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 के अंतर्गत की गई थी। इस निधि की स्थापना मुख्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक संभावनाओं से युक्त उत्कृष्ट खिलाड़ियों के कस्टमाइज्ड प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर देश में खेल उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने पर केंद्रित प्रायोगिक परियोजनाओं में सहायता प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य से की गई है।

(ख) राष्ट्रीय खेल विकास निधि ने राज्य सरकारों को कोई निधियां आबंटित नहीं की हैं।

(ग) राष्ट्रीय खेल विकास निधि द्वारा पिछले तीन वर्षों चालू वर्ष के दौरान प्राप्त अंशदान का ब्यौरा संलग्न विवरण-I, राष्ट्रीय खेल विकास निधि से खिलाड़ियों को पिछले तीन वर्ष के दौरान दी गई सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-II तथा ओलंपिक खेलों और पैरालंपिक खेलों में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के लिए उन्हें नकद पुरस्कार का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(घ) ओलंपिक खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई खेलों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने की संभावनाओं से युक्त सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को एनएसडीएफ से सहायता के लिए चयनित किया जाता है। इन्हें भारत तथा विदेश में कस्टमाइज्ड प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने के लिए तैयारी कर सकें। प्रस्ताओं पर एनएसडीएफ की कार्यकारी समिति द्वारा विचार किया जाता है। समिति द्वारा खिलाड़ी के पूर्व प्रदर्शन तथा भावी क्षमताओं के आधार पर निर्णय लिया जाता है। ऐसे खिलाड़ियों के चयन से पहले भारतीय खेल प्राधिकरण, जो कि खेल संबंधी मामलों के लिए शीर्ष सलाहकारी निकाय है तथा संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों से परामर्श किया जाता है।

विख्यात संगठन/संस्थान, जो कि खेल गतिविधियों के संवर्धन में शामिल हैं, भी निश्चित खेल संवर्धनकारी परियोजनाएं जैसे कि खेल अवसंरचना का सृजन, उपस्करों की खरीद आदि के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे प्रस्ताओं पर भी एनएसडीएफ की कार्यकारी समिति द्वारा साई तथा संबंधित खेल परिसंघों के परामर्श से विचार किया जाता है।

(ङ) निगमित क्षेत्रों एवं सार्वजनिक निकायों को एनएसडीएफ में खुलकर योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, इन योगदानों को आयकर धारा 80(जी) के अंतर्गत छूट प्राप्त है।

विवरण-I

वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान एनएसडीएफ द्वारा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त निधियां

वर्ष	दानकर्त्ता का नाम	राशि (रुपये)	भारत सरकार द्वारा अंशदान (रुपये)
2010-11	—	—	20,00,00,000.00
2011-12	महाराष्ट्र राज्य सरकार	1,00,00,000.00	—
	जेपी स्पोर्टस इंटरनेशनल लि.	10,00,00,000.00	
2012-13	जेपी स्पोर्टस इंटरनेशनल लि.	10,00,00,000.00	5,00,00,000.00
2013-14	जेपी स्पोर्टस इंटरनेशनल लि.	10,00,00,000.00	5,00,00,000.00
	कुल	31,00,00,000.00	30,00,00,000.00

वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान एनएसडीएफ को कुल अंशदान 61.00 करोड़ रुपए है।

विवरण-II

वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान एनएसडीएफ से खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता

क्र.सं.	खिलाड़ी का नाम	खेल विधा	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अनिल कुमार	एथलीट	–	2,26,984.00	–	–	2,26,984.00
2.	ओम प्रकाश सिंह करहाना	एथलीट	–	40,78,692.00	19,18,195.00	30,258.00	60,27,145.00
3.	कृष्णा पुनिय	एथलीट	–	31,07,509.00	42,52,909.00	–	73,60,418.00
4.	विकास गौडा	एथलीट	–	25,84,596.00	28,80,054.00	–	84,64,650.00
5.	मयुखा जॉनी	एथलीट	–	17,19,647.00	16,67,980.00	–	33,87,627.00
6.	4 एथलीट (परीजा श्रीधरन, कविता राउत, ओपी जैसा, सुधा सिंह)	एथलीट	–	22,27,724.000	50,08,769.00	–	72,36,493.00
7.	अनूप श्रीधर	बैडमिंटन	–	38,515.00	–	–	38,515.00
	एमसी मेरी कॉम	मुक्केबाजी	–	–	34,18,326.00	–	34,18,326.00
8.	परिमार्जन नेगी	शतरंज	5,05,208.00	10,95,234.00	7,47,052.00	4,37,176.00	27,84,670.00
9.	अभिजीत गुप्ता	शतरंज	–	–	3,96,187.00	1,63,784.00	5,59,971.00
10.	तानिया सचदेव	शतरंज	–	3,168.00	–	–	3,168.00
11.	ले. कर्नल राजेश पट्टू	घुडसवारी	–	–	12,15,076.00	9,67,876.00	21,82,952.00
12.	9 जिम्नास्ट	जिम्नास्टिक्स	–	89,91,000.00	–	–	89,91,000.00
13.	बलजीत सिंह	हॉकी	33,08,301.00	–	–	–	33,08,301.00
14.	अभिनव बिन्द्रा	निशानेबाजी	63,79,820.00	72,88,274.00	59,53,457.00	25,23,122.00	2,21,44,673.00
15.	मानवजीत सिंह संधू	निशानेबाजी	61,48,666.00	48,07,475.00	94,62,253.00	69,29,241.00	2,66,47,635.00
16.	मनशेर सिंह	निशानेबाजी	39,73,507.00	19,47,758.00	–	–	59,21,265.00
17.	रोंजन सोढ़ी	निशानेबाजी	59,78,644.00	48,31,04100	91,92,818.00	6282839.00	2,62,85,342.00
18.	संजीव राजपूत	निशानेबाजी	–	–	11,07,484.00	–	11,07,484.00
19.	जोरावर सिंह संधू	निशानेबाजी	–	64,620.00	–	–	64,620.00
20.	शगुन चौधरी	निशानेबाजी	–	7,79,740.00	48,66,206..00	27,33,503.00	83,79,449.00
21	जयदीप करमाकर	निशानेबाजी	–	–	22,31,872.00	–	22,31,872.00
22.	हीना सिद्धू	निशानेबाजी	–	–	11,13,537.00	–	11,13,537.00

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	नरेश कुमार शर्मा	निशानेबाजी (पेरालंपिक पिक)	—	—	39,95,576.00	—	39,95,576.00
24.	दीपिका पालीकल	स्कवैश	—	—	7,29,895.00	5,20,473.00	12,50,368.00
25.	सोमदेव देववर्मन	टेनिस	6,19,005.00	33,30,592.00	—	—	39,49,597.00
26.	लियंडर पेस	टेनिस	22,08,675.00	8,25,581.00	36,64,590.00	—	66,98,846.00
27.	महेश भूपति	टेनिस	—	15,67,565.00	25,71,573.00	—	41,39,138.00
28.	सानिया मिर्जा	टेनिस	—	10,94,807.00	23,72,617.00	—	34,67,424.00
29.	रोहन बोपन्ना	टेनिस	—	17,38,315.00	—	—	17,38,315.00
30.	युकी भाम्बरी	टेनिस	—	71,13,678.00	12,03,293.00	—	19,16,971.00
31.	सनम सिंह	टेनिस	—	5,43,329.00	4,35,251.00	—	9,78,580.00
32.	जे. विष्णुवर्धन	टेनिस	—	—	9,77,303.00	—	9,77,303.00
33.	करन रस्तोगी	टेनिस	—	—	6,74,486.00	—	6,74,486.00
34.	शिवा केशवन केपी	ल्यूज (शीतकालीन खेल)	—	2,69,38400	2,25,000.00	87,095.00	5,81,479.00
	कुल		29121826.00	53875228.00	72281759.00	19975367.00	175254180.00

अवधि के दौरान कुल एनएसडीएफ सहायता (नकद पुरस्कार को छोड़कर) : 17.52 करोड़ रुपए।

विवरण-III

ओलंपिक एवं पैरालंपिक खेल 2012 में प्रदर्शन करने के लिए एनएसडीएफ से खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार (वित्तीय वर्ष 2012-13 में भुगतान)

(एकल स्पर्धा में 4 से 12वीं स्थान के खिलाड़ी)

क्र.सं.	खिलाड़ी का नाम	खेल विधा	राशि (रु.)
1	2	3	4
1.	श्री विकास गौड़ा	एथलेटिक्स	10,00,000.00
2.	सुश्री टिंटू लूका	एथलेटिक्स	10,00,000.00
3.	सुश्री कृष्णा पुनिया	एथलेटिक्स	10,00,000.00
4.	श्री इरफान के.टी.	एथलेटिक्स	10,00,000.00
5	श्री पी. कश्यप	बैडमिंटन	10,00,000.00
6	श्री देवेन्द्रों सिंह	मुक्केबाजी	10,00,000.00

1	2	3	4
7	श्री विजेन्द्र सिंह	मुक्केबाजी	10,00,000.00
8	श्री जायदीप करमाकर	निशानेबाजी	10,00,000.00
9	श्री रोंजन सोढ़ी	निशानेबाजी	10,00,000.00
10	सुश्री हिना सिद्धू	निशानेबाजी	10,00,000.00
11	सुश्री एन. सोनिया चानू	भारोत्तोलन	10,00,000.00
12	श्री अमित कुमार	कुश्ती	10,00,000.00
13	श्री जगसीर	एथलेटिक्स (पैरालंपिक्स)	10,00,000.00
14	श्री जयदीप	एथलेटिक्स (पैरालंपिक्स)	10,00,000.00
15	श्री रणबीर नरेन्द्र	एथलेटिक्स (पैरालंपिक्स)	10,00,000.00
16	श्री अमित कुमार	एथलेटिक्स (पैरालंपिक्स)	10,00,000.00
17	श्री फरमान बाशा	पॉवर लिफ्टिंग (पैरालंपिक्स)	10,00,000.00
18	श्री सचिन चौधरी	पॉवर लिफ्टिंग (पैरालंपिक्स)	10,00,000.00
19	श्री गायकवाड़	तैराकी (पैरालंपिक्स)	10,00,000.00

नकद पुरस्कार के रूप में दी गई कुल धनराशि 1.90 करोड़ रुपए है।

[अनुवाद]

तदर्थ सीएएमपीए के तहत निधि

1807. श्री रामसिंह राठवा :
श्री सी.आर. पाटिल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के सीएएमपीए के लिए विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों/राज्य सरकारों द्वारा निक्षेपित राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का गुजरात राज्य सीएएमपीए के खाते में गुजरात राज्य द्वारा निक्षेपित राशि को स्थानांतरित करने का इरादा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) तदर्थ प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण द्वारा संचालित किए जा रहे विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खातों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जमा कराए गए मूलधन की राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) चूंकि प्रतिपूरक उगाहियों को टी.एन. गोदवर्मन तिरुमलपाद बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में रिट याचिका संख्या 202/1995 में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में राज्य विशिष्ट खातों में रखा जाता है, इसलिए गुजरात राज्य की समस्त निधियों अंतरिम करना केवल माननीय न्यायालय के द्वारा उक्त अंतरण की अनुमति के आदेश दिये जाने के अध्यधीन होगा। फिलहाल इस तरह का अधिकार देने का न्यायालस का कोई आदेश नहीं है।

विवरण

काम्यां और आयोजना अधिकरण द्वारा राज्य-वार/संघ क्षेत्र-वार संचालित खातों में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जमा मूलधन की राशि

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	31.03.2013 के अनुसार स्थिति
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह काम्पा	10,58,19,062.00

1	2	3
2.	आंध्र प्रदेश काम्पा	17,87,43,08,999.00
3.	अरुणाचल प्रदेश काम्पा	9,33,32,41,813.00
4.	असम काम्पा	2,45,22,55,213.00
5.	बिहार काम्पा	2,22,58,28,034.00
6.	चंडीगढ़ काम्पा	1,76,15,041.00
7.	छत्तीसगढ़ काम्पा	22,04,87,03,872.00
8.	दादरा और नगर हवेली काम्पा	5,36,97,831.00
9.	दमन और दीव काम्पा	77,28,100.00
10.	दिल्ली काम्पा	31,83,72,155.00
11.	गोवा काम्पा	1,23,62,02,262.00
12.	गुजरात काम्पा	5,63,95,97,884.00
13.	हरियाणा काम्पा	3,95,24,74,535.00
14.	हिमाचल प्रदेश काम्पा	10,85,74,10,430.00
15.	जम्मू और कश्मीर काम्पा	1,24,55,77,739.00
16.	झारखंड काम्पा	19,00,47,79,685.00
17.	कर्नाटक काम्पा	6,99,35,27,299.00
18.	केरल काम्पा	26,61,30,721.00
19.	मध्य प्रदेश काम्पा	14,03,37,85,665.00
20.	महाराष्ट्र काम्पा	15,47,24,77,018.00
21.	मणिपुर काम्पा	94,19,60,156.00
22.	मेघालय काम्पा	1,04,00,06,450.00
23.	मिज़ोरम काम्पा	66,32,65,819.00
24.	नागालैंड काम्पा	15,622.00
25.	ओडिशा काम्पा	35,26,98,65,692.00
26.	पंजाब काम्पा	4,33,81,58,913.00
27.	राजस्थान काम्पा	6,97,06,42,908.00
28.	सिक्किम काम्पा	1,62,14,12,833.00
29.	तमिलनाडु काम्पा	44,37,40,645.00
30.	त्रिपुरा काम्पा	76,11,15,710.00
31.	उत्तर प्रदेश काम्पा	6,14,36,85,333.00
32.	उत्तराखंड काम्पा	12,03,72,50,320.00
33.	पश्चिम बंगाल काम्पा	80,44,42,542.00
	कुल	2,04,17,50,96,298.00

तकनीकी वस्त्र

1808. श्री के. सुगुमार :
श्री राजय्या सिरिसिल्ला :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व की हिस्सेदारी की तुलना में भारतीय तकनीकी वस्त्र क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है;

(ख) भारत में तथा वैश्विक स्तर पर इस क्षेत्र में बढ़ती मांगों के मद्देनज़र तकनीकी वस्त्रों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए; और

(ग) क्या सरकार का देश में परिधान को स्रोत केन्द्र के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) विश्व में भारतीय तकनीकी वस्त्र की बाजार में हिस्सेदारी 7.34% है।

(ख) भारत और विश्व में बढ़ रही मांग को देखते हुए तकनीकी वस्त्र की हिस्सेदारी में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए कुछ प्रमुख प्रयासों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

(i) वर्ष 2007-08 में तकनीकी वस्त्रों की वृद्धि एवं विकास योजना (एसजीडीटीटी) 3 घटकों अर्थात् (i) भारत में तकनीकी वस्त्र उद्योग पर बेसलाइन सर्वेक्षण (ii) जागरुकता का निर्माण और (iii) 4 उत्कृष्ट केन्द्रों (सीओई) की स्थापना के साथ लागू की गई थी। एससीजीडीटीटी योजना का कार्यकाल वर्ष 2010-11 के दौरान पूरा हो गया है।

(ii) तकनीकी वस्त्रों में निवेश और रोजगार की वृद्धि करने के लिए 200 करोड़ रुपए की निधि के परिव्यय के 5 वर्षों की

अवधि (2010-11 से 2014-15 तक) के लिए दो लघु मिशन के साथ तकनीकी वस्त्र संबंधी औद्योगिक मिशन (टीएमटीटी) लागू किया गया है। लघु मिशन के अंतर्गत उत्कृष्ट केन्द्रों की स्थापना/उन्नयन किया गया है। व्यवसाय आरंभ करने, तकनीकी वस्त्र के बारे में जागरुकता का निर्माण करने, क्रेता-विक्रेता बैठकों, संविदा अनुसंधान एवं विकास, निर्यात बिक्री के लिए बाजार विकास सहायता और मानकीकरण के माध्यम से सामाजिक अनुपालन, विनियामक उपायों आदि के लिए भी सहायता प्रदान की जा रही है।

(iii) 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 55 करोड़ रुपए के परिव्यय से पूर्वोत्तर क्षेत्र में एग्रो टेक्सटाइल के उपयोग में वृद्धि करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में योजना लागू की गई है।

(iv) तकनीकी वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रमुख मशीनों को प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टफ्स) के अंतर्गत शामिल किया गया है और संशोधित टफ्स, पुनर्गठित टफ्स तथा संशोधित पुनर्गठित टफ्स में 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के अलावा 10% पूंजी सहायता भी निर्दिष्ट तकनीकी वस्त्र मशीन के लिए प्रदान की गई है।

(v) एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी) के अंतर्गत सरकार 40% तक पार्कों में अवसंरचना के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करती है। तकनीकी वस्त्र इकाईयां ऐसे पार्क के निर्माण के लिए एक साथ आ सकती हैं।

(vi) फोकस उत्पाद योजना के अंतर्गत निर्दिष्ट तकनीकी वस्त्र उत्पादों को शालि किया गया है। इस योजना के अंतर्गत इन उत्पादों के निर्यात, निर्यातों के एफओबी मूल्य का 2% के समतुल्य शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्ट के लिए पात्र हैं।

(ग) भारत को अपैरल स्रोत हब बनाने के लिए विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के अंतर्गत अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद् को अधिदेशित किया गया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार ने एफटीपी (2009-14) के अंतर्गत अपैरल निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

क. बाजार विकास सहायता (एमडीए)।

ख. बाजार पहुंच पहल (एमएआई)।

ग. ब्याज आर्थिक सहायता योजना का विस्तार।

घ. फोकस मार्किट योजना (एफएमएस)।

ङ. ईयू और यूएसए बाजार में अप्रैरल क्षेत्र के लिए मार्किट लिंक्ड फोकस उत्पाद योजना (एमएलएफपीएस) का विस्तार।

च. निर्यात संवर्धन पूंजी सामान (ईपीसीजी) योजना को जारी रखना और इसे प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टफ्स) से अलग करना।

छ. कच्ची सामग्री और उपस्करों के आयात के लिए अग्रिम आयात अधिकार शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार (डीएफआईए)।

ज. अखिल उद्योग शुल्क वापसी दर (एआईआर)।

[हिन्दी]

प्रशिक्षु खिलाड़ियों को शारीरिक शिक्षा

1809. श्री बद्रीराम जाखड़ : क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रशिक्षु खिलाड़ियों को शारीरिक शिक्षा देने के लिए कोई योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या पहल की गई; और

(ग) किन-किन राज्यों में उक्त परियोजना को लागू किया गया है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

हाई-टेक उत्पादों का निर्यात

1810. श्री प्रहलाद जोशी :
श्री निशिकांत दुबे :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झारखंड सहित देश के विभिन्न राज्यों की निर्यात क्षमता की जांच करने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में कुल निर्यात में प्रत्येक राज्य द्वारा किए गए योगदान का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यातित ऐसी वस्तुओं की मात्रा और अर्जित विदेशी मुद्रा सहित प्रत्येक राज्य से पहचान की गई निर्यात योग्य वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन उत्पादों की संख्या कितनी है जो फोकस मार्केट स्कीम और स्पेशल फोकस मार्केट स्कीम के तहत आती है;

(घ) क्या घरेलू तौर पर उत्पादित हाई-टेक उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्पर्धा करने में सक्षम नहीं हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश से हाई टेक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. ई.एम.एस. नाच्चीयप्पन) : (क) हाल ही में, आईआईएम कोजीकोड ने चार दक्षिणी राज्यों के निर्यात संभाव्यता पर एक अध्ययन किया है जबकि आईआईएम शिलोंग ने पूर्वोत्तर में आठ राज्यों हेतु एक समान अध्ययन किया है। इन अध्ययनों में की गयी सिफारिशें जांच के अधीन हैं। भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ द्वारा औद्योगिक क्लस्टरों, उभरते बंदरगाहों तथा एयरपोर्टों में अवसंरचना बाधाओं पर एक अध्ययन संचालित किया गया है, जबकि वर्ष 2014 एवं 2010 तक भारत की अवसंरचना आवश्यकताओं का एक और अध्ययन उसी संगठन द्वारा किया गया है। अलग से, विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषद् भी भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) द्वारा किये गए अध्ययन प्राप्त करते हैं। झारखंड की निर्यात संभाव्यता की जांच करने के लिए कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख) प्रत्येक राज्य से निर्यात के लिए अभिज्ञात मदों के ब्यौरे जिसमें निर्यात की गयी ऐसी मदों की मात्रा तथा अर्जित विदेशी मुद्रा शामिल है के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) एफटीपी (2009-14) के पैरा 3.14.3 में उल्लिखित अपात्र श्रेणी के सिवाय फोकस बाजार देशों तथा विशेष फोकस बाजार देशों को सभी उतरादों का निर्यात, स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। वर्तमान में फोकस बाजार स्कीम (एफएमएस) के तहत 125 देश हैं तथा विशेष फोकस बाजार स्कीम (विशेष एफएमएस) के तहत 50 देश हैं।

(घ) घरेलू तौर पर उत्पादित हाई-टेक उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई होती है क्योंकि इसमें कई अशक्ता कारक हैं जैसे घरेलू आईटी हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र ऐसा पहला क्षेत्र था जो सूचना प्रौद्योगिकी करार (आईटी-1) के कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप शून्य सीमाशुल्क व्यवस्था द्वारा प्रभावित था, तद्नुसार, विशिष्ट 217 टैरिफक लाइनों पर सीमाशुल्क को चरणबद्ध रूप से शून्य प्रतिशत तक घटा दिया गया और 2005 से संपूर्ण 217 टैरिफ लाइनें शून्य बेसिक सीमा शुल्क पर हैं, भारत ने कई देशों/व्यापारिक खंडों के साथ मुक्त व्यापार करार (एफटीए)/अधिमानी व्यापार करार किये हैं तथा और अधिक करार वार्ताधीन हैं, जिनमें इन देशों से इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर का आयात शुल्क की अधिमानी दर पर होगा, जो सामान्य प्रशुल्क दर से न्यूनतम है इसके अलावा अन्य अक्षमता कारक भी है जैसे-कर व्यवस्था का उच्चतम स्तर, ऊर्जा की उच्च लागत, वित्त तथा प्रभार, अपर्याप्त अवसंरचना; पारगमन की उच्च लागत, आपूर्ति शृंखला की कमी आदि जो घरेलू इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण को अप्रतिस्पर्धी बनाता है तथा पूंजीगत निवेश और बड़े स्तर के निवेश को हतोत्साहित करता है।

(ङ) सरकार ने देश में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं उत्पादन सेक्टर को संवर्धित करने के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति को अधिसूचित किया है। यह नीति देश की आवश्यकता को पूरा करने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की सेवा प्रदान करने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक ईएसडीएम उद्योग निर्माण करने की परिकल्पना करता है। इसके अतिरिक्त देश से हाईटेक टेलीकॉम उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से निम्नलिखित स्कीमें भी हैं:—

(i) फोकस बाजार स्कीम (एफएमएस) (ii) फोकस उत्पाद स्कीम (एफटीएस) (iii) मार्केट लिंक्ड फोकस प्रोडक्ट स्कीम (एमएसएफपीएस) (iv) ब्याज छूट स्कीम (v) बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम और (vi) बाजार विकास सहायता (एमडीए) स्कीम।

[अनुवाद]

पत्तनों की क्षमता

1811. श्री रवनीत सिंह : क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पत्तनों की क्षमता में वृद्धि करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में पत्तनों की क्षमता में वृद्धि/आधुनिकीकरण करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन) : (क) और (ख) जी, हां। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, विभिन्न महापत्तनों पर अब तक 13 परियोजनाएं सौंपी गई हैं जिनमें 3831.00 करोड़ रुपए की लागत पर 80.85 मिलियन टन प्रतिवर्ष (एमटीपीए) का क्षमता आवर्द्धन होगा।

(ग) पत्तनों के क्षमता आवर्द्धन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:—

(i) पत्तन विकास परियोजनाओं के लिए स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है।

(ii) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार आयकर प्रोत्साहनों की अनुमति है।

(iii) आरएफक्यू, आरएफपी और रियायत करार जैसे बोली दस्तावेजों का मानकीकरण किया गया है।

(iv) पीपीपी परियोजनाओं के लिए निवेश हेतु अनुमोदन प्रदान करने के लिए पोत परिवहन मंत्रालय को बढ़े हुए वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन।

(v) सुरक्षा अनापत्ति प्रक्रियाओं को सुप्रवाही बनाया जाना।

(vi) महापत्तनों में विकासात्मक परियोजनाओं की नज़दीकी से मॉनीटरिंग।

पत्तनों का निगमीकरण

1812. श्री पी. विश्वनाथन : क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निगमीकरण के पश्चात् एन्नोर पोर्ट लिमिटेड द्वारा अर्जित लाभ का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास एन्नोर पोर्ट की मूल्यांकन रिपोर्ट है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार के पास देश में अन्य पत्तनों के निगमीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) एन्नोर पोर्ट के अतिरिक्त अन्य पत्तनों को दी गई बजटीय सहायता का पत्तन-वार ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन) : (क) विगत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान एन्नोर पत्तन लि. द्वारा अर्जित लाभ का विवरण निम्नानुसार है:—

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	कर पश्चात् लाभ (करोड़ रुपए में)
1.	2010-11	55.58
2.	2011-12	96.72
3.	2012-13	173.67
4.	2013-14 (30.09.2013 को समाप्त छमाही)	147.13

(ख) और (ग) सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा एन्नोर पत्तन के कार्य निष्पादन की वार्षिक समीक्षा प्रचालन अनुपात, सकल मार्जिन, यातायात निपज, सतत् विकास क्षमता वृद्धि, अनुसंधान एवं विकास पहलू, ग्राहक संतोष, गुणवत्ता प्रबंधन, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व आदि को वित्तीय एवं गैर-वित्तीय दोनों मानदंडों से समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देते समय की जाती है। डीपीई द्वारा वर्ष 2007-08 से प्रत्येक वर्ष एन्नोर पत्तन को उत्कृष्ट ग्रेड प्रदान किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार द्वारा स्थापित विशेषज्ञ समिति के महापत्तनों के निगमीकरण की नीति बनाते हुए यह सिफारिश की है कि पूर्ण निगमीकरण किए जाने से पहले समस्त पत्तनों का निजीकरण करते हुए वाणिज्यिकीकरण की प्रक्रिया आरंभ की जाए। समति की इस सिफारिश के अनुसरण में मंत्रालय द्वारा समस्त महापत्तनों में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं को सार्वजनिक-निजी भागीदारी प्रणाली द्वारा अपना लिया गया है। इसके अतिरिक्त यांत्रिकीकरण परियोजनाएं जैसे हार्बर मोबाइल क्रेनों का परिनियोजन भी निजी सेक्टर द्वारा किया जा रहा है। विद्यमान महापत्तनों पर पूर्ण निगमीकरण की प्रक्रिया को विभिन्न बाधाओं के कारण आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।

(च) वर्ष 2013-14 के बजट प्राक्कलन में पत्तन-वार बजट समर्थन प्रावधान निम्नानुसार है:—

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	पत्तन का नाम	योजना/गैर-योजना	राशि
1.	कोलकाता	गैर-योजना	379.00
2.	वी.ओ. चिदम्बरनार, तूतीकोरीन	योजना	200.00
3.	कोचीन	योजना	30.00
4.	चेन्नई	योजना	15.00
5.	मुरगांव	योजना	110.00

[हिन्दी]

परियोजनाओं की अनुमति की समीक्षा

1813. श्रीमती कमला देवी पटले : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खनन क्षेत्र में कुछ विद्युत परियोजनाओं को प्रदत्त अपने पूर्व अनुमोदनों की पुन: जांच करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं के क्या नाम हैं जिन पर पुनः विचार किया जाना है;

(ग) चार वर्षों से अधिक समय के लिए अनुमोदन हेतु मंत्रालय के पास लंबित पड़ी परियोजनाओं के क्या नाम हैं और उनके लंबित रहने के क्या कारण हैं;

(घ) उक्त परियोजनाओं को अनुमोदित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) देश में परियोजनाओं को पर्यावरण और वन संबंधी अनुमति प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा अधिकतम कितना समय लिया जाता है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) जी, नहीं। पर्यावरण और वन मंत्रालय खनन क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं को दिये गये अपने पहले के पर्यावरण और वन मंजूरी संबंधी अनुमोदनों पर पुनः विचार नहीं कर रहा है।

(ग) से (ङ) वन स्वीकृति के लिए इस मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकारों के पास सात प्रस्ताव चार वर्ष से अधिक समय से लंबित पड़े हुए हैं, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया हैं। पर्यावरणीय स्वीकृति मांगने वाले प्रस्तावों पर कार्रवाई समय-समय पर यथा संशोधित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 2006 के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। वन स्वीकृति के प्रस्तावों पर कार्रवाई वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। लंबित होने के कारणों में, अन्य बातों के साथ-साथ, परियोजना प्रस्तावकों और राज्य सरकारों द्वारा अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत करने में समय लिया जाना शामिल है। पूरी और समुचित रिपोर्टें प्राप्त होने पर, यह मंत्रालय पर्यावरणीय स्वीकृति और वन स्वीकृति प्रदान करने के लिए समयबद्ध प्रदान करने के लिए समयबद्ध आधार पर तत्परतापूर्वक कार्रवाई करता है।

विवरण

संबंधित राज्य सरकारों के पास लंबित प्रस्ताव

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्रस्ताव का नाम	शामिल क्षेत्र	स्थिति
1	2	3	4	5
1.	मध्य प्रदेश	मैसर्स वेल्स्पेन एनर्जी लि. के पक्ष में राजस्व वन में 1980 मेगावाट के ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना	7.84	राज्य सरकार के पास लंबित
2.	मध्य प्रदेश	विद्युत संयंत्र का निर्माण	3.88	राज्य सरकार के पास लंबित
3.	ओडिशा	एनटीपीसी लि. द्वारा सुंदरगढ़ जिले के सुंदरगढ़ वन प्रभाग के अधीन दारलिपली और रायडीही ग्रामों में दारलिपली सुपर ताप विद्युत परियोजना स्थापित करने हेतु 13.95 हैक्टेयर वन भूमि का अपवर्तन।	13.95	राज्य सरकार के पास लंबित
4.	ओडिशा	मैसर्स मोंनेट पावर कंपनी लि. द्वारा छेनदीपाड़ा, अंगुल में 1000 मेगावाट के ताप विद्युत संयंत्र के निर्माण हेतु 18.281 हैक्टेयर वन भूमि का अपवर्तन।	18.281	राज्य सरकार के पास लंबित
5.	ओडिशा	अंगुल जिले के माली ब्रह्माणी में मोनेट पावर कंपनी लि. द्वारा 1050 मेगावाट के कोल फायर्ड ताप विद्युत को स्थापित करने हेतु 17.088 हैक्टेयर वन भूमि का अपवर्तन और 1.193 हैक्टेयर वन भूमि का पुनः अपवर्तन।	17.088	राज्य सरकार के पास लंबित
6.	तमिलनाडु	निदेशक, कोस्टल तमिलनाडु पावर लि., नई दिल्ली के पक्ष में चैय्यर मेगा विद्युत परियोजना हेतु कांचीपुरम	9.83	राज्य सरकार के पास लंबित

1	2	3	4	5
		जिले की मदुरांथम्म रेंज की पलाईयुर आरएफ में 9.83 हैक्टेयर वन वन भूमि का अपवर्तन।		
7.	उत्तर प्रदेश	सोनभद्र जिले में एनटीपीसी के पक्ष में एश डेम और एश पाइप लाइन हेतु रिहंद सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण-III (2×500) मेगावाट के निर्माण हेतु 146.31 हैक्टेयर वन भूमि का अपवर्तन।	146.31	राज्य सरकार के पास लंबित

[अनुवाद]

टेक्सटाइल स्कूल

1814. श्री पी.आर. नटराजन : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चल रहे सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ टेक्सटाइल्स एंड मैनेजमेंट (एसवीपीआईएसटीएम) का तमिलनाडु सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू पंचवर्षीय योजना के लिए आवंटित/उपयोग में लाई गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हाल में तमिलनाडु में एसवीपीआईएसटीएम स्कूलों के कार्यकरण का मूल्यांकन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ टेक्सटाइल्स एण्ड मैनेजमेंट (एसवीपीआईएसटीएम) केवल कोयम्बटूर में कार्य कर रहा है एवं इसकी तमिलनाडु अथवा अन्यत्र कोई अन्य शाखा नहीं है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित/प्रयुक्त निधि का ब्यौरा इस प्रकार है:—

वर्ष	आबंटन	प्रयुक्त	
		गैर-आवर्ती	आवर्ती
2010-11	17.50	11.62	3.12
2011-12	1.25	2.32	3.70
2012-13	शून्य	0.39	3.15

चालू पंचवर्षीय योजना में संस्थान को कोई निधि आबंटित नहीं की गई।

(ग) विगत कुछ समय में एसवीपीआईएसटीएम स्कूल ऑफ तमिलनाडु के कार्यकरण के बारे में कोई स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

आईओए को बजटीय सहायता

1815. श्रीमती श्रुति चौधरी : क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) को प्रदत्त बजटीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न शीर्षों के तहत आईओए द्वारा खर्च की गई राशि कितनी है; और

(ग) ग्यारहवीं और बारहवीं योजना अवधि में निधि में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान बहु-खेल विधा स्पर्धाओं यथा ओलंपिक खेल, एशिकयाई खेल, एशियाई युवा खेल, ओलंपिक युवा खेल आदि में भारतीय खिलाड़ियों की भागीदारी के लिए मंत्रालय द्वारा भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) को निम्नलिखित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई:—

क्र.सं.	वर्ष	राशि (लाख रुपए)
01.	2010-11	1324.60
02.	2011-12	39.54
03.	2012-13	59.00

मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता विमान यात्रा, वीसा, फीस, एयरपोर्ट टैक्स, विदेशी चिकित्सा बीमा, आऊट ऑफ पॉकेट भत्ता, आवास और भोजन, समारोह की पोशाक, किट भत्ता, अतिरिक्त सामान, उपस्करों के किराए पर लेना आदि कि लिए थी।

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना पहले ही समाप्त हो गई है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में खेल विभाग के लिए 4600 करोड़ का आबंटन है जिसमें आईओए की फंडिंग सम्मिलित है। तथापि, आईओए के लिए निधियों का कोई विशिष्ट आबंटन नहीं है।

[हिन्दी]

रोजगार के अवसर

1816. श्री लक्ष्मण टुडु :
श्रीमती रमा देवी :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्याहवीं पंचवर्षीय योजना में 58 मिलियन नए रोजगार अवसरों के सृजन का लक्ष्य रखा गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वे क्षेत्र कौन से हैं जहां ये रोजगार अवसर सृजित किए जाने थे; और

(ग) इस संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) और (ख) वर्ष 2007-12 की योजना अवधि के दौरान ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 58 मिलियन रोजगार अवसरों का अतिरिक्त रूप से सृजन करने का आकलन किया गया था जिन प्रमुख क्षेत्रों में रोजगार अवसरों का सृजन किया जाना था, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में सृजित रोजगार अवसरों में की गई प्रगति पर अनुमान रोजगार एवं बेरोजगारी पर 2004-05 और 2009-10 के दौरान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा आयोजित किए जाने वाले श्रम बल सर्वेक्षणों से लगाया जाता है। इस अवधि में लगभग 20 मिलियन अतिरिक्त रोजगार अवसरों का सृजन किया गया तथा राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए आकलित रोजगार तथा वर्तमान दैनिक स्थिति आधार पर 2004-05 एवं 2009-10 के दौरान अनुमानित क्षेत्र-वार रोजगार

(मिलियन में)

उद्योग	अतिरिक्त रोजगार अवसरों के सृजन के लिए 11वीं योजना (2007-08 से 2011-12 के दौरान आकलित रोजगार)	निम्न के दौरान रोजगार (एनएसएसओ सर्वेक्षणों पर आधारित)	
		2004-05	2009-10
1	2	3	4
कृषि	0	200.40	191.84
खनन एवं उत्खनन	0	2.44	3.25
विनिर्माण	11.94	49.67	49.22
बिजली, गैस एवं जल आपूर्ति	0.02	1.33	1.42
निर्माण	11.92	21.44	38.66
व्यापार, होटल एवं रेस्तरां	17.40	48.58	51.40
परिवहन, भंडारण और संचार	9.03	17.76	20.49

1	2	3	4
वित्तीय सेवाएं	3.43	7.72	4.14
सामुदायिक सामाजिक और कार्मिक सेवा और अन्य सेवाएं	4.34	35.58	44.54
कुल रोजगार	58.07	384.91	404.93

एकल प्रशासनिक दस्तावेज मॉडल

1817. श्री ए.टी. नाना पाटील :
श्री देवजी एम. पटेल :
श्री कामेश्वर बैठा :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में व्यापार घाटा को घटाने और निर्यातों को सुकर बनाने के लक्ष्य से एकल प्रशासनिक दस्तावेज (एसएडी) घोषणा मॉडल को लागू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात में कांडला पत्तन सहित भार में विभिन्न पत्तनों पर इस मॉडल के कार्यान्वयन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. ई.एम.एस. नाच्चीयप्पन) : (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार किसी एकल प्रशासनिक दस्तावेज (एसएडी) उद्घोषणा मॉडल को कार्यान्वित करने के लिए विचार नहीं कर रही हैं।

(ग) और (घ) उपरोक्त के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखंड में सड़कें

1818. श्री पी.सी. मोहन : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सीमा पर चीनी गतिविधियों के आलोक में विशेषकर उत्तराखंड और नेपाल से सटे सीमा क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए किसी स्कीम पर कार्य कर रही है;

(ख) क्या इस संबंध में संबंधित राज्यों से ऐसे कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (घ) चीन की सीमा के साथ निर्माण के लिए नाजुक रूप से और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के रूप में 73 सड़कों की पहचान की गई थी। इन 73 सड़कों में से 440.74 कि.मी. माप की 19 सड़कें उत्तराखंड में हैं।

भारत सरकार ने नेपाल बार्डर के साथ 1377 किमी. सड़कों के निर्माण और उन्नयन का भी अनुमोदन कर दिया है (उत्तराखंड में 173 कि.मी., उत्तर प्रदेश में 640 कि.मी. और बिहार में 564 कि.मी.)।

[अनुवाद]

नदी के बालू का इस्तेमाल

1819. श्री नलिन कुमार कटील : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नदी के बालू के उत्खनन और संवितरण के लिए किसी उपर्युक्त निधि/विनियम के होने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का नदी के बालू विकल्प के रूप में उपयुक्त वैकल्पिक निर्माण सामग्री की तलाश पर अनुसंधान करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (घ) खान मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) (अधिनियम, 1957 की धारा 15 के तहत गौण खनिजों के संबंध में उत्खनन पट्टों, खनन पट्टों और अन्य खजिन और अन्य खनिज रियायतों की मंजूरी को विनियमित करने के लिए नियम बनाने के अधिकार राज्य सरकारों को दिए गए हैं। खान मंत्रालय ने मसौदा आदर्श गौण खनिज दिशा-निर्देश

तैयार किए हैं ताकि राज्य अपने-अपने गौण खनिज संरक्षण और विकास नियम बना सकें। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित समय-समय पर यथासंशोधित पर्यावरण प्रभाव मूलयांकन अधिसूचना, 2006 के अनुसार बालू रेत खनन की परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करनी होती है।

रक्षा खरीद प्रक्रिया

1820. **श्री कुलदीप बिश्नोई :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रक्षा खरीद प्रक्रिया (डीपीपी) को संशोधित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देशीकरण पर अधिक जोर देने तथा सशस्त्र बलों के लिए हथियार और संबद्ध प्रणाली की खरीद के लिए सरकारी/निजी क्षेत्रों सहित भारतीय रक्षा उद्योग को अस्वीकार करने का प्रथम अधिकार देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डीपीपी) का पुनरीक्षण सतत् आधार पर किया जाता है और संशोधन नियमित रूप से प्रख्यापित किए जाते हैं। डीपीपी को हाल ही में संशोधित कर दिया गया है और 01 जून, 2013 से प्रख्यापित कर दिया गया है। पूर्व संशोधन 2005 (01.07.2005), 2006 (01.09.2006), 2008 (01.09.2008) और 2011 (01.01.2011) में हुए थे। रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया 2013 में किए गए संशोधनों का उद्देश्य स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना, अधिग्रहण प्रक्रिया को कदम-दर-कदम स्पष्ट करके कार्रवाई के समय को कम करना और पूंजी अधिग्रहण प्रक्रिया में और स्पष्टता लाना है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डीपीपी 2013) में स्वदेशीकरण पर विशेष जोर देने के लिए निम्नलिखित प्रावधान शामिल किए गए हैं:—

(i) **पूंजी अधिग्रहण की विभिन्न श्रेणियों की प्राथमिकता:** स्वदेशी उत्पादन के लिए अब प्राथमिकता दी जाएगी। श्रेणीकरण समितियां इस प्रकार वरीयताक्रम अनाएंगी (1) 'खरीदो (भारतीय)' अपनाकर (2) 'खरीदो और बनाओ (भारतीय)' (3) 'खरीदो' (4) 'टीओटी के साथ खरीदो और बनाओ' और (5) 'खरीदो (वैश्विक)' उच्चतर प्राथमिकता प्राप्त श्रेणियों पर विचार न करने के विस्तृत कारण रिकॉर्ड किए जाने हैं।

(ii) **'खरीदो और बनाओ (भारतीय)' का सरलीकरण:** 'खरीदो और बनाओ (भारतीय)' प्रक्रिया को विचार-पूर्वक सरल कर दिया गया है। यह उम्मीद की जाती है कि इस श्रेणी के अंतर्गत मामलों को तीव्र प्रक्रिया से परिणामी बनाएं।

(iii) **रख-रखाव टीओटी:** 'खरीदो (वैश्विक)' मामले में विक्रेता प्रौद्योगिकी का रख-रखाव स्थानांतरण प्रौद्योगिकी एमटीओटी भारतीय निजी उद्योगों को भी प्रदान कर सकता है। यह 'खरीदो (वैश्विक)' मामलों में भारतीय विक्रेताओं से एमटीओटी प्राप्त करने के लिए भारतीय निजी उद्योग को अनुमति देता है।

(iv) **स्वदेशी विषय-वस्तु पर स्पष्टत:** 'खरीदो (भारतीय)' श्रेणियों के लिए 30% और 'खरीदो और बनाओ (भारतीय)' श्रेणियों के लिए 50% स्वदेशी विषय-वस्तु को स्पष्ट रूप से प्ररिभाषित किया गया है। यह अपेक्षित स्पष्ट प्रदान करेगा।

(v) विक्रेताओं द्वारा स्व-प्रमाण के आधार पर स्वदेशी विषय-वस्तु के मूल्यांकन की एक विधि परिशिष्ट-एफ से अध्याय-I में स्पष्ट रूप से दर्शाई गई है।

(vi) स्वदेशी विषय-वस्तु अपेक्षाओं के उप-विक्रेता के निम्नतम टियर तक को सभी तरह से अब विस्तृत हो जाएंगी। इस तरह उप-विक्रेताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पादनों में आयात विषय-वस्तु स्वदेशी विषय-वस्तु को अर्ह नहीं करेगी।

(vii) नवीनतम स्तर पर कमियों को पूरा करने की संभावना सहित प्रत्येक दिए गए स्तर पर निर्धारित स्वदेशी विषय-वस्तु प्राप्त होने पर शस्ति लगाई जाएगी।

(viii) स्वदेशी विषय-वस्तु प्रतिशत मूल उपस्कर, निर्माताओं द्वारा सिफारिश किए गए कलपुर्जों, विशेष औजारों और परीक्षण उपस्कर में भी प्राप्त किया गया है।

(ix) 'खरीदो (भारतीय)' मामले में परीक्षण स्तर पर दिए गए उत्पाद में कम से कम 30% स्वदेशी विषय-वस्तु भी होनी चाहिए। तथापि, 'खरीदो और बनाओ (भारतीय)' मामले में 'खरीदो (भाग)' के लिए कोई न्यूनतम स्वदेशी विषय-वस्तु आवश्यकता अनुबंधित नहीं की गई हैं यह वास्तविक स्वदेशीकरण को प्रोत्साहित करेगा और समसामयिक बैठक सेवा आवश्यकता के समय टीओटी को आत्मसात करने के

लिए और निर्माण सुविधा का गठन करने के लिए भारतीय विक्रेताओं को और समय प्रदान करेगा।

(x) प्रथम मूल उपस्कर में कम-से-कम 30% स्वदेशी विषय-वस्तु भारत में बनाई गई/निजी जोड़ी गई और तत्पश्चात् कुल सुपुर्दगियों में से 50% स्वदेशी विषय-वस्तु प्राप्त करने के लचीलेपन सहित उनकी सुपुर्दगी की जाती है। इस तरह, उद्योग उनकी पसंद के ग्रेड प्राप्त गति में कुल संविदा मूल्य का समग्र 50% स्वदेशी विषय-वस्तु अब प्राप्त कर सकते हैं।

(xi) वाणिज्यिक खंड को अद्यतन कर दिया गया है और सदृश्य अवसर स्थिति सृजित करने के लिए युक्ति संगत कर दिया गया है। व्यक्तिपरकता को कम करने के लिए बोली मूल्यांकन निर्धारण को और विस्तृत बनाया गया है।

(xii) 300 करोड़ या उससे अधिक मूल्य सहित सीधे खरीदो का 30% अथवा रख-रखाव स्थानांतरण प्रौद्योगिकी टीओटी ['खरीदो (वैश्विक)' अथवा 'टीओटी श्रेणियों के साथ खरीदो और बनाओ' श्रेणियों] के माध्यम से खरीद ऑफसेट दायित्वों के रूप में आयेगी। रक्षा, अंतर्देशीय/तटीय सुरक्षा और सिविल एयरोस्पेस उत्पाद और रख-रखाव, मरम्मत, प्रशिक्षणख अनुसंधान एवं विकास को ऑफसेट दायित्वों का निर्वहन करने के लिए पात्र उत्पादों और सेवाओं के रूप में मान्यता दी जाती है [डीपीपी के परिशिष्ट-घ के अध्याय-I का अनुबंध-VI]। भारतीय सार्वजनिक/निजी उद्यमों पर खरीद अथवा निर्यात आर्डर देना,, भारतीय सार्वजनिक/निजी उद्यमों सहित एफडीआई, भारतीय उद्यमों को टीओटी अथवा उपस्कर का प्रावधान अथवा भारतीय अनुसंधान और विकास के लिए टीओटी ऑफसेट दायित्वों का निर्वहन करने के लिए विक्रेता के लिए अवसर होते हैं।

(xiii) मुख्य संविदाकर्ता संविदा की समय-सीमा के भीतर ऑफसेट दायित्वों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होता है और अधिकतम दो वर्ष का विस्तार की अनुमति अतिरिक्त कार्य-निष्पादन बांड को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के साथ संविदा अवधि से परे दी जाती है।

(xiv) ऑफसेट क्रेडिट की बैंकिंग 7 वर्ष की वैधता सहित अनुमेय है। प्रत्येक संविदा के अंतर्गत अधिकतम 50% ऑफसेट दायित्व जब बैंक किए गए ऑफसेट क्रेडिट प्रयोग किए जाते हैं, अनुमेय हैं।

(xv) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के मामले में 1.50 मल्टीप्लायर और ऑफसेट दायित्वों के निर्वहन में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के मामले में 3.00 तक का प्रावधान ऑफसेट दिशा-निर्देशों में उपलब्ध है।

(xvi) ऑफसेट कार्यान्वयन में चूक के मामले में शास्तियों और विवर्जन का प्रावधान है।

राज्य राजमार्ग का क्रमोन्नयन

1821. श्री हरिभाऊ जावले : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य राजमार्ग संख्या 4 अंकलेश्वर-बुरहानपुर को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार और जन प्रतिनिधियों से कोई प्रस्ताव/अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) से (ग) जी, हां। नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने प्रस्ताव अग्रेषित किया है। मंत्रालय ने सड़क संपर्क की आवश्यकता परस्पर प्राथमिकता और निधि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण देश में 10 हजार किमी. नए राष्ट्रीय राजमार्ग पहले ही घोषित कर दिए हैं। राज्य राजमार्ग संचसर 4 (अंकलेश्वर-बुरहानपुर) का यह खंड नवीन घोषित राष्ट्रीय राजमार्गों की सूची में नहीं है।

रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन

1822. श्री एस.एस. रामासुब्बू : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन कुछ माह पहले ब्रुनेई में हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने सम्मेलन में भाग लिया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्मेलन का क्या महत्व है और इस सम्मेलन से भारत को कितना लाभ होगा; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (घ) आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक (आसियान डिफेंस मिनिस्टस मीटिंग) प्लस (एडीएमएम)

एशिया प्रशांत क्षेत्र में समग्र क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना विकसित करने के लिए एक पहल है। भारत एडीएमएम प्लस का एक गैर-आसियान सदस्य है और आसियान देशों के साथ सहयोग की नीति के अनुसरण में इस मंच की गतिविधियों में सक्रिय रूप में भाग ले रहा है ताकि क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा में योगदान दे सके। एडीएमएम प्लस की दूसरी बैठक ब्रुनेई दारुसलम में 29 अगस्त, 2013 करे आयोजित की गई थी और इसमें रक्षा राज्य मंत्री ने भाग लिया था।

[हिन्दी]

विद्युत संयंत्र को स्वीकृति

1823. श्री पूर्णमासी राम : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोडरमा और हजारीबाग, झारखंड में निर्माणाधीन 4000 मेगावाट के विद्युत संयंत्र के निर्माण हेतु कितनी भूमि को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ख) क्या कुछ निजी कंपनियों द्वारा पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है;

(ग) क्या कंपनियों ने उन्हें दी गई भूमि के पर्यावरण के संरक्षण हेतु विकसित की जाने वाली वैकल्पिक भूमि की सूचना दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को जन शिकायतों पर ध्यान न देने के लिए कंपनियों के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने झारखंड के हजारीबाग जिले में तिलैया गांव के पास 2695 एकड़ क्षेत्र में स्थित मैसर्स झारखंड इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड की 4000 मेगावाट की आधुनिक मेगा पावर परियोजना को दिनांक 07.04.2008 को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की थी।

(ख) से (च) पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 की सूची में उल्लिखित परियोजनाओं के लिये पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा इस अधिसूचना के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति दी जाती है। पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की मानीटरिंग मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की जाती है। उल्लिखित शर्तों का अनुपालन नहीं होने पर अधिसूचित पर्यावरणीय विनियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

निजी प्लेसमेंट एजेंसियों के विरुद्ध मामले

1824. श्री अंजनकुमार एम. यादव :
श्री एस. अलागिरी :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी प्लेसमेंट एजेंसियों के संबंध में पंजीकृत मामलों संबंधी आंकड़ों का रख-रखाव केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखा जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) पंजीकृत और अपंजीकृत निजी प्लेसमेंट एजेंसियों पर निगरानी रखने के लिए तंत्र का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त तंत्र के माध्यम से प्राप्त सफलता का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) और (ख) निजी प्लेसमेंट एजेंसियों के संबंध में पंजीकृत मामलों संबंधी आंकड़ों का रखरखाव केंद्रीय रूप से नहीं किया जाता है क्योंकि यह संबंधित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है।

(ग) श्रम और रोजगार मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की निजी प्लेसमेंट एजेंसियों के कार्यकरण के विनियमन पर विचार करने के लिए 30.10.2013 को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बाद में मंत्रालय ने राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को अक्तूबर, 2010 में, विशिष्ट रूप से दूकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत घरेलू कामगारों के मुहैया कराने वाली प्लेसमेंट एजेंसियों को पंजीकृत करने का अनुरोध किया है।

(घ) इस संबंध में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए प्रयासों की सफलता के बारे में निश्चित रूप से बताना संभव नहीं है क्योंकि केंद्रीय सरकार द्वारा इन सूचनाओं को एकत्र नहीं किया जाता है या इनका रखरखाव नहीं किया जाता है।

[हिन्दी]

राज्य में सड़कों का विकास

1825. श्री अशोक कुमार रावत : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अंतर्गत राज्य में सांडिला से भरतपुर, सांडिला से प्रतापनगर

वॅसिंग, सांडिला से बंगेरमाऊ वाया सायी नदी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 तक, वाया सीसावा और सीतापुर से प्रतापनगर वॅसिंग वाया गोमती नदी पर नमीशण्य पुल पर सड़कों के निर्माण हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[अनुवाद]

प्रवासी पक्षियों की संख्या

1826. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात को संज्ञान में लिया है कि विगत कुछ वर्षों में प्रवासी पक्षियों की संख्या में अत्यधिक कमी आई है और ये गैर-सामाजिक तत्वों के शिकार बने हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार बड़ी संख्या में पक्षियों को आकर्षित करने और इन्हें बचाने हेतु माहौल/परिवेश निर्मित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) भारत में प्रवासी पक्षियों की लगभग 70 प्रजातियां होने की सूचना है। इनमें से 175 प्रजातियां मध्य एशियाई फ्लाइवे क्षेत्र, जिसमें मध्य साइबेरिया, मंगोलिया, मध्य एशियाई गणतंत्र, ईरान एवं अफगानिस्तान, खाड़ी देश एवं ओमान, तथा भारतीय उप-महाद्वीप शामिल है, का प्रयोग करते हुए लम्बी दूरी का प्रवास करती हैं। केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा वित्त पोषित चुनिंदा वैज्ञानिक संस्थान, राज्यों के वन विभाग तथा नम भूमियों और प्रवासी पक्षियों के लिये कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) भारत में लम्बी दूरी के इन प्रवासी पक्षियों की स्थिति की मॉनीटरिंग करते रहे हैं। "वेटलैण्ड्स इंटरनेशनल" द्वारा समन्वित नवीनतम "एशियाई जल पक्षी गणना" के अनुसार, क्षेत्र में संकटापन्न प्रवासी पक्षियों की संख्या या तो घट रही है अथवा स्थिर है।

प्रवासी वन्यजीव प्रजाति संरक्षण सम्मेलन (सीएमएस) अथवा बॉन सम्मेलन के नाम से भी ज्ञात) एक अन्तर सरकारी समझौता है जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तत्वाधान में संपन्न हुआ था। इसका उद्देश्य स्थलीय, जलीय और पक्षी प्रजातियों को उनके पूरे प्रक्षेत्र में संरक्षित रखना है। भारत इस सम्मेलन के हस्ताक्षर कर्त्ताओं में से है। सीएमएस सचिवालय ने केन्द्रीय एशियाई फ्लाइवे (सीएएफ) जो प्रवासी पक्षियों के लिये विश्व के बड़े मर्मस्थलों में से एक है, के लिये 11 जनवरी, 2008 को एक कार्ययोजना की शुरुआत की। इस सीएएफ कार्य योजना में डाइवर्स, ग्रेबेस, पेलिकन्स, कॉरमोरेन्ट्स, हेरोन्स, स्टॉर्कस, इबिसेस, फ्लैमिंगोस, एनाइटिडस, क्रेन्स, रेल्स, संगरेबेस, जैकाना, क्रैब प्लोवर्स, आयस्टर कैचर्स, इबिस बिल्स, स्टिल्टस एवं एवोसेट्स, प्रैटिनकोस, प्लोवर्स, स्कोलोपैसिड्स, गुल्स एवं टर्नस की 175 प्रजातियों को शामिल किया गया है। इन वर्गों में से 15 प्रजातियों भारत के प्रवासी पक्षी हैं जो सीएमएस के पारिशिष्ट-I में सूचीबद्ध हैं। एक को छोड़कर शेष सभी प्रजातियों की संख्या भारत सहित एशिया में घटती पाई गई है।

प्रवासी पक्षियों की संख्या में कमी होने का मुख्य कारण शिकार करना; प्रवासी मार्ग में फन्दा डालना; पर्यावास का विनाश; घरेलू मलजल, कीटनाशकों एवं उर्वरकों द्वारा नमभूमि का प्रदूषण है।

(ग) से (ङ) पक्षियों के लिये उपयुक्त पर्यावास के सृजन एवं अनुरक्षण तथा उनकी रक्षा के लिये उठाये गये प्रमुख कदम इस प्रकार हैं:—

(i) प्रवासी पक्षियों सहित दुर्लभ और संकटापन्न पक्षियों को सुरक्षा की उच्चतम श्रेणी प्रदान करते हुए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनूसूची-I में शामिल किया गया है।

(ii) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों का उल्लंघन होने पर अधिनियम में कड़ी सजाओं का प्रावधान किया गया है।

(iii) पक्षियों और उनके पर्यावासों के बेहतर संरक्षण और सुरक्षा के लिये प्रवासी पक्षियों सहित पक्षियों के महत्वपूर्ण पर्यावासों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(iv) संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

(v) वन्यजीवों तथा उनके शरीरांगों और उनसे बने उत्पादों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना की गई है।

(vi) भारत, सरकार सम्मेलन (नमभूमियों संबंधी सम्मेलन) का एक संविदाकर्त्ता पक्षकार है और भारत में 25 नमभूमियों को रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(vii) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने देश में नमभूमियों के बेहतर संरक्षण के लिए नमभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2010 अधिसूचित किया है।

मजदूरी में असमानता

1827. श्री डी.के. सुरेश : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि नैमित्तिक श्रमिकों को मनरेगा श्रमिकों की तुलना में अधिक मजदूरी दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान नैमित्तिक एवं मनरेगा श्रमिकों को भुगतान की गयी मजदूरी का राज्य-वार एवं वर्ष-वार तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मजदूरी में असमानता के कारण, मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्य निर्धारित समय में पूरा नहीं हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में नैमित्तिक एवं मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी में समानता लाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) से (च) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और उनसे सम्बद्ध अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा नैमित्तिक अथवा मौसमी अथवा अनियमित प्रकृति के कार्यों में नैमित्तिक कामगार लगे हुए हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, के अंतर्गत इनकी मजदूरी विनियमित है। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी की दर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी दर से असंबद्ध कर दी जाती है। इसके अलावा, मनरेगा के तहत मजदूरी कृषि श्रम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआईएएल) के साथ अनुक्रमित हैं। कुछ राज्यों में नैमित्तिक कामगारों के लिए मजदूरी दर मनरेगा कामगारों से अधिक है साथ ही सभी राज्यों में नैमित्तिक कामगारों और मनरेगा कामगारों के लिए मजदूरी दरों में भिन्नता होती है।

[हिन्दी]

वाहन विनिर्माण कारखाना

1828. श्री राकेश सिंह : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि जबलपुर में वाहन विनिर्माण कारखाने के आस-पास सड़कें टूटी-फूटी हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त सड़कों के निर्माण/रख-रखाव के लिए सरकार ने कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। वाहन निर्माणी जबलपुर ने वार्षिक विकास योजना में क्षतिग्रस्त सड़कों की रिसरफेसिंग के लिए आयुध निर्माणी बोर्ड का अनुमोदन लिया है। सेना इंजीनियरी सेवा ने रिसरफेसिंग के लिए आर्डर दिया है और इसके पूरा होने की संभावित तारीख 02.04.2014 है।

[अनुवाद]

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980

1829. श्री वीरेन्द्र कश्यप : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की योजना देश में, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को शिथिल करने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार और निर्वाचित प्रतिनिधियों ने अधिनियम की कुछ धाराओं को शिथिल करने का कभी निवेदन किया है ताकि उन क्षेत्रों में जहां केन्द्र सरकार से अनुमति मांगी जाती है, विकास में सहायता मिल सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार की देश में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को शिथिल करने की कोई योजना नहीं है।

(ग) से (ङ) हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया था कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत सरकारी विभागों द्वारा निष्पादित की जाने वाली 11 श्रेणियों की जनोपयोगी विकास परियोजनाओं के लिये वन भूमि के अपवर्तन हेतु दिये गये सामान्य अनुमोदनों की संख्या को बढ़ा दिया जाए जिसमें प्रत्येक मामले में एक

हैक्टेयर से पांच हैक्टेयर तक वन भूमि का अपवर्तन होना है और सड़क निर्माण कार्यों के लिए भी उक्त अनुमोदन दिया जाए।

केन्द्र सरकार ने इस बात को ध्यान में रखकर उक्त अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है कि विशेषकर जैव-विविधता संपन्न एवं पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में जहां कई संकट ग्रस्त वनस्पतियों और जीव-जन्तुओं के पर्यावास होने के साथ ही अत्यधिक मृदा अपरन एवं भू-स्खलन होता है, दीर्घकालीन पारिस्थितिकी सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा वनेतर उद्देश्यों के लिए वन भूमि के इस्तेमाल की सावधानी पूर्वक जांच किया जाना आवश्यक है।

[हिन्दी]

वृक्षों की कटाई पर रोक

1830. श्री निलेश नारायण राणे : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में शवों के अंतिम संस्कार के लिए प्रतिवर्ष काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या के आंकलन हेतु कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कितने वृक्ष काटे गए;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का इरादा पर्यावरण अनुकूल अंतिम संस्कार हेतु प्रौद्योगिकी विकसित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (घ) देश में शवों के अंतिम संस्कार के लिये प्रतिवर्ष काटे जाने वाले वृक्षों के आकलन हेतु मंत्रालय द्वारा कोई अध्ययन नहीं कराया गया है।

(ङ) और (च) देश के शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों द्वारा लकड़ी की खपत घटाने के लिये विद्युत एवं गैस आधारित शवदाह गृहों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, देश में बेहतर डिजाइन युक्त किफायती ईंधन की लड़की के शवदाह गृहों का प्रयोग हो रहा है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत मंत्रालय द्वारा नदियों के किनारे बसे शहरों में उन्नत काष्ठ शवदाहगृहों की स्थापना के लिये विभिन्न राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना

1831. श्री प्रेमचन्द गुड्डू :
श्री यशवीर सिंह :
श्री नीरज शेखर :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना एवं वृद्ध स्वास्थ्य बीमा योजना के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हैं तथा इसके परिणामत: राज्य-वार लाभ प्राप्त कामगारों की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त योजना के लाभार्थियों के प्रीमियम के भुगतान के लिए सरकार द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई गयी है एवं उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जो देश में योजना का क्रियान्वयन कर रही हैं;

(ग) क्या सरकार को रिपोर्ट मिली है कि बड़ी संख्या में फर्जी और अपात्र व्यक्ति उक्त योजना का लाभ ले रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में उठाए गए कदमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा उन योजनाओं का मूल्यांकन और की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना का उद्देश्य कारीगरों के समुदाय की देश में श्रेष्ठतम स्वास्थ्य सेवा संबंधी सुविधाओं तक पहुंच बनाना है। यह स्कीम कारीगर परिवार के चार सदस्यों जिसमें स्वयं कारीगर और आश्रित माता-पिता, पत्नी एवं बच्चों में से परिवार के किन्हीं भी तीन सदस्यों को कवर करती हैं। लाभान्वित कारीगरों की राज्य-वार संख्या अनुबंध में उपलब्ध है।

(ख) मौजूदा स्कीम में प्रीमियम की हिस्सेदारी निम्न प्रकार से है:—

(i) भारत सरकार की हिस्सेदारी = कुल प्रीमियम का 80 प्रतिशत + पूरे प्रीमियम पर सेवा कर।

(ii) कारीगरों की हिस्सेदारी = सामान्य कारीगरों के मामले में कुछ प्रीमियम का 20 प्रतिशत। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित कारीगरों के मामले में सामान्य वर्ग के कारीगरों द्वारा दिए जाने वाले प्रीमियम का 50 प्रतिशत।

सरकार द्वारा प्रीमियम की धनराशि बीमा कम्पनी को अदा की जाती है।

(ग) और (घ) एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी कि आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी में राजस्थान राज्य में अपात्र व्यक्तियों को सदस्य बनाया था। सरकार ने बीमा कम्पनी को दंडरूप ब्याज सहित प्रीमियम को लौटाने के निर्देश दिए थे जोकि लगभग 1.003 करोड़ रुपये की धनराशि थी। बीमा कम्पनी द्वारा यह धनराशि लौटा दी गई है। यह मामला सीबीआई की जांच पड़ताल के अधीन है।

(ङ) तीसरी पार्टी द्वारा एक स्वतंत्र मूल्यांकन अध्ययन किया गया था और संबंधित निष्कर्ष निम्न प्रकार से हैं:—

- यह स्कीम कारीगरों के स्वास्थ्य से जुड़ी संकटकालीन आवश्यकताओं को पूरा करती है और कारीगरों के हितों की सुरक्षा के लिए इस स्कीम को क्रियान्वित किया जाना जारी रखना जरूरी है।
- स्वीकार्य दावों का समय पर और पूर्ण भुगतान सुनिश्चित करने हेतु क्रियान्वयनकारी अभिकरणों को संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।
- कारीगरों के कलस्टरों को 5 किलोमीटर के क्षेत्र के भीतर ओपीडी/आईपीडी सुविधाएं उपलब्ध हों इसके लिए सूचीबद्ध अस्पतालों के नेटवर्क में सुधार लाया लाना चाहिए।
- लक्षित समूह पर वहनीय/न्यूनतम अतिरिक्त लागत डालते हुए स्कीम के तहत संकटकालीन बीमारियों को भी शामिल किया जाना चाहिए।
- जैसा कि स्कीम के तहत लोग और अधिक प्रीमियम देने को तैयार हैं व्यक्तियों और धन के संबंध में कवरेज सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए।
- चूंकि सेगमेंट में नेत्रों से जुड़ी समस्याएं एक सामान्य समस्या है अत: नेत्रों के उपचार के लिए विशेष कैम्पों का नियमित आयोजन किया जाना चाहिए।

इस स्कीम में प्राप्त प्रगति/उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गईं है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य	2012-13 के दौरान कवर किए गए कारीगरों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	29859
2.	अरुणाचल प्रदेश	6000
3.	असम	192138
4.	बिहार	13460
5.	छत्तीसगढ़	1938
6.	दिल्ली	5246
7.	गुजरात	8122
8.	गोवा	1436
9.	हरियाणा	10298
10.	हिमाचल प्रदेश	2516
11.	जम्मू और कश्मीर	30094
12.	झारखंड	8002
13.	कर्नाटक	8011
14.	केरल	12814
15.	मध्य प्रदेश	26430
16.	महाराष्ट्र	2657
17.	मणिपुर	8573
18.	मेघालय	4107
19.	मिज़ोरम	1151
20.	नागालैंड	7703
21.	ओडिशा	6881
22.	पंजाब	13797
23.	राजस्थान	5858
24.	सिक्किम	867
25.	तमिलनाडु/अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह/पुदुचेरी	17736
26.	त्रिपुरा	35810

1	2	3
27.	उत्तर प्रदेश	230259
28.	उत्तराखंड	12015
29.	पश्चिम बंगाल	101613
	कुल	805391

वर्ष 2006-07 से 2012-13 तक इस स्कीम के अंतर्गत 42,83,118 कारीगरों (नवीकरण सहित) को कवर किया गया।

राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजना हेतु पर्यावरण और वन संबंधी स्वीकृति

1832. श्री जगदीश ठाकोर :
श्री रमेश बैस :
श्री नवीन जिन्दल :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरणीय और वन संबंधी स्वीकृति के अभाव में बड़ी संख्या में राष्ट्रीय "राजमार्ग की परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी कंपनी/डेवेलपर ने पर्यावरणीय और वन संबंधी स्वीकृति में विलंब के कारण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण के साथ समझौता समाप्त कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी और परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं को स्वीकृति देने में गति प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए या उठाये जाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) और (ख) केवल 4 (चार) परियोजना हैं जिनकी पर्यावरणी संबंधी औपचारिक मंजूरी की प्रतीक्षा है। ये पर्यावरण और वन मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएपी) द्वारा पहले से ही अनुमोदित है। कुल 16 (सोलह) परियोजनाओं के लिए वन संबंधी मंजूरी प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है। इन सभी परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) जिन परियोजनाओं के लिए रियायतग्राहियों/विकासकर्त्ताओं द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण (एनएचएआई) को ठेका समापन की नोटिस दिए जाने वाली, परियोजनाओं और पर्यावरण और वन संबंधी मंजूरी में विलंब के कारण निरस्त हो चुकी परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण के संबंध में विशेष रूप से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अधीन संरक्षित वन भूमि का दिक्परिवर्तन करने के बारे में वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 के अधीन विशेष छूट अथवा अनापत्ति प्रमाण-पत्र की अपेक्षा जैसी अधिकतम कठिनाइयों का समाधान अपने विभिन्न आदेशों के तहत कर लिया है। इन्होंने परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी की स्वीकृति को वन मंजूरी से अलग कर दिया है और राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना परियोजनाओं के सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण को नई परियोजनाओं से अलग माना है और गैर-वन क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने संबंधी परियोजनाओं के निर्माण की अनुमति दे दी है क्योंकि इन परियोजनाओं में व्यय निष्फल नहीं होता। तदनुसार सभी मौजूदा और भावी सड़क परियोजनाओं के लिए पर्यावरण और वन मंजूरियां प्राप्त करने की प्रक्रिया में उल्लेखनीय छूट मिल गयी है।

विवरण-I

सड़क परियोजनाएं, जिनके लिए औपचारिक पर्यावरण मंजूरी की प्रतीक्षा है और वन मंजूरी विभिन्न चरणों में है

क्र.सं.	परियोजना का नाम	प्रक्रिया का चरण
1	2	3
1.	कर्नाटक राज्य में रा.रा. 66 (पूर्ववर्ती रा.रा. 17) के गोवा/कर्नाटक सीमा-कुंदापुर खंड के मौजूदा कैरिजवे को चार/छह लेन तक करने के लिए पुनर्वास और चौड़ीकरण हेतु सीआरजेड और पर्यावरण स्वीकृत	ईएसी द्वारा अनुशंसित

1	2	3
2.	झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में महुलिया (राष्ट्रीय रा.रा. 33 के किमी. 277500) खड़गपुर के अंत तक (रा.रा. 06 के किमी. 129.600) के मौजूदा दो लेन को चार लेन तक चौड़ीकरण और सुधार	ईएसी द्वारा अनुशंसित
3.	राजस्थान राज्य में रा.रा. 65 के राजस्थान सीमा (किमी. 0.000) से फतेलहपुर-सालाशर (किमी. 154.141) खंड के मौजूदा कैरिजवे का पुनर्वास और उन्नयन	ईएसी द्वारा अनुशंसित
4.	ओडिशा राज्य में रा.रा. 23 के वीरमित्रपुर-बरकोटे-पलहाला खंड को मौजूदा दो लेन से चार लेन तक पुनर्वास और उन्नयन	ईएसी द्वारा अनुशंसित
	वन स्वीकृति	
1.	रा.रा. 87 रामपुर-काठगोदाम (उत्तर प्रदेश)	चरण-II
2.	रा.रा. 87 रामपुर-काठगोदाम (उत्तराखंड)	चरण-II
3.	रा.रा. 13 होसपेट-चित्रदुर्गा (कर्नाटक)	चरण-I
4.	रा.रा. 83 पटना-गया-धोबी (बिहार)	चरण-II
5.	रा.रा. 33 बरही-हजारीबाग (झारखंड)	चरण-II
6.	रा.रा. 56 सुल्तानपुर-वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	चरण-I
7.	रा.रा. 73 यमुनानगर-पंचकुला (हरियाणा)	चरण-I
8.	रा.रा. 15 (पंजाब के अमृतसर पठानकोट खंड के 12.783 हैक्टेयर का दिक्परिवर्तन हेतु अनुपूरक प्रस्ताव	चरण-II
9.	रा.रा. 3 ग्वालियार-शिवपुरी (मध्य प्रदेश)	चरण-I
10.	रा.रा. 7 मंदसौर-मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा (महाराष्ट्र)	चरण-I
11.	रा.रा. 1 (पंजाब) जालंधर-अमृतसर खंड	एफएसी द्वारा विचारित
12.	रा.रा. 66 गोवा-कर्नाटक से कुंदापुर खंड (कर्नाटक)	एफएसी द्वारा विचारित
13.	रा.रा. 215 पैनकूली – खंड (ओडिशा)	एफएसी द्वारा विचारित
14.	रा.रा. 231 रायबरेली-जौनपुर (245 पेड) (उत्तराष्ट्रीय राजमार्ग प्रदेश)	एफएसी द्वारा विचारित
15.	रा.रा. 35 लुधियाना-तलवंडी (पंजाब)	चरण-I
16.	बलचेरा-हरनगाजो	चरण-I
17.	रा.रा. 8 कृष्णगढ़-उदयपुर खंड	चरण-II

विवरण-II

परियोजनाएं, जिनके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को रियायतग्राही/विकासकर्त्ताओं ने समापन नोटिस दिया है और परियोजनाएं, जो पर्यावरण और वन मंजूरी में विलंब के कारण समाप्त की जा चुकी

क्र.सं.	परियोजना का नाम	रियायतग्राही का नाम	अभ्युक्तियां
1.	किशनगढ़-उदयपुर-अहमदाबाद	मै. जीएमआर	रियायतग्राही ने पर्यावरण स्वीकृति (ईसी)/वन स्वीकृति की अनुपलब्धता के आधार पर समापन नोटिस जारी किया। दोनों स्वीकृतियां प्राप्त हो गयी है। यह मामला न्यायाधीन है।
2.	शोलापुर-बीजापुर	मै. सद्भाव इंजीनियरिंग	वन्यजीव की स्वीकृति की अनुपलब्धता के कारण परियोजना समय से पहले समाप्त/निरस्त कर दी गई।
3.	कटक-अंगुल	मै. अशोक कटक-अंगुल टोलवे लिमिटेड	रियायतग्राही में पर्यावरण स्वीकृति (ईसी) की अनुपलब्धता के आधार पर समापन नोटिस जारी किया। चूंकि पर्यावरण स्वीकृति अब प्राप्त हो गयी है इसलिए यह मामला न्यायाधीन है।
4.	कोटा-झालवाड़	मै. कोटी कंन्सट्रक्शन लिमिटेड	वन स्वीकृति/वन्य जीव स्वीकृति की अनुपलब्धता के कारण परियोजना समाप्त कर दी गई है।
5.	औरंगाबाद-बारवा अड्डा	मै. केएमसी कंन्सट्रक्शन लिमिटेड	वन स्वीकृति/पर्यावरण स्वीकृति की अनुपलब्धता के कारण परियोजना समय से पहले समाप्त कर दी गई है।

[हिन्दी]

हरित मानदंडों का उल्लंघन

1833. श्री के. नारायण राव :
श्री नामा नागेश्वर राव :
श्री रमेश राठौड़ :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरावली क्षेत्र में तथा फरीदाबाद में मेनगार तथा हरियाणा के गुड़गांव में जमीन की बिक्री से संबंधित पर्यावरणीय मानदंडों का बड़ी संख्या में उल्लंघन तथा फार्महाउसों सहित गैर-कानूनी विनिर्माणों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त क्षेत्रों में हरित मानदंडों के उल्लंघन के बारे में जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और उल्लंघनकर्त्ताओं के विरुद्ध की गई दंडात्मक कार्रवाई का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा हरित मानदंडों के उल्लंघन को रोकने के लिए और उक्त क्षेत्र में वनस्पति और जीव-जन्तुओं के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) केन्द्र सरकार द्वारा अरावली अधिसूचना, 1992 जारी की गई थी जिसके द्वारा अरावली क्षेत्र के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में कुछ प्रक्रियाओं और कार्यकलापों को निषिद्ध किया गया था। दिनांक 29 नवम्बर, 1999 की अधिसूचना के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति अरावली अधिसूचना, 1992 में उल्लिखित कोई कार्यकलाप करना चाहता है तो उसे संबंधित राज्य सरकार को आवेदन देकर अपेक्षित स्वीकृति लेनी होगी।

हरियाणा सरकार से प्राप्त सूचनानुसार, फार्महाउस आदि के अवैध निर्माण जैसे उल्लंघनों के कई मामले राज्य में देखने को मिले हैं। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) ने परियोजना प्रस्तावकों/व्यक्तियों द्वारा उल्लंघनों के 557 मामलों का पता लगाया है

जिसमें निर्माण गतिविधियां बगैर अपेक्षित स्वीकृति के आरंभ कर दी गई है। फरीदाबाद के विशेष न्यायालय में ऐसे 380 उल्लंघनकर्त्ताओं के विरुद्ध अभियोजन मामले चलाये गये हैं।

रक्षा अधिकारियों के लिए रैंक वेतन

1834. श्री आर. थामराईसेलवन : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अब रैंक वेतन मामले में एक अंतिम निर्णय ले लिया है जो दो दशकों से अधिक समय से लंबित पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त और सेवारत, दोनों अधिकारियों पर इसके क्रियान्वयन से व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) ने भारत संघ तथा अन्य बनाम एन.के. नायर तथा अन्य से संबंधित स्थानांतरण याचिका (सी) संख्या 2007 की 56 में वर्ष 2010 के आईए संख्या 9 में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 04.09.2012 के आदेश जो कि रैंक वेतन मामले से संबंधित है के कार्यान्वयन के लिए 27.122012 को अनुदेश जारी किए हैं।

(ग) और (घ) उच्चतम न्यायालय के आदेश के कार्यान्वयन का प्रभाव सेवानिवृत्त तथा सेवारत, दोनों, अफसरों पर पड़ेगा। सेना, नौसेना तथा वायुसेना के कुल मिलाकर 2840 सेवारत अफसरों तथा 33814 सेवानिवृत्त अफसरों को उनकी स्वीकार्य देय राशि का भुगतान किया गया है। स्वीकार्य देय राशि के भुगतान पर अब तक 347 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है। जहां आवश्यक था वहां पेंशन में भी संशोधन किया गया है। अब तक सेना ने 12129 अफसरों, नौसेना के 2187 अफसरों तथा वायुसेना के 5557 अफसरों के पेंशन भुगतान आदेशों (पीपीओ) में संशोधन किया गया है। पेंशन का भुगतान संशोधित पीपीओ के अनुसार पेंशन वितरण प्राधिकारियों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा किया जाता है।

कच्छ क्षेत्र में परियोजना को मंजूरी

1835. प्रो. सौगत राय : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अदानी समूह सहित कतिपय निजी कंपनियों को पारिस्थितिकी क्षति के लिए क्षतिपूर्ति देते हुए गुजरात के कच्छ क्षेत्र में विकास संबंधी उनकी परियोजनाओं को चालू रखने की अनुमति प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) गुजरात के कच्छ जिले में मुंद्रा में पत्तन सुविधाएं विकसित करने के लिये मंत्रालय ने दिनांक 12.01.2009 को मैसस अदानी पोर्ट एवं सेज लिमिटेड (एपीएसईजेडएल) (पूर्व में मुंदा पोर्ट एवं सेज लिमिटेड के नाम से ज्ञात) को पर्यावरणीय तथा सीआरजेड स्वीकृति प्रदान की थी।

मैसर्स एपीएसईजेडएल की पत्तन सुविधाओं के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदनों को दृष्टिगत रख कर, मंत्रालय ने आरोपों की जांच की लिये सितम्बर, 2012 में सुश्री सुनीता नारायण की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल, 2013 में प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट में क्रीक तथा कच्छ-वनस्पति आदि के संबंध में कुछ उल्लंघन होने का उल्लेख है और गैर-अनुपालन का प्रभावी निवारण करने और उपचारी उपाय करने के सुझाव दिये गये हैं जिनमें पर्यावरण पुनरुद्धार कोष बनाना, मैंग्रोव संरक्षण, मॉनीटरन योग्यताओं का सुदृढ़ीकरण, क्रीक का संरक्षण, फ्लाई एश का प्रबंधन और निस्तारण, अन्तर्ग्राही तथा वाह्यगामी चैनलों की लाइनिंग, भूजल गुणवत्ता की मॉनीटरिंग, मछुआरों के लिये सीएसआर क्रियाकलाप और नॉर्थ पोर्ट परियोजना को रद्द करना आदि शामिल हैं इन सिफारिशों के आधार पर, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत मैसर्स एपीएसईजेडएल और गुजरात समुद्री बोर्ड को निर्देशों के साथ कारण बताओ नोटिस जारी की गई थी।

दास प्रथा की समाप्ति

1836. श्री मानिक टैगोर : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत राष्ट्र-वार आंकड़ों वाली सूची में शीर्ष पर है जहां विभिन्न प्रकार के दासत्व में फंसे लोगों की संख्या लगभग 14 मिलियन है;

(ख) क्या विश्व के दासों की जनसंख्या की आधी संख्या भारत में है और दासता में इसका पदानुक्रम चौथा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) देश में दास प्रथा को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) से (ग) संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुसार इंसानों का अवैध व्यापार भिखारी और बलात् श्रम के समान स्वरूप प्रतिषिद्ध है तथा इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध

होगा। तथापि लोक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से राज्य को कोई नहीं रोकेगा तथा इस प्रकार की सेवा अधिरोपित करने में राज्य धर्म, नस्ल, जाति या श्रेणी या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।

(घ) सरकार ने देश में बंधुआ मजदूरों की पहचान, उन्मूलन तथा पुनर्वास के लिए अनेक पहलें की हैं। बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित प्लान योजना उनके पुनर्वास के लिए 1978 से कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत स्वतंत्र बंधुआ मजदूर के लिए 20,000 रुपये की पुनर्वास सहायता उपलब्ध कराई गई है और केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा 50:50 के आधार पर अंशदान किया जाता है। उत्तर-पूर्वी राज्यों के मामले में, 100 प्रतिशत की केन्द्रीय सहायता इस शर्त पर उपलब्ध कराई जाती है कि वे सहायता के अपने अंश को देने में असमर्थ हैं। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित क्रियाकलापों का वित्तपोषण इस योजना के अंतर्गत किया जाता है।

तीन वर्ष में एक बार बंधुआ मजदूरों की पहचान के लिए सर्वेक्षण के संचालनार्थ संबंधित राज्य सरकार को 2.00 लाख रुपये प्रति जिला उपलब्ध कराये जाते हैं।

वर्तमान भूमि ऋणों से संबद्ध मुद्दों के प्रभाव, गरीबी उपशमन कार्यक्रम के प्रभाव तथा बंधुआ मजदूरी की संभावना को कम करने वाली कल्याण योजनाओं के लिए प्रत्येक राज्य सरकार को 5.00 लाख प्रतिवर्ष संस्वीकृत किए जाते हैं।

बंधुआ श्रम प्रणाली पर जागरुकता उत्पन्न करने वाले क्रिया कलापों को करने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार को 10.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

जिला/ब्लॉक स्तर पर राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य राशन इत्यादि जैसी समन्वय योजनाओं द्वारा बंधुआ मजदूरी की संभावना को रोकने और कम करने के लिए अधिकांश राज्यों ने एक समेकित समन्वय आधारित रुख अपनाया है। जिला तथा उप-खण्डीय स्तर पर सतर्कता समितियों को बंधुआ मजदूरी की पहचान तथा पुनर्वास के लिए सक्रिय किया गया है।

परिवहन मानदंडों का उल्लंघन

1837. श्री रुद्रमाधव राय :
श्री अमरनाथ प्रधान :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि ट्रांसपोर्टरों को लाइसेंस देने में कई एजेंसियों के शामिल होने से मानदंडों के उल्लंघन के लिए जवाबदेही तय करने में परेशानी हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी करने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न पैदा नहीं होते।

[हिन्दी]

भेषजीय उत्पादों का निर्यात

1638. श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना :
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भेषजीय उत्पादों का निर्यात बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान निर्यातित औषधीय उत्पादों और इस पर अर्जित विदेशी राजस्व का देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार औषधीय उत्पादों के निर्यात के लिए नए विनियमों को जारी करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रस्तावित विनियमों द्वारा किस सीमा तक देश से निर्यात की मात्रा प्रभावित होने और विदेशों में भारतीय दवाओं की गुणवत्ता के खिलाफ प्रतिकूल अभियान का मुकाबला करने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. ई.एम.एस. नाच्चीयप्पन) : (क) फार्मास्यूटिकल सेक्टर को शामिल करते हुए निर्यात में भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए पहलें। सरकार द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहलें निम्नलिखित हैं:—

- यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि भारत से केवल गुणवत्तापूर्ण भेषजों का ही निर्यात हो, भारत सरकार ने देश से फार्मास्यूटिकल उत्पादों के निर्यात संबंधी ट्रेस एवं ट्रैक सुविधाओं को अधिदेशित किया है। यह पहल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय भेषजों की गुणवत्ता के विरुद्ध विपरित अभियान का सामना करने में सहायता करेगी।
- एक "ब्रैंड इंडिया फार्मा" अभियान प्रमुख बाजारों में शुरू

किया गया है जिसका उद्देश्य भरतर को वहनीय गुणवत्ता वाली जेनेरिक्स के एक स्रोत के रूप में संवर्धित करना है।

- निर्यात संवर्धन परिषद् (फार्मेक्सिल) और अन्य व्यापार निकायों को प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेने, देश से निर्यात को बढ़ाने हेतु व्यवसायिक बैठकें आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

- आयातक देशों के भेषज नियामक एवं अन्य अधिकारियों से नियमित बातचीत की जाती है।

(ख) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान फार्मास्यूटिकल उत्पादों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नलिखित है:—

मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में

	2010–11 कुल	2011–12 कुल	2012–13 कुल	2013–14 (सितंबर, 2013 तक
थोक भेषज	3972.53	4704.17	4536.01	1938.91
सूत्रीकरण	6613.35	8387.52	9912.43	5247.15
हर्बल	141.70	176.26	232.14	100.01
कुल	10727.58	13267.95	14680.58	7286.07

प्रमुख 10 देशों के साथ मूल्य के संदर्भ में हुए निर्यात निम्नलिखित है:—

मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में

देश	2010–11 कुल	2011–12 कुल	2012–13 कुल
1	2	3	4
यूएसए	2497.46	3267.90	3728.56
रूस	455.90	410.08	572.18
यूके	391.47	491.36	513.39
जर्मनी	361.89	462.94	467.31
दक्षिण अफ्रीका	341.44	383.22	440.76
नाईजिरिया	224.28	310.44	341.05
ब्राजील	230.28	279.04	328.37
कनाडा	153.34	258.33	285.71
केन्या	182.94	229.85	252.04
नीदरलैंड	198.24	230.32	249.16

(ग) और (घ) 39 अगस्त, 2013 को भेषजों एवं सौंदर्य प्रसाधन संशोधन विधेयक, 2013 राज्य सभा में पुर:स्थापित किया गया है बिल में निर्यात हेतु चिकित्सा उपकरणों एवं सौंदर्य प्रसाधनों की गुणवत्ता के नियंत्रण का प्रावधान करने का प्रस्ताव किया गया है।

(ङ) प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य भारत से निर्यातित भेषजों की गुणवत्ता का नियंत्रण करना है।

[अनुवाद]

जीएम फसलों के लिए परीक्षण

1839. श्री सी. शिवासामी :
श्री एन.एस.वी. चित्तन :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेसल कमेटी (डीईएसी) ने देश में आनुवांशिक रूप से संवर्धित फसलों के लिए मैदानी परीक्षणों की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जीईएसी के पास अनेक फसलों के मैदानी परीक्षणों की स्वीकृति लम्बित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या अनेक राज्यों ने उक्त जीएम फसलों के मैदानी परीक्षणों के संबंध में असंतोष व्यक्त किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्यों द्वारा व्यक्त असंतोष पर कमेटी की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) जी, हां, आनुवांशिक इंजीनियरी मूल्यांकन समिति (जीईएसी) ने आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों जैसे कि कपास, धान, अरण्ड, गेहूं, मक्का, टमाटर, मूंगफली, आलू, सरघूम, भिंड़ी, बैंगन, सरसों, तरबूज, पपीता, गन्ना, रबर, केला, अरहर, आर्टिमिसिया एनुआ एल, और काबुली चना के मामले में जैव-सुरक्षा आंकड़े सृजित करने के लिये प्रोयोगिक क्षेत्र परीक्षणों की मंजूरी दी है।

(ग) वर्तमान में जीईएसी के पास 11 फसलों नामश: कपास, धान, अरण्ड, मक्का, गेहूं, गन्ना, बैंगन, आलू, काबुली चना, सरसों और सरघूम सहित 79 आवेदन विचाराधीन है। इन 79 आवेदनों में से, 24 आवेदनों पर सभी राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण-पत्र मिलने हैं और शेष 55 आवेदनों पर जीईएसी द्वारा अभी विचार किया जाना है।

(घ) और (ङ) कुछ राज्य सरकारों से उनके राज्यों में हुए जीएम फसलों के क्षेत्र परीक्षणों के मामले में प्राप्त आपत्तियों के कारण, जीईएसी ने अपनी दिनांक 6.7.2011 की बैठक में यह निर्णय लिया था कि क्षेत्र परीक्षणों के लिये मंजूरी देने से पूर्व आवेदकों की सर्वप्रथम राज्य सरकारों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने का निदेश किया जाए। इसके अलावा, चूंकि जीएम फसलों के क्षेत्र परीक्षण तथा इससे जुड़े मामले न्यायाधीन हैं, अत: माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया गया है।

नमक का मूल्य

1840. श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री राकेश सिंह :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ भागों में नमक के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों में नमक को अत्यधिक मूल्य पर बेचा जा रहा है और इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा बढ़ते मूल्यों को नियन्त्रित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या नमक के पर्याप्त उत्पादन के बावजूद देश में नमक की कमी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. ई.एम.एस. नाच्चीयप्पन) : (क) जी, हां, नवंबर, 2013 के दूसरे सप्ताह में देश के कुछ हिस्सों में नमक की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि होने की सूचना मिली है।

(ख) नमक की कृत्रिम कमी की छुट-पुट अफवाहों के कारण बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम में यह 150 रुपए प्रति किलो तक ऊंचे मूल्य पर बेचा गया था। ऐसी सूचनाएं प्राप्त होने के दो दिनों के भीतर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई के जरिए स्थिति पर नियंत्रण कर लिया गया था। नमक आयुक्त, जयपुर के कार्यालय ने तुरंत सभी राज्यों को यह आश्वासन दिया कि नमक का पर्याप्त भंडार मौजूद है जिसे सूचना मिलते ही आवश्यकता वाले क्षेत्रों में भेजा जा सकता है। राज्य सरकारों ने भी नमक की कृत्रिम कमी की स्थिति को बढ़ावा देने वाले जमाखोरों और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की। जिन राज्यों में नमक के मूल्य में वृद्धि होने की सूचना मिली थी, वहां नमक की पर्याप्त उपलब्धता के संबंध में उपभोक्ता जागरुकता के लिए मीडिया में सूचना अभियान चलाया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) खाद्य नमक की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए नमक का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने स्थिति की समीक्षा करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों, उनके नामितियों और नमक विनिर्माता संघों सहित हितधारकों के साथ 5 दिसम्बर, 2013 को एक बैठक आयोजित की। इसके अलावा, रेलवे से भी अनुरोध किया गया है कि इन राज्यों में खाद्य नमक पहुंचाने को प्राथमिकता दें। किसी भी राज्य से नमक की कमी की सूचना नहीं मिली है।

अध्यक्ष महोदया : सभा कल 17 दिसम्बर, 2013 को पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 17 दिसम्बर, 2013/ 26 अग्रहायण, 1935 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे श्री पी. करुणाकरन	141
2.	श्री संजय धोत्रे डॉ. मुरली मनोरज जोशी	142
3.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर श्री ताराचन्द भगोरा	143
4.	श्री यशवीर सिंह श्री नीरज शेखर	144
5.	श्री सोमेन मित्रा	145
6.	श्री रमेश बैस चौधरी लाल सिंह	146
7.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव श्री भर्तृहरि महताब	147
8.	डॉ. संजीव गणेश नाईक श्री अधलराव पाटील शिवाजी	148
9.	श्री पूर्णमासी राम	149
10.	श्री के. सुगुमार कुमारी सरोज पाण्डेय	150
11.	श्रीमती कमला देवी पटले श्री हेमानंद बिसवाल	151
12.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	152
13.	श्री लालजी टन्डन श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ	153
14.	श्री एन. धरम सिंह	154
15.	श्री रूद्रमाधव राय डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	155
16.	श्री वरुण गांधी प्रो. सौगत राय	156
17.	श्री नामा नागेश्वर राव श्री असादूद्दीन ओवेसी	157
18.	श्री वैजयंत पांडा श्री एम.के. राघवन	158
19.	श्री पी. कुमार श्री के.पी. धनपालन	159
20.	श्री राम सुन्दर दास डॉ. भोला सिंह	160

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री ए.के.एस. विजयन	1684, 1772
2.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	1757, 1775, 1778, 1780
3.	श्री आनंदराव अडसुल	1757, 1776, 1778, 1780
4.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	1710, 1717, 1779, 1804
5.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	1641, 1712, 1713, 1781
6.	श्री हंसराज गं. अहीर	1626, 1777, 1779
7.	श्री सुल्तान अहमद	1742
8.	श्री बदरुद्दीन अजमल	1655, 1735
9.	श्री एम. आनंदन	1738, 1754, 1778
10.	श्री अनंत कुमार	1715
11.	श्री अनंत कुमार हेगड़े	1706
12.	श्री सुरेश अंगड़ी	1737, 1777, 1779
13.	श्री जयवंत गंगाराम आवले	1781, 1786
14	श्री कीर्ति आजाद	1649, 1786

1	2	3
15.	श्री गजानन ध. बाबर	1757, 1776, 1778, 1780
16.	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	1710
17.	श्री रमेश बैस	1832
18.	श्री कामेश्वर बैठा	1817
19.	श्रीमती सुस्मिता बाउरी	1705
20.	डॉ. मिर्जा महबूब बेग	1717
21.	श्री सुदर्शन भगत	1666, 1748
22.	श्री संजय भोई	1729
23.	श्री समीर भुजबल	1691
24.	श्री कुलदीप बिश्नोई	1663, 1740, 1820
25.	श्री हेमानंद बिसवाल	1697, 1796, 1802
26.	श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला	1628, 1773
27.	श्री सी. शिवासामी	1678, 1703, 1727, 1839
28.	श्री हरीश चौधरी	1634, 1689, 1702, 1708, 1767
29.	श्री हरिभाई चौधरी	1708, 1770, 1780, 1784
30.	श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	1667, 1677, 1774, 1838, 1839
31.	श्रीमती राजकुमारी चौहान	1644
32.	श्री संजय सिंह चौहान	1702
33.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	1740, 1764
34.	श्री एन.एस.वी. चित्तन	1629, 1704, 1726, 1839
35.	श्री भूदेव चौधरी	1706, 1722, 1764, 1785
36.	श्री निखिल कुमार चौधरी	1764, 1784

1	2	3
37	श्रीमती श्रुति चौधरी	1616, 1815
38.	श्री भक्त चरण दास	1781
39.	श्री खगेन दास	1758
40.	श्री राम सुन्दर दास	1638, 1664
41.	श्री गुरुदास दासगुप्त	1732, 1775, 1778
42.	श्री रमेन डेका	1723
43.	श्रीमती रमा देवी	1668, 1782, 1784, 1816
44.	श्री के.पी. धनपालन	1795
45.	श्री संजय धोत्रे	1773
46.	श्री आर. ध्रुवनारायण	1630, 1738, 1742, 1797
47.	श्रीमती ज्योति धुर्वे	1714, 1762
48.	श्री चार्ल्स डिएस	1743
49.	श्री निशिकांत दुबे	1671, 1762, 1785, 1810
50.	श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	1774
51.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	1695, 1775
52.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	1765, 1783, 1839
53.	श्री ए. गणेशमूर्ति	1629, 1783
54.	श्री शिवराम गौडा	1647, 1710, 1738, 1802
55.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	1702, 1705, 1720, 1766
56.	शेख सैदुल हक	1706, 1727
57.	श्री महेश्वर हजारी	1777, 1803
58.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	1628, 1738, 1794, 1802

1	2	3
59.	श्री बलीराम जाधव	1695, 1713, 1763, 1777
60.	डॉ. मन्दा जगन्नाथ	1771, 1778
61.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	1675, 1767, 1784, 1785
62.	श्री बद्रीराम जाखड़	1646, 1706, 1805, 1809
63.	श्रीमती दर्शना जरदोश	1652
64.	श्री हरिभाऊ जावले	1664, 1794, 1802, 1821
65.	श्री रमेश जिगजिणगी	1716
66.	श्री नवीन जिन्दल	1714, 1760, 1768, 1832
67.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	1694, 1702, 1768
68.	श्री प्रहलाद जोशी	1650, 1771, 1781, 1810
69.	श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश	1692, 1733
70.	श्री सुरेश कलमाडी	1685, 1794
71.	श्री पी. करुणाकरन	1705, 1787
72.	श्री कपिल मुनि करवारिया	1620, 1638, 1664, 1800
73.	श्री वीरेन्द्र कश्यप	1686, 1783, 1829
74.	श्री नलिन कुमार कटील	1617, 1647, 1705, 1710, 1819
75.	श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी	1780, 1786
76.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	1802
77.	श्री चंद्रकांत खैरे	1633, 1799
78.	श्री हसन खान	1753
79.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	1806
80.	श्री विश्व मोहन कुमार	1735
81.	श्री अजय कुमार	1744, 1779
82.	श्री पी. कुमार	1772, 1773, 1775, 1778
83.	श्री पी. लिंगम	1775
84.	श्री एम. कृष्णास्वामी	1738, 1769, 1780
85.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	1643, 1730, 1759
86.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	1699
87.	श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो	1701
88.	श्री नरहरि महतो	1665, 1706, 1624
89.	श्री भर्तृहरि महताब	1733
90.	श्री प्रदीप माझी	1718, 1719, 1769
91.	श्री जोस के. मणि	1702, 1710, 1756, 1806
92.	श्री दत्ता मेघे	1707, 1780
93.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	1617, 1745
94.	श्री भरत राम मेघवाल	1639, 1805
95.	डॉ. थोकचोम मैन्या	1724
96.	श्री महाबल मिश्रा	1696
97.	श्री पी.सी. मोहन	1662, 1818
98.	श्री गोपीनाथ मुंडे	1688, 1784
99.	श्री विलास मुत्तेमवार	1683, 1840
100.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	1712, 1746, 1786
101.	श्री श्रीपाद येसो नाईक	1751
102.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	1687, 1777
103.	श्री नामा नागेश्वर राव	1833
104.	श्री नरेनभाई काछादिया	1711, 1714, 1762

1	2	3
105.	श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव	1777
106.	कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद	1734, 1785
107.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	1635, 1703, 1783, 1803
108.	श्री पी.आर. नटराजन	1656, 1775, 1814
109.	श्री विन्सेंट एच. पाला	1738
110.	श्री प्रबोध पांडा	1778
111.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	1622, 1791
112.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	1704, 1765, 1783, 1839
113.	श्री देवजी एम. पटेल	1669, 1773, 1817
114.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	1632, 1770, 1777
115.	श्री बाल कुमार पटेल	1673
116.	श्री किसनभाई वी. पटेल	1719, 1769
117.	श्री हरिन पाठक	1747
118.	श्री संजय दिना पाटील	1687, 1777
119.	श्री ए.टी. नाना पाटील	1658, 1773, 1776, 1817
120.	श्रीमती भावना पाटील गवली	1774
121.	श्री सी.आर. पाटिल	1661, 1770, 1777, 1807
122.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	1765, 1783, 1839
123.	डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील	1695, 1713, 1763, 1777
124.	श्रीमती कमला देवी पटले	1727, 1813
125.	श्री पोन्नम प्रभाकर	1618, 1630, 1780, 1785
126.	श्री अमरनाथ प्रधान	1794, 1837
127.	श्री प्रेमचन्द गुड्डू	1831
128.	श्री पन्ना लाल पुनिया	1623, 1792
129.	श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ	1713
130.	श्री बी.वाई. राघवेन्द्र	1648
131.	श्री अब्दुल रहमान	1705, 1766
132.	श्री सी. राजेन्द्रन	1739, 1777, 1779, 1784
133.	श्री एम.बी. राजेश	1659
134.	श्री पूर्णमासी राम	1823
135.	प्रो. रामशंकर	1745
136.	श्री रामकिशुन	1640
137.	श्री कादिर राणा	1672, 1722
138.	श्री निलेश नारायण राणे	1614, 1830
139.	श्री के. नारायण राव	1833
140.	श्री रमेश राठौड़	1833
141.	श्री रामसिंह राठवा	1643, 1784, 1807
142.	श्री अशोक कुमार रावत	1674, 1779, 1825
143.	श्री अर्जुन राय	1702, 1706
144.	श्री विष्णु पद राय	1612
145.	श्री रुद्रमाधव राय	1779, 1837
146.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	1611
147.	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	1784
148.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	1628, 1698, 1784, 1806
149.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	1665, 1715
150.	प्रो. सौगत राय	1709, 1727, 1835
151.	श्री एस. अलागिरी	1670, 1675, 1782, 1824

1	2	3
152.	श्री एस. सेम्मलई	1625, 1706, 1785, 1793
153.	श्री एस. पक्कीरप्पा	1654, 1706, 1785
154.	श्री एस.आर. जेयदुरई	1702, 1720, 1765
155.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	1822
156.	श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना	1667, 1774, 1838
157.	श्री तूफानी सरोज	1690
158.	श्री हमदुल्लाह सईद	1613, 1639, 1790
159.	श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह	1627
160.	श्री एम.आई. शानवास	1703
161.	श्री नीरज शेखर	1776, 1831
162.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	1630, 1657, 1738, 1769, 1772
163.	श्री राजू शेट्टी	1721, 1781
164.	श्री एंटो एंटोनी	1631, 1706, 1730, 1798
165.	श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ल	1711, 1714
166.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	1637, 1801
167.	डॉ. भोला सिंह	1762
168.	श्री गणेश सिंह	1730
169.	श्री इज्यराज सिंह	1702, 1764, 1780
170.	श्री जगदानंद सिंह	1709, 1786
171.	श्रीमती मीना सिंह	1785
172.	श्री पशुपति नाथ सिंह	1736
173.	श्री प्रदीप कुमार सिंह	1653, 1789
174	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	1700
175.	श्री राकेश सिंह	1682, 1772,1828, 1840

1	2	3
176.	श्री रतन सिंह	1660
177.	श्री रवनीत सिंह	1651, 1811
178.	श्री सुशील कुमार सिंह	1782
179.	श्री उदय सिंह	1776
180.	श्री यशवीर सिंह	1776, 1831
181.	श्री बृजभूषण शरण सिंह	1728
182.	श्री रेवती रमण सिंह	1735, 1752
183.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	1694, 1702, 1178
184.	राजकुमारी रत्ना सिंह	1645, 1764, 1785
185.	श्री एन. धरम सिंह	1710, 1733, 1738
186.	डॉ. संजय सिंह	1645, 1689, 1697, 1764, 1785
187.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	1657, 1772, 1785, 1797, 1808
188.	डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	1761
189.	श्री के. सुधाकरण	1749
190.	श्री ई.जी. सुगावनम	1615, 1634, 1744 1773, 1826
191.	श्री के. सुगुमार	1778, 1808
192.	श्रीमती सुप्रिया सुले	1777
193.	श्री डी.के. सुरेश	1680, 1778, 1827
194.	श्रीमती तबस्सुम हसन	1636
195.	श्री मानिक टैगोर	1692, 1836
196.	श्रीमती अन्नू टन्डन	1642
197.	श्री अशोक तंवर	1738, 1775, 1786
198.	श्री सुरेश काशीनाथ तवारे	1750
199.	श्री जगदीश ठाकोर	1832

1	2	3
200.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	1619, 1632, 1777
201	श्री आर. थामराईसेलवन	1681, 1706, 1778, 1834
202.	श्री पी.टी. थॉमस	1676, 1721
203.	श्री मनोहर तिरकी	1624, 1715
204.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	1638, 1804
205.	श्री लक्ष्मण टुडु	1706, 1816
206.	श्री शिवकुमार उदासी	1777, 1779
207.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	1777, 1803
208.	श्री हर्ष वर्धन	1777, 1803
209.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	1634, 1689, 1706, 1759, 1770
210.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	1683

1	2	3
211.	श्री सज्जन वर्मा	1731
212.	श्री वीरेन्द्र कुमार	1679
213.	श्री अदगुरु एच. विश्वनाथ	1789
214.	श्री पी. विश्वनाथन	1621, 1812
215.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	1774, 1788
216.	श्री अंजनकुमार एम. यादव	1670, 1824
217.	श्री धर्मेन्द्र यादव	1757, 1776, 1778, 1780
218.	श्री दिनेश चन्द्र यादव	1768, 1779
219	श्री ओम प्रकाश यादव	1712, 1779
220.	प्रो. रंजन प्रसाद यादव	1725
221.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	1755
222	श्री मधुसूदन यादव	1741, 1775

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	141, 155, 159, 160
रक्षा	:	144, 156
पर्यावरण और वन	:	146, 147, 151, 152, 154
श्रम और रोजगार	:	143, 145, 149
सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	142, 148, 153, 157
पोत परिवहन	:	
इस्पात	:	150
वस्त्र	:	158
युवा कार्यक्रम और खेल	:	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	1611, 1617, 1622, 1663, 1664, 1694, 1695, 1706, 1713, 1731, 1738, 1772, 1778, 1780, 1781, 1791, 1797, 1798, 1810, 1817, 1838, 1840
रक्षा	:	1612, 1613, 1615, 1624, 1626, 1628, 1629, 1630, 1635, 1651, 1656, 1658, 1662, 1676, 1681, 1682, 1683, 1688, 1690, 1691, 1692, 1693, 1696, 1701, 1724, 1726, 1737, 1739, 1745, 1746, 1753, 1757, 1768, 1769, 1776, 1777, 1779, 1787, 1788, 1804, 1818, 1822, 1828, 1834
पर्यावरण और वन	:	1618, 1619, 1623, 1632, 1633, 1645, 1648, 1652, 1655, 1657, 1667, 1671, 1673, 1674, 1675, 1678, 1685, 1703, 1707, 1708, 1709, 1710, 1720, 1723, 1727, 1729, 1748, 1750, 1752, 1756, 1763, 1771, 1773, 1789, 1792, 1799, 1800, 1807, 1813, 1819, 1820, 1823, 1826, 1829, 1830, 1833, 1835, 1839
श्रम और रोजगार	:	1638, 1650, 1654, 1665, 1666, 1687, 1715, 1722, 1730, 1732, 1733, 1736, 1740, 1747, 1749, 1754, 1760, 1762, 1767, 1775, 1782, 1796, 1801, 1816, 1824, 1827, 1836
सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	1614, 1616, 1625, 1627, 1636, 1637, 1639, 1641, 1644, 1646, 1647, 1660, 1661, 1668, 1669, 1672, 1677, 1686, 1699, 1700, 1702, 1705, 1712, 1716, 1719, 1725, 1741, 1755, 1758, 1759, 1765, 1770, 1774, 1803, 1805, 1821, 1825, 1832, 1837

पोत परिवहन	:	1631, 1684, 1689, 1698, 1704, 1711, 1718, 1734, 1742, 1751, 1761, 1790, 1793, 1795, 1811, 1812
इस्पात	:	1621, 1679, 1728, 1766
वस्त्र	:	1620, 1735, 1764, 1783, 1784, 1785, 1794, 1808, 1814, 1831
युवा कार्यक्रम और खेल	:	1634, 1640, 1642, 1643, 1649, 1659, 1670, 1680, 1714, 1717, 1721, 1743, 1744, 1786, 1802, 1806, 1809, 1815.